भारत की संसद

पन्द्रहवीं लोक सभा
2009-2014

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

भारत की संसद

पन्द्रहवीं लोक सभा

2009–2014

एक अध्ययन

भारत की संसद

पन्द्रहवीं लोक सभा

2009–2014

एक अध्ययन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सदस्य संदर्भ सेवा,
लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
द्वारा संकलित तथा सम्पादित

© 2015, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली

मूल्य: 1250/- रुपये

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, दिल्ली द्वारा मुद्रित।

प्राक्कथन

हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में भारत की संसद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है और यह देश की जनता एवं सरकार के बीच एक सेतु का काम करती है। निचला सदन होने के नाते लोक सभा एक जीवंत मंच है जो हमारी एकता और अखंडता को पोषित करने के साथ-साथ हमारी विभिन्नताओं को भी प्रतिबिंबित करता है। लोक सभा का यह दायित्व है कि देश की जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करे और देश के सामने आ रही समस्याओं और मुद्दों का समाधान करे।

पन्द्रहवीं लोक सभा ने कानून बनाकर, बजट पास करके, लोक शिकायतों पर विचार-विमर्श करके, लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करके और राष्ट्रीय महत्व की नीतियों तथा मुद्दों आदि पर बहस करा कर इस कार्य को पूरी ईमानदारी से किया है।

"भारत की संसद : पन्द्रहवीं लोक सभा, 2009-2014 : एक अध्ययन" एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से पाठकों को पन्द्रहवीं लोक सभा के घटनापूर्ण कार्यकाल के दौरान संपन्न किये गये विभिन्न कार्यों का लेखा-जोखा प्राप्त होता है। इसमें पन्द्रहवीं लोक सभा की तुलना में पिछली लोक सभाओं में हुए कुछ कार्यों के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन भी दिया गया है।

मैं इस महत्वपूर्ण और सूचनाप्रद प्रकाशन के लिये लोक सभा सचिवालय को बधाई देती हूं। यह प्रकाशन सभा की कार्यवाही, विभिन्न संसदीय समितियों के कार्यकरण तथा संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रक्रियात्मक उपायों के साथ-साथ जनता के प्रतिनिधियों की भूमिका को समझाने में भी सहायक सिद्ध होगा।

सुमित्रा महाजन
अध्यक्ष
लोक सभा

दिसंबर, 2015
नई दिल्ली

आमुख

हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में भारत की संसद का महत्वपूर्ण स्थान है। लोक सदन के रूप में लोक सभा का यह कर्त्तव्य और दायित्व है कि वह लोगों की इच्छाओं और अपेक्षाओं तथा राष्ट्र के समक्ष उपस्थित समस्याओं और मुद्दों पर ध्यान दे। देश की जनता लोक सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तथा आम चुनाव के बाद प्रत्येक लोक सभा की संरचना, एक प्रकार से जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करती है।

अप्रैल-मई, 2009 के आम चुनाव के बाद 18 मई, 2009 को पंद्रहवीं लोक सभा का गठन हुआ। अन्य लोक सभाओं की भांति पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य भी विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के थे। विभिन्न आयु वर्ग और शैक्षिक योग्यताओं वाले ये सदस्य भिन्न-भिन्न व्यावसायिक पृष्ठभूमि के थे। व्यवसाय की दृष्टि से, पन्द्रहवीं लोक सभा में कृषकों का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक था। उनके बाद राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं का स्थान था। जहां तक उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि का संबंध है, इस सभा के लगभग आधे सदस्य स्नातक तथा लगभग एक-चौथाई सदस्य स्नातकोत्तर थे। लगभग 34 प्रतिशत सदस्यों को लोक सभा का और लगभग 50 प्रतिशत सदस्यों को राज्य विधानमंडलों का विधायी अनुभव था। सभा के कुल सदस्यों में 11.01 प्रतिशत महिलायें थीं।

राज्य सभा के साथ लोक सभा के मुख्य कार्य हैं: विधान बनाना, प्रशासन पर निगरानी, बजट पास करना, लोक शिकायतों की अभिव्यक्ति, लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करना तथा राष्ट्रीय महत्व की नीतियों पर बहस करना। 15वीं लोक सभा ने भी इन कार्यों को पूरी गंभीरता से किया। इसके कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं तथा माननीय अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार के निदेशों पर बहुत सी महत्वपूर्ण संसदीय पहलें की गईं।

इस अध्ययन के माध्यम से पाठकों को 15वीं लोक सभा द्वारा अपने घटनापूर्ण कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का लेखा-जोखा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन में लेख, विवरण ग्राफ, चार्ट, आंकड़ों तथा साथ-साथ संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पणों के माध्यम से लोक सभा के कार्य का सार प्रस्तुत किया गया है। पाठकों को पूर्ववर्ती लोक सभाओं की तुलना में तुलनात्मक आंकड़ों की भी झलक देखने को मिलेगी।

15वीं लोक सभा के गठन के पश्चात् भारत के राष्ट्रपति ने 1 जून, 2009 को इसकी बैठक आहूत की। कुल मिलाकर 15वीं लोक सभा के दौरान 15 सत्र हुए जिनमें 357 बैठकें हुईं जो 1344 घंटे चलीं। 15वीं लोक सभा में बैठकों की औसत अवधि 3 घंटे 45 मिनट थी। सभा ने अपने कुल समय का 23.79 प्रतिशत समय विधायी कार्य पर, 20.63 प्रतिशत बजट पर, 9.05 प्रतिशत समय प्रश्नों पर और 46.53 प्रतिशत समय विभिन्न प्रक्रियात्मक उपायों अर्थात् प्रस्तावों, संकल्पों, अल्पकालीन चर्चाओं, आधे घंटे की चर्चाओं, ध्यानाकर्षण, आदि पर चर्चा करने में लगाया।

15वीं लोक सभा के दौरान विधायी कार्य के विश्लेषण से पता चलता है कि संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या संविधान (संशोधन) विधेयकों सहित 179 थी। इस अवधि के दौरान पारित कतिपय महत्वपूर्ण विधान हैं: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2009; राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013; दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013; आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014; और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2014। इस दौरान कुल 372 गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पुर:स्थापित किए गए, परंतु इनमें से कोई भी विधेयक पारित नहीं हुआ।

प्रश्न काल का संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 15वीं लोक सभा के दौरान सदस्यों से प्रश्नों की 4,43,578 सूचनाएं प्राप्त हुईं। तथापि, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की प्रतिदिन एक निर्धारित संख्या में ग्राह्यता के प्रक्रियागत निर्बंधन के कारण इनमें से केवल 79,666 सूचनाएं जो प्राप्त सूचनाओं की कुल संख्या का 17.95 प्रतिशत हैं, ही गृहीत हुईं और उनका उत्तर दिया गया।

15वीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं—जुलाई-अगस्त, 2012 में राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन।

संसदीय समितियां विधायिका के प्रति सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संसद की विभागों से संबद्ध 24 स्थायी समितियां हैं। इन 24 समितियों में से 16 समितियां लोक सभा सचिवालय तथा 8 समितियां राज्य सभा सचिवालय द्वारा सेवित हैं। 15वीं लोक सभा के दौरान

इन स्थायी समितियों ने कुल 1018 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। 15वीं लोक सभा के दौरान इन स्थायी समितियों ने कुल 1018 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। 15वीं लोक सभा के दौरान संसदीय समिति प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के संबंध में की गई मुख्य पहलों में से एक पहल ये थी कि एक नई प्रक्रिया अपनाई गई जिसके द्वारा समिति के सभापति अध्ययन दौरे के दौरान संसदीय समितियों की बैठकों में स्थानीय संसद सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं ताकि संबंधित मुद्दों पर उनकी राय ली जा सके।

माननीय अध्यक्ष, लोक सभा की पहल पर 15वीं लोक सभा के दौरान लोक सभा टेलीविज़न चैनल की एक वेबसाइट शुरू की गई ताकि संसद और लोगों के बीच की दूरी को समाप्त किया जा सके और संसद को लोगों के और नजदीक लाया जा सके। इस वेबसाइट के माध्यम से सभी क्षेत्रों के लोगों को अपनी चिंताएं व्यक्त करने का अवसर मिले।

15वीं लोक सभा के दौरान दूरगामी महत्व के अनेक कदम उठाए गए। 3 नए संसदीय मंचों अर्थात् आपदा प्रबंधन; शिल्पकार और दस्तकार तथा सहस्राब्दि विकास लक्ष्य संबंधी संसदीय मंचों का गठन ऐसी ही एक महत्वपूर्ण पहल थी।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल नि:शक्त जनों के लिए नई सुविधाएं आरंभ करना था। संसद संग्रहालय में दृष्टिबाधित आगंतुकों के लिए ब्रेल लिपि में अभिलेख लगाए गए।

संसद भवन परिसर में ऊर्जा में किफायत लाने के लिए प्रयास किए गए। माननीय अध्यक्ष ने संसद भवन में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के उपयोग के लिए मानक निर्धारित करने की दिशा में यह बहुत महत्वपूर्ण कदम था।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग से सचिवालय को यथासंभव कागज रहित बनाने के लिए कदम उठाए गए। संसद ग्रंथालय के कार्यकलापों को डिजिटलाइज़ किया जा रहा है।

एक उल्लेखनीय पहल करते हुए महिला-पुरुष समानता को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों तथा लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों को लिंग निरपेक्ष बना दिया गया है।

15वीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए: 13 मई, 2012 को एक विशेष बैठक आयोजित करके संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम श्री बराक एच. ओबामा संसद भवन में आये और 8 नवम्बर, 2010 को केन्द्रीय कक्ष में संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों को संबोधित किया। भारत की संसद को 4 से 8 जनवरी, 2010 तक नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 20वें सम्मेलन तथा 9 से 12 जुलाई, 2011 तक नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के अध्यक्षों और सांसदों के 5वें सम्मेलन की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त हुआ।

माननीय अध्यक्ष के निदेशों पर पहली बार संसदीय अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अरबी और स्पेनिश भाषा में किया गया।

15वीं लोक सभा का अंतिम सत्र दो भागों में आयोजित किया गया। सत्र का पहला भाग 5 से 18 दिसम्बर, 2013 तक हुआ और 18 दिसम्बर, 2013 को सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई किंतु सत्रावसान नहीं हुआ। तदनन्तर सत्र का दूसरा भाग 5 फरवरी, 2014 को आयोजित किया गया तथा 15वीं लोक सभा की अंतिम बैठक 21 फरवरी, 2014 को हुई और सभा का सत्रावसान 27 फरवरी, 2014 को हुआ। 15वीं लोक सभा 18 मई, 2014 को विघटित हुई।

हमें आशा है कि 15वीं लोक सभा के दौरान सभा के कामकाज तथा संसदीय समितियों के कार्यों और इस दौरान सभा की अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं की जानकारी देने वाला यह प्रकाशन सभी सुधी पाठकों के लिए उपयोगी और ज्ञानप्रद सिद्ध होगा।

अनूप मिश्र
महासचिव
लोक सभा

दिसंबर, 2015
नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

प्राक्कथन ..... (i)

आमुख ..... (iii)

भाग एक—लेख

1. पन्द्रहवीं लोक सभा—एक सामान्य सर्वेक्षण 1
2. लोक लेखा समिति 18
3. प्राक्कलन समिति 24
4. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 33
5. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति 37
6. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 43
7. नियम 377 के अधीन मामले 51
8. पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 53
9. संसदीय मंच 64
10. संसदीय संग्रहालय 76
11. लोक सभा टेलीविज़न (एलएसटीवी) 78
12. संसद ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा (लार्डिस)—एक सिंहावलोकन 81
13. संसद ग्रंथालय सूचना प्रणाली 98
14. सूचना का अधिकार 100
15. संसद ग्रंथालय में डिजिटलीकरण 103
16. बाल कक्ष-पन्द्रहवी 106

भाग दो—सांख्यिकीय विश्लेषण

1. **लोक सभा का गठन और संरचना**

   पन्द्रहवें आम चुनाव का कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें; लोक सभा के लिए आम चुनाव, 2009—राष्ट्रीय दलों की सूची और चिन्ह; राज्य-स्तरीय दलों की सूची और चिन्ह; चुनाव आयोग के पास पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के नाम; आरम्भ में निर्वाचित/नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या; राजनैतिक दलों की सदस्य संख्या; भाषा-वार सदस्य संख्या, जिन्होंने शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया; उपचुनाव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के नाम और सभापति तालिका, राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व 111

2. **लोक सभा की बैठकों की संख्या और अवधि**

   सत्रों के आरंभ होने तथा समाप्त होने की तिथियां; लोक सभा की बैठकों की संख्या और अवधि; विभिन्न कार्यों हेतु लिया गया समय; महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथि क्रम 128

पृष्ठ

3. **सदस्य और मंत्री**
राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए आवंटित सीटें; सदस्यों का आयु वर्ग-वार वितरण, सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि; सदस्यों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि; सदस्यों पर व्यय; केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के नाम और विभाग; सदस्यों की सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति; सदस्यों द्वारा त्यागपत्र; निधन संबंधी उल्लेख 141

4. **प्रश्न**
तारांकित, अतारांकित और अल्पकालीन प्रश्नों का सत्र-वार निपटान; प्रश्नों की सूचनाओं का निपटान; एक दिन में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या; हिन्दी में प्राप्त प्रश्नों की सूचनाओं की कुल संख्या; गृहीत प्रश्न (सदस्य-वार ब्यौरा) 197

5. **विधायी और वित्तीय कार्य**
पारित विधानों की संख्या; पारित विधेयकों का विश्लेषणात्मक चार्ट; संयुक्त/प्रवर/स्थायी समितियों को सौंपे गए विधेयक; राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश; वित्तीय कार्य, जिन पर चर्चा की गई; अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान; राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित बजट 222

6. **लोक महत्व के मामले उठाना**
राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीखें तथा अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लिया गया समय; स्थगन प्रस्ताव; मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव; अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर मंत्रियों के ध्यानाकर्षण की सूचनाएं; नियम 193 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर अल्पकालीन चर्चा; नियम 191 और 342 के अधीन प्रस्तावों पर चर्चा; आधे घंटे की चर्चा; संकल्प, जिन पर चर्चा की गई; नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले; व्यवस्था के प्रश्न; प्रश्न काल के बाद और सूचीबद्ध कार्य शुरू करने से पहले उठाए गए मामले 260

7. **विशेषाधिकार संबंधी मामले**
उठाए गए विशेषाधिकार संबंधी मामले 297

8. **स्वतः दिए गए वक्तव्य/सभा पटल पर रखे गए पत्र**
नियम 372 के अंतर्गत मंत्रियों द्वारा स्वतः दिए गए/सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य; सभा पटल पर रखे गए पत्र 304

9. **संसदीय समितियां**
संसदीय समितियों के कार्यकलाप 367

10. **संसदीय सम्मेलन, विचार-गोष्ठियां, और संगोष्ठियां**
संसदीय सम्मेलन/बैठकें 386

11. **संसद में आने वाले दर्शक**
विभिन्न दीर्घाओं में आने वाले दर्शकों की संख्या; संसद भवन आने वाले विदेशी शिष्टमंडल/विशिष्ट व्यक्ति 411

12. **संसदीय प्रक्रियाओं संबंधी प्रबोधन और प्रशिक्षण : संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो**
प्रबोधन कार्यक्रमों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, परिबोधन पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण/सहयोजन कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों, अध्ययन दौरों आदि का ब्यौरा 417

13. **सम्पादन और अनुवाद सेवा** 475

14. **संसदीय प्रकाशनों/स्मृति चिन्हों की बिक्री**
संसदीय प्रकाशनों/पत्रों और बजट सेटों की बिक्री 481

पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों का ग्रुप फोटो 484

श्री प्रणब मुखर्जी
भारत के राष्ट्रपति
(25.7.2012 से पदासीन)
सदन के नेता
(29.5.2009 से 25.7.2012)

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारत की राष्ट्रपति
(25.7.2007 से 25.7.2012)

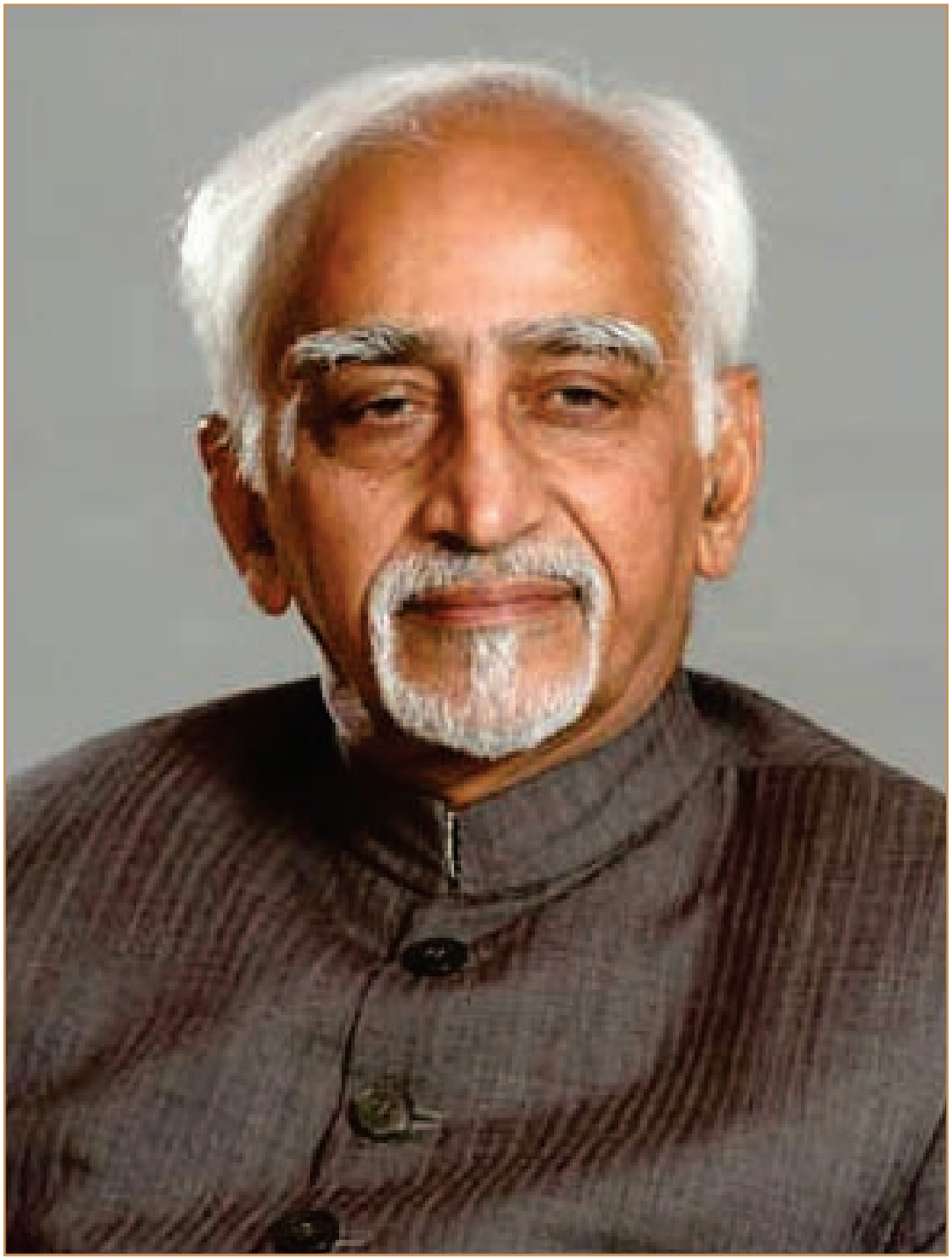

श्री मोहम्मद हामिद अंसारी
भारत के उप-राष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति
(11.8.2007 से पदासीन)

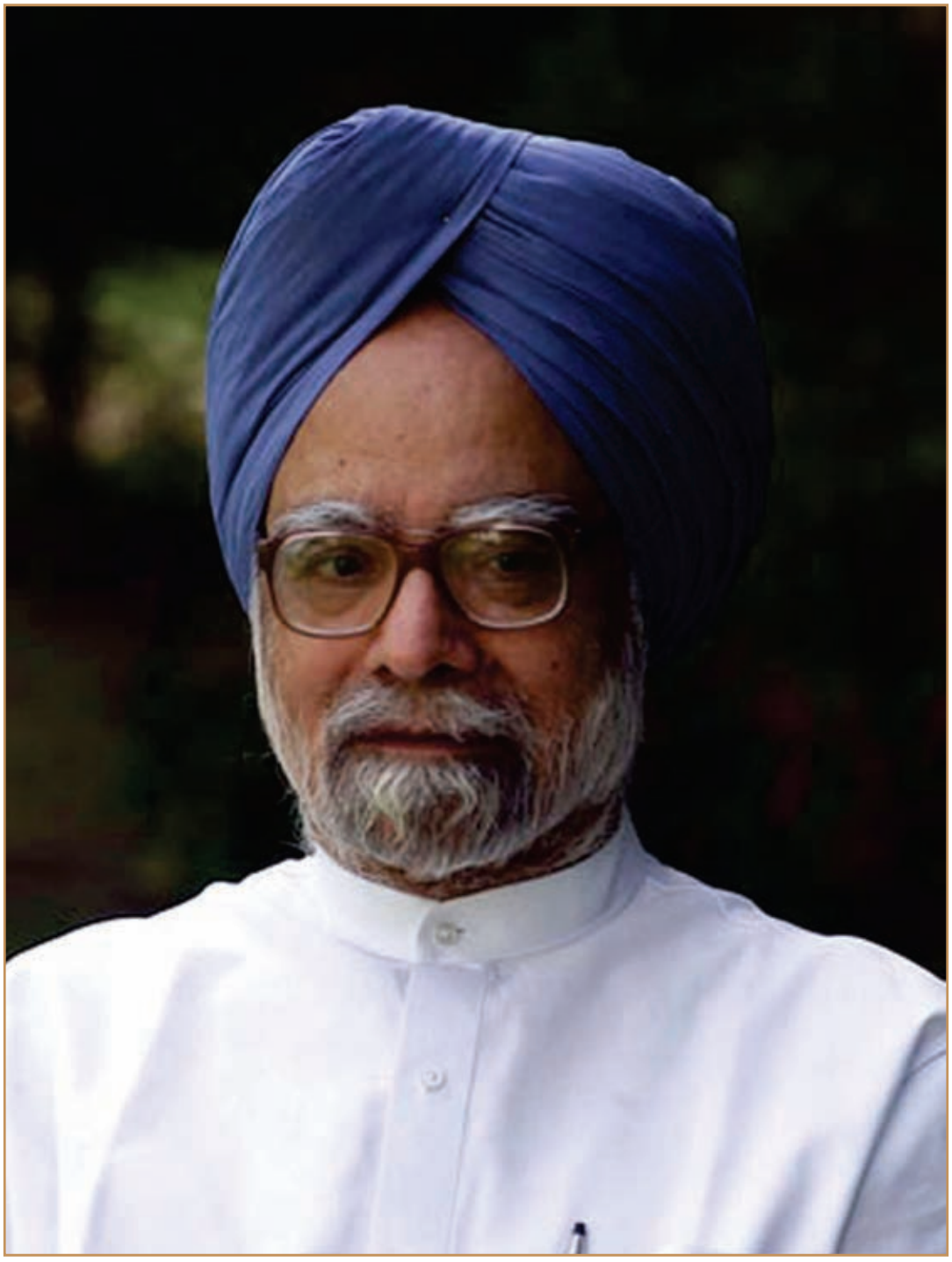

डॉ. मनमोहन सिंह
भारत के प्रधानमंत्री
(22.5.2004 से 26.5.2014)

श्रीमती मीरा कुमार
अध्यक्ष, लोक सभा
(3.6.2009 से 4.6.2014)

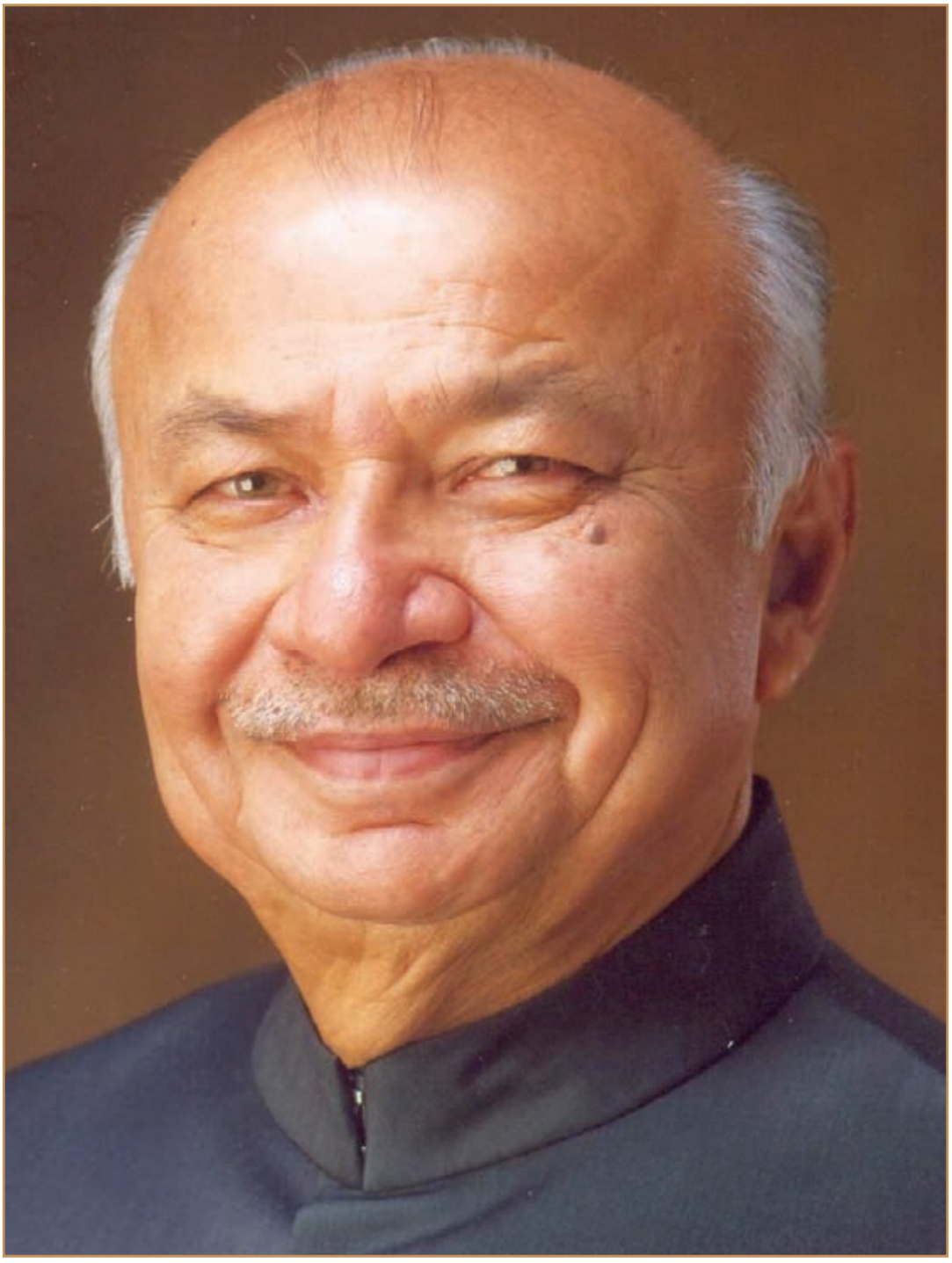

श्री सुशील कुमार शिंदे
लोक सभा में सदन के नेता
(3.8.2012 से 18.5.2014)

श्रीमती सुषमा स्वराज
लोक सभा में विपक्ष की नेता
(21.12.2009 से 18.5.2014)

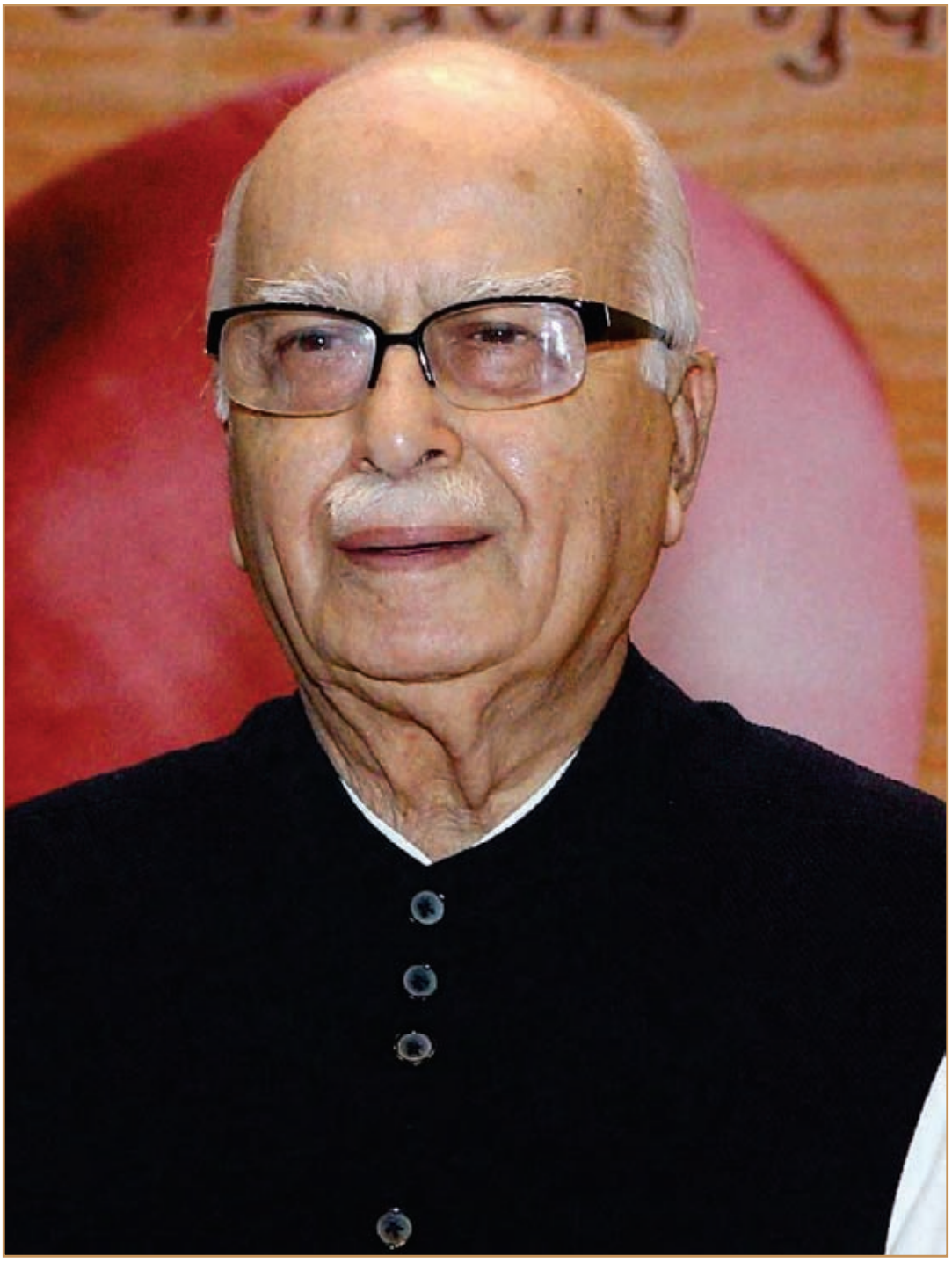

श्री लाल कृष्ण आडवाणी
लोक सभा में विपक्ष के नेता
(22.5.2009 से 21.12.2009)

श्री कड़िया मुंडा
उपाध्यक्ष, लोक सभा
(8.6.2009 से 18.5.2014)

श्री पी. श्रीधरन*
महासचिव, लोक सभा
(1.5.2014 से 30.7.2014)

*1.3.2014 से 30.4.2014 तक महासचिव पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया।

श्री एस. बाल शेखर
महासचिव, लोक सभा
(1.9.2013 से 28.2.2014)

श्री टी.के. विश्वनाथन
महासचिव, लोक सभा
(1.10.2010 से 31.8.2013)

श्री पी.डी.टी. आचारी
महासचिव, लोक सभा
(1.8.2005 से 30.9.2010)

भाग एक

लेख

1

पन्द्रहवीं लोक सभा—एक सामान्य सर्वेक्षण

भारतीय संसद एक द्विसदनीय विधायी निकाय है जिसमें भारत के राष्ट्रपति तथा राज्य सभा और लोक सभा नामक दो सदन हैं। लोक सभा का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है और इसके सदस्यों का निर्वाचन देशभर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से होता है। लोक सभा का सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष है।

अप्रैल-मई 2009 में हुए आम चुनाव के पश्चात् 18 मई, 2009 को पन्द्रहवीं लोक सभा का गठन हुआ और सभा की पहली बैठक 1 जून 2009 को हुई। यह 18 मई 2014 को भंग कर दी गई। सभा के कुल 15 सत्र हुए जिनकी अवधि 5 वर्ष और 1 दिन की रही सभा की वास्तविक बैठकें 357 दिन हुईं।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचन 3 जून 2009 को हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की श्रीमती मीरा कुमार सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हुईं।

उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन 8 जून 2009 को हुआ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के श्री कड़िया मुंडा सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए।

सभा का नेता

संविधान के अनुच्छेद 74 में यह विहित है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा। सभा के नेता को लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि "सभा का नेता का तात्पर्य प्रधानमंत्री से, यदि वह सभा का सदस्य हो, अथवा उस मंत्री से है, जो सभा का सदस्य हो और सभा के नेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो"। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा श्री प्रणब मुखर्जी को 26 मई 2009 से सदन के नेता के रूप में नामनिर्देशित किया गया।

विपक्ष का नेता

संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 के अंतर्गत की गई व्याख्या के अनुसार "विपक्ष के नेता" शब्द का तात्पर्य राज्य सभा अथवा लोक सभा के उस सदस्य से है जो, उस समय उस सभा में सरकार के विपक्षी दल, जिसके सदस्यों की संख्या सबसे अधिक हो तथा जिसे राज्य सभा के सभापति अथवा लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार की मान्यता दी गई हो, का नेता हो।

लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेता को सांविधिक मान्यता प्राप्त है और संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 के उपबंधों के अंतर्गत उन्हें वेतन तथा कुछ अन्य सुविधाएं दी जाती हैं।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता, श्री लालकृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष द्वारा 22 मई, 2009 से विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई। 21 दिसम्बर 2009 तक विपक्ष के नेता रहे। तत्पश्चात् श्रीमती सुषमा स्वराज के 21 दिसम्बर 2009 से विपक्ष की नेता के रूप में मान्यता दी गई। वह 18 मई 2014 अर्थात् पन्द्रहवीं लोक सभा भंग होने की तारीख तक विपक्ष की नेता रहीं।

सदस्यों का सामाजिक-आर्थिक जीवन

पन्द्रहवीं लोक सभा में विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि के सदस्यों का प्रतिनिधित्व रहा। पन्द्रहवीं लोक सभा में सदस्यों की औसत आयु 53.07 वर्ष थी जबकि चौदहवीं लोक सभा में औसत आयु 52.17 वर्ष थी। जहां तक व्यावसायिक पृष्ठभूमि का प्रश्न है तो सभा में सबसे बड़ी संख्या कृषकों (35.54%) की थी। इनके बाद राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता (27.07%) और वकील (10.13%) थे। चौदहवीं लोक सभा के तद्नुरूपी आंकड़े क्रमशः 41.88 प्रतिशत, 23.77 प्रतिशत और 12.26 प्रतिशत थे। पन्द्रहवीं लोक सभा में समतुल्य तकनीकी योग्यताओं सहित 48.62 प्रतिशत स्नातक और समतुल्य तकनीकी योग्यताओं सहित 24.59 प्रतिशत स्नातकोत्तर थे। 5.14 प्रतिशत सदस्यों के पास डॉक्टर अथवा वैसी ही उच्च शैक्षिक योग्यताएं थीं। पन्द्रहवीं लोक सभा में 4.40 प्रतिशत सदस्य मैट्रिक से कम योग्यता वाले थे जबकि चौदहवीं लोक सभा में क्रमशः 50.46 प्रतिशत स्नातक, 28.38 प्रतिशत स्नातकोत्तर, 3.33 प्रतिशत डॉक्टर या उच्च शैक्षिक योग्यता वाले और 2.78 प्रतिशत मैट्रिक से कम योग्यता वाले थे। पन्द्रहवीं लोक सभा में 60[1] महिला सदस्य थीं जो सभा की कुल सदस्य संख्या का 11.01 प्रतिशत था जबकि चौदहवीं लोक सभा में 46 महिला सदस्य थीं जो कुल सदस्य संख्या का 8.48 प्रतिशत था।

पन्द्रहवीं लोक सभा के 545 सदस्यों में 291 सदस्य सभा में नए थे जबकि 184 पहले की चौदह लोक सभाओं में से एक या अधिक लोक सभाओं के सदस्य थे। कुल 255 सदस्यों को राज्य विधानमंडलों का ही

[1]जनवरी 2011 को सभा की संरचना पर आधारित। पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन के समय 58 महिला सदस्य थीं।

विधायी अनुभव प्राप्त था। पन्द्रहवीं लोक सभा में 37 राजनीतिक दलों/समूहों का प्रतिनिधित्व था।

बैठकें और उनकी अवधि

केन्द्रीय विधान सभा तथा संविधान सभा (विधायी) के दिनों की तुलना में वर्ष 1951 से सभा की वास्तविक बैठकों की संख्या और उनकी अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिससे संसद के विधायी कार्य और चर्चा संबंधी अन्य कार्य बढ़ने का पता चलता है। वर्ष 1929 से 1951 तक की अवधि के दौरान बैठकों की औसत वार्षिक अवधि 74 दिन थी जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1952 से वर्ष 1977 तक की अवधि के दौरान यह औसत 116 दिन थी। यद्यपि, वर्ष 1978 से 2003 तक की बैठकों की औसत वार्षिक अवधि केवल 86 दिन थी, तथापि इस दौरान प्रति बैठक औसत अवधि 6 घंटे और 42 मिनट रही जो प्रसंगवश वर्ष 1952 से 1977 के लिए आकलित अवधि के बराबर है। तथापि, 1929-1951 के दौरान यह अवधि 4 घंटे 57 मिनट रही।

पन्द्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान सभा की 357 बैठकें हुईं जिनकी अवधि 1344 घंटे थी। इसके विपरीत चौदहवीं लोक सभा के दौरान 332 बैठकें हुईं जिनकी अवधि 1737 घंटे थी; तेरहवीं लोक सभा के दौरान 356 बैठकें हुईं जिनकी अवधि 1945 घंटे थी; बारहवीं लोक सभा के दौरान 88 बैठकें हुईं जिनकी अवधि 575 घंटे थी; ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान 125 बैठकें हुईं जिनकी अवधि 813 घंटे थी; दसवीं लोक सभा के दौरान 423 बैठकें हुईं जिनकी अवधि 2527 घंटे थी; नौवीं लोक सभा के दौरान 109 बैठकें हुईं जिनकी अवधि 754 घंटे थी; आठवीं लोक सभा के दौरान 485 बैठकें हुईं जिनकी अवधि 3,224 घंटे थी; सातवीं लोक सभा के दौरान 464 बैठकें हुईं जिनकी अवधि 3,324 घंटे थी; छठी लोक सभा के दौरान 267 बैठकें हुईं जिनकी अवधि 1,753 घंटे थी; पांचवीं लोक सभा के दौरान 613 बैठकें हुईं जिनकी अवधि 4,071 घंटे थी; चौथी लोक सभा के दौरान 467 बैठकें हुईं जिनकी अवधि 3,029 घंटे थी; तीसरी लोक सभा के दौरान 578 बैठकें हुईं जिनकी अवधि 3,733 घंटे थी; दूसरी लोक सभा के दौरान 567 बैठकें हुईं जिनकी अवधि 3,651 घंटे थी और पहली लोक सभा के दौरान 677 बैठकें हुईं जिनकी अवधि 3,784 घंटे थी।

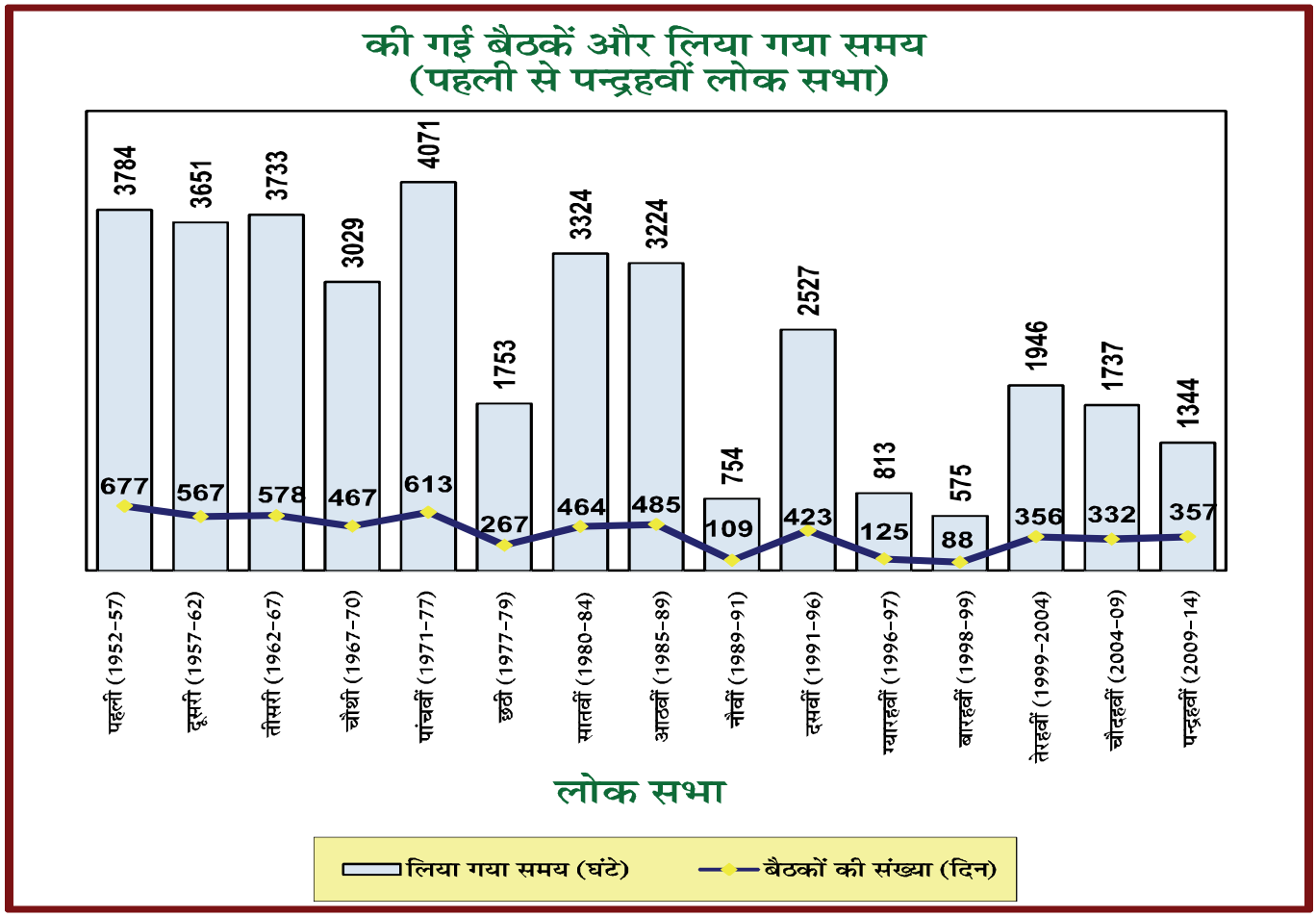

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान हुई बैठकों की औसत अवधि 3 घंटे 45 मिनट थी जबकि चौदहवीं लोक सभा के दौरान हुई बैठकों की औसत अवधि 5 घंटे 15 मिनट थी; तेरहवीं लोक सभा के दौरान हुई बैठकों की औसत अवधि 5 घंटे 46 मिनट थी; बारहवीं लोक सभा में यह अवधि 6 घंटे 32 मिनट; ग्यारहवीं लोक सभा में 6 घंटे 30 मिनट; दसवीं लोक सभा में 5 घंटे 58 मिनट; नौवीं लोक सभा में 6 घंटे 55 मिनट; आठवीं लोक सभा में 6 घंटे 39 मिनट; सातवीं लोक सभा में 7 घंटे 10 मिनट; छठी लोक सभा में 6 घंटे 34 मिनट; पांचवीं लोक सभा में 6 घंटे 38 मिनट; चौथी लोक सभा में 6 घंटे 29 मिनट; तीसरी लोक सभा में 6 घंटे 27 मिनट; दूसरी लोक सभा में 6 घंटे 26 मिनट और पहली लोक सभा में 5 घंटे 35 मिनट थी।

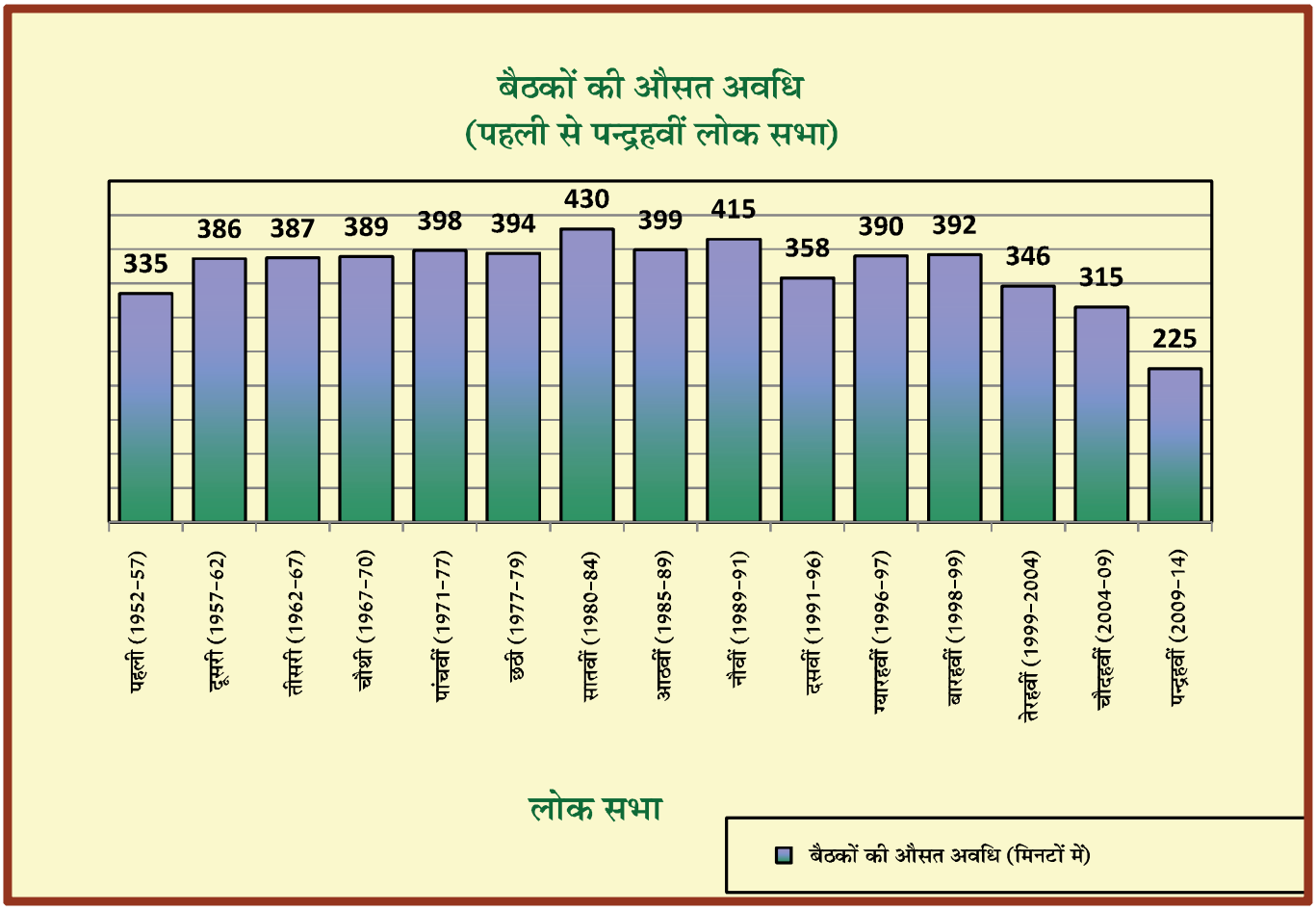

राष्ट्रपति का अभिभाषण

संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अंतर्गत, राष्ट्रपति लोक सभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में और प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में संसद की एक साथ समवेत दोनों सभाओं को संबोधित करता है। पन्द्रहवीं लोक सभा की अवधि के दौरान, राष्ट्रपति ने संसद की एक साथ समवेत दोनों सभाओं को पांच बार अर्थात् पहली बार पन्द्रहवीं लोक सभा का गठन होने के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में 4 जून 2009 को और उसके बाद वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 के दौरान संसद के प्रथम सत्र के आरंभ में संबोधित किया। इन सभी मामलों में, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, उन पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विस्तार से चर्चा हुई। इन चर्चाओं में 65 घंटे 20 मिनट लगे।

विभिन्न कार्यों में लगा समय

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान विभिन्न कार्यों में लगे समय के विश्लेषण से पता चलता है कि सभा ने अपने कुल समय में से 23.79 प्रतिशत समय विधि निर्माण; 13.43 प्रतिशत चर्चाओं; 9.05 प्रतिशत प्रश्नों; और 20.63 प्रतिशत बजटों पर लगाया।

पन्द्रहवीं लोक सभा द्वारा लगाए गए कुल समय में से विधायी कार्य (बजट को छोड़कर) पर 23.79 प्रतिशत समय लगा जबकि चौदहवीं लोक सभा द्वारा विधायी कार्य पर 21.63 प्रतिशत समय लगा; तेरहवीं लोक सभा द्वारा लगाये गये कुल समय में से इस कार्य के लिए 25.3 प्रतिशत समय; बारहवीं लोक सभा ने 16.6 प्रतिशत; ग्यारहवीं लोक सभा ने 15.66 प्रतिशत; दसवीं लोक सभा ने 22.16 प्रतिशत; नौवीं लोक सभा ने 16.23 प्रतिशत; आठवीं लोक सभा ने 25 प्रतिशत; सातवीं लोक सभा ने 23.99 प्रतिशत; छठी लोक सभा ने 23.51 प्रतिशत; पांचवीं लोक सभा ने 27.55 प्रतिशत; चौथी लोक सभा ने 22.08 प्रतिशत; तीसरी लोक सभा ने 23 प्रतिशत; दूसरी लोक सभा ने 28.2 प्रतिशत और पहली लोक सभा ने 48.8 प्रतिशत समय लगाया।

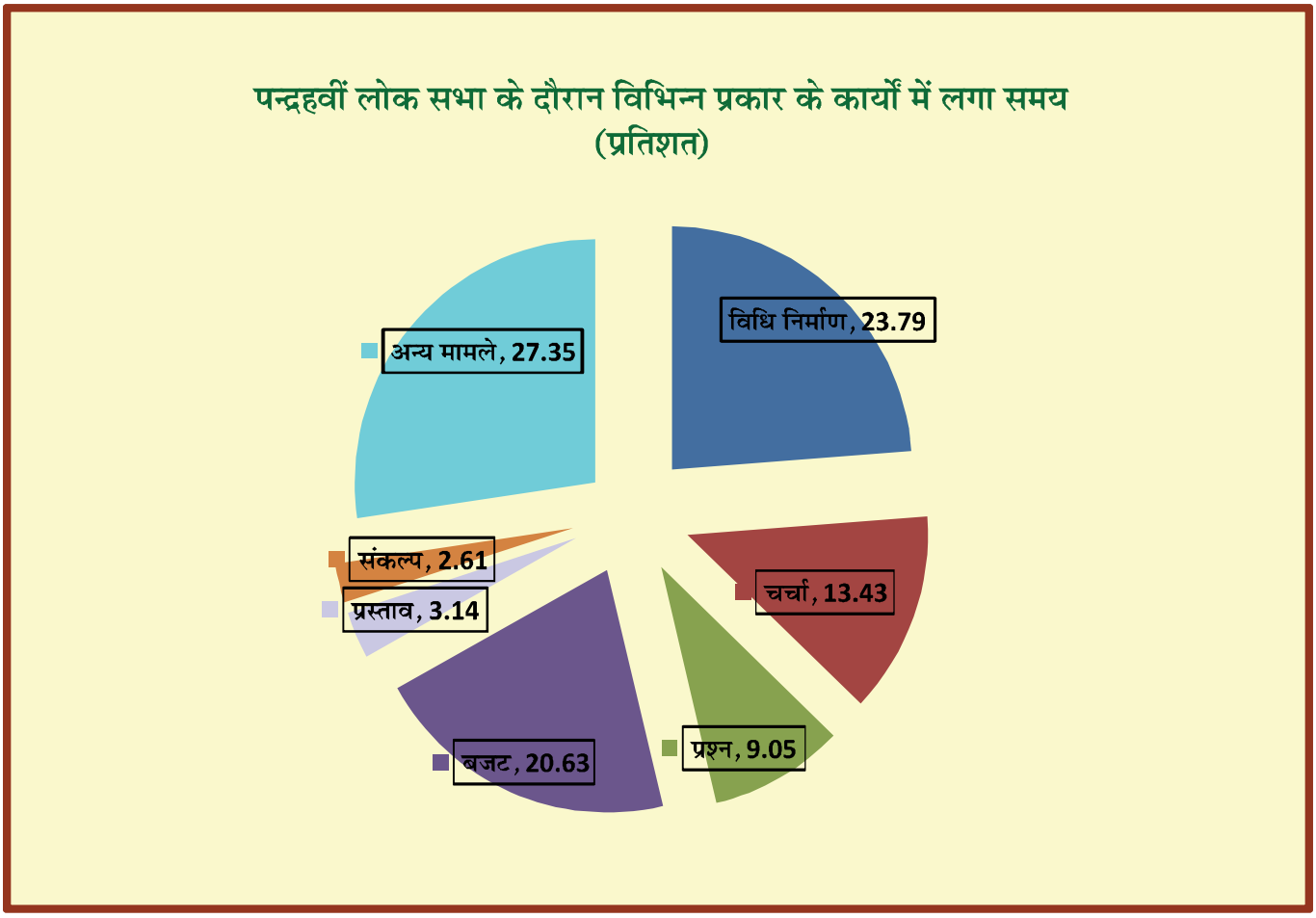

पन्द्रहवीं लोक सभा ने कुल समय का 20.63 प्रतिशत समय बजट* संबंधी चर्चा पर लगाया जबकि चौदहवीं लोक सभा ने 20.32 प्रतिशत समय; तेरहवीं लोक सभा ने 10.9 प्रतिशत; बारहवीं लोक सभा ने 14.68 प्रतिशत; ग्यारहवीं लोक सभा ने 17.06 प्रतिशत; दसवीं लोक सभा ने 17.36 प्रतिशत; नौवीं लोक सभा ने 16 प्रतिशत; आठवीं लोक सभा ने 21.74 प्रतिशत; सातवीं लोक सभा ने 20.84 प्रतिशत; छठी लोक सभा ने 23.26 प्रतिशत; पांचवीं लोक सभा ने 21.64 प्रतिशत; चौथी लोक सभा ने 19.30 प्रतिशत; तीसरी लोक सभा ने 25 प्रतिशत; दूसरी लोक सभा ने 20.9 प्रतिशत और पहली लोक सभा ने 18.5 प्रतिशत समय बजट चर्चा पर लगाया।

*बजट में सामान्य बजट, रेल बजट, अनुदानों की अनुपूरक/अतिरिक्त मांगें और राष्ट्रपति शासन वाले राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के बजट सम्मिलित हैं।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान प्रश्नों पर 9.05 प्रतिशत समय लगाया गया जबकि इसकी तुलना में चौदहवीं लोक सभा के दौरान 11.42 प्रतिशत समय लगाया गया; तेरहवीं लोक सभा में 11.7 प्रतिशत; बारहवीं लोक सभा के दौरान 8.96 प्रतिशत; ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान 9.58 प्रतिशत; दसवीं लोक सभा के दौरान 11.80 प्रतिशत; नौवीं लोक सभा के दौरान 10.14 प्रतिशत; आठवीं लोक सभा के दौरान 12.80 प्रतिशत; सातवीं लोक सभा के दौरान 12.20 प्रतिशत; छठी लोक सभा के दौरान 3.70 प्रतिशत; पांचवीं लोक सभा के दौरान 12.61 प्रतिशत; चौथी लोक सभा के दौरान 15.94 प्रतिशत; तीसरी और दूसरी लोक सभा के दौरान प्रत्येक में 15.1 प्रतिशत और पहली लोक सभा के दौरान 14.5 प्रतिशत समय प्रश्नों पर लगाया गया।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान संकल्पों के लिए 2.61 प्रतिशत समय लिया गया जबकि चौदहवीं लोक सभा के दौरान 3.18 प्रतिशत समय लिया गया; तेरहवीं लोक सभा के दौरान 3.7 प्रतिशत; बारहवीं लोक सभा के दौरान 4.45 प्रतिशत; ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान 4.57 प्रतिशत; दसवीं लोक सभा के दौरान 6.23 प्रतिशत; नौवीं लोक सभा के दौरान 5.77 प्रतिशत; आठवीं लोक सभा के दौरान 5.47 प्रतिशत; सातवीं लोक सभा के दौरान 3.96 प्रतिशत; छठी लोक सभा के दौरान 3.72 प्रतिशत; पांचवीं लोक सभा के दौरान 5.17 प्रतिशत; चौथी लोक सभा के दौरान 6.45 प्रतिशत; तीसरी लोक सभा के दौरान 5.9 प्रतिशत; दूसरी लोक सभा के दौरान 5.5 प्रतिशत और पहली लोक सभा के दौरान 6.3 प्रतिशत समय लगा।

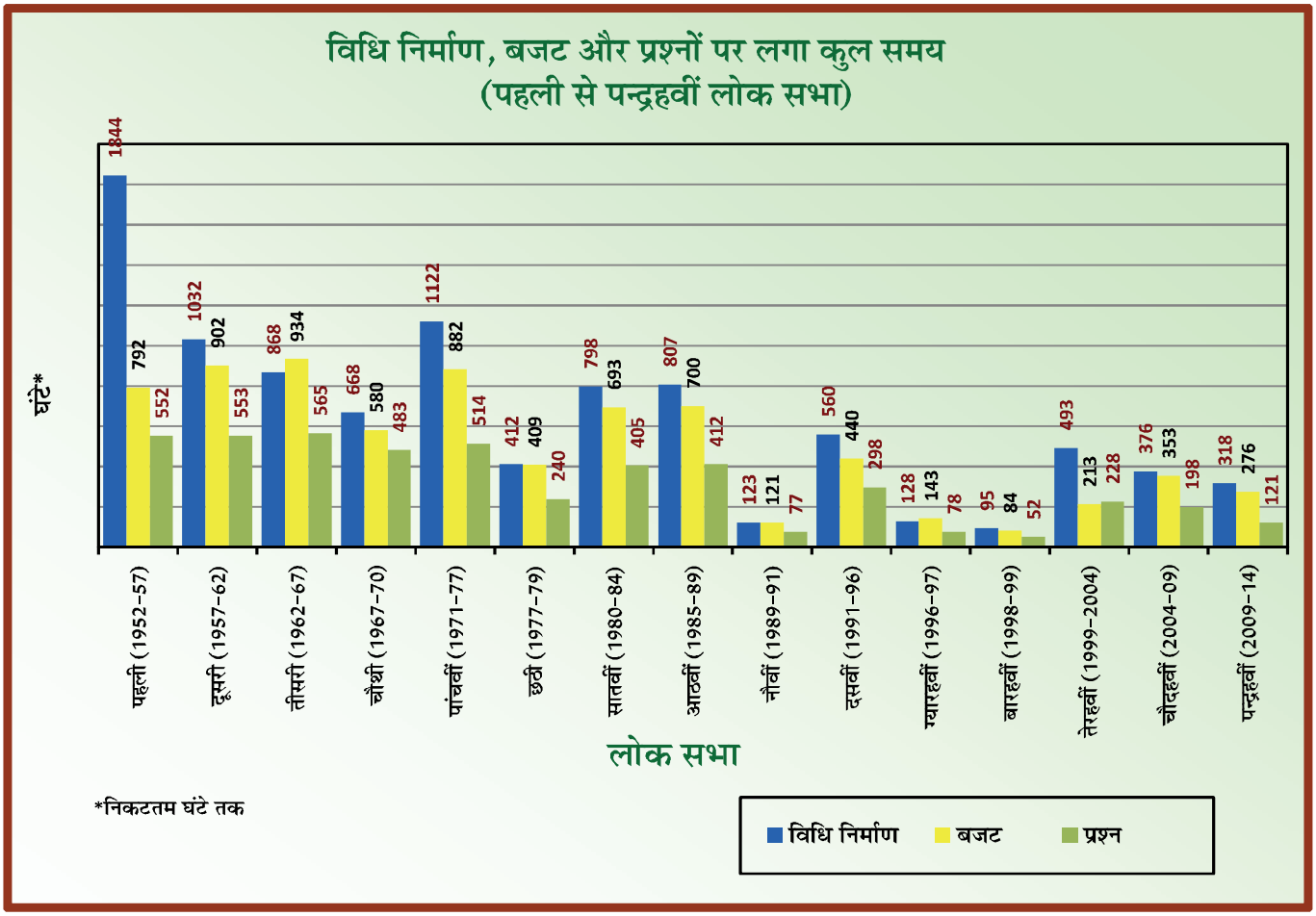

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान प्रस्तावों पर कुल समय का 3.14 प्रतिशत समय लगा जबकि चौदहवीं लोक सभा के दौरान 2.67 प्रतिशत समय लगा; तेरहवीं लोक सभा के दौरान 6.5 प्रतिशत; बारहवीं लोक सभा के दौरान 10.45 प्रतिशत; ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान 17.33 प्रतिशत; दसवीं लोक सभा के दौरान 6.38 प्रतिशत; नौवीं लोक सभा के दौरान 4.34 प्रतिशत; आठवीं लोक सभा के दौरान 3.66 प्रतिशत; सातवीं लोक सभा के दौरान 6.35 प्रतिशत; छठी लोक सभा के दौरान 10.70 प्रतिशत; पांचवीं लोक सभा के दौरान 6.55 प्रतिशत; चौथी लोक सभा के दौरान 9.22 प्रतिशत; तीसरी लोक सभा के दौरान 13.2 प्रतिशत; दूसरी लोक सभा के दौरान 13.7 प्रतिशत और पहली लोक सभा के दौरान 7.1 प्रतिशत समय लगा।

व्यवधानों/अव्यवस्था के कारण सभा की कार्यवाही बार-बार स्थगित हुई जिसके परिणामस्वरूप दसवीं लोक सभा के दौरान सभा का लगभग 10 प्रतिशत, ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान 5.28 प्रतिशत, बारहवीं लोक सभा के दौरान 10.66 प्रतिशत; तेरहवीं लोक सभा के दौरान 19 प्रतिशत समय नष्ट हुआ; और चौदहवीं लोक सभा के दौरान यह समय 20 प्रतिशत था जबकि पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान 66 प्रतिशत समय नष्ट हुआ।

प्रश्न

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान सदस्यों से कुल 4,43,578 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं जबकि चौदहवीं लोक सभा के दौरान कुल 3,11,728 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं; तेरहवीं लोक सभा के दौरान 3,13,157; बारहवीं लोक सभा के दौरान 72,934; ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान 96,863; दसवीं लोक सभा के दौरान 3,30,325; नौवीं लोक सभा के दौरान 75,228; आठवीं

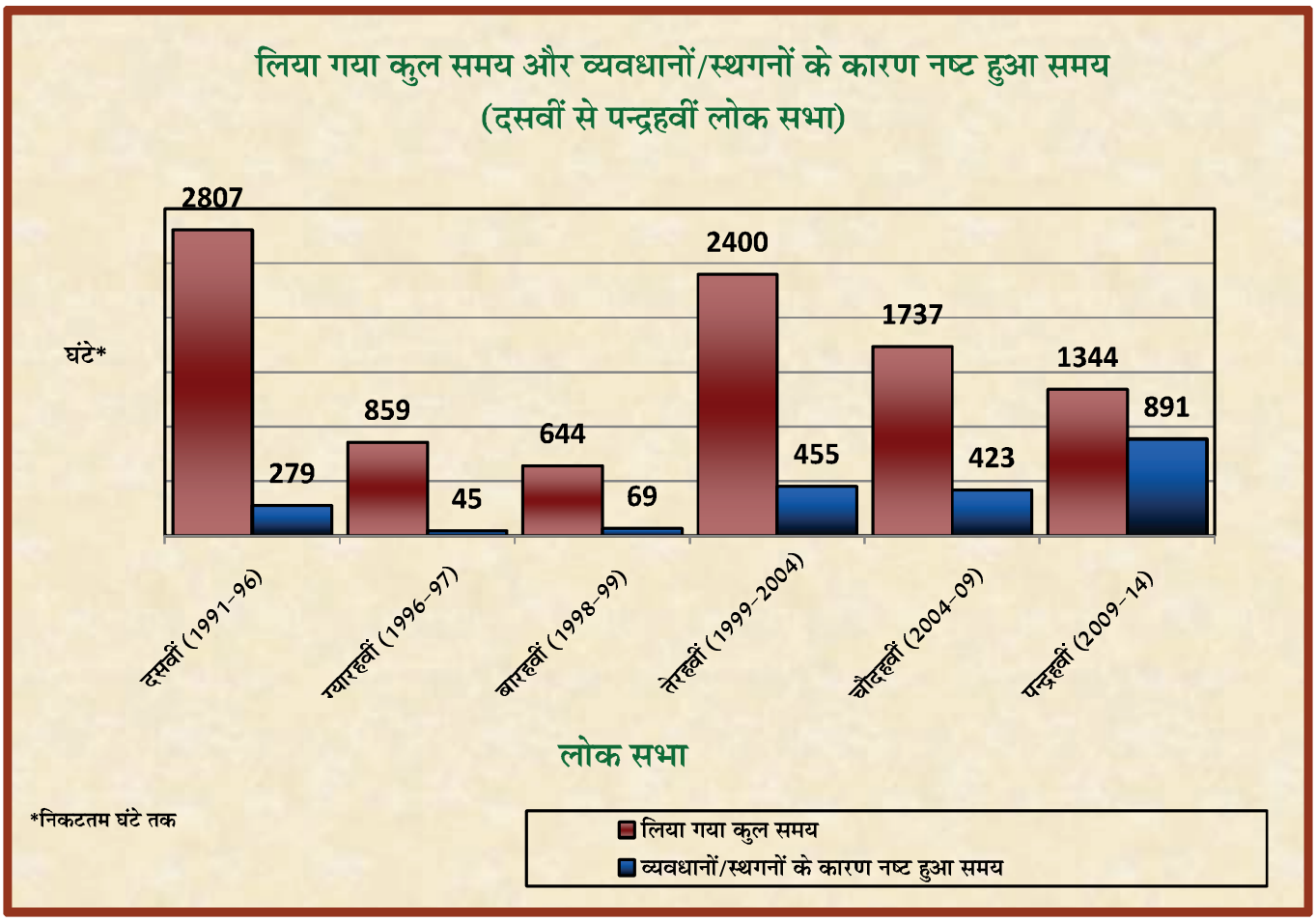

लोक सभा के दौरान 2,50,098; सातवीं लोक सभा के दौरान 2,69,221; छठी लोक सभा के दौरान 1,37,045; पांचवीं लोक सभा के दौरान 2,52,700; चौथी लोक सभा के दौरान 2,64,742; तीसरी लोक सभा के दौरान 1,62,334; दूसरी लोक सभा के दौरान 1,43,651; और पहली लोक सभा के दौरान 92,134 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान कुल प्राप्त सूचनाओं में से 79,666 सूचनाएं जो कुल प्राप्त सूचनाओं का 17.95 प्रतिशत है, गृहीत की गईं। चौदहवीं, तेरहवीं, बारहवीं, ग्यारहवीं, दसवीं, नौवीं, आठवीं, सातवीं, छठी, पांचवीं, चौथी,

तीसरी, दूसरी और पहली लोक सभा के संगत आंकड़े क्रमश: 66,677 या 21.38 प्रतिशत; 77,982 या 25 प्रतिशत; 15,579 या 21.36 प्रतिशत; 23,681 या 24.44 प्रतिशत; 90,695 या 27.45 प्रतिशत; 21,550 या 28.64 प्रतिशत; 98,390 या 39.34 प्रतिशत; 1,02,959 या 38.24 प्रतिशत; 93,538 या 35.30 प्रतिशत; 58,355 या 36 प्रतिशत; 63,607 या 44.27 प्रतिशत; 42,725 या 46.37 प्रतिशत; 63,252 या 44.03 प्रतिशत; और 43,725 या 47.45 प्रतिशत थे।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान गृहीत किये गए कुल प्रश्नों में से 73,178 या 91,866 प्रतिशत अतारांकित प्रश्न; 6480 या 8.134 प्रतिशत तारांकित प्रश्न थे। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान कोई भी अल्प सूचना प्रश्न गृहीत नहीं हुआ।

जिन मंत्रालयों से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए थे, उनके नाम इस प्रकार हैं: वित्त (4,963); रेल (4,132); स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (4,054); गृह मंत्रालय (4,027) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (4,019)।

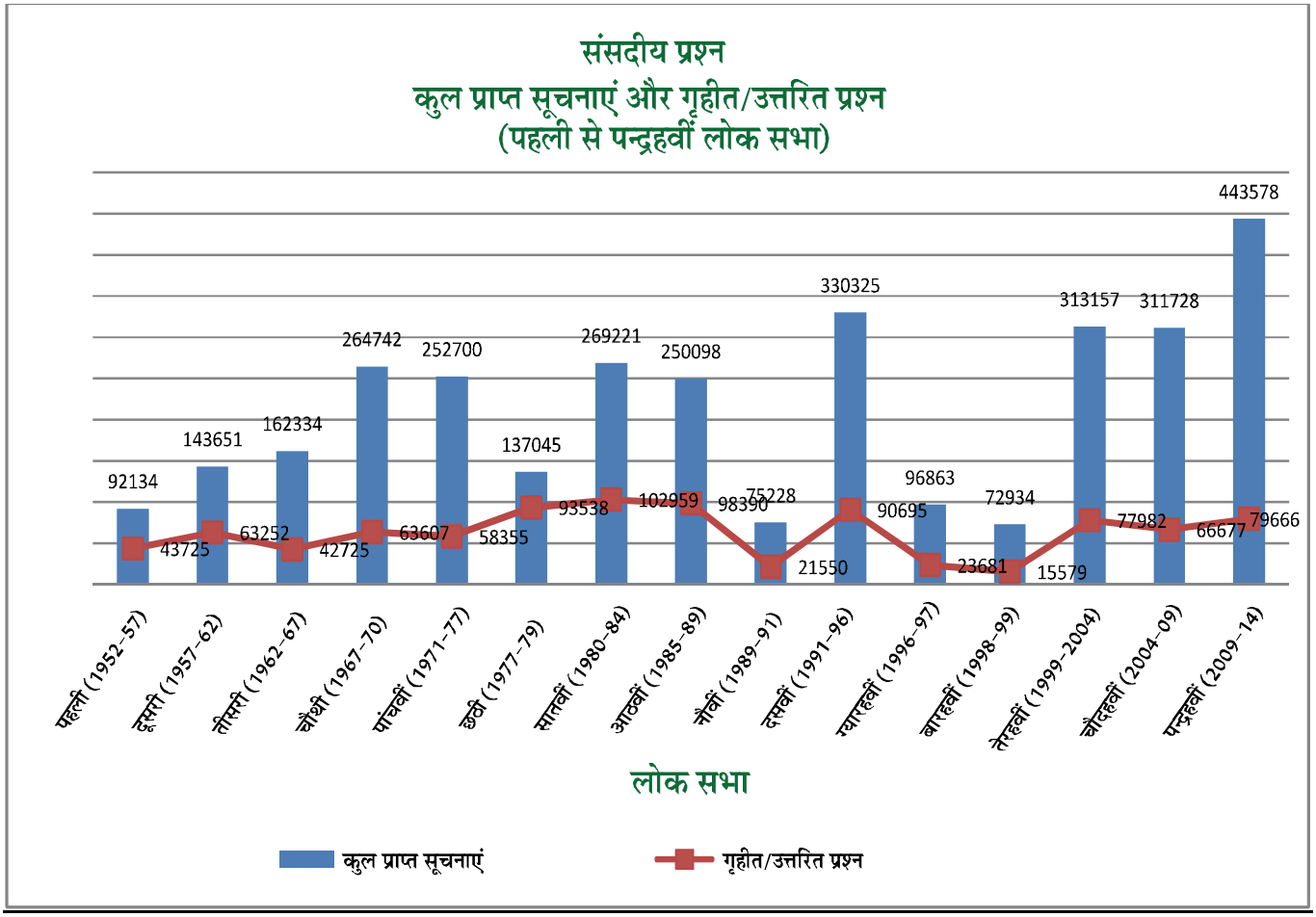

स्थगन प्रस्ताव

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, 759 स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। दो मामलों में प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया। इसके विपरीत, चौदहवीं लोक सभा के दौरान 163 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 7 मामलों में प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया। तेरहवीं लोक सभा के दौरान 1,778 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 5 मामलों में प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया। बारहवीं लोक सभा के दौरान स्थगन प्रस्तावों की 83 सूचनाएं प्राप्त हुईं किन्तु किसी को भी गृहीत नहीं किया गया और उन पर चर्चा नहीं की गई। ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान प्राप्त 63 सूचनाओं में से 1, दसवीं लोक सभा के दौरान प्राप्त 608 सूचनाओं में से 4, नौवीं लोक सभा के दौरान प्राप्त 375 सूचनाओं में से 9, आठवीं लोक सभा के दौरान प्राप्त 1805 सूचनाओं में से 4, सातवीं लोक सभा के दौरान प्राप्त 5762 सूचनाओं में से 24, छठी लोक सभा के दौरान प्राप्त 295 सूचनाओं में से 6, पांचवीं लोक सभा के दौरान प्राप्त 996 सूचनाओं में से 10, चौथी लोक सभा के दौरान प्राप्त 1078 सूचनाओं में से 12, तीसरी लोक सभा के दौरान प्राप्त 776 सूचनाओं में से 7 और दूसरी लोक सभा के दौरान प्राप्त 1262 सूचनाओं में से 3 को गृहीत किया गया और उन पर चर्चा की गई। (पहली लोक सभा से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।)

अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान सरकार के खिलाफ मंत्रिपरिषद् में 42 अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से एक सूचना को अनुमति नहीं दी गई और 41 सूचनाओं को सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान मंत्रिपरिषद् में एक भी विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान नियम 197 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर 2142 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से विभिन्न विषयों संबंधी 211 सूचनाओं को गृहीत किया गया, जो कुल सूचनाओं का 9.85 प्रतिशत हैं। गृहीत सूचनाओं के प्रत्युत्तर में संबंधित मंत्रियों ने सभा में 40 वक्तव्य दिए।

प्रस्ताव

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान नियम 191 (अनियत दिन वाले प्रस्ताव); नियम 342 (किसी नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य मामले पर विचार करने के लिए); नियम 193 (अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर अल्पकालिक चर्चा); और नियम 55 (प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न पर्याप्त लोक महत्व के मामलों पर आधे घंटे की चर्चा) के अधीन प्रस्तावों के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर अनेक चर्चाएं उठाई गईं। नियम 193 के अधीन कुल 41 अल्पकालिक चर्चाएं की गईं। नियम 55 के अधीन आधे घंटे की 7 चर्चाएं की गईं।

संकल्प

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान कुल 33 संकल्पों पर चर्चा हुई; 6 सरकारी संकल्प थे और सभी स्वीकृत हुए। अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत 5 संकल्प

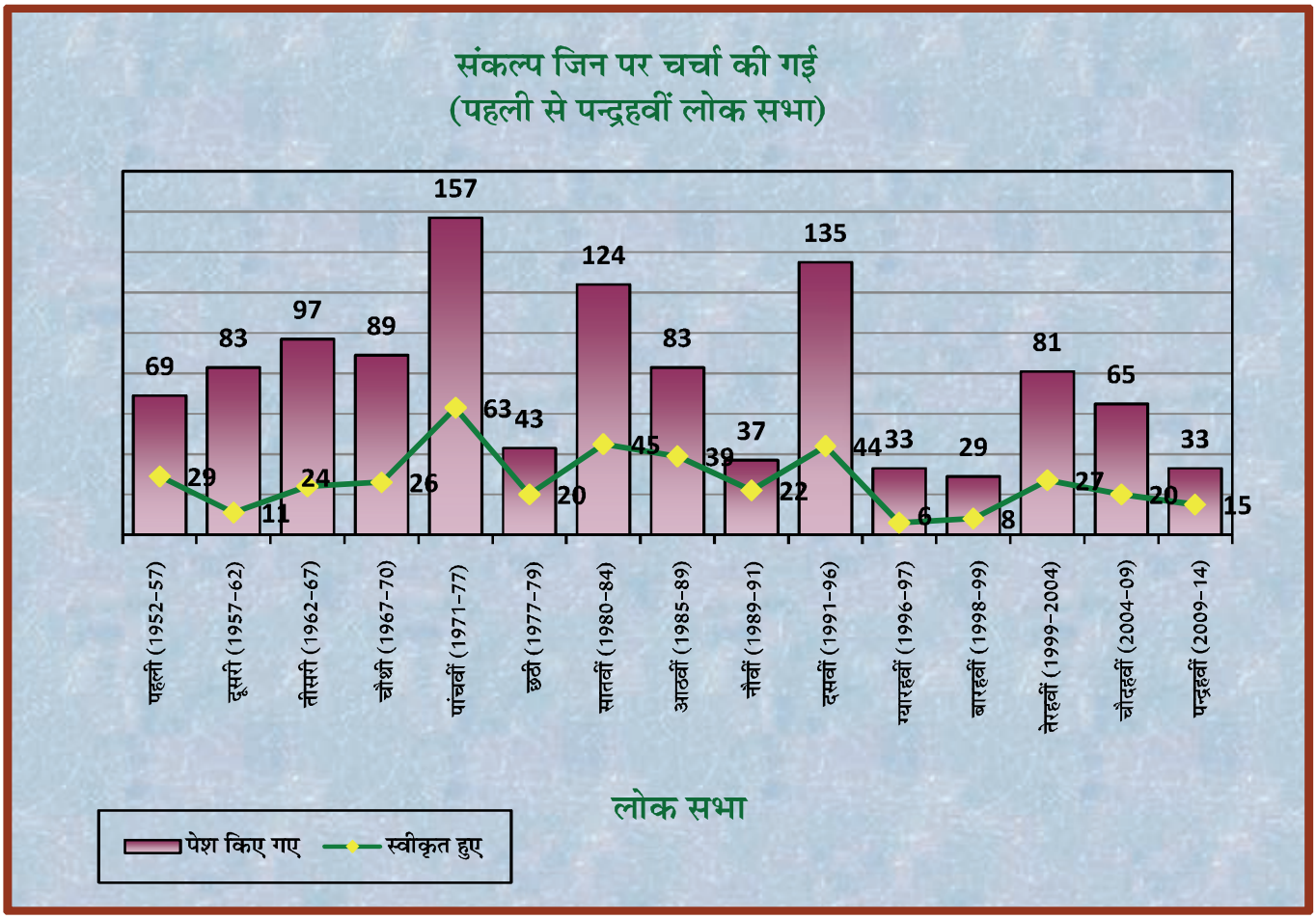

भी स्वीकृत हुए। 12 सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किए गए जिनमें से 4 स्वीकृत हुए; 14 संकल्प गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए जिनमें से एक भी स्वीकृत नहीं हुआ। चौदहवीं लोक सभा में कुल 65 संकल्पों पर चर्चा हुई जिनमें से केवल 20 संकल्प स्वीकृत हुए जबकि तेरहवीं लोक सभा के दौरान 81 में से 27; बारहवीं लोक सभा के दौरान 29 में से 8; ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान 33 में से 6, दसवीं लोक सभा के दौरान 135 में से 44; नौवीं लोक सभा के दौरान 37 में से 22; आठवीं लोक सभा के दौरान 83 में से 39; सातवीं लोक सभा के दौरान 124 में से 45; छठी लोक सभा के दौरान 43 में से 20; पांचवीं लोक सभा के दौरान 157 में से 63; चौथी लोक सभा के दौरान 89 में से 26; तीसरी लोक सभा के दौरान 97 में से 24; दूसरी लोक सभा के दौरान 83 में से 11; और पहली लोक सभा के दौरान 69 में से 29 संकल्प स्वीकृत हुए थे। चौदहवीं लोक सभा द्वारा लिये गये 65 संकल्पों में से 9 सरकारी संकल्प थे; 35 सांविधिक संकल्प संविधान के उपबंधों के अनुसरण में पेश किये गये थे और 21 गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प थे। हालांकि सभी सरकारी संकल्प स्वीकृत हुए, परन्तु गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किये गये सभी संकल्प अस्वीकृत हो गए। जहां तक सांविधिक संकल्पों का संबंध है, केवल 11 संकल्प स्वीकृत हुए।

विधायी कार्य

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या 179 थी। जहां तक विगत लोक सभाओं का संबंध है, चौदहवीं लोक सभा के दौरान 247, तेरहवीं लोक सभा के दौरान 297, बारहवीं लोक सभा के दौरान 56, ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान 61, दसवीं लोक सभा के दौरान 275, नौवीं लोक सभा के दौरान 63, आठवीं लोक सभा के दौरान 346, सातवीं लोक सभा के दौरान 336, छठी लोक सभा के दौरान 136, पांचवीं लोक सभा के दौरान 487, चौथी लोक सभा के दौरान 219, तीसरी लोक सभा के दौरान 273, दूसरी लोक सभा के दौरान 316 और पहली लोक सभा के दौरान 319 विधेयक पारित किये गए।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का प्रश्न है, पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान ऐसे 372 विधेयक पुर:स्थापित किये गये परन्तु कोई भी पारित नहीं हुआ।

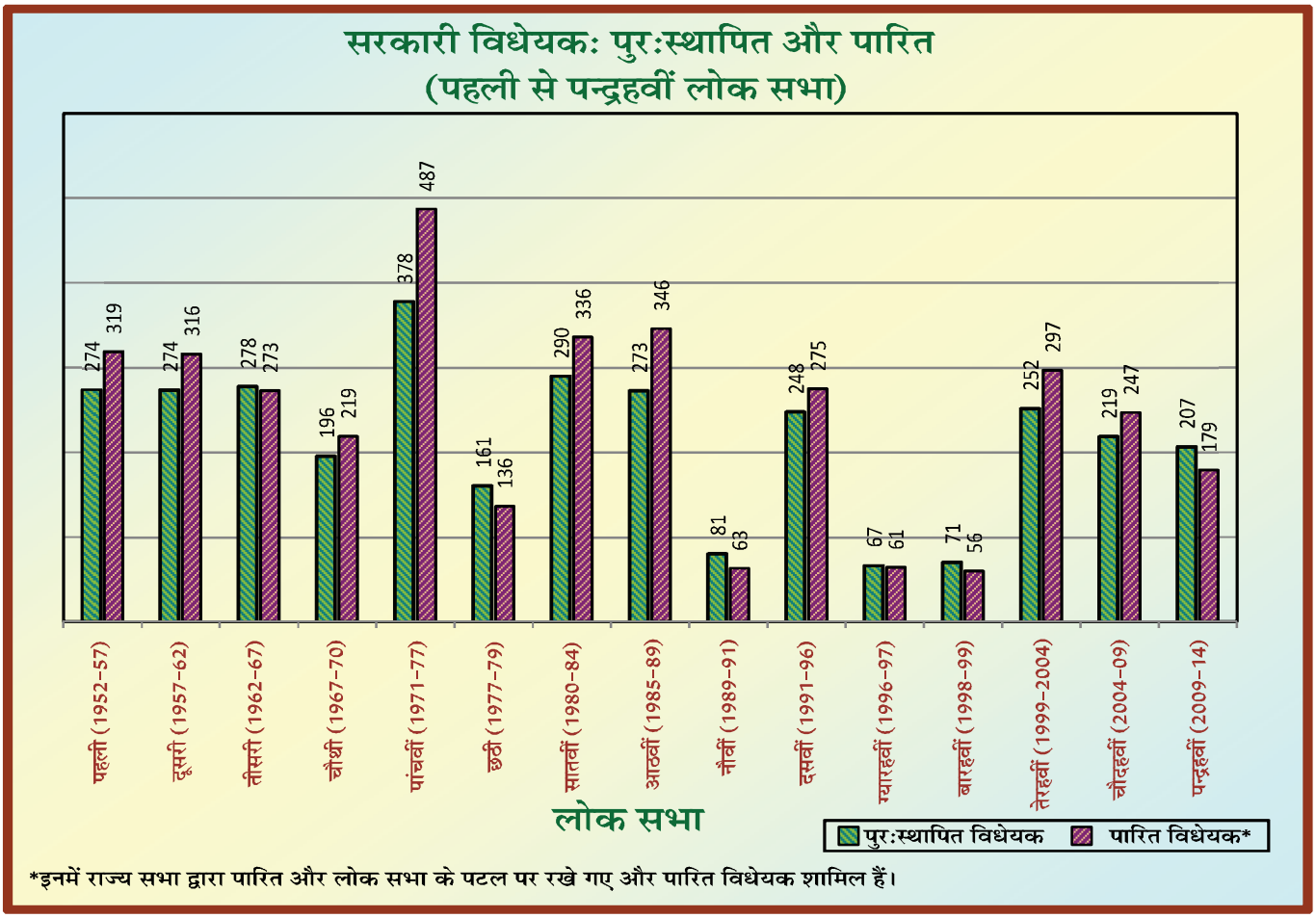

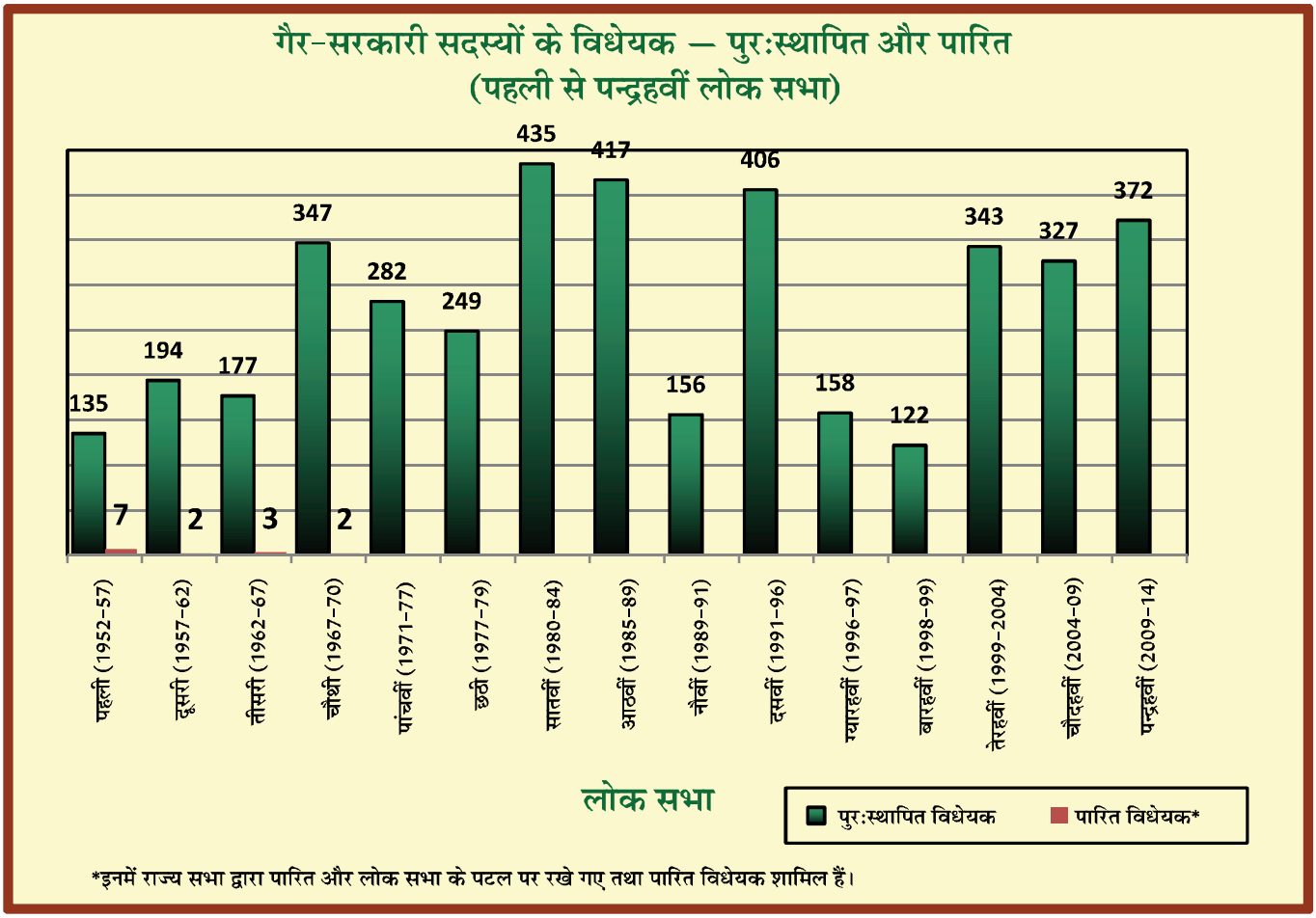

स्थायी संसदीय समितियों के कार्यकलाप

भारतीय संसद अपने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य समितियों के नेटवर्क के माध्यम से करती है। पन्द्रहवीं लोक सभा में 52 स्थायी संसदीय समितियां थीं जिनमें से 31 दोनों सदनों अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त समितियां थीं। शेष 21 समितियां एकल सदनीय समितियां थीं और इनमें से 9 राज्य सभा की तथा 12 लोक सभा की थीं। जहां तक, संयुक्त समितियों का संबंध है, विभागों से संबद्ध 24 स्थायी समितियां थीं। (16 समितियों का कार्य लोक सभा सचिवालय तथा 8 समितियों का कार्य राज्य सभा सचिवालय द्वारा किया गया) और 7 अन्य समितियां थीं जिनके नाम हैं: (एक) लोक लेखा समिति; (दो) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (दोनों वित्तीय समितियां हैं); (तीन) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति; (चार) लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति; (पांच) संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी समिति; (छह) ग्रंथालय समिति; और (सात) महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति। इन समितियों में दोनों सभाओं के सदस्य कार्य करते हैं।

21 एकल सदनीय समितियों में से, लोक सभा की 9 और राज्य सभा की भी 9 समितियों के कार्य एक समान हैं, वे समितियां हैं: कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति और आवास समिति। शेष तीनों समितियां अर्थात् प्राक्कलन समिति,

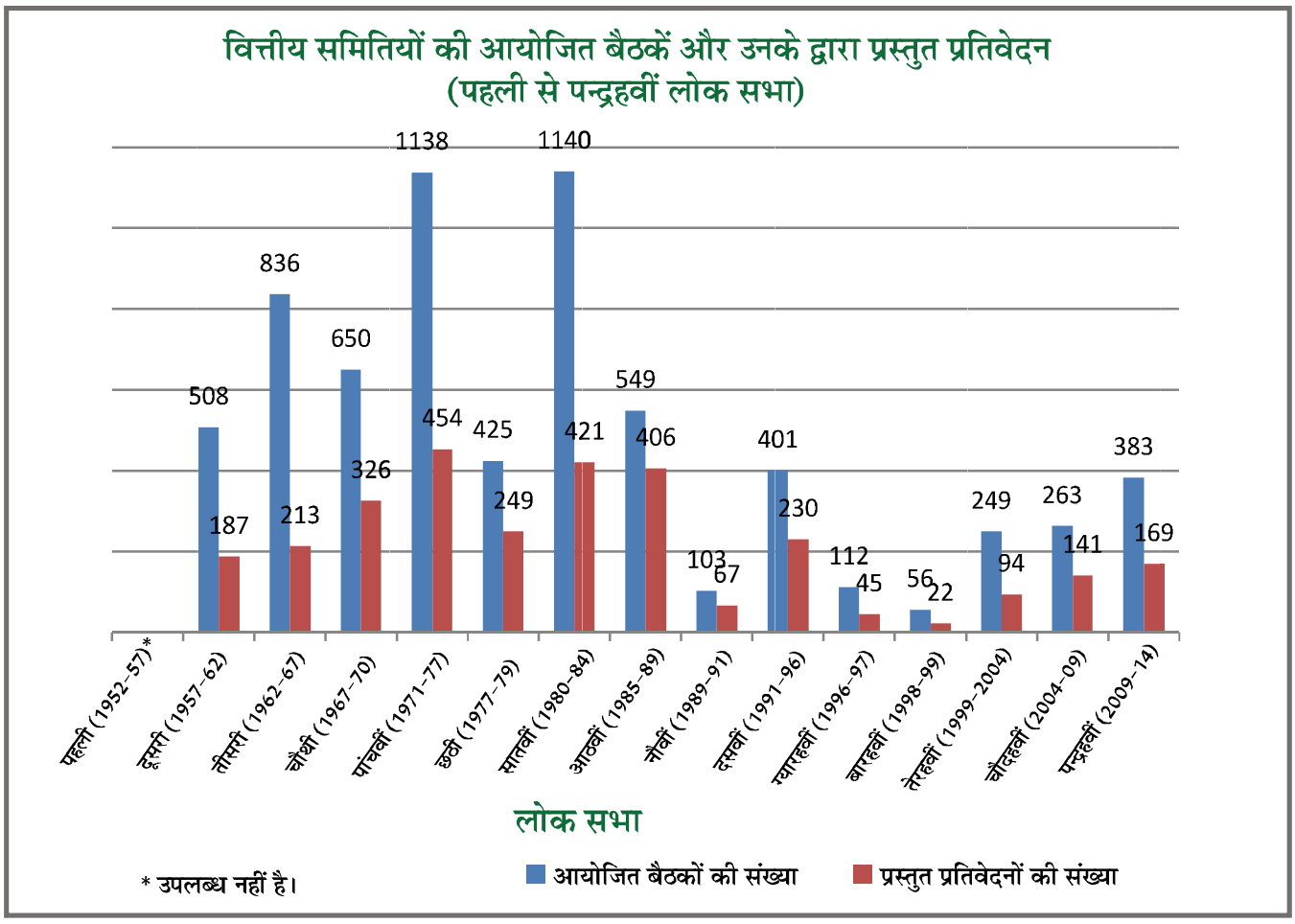

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति केवल लोक सभा में है।

यद्यपि संसद के कार्य में प्रत्येक समिति की अपनी अलग भूमिका है परन्तु कतिपय समितियों द्वारा सरकारी खर्च और कार्यनिष्पादन की व्यापक छानबीन का कार्य किये जाने से वे सदन के प्रमुख कार्य अर्थात् कार्यपालिका की उत्तरदायिता सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं। सभी वित्तीय समितियां, विभागों से संबद्ध सभी स्थायी समितियां और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति इस श्रेणी की समितियों के अंतर्गत आती हैं। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान इन समितियों के कार्यनिष्पादन का संक्षिप्त ब्यौरा आगे के कुछ पैराओं में दिया गया है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान तीनों वित्तीय समितियों, अर्थात् लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने लगभग 662.45 घंटे अवधि की 383 बैठकें आयोजित कीं और 169 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

लोक लेखा समिति ने 169 बैठकें आयोजित कीं और इनकी अवधि 295.35 घंटे रही। समिति ने किसी उप-समिति/अध्ययन दल का गठन नहीं किया। तथापि इसने अपने अध्ययन दौरों के दौरान 21 प्रतिष्ठानों/संगठनों का दौरा किया। समिति ने 100 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

प्राक्कलन समिति ने 116 बैठकें आयोजित कीं जिनकी अवधि 223.45 घंटे रही। समिति ने किसी उप-समिति/अध्ययन दल का गठन नहीं किया। तथापि, इसने अपने अध्ययन दौरों के दौरान 30 प्रतिष्ठानों/संगठनों का दौरा किया और 36 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

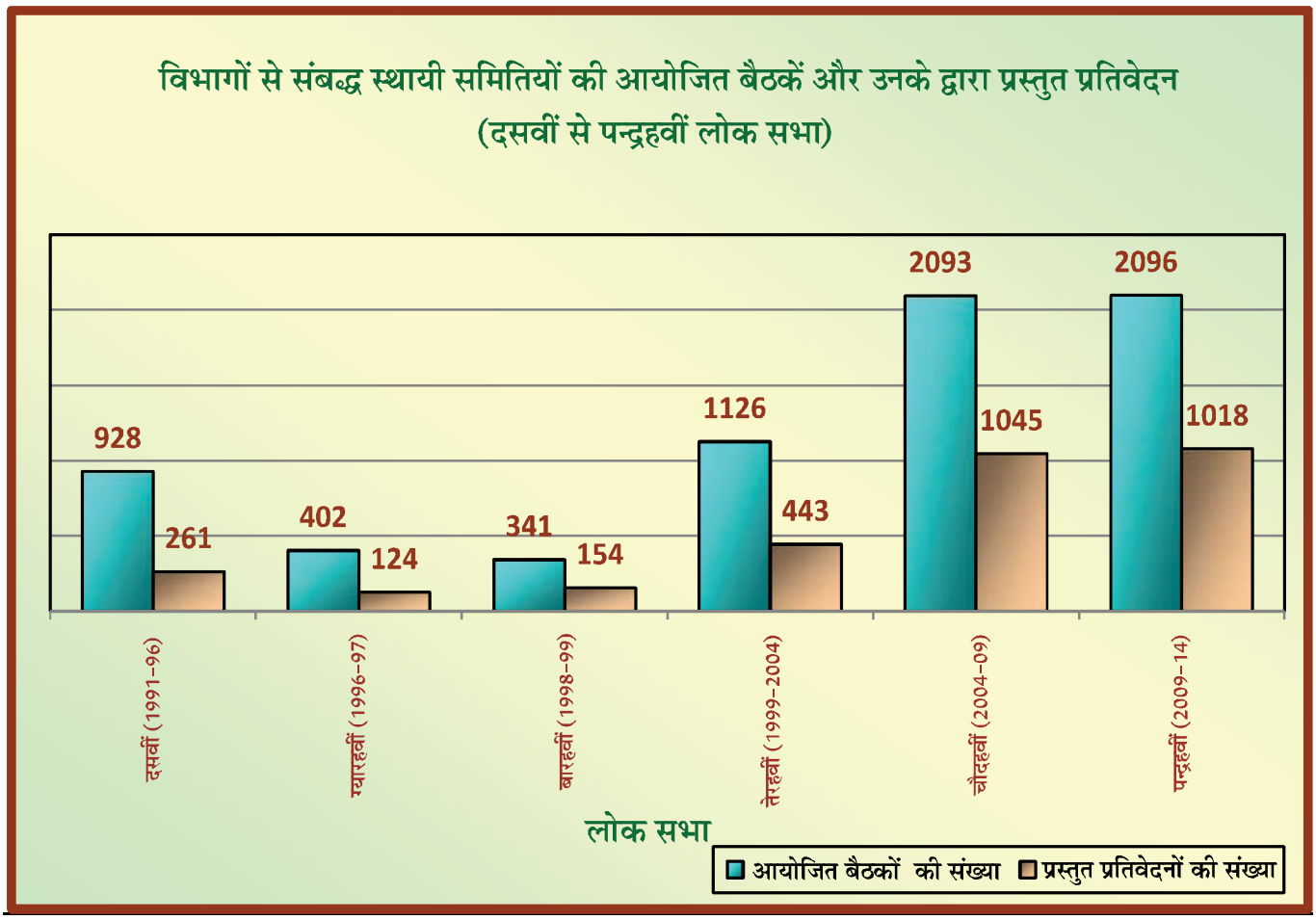

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने 98 बैठकें आयोजित कीं जिनकी अवधि 143.25 घंटे रही। इस समिति ने किसी उप-समिति/अध्ययन दल का गठन नहीं किया। तथापि इसने अपने अध्ययन दौरों के दौरान 27 प्रतिष्ठानों/संगठनों का दौरा किया और 33 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति ने 80 बैठकें आयोजित कीं जिनकी अवधि 111.58 घंटे रही। समिति ने किसी उप-समिति/अध्ययन दल का गठन नहीं किया। तथापि, इसने अपने अध्ययन दौरों के दौरान 80 प्रतिष्ठानों/संगठनों का दौरा किया और 35 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान लोक सभा अध्यक्ष के निर्देशों के अंतर्गत कार्यरत विभागों से संबद्ध सोलह स्थायी समितियों* अर्थात् कृषि; रक्षा; ऊर्जा; विदेशी मामलों; वित्त; खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण; सूचना प्रौद्योगिकी; जल संसाधन; श्रम; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; रसायन और उर्वरक; रेल; शहरी विकास; ग्रामीण विकास; कोयला और इस्पात तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समितियों की 2096 बैठकें हुईं और उन्होंने संबंधित मंत्रालयों/विभागों और अन्य संबंधित विषयों की अनुदानों की मांगों संबंधी 1018 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

*पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, विभागों से संबद्ध इन स्थायी समितियों के अतिरिक्त वाणिज्य; गृह कार्य; मानव संसाधन विकास; उद्योग; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; पर्यावरण और वन; परिवहन और पर्यटन; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायतें; विधि और न्याय संबंधी ऐसी आठ और समितियां थीं और वे राज्य सभा के सभापति के निर्देशों के अंतर्गत कार्यरत थीं।

नई समितियों का गठन

(क) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति: संसदीय कार्य तथा जल संसाधन मंत्री द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत एक प्रस्ताव की स्वीकृति के परिणामस्वरूप जून, 2012 में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का गठन किया गया था। समिति में दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं और यह अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए और संघ के अधीन सेवाओं और पदों में अन्य पिछड़े वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किए गए उपायों की जांच करती है।

(ख) लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति: माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने दिनांक 2 अगस्त, 2012 के समाचार भाग-दो सं. 4274 के द्वारा संसद सदस्यों के साथ सरकारी कार्य व्यवहार के संबंध में समय-समय पर निर्धारित नयाचार प्रतिमानों का उल्लंघन, प्रशासन और संसद सदस्यों के बीच सरकारी कार्य व्यवहार के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या दिशानिर्देशों का उल्लंघन और सरकारी कार्य व्यवहार के दौरान सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी सदस्य के साथ अशिष्ट व्यवहार से संबंधित अध्यक्ष द्वारा भेजी गई प्रत्येक शिकायत की जांच करने तथा ऐसी सिफारिशें करने, जो वह उचित समझे, के लिए लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी तदर्थ समिति गठित की है।

(ग) संसद भवन परिसर के पारम्परिक स्वरूप के अनुरक्षण और विकास संबंधी द्विस्तरीय समिति का गठन 15 दिसम्बर, 2009 को किया गया था अर्थात् (एक) संयुक्त संसदीय समिति (जेपीएस) जिसका नेतृत्व माननीय अध्यक्ष करते हैं और (दो) स्थायी तकनीकी समिति (एसटीसी) जिसका नेतृत्व लोक सभा के महासचिव करते हैं और संबंधित क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ इसके सदस्य होते हैं। एसटीसी को संसद भवन परिसर के पारम्परिक स्वरूप के अनुरक्षण के बारे में शीर्ष समिति अर्थात् जेपीसी को सलाह देने का अधिदेश दिया गया है। संसद भवन में अनुरक्षण, निर्माण, परिवर्धन/परिवर्तन इत्यादि से संबंधित सभी प्रमुख प्रस्तावों की पहले एसटीसी द्वारा गहराई से जांच की जाती है तथा एसटीसी अपनी सिफारिशें अंतिम अनुमोदन हेतु जेपीसी के विचारार्थ प्रस्तुत करती है। जेपीसी की बैठक में संसद भवन के पारम्परिक स्वरूप को संरक्षित, परिरक्षित और सुरक्षित करने के लिए निर्णय लिए गए थे।

तदर्थ समितियों का गठन: स्थायी समितियों के अतिरिक्त, सभा द्वारा इसकी ओर से स्वीकृत प्रस्ताव पर अथवा अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट विषयों की जांच करने और उन पर प्रतिवेदन देने हेतु समय-समय पर तदर्थ समितियां भी गठित की जाती हैं। किसी विशिष्ट विधेयक पर विचार करने और उस पर प्रतिवेदन देने हेतु भी सभा में किए गए प्रस्ताव पर भी तदर्थ समितियां गठित की जाती हैं।

जांच समितियां

पन्द्रहवीं लोक सभा की अवधि के दौरान दूर संचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति की भी नियुक्ति की गई थी। लोक सभा द्वारा 24 फरवरी, 2011 को संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। राज्य सभा ने 1 मार्च, 2011 को उक्त प्रस्ताव पर सहमति दी थी। लोक सभा के 20 सदस्यों और राज्य सभा के 10 सदस्यों के साथ संयुक्त समिति गठित की गई थी। लोक सभा सदस्य, श्री पी.सी. चाको को 4 मार्च, 2011 को संयुक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया था।

समिति की कुल 57 बैठकें हुईं। समिति की बैठकों की कुल अवधि लगभग 155 घंटे थी। समिति ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूर संचार विभाग), वित्त मंत्रालय (राजस्व और आर्थिक कार्य विभाग), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिनिधियों के साथ संक्षिप्त वार्ता, मौखिक साक्ष्य और संवाद किए थे। समिति ने भारत के महान्यायवादी, गैर-सरकारी साक्षियों, संघों और व्यक्तियों के साथ भी बातचीत की।

समिति का प्रतिवेदन 9.12.2013 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया था और 10.12.2013 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था।

संसदीय सम्मेलन, विचार-गोष्ठियां, संगोष्ठियां आदि

संसदीय संस्थानों की कार्यप्रणाली से जुड़े लोगों का एक-दूसरे से वैचारिक आदान-प्रदान और अनुभवभागिता अत्यंत उपयोगी और मूल्यवान है। इस बात को मानते हुए, भारतीय संसद ने विभिन्न माध्यमों, जैसे सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों, संगोष्ठियों, आदि के द्वारा देश और विश्व के अन्य भागों में स्थित विधानमंडलों से घनिष्ठ और निरंतर संपर्क विकसित करने और उन्हें बनाए रखने का प्रयास किया है।

पन्द्रहवीं लोक सभा की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर तीन संसदीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया। 74वां, 75वां, और 76वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन क्रमश: भोपाल (फरवरी 2010); श्रीनगर (जून 2010); और जयपुर (सितम्बर 2011) में आयोजित किये गये। इन सम्मेलनों की अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष ने की और भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।

पन्द्रहवीं लोक सभा की अवधि के दौरान भारतीय संसद ने नई दिल्ली (जनवरी 2010) में 20वें राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन किया। उत्तर-पूर्व क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 12वां और 13वां वार्षिक सम्मेलन क्रमश: शिलांग (जनवरी 2010) और ईटानगर (अप्रैल 2011) में आयोजित किया गया। चौथा संयुक्त भारत

और एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन रायपुर (अक्तूबर 2010) में आयोजित किया गया। भारत क्षेत्र राष्ट्रमंडल महिला सांसद विचार गोष्ठी नई दिल्ली (मार्च 2013) में आयोजित की गई।

भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों ने दस अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) सम्मेलनों अर्थात् जिनेवा (अक्तूबर, 2009); बैंकाक (मार्च-अप्रैल 2010); जिनेवा (अक्तूबर 2010); पनामा सिटी (अप्रैल 2011); बर्न (अक्तूबर 2011); कम्पाला (अप्रैल-मार्च 2012); क्यूबेक सिटी (अक्तूबर 2012); क्योटो (मार्च, 2013); जेनेवा (अक्तूबर 2013); और जेनेवा (मार्च 2014) में आयोजित क्रमश: 121वें, 122वें, 123वें, 124वें, 125वें, 126वें, 127वें, 128वें, 129वें और 130वें सम्मेलनों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, अंतर-संसदीय संघ के तत्वावधान में आयोजित अट्ठारह अन्य सम्मेलनों में भारत के संसदीय शिष्टमंडलों ने भाग लिया।

भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के पांच सम्मेलनों अर्थात् अरुष (सितम्बर-अक्तूबर 2009); नैरोबी (सितम्बर 2010); लंदन (जुलाई 2011); कोलंबो (सितम्बर 2012) और जोहान्सबर्ग (अगस्त 2013) में आयोजित क्रमश: 55वें, 56वें, 57वें, 58वें और 59वें सम्मेलनों में भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के तत्वावधान में आयोजित 12 विचारगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भी भारत के संसदीय शिष्टमंडलों ने भाग लिया।

सदस्यों के लिए शोध और संदर्भ सेवा

पूर्ववर्ती लोक सभाओं की तरह ही, पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों को भी संसद ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) द्वारा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती रहीं। इस सेवा द्वारा सदस्यों को प्रामाणिक, निष्पक्ष और आधिकारिक सूचना उपलब्ध कराई गई जो किसी भी संसद के विचार-विमर्श, चर्चा और निर्णयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान इस सेवा द्वारा अनेक प्रकाशन निकाले गए। इनमें राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति का चुनाव; वित्त मंत्रियों के बजट भाषण; 1947-2011 (तीन खंडों में); संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण: अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के चुने हुए भाषण; कौल और शकधर संसदीयकृत पद्धति और प्रक्रिया (छठा संस्करण); बाबू जगजीवन राम संसद में: स्मारक खंड (दूसरा संस्करण); त्रिदिब चौधरी संसद में: स्मारक खंड; लोक सभा के अध्यक्ष (अंग्रेजी और हिन्दी में) और संसद सदस्य परिचय मंजूषा: पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा।

समय-समय पर, सभा के समक्ष उपस्थित विषयों पर सुप्रलिखित तथा विस्तृत पृष्ठाधार पत्र और सूचना बुलेटिन प्रकाशित किये गये और सदस्यों को उपलब्ध कराए गए। इसके अतिरिक्त, पन्द्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान दोनों सदनों के सदस्यों की ओर से संदर्भ उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त 29477 अनुरोधों के प्रत्युत्तर में संगत जानकारी उपलब्ध कराई गई।

कम्प्यूटरीकृत सूचना सेवा

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया। बड़ी मात्रा में सूचनाएं http://www.parliamentofindia.nic.in और http://www.loksabha.nic.in पर 'पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होम पेज' पर उपलब्ध कराई गई है।

लोक सभा के वेब पेज, जिसे 15 मार्च 1996 को शुरू किया गया था, को वर्ष 2008 में पुन: अभिकल्पित किया गया। संसदीय सूचना के सभी प्रमुख घटक अब लोक सभा होम पेज पर उपलब्ध हैं। संसद ग्रंथालय के व्यापक संसाधनों को संसद सदस्यों और शोधार्थियों के लाभ के लिए लोक सभा होम पेज पर उपलब्ध करा दिया गया है। हिन्दी और अंग्रेजी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में प्रकाशित लेखों और संसद ग्रंथालय में उपलब्ध रिपोर्टों को *पार्लियामेंट्री डाक्यूमेंटेशन और संसदीय प्रलेखन* के माध्यम से खोजा जा सकता है। इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख घटनाएं हैं: हिंदी में लोक सभा होम पेज, जिसे 7 जनवरी 2009 को प्रारम्भ किया गया था; सदस्य होम पेज, समिति वेबपेज, अध्यक्ष वेबसाइट, एलएसटीवी वेबपेज, संसदीय संग्रहालय का संवादी वेबसाइट और संसद ग्रंथालय।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यक्रम

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी) की स्थापना लोक सभा सचिवालय के एक अभिन्न अंग के रूप में 1 जनवरी 1976 को हुई। ब्यूरो का कार्य लोकतांत्रिक प्रणाली को चलाने के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों—विधायकों, नीति निर्धारकों, प्रशासकों और विभिन्न स्तरों पर अन्य पदाधिकारियों को संसदीय संस्थाओं, पद्धतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न विषयों में व्यवस्थित प्रशिक्षण, प्रबोधन और समस्यागत व प्रक्रियोन्मुख अध्ययन के लिए संस्थागत अवसर प्रदान करना है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान ब्यूरो ने लोक सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम और अरूणाचल प्रदेश (दो बार), बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम (दो बार) और पुदुचेरी राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के लिए ऐसे ही नौ कार्यक्रम आयोजित किए। संसद की प्रेस दीर्घाओं के लिए प्रत्यायित मीडियाकर्मियों के लिए चार प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो ने परिबोधन कार्यक्रमों, पुनश्चर्या कार्यक्रमों, सहयोजन कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों, अध्ययन दौरों आदि के 335 कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें विभिन्न अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के 10,045 परिवीक्षार्थियों, भारत सरकार के अधिकारियों, लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडलों के सचिवालयों के अधिकारियों ने भाग लिया। इसके साथ-साथ सचिवालय के 497 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर जानकारी/प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान पांच संसदीय प्रशिक्षु कार्यक्रम आयोजित किए गए और 63 देशों के 245 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विधायी प्रारूपण में पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनमें 65 देशों के 249 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संसदीय प्रक्रियाओं और विदेशी भाषाओं में प्रक्रियाओं में दो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे जिनसे ग्यारह देशों के 29 प्रतिभागियों को लाभ हुआ।

ब्यूरो ने कॉलेजों, विद्यालयों और अन्य संस्थाओं के 17897 प्रतिभागी विद्यार्थियों के लिए 406 अध्ययन दौरे, कॉल ऑन मीटिंग और अटैचमेंट कार्यक्रम भी आयोजित किए।

महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक कार्य/संसदीय कार्य

प्रश्न काल को सुप्रवाही बनाना: लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम और अध्यक्ष के निदेशों में संशोधन द्वारा प्रश्न काल को सुप्रवाही बनाया गया था। प्रश्न काल के सुचारू कार्यकरण के लिए लोक सभा की नियम समिति ने निर्णय लिया था। संशोधित/परिवर्तित प्रावधानों के अनुसार: (एक) प्रश्नों की सूचना देने हेतु 15 दिनों की समान अवधि निर्धारित की गई है; (दो) अध्यक्ष को किसी सदस्य, जो उसका नाम पुकारे जाने के समय सभा में अनुपस्थित हो, के तारांकित प्रश्न का उत्तर देने का निदेश देने की शक्तियां प्रदान की गई हैं; (तीन) किसी मंत्री को पहले दिए गए उत्तर को शुद्ध करते हुए इस तथ्य के बावजूद कि जिस प्रश्न का उत्तर दिया गया वह तारांकित अथवा अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्न इत्यादि था, सभा में वक्तव्य देने की आवश्यकता होती है; तथा (चार) कोई सदस्य एक दिन में मौखिक और लिखित दोनों उत्तरों के लिए, जितने प्रश्नों की सूचना देने का हकदार है उसकी संख्या 10 तक सीमित की गई है।

शून्य काल में मामले उठाने के लिए नई प्रक्रिया: शून्य काल में मामले उठाने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की गई थी जिसमें सदस्य जिस दिन सभा में मुद्दा उठाना चाहते हैं उस दिन पूर्वाह्न 8.30 बजे से 9.00 बजे तक सूचनाएं दे सकते हैं। तथापि, एक दिन में एक बैलट में उनकी प्राथमिकता के अनुसार केवल बीस मामले उठाने की अनुमति दी जाती है।

सभा पटल पर नियम 377 के अधीन मामले रखने की प्रक्रिया में परिवर्तन: सभा पटल पर नियम 377 के अधीन मामले रखने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया था। यदि, पीठ द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, तो पीठ से यह उद्घोषणा की जाएगी कि उस दिन जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे 20 मिनट के अंदर अपनी पर्चियां पटल पर भेज दें। तत्पश्चात्, सदस्य अपने मामलों को सभा की कार्यवाही में सम्मिलित कराने हेतु अपनी पर्चियां स्वयं पटल पर रख सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को रखा हुआ माना जाएगा और कार्यवाही का हिस्सा बनाया जाएगा जिनके लिए पर्चियां निर्धारित समय में सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

नई समितियों का गठन: नई समितियों यथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति; लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति; और संसद भवन परिसर के पारंपरिक स्वरूप के अनुरक्षण और विकास संबंधी द्विस्तरीय समिति का गठन करके समिति प्रणाली को और सुदृढ़ बनाया गया। उनके कार्यकरण में कुछ प्रक्रियागत परिवर्तन शुरू किए गए। निर्देशों में एक नया निर्देश जोड़ा गया जिसके अनुसार 'किसी भी समिति की पूर्व निर्धारित बैठक समिति के सभापति की बैठक में अनुपस्थिति अथवा बैठक हेतु उसकी तात्कालिक अनुपलब्धता के कारण मात्र से रद्द अथवा समयपूर्व अथवा बाद में नहीं की जाएगी'। एक नई प्रक्रिया स्वीकृत की गई है जिससे सभापति अध्ययन दौरों के समय संसदीय समितियों की बैठक में संबंधित मुद्दों, विशेषकर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में स्थानीय संसद सदस्यों को बुलाकर उनकी राय अथवा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सभा पटल पर प्रश्नों की सूचना रखने वाले सदस्यों की परस्पर वरीयता की ऑनलाइन उपलब्धता: इस प्रणाली के अंतर्गत, सदस्यों की जानकारी हेतु बैलेट के परिणामों को संसदीय सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने की वर्तमान परम्परा के साथ-साथ इन्हें सदस्यों की सुविधा हेतु ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। ऑनलाइन व्यवस्था में इस उद्देश्य हेतु एक लॉग-इन पेज बनाया गया है। जहां सदस्य अपना नाम चुनकर और तीन अंकों की पहचान पत्र संख्या के रूप में एक पासवर्ड डालकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तत्पश्चात्, सदस्य को वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए रैंडमली दर्शाई गई कैप्चा संख्या को टाइप करना होता है। इस प्रक्रिया से सदस्यों को वांछित सूचना तुरंत उपलब्ध हो जाती है तथा सचिवालय के काम-काज में पारदर्शिता आती है। पन्द्रहवीं लोक सभा के बारहवें सत्र से, सदस्यों द्वारा सभा पटल पर रखी गई प्रश्नों की सूचनाओं की स्थिति ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाती है।

राष्ट्रीय ध्वज बैज: नियम समिति ने सदस्यों को सभा में लेपल पिन अथवा बैज के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को धारण करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

भाषान्तरण सुविधा के अंतर्गत अधिक भाषाएं: नियम समिति ने निर्देश संख्या 115ब(1) में संशोधन कर तीन और भाषाओं, यथा मैथिली, मणिपुरी और नेपाली को भी उन भाषाओं की सूची में जोड़ दिया है जिनके लिए सभा में भाषान्तरण की सुविधा उपलब्ध है।

लोक सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष: 3 जून, 2009 को सभा ने अपने सत्तावन वर्षों के काल में पहली बार श्रीमती मीरा कुमार, जो दलित समुदाय से संबंधित हैं, को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद हेतु चुनकर इतिहास रचा।

लिंग निरपेक्षता को प्रोत्साहन: एक अभिनव पहल के रूप में, लिंग निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने के प्रयास में लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों और अध्यक्ष द्वारा निर्देशों को लिंग निरपेक्ष बनाया गया है।

नियम 374ए का प्रयोग: अध्यक्ष द्वारा नाम लिए जाने की किसी सदस्य के स्वत: निलम्बन की व्यवस्था से संबंधित नियम 374ए, 5 दिसम्बर, 2001 को लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों से जोड़ा गया था। यह नियम इस लोक सभा के दौरान पहली बार 23 अगस्त, 2013 और बाद में 2 सितम्बर, 2013 तथा 13 फरवरी, 2014 को प्रयोग में लाया गया।

संसदीय मंचों का गठन: पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, चौदहवीं लोक सभा के समय गठित किए गए पांच संसदीय मंचों के अतिरिक्त, तीन और मंच यथा आपदा प्रबंधन, शिल्पकार और दस्तकार तथा सहस्राब्दि विकास लक्ष्य संबंधी तीन मंचों का गठन किया गया ताकि सदस्यों को विषय विशेषज्ञों और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ संपर्क करने का एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराया जा सके। ये मंच सदस्यों को विशिष्ट विषयों पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हैं और उनके संसदीय कार्यों तथा नीति निर्माण में उनकी सहायता करते हैं।

लोक सभा टेलीविज़न की वेबसाइट का शुभारम्भ: 9 मई, 2012 को अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा संसद ग्रंथालय भवन में आयोजित एक समारोह में लोक सभा टेलीविज़न चैनल (एलएसटीवी) की वेबसाइट: www.loksabhatv.nic.in की शुरुआत की गई। लोक सभा टीवी संसद और लोगों के बीच दूरी को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और संसद को लोगों के निकट लाने का कार्य कर रहा है। इस वेबसाइट के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलेगी।

लोक सभा सचिवालय को पेपरलेस बनाने हेतु पहल: लोक सभा सचिवालय के कार्य में अधिक कुशलता लाने के लिए सूचना और संचार तकनीकों का सहारा लेकर सचिवालय को यथा संभव पेपरलैस बनाने के कदम उठाए गए हैं। संसदीय ज्ञानपीठ के कार्यकलापों का डिजिटलीकरण किया गया है।

संसद भवन के पारंपरिक स्वरूप का अनुरक्षण: संसद भवन का एक ऐतिहासिक महत्व है। इस अद्वितीय और विशाल परिसर के पारंपरिक स्वरूप के अनुरक्षण हेतु 15 दिसम्बर, 2009 को संसद भवन परिसर के पारंपरिक स्वरूप के अनुरक्षण और विकास संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक 14-सदस्यीय समिति का गठन पन्द्रहवीं लोक सभा की अवधि के लिए किया गया था।

कटौती प्रस्तावों पर अध्यक्ष द्वारा दिए गए विनिर्णय: पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान अध्यक्ष के विनिर्णय के अनुसार, अनुदानों की मांगों संबंधी जिन कटौती प्रस्तावों पर सभा में चर्चा नहीं की गई और जिन्हें गिलोटिन कर दिया गया, उन्हें प्रस्तुत किया गया मानकर अस्वीकृत कर दिया गया। अभी तक सभा में यह परम्परा थी कि जिन अनुदानों की मांगों को गिलोटिन किया जाना है उनसे संबंधी कटौती प्रस्तावों को परिचालित नहीं किया जाता था, अत: उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती थी।

सौर संयंत्र का उद्घाटन: संसद परिसर को हरित और ऊर्जा कुशल बनाने के लिए प्रयास किए गए। माननीय अध्यक्ष द्वारा 9 अगस्त, 2011 को संसद भवन में एक सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया। देश में विलुप्त होने के कगार पर खड़े पेड़ों की किस्मों को पिछले पांच वर्षों में संसद परिसर में लगाया गया है जैसा कि माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा 18 अगस्त, 2011 को कल्पवृक्ष और रुद्राक्ष के पौधों को रोपा गया। यह पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के उपयोग हेतु मानदंड निर्धारित करने की दिशा में अति महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली कदम है।

संसद की पहली बैठक की साठवीं वर्षगांठ: पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान 13 मई, 2012 को एक विशेष बैठक का आयोजन करके भारत की संसद की पहली बैठक की साठवीं वर्षगांठ मनायी गई। इस अवसर पर, लोक सभा अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 360 के तहत अध्यक्षपीठ से सभा को संबोधित किया। इस आशय का एक संकल्प भी पारित किया गया। माननीय राष्ट्रपति ने 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों एवं लोक सभा सचिवालय के प्रकाशनों का विमोचन किया। केन्द्रीय कक्ष में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें प्रसिद्ध कलाकारों ने प्रदर्शन किया।

संसद के अधिकारियों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम: पहली बार 15 से 26 अप्रैल, 2013 तक संसद के अधिकारियों के लिए अरबी और स्पैनिश भाषा में संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति संबंधी एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें 7 देशों—अल्जीरिया, बहरीन, लेबनान, मोरक्को, सूडान, ट्यूनिशिया और यमन के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रण: जनता के साथ संसदीय संवाद में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, माननीय अध्यक्ष ने देश के दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को लोक सभा देखने के लिए आमंत्रित करने की पहल की। लक्षद्वीप, बिहार और मणिपुर से इस प्रकार के कुछ दौरे पहले ही किए जा चुके हैं।

विकलांगों के लिए नई सुविधाएं: संसद को अधिक ग्राह्य बनाने के लिए विकलांगों के लिए नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। दृष्टिहीन आगंतुकों के लिए संसदीय संग्रहालय में ब्रेल लिपि में लिखी सामग्री रखी गई है।

दिवंगत अध्यक्षों को पुष्पांजलि और बाहरी लॉबी में सभी पूर्व अध्यक्षों के चित्र लगाना: यह निर्णय लिया गया कि संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में लोक सभा के पूर्व दिवंगत अध्यक्षों के जन्मदिवस पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तदनुसार, एम.ए. आयंगर (4 फरवरी), श्री एन. संजीव रेड्डी (4 मई), श्री जी.एस. ढिल्लों (8 अगस्त), सरदार हुकुम सिंह (30 अगस्त), श्री जी.एम.सी. बालयोगी (1 अक्तूबर), श्री बलिराम भगत (7 अक्तूबर) और श्री जी.वी. मावलंकर (27 नवम्बर) के जन्मदिन के अवसर पर संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में कार्यक्रम आयोजित किए गए । इस अवसर पर लोक सभा सचिवालय द्वारा इन पूर्व अध्यक्षों के जीवन-वृत्त वाली हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तिकाएं उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तियों को प्रदान की गईं।

यह भी निर्णय लिया गया कि लोक सभा के सभी पूर्व अध्यक्षों के चित्र और केन्द्रीय विधान सभा के प्रेसिडेंटों के फोटो भी कालक्रमानुसार लोक सभा कक्ष की बाहरी लॉबी में स्थापित किए जाएं ताकि संसद परिसर में पीठासीन अधिकारियों की चित्रदीर्घा मौजूद हो। तदनुसार, संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 10 फरवरी, 2014 को केन्द्रीय विधान सभा के प्रेसिडेंटों के फोटो और लोक सभा के पूर्व अध्यक्षों के चित्रों का अनावरण करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में केन्द्रीय विधान सभा के प्रेसिडेंटों अर्थात् सर फ्रेडरिक वाइट, श्री विट्ठलभाई पटेल, सर मोहम्मद याकूब, सर इब्राहिम रहीमतुल्ला, सर आर.के. षणमुखम चेट्टी और सर अब्दुर रहीम के फोटो तथा लोक सभा के पूर्व अध्यक्षों सर्वश्री जी.वी. मावलंकर, एम.ए. आयंगर, सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, जी.एस. ढिल्लों, बलिराम भगत, के.एस. हेगड़े, बलराम जाखड़, रवि राय, शिवराज वी. पाटिल, पी.ए. संगमा, जी.एम.सी. बालयोगी, मनोहर जोशी और सोमनाथ चटर्जी के चित्रों का अनावरण किया।

उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार: 18 अगस्त, 2010 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 हेतु क्रमश: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, श्री मोहन सिंह एवं डॉ. मुरली मनोहर जोशी को भारतीय संसदीय ग्रुप (आईपीजी) द्वारा संस्थापित उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

संसद सदस्यों के लिए व्याख्यानमाला: पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, संसद सदस्यों के लिए व्याख्यानमाला के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर सात व्याख्यान/वार्ताएं आयोजित की गईं।

प्रो. हीरेन मुखर्जी स्मृति वार्षिक, संसदीय व्याख्यान: विख्यात स्मृति संसदीय व्याख्यान की शुरुआत की गई। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान तीन हीरेन मुखर्जी व्याख्यान अर्थात् नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रो. मोहम्मद युनूस द्वारा ''सामाजिक कार्यकलाप: एक नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए एक कदम'' विषय पर 9 दिसम्बर, 2009 को दूसरा हीरेन मुखर्जी व्याख्यान; प्रो. जगदीश भगवती द्वारा ''भारतीय सुधार: कल और आज'' विषय पर 2 दिसम्बर, 2010 को तीसरा हीरेन मुखर्जी व्याख्यान; और भूटान के प्रधान मंत्री, महामहिम ल्योचेन जिग्मी वाई थिनले द्वारा ''परम राष्ट्रीय सुख: सतत कल्याण का समग्र प्रतिमान'' विषय पर 20 दिसम्बर, 2011 को चौथा व्याख्यान दिया गया।

चित्रों और प्रतिमाओं का अनावरण: 4 मई, 2010 को भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में पूर्व प्रधान मंत्री, श्री चन्द्रशेखर के चित्र और 19 दिसम्बर, 2011 को लोक सभा अध्यक्ष द्वारा डॉ. त्रिस्ताओ द ब्रंगका कुन्हा के चित्र का अनावरण किया गया। 7 मई, 2013 को लोक सभा अध्यक्ष ने संसद भवन में श्री नन्दमुरी तारक रामाराव की प्रतिमा का अनावरण किया।

राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी 21 फरवरी, 2013 को बजट सत्र के पहले दिन संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों के समक्ष अभिभाषण हेतु शोभा यात्रा में आते हुए।

तत्कालीन राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील 21 फरवरी, 2011 को बजट सत्र के पहले दिन संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों के समक्ष अभिभाषण हेतु शोभा यात्रा में आती हुईं।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 17 नवम्बर, 2011 को लोक सभा के
राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 19 नवम्बर, 2009 को श्रीमती इंदिरा गांधी की वर्षगांठ के अवसर पर
उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 23 मार्च, 2010 को डॉ. राम मनोहर लोहिया की वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 14 अप्रैल, 2010 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 4 मई, 2010 को श्री चन्द्रशेखर के चित्र के अनावरण के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 6 जुलाई, 2010 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 2 अक्तूबर, 2010 को श्री लाल बहादुर शास्त्री की वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन में 6 दिसम्बर, 2010 को डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 9 मई, 2011 को गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की वर्षगांठ के
अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 28 मई, 2011 को वीर सावरकर की वर्षगांठ के
अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 20 अगस्त, 2011 को श्री राजीव गांधी की वर्षगांठ के
अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 31 अक्तूबर, 2011 को सरदार वल्लभभाई पटेल की वर्षगांठ के
अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 3 दिसम्बर, 2011 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 10 दिसम्बर, 2011 को श्री सी. राजगोपालाचारी की वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 19 दिसम्बर, 2011 को डॉ. टी.बी. डि'कुन्हा के चित्र के अनावरण के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 23 दिसम्बर, 2011 को चौधरी चरण सिंह की वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 13 फरवरी, 2012 को श्रीमती सरोजिनी नायडू की वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 23 जुलाई, 2012 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 4 सितम्बर, 2012 को दादाभाई नौरोजी की वर्षगांठ के
अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 2 अक्तूबर, 2012 को महात्मा गांधी की वर्षगांठ के
अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 5 नवम्बर, 2012 को देशबंधु चित्तरंजन दास की वर्षगांठ के
अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 27 नवम्बर, 2012 को लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर की
वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 23 जनवरी, 2013 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद लोक सभा उपाध्यक्ष, श्री कड़िया मुंडा और अन्य विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 28 फरवरी, 2013 को श्री मोरारजी देसाई की वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन में 5 अप्रैल, 2013 को बाबू जगजीवन राम की वर्षगांठ के अवसर पर
पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 6 मई, 2013 को पंडित मोतीलाल नेहरू की वर्षगांठ के
अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन में 7 मई, 2013 को श्री एन.टी. रामाराव की प्रतिमा के अनावरण के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 11 नवम्बर, 2013 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 14 नवम्बर, 2013 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन पर आतंकवादी हमले की 12वीं बरसी के अवसर पर 13 दिसम्बर, 2013 को शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 25 दिसम्बर, 2013 को श्री मदन मोहन मालवीय की वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 28 जनवरी, 2014 को लाला लाजपत राय की वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशिष्टजन।

भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी 10 फरवरी, 2014 को केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्षों के फोटो और लोक सभा के पूर्व अध्यक्षों के चित्रों के अनावरण हेतु आयोजित समारोह में उपस्थित गण्यमान्य अतिथियों को संबोधित करते हुए। मंच पर भारत के उप-राष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी, भारत के प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह और लोक सभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार भी उपस्थित हैं।

2

लोक लेखा समिति*

सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सभी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणालियों के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। संसदीय लोकतंत्र की भारतीय प्रणाली में लोक लेखा समिति सार्वजनिक वित्त व्यवस्था पर संसदीय नियंत्रण का केंद्र बिन्दु है और इसे 'वित्तीय मामलों में राष्ट्र का विवेक प्रहरी' माना जाता है। सरकार और रक्षा पर, विकासात्मक लागत, सार्वजनिक क्षेत्र में भारी निवेशों, सार्वजनिक निजी भागीदारी जैसे सार्वजनिक व्यय के नए तरीकों पर दिनोंदिन बढ़ते व्यय के कारण लोक लेखा समिति का कार्य न केवल व्यापक अपितु काफी दूभर भी होता जा रहा है। करदाताओं के धन की सुरक्षा इसके अबाधित कार्यकरण पर निर्भर करती है। इसकी दक्षता संबंधित अधिकारियों की सतर्कता, निगरानी और ईमानदारी पर निर्भर करती है और इस संस्था का अस्तित्व स्वच्छ लोकतांत्रिक प्रशासन की गारंटी देता है।

लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य यह अभिनिश्चित करना है कि सरकार संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय 'मांग के प्रयोजन हेतु' ही करे। तथापि, सार्वजनिक व्यय की बढ़ती हुई मात्रा के साथ ही सरकारी व्यय पर संसदीय निगरानी की अधिक आवश्यकता के कारण लोक लेखा समिति ने व्यय की महज़ औपचारिकता और वैधता से परे जाकर अपने विवेक, निष्ठा से कार्य करना और अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। अत: समिति हानि, निरर्थक व्यय और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों पर विचार करती है। समिति यह भी जांच करती है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के संबंध में कार्यपालिका किस हद तक अपनी वित्तीय जिम्मेदारी का समुचित ढंग से निर्वाह कर रही है और यह अभिनिश्चित करती है कि क्या योजनाओं का उचित ढंग से कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा क्या उनका संचालन दक्षतापूर्वक और किफायत से किया जा रहा है तथा क्या वे अपेक्षित परिणाम के अनुसार कार्य कर रही हैं। यदि किसी प्रयोजन हेतु सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो समिति प्रत्येक मामले के तथ्यों, ऐसे अधिक व्यय हेतु जिम्मेदार परिस्थितियों की जांच करती है और जैसा उचित हो वैसी सिफारिश करती है। तत्पश्चात्, सरकार को ऐसे अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 115 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमन हेतु सभा के समक्ष लाना अपेक्षित है। संसद द्वारा ऐसे अधिक व्यय के शीघ्र नियमन हेतु समिति अन्य रिपोर्टों से पहले सभी मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 'स्वीकृत अनुदानों और विनियोगों से अधिक व्यय' नामक एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

*लोक सभा सचिवालय की लोक लेखा समिति शाखा के सौजन्य से।

चयन न किए गए लेखापरीक्षा पैराओं के संदर्भ में की गई उपचारात्मक कार्यवाही टिप्पणों के प्रस्तुतीकरण संबंधी प्रक्रिया को सुकर बनाना

1981 तक समिति द्वारा विस्तृत जांच हेतु चयन न किए गए लेखापरीक्षा पैराओं के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा की-गई-कार्यवाही को अभिनिश्चित करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। तथापि, विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विचार किए गए सभी मुद्दों के संदर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु लोक लेखा समिति ने 1982 में यह निर्णय लिया कि वर्ष 1980-81 के पश्चात् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के पास भेजा जाएगा ताकि वे लेखापरीक्षा द्वारा यथासंवीक्षा किए गए टिप्पणों को भेज सकें तथा इसमें अंतर्विष्ट सभी पैराओं पर की गई उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही को दर्शा सकें। लेखापरीक्षा पैराओं पर समिति को की गई सुधारात्मक कार्यवाही टिप्पण प्रस्तुत करने में अनेक मंत्रालयों/विभागों की ओर से अत्यधिक विलंब और लगातार विफलता का संज्ञान लेते हुए, लोक लेखा समिति ने अपने 105वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा 1995-96) में यह टिप्पणी की थी कि जब तक कि वित्त मंत्रालय की-गई-कार्यवाही टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र नहीं बनाता, सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणाम निष्फल रहेंगे। अत:, समिति ने सिफारिश की थी कि इस प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु सी एंड एजी के प्रतिवेदनों के सभी पैराओं, पर की-गई-कार्यवाही टिप्पण वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखे जाने (अर्थात् 31 मार्च, 1996 से) के चार माह के अंदर समिति को प्रस्तुत किए जाएं। बाद में, समिति ने 2000-01 के दौरान यह निर्णय लिया था कि इन की-गई-कार्यवाही टिप्पणों को लेखापरीक्षा द्वारा तीन मुख्य शीर्षकों अर्थात् 'स्वीकृत' 'आंशिक रूप से स्वीकृत' और 'अस्वीकृत' के रूप में वर्गीकृत किया जाए। सरल संदर्भ के लिए तथा समिति को विस्तृत जांच हेतु इन चयन न किए गए पैराओं में से कुछ पैराओं का चयन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए समिति ने वर्ष 2006-07 के दौरान यह निर्णय लिया कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय लेखापरीक्षा द्वारा 'अस्वीकृत' श्रेणी में डाले गए की-गई-कार्यवाही टिप्पणों की संक्षिप्त जानकारी देगा जिसमें ऐसे वर्गीकरण के कारण और लेखापरीक्षा तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बीच मतभेद के मुद्दों की भी जानकारी होनी चाहिए।

चूंकि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से की गई उपचारात्मक कार्यवाही टिप्पण की प्राप्ति में लगातार अत्यधिक विलंब हो रहा था, अत: समिति ने इस विषय पर संक्षिप्त जानकारी देने हेतु दिनांक 15 सितंबर, 2008 को भारत सरकार के सचिव (व्यय) को बुलाया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए समिति ने सचिव (व्यय) को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया ताकि सभी लंबित की गई उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही टिप्पणों को निर्धारित अवधि के भीतर लोक लेखा समिति के पास भेजा जा सके। तत्पश्चात्, लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन ने इस मामले में प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की ताकि सभी मंत्रालय/विभाग लोक लेखा समिति को की गई उपचारात्मक कार्यवाही टिप्पणी शीघ्र भेज सकें। लोक लेखा समिति द्वारा उठाए गए इन कदमों के परिणामस्वरूप संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने की गई उपचारात्मक कार्यवाही टिप्पणों के समय पर प्रस्तुतीकरण हेतु अपनी प्रशासनिक मशीनरी में अपेक्षित सुधार किया है।

15वीं लोक सभा के दौरान समिति द्वारा विषयों का चयन और उनकी जांच

आबादी के बहुत बड़े भाग को प्रभावित करने वाले राष्ट्रव्यापी विकास कार्यक्रमों को लागू करने में कार्यपालिका के कार्यनिष्पादन का विस्तृत मूल्यांकन समिति के कार्यकरण की हाल की विशेषता रही है। समिति का ध्यान विभिन्न विकास योजनाओं और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की कार्यनिष्पादन समीक्षा की ओर केंद्रित रहा है। 15वीं लोक सभा के दौरान समिति ने निम्नलिखित विषयों की जांच की और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए:–

- राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार कार्यक्रम
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम
- भारतीय सेना में राशन आपूर्ति शृंखला प्रबंधन
- संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
- उर्वरक राजसहायता
- कर प्रशासन
- रक्षा संपदा प्रबंधन
- आदर्श को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी
- भारत में नागर विमानन का कार्यनिष्पादन
- वित्त मंत्रालय द्वारा संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन: संसदीय अनुमोदन के बिना करों के प्रतिदायों के ब्याज पर उपगत व्यय, आदि।

15वीं लोक सभा के दौरान समिति की 161 बैठकें हुईं जो लगभग 295.47 घंटे तक चलीं। इनमें 100 प्रतिवेदन – 54 मूल और 46 की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन – संसद में प्रस्तुत किए गए। समिति ने की-गई-कार्रवाई रिपोर्टों संबंधी की-गई-कार्यवाही के 25 विवरण भी सभा पटल पर रखे। समिति ने 15वीं लोक सभा के दौरान 25 संगठनों/प्रतिष्ठानों का दौरा कर तत्स्थानिक अध्ययन किया।

15वीं लोक सभा के दौरान समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों का सारांश नीचे दिया गया है।

नौवां प्रतिवेदन : राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना)

लोक लेखा समिति (पीएसी) के नौवें प्रतिवेदन में समिति ने राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार कार्यक्रम (सामान्यत: मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाने जाने वाले) की विस्तार से जांच-पड़ताल की जिसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बच्चों के स्कूल में नामांकन, उनकी उपस्थिति और उनकी स्कूली पढ़ाई की निरंतरता के स्तर को बनाए रखने के मामले में वृद्धि कर और साथ ही प्राथमिक स्कूलों के छात्रों के पोषाहार के स्तर को स्थापित कर प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता को प्रोत्साहन देना था। समिति ने इस योजना के कार्यान्वयन में कई कमियां/चूकें पाईं यथा वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान आबंटित धनराशि का कम उपयोग, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से खाद्यान्न मुहैया कराने की केंद्रीय सहायता योजना में कई कमियां, वास्तविक नामांकन के बजाय अनुमान के आधार पर खाद्यान्न का आबंटन, कुछ राज्यों द्वारा आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न का लिया जाना; 11 राज्यों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निमित्त धनराशि और खाद्यान्न के अन्यत्र उपयोग के कथित उदाहरण; सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं का अभाव अर्थात् मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पक्का रसोई घर-सह-स्टोर/किचन शेड्स; शिक्षकों को उत्तरदायित्व सौंप देना जिसकी वजह से अध्यापन व पठन-पाठन संबंधी कार्यकलापों में हस्तक्षेप आदि-आदि।

समिति ने इन सभी मामलों व इनसे जुड़े अन्य संबंधित मामलों की भी जांच-पड़ताल की। समिति ने यह सिफारिश की कि धन के कम उपयोग की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने व छात्रों के नामांकन, उनकी उपस्थिति, उनकी स्कूली शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने और बीच में पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने, जो इस योजना के स्थापनाकाल से ही मुख्य उद्देश्य रहे हैं, के संदर्भ में योजना संबंधी प्रगति का मूल्यांकन करने के समुचित उपाए किए जाएं। समिति ने आगे यह भी सिफारिश की कि भिन्न-भिन्न राज्यों में कार्यान्वयन प्राधिकरणों द्वारा समुचित उपाय किए जाने चाहिएं जिससे कि खाद्यान्न को उठाने का कार्य यथार्थ आधार पर किया जा सके। समिति ने यह भी अनुरोध किया कि आवश्यक रसोई घरों के निर्माण में विलंब, शिक्षकों की उनके अध्यापन कार्य से समझौता किए बगैर केवल भोजन परोसने में उनके निरीक्षण/सहयोग की भागीदारी और जहां कहीं भी आवश्यक हो, स्कूलों में अतिरिक्त श्रमशक्ति व आवश्यक सहायता सुविधा मुहैया कराने के प्रावधान के लिए जवाबदेही तय की जाए।

बत्तीसवां प्रतिवेदन : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)

पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर गरीबों व संवेदनशील तबके के लोगों को सुलभ, सस्ती, उत्तरदायी, प्रभावी और समुचित स्वास्थ्य परिचर्चा

सुविधाओं के मद्देनजर 12 अप्रैल, 2005 को पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। एनआरएचएम की जांच-पड़ताल में समिति ने पाया कि सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जिला स्वास्थ्य मिशन का गठन नहीं किया गया है, प्रत्येक गांव में ग्राम स्वास्थ्य और सफाई समितियां (वीएचएससी) नहीं बनाई गई हैं; केवल 4 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपने स्वयं के बजट से एनआरएचएम में राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना का 15 प्रतिशत का वांछित योगदान किया है। विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में आधारभूत संरचना व स्वास्थ्य संबंधी दशाओं का अभाव, 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में राज्य स्वास्थ्य सोसायटियों (एसएचएस) में खरीद संबंधी दस्तावेजी प्रक्रिया व परंपरा का पालन नहीं किया गया था जबकि एनआरएचएम के तहत यह आवश्यक है। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग के बजटीय आबंटन को दसवीं योजना में 775.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर ग्यारहवीं योजना में 3988.00 करोड़ रुपए करने के बावजूद यह स्वास्थ्य बजट के समग्र आबंटन के 10 प्रतिशत लक्ष्य को भी हासिल करने में नाकाम रहा है, आदि-आदि। इन कमियों/चूकों की विस्तृत जांच के पश्चात् समिति ने सिफारिश की कि सभी जिलों का राज्य-वार व्यापक केंद्रीय इलैक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार किया जाए और इसे राज्य स्वास्थ्य सोसायटीज़ वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ताकि वीएचएससी में ग्रामीणों की प्रभावी भागीदारी के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने हेतु प्रचार अभियान को आरंभ करने के लिए जिला आयोजना टीमों की उन तक आसानी से पहुंच हो सके। दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक गांव में वीएचएससीज़ का गठन करना और वीएचएससीज़ के गठन के बाद ही उनका वित्तपोषण करना ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष तथा बारहवीं योजना अवधि के लिए एनआरएचएम हेतु बजट परिव्यय को बढ़ाना; चूककर्ता राज्यों को उनके विहित अंशदान करने तथा राज्य मिशन बजट में कम अंशदान को पूरा करने के बाद ही भविष्य में किस्त जारी करना; आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा मानक स्वच्छता स्तर बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर ठोस कदम उठाना; केंद्रीयकृत खरीद एजेंसी की स्थापना तथा उसके प्रचालन कार्य को शीघ्रतापूर्वक करना; एनआरएचएम के पुनर्गठन के द्वारा आयुष विभाग को पूर्ण मंत्रालय में बदलना; पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान आदि की भारतीय औषधि प्रणाली का डिजीटलीकरण इत्यादि करना।

पैंतीसवां प्रतिवेदन : त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)

समिति ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियां/चूकें पाईं। ये कमियां अनेक राज्यों की उन वार्षिक कार्य-योजनाओं (एएपी) में विसंगति से संबंधित हैं जो विस्तृत तथा व्यापक बस्ती-वार विश्लेषणों पर आधारित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अस्वीकार्य व्यय तथा निधियों के विपथन सहित वित्तीय नियंत्रण में कमी के दृष्टांत:, पूर्णतया कवर की गई बस्तियों का पुन: पूर्व स्थिति में आ जाना और पुन: इस समस्या का उभरना, जल की गुणव त्ता जांच तथा निगरानी हेतु तथा आवधिक जांच आवश्यकताओं हेतु अवसंरचना में कमी; ग्राम पंचायत/ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) स्तर पर फील्डटेस्टिंग किट्स के वितरण तथा उपयोग में कमी; जल संसाधनों विशेषत: भूमिगत जल को यथावत बनाए रखना सुनिश्चित करने तथा भूमिगत जल स्तर में कमी दूर करने से संबंधित उपायों में कमियों से संबंधित बातें थीं। इन समस्याओं को शीघ्र दूर करने के लिए समिति ने सिफारिश की कि नई जनगणना के लिए नई कार्य पद्धति अपनाई जाए; जनगणना को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए; राज्यों की बस्ती-वार एएपी तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए निदेश जारी किए जाएं तथा एएपी को समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने हेतु एआरडब्ल्यूएसपी दिशा-निर्देशों में उपयुक्त संशोधन किए जाएं। समिति ने यह भी सिफारिश की कि मंत्रालय राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ परामर्श करके मजबूत निगरानी प्रणाली विकसित करें ताकि प्रस्ताव निश्चित रूप से समय पर मिले; एआरडब्ल्यूएसपी दिशा-निर्देशों में जल की गुणवत्ता की जांच लेबोरेट्रियों के माध्यम से करवाना अनिवार्य उपबंध किया जाए; राज्यों में तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता का आकलन किया जाए और ग्रामीण विकास मंत्रालय परियोजनाओं की निगरानी करे तथा यह सुनिश्चित करे कि और अधिक समय लिए बिना परियोजनाएं समय पर पूरी हों।

सैंतालीसवां प्रतिवेदन : भारतीय सेना में राशन की आपूर्ति शृंखला प्रबंधन

समिति ने इस विषय की विस्तार से जांच की और पाया कि भारतीय सेना में राशन के आपूर्ति शृंखला प्रबंधन तंत्र के कार्यकरण में अनेक विसंगतियां/कमियां हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ शुष्क राशन की उपलब्धता के लिए अपनाई गई तिथि सहित निर्धारित खरीद प्रक्रिया। मूल अनुमानित भंडारण मियाद (ईएसएल) खत्म होने के बाद भी सैनिकों को राशन जारी करना, ताजा राशन के लिए पूरी तरह से गैर-प्रतिस्पर्धी खरीद प्रक्रिया तथा टेंडर प्रक्रिया के विहित मानकों से विपथन राशन की गुणवत्ता, मात्रा और स्वाद के संबंध में सैनिकों का संतुष्टि स्तर ठीक न होना, राशन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए डिफेन्स फूड लैब्स की अपर्याप्त संख्या शामिल हैं। समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें ये थीं कि सेना खरीद संगठन (एपीओ) संविदाओं के नियम व शर्तों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए और इन्हें कड़ा बनाया जाए ताकि गैर-निष्पादनकारी संविदाओं की निष्पादन बैंक गारंटी को जब्त करके तथा नई संविदाएं समाप्त करके उन्हें रद्द करने का उपबंध किया जा सके; मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) की समीक्षा की जाए और इसे अद्यतन बनाया जाए; तथा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की रिपोर्ट के मद्देनजर सेना द्वारा उच्च-स्तरीय समिति को नियुक्त करने के लिए कदम उठाए जाएं। समिति ने आगे सिफारिश की कि प्रावधान और खरीद के मध्य भारी अंतर को दूर करने के लिए खरीद प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाए, केंद्रीय संविदा के गैर-निष्पादन के मामले में आपूर्ति डिपो द्वारा की गई स्थानीय खरीद को कवर करने के लिए केंद्रीय खरीद संविदाओं में "जोखिम खरीद" खंड जोड़ा जाये, आर्मी सर्विस कॉर्प्स टेक्निकल इंस्ट्रक्शन्स के विद्यमान उपबंध जिनके तहत ईएसएल का विस्तार किया गया था कि समीक्षा/संशोधन; गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र कार्यपर्यवेक्षण/निगरानी करने के लिए सेना मुख्यालय (एएचक्यू) स्तर पर प्रमुख योग्यताप्राप्त वैज्ञानिकों/चिकित्सा अधिकारी की

नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाये जायें; खाद्य संरक्षण के लिए उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाये और सभी रक्षा लेबोरेट्रियों में जांच के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी आरंभ की जाये; सैन्य दलों को गुणवत्तापूर्ण ताजा राशन की आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाये और वेंडर आधार को विस्तार दिया जाये, सभी आपूर्ति डिपो तथा आपूर्ति स्थलों तक संपर्क जोड़ने वाला कुशल तथा प्रभावी कम्प्यूटरीकृत तंत्र विकसित किया जाये ताकि इकाइयों द्वारा प्राप्ति में तथा डिपोज़ से आपूर्ति में विसंगतियां न हों और राशन जारी करने तथा प्राप्ति में गंभीर विसंगतियों के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाये।

पचपनवां प्रतिवेदन : संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)

समिति की जांच से एमपीएलएडी योजना के कार्यान्वयन में बहुत-सी कमियों/चूकों का पता चला है—जैसे कि संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्य निर्धारण में विभिन्न सक्रिय रेजीडेन्ट फोरम स्थानीय निकायों, एनजीओ आदि की भागीदारी की कमी, दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सरकारी विभागों और को-ऑपरेटिव सोसायटियों की कार्यालयी और आवासीय इमारतों का निर्माण, धार्मिक संस्थाओं के परिसर के अंदर कार्य, नवीकरण के सभी कार्य, मरम्मत और रख-रखाव; कार्यों की स्वीकृति में विलंब और कार्य की योजना की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे बिना स्वीकृति देना; मूलभूत आंतरिक नियंत्रण रिकॉर्ड यथा आस्तिकों संबंधित पंजिका, कार्य पंजिका आदि का न होना; सृजित आस्तियों का उस उद्देश्य के लिए प्रयोग न किया जाना जिसके लिए उन्हें मंजूरी दी गई थी; निधियों का विपथन; कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्धारित सीमा से अधिक अग्रिम धनराशि प्रदान करना; कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा खर्च न की गई राशि को वापस न करना; इत्यादि। समिति ने अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की थी कि सरकार को राज्य सरकार/जिला प्रशासन (डीएज) द्वारा निर्धारित वार्षिक निधियों का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिएं ताकि खर्च न की गई शेष धनराशि को कम से कम किया जा सके; दिशा-निर्देशों में संबंधित प्रावधानों को सख्त किया जाए और संसद सदस्यों की खर्च न की गई शेष धनराशि का वितरण के साथ-साथ खातों को बंद करने के लिए एक समय-सीमा तय की जाए; दिशा-निर्देशों में एक सावधि विधि खंड शामिल किया जाए जो यह अनिवार्य करे, यदि राज्य खर्च न की गई शेष धनराशि को तय समय-सीमा में वितरित न कर पाए तो निधियां केंद्र को वापस कर दी जाएं; प्रभावी निगरानी सार्वजनिक संवीक्षा के लिए मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपयोग प्रमाण-पत्र और लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र अपलोड किए जाएं। समिति ने आगे सिफारिश की कि एमपीएलएडीएस के अंतर्गत कार्य/परियोजनाओं की अवधारणा बनाते समय, डिजाइनिंग करते समय और कार्यान्वित करते समय स्थानीय लोगों/निकायों को सम्मिलित किया जाए; डीएज की जिम्मेदारी निश्चित की जाए और सभी पात्र ट्रस्टों/सोसायटियों की जिला-वार सूची वाला एक केंद्रीय डाटाबेस सृजित किया जाए ताकि चूकों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके और निधियों की समय पर प्रतिपूर्ति हो सके; इत्यादि।

इक्यासीवां प्रतिवेदन : उर्वरक राजसहायता

भारत में उर्वरक राजसहायता व्यवस्था का 1957 से एक लंबा और विविध प्रकार का इतिहास रहा है। वर्तमान में, जबकि यूरिया ही एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है जो कि 50% उत्पादन की सीमा तक फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत मूल्य वितरण और गतिविधि नियंत्रण के अधीन है, अन्य उर्वरक जैसे कि डीआई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), मोनो अमोनियम फॉस्फेट (एमएपी), सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी), म्युरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) और नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश (एनपीके) कॉम्प्लेक्सिस अनियंत्रित उर्वरक हैं जिनके कृषि संबंधी उपयोग को राजसहायता दी गई है। हालांकि, वास्तविक व्यवहार में, उर्वरक, चाहे वे नियंत्रित हों या अनियंत्रित हों, प्रभावी रूप से भारत सरकार के स्पष्ट/अस्पष्ट नियंत्रण के अधीन होती हैं ताकि पूरे देश में एक एकल बिक्री मूल्य सुनिश्चित किया जा सके जो कि उत्पादन/आयात की लागत से काफी कम होता है तथा उर्वरक राजसहायता का उचित लक्ष्य निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके। समिति की विषयगत जांच से कई चिंताजनक पहलू उजागर हुए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरक आवश्यकता का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, उर्वरक की मांग और आपूर्ति के बीच काफी बड़ा अंतर; उर्वरक आवश्यकता के वैज्ञानिक और वास्तविक मूल्यांकन में कमी; राजसहायता व्यवस्था में प्रभावी बदलाव के बाद भी उर्वरक के घरेलू उत्पादन के प्रोत्साहन में वृद्धि करने में असफलता, पिछले पांच वर्षों के दौरान यूरिया के उत्पादन में लगभग स्थिरता; उर्वरकों की अनुपलब्धता/कमी के कई मामले; माल के प्रत्यक्ष सत्यापन की अनुपस्थिति और फर्स्ट स्टॉक प्वांइट के आगे उर्वरकों की बिक्री; अप्राधिकृत बिक्री केंद्रों द्वारा राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की बिक्री; यूरिया के आयात में अनियमितताएं और अधिक भुगतान; मिश्रण इकाइयों को राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का विपथन; उर्वरक गुणवत्ता जांच अवसंरचना में अपर्याप्तता; त्रुटिपर्ण निगरानी तंत्र; इत्यादि शामिल हैं। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए, समिति ने डाटा के उपयुक्त और सटीक संकलन के द्वारा उर्वरक मांग/आवश्यकता के मूल्यांकन की समग्र पुनरीक्षा करने; उर्वरकों की विविध प्रकार की क्षमता/उत्पादन में वृद्धि करने; निवेशकों के लिए सहायक वातावरण का निर्माण करने; बंद यूरिया इकाइयों का विस्तार/पुनः चालू करने; उर्वरकों के आयात की निर्भरता को कम करने; रासायनिक उर्वरकों और जैविक खाद के मिले-जुले उपयोग को शामिल करते हुए एकीकृत पोषक प्रबंधन को समुचित महत्व देने; राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की चोरी, विपथन और लीकेज के संकट को हटाने; राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का उपयोग कर रही मिश्रण इकाइयों पर बेहतर नजर/नियंत्रण रखने की आवश्यकता; गुणवत्ता जांच और मृदा जांच प्रयोगशालाओं की भौतिक और कार्मिक अवसंरचना में वृद्धि करने; राजसहायता की स्पष्ट और पारदर्शी प्रशासन व्यवस्था और राज्य सरकारों के साथ निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने; की सिफारिश की।

सत्तासीवां प्रतिवेदन : कर प्रशासन

समिति ने प्रत्यक्ष कर प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की गहराई से जांच की, जिनमें कर सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) अनुपात में मामूली

वृद्धि, कंपनियों के लिए प्रभावी कर दर का सांविधिक कर दर से काफी कम होना, कर छूटों के कारण छोड़े गए राजस्व में वृद्धि, करदाता आधार में वृद्धि, जांच आकलनों की लंबितता में वृद्धि, प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावे की लंबितता दर में वृद्धि तथा अपील मामलों के निपटान की निम्न दर। समिति की मुख्य सिफारिशें थीं: कर अपवंचन के लिए उत्तरदायी विशिष्ट क्षेत्रों/चैनलों/श्रेणियों को कर दायरे में लाना तथा संभावित और उच्च निवल आस्ति वाले निर्धारितियों को कर दायरे में लाकर कर आधार को व्यापक बनाने के लिए राजस्व विभाग के प्रयासों को नई दिशा देना; नए साधनों के माध्यम से कर दायरे को व्यापक बनाना तथा उच्च निवल आस्ति वाले निर्धारितियों के लिए सम्मिलित कार्य-योजना तैयार करना; पारदर्शी तरीका अपनाया जाना तथा पणधारकों को लक्ष्य बनाना; प्रत्यक्ष कर संहिता का त्वरित कार्यान्वयन; अवांछित कर छूटों/कटौतियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना; कर संग्रहण के हस्तक्षेपरहित, लेकिन व्यापक पहुंच से संबंधित तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना; कर अपवंचकों के साथ सख्ती से निपटा जाना; कर्मचारियों की संख्या में उपयुक्त वृद्धि; प्रतिदाय दावों के निपटान के लिए विशेष प्रकोष्ठ का सृजन; जोखिमपूर्ण आकलनों से बचा जाना; ट्रिब्यूनलों, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय आदि में सिद्ध विशेषज्ञता वाले विशेष सलाहकारों की सेवाएं लिया जाना।

नवासीवां प्रतिवेदन : रक्षा संपदा प्रबंधन

समिति ने 'रक्षा संपदा प्रबंधन' में विभिन्न कमियों की जांच की, नामत: भूमि मानकों का प्रयोग किए जाने में कमी वास्तविक भूमि धारिताओं के रिकॉर्डों में अंतर; रक्षा भूमि का दाखिल-खारिज; अर्जित भूमि का उपयोग न करना, अल्प उपयोग किया जाना; भूमि का वाणिज्यिक उपयोग; रक्षा भूमि का अतिक्रमण, गोल्फ तथा अन्य कार्यकलापों के लिए रक्षा भूमि का अप्राधिकृत उपयोग; स्कूलों के लिए रक्षा भूमि का उपयोग; पार्कों और क्लबों के लिए रक्षा भूमि का अप्राधिकृत उपयोग; पट्टों के प्रबंध की खराब स्थिति; पट्टों के नवीकरण में विलंब के मामले; तथा ओल्ड ग्रांट साइटों के प्रबंध में अनियमितताएं। सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षण तथा भावी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता को समझते हुए समिति यह सिफारिश करती है कि बलों द्वारा भूमि की आवश्यकता के पूरे मुद्दे पर इसकी संपूर्णता में पुनर्विचार किया जाए ताकि बलों द्वारा भूमि का इष्टतम उपयोग किया जा सके तथा इस प्रकार पहचान की गई अधिशेष भूमि को सशस्त्र बलों के आवास तथा अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के लिए अलग रखा जा सके। समिति ने वास्तविक भूमि धारिताओं के रिकॉर्डों में बड़े पैमाने पर विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित समयावधि के भीतर सभी रक्षा भूमियों का व्यापक सर्वेक्षण करने, रक्षा भूमि के दाखिल-खारिज में तेजी लाने, रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) द्वारा भूमि लेखापरीक्षा खत्म किए जाने को ध्यान में रखते हुए नियमित वार्षिक भूमि लेखापरीक्षा आयोजित किए जाने तथा इसके परिणामों को मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाए जाने, रक्षा भूमि के निरंतर अतिक्रमण को ध्यान में रखते हुए रक्षा भूमियों के प्रबंध तथा सुरक्षा के लिए एकल एकीकृत प्राधिकरण का सृजन किए जाने, रक्षा भूमि के पट्टे से संबंधित पहलुओं तथा कमियों के समाधान के लिए नीति का निर्माण करने आदि की सिफारिश की है।

इक्यानवेवां प्रतिवेदन : आदर्श को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, मुम्बई

समिति द्वारा विषय की जांच से यह सामने आया कि किस प्रकार महत्वपूर्ण पदों पर आसीन चुनिन्दा अधिकारियों के एक समूह ने निजी लाभ के लिए सोसायटी को भूमि के आबंटन से लेकर सेना से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने, महाराष्ट्र सरकार द्वारा विभिन्न रियायतें प्रदान किए जाने, बृहन्मुम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बेस्ट) से समीपवर्ती भूमि के विकास अधिकारों के अंतरण तथा तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) में आवासीय विकास हेतु स्वीकृति के लिए 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी)' प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया में नियमों तथा विनियमों को तोड़ा, तथ्यों को छिपाया तथा सैनिकों तथा युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं एवं बच्चों के कल्याण का छल किया। संसदीय प्रश्न का उत्तर देते हुए रक्षा मंत्री ने यह कहा था कि जांच के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यह पाया कि क्लियरेंस प्रदान किए जाने से संबंधित पर्यावरण और वन मंत्रालय की फाइल नहीं मिल रही थी। समिति ने रक्षा मंत्रालय से अन्य बातों के साथ-साथ संपत्तियों का स्वामित्व प्राप्त नहीं किए जाने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है और यह सिफारिश की है कि सीबीआई को अपनी जांच में तेजी लानी चाहिए; गंभीर चूकों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाए; बताए गए दिशा-निर्देश के अनुसार सोसायटी की सदस्यता की सूची तैयार की जानी चाहिए जिसमें सदस्यता तथा क्लियरेंस सांठ-गांठ को दर्शाया जाना चाहिए तथा इसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए; महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वयं गठित की गई जांच पर उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए; पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण में उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए जो अपने क्षेत्राधिकार में गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघनों का पता लगाने में विफल रहे।

तिरानवेवां प्रतिवेदन : भारत में नागर विमानन का कार्यनिष्पादन

अपने 93वें प्रतिवेदन में समिति ने विभिन्न खामियों यथा मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएम) तथा आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृत बल्क खरीद समझौते के बारे में दीर्घावधिक संदर्शी योजना का न होना; 220.71 करोड़ रुपए का ब्याज बोझ तथा एक विदेशी बैंक द्वारा ऋण वित्तपोषण जिससे बचा जा सकता था; बैंचमार्किंग की कमी तथा दोषपूर्ण मान्यताएं; अनुबंध के मुताबिक परिसमाप्त क्षतियों का दावा किए जाने में विफलता; बाजार हिस्सा तथा विमान बेड़े के बारे में दोषपूर्ण मान्यता आदि के बारे में बताया है। समिति ने यह सिफारिश की थी कि एकीकरण संबंधी धर्माधिकारी समिति रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए तथा एअर इंडिया (एआई), एवं इंडियन एयरलाइंस (आईए) के वास्तविक विलय एवं एकीकरण की स्थिति सहित कार्यान्वयन स्थिति को संसद के समक्ष रखा जाए, सही मूल्य निर्धारित करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना तथा वैश्विक एयर ट्रैफिक परिदृश्य का समुचित आकलन किया जाए; कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के बीच पारस्परिक सद्भावपूर्ण संबंधों तथा एआई के प्रभावी कार्यक्रम के हित में संपूर्ण विलय तथा समेकन किया जाए; विदेशी एयरलाइनों तथा राष्ट्रीय कैरियर के बीच संतुलन तथा हितों

को पारस्परिक करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएं तथा एयर इंडिया में इक्विटी निवेश में शीघ्रता लायी जाए।

छियानवेवां प्रतिवेदन : वित्त मंत्रालय द्वारा संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन :– संसदीय अनुमोदन के बिना करों के प्रतिदायों के ब्याज पर उपगत व्यय

समिति ने अपने 96वें प्रतिवेदन में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा संसदीय अनुमोदन के बिना आयकर प्रतिदायों पर ब्याज के भुगतान हेतु भारत की संचित निधि में से धन की निकासी को अस्वीकार किया था। मंत्रालय ने अनुच्छेद 226 तथा 114 का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2006-07 से 2010-11 के बीच 37,365 करोड़ रुपए का संवितरण किया था। विद्वान महान्यायवादी की यह राय थी कि इस प्रकार के अप्राधिकृत आहरण से संविधान का उल्लंघन होता है, जैसा कि सी एंड एजी द्वारा इंगित किया गया था, भी समिति की सिफारिश का आधार बना था। विद्वान महान्यायवादी ने समिति के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया था कि संसदीय स्वीकृति के बिना भारत की समेकित निधि से कोई आहरण नहीं किया जा सकता है तथा वित्तीय मामलों में लोक लेखा समिति द्वारा सही प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी तथा प्रशासनिक कठिनाई संविधान के उल्लंघन के लिए आधार नहीं हो सकता है। संवैधानिक उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए वि त्त मंत्रालय को प्रोत्साहित करते हुए समिति ने उसे हड़बड़ी में कोई ऐसा कार्य करने से बचने के लिए सतर्क किया जिससे कि राजकोष पर किसी प्रकार से संसद के नियंत्रण की गलत व्याख्या की जाती हो, उसके नियंत्रण को कम करता हो अथवा उसे अस्वीकार करता हो।

राजस्व विभाग द्वारा संवैधानिक उपबंध का तथा सरकार के अन्य विभागों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए आयकर अधिनियम की व्याख्या अलग तरीके से और एकल आधार पर किए जाने को नोट करते हुए समिति ने मंत्रालय की कड़ी निंदा की। विद्वान महान्यायवादी के लिखित साक्ष्य तथा बाद में समिति के समक्ष साक्ष्य, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि अनुच्छेद 114 सर्वोच्च है तथा विभाग को लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, के संबंध में समिति का यह दृष्टिकोण है कि राजस्व विभाग के पास कर प्रतिदायों पर ब्याज भुगतान के लिए आरंभ में अथवा कार्योत्तर संसदीय स्वीकृति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि संविधान में भारत की समेकित निधि से व्यय का प्राधिकरण किए जाने के तरीके अथवा धनराशि के आहरण के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं है, समिति यह सिफारिश करती है कि संविधान के अनुच्छेद 114 तथा 115(1)(क) के अंतर्गत संसद की कार्य पूर्व स्वीकृति अथवा अनुच्छेद 115(1)(क) के अंतर्गत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

3

प्राक्कलन समिति*

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद द्वारा पारित कानून के प्राधिकार के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि निकाली व खर्च नहीं की जा सकती। धनबल केवल संसद के पास ही है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अनुदानों की मांगों के रूप में और यदि आवश्यक हुआ तो बाद में वर्ष के दौरान अनुदानों की पूरक मांगों के माध्यम से भारत की संचित निधि में से व्यय के सरकारी प्रस्तावों को लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। संसद द्वारा कानून पारित करके धन निकालने व खर्च करने के लिए सरकार को प्राधिकृत करने से पहले इन प्रस्तावों पर लोक सभा में चर्चा होती है और इन्हें स्वीकृत किया जाता है।

लोक व्यय पर संसदीय नियंत्रण, देश का प्रशासन चलाने के लिए सरकार द्वारा अपेक्षित धनराशि स्वीकृत करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि यह धनराशि विवेकपूर्ण तरीके से संसद द्वारा स्वीकृत योजनाओं और कार्यक्रमों पर व्यय की जाए और इनमें निहित उद्देश्यों को पूरी तरह प्राप्त किया जाए। हालांकि स्वीकृति से पहले लोक सभा में अनुदानों की मांगों पर काफी समय तक चर्चा की जाती है किन्तु राष्ट्र के कार्यकलापों के विस्तार और जटिलताओं के कारण एक निकाय के रूप में संसद के लिए सरकार के असंख्य व्यय प्रस्तावों व कार्यकलापों की सूक्ष्म व प्रभावी जांच लगभग असंभव है। वास्तव में इसके पास न तो इतना समय है कि यह अनुदान मांगों में सम्मिलित बहुत अधिक संख्या में मदों व सरकार की उपलब्धियों के दावों की सम्यक् जांच कर सके और न ही अपने आकार और प्रक्रिया के कारण यह इस कार्य के लिए उपयुक्त है। इसलिए सभा में प्रस्तुत प्राक्कलनों की गहराई से जांच करने और सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों तथा इस क्षेत्र में उसके निष्पादन की विश्लेषणात्मक जानकारी देने के लिए एक संसदीय प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई। यह आवश्यकता पूरी करने के लिए लोक सभा ने प्राक्कलन समिति के साथ-साथ दो अन्य समितियां अर्थात् लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति गठित की है। इन तीन वित्तीय समितियों के अलावा विभागों से संबद्ध 24 स्थायी समितियों का भी इस प्रयोजनार्थ गठन किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सरकारी खर्च की व्यापक जांच के लिए प्राक्कलन समिति के गठन का प्रश्न वर्ष 1937 से केन्द्रीय विधानमंडल में बार-बार उठाया गया किन्तु सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1950 में स्वीकार किया गया। लोक व्यय में मितव्ययिता, संगठन में सुधारों, कुशलता या प्रशासनिक सुधारों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आकलनों पर विचार करने के लिए पहली बार 10 अप्रैल, 1950 को समिति का गठन किया गया।

तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष, श्री जी.वी. मावलंकर ने 18 अप्रैल, 1950 को पहली प्राक्कलन समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए संक्षिप्त रूप से समिति के उद्देश्यों, भूमिका तथा कार्य का इस प्रकार विश्लेषण किया:—

- जहां तक संभव हो, अधिकाधिक सदस्यों के साथ न केवल इस प्रकार सहयोग करना तथा प्रशिक्षित करना जिससे प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से चल सके बल्कि उन्हें इस योग्य भी बनाना जिससे वे उन समस्याओं से भी परिचित हो सकें जिनका सरकार को प्रतिदिन सामना करना पड़ता है;
- कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करना जिससे यह दमनकारी व स्वेच्छाचारी न बन सके;
- सरकार की नीतियां को प्रभावित करना; और
- सरकार और सामान्य जनता के बीच एक सेतु का कार्य करना।

श्री मावलंकर के शब्दों में:

"समिति के कार्य विस्तृत और महत्वपूर्ण हैं। जब तक समिति उस योजना, जिसका प्राक्कलन उसके सामने है, के उद्देश्य और उसे क्रियान्वित करने वाली प्रणाली का सूक्ष्म अध्ययन नहीं कर लेती और उसे पूर्णतया समझ नहीं लेती, समिति पूर्णरूपेण और उचित प्रकार से संबंधित प्राक्कलनों की जांच करने और धन, समय और ऊर्जा की मितव्ययिता के संबंध में अपने सुझाव देने में सक्षम नहीं हो पाएगी। समिति द्वारा कुशल जांच, सरकारी तंत्र में इस विश्वास को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करेगी कि कोई ऐसा निकाय भी है जो प्रस्तावित मामलों की जांच-पड़ताल करेगा। यह अपने आप में कार्यपालिका पर एक बड़ा अंकुश है। समिति द्वारा ठीक ढंग से की गई जांच, प्रशासन की सामान्य दक्षता में वृद्धि करेगी। समिति द्वारा की गई जांच भावी अनुमानों और भावी नीतियों के संदर्भ में एक मार्गदर्शक का कार्य करेगी।"

*लोक सभा सचिवालय की प्राक्कलन समिति शाखा के सौजन्य से।

संरचना

प्रारंभ में, प्राक्कलन समिति में 25 सदस्य होते थे जिनका निर्वाचन लोक सभा के सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर किया जाता था। इस निर्वाचन प्रणाली से यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रत्येक प्रमुख राजनीतिक दल और ग्रुप को लोक सभा में उसकी सदस्य संख्या के अनुपात में समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है। 1956 में समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। परम्परागत रूप से बड़े दल समिति के लिए निर्वाचन हेतु आगामी कार्यावधियों के लिए अपने सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करते हैं।

इस समिति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें केवल लोक सभा के सदस्य होते हैं। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत वित्त विधेयकों के संबंध में शक्तियां पूर्णरूप से लोक सभा को प्रदान की गई हैं।

सदस्यता की शर्तें

कोई भी सदस्य मंत्री पद पर नियुक्त होने के पश्चात्, ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहता। लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के अधीन स्थापित एक स्वस्थ परम्परा के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है कि प्राक्कलन समिति का सदस्य चुने जाने के बाद कोई भी सदस्य यदि लोक सभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति की सदस्यता स्वीकार करता है तो वह प्राक्कलन समिति का सदस्य बना नहीं रह सकता। इस तरह के प्रावधान के उद्देश्य समिति को सरकार के किसी भी प्रभाव से मुक्त रखना तथा समिति के ध्यान में आए हुए तथ्यों के आधार पर, किसी भय अथवा पक्षपात के बिना वस्तुनिष्ठ आधार पर निष्कर्षों पर पहुंचने में समिति की सहायता करना है। इससे सरकारी अधिकारियों को अपने मत स्पष्ट रूप से समिति के समक्ष अभिव्यक्त करने के अतिरिक्त, समिति को गैर-राजनीतिक ढंग से कार्य करने में भी सहायता मिलती है।

कार्यकाल

समिति का कार्यकाल 1 मई से आरंभ होकर अगले वर्ष 30 अप्रैल तक 1 वर्ष का होता है। नई लोक सभा के गठन के कारण यदि किसी समिति की नियुक्ति 1 मई के बाद भी होती है, तो भी इसका कार्यकाल 30 अप्रैल को ही समाप्त हो जाता है चाहे इसने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा न किया हो।

सभापति

समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है। अब तक अध्यक्ष द्वारा नियुक्त सभापति या तो सत्तारूढ़ दल से अथवा उसके किसी सहयोगी दल से संबंध रखने वाले रहे हैं। यह परम्परा है कि यदि निवर्तमान समिति का सभापति पुन: समिति के लिए निर्वाचित होता है, तो उसे अध्यक्ष द्वारा अगले कार्यकाल के लिए सभापति के रूप में नियुक्त किया जाता है। समिति का सभापतित्व, श्री एम. अनंतशयनम् आयंगर जो इसके पहले सभापति थे, श्री बलवन्तराय गोपाल जी मेहता, श्री एच.सी. दासप्पा, श्री ए.सी. गुहा, श्री पी. वेंकटसुब्बैया, श्री एम. तिरुमल राव, श्री कमलनाथ तिवारी, श्री आर.के. सिन्हा, श्री भगवत झा आजाद, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, डॉ. बलदेव प्रकाश, श्री एस.बी.पी. पट्टाभि रामाराव, श्री बंसीलाल, श्री चिन्तामणि पाणिग्रही, श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी, श्री आशुतोष लॉ, श्री जसवन्त सिंह, श्री मनोरंजन भक्त, डॉ. कृपासिन्धु भोई, श्री एस.बी. सिदनाल, श्री रूपचन्द पाल, श्री मधुकर सरपोतदर, प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु और श्री सी. कुप्पुसामी तथा श्री फ्रांसिस्को सारदीना* जैसे विख्यात राजनीतिज्ञों द्वारा किया गया है।

कृत्य

प्रतिवर्ष गठित प्राक्कलन समिति ऐसे अनुमानों की परीक्षा करती है। जिन्हें वह ठीक समझे या जो उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाएं। **'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम'** के नियम 310 के अंतर्गत वर्णित प्राक्कलन समिति के कृत्य इस प्रकार हैं:—

"(क) प्राक्कलनों से संबंधित नीति से संगत क्या-क्या मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किये जा सकते हैं—इस संबंध में प्रतिवेदन करना;

(ख) प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना;

(ग) प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं, इसकी जांच करना; और

(घ) प्राक्कलन किस रूप में संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे, इसका सुझाव देना।

परन्तु समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों के संबंध में, जो इन नियमों द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को आबंटित किये गये हों, अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगी।"

अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित निदेशों से उपर्युक्त खंड (क) में उल्लिखित "नीति" शब्द को स्पष्ट किया गया है:—

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 310 के खंड (क) में उल्लिखित "नीति" शब्द केवल

- उन नीतियों के संबंध में है जिन्हें संसद ने संविधियों द्वारा या समय-समय पर विशिष्ट संकल्प पारित करके निर्धारित किया हो।
- समिति को किसी ऐसे मामले की जांच करने का अधिकार होगा जिसका निर्णय सरकार ने अपने कार्यपालिका संबंधी कृत्यों के निर्वहन में नीति के रूप में किया हो।
- नियम 310 के खंड (ख) के संबंध में समिति संसद द्वारा अनुमोदित नीति के विरुद्ध नहीं जाएगी। किन्तु जहां यह बात साक्ष्य द्वारा सिद्ध हो जाए कि किसी विशिष्ट नीति से प्रत्याशित

*श्री सी. कुप्पुसामी तथा श्री फ्रांसिस्को सारदीना क्रमश: चौदहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा की पूरी कार्यावधि के दौरान समिति के सभापति रहे।

या अपेक्षित फल प्राप्त नहीं हो रहे, या उससे अपव्यय हो रहा है, तो समिति का यह कर्तव्य है कि वह सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाए कि नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। समिति का मूल उद्देश्य मितव्ययिता, प्रशासन में कार्यकुशलता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि धन ठीक ढंग से लगाया जाए, किन्तु यदि सावधानी से परीक्षा करने के बाद यह मालूम हो कि किसी नीति विशेष का अनुसरण करने से बड़ी राशियों का अपव्यय हो रहा है, तो समिति त्रुटियों की ओर ध्यान दिला सकेगी और सभा के विचारार्थ नीति में परिवर्तन के लिए कारण बता सकेगी।

दिनांक 1 सितम्बर, 1958 को तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष की समिति के सभापति श्री बी.जी. मेहता के साथ प्राक्कलन समिति द्वारा नीति संबंध मामलों की जांच के विषय क्षेत्र के संबंध में चर्चा हुई थी। जांच के विषय-क्षेत्र के संबंध में सभापति ने जो कहा और जिससे अध्यक्ष महोदय सहमत थे, वह इस प्रकार है:—

''माननीय अध्यक्ष के साथ हुई चर्चा के दौरान मैं समिति द्वारा नीतिगत मामलों पर विचार किये जाने के संबंध में सोचता रहा कि समिति को मितव्ययिता, कार्यकुशलता, एकरूपता, बेहतर कार्य-निष्पादन, लोगों की आवश्यकताओं की अधिकाधिक पूर्ति तथा लोगों के धन, जिसकी अभिरक्षक संसद एवं उसकी समिति—प्राक्कलन समिति है, के सर्वोत्तम प्रयोग आदि से संबंधित नीतिगत मामलों पर विचार करना होगा। मैं मानता हूं कि प्राक्कलन समिति किसी नीतिगत मामलों पर अपनी ओर से विचार नहीं कर सकती क्योंकि इसमें गुण-दोष के आधार पर परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। इस विचारण का संबंध मेरे द्वारा ऊपर बताए गए विभिन्न बिन्दुओं से होना चाहिए। उन पर विचार किए बिना ऐसे मामलों पर विचार नहीं किया जा सकता। किन्तु उपर्युक्त आधारों से संबंधित नीतिगत मामलों के महत्व को अस्वीकार करना न तो वांछनीय होगा और न ही व्यवहार्य।"

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि प्राक्कलन समिति का कार्य केवल "प्राक्कलनों" की जांच तक ही सीमित नहीं है। इसका विषय क्षेत्र काफी व्यापक है और यह किसी संगठन और भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग या इसके अधीनस्थ कार्यालय और निकाय के कार्यकरण, जो कि विशिष्ट रूप से प्रक्रिया संबंधी नियमों से बहिष्कृत नहीं है, के किसी भी पहलू की जांच कर सकती है। समिति केन्द्र सरकार के अधीन चल रही ऐसी किसी भी योजना, परियोजना या किसी अन्य कार्यकलाप, जिस पर खर्च भारत की संचित निधि में से किया जा रहा हो, के बारे में जांच कर सकती है। तथापि, समिति प्राक्कलनों से संबंधित विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं करती और न ही प्राक्कलनों के प्रतिपादन और लोक सभा में उनके प्रस्तुतीकरण से पूर्व अंतिम रूप दिये जाने में उसका कोई योगदान होता है। यद्यपि समिति अनुदानों की मांगों को अंतिम रूप से स्वीकृत* होने से पूर्व लोक सभा में प्रस्तुत "बजट प्राक्कलनों" की जांच कर सकती है, तथापि व्यावहारिक तौर पर समिति की पूछताछ व्यवहार में, विस्तृत जांच के लिए गए विषयों तक ही सीमित रहती है जो कि स्वाभाविक रूप से एक लम्बी प्रक्रिया है। इसलिए बजट का पास होना समिति के कार्य का पूरा होने पर निर्भर नहीं करता।

प्रक्रिया-नियमों के अंतर्गत प्राक्कलन समिति को अपने कार्यकरण का विनियमन करने के लिए विस्तृत नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस शक्ति का प्रयोग करके समिति ने अपने आंतरिक कार्यकरण के लिए प्रक्रियागत नियमों की रचना की है। समिति के विगत 64 वर्षों के कामकाज के दौरान विकसित की गई उन प्रक्रियाओं ने उसे भारत सरकार के विभिन्न पक्षों के कार्यकरण की जांच करने वाला एक प्रभावी निकाय बना दिया है।

सरकार की गतिविधियां इतनी व्यापक और विस्तृत हो चुकी हैं तथा इनमें व्यय भी इतने बड़े पैमाने पर होता है कि समिति सीमित समय तथा संसाधन की बाध्यतावश अपने एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान केवल कुछ विषयों की ही विस्तृत जांच कर सकती है।

विषयों का चयन

प्रतिवर्ष समिति के गठन के तुरंत बाद समिति की पहली बैठक होती है जिसमें वर्षभर के लिए समिति द्वारा जांच किये जाने वाले विषयों का चयन किया जाता है। विषयों का चयन सभापति एवं सदस्यों द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों के आधार पर किया जाता है। समिति का सदा यह प्रयास रहता है कि ऐसे विषयों का चयन किया जाए तो लोक महत्व के हों या जिनमें सामान्य जनता की विशेष रुचि हो या प्रासंगिक हों।

सभा/अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गए विषय

समिति द्वारा जांच के लिए चयनित विषयों के अतिरिक्त समय-समय पर सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा लोक महत्व के तदर्थ विषय भी समिति को जांच के लिए सौंपे जा सकते हैं। ऐसे विषय सदन में अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों के माध्यम से अथवा समिति के सभापति को अध्यक्ष द्वारा पत्र के रूप में भेजे जा सकते हैं।

उप-समितियों/अध्ययन दलों का गठन

समिति के गठन के पश्चात् शीघ्र ही विशिष्ट विषयों की विस्तृत जांच के लिए तथा समिति के पिछले प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाहियों की जांच करने और प्रक्रिया संबंधी और आम मामलों के संबंध में समिति एक या एक से अधिक उप-समितियों/अध्ययन दलों की नियुक्ति कर सकती है। उप-समितियों/अध्ययन दलों की नियुक्ति समिति के सभापति द्वारा अन्य सदस्यों की सहमति से की जाती है। अध्ययन दल नियुक्त करने की यह प्रणाली सदस्यों को उनके रुझान के अनुसार विषयों का गहन अध्ययन करने में समर्थ बनाती है तथा उन्हें विषय विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान समिति के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा प्रस्तुत की-गई-कार्यवाही उत्तरों की जांच के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया था।

*तथापि, 8 अप्रैल, 1993 से विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के गठन के बाद यह कार्य इन समितियों द्वारा ही किया जा रहा है।

सामग्री एकत्र करना

समिति को "व्यक्तियों को बुलाने, पत्र एवं रिकॉर्ड मांगने" के अधिकार प्राप्त हैं। सामग्री और सूचना एकत्र करने की समिति की एक विस्तृत प्रणाली है और यह केवल सरकार से ही नहीं बल्कि गैर-सरकारी संगठनों, संस्थाओं या जांचाधीन विषय से संबंधित विशेषज्ञों से भी सूचना एकत्र करती है। ऐसा संबंधित संस्थाओं को जारी प्रश्नावली के जवाबों की प्राप्ति के द्वारा किया जाता है तथा उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे समिति के विचार हेतु विशिष्ट सुझाव भेजें।

समिति द्वारा जांच के लिए विषयों का चयन कर लेने के पश्चात् संबंधित मंत्रालयों/विभागों को निश्चित समय के भीतर प्रारंभिक सामग्री भेजने को कहा जाता है। इसके लिए प्रत्येक विषय पर एक प्रश्नावली तैयार कर संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेजी जाती है। प्रारंभिक सामग्री को देखने के पश्चात् सदस्य उन मुद्दों का उल्लेख कर सकते हैं जिस पर और अधिक जानकारी की आवश्यकता है। प्रारंभिक सामग्री के अध्ययन के परिणामस्वरूप उभरने वाले सभी महत्वपूर्ण मुद्दों तथा सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को शामिल करते हुए इस विषय पर अन्य सामग्री, आदि को एक प्रश्नावली के रूप में समेकित किया जाता है। समिति के सभापति द्वारा स्वीकृत होने पर उस प्रश्नावली को संबंधित मंत्रालय/विभाग को लिखित जवाब के लिए भेजा जाता है। समिति ने अपनी जांच के लिए चुने गए विषय पर, गैर-सरकारी संगठनों, इच्छुक पार्टियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जिन्होंने उस विषय पर विशेषज्ञता या जानकारी हासिल की हुई है, से ज्ञापन मंगवाने के लिए एक प्रणाली विकसित की है जिससे कि उसे लाभ प्राप्त हो सकता है तथा उसकी जांच में काम आ सकता है। समिति, यदि आवश्यक समझे तो वह चुनिंदा गैर-सरकारी संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों को मौखिक साक्ष्य के लिए भी बुला सकती है।

अध्ययन दौरे

समिति जांचाधीन विषय से जुड़े विभिन्न संस्थानों और प्रतिष्ठानों के तत्स्थानिक अध्ययन के लिए अध्ययन दौरे/यात्राएं करती है तथा यात्रा स्थल पर स्थित संबंधित सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत करती है। आमतौर पर दौरों के दौरान समितियां दो अध्ययन दलों में बंट जाती हैं। प्रत्येक दौरा अध्यक्ष की विशिष्ट स्वीकृति के बाद ही किया जाता है। 18 मई, 2005 से प्रभावी संशोधित मार्गनिदेशों के अनुसार, अध्ययन दौरा, सामान्यतया पांच कार्यदिवसों से अधिक का नहीं होता है। दौरे के दिनों की संख्या साल में कुल मिलाकर 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान समिति ने आठ अध्ययन दौरे किए जिनमें प्रत्येक दौरे की अवधि 5 दिनों की थी। इन अध्ययन दौरों के दौरान प्राप्त की गई जानकारियां तथा स्थानीय अधिकारियों के साथ की गई अनौपचारिक चर्चाएं समिति के लिए काफी लाभदायक होती हैं। इस तरह के दौरों से सदस्यों को संबंधित संगठन की कार्य-प्रणाली को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है। यह उनकी जानकारी तथा अनुभव को बढ़ाता है तथा समिति द्वारा विषय की जांच के दौरान, सदस्यों को काफी बेहतर, वस्तुगत तथा विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करने में मदद करता है।

मौखिक साक्ष्य

विचाराधीन विषयों से संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, आमतौर पर मंत्रालयों के सचिवों/विभागाध्यक्षों को समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है। मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य प्रश्नावलियों पर आधारित होते हैं जो कि सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों से तथा अध्ययन दौरों के दौरान प्राप्त सामग्री व जानकारी के गहन अध्ययन के पश्चात् पहले ही तैयार की गई होती हैं। कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनके बारे में हो सकता है कि साक्षी अपने साक्ष्य के दौरान समिति को जानकारी देने में असमर्थ हों। इस तरह के मामलों में समिति के सभापति साक्षी को बाद में लिखित जवाब देने की अनुमति दे सकते हैं। आकलनों की जांच के संबंध में मंत्री को साक्ष्य अथवा विचार-विमर्श के लिए समिति के समक्ष नहीं बुलाया जाता। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान समिति द्वारा बुलाई गई 116 बैठकों में से 90 बैठकों में या तो मौखिक सक्ष्य लिये गये या मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को संक्षिप्त रूप से सुना गया।

रक्षा मंत्रालय से संबंधित प्राक्कलनों की जांच

रक्षा मंत्रालय के प्राक्कलनों की जांच के लिए एक अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई है। रक्षा मंत्रालय से संबंधित प्राक्कलनों की जांच का कार्य समिति की किसी उप-समिति को सौंपा जाता है। रक्षा संबंधी उप-समिति के पास वे सभी शक्तियां होती हैं जो अविभक्त समिति को प्राप्त हैं और इनमें से उल्लेखनीय शक्तियों में मौखिक साक्ष्य लेने और प्रतिवेदन तैयार करने की शक्तियां शामिल हैं। उप-समिति द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदनों को पूर्ण समिति का अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर उन्हें पूर्ण समिति के प्रतिवेदन के समतुल्य ही माना जाता है।

प्रारूप प्रतिवेदन

सरकार के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य समाप्त होने के बाद तथा सरकार द्वारा साक्ष्य के दौरान जो जानकारी उपलब्ध कराने का वायदा किया गया हो, के प्राप्त होने के बाद, उस विषय पर समिति के प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार किया जाता है। प्रारूप प्रतिवेदनों को अध्यायों में बांटा जाता है और अध्यायों को खंडों में तथा प्रत्येक खंड संबंधित मामलों से जुड़ा होता है। सामान्यत: प्रतिवेदन वर्णनात्मक होता है जो कि समिति के समक्ष सामग्री और दिये गये साक्ष्य का सार होता है और उसके बाद समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें होती हैं।

प्रारूप प्रतिवेदन, सभापति द्वारा स्वीकृत होने के बाद समिति के समक्ष विचार तथा स्वीकृति के लिए रखा जाता है। समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों के बिना, प्रारूप प्रतिवेदन की एक प्रति को संबंधित मंत्रालय को तथ्यात्मक जांच के लिए भेजा जाता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्रतिवेदन में दिए गए तथ्य बिल्कुल सही और अद्यतन हैं। संबंधित मंत्रालय द्वारा तथ्यात्मक जांच के पश्चात् सभापति द्वारा प्रतिवेदन को लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद, सचिवालय द्वारा, एक प्रेस विज्ञाप्ति, जिसमें प्रतिवेदन में की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें होती हैं, जारी की जाती हैं।

की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन

प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के बाद उसकी एक प्रति संबंधित मंत्रालय को, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु भेजी जाती है। मंत्रालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तर छह माह के भीतर भेज दें। की-गई-कार्यवाही संबंधी उत्तर प्राप्त हो जाने पर समिति उनकी जांच करती है तथा सरकार द्वारा भेजे गए "की-गई-कार्यवाही संबंधी उत्तरों" के बारे में समिति के विचार और सिफारिशों का ब्यौरा देने वाला एक प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद इसकी एक प्रति संबंधित मंत्रालय को भी भेजी जाती है ताकि वह यथाशीघ्र अर्थात् प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से छह माह की अवधि में प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर उनके द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में अंतिम उत्तर भेजें।

की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरणों को सभा पटल पर रखना

की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सरकार द्वारा भेजे गये विवरणों की जांच करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्तर सभी दृष्टि से पूर्ण हैं। की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही संबंधी विवरण सभापति के अनुमोदन के बाद बिना किसी अन्य टिप्पणी के सभा पटल पर रखे जाते हैं। इसके साथ ही समिति द्वारा विषय विशेष की जांच पूरी हो जाती है।

विचार-विमर्श में सहमति-जन्य दृष्टिकोण

समिति के विचार-विमर्श के दौरान सदस्यों में सामंजस्यता की भावना बनी रहती है तथा समिति के समक्ष रखे जाने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में भिन्न-भिन्न विचारधाराओं और अलग-अलग राय को मिलाकर अधिकाधिक सहमति तैयार की जाती है।

इस समिति के कार्यकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके निर्णय सदैव वस्तुपरक, विवेकपूर्ण और सर्वसम्मति से लिये गये होते हैं तथा इसके विचार-विमर्श में दलगत भावनाओं को बाधक नहीं बनने दिया जाता। संसदीय प्रणाली के मूल्यों को कायम रखने के लिए समिति एक दल की भांति मिल-जुल कर काम करती है ताकि कार्यपालिका संसद के प्रति अधिक जवाबदेह बन सके।

समिति के प्रतिवेदनों की सबके अनुमोदन से स्वीकृत किया जाता है। समिति के प्रतिवेदनों के साथ विमत टिप्पण संलग्न किये जाने की प्रथा नहीं है। समिति के प्रतिवेदनों में परिलक्षित होने वाली वस्तुपरकता तथा इसकी सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में सदस्यों की सर्वसम्मति के कारण ही मुख्यतया समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों को सरकार द्वारा महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि समिति की अधिकांश सिफारिशें सरकार द्वारा सहज स्वीकार कर ली जाती हैं।

सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण

विषयों की जांच करते समय समिति का दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक होता है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय समिति कार्यपालिका के निकट सहयोग से कार्य करती है। इसका उद्देश्य संसद की इच्छा को लागू करना है। समिति व्यवस्थात्मक कमियों, परियोजनाओं/योजनाओं के अक्षमतापूर्ण क्रियान्वयन और धन के पूरे मूल्य की वसूली किये बिना किये गये व्यय की तरफ ध्यान दिलाते हुए, सरकारी विभागों/संगठनों की कार्य-पद्धति में सुधार लाने के लिए उपाय भी सुझाती है। समिति सामान्यतया योजना-परियोजनाओं और नीतियों के मितव्ययी और कुशल कार्यान्वयन के लिए संशोधनात्मक उपायों और प्रक्रिया संबंधी सुधारों में अधिक दिलचस्पी लेती है।

अपने 64 वर्षों के कार्यकाल में समिति ने निर्भय और रचनात्मक होने की अपनी हितकारी छवि बनाई है। समिति का विभिन्न सरकारी विभागों की कार्य-प्रणाली का मूल्यांकन विषयपरक और निष्पक्ष रहा है। इसकी सरकारी व्यय के ऊपर निगरानी, समयोचित प्रतिवेदनों की प्रस्तुति और वर्तमान पद्धति और नीतियों की कमियों को दूर करने के लिए दिये गये रचनात्मक सुझावों के परिणामस्वरूप भारत सरकार के काम-काज और व्यवस्था प्रबंध में सुधार आया है। समिति ने सरकार और संसद के बीच विचार-विमर्श का मंच प्रदान किया है और सूचना को सरकार से संसद तक और अंततः लोगों तक पहुंचाने का अवसर भी प्रदान किया है। प्रशासन से आदर और लोगों से विश्वास प्राप्त करने के लिए समिति ने अपनी भूमिका निश्चित रूप से उत्साहपूर्ण, निष्पक्षता और न्याय करने की भावना से निभाई है।

प्रतिवेदन

अपनी स्थापना से लेकर पन्द्रहवीं लोक सभा तक, समिति 993 प्रतिवेदन (मूल तथा की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन) प्रस्तुत कर चुकी है जिसमें भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लगभग सभी कार्यकलाप शामिल किए गए हैं। समिति ने लोक सभा के दौरान 36 प्रतिवेदन (19 मूल तथा 17 की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन) संसद में प्रस्तुत किये।

15वीं लोक सभा के दौरान समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नवत् हैं:-

- **सूखा प्रबंधन, खाद्यान्न उत्पादन और मूल्य स्थिति संबंधी पहला प्रतिवेदन**

  (एक) यह नोट करके कि भारतीय मौसम विभाग की गलत भविष्यवाणी के कारण सरकार खाद्यान्नों का पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम कदम नहीं उठा सकी, समिति ने यह सिफारिश की कि मानसून के रुख की सही भविष्यवाणी के लिए भारतीय मौसम विभाग आवश्यक कदम उठाए और जहां आवश्यक हो, मौसम की भविष्यवाणी के शीघ्र प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित उपग्रहों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन समयबद्ध तरीके से किया जाए।

(दो) इस बात पर जोर देते हुए कि छोटे और सीमांत किसानों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए, समिति ने यह सिफारिश की कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) हमेशा खेती की लागत से 50 प्रतिशत अधिक मूल्य पर शुरू होना चाहिए (सी2+50%) इसके अतिरिक्त, खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति निजी मिल मालिकों पर छोड़ने के बजाए मंत्रालय को भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित, अधिप्राप्ति शिविरों/केंद्रों की स्थापना के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि किसानों में जागरूकता लाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और अधिप्राप्ति केन्द्रों के बारे में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

- **खेलों—नीति, अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधाओं संबंधी सातवां प्रतिवेदन**

(एक) यह देखते हुए कि देश में गांवों और ब्लॉक पंचायतों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) एक महत्वाकांक्षी योजना है, समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को यहां तक कि गांव में भी मूलभूत खेल सुविधा मुहैया कराने के लिए लागत संबंधी घटक का अध्ययन करना चाहिए और उसी के अनुसार योजना में परिवर्तन करना चाहिए। समिति ने यह भी मत व्यक्त किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) के साथ जोड़ देना चाहिए और खेल मंत्रालय से आग्रह किया कि वह इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्रालय से परामर्श करे और आवश्यक कार्रवाई करे।

(दो) यह नोट करते हुए कि मौजूदा क्रीड़ा स्थलों का इष्टतम उपयोग नहीं हो रहा है, समिति ने यह सिफारिश की कि एक स्टेडियम का पूरी तरह से एक खेल के लिए ही उपयोग करने के बजाए, इसका कई खेलों के लिए इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए। समिति ने इस बात पर भी बल दिया कि मंत्रालय को भूमि की कमी के मद्देनज़र बहुउद्देशीय स्टेडियमों के निर्माण की नीति अपनानी चाहिए।

- **भारतीय पत्तन-अवसंरचना विकास तथा क्षमता संवर्द्धन संबंधी नौवां प्रतिवेदन**

(एक) समिति ने यह नोट किया था कि प्रमुख पत्तनों में अवसंरचना विकास और क्षमता संवर्द्धन की कई परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण ही विलम्ब/आस्थगन हो रहा है बल्कि कुछ मामलों में तो यह ऐसी जटिल प्रक्रिया हो जाती है जो मुकदमेबाजी तक पहुंच जाती है। समिति ने सलाह दी थी कि मंत्रालय को भूमि अधिग्रहण शुरू करने से पूर्व एक स्थानीय समिति गठित करनी चाहिये जिसमें जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचित प्रतिनिधि/राज्य सरकार/मंत्रालय के अधिकारी हों और जो विस्थापन/पुनर्वास/मुआवजे संबंधी मामलों के कारण उत्पन्न होने वाली शिकायतों की जांच करें और सरज़मी के कानून के दायरे के भीतर इन मसलों को निबटाने का प्रयास करे।

- **स्वर्णिम चतुर्भुज के कार्यान्वयन सहित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन**

(एक) चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भारी पूंजी वाली होती हैं, इसलिए समिति का यह मत था कि इस अवसंरचना क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप वांछित ही नहीं, बल्कि तीव्र पूंजी-प्रवाह और संसाधनों को जुटाने के लिए भी अपरिहार्य है। इसलिए, समिति ने यह सुझाव दिया था कि आज के माहौल में जब अर्थव्यवस्था मंदी से उभर रही है तो विशेषीकृत अवसंरचना संबंधी वित्तपोषण हेतु संस्थागत तंत्र मुहैया करने के लिए बैक-एंडिड रिपेमेंट स्ट्रक्चर वाले दीर्घकालिक मसलों को उच्च स्तर पर उठाना अनिवार्य है।

(दो) समिति ने यह माना था कि बिल्ट, ऑपरेट, ट्रांसफर डिलीवरी का तरीका एक बाजार आधारित संदाय तंत्र होने के नाते, इससे उन क्षेत्रों का तो स्थानीय विकास हो जाता है जो पहले से ही विकसित हैं, लेकिन अल्पविकसित क्षेत्र जिनकी अनदेखी की जा रही हो, को बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है और इसी के कारण अंतर और भी बढ़ जाते हैं। इसलिए, समिति ने यह सिफारिश की थी कि उन परियोजनाओं को बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए जिनकी ओर अब तक निजी निवेशक आकृष्ट नहीं हुए हैं और मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर उनके लिए वैकल्पिक कार्य नीतियां निरूपित करनी चाहिएं, संदाय का अभियांत्रिकी अधिप्राप्ति निर्माण संविदा का तरीका इसके लिए एक अच्छे तरीकों में से एक हो सकता है।

(तीन) समिति ने महसूस किया है कि स्थायी रूप से प्र:शुल्क/पथकर का संग्रहण संबंधी प्रावधान मूलत: गलत है और इसलिए प्राप्त अनुभव के आलोक में इसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। समिति इष्टतम रियायत अवधि, जिसके अंतर्गत रियायत प्राप्तकर्ता उपमुक्त प्रतिफल के अर्जन के अलावा परियोजना की लागत और अन्य संबंधित खर्चों की वसूली कर सकेगा, को निर्धारित करने वाली आंतरिक प्रतिफल दर के मानदंड को इंगित करने वाले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्तीय मॉडल से भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए, समिति ने यह सुझाव दिया है कि मंत्रालय पथकर वसूली संबंधी नियम और विनियमों की समीक्षा करे जिससे कि कदाचार और झूठे तथा बेईमान लोग अंधाधुंध मुनाफाखोरी न करें और जनता परेशान न हो।

- **नागर विमानन का विकास और विनियमन संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन**

(एक) घरेलू विमान यात्रा के किराये में अनुचित ढंग से बार-बार और अचानक वृद्धि के मामलों को देखते हुए समिति ने यह सिफारिश की थी कि नागर विमानन महानिदेशालय और नवगठित नागर विमानन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण परिषद् को विभिन्न विमान कंपनियों की ऐसी अनावश्यक संलिप्तता को रोकने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए और यात्रियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि विभिन्न अनुसूचित विमान कंपनियों द्वारा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

(दो) विमानन उद्योग की वर्तमान कर व्यवस्था पर विशेषकर हवाई टर्बाइन ईंधन पर लगाए जाने वाले भारी बिक्रीकर जो कि काफी समय से विमानन क्षेत्र की वृद्धि को प्रतिकूलत: प्रभावित करता रहा है, पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, समिति ने यह कहा था कि नागर विमानन मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए और कर व्यवस्था को इतना सरल बनाने के लिए कार्य करना चाहिए जिसका नागर विमानन क्षेत्र के लिए होना आवश्यक है।

- **मोबाइल टेलीफोनी में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं की भूमिका और कार्य-प्रणाली संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन**

(एक) समिति ने यह नोट किया था कि यद्यपि गत दशक में दूरसंचार क्षेत्र में शानदार विकास हुआ है तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की समग्र प्रकृति बिल्कुल भी आनुपातिक नहीं रही है। यह पाकर कि दिसम्बर, 2011 के अंत तक ग्रामीण टेलीफोनी में 315.49 मिलियन उपभोक्ता हो गए थे लेकिन यह शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है। इस संबंध में समिति ने इस बात पर बल दिया था कि पर्याप्त ग्रामीण टेलीफोनी की व्यवस्था सरकार का दायित्व है और विभाग को ऐसे सभी उपयुक्त उपाय करने चाहिए जिससे कि शहरी-ग्रामीण अंतर यथाशीघ्र दूर हो।

(दो) समिति ने यह नोट किया था कि यद्यपि सभी टेस्टेड बेस ट्रांसीवर स्टेशनों में विकिरण स्तर विनिर्धारित स्तर की अनुपालना में था, लेकिन कुल स्व-प्रमाणित बीटीएस में से केवल 1.07 प्रतिशत विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए बीटीएस को ही दूरसंचार विभाग के संबंधित दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन तथा निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा जांच की गई। समिति का यह मत था कि टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा विकिरण संबंधी मानदंडों की अनुपालना की जांच की इतनी नगण्य प्रतिशतता से सही स्थिति सामने नहीं आती है और उसने यह भी सिफारिश की थी कि विशेषकर उस समय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की अनुपालना संबंधी मानदंडों की कड़ी जांच होनी चाहिए जब मोबाइल टावरों से पैदा होने वाले इलेक्ट्रोमैगनेटिक फोर्स रेडिएशन के हानिकर प्रभावों के संबंध में कई संगठन अनुसंधान निकायों, हितधारकों और व्यक्ति आदि अपने स्पष्ट विचार व्यक्त कर चुके हों।

(तीन) राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम और दूरसंचार उपकरणों के आयात से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए समिति ने यह सिफारिश की थी कि विभाग को आसूचना संबंधी अमरीका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्थायी प्रवर समिति द्वारा हाल ही में की गई जांच से सबक लेना चाहिए। इस जांच में अमरीका को होने वाले खतरे के स्तर का अनुमान लगाकर अप्राधिकृत इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आंकड़ों और आंकड़ों को दोहराने वाले उपकरणों की खोज जैसे सुरक्षा संबंधी जानकारी के साथ-साथ सेवा प्रदाता के बारे में विदेश में निर्मित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर संबंधी विस्तृत जानकारी मांगी थी। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि विभाग जाली तथा डुप्लीकेट नम्बर तथा सिम कार्ड लेने के कारण व्युत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामलों पर गौर फरमाए ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा दाव पर न लगे।

- **खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण के संबंध में अठारहवां प्रतिवेदन**

(एक) खरीद का गलत प्रबंधन, अपर्याप्त तथा दोषपूर्ण भंडारण तकनीक के कारण खाद्यान्नों की हानि देश के उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम हिस्सों से खरीद में सैचुरेशन, खरीद करने वाले गैर-पारंपरिक राज्यों में खाद्यान्न प्रबंधन हेतु कुशल तंत्र के न होने, योजना कार्यान्वयन के 15 वर्षों के बावजूद कई राज्यों द्वारा डीसीपी (विकेन्द्रीकृत खरीद) को स्वीकृति न दिए जाने, टीपीडीएस (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के संबंध में शिकायतें, कुछ राज्यों में सतर्कता समितियों के न होने/सतर्कता समितियों की अनियमित कार्य-प्रणाली, मध्यवर्ती तथा वास्तविक भंडारण क्षमता के बीच अत्यधिक भंडारण अंतराल के होने तथा भंडारण आदि की दोषपूर्ण तकनीकों आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण मसलों का पता लग जाने पर समिति ने इन सभी पर ध्यान देने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने की मांग की है।

(दो) इस तथ्य पर खेद व्यक्त करते हुए कि अंत्योदय अन्न योजना के आखिरी बार किये गये विस्तार के सात वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी 6 लाख लक्षित एएवाई (अंत्योदय अन्न योजना) परिवारों की पहचान की जानी बाकी है तथा राशन कार्ड जारी किये जाने बाकी हैं, समिति ने यह सुझाव दिया है कि मंत्रालय को अवश्य ही उन राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए जहां लक्षित लाभार्थियों की पहचान का कार्य पूरा नहीं हुआ है और फिर स्थिति रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। समिति ने मंत्रालय से यह भी आग्रह किया है कि वह उसे भारत में गरीब परिवारों के सम्बन्ध में सही आंकड़ों के बारे में बताये।

- **जनजातीय कल्याण योजनाओं संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन**

(एक) समिति ने यह सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति नीति जल्दी बनायी जानी चाहिए तथा जनजातीय आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु विशिष्ट लक्ष्य तथा समय-अवधि निर्धारित की जानी चाहिए।

(दो) समिति का यह विचार था कि जनजातीय कार्य मंत्रालय विगत में हुई विफलताओं से कुछ सीखेगा तथा योजनागत व्यय के उपयोग में कमी को कम करने के मद्देनजर नवीन उपायों के माध्यम से अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करेगा। इसके अतिरिक्त, समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि महालेखानियंत्रक द्वारा शुरू की गई सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम (सीपीएसएमएस) ने निधियों के उपयोग के संबंध में ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने के मद्देनजर शीघ्रता से पूरी तरह कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

- **भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के कार्य-निष्पादन संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन**

(एक) कई वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में साई प्रशिक्षार्थियों द्वारा कम संख्या में मेडल जीतने तथा मेडल संबंधी लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्रणाली के अभाव पर खेद व्यक्त करते हुए समिति ने साई की उपलब्धियों के आकलन तथा समीक्षा की मांग की थी।

(दो) यह देखते हुए कि भारतीय हॉकी दल का लंदन ओलम्पिक, 2012 में खराब प्रदर्शन आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण रहा है कि विद्यमान दो हाकी संघों (फेडरेशनों) में से कोई भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि खेल संघों को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में अच्छे परिणाम लाने के लिये सरकार के प्रति अवश्य ही जवाबदेह बनाया जाना होगा।

- **फसल विविधीकरण संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन**

(एक) समिति ने यह महसूस किया कि खान-पान की बदलती आदतों तथा फलों/सब्जियों की बढ़ती मांग के मद्देनजर बागवानी/फसलों के उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोत्तरी के लिए सतत एवं त्वरित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बागवानी पौधरोपण हेतु आवश्यक कृषि-जलवायु परिस्थितियों वाले पूर्वोत्तर राज्यों तथा उप-हिमालयी उत्तरी राज्यों में अपार संभाव्यता की उचित योजना बनाकर तथा इस दिशा में लक्ष्य निर्धारित करके समुचित दोहन किया जाना चाहिए।

(दो) इस तथ्य को नोट करते हुए कि सब्जियों और फलों हेतु शीतागार क्षमता केवल 0.39 प्रतिशत है जबकि आलू के लिए यह क्षमता 75.36 प्रतिशत है, जिससे इनकी पैदावार के बाद फलों और सब्जियों का भारी नुकसान होता है। समिति ने बल दिया था कि शीतागार क्षमता में इस गंभीर असंतुलन को तत्काल दूर किए जाने की आवश्यकता है।

- **भारत में उच्चतर शिक्षा संबंधी पच्चीसवां प्रतिवेदन**

(एक) उच्च शिक्षा प्रणाली में घटिया किस्म के पाठ्यक्रम, शिक्षण, शिक्षक की गुणवत्ता, अनुसंधान जैसे दोष तो हैं ही, साथ ही उच्च शिक्षा तक छात्रों की पहुंच के संबंध में भी इस प्रणाली में व्यापक क्षेत्रीय असंतुलन को नोट करते हुए समिति ने यह महसूस किया है विशेषकर राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार करके उन्हें क्रमोन्नत किए जाने तथा उनमें गुणवत्ता संबंधी सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

(दो) समिति ने महसूस किया कि भोले-भाले विद्यार्थियों को ठगने वाले गैर-मान्यताप्राप्त 312 निजी संस्थानों पर कड़ी नजर रखे जाने की आवश्यकता है। समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि ऐसे किसी संस्थान के विरुद्ध किसी शिकायत के मामले में एक समयबद्ध जांच की जानी चाहिए और ऐसे संस्थानों के प्रबंधन पर भारी अर्थदंड लगाया जाए।

(तीन) समिति ने चिन्ता के साथ यह नोट करते हुए कि राज्य विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में क्रमश: 40 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत स्वीकृत पद रिक्त पड़े हैं, यह सिफारिश की थी कि अध्यापकों संबंधी राष्ट्रीय मिशन एवं प्रशिक्षण को शीघ्र ही अंतिम रूप देकर इसे कार्यान्वित किया जाए।

- **शिशुओं और माताओं में कुपोषण संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन**

(एक) समिति ने यह नोट किया था कि बच्चों के पोषण को बढ़ाने पर ध्यान दिए बगैर असंख्य आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी)/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना हेतु अल्प संसाधनों को बर्बाद किया जा रहा है। समिति ने यह महसूस किया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 400-800 लोगों के लिए एक एडब्ल्यूसी हेतु निर्धारित जनसंख्या मानदंड त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि हमारे देश में छह वर्ष से कम आयु (1645 लाख) के बच्चे कुल आबादी (121 करोड़) के 13.6 प्रतिशत से कम हैं। अत: समिति ने यह निष्कर्ष निकाला था कि एक एडब्ल्यूसी एक माह में औसतन मात्र 50-100 बच्चों को देखेगी जिसका तात्पर्य है कि यह प्रतिदिन 2-4 बच्चे (यदि बच्चा महीने में एक दिन जाता है) देखेगी। अत: समिति ने सुझाव दिया कि संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कम आबादी वाली बसावटों को कवर करने के लिए प्रायोगिक आधार पर सचल एडब्ल्यूसी शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जाए।

(दो) यह देखते हुए कि कुपोषण की समस्या अंतर संतति एवं बहु-कारकों से संबद्ध है, जिस पर केवल गरीबी, निष्पक्षता विशेषकर महिला निरक्षरता, स्त्रियों के साथ भेदभाव, पर्यावरण, स्वच्छता तथा खाने की कमी जैसे कई कारकों का समाधान कर ही काबू पाया जा सकता है। समिति ने यह महसूस किया कि यह आवश्यक है कि पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता, ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास, पंचायती राज आदि से जुड़ी योजनाओं/मंत्रालयों का समायोजन जमीनी स्तर पर किया जाए। इसलिए उसने अभिनव रणनीतियां तैयार करने का सुझाव दिया था जैसे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अथवा खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सहयोग से मध्याह्न भोजन को पोषक तत्वों संबंधी मानदंडों के अनुरूप बनाना।

- **भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) संबंधी तीसवां प्रतिवेदन**

(एक) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फिल्म निर्माताओं अथवा संपूर्ण फिल्म जगत की ओर से भावी पीढ़ियों के लिए योगदान करने और अपनी फिल्मों का संरक्षण करने के लिए उन पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है जिसके फलस्वरूप असंख्य फिल्में और फिल्म सामग्री नष्ट हो जाती है, समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आग्रह किया था कि फिल्मों और फिल्म सामग्री के पुनरुद्धार, डिजीटलीकरण और संरक्षण को सम्मिलित करते हुए फिल्म अधिग्रहण के संबंध में एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए।

(दो) समिति ने रंगीन फिल्मों के भंडारण के लिए अतिरिक्त वॉल्टों का निर्माण किए जाने की नितांत आवश्यकता; मौजूदा फिल्म वॉल्टों की वातानुकूलन प्रणाली को बदले जाने और अग्निशमन प्रणाली को बदले जाने के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए मंत्रालय से आग्रह किया था कि एनएफएआई के सामने आ रही अवसंरचना संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए।

(तीन) यह देखते हुए कि एनएफएआई की योजनाओं में "फिल्म अध्ययन" एक उपेक्षित क्षेत्र है और बहुत कम विश्वविद्यालयों में ही सिनेमा पर अनुसंधान कार्य होता है, समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि एनएफएआई फिल्म अध्ययन को प्रोत्साहित करने के उपाय और साधनों का पता लगाए और यह सुनिश्चित करे कि पर्याप्त अनुसंधान कार्य शुरू किए जाएं और अनुसंधान परियोजनाओं को समय से मंजूरी प्रदान की जाए।

- **पर्यटन विकास संबंधी पैंतीसवां प्रतिवेदन**

(एक) समिति ने देश में पर्यटन विकास संबंधी प्रमुख समस्याओं जैसे पर्यटकों विशेषकर विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा, कुशल जनशक्ति की कमी, आवास की अपर्याप्तता, पर्यटक स्थलों पर साफ-सफाई की कमी, अत्यंत कम योजनागत परिव्यय और पर्यटन विकास के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, हितधारकों और निजी निवेशकों के प्रयासों और संसाधनों में एकजुटता की कमी के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया था।

(दो) समिति ने पर्यटकों, विशेषकर विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए यह इच्छा व्यक्त की थी कि पर्यटक पुलिस तैनात किए जाने और पर्यटक सुरक्षा संगठनों का गठन किए जाने से संबंधित मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया जाए।

(तीन) समिति ने अनेक स्मारकों के अंदर और उनके चारों ओर साफ-सफाई, पर्यटक सुविधाओं की गुणवत्ता और मात्रा, सीवरेज एवं जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता की व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए यह सुझाव दिया कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट निकायों को उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तदायित्व के भाग के रूप में पर्यटक स्थलों का रख-रखाव करने हेतु सम्मिलित किए जाने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिएं।

- **राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम संबंधी छत्तीसवां प्रतिवेदन**

(एक) समिति ने यह नोट किया था कि यद्यपि वर्ष 2002 में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएजी) का उद्देश्य वन संसाधनों के सतत विकास द्वारा वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि करना और उसमें सुधार करना था, तथापि, 2009 से 2011 की अवधि के दौरान देश के वनीकरण में 367 वर्ग किमी. की कमी हुई है। यह बात समिति की समझ से परे है कि वर्ष 2002 में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के प्रारंभ से इसके अंतर्गत 3,044 करोड़ रुपए की लागत से कुल 1.94 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल सम्मिलित किए जाने के बावजूद वनीकरण का परिणाम नकारात्मक कैसे रहा।

(दो) समिति इस बात से हैरान थी कि वर्ष 1988 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित किए जाने के बावजूद समिति ने वन भूमि में 1.2 मिलियन हेक्टेयर की कमी पायी और समिति का मत था कि इससे यह प्रकट होता है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का कार्यान्वयन बहुत खराब तरीके से किया है।

(तीन) समिति ने यह बताते हुए कि पर्यावरण संरक्षण के बहाने वृक्ष काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना न तो वांछनीय है और न ही उचित है तथा इस बात को नोट करते हुए कि अपना जीवन पूरा कर चुके पेड़ों को जब तक काटा नहीं जाएगा तो उनके स्वत: अचानक गिर जाने से जान-माल के लिए खतरा हो सकता है, उसने बस्तियों में और उसके चारों ओर तथा वनों में पुराने पेड़ों को काटने के लिए समुचित दिशा-निर्देश तैयार करने का सुझाव दिया था।

4

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

सरकारी उद्यम: उद्देश्य और उद्भव

सरकारी उद्यमों में लोक प्रयोजनों हेतु सरकारी स्वामित्व, व्यवसाय प्रबंधन और सरकारी जवाबदेही निहित होती है। इन उपक्रमों को संसद के अधिनियमों के द्वारा संस्थापित और विनियमित किया जाता है तथा इनका वित्त पोषण सरकारी निधियों से किया जाता है। इनके मुख्य उद्देश्य उत्पादकता, लाभप्रदता तथा बड़े पैमाने पर समाज के कल्याण/लाभ में योगदान करना है। इन उद्देश्यों का उद्भव इन उद्यमों/उपक्रमों के आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक दायित्वों से ही होता है।

समाजवादी पद्धति को एक राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में अपनाने से सरकारी क्षेत्र में आधारभूत एवं रणनीतिक महत्व के सभी उद्योगों अथवा सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं की उपस्थिति की आवश्यकता उत्पन्न हुई। देश में नियोजित आर्थिक विकास के आरंभ होने तथा लोक सभा द्वारा 1948 और 1956 में औद्योगिक नीतिगत संकल्पों को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न उद्यमों का सतत विकास हुआ जो भारत सरकार के स्वामित्व तथा प्रबंधन के अंतर्गत है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना सांविधिक निगमों अथवा सरकारी कंपनियों के रूप में की गई है। उन्हें निगमों अथवा कंपनियों के रूप में स्थापित करने का मुख्य लाभ यह है कि उनके पास व्यावसायिक ढंग से सुचारू रूप और दक्षतापूर्वक कार्य करने की स्वायत्तता और लचीलापन होता है तथा वे सरकारी विभागों से परंपरागत रूप से जुड़ी लालफीताशाही से मुक्त होते हैं। इसके पीछे आशय यह था कि कार्य और उत्पादन उन्मुखी उद्यम से होने वाले लाभों को सार्वजनिक जिम्मेदारी से जोड़ा जाए।

1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के समय केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या 5 थी जिनमें कुल 29 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था तब से, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या में तथा उद्यमों में किये जाने वाले कुल निवेश में भारी वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2013* की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या 277 (7 बीमा कंपनियों को छोड़कर) थी, जिनमें सरकारी खजाने से कुल 850599 करोड़ रुपये का निवेश (इक्विटी और दीर्घावधिक ऋण) किया गया था।

केन्द्रीय सरकारी उद्यम अनेक उत्पादों और सेवाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन और आपूर्ति कर रहे हैं। इन उत्पादों में इस्पात, सीमेंट और रसायन जैसी मूलभूत वस्तुएं, प्रेशर वेसल, बॉयलर और ड्रिलिंग रिग जैसी पूंजीगत वस्तुएं एवं बिजली और गैस जैसी मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल हैं। ये उद्यम दूरसंचार, व्यापार, पर्यटन, भंडारण आदि जैसी अनेक सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

*लोक उद्यम सर्वेक्षण 2012-13, खंड-एक।

विधानमंडल के प्रति जवाबदेही

संसद और सरकार द्वारा नियंत्रण और पर्यवेक्षण की अनिवार्य विशेषता यह है कि सरकारी उद्यम लोक हित को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करे। सभी संप्रभु शक्तियों का धारक और सामाजिक कल्याण का अभिरक्षक होने के नाते संसद को इस बात को सुनिश्चित करने का अधिकार है कि लोक उद्यम का प्रबंधन दक्षतापूर्वक और लोकहित में किया जा रहा है।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का उद्भव

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ऐसे सर्वाधिक प्रभावशाली उपायों में से एक है जिनके माध्यम से इन उपक्रमों पर संसदीय नियंत्रण रखा जाता है। इस समिति का गठन सरकारी उपक्रमों पर पूर्ण संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु एक विशिष्ट तंत्र का सृजन किये जाने के लिए विभिन्न मंचों पर एक दशक तक निरंतर मांग किये जाने के बाद 1 मई, 1964 को किया गया था। इस समिति के गठन से पूर्व, लोक लेखा समिति सरकारी उपक्रमों के बारे में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों की जांच करती थी और प्राक्कलन समिति सामान्यत: अलग-अलग उपक्रमों और सभी उपक्रमों के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं की जांच करती थी।

समिति का गठन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है, इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। प्रारंभ में इसमें 15 सदस्य होते थे और उपक्रमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1974-75 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोक सभा द्वारा प्रतिवर्ष एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा समिति में शामिल किये जाने हेतु इसी प्रकार से चुने जाते हैं और नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं। चुनाव की इस प्रणाली के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में लगभग सभी दलों और समूहों का प्रतिनिधित्व कमोबेश उनकी संख्या के अनुपात में सुनिश्चित किया जाता है।

समिति के सभापति की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष द्वारा समिति के ऐसे सदस्यों में से की जाती है जो लोक सभा के सदस्य हों। कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। यदि इस समिति का सदस्य बनने के बाद किसी सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जाता है तो ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति से उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है।

समिति के कार्य और कार्यक्षेत्र

इस समिति का मुख्य कार्य सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और दक्षता के संदर्भ में यह जांच करना है कि क्या सरकारी उपक्रमों का काम-काज ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक व्यवहार के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 312क के साथ पठित नियमों की चौथी अनुसूची के अनुसार, प्रत्येक सरकारी कंपनी, जिसका वार्षिक प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, समिति के कार्यक्षेत्र में आती है। इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत संस्थापित सभी सरकारी कंपनियों की जांच समिति द्वारा की जा सकती है। विशिष्ट केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित सरकारी उपक्रमों के मामले में यह नियम लागू नहीं होता। नियमों की चौथी अनुसूची के भाग-एक में उल्लिखित केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित उपक्रमों की ही जांच समिति द्वारा की जा सकती है।

कुछ संगठन जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इसकी आनुषंगिक शाखाएं, राष्ट्रीयकृत बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, पत्तन न्यास और टी-बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रेशम बोर्ड, मसाला बोर्ड आदि जैसे पण्य वस्तु संबंधी बोर्ड जैसे सरकारी क्षेत्र के अन्य संस्थान अनुसूची के भाग-एक में सम्मिलित नहीं किए गए हैं और इसलिये समिति द्वारा जांच के कार्यक्षेत्र के बाहर हैं।

समिति का कार्यकरण

समिति अपने गठन के ठीक बाद उस वर्ष के दौरान जांच किये जाने वाले कुछ सरकारी उपक्रमों/विषयों का चयन करती है। समिति जांच हेतु उन उपक्रमों का भी चयन कर सकती है जिनके विस्तृत मूल्यांकन का उल्लेख भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में होता है और वह ऐसे उपक्रमों की जांच में समिति की सहायता करते हैं।

इसके अतिरिक्त, समिति प्राय: अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए "समस्तरीय अध्ययन" हेतु विभिन्न सरकारी उपक्रमों के कार्यकलाप के कुछ पहलुओं का भी चयन करती है। अध्यक्ष द्वारा लोक महत्व के मामले, जिससे सरकारी उपक्रम संबंधित हैं, भी जांच करने के लिए समिति को भेजे जा सकते हैं।

जैसा कि अब माना जाता है, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति संसद की आंख और कान के रूप में कार्य करती है क्योंकि इसके प्रतिवेदनों में सरकारी उपक्रमों के कार्यकलापों के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे यह पता चलता है कि उनका कामकाज कैसा है और वह इस बारे में भी सुझाव देती है कि किन क्षेत्रों में आगे सुधार की गुंजाइश है। उपक्रमों के दक्षतापूर्वक कार्यकरण के लिए इन प्रतिवेदनों में प्रशासनिक मंत्रालयों की जबावदेही के बारे में भी बताया जाता है।

समिति द्वारा उपक्रमों के मूल्यांकन में वित्तीय कार्य-निष्पादन, परियोजना कार्यान्वयन, उत्पादन लागत, मूल्य वृद्धि, मानव संसाधन विकास, प्रबंधन की चूकों आदि को सम्मिलित किया जाता है जोकि किसी भी उपक्रम के सुचारू रूप से कार्य करने में निर्णायक होते हैं।

समिति के प्रतिवेदनों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपायों का भी सुझाव दिया जाता है कि जिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में राष्ट्र के बहुमूल्य संसाधनों का निवेश किया जाता है, वे सौंपे गए उत्तरदायित्व का यथोचित ढंग से निर्वहन करें। उपक्रमों की कमजोरियां और खामियों को सदैव सकारात्मक ढंग से उजागर किया जाता है। जब कभी सरकारी उपक्रमों द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया जाता है, समिति अपने प्रतिवेदनों में उसकी विधिवत प्रशंसा करती है।

15 दिसम्बर, 2000 को नई दिल्ली में संसद और राज्य विधानमंडलों की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति के सम्मेलन में अपने स्वागत भाषण के दौरान लोक सभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री जी.एम.सी. बालयोगी ने इस पहलू पर चर्चा करते हुए कहा कि चार दशक से भी कम समय के अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के कार्य निष्पादन का लेखा जोखा हमारी संसदीय प्रणाली में इसकी भूमिका और प्रभाविता को रेखांकित करता है। इस समिति का मूल उद्देश्य सरकारी उपक्रमों की विधानमंडलों के प्रति और इसके माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना है। 200 से अधिक सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण की निगरानी करना आसान नहीं है। फिर भी इस समिति ने इन वर्षों में सराहनीय कार्य किया है। पिछले 36 वर्षों से भी अधिक समय के अपने कार्यकाल के दौरान समिति ने 500 से भी अधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। इन प्रतिवेदनों से सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों के प्रभावी प्रबंधन में अत्यधिक सहायता मिली है।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति जिसने 01 मई, 2014 को 50 वर्ष (स्वर्ण जयंती) पूरे कर लिए हैं, की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। 1964 में समिति के प्रारंभ से लेकर पन्द्रहवीं लोक सभा के अंत तक समिति ने 585 प्रतिवेदन (293 मूल प्रतिवेदन और 292 की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन) प्रस्तुत किए हैं।

सिफारिशों का कार्यान्वयन

इसकी सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में निगरानी रखने की एक प्रणाली लागू की गई है जिसमें समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के छह माह के भीतर इसमें की गई अपनी विभिन्न सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई उत्तरों की सरकार से मांग करती है। समिति इन उत्तरों की बारीकी से जांच करती है और की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन तैयार करती है। जो समिति की स्वीकृति के पश्चात् संसद के दोनों सदनों में उसी प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जैसे मूल प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाता है

की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में समिति सरकार द्वारा दिए गए उत्तरों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अस्वीकृति के मामले में समिति अपनी पिछली सिफारिश को दोहरा कर ऐसी टिप्पणी/सिफारिश कर सकती है जो उसे उचित लगे। जब कोई की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी प्रतियां संबंधित मंत्रालयों/उपक्रमों को कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैं। की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही या करने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण समेकित करके संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाता है।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समितिः पन्द्रहवीं लोक सभा (2009-2014) — एक सिंहावलोकन

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 98 बैठकें हुईं जिनकी कुल कार्यावधि 144 घंटे रही। इस अवधि के दौरान समिति ने 33 प्रतिवेदन (15 मूल प्रतिवेदन और 18 की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन) प्रस्तुत किए। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों का सारांश नीचे दिया गया है।

भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)

देश में जाली मुद्रा के चलन के बढ़ते खतरे के आलोक में और पूर्ववर्ती भारतीय प्रतिभूति प्रेस के निगमीकरण के परिणामस्वरूप समिति ने भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की व्यापक जांच के संबंध में अपना छठा प्रतिवेदन तैयार किया। कंपनी के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ श्रमशक्ति के इष्टतम उपयोग, भर्ती और सेवा नियमों को अंतिम रूप देने, संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन, परिसंपत्ति आधार का सही मूल्यांकन, बकाया देयताओं की वसूली, अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम उपयोग करने, खराब बड़ी मशीनों के निपटान, जाली मुद्रा से निपटान के लिए मुद्रा में वांछित विशिष्टताओं को शामिल करने आदि की सिफारिश की। प्रतिवेदन में, समिति ने वित्त मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया कि एसपीएमसीआईएल को उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क और स्थानीय करों के भुगतान से छूट दी जाए। समिति ने लोक उद्यम विभाग से यह भी आग्रह किया है कि वह कंपनी का मिनी रत्न का दर्जा वापस न लें।

जैसा कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई उत्तरों से स्पष्ट है, समिति द्वारा अपने छठे प्रतिवेदन में की गयी अट्ठारह सिफारिशों में से आठ सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, विभाग ने समुचित श्रमशक्ति आयोजना, एसपीएमसीआईएल की इकाइयों हेतु संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के गठन, करेंसी नोट के आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया को बंद करने तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपाय किए थे। शेष सिफारिशों में से चार के उत्तर अंतरिम थे। शेष छह सिफारिशों के मामले में, समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया और अपनी सिफारिशों को दोहराया।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

बीएसएनएल के शुद्ध लाभों में तीव्र गिरावट और इसकी बाजार भागीदारी में हुई भारी कमी के साथ-साथ कंपनी के सामने आ रही प्रचालनात्मक/अवसंरचनात्मक बाधाओं के मद्देनजर समिति ने बीएसएनएल की व्यापक जांच करने का निर्णय लिया। कंपनी के निराशाजनक वित्तीय निष्पादन और उसके द्वारा अपनाई जा रही बदली हुई रणनीति को देखते हुए, समिति ने अपने चौबीसवें प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित परिवर्तित उपायों के शीघ्र कार्यान्वयन, उपभोक्ता सेवाओं में सुधार, क्षमता विस्तार हेतु आवश्यक उपकरणों की खरीद की समयबद्ध प्रक्रिया अपनाने, सैम पित्रोदा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने और श्रमशक्ति की तर्कसंगत तैनाती की सिफारिश की थी। समिति बीएसएनएल द्वारा दी जा रही अलाभकारी सेवाओं, जो सामाजिक रूप से वांछनीय हैं, के लिए उसे क्षतिपूर्ति किए जाने की भी वकालत की थी।

जहां तक समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन का संबंध है, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) द्वारा दिए गए की-गई-कार्रवाई उत्तरों से यह स्पष्ट है कि समिति द्वारा की गई 15 सिफारिशों में से 11 सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति ने सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अपने बत्तीसवें प्रतिवेदन में, कंपनी को राजसहायता की दूसरी किस्त जारी करने में धीमी प्रगति को लेकर चिंता व्यक्त की और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करने की बात को दोहराया तथा अपनी तीन सिफारिशों को दोहराए जाने का निर्णय लिया। इसके साथ, समिति ने सरकार को एक सिफारिश पर कार्रवाई शीघ्र पूरा करने को कहा क्योंकि सरकार का संबंधित उत्तर अंतरिम प्रकृति का था।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की वर्ष 2009-10 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 9 के पैरा संख्या 13.5.1 पर आधारित तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा कच्चे तेल की कीमत पर संघनित पदार्थ की खरीद

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) द्वारा कच्चे तेल की कीमत पर संघनित पदार्थ की खरीद संबंधी अपने अट्ठाइसवें प्रतिवेदन में, जो कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की वर्ष 2009-10 की लेखा-परीक्षक रिपोर्ट संख्या 9 के पैरा संख्या 13.5.1 पर आधारित था, समिति ने यह देखा कि ओएनजीसी तथा जेवी भागीदारों के मध्य हस्ताक्षरित उत्पादन विभाजन ठेका (पीएससी) में संघनित पदार्थ के निपटान और संघनित पदार्थ के लिए पृथक मूल्य निर्धारण तंत्र संबंधी कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। समिति ने इस बात पर बल दिया है कि भविष्य में जेवी भागीदारों के साथ ऐसे उत्पादन विभाजन ठेकों संबंधी दस्तावेज तैयार करते समय ओएनजीसी को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। तथापि लेखापरीक्षा के मत के विपरीत समिति की यह राय थी कि धारा 1.8 का परन्तुक इस मामले में संगत नहीं है क्योंकि ताप्ती एक गैस फील्ड है न कि तेल फील्ड। जहां तक संघनित पदार्थ के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र का संबंध है, समिति ने यह मत व्यक्त किया कि धारा 1.8 में यथा परिभाषित ताप्ती गैस फील्ड से उत्पादित संघनित पदार्थ का मूल्यांकन किसी अन्य तरीके से न करके

पीएससी की धारा 19.11 के अनुसार होना चाहिए था। सरकार और इसके साथ-साथ निदेशक बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना निपटान करार पर हस्ताक्षर करने के ओएनजीसी के निर्णय पर खेद व्यक्त करते हुए समिति आशा करती है कि भविष्य में इस तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

प्रतिवेदन 5 फरवरी, 2014 को संसद को प्रस्तुत किया गया।

भारतीय खाद्य निगम

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) संबंधी समिति का उनतीसवां प्रतिवेदन 'भारतीय खाद्य निगम में भंडारण प्रबंधन और खाद्यान्नों की आवाजाही' विषय की व्यापक जांच के संबंध में था और यह प्रतिवेदन आंशिक रूप से वर्ष 2013 की नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संख्या 7 पर आधारित था। समिति ने अपने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम के खरीद संबंधी कार्यकलापों पर विस्तार, खरीद के मामले में किसानों को समय पर भुगतान न करने की स्थिति में दंड संबंधी खंडों का प्रावधान किए जाने, बिना किसी विलंब के न्यूनतम अतिरिक्त भंडार संबंधी सरकार मानकों में संशोधन करने, एफसीआई की भंडारण क्षमता में विस्तार करने, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने, निगम के भीतर सभी स्तरों पर सतत् निगरानी और सतर्कता बरतने तथा नदी तटीय और समुद्र तटीय राज्यों में जलमार्गों के माध्यम से खाद्यान्नों की आवाजाही को सुकर बनाने हेतु तत्काल कार्यवाही किए जाने की सिफारिश की थी। इनके अलावा, समिति ने सरकार से खाद्य राजसहायता शीर्ष से भिन्न एक अलग शीर्ष के अंतर्गत उधारियों, राज्य करों और लेवी इत्यादि पर भारतीय खाद्य निगम ब्याज की प्रतिपूर्ति की वांछनीयता की जांच करने का आग्रह भी किया है, ताकि खाद्य राजसहायता के वास्तविक आंकड़े संसद और जनता की जानकारी के लिए उपलब्ध हों।

यह प्रतिवेदन 10 फरवरी, 2014 को संसद में प्रस्तुत किया गया।

अन्य प्रतिवेदन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अन्य महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों में नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड संबंधी चौथा प्रतिवेदन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड संबंधी दसवां प्रतिवेदन, मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्वर्ण भूषण का निर्यात संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन शामिल है।

समिति का प्रभाव

समिति का प्रभाव इस तथ्य से स्पष्ट है कि इसकी अधिकांश सिफारिशों को सरकार/उपक्रमों ने स्वीकार कर लिया है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति न केवल सरकारी उद्यमों के कार्यकरण पर प्रभावी संसदीय नियंत्रण रखने के अपने प्राथमिक कार्य में सफल हुई है, बल्कि उनके संगत क्षेत्रों में बेहतर निष्पादन देने के लिए सुधारों का सुझाव देने में भी प्रभावी सिद्ध हुई है। समिति के प्रतिवेदन प्रशासन और प्रबंधन के संबंध में एक बिन्दु पर लोक उद्यमों की महत्वपूर्ण और सकारात्मक जांच के परिणामों को सुलभ कराते हैं। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एक ऐसा मंच भी प्रदान करती है जहां विधायिका, कार्यपालिका और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन एक-दूसरे के आमने-सामने आते हैं और एक साझा उद्देश्य से लोक उद्यमों की समस्याओं का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, तथा इन उद्यमों के लिए बेहतर नियोजन और प्रबंधन के लिए स्वीकार्य समाधान खोजते हैं।

संक्षेप में, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने संसद के प्रति सरकारी उपक्रमों की जवाबदेही की संकल्पना को ठोस रूप देने में बहुत उपयोगी कार्य किए हैं। यही कारण है कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी संसदीय समिति मानी जाती है।

5

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति*

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों (डीआरएससी) का उद्भव और कार्य क्षेत्र

पिछले कुछ वर्षों में सरकारी कार्यकलाप में अप्रत्याशित विस्तार के कारण, संसद कार्यपालिका संबंधी वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का पूरी तरह से निर्वाह कर पाने में कुछ असहाय महसूस कर रही है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अत्यधिक बजट आबंटन भी समय के अभाव के कारण संसद द्वारा समुचित चर्चा के बिना ही पारित कर दिए जाते हैं।

1978 में, भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया गया। साथ ही, इस मुद्दे पर दिनांक 21 से 25 जनवरी, 1984 को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे क्षेत्रीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के दौरान भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इस मुद्दे पर आगे कोलकाता में दिनांक 29 से 30 अक्तूबर, 1984 को आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सविस्तार चर्चा की गई थी। तत्पश्चात्, लोक सभा की नियम संबंधी समिति द्वारा अनुदान की मांगों की मतदान पूर्व संवीक्षा के लिए 9 तद्र्थ समितियों के गठन पर विचार किया गया। तथापि, इस मामले पर कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

बजट समितियों के गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाना अभी शेष था कि इस बीच समिति प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा इसके तहत कार्यपालिका की जवाबदेही को और अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए दूरगामी प्रभाव की प्रकृति वाले एक अन्य प्रस्ताव को आठवीं लोक सभा की नियम समिति के समक्ष रखा गया। नियम समिति ने 30 मार्च और 9 मई, 1989 को हुई अपनी बैठकों में कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी अलग-अलग तीन विषय समितियां गठित करने के प्रस्ताव पर विचार किया और इसे अनुमोदित किया। नियम समिति द्वारा इस आशय की आवश्यक सिफारिशें क्रमशः 2 मई, 1989 और 25 जुलाई, 1989 को सभा पटल पर रखे गए अपने दूसरे और चौथे प्रतिवेदनों में की गई। सदन द्वारा इन समितियों से संबंधित नियमों को अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया और पहली बार 18 अगस्त, 1989 से इन समितियों का गठन किया गया।

इन विषय समितियों को अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों/विभागों के कार्यों की जांच करनी थी और यह रिपोर्ट देनी थी कि संसद द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप में किन अर्थनीतियों, संगठन में सुधारों, कार्यकुशलता अथवा प्रशासनिक सुधारों को लागू किया जाए। अन्य कार्यों के अलावा, इन समितियों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों और योजनागत परियोजनाओं/गतिविधियों की जांच करनी थी।

कुछ समय तक इन तीन विषय समितियों के कार्य को ध्यानपूर्वक देखने के बाद, वर्ष 1992 में, दसवीं लोक सभा के दौरान, विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समितियों के मामले पर सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति और नियम समिति ने पुनः विचार किया तथा उन्होंने यह महसूस किया कि विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों (डीआरएससी) की एक पूर्ण प्रणाली बनाई जानी चाहिए जिसमें उनके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग हों।

फलस्वरूप, इस मामले पर फरवरी और मार्च, 1993 में, संसद के दोनों सदनों की सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति और नियम समिति द्वारा संयुक्त रूप से नए सिरे से विचार-विमर्श किया गया। इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, एक स्पष्ट सहमति बनी कि स्थायी समितियों का गठन सदनों में प्रस्तुत किए गए और राज्य सभा के सभापति/लोक सभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें प्रेषित अनुदानों की मांगों, विधेयकों और राष्ट्रीय मूल दीर्घावधिक नीति दस्तावेजों तथा मंत्रालयों/विभागों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए किया जाए।

29 मार्च, 1993 को लोक सभा और राज्य सभा की नियम समिति के प्रतिवेदन दोनों सदनों द्वारा स्वीकार कर लिए गए, जिससे विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ और केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को उन समितियों के क्षेत्राधिकार में लाया गया। इन समितियों के गठन के साथ, अगस्त 1989 में गठित तीन विषय समितियों को समाप्त कर दिया गया।

इस नई प्रणाली के अंतर्गत, 8 अप्रैल, 1993 से सभी केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों को शामिल करते हुए 17 स्थायी समितियां गठित की गईं। विभागों से सम्बद्ध इन 17 स्थायी समितियों में से 11 लोक सभा तथा 6 राज्य सभा के अधीन थीं। जल संसाधन मंत्रालय, कृषि संबंधी स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में था।

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति पहली बार जुलाई, 2004 में गठित की गई जब विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों (डीआरएससी) की व्यवस्था का पुनर्गठन करते हुए इन स्थायी समितियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 की गई थी। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में जल

*लोक सभा सचिवालय की जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति शाखा के सौजन्य से।

संसाधन मंत्रालय आता है। समिति, माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के अंतर्गत कार्य करती है।

कार्य

विभागों से संबद्ध प्रत्येक स्थायी समिति के कार्य निम्न प्रकार हैं:—

(क) संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के अनुदानों की मांगों पर विचार करना और सदनों को इस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। इस प्रतिवेदन में कटौती प्रस्तावों के स्वरूप का कोई सुझाव नहीं होगा;

(ख) संबद्ध मंत्रालयों/विभागों से संबंधित उन विधेयकों की जांच करना जो राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा समिति को भेजे जाते हैं और उनके संबंध में प्रतिवेदन तैयार करना;

(ग) मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन तैयार करना;

(घ) सदन में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय मूल दीर्घावधिक नीति दस्तावेजों को यदि राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा समिति को भेजा जाए तो उन पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन तैयार करना।

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के दैनिक प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करेंगी। इन समितियों द्वारा उन मामलों पर विचार नहीं किया जायेगा जिन पर सामान्यता अन्य संसदीय समितियों द्वारा विचार किया जाता है।

सदस्य संख्या

जैसा कि विभागों से संबद्ध अन्य स्थायी समितियों के मामले में होता है, जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का गठन प्रतिवर्ष लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331ग के तहत होता है। समिति में 31 सदस्य होते हैं — लोक सभा से 21 और राज्य सभा से 10। समिति का सभापति लोक सभा अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। समिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि से एक वर्ष के लिए होता है।

विषयों का चयन

प्रतिवर्ष समिति के गठन के पश्चात् जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति अपने एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान विषयों की जांच और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए विषयों के चयन हेतु अपनी पहली बैठक बुलाती है। विषयों का चयन समिति के सभापति और अन्य सदस्यों के सुझावों पर विचार करने के पश्चात् ही किया जाता है, जिन्हें वे लोक महत्व का मानते हैं। जांच और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान समिति द्वारा चयनित कुछ विषयों में ब्रह्मपुत्र बोर्ड का कार्यकरण; त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की समीक्षा; केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र की समीक्षा; गिरते भूजल स्तर का संवर्धन, सतत विकास, संरक्षण, प्रबंधन, भूजल का उपयोग और जल प्रदूषण का निवारण; जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार; केंद्रीय भूजल बोर्ड की समीक्षा; केंद्रीय जल आयोग की समीक्षा; देश में बाढ़ और भू-कटाव का प्रबंधन; जल संरक्षण के स्वदेशी और आधुनिक तरीके — तकनीक एवं पद्धतियां; बांध और बैराज — उनकी वर्तमान स्थिति, संरक्षा व सुरक्षा और जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों/संबद्ध कार्यालयों/प्राधिकरणों की समीक्षा शामिल है।

समिति के प्रतिवेदन

विषयों के चयन के पश्चात् विषयों से संबंधित मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष संक्षिप्त जानकारी/मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाता है। मंत्रालय अथवा विभाग अथवा उपक्रम का प्रतिनिधित्व सचिव अथवा विभाग अथवा उपक्रम के प्रमुख द्वारा किया जाएगा। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान समिति द्वारा चयनित विषयों की जांच के संबंध में 24 बैठकें (संक्षिप्त जानकारी/साक्ष्य के लिए) बुलाई गईं। मंत्रालय से प्राप्त सूचना के आधार पर समिति का प्रारूप प्रतिवेदन तैयार किया जाता है जो अध्यायों और खंडों में विभक्त होता है। प्रतिवेदन के दो भाग होते हैं। प्रतिवेदन का एक भाग विवरणात्मक होता है जिसमें समिति द्वारा प्राप्त तथ्य और सूचना होती है, जबकि दूसरे भाग में समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें होती हैं। सभापति द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात् प्रारूप प्रतिवेदन को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ, प्रारूप प्रतिवेदन के विवरणात्मक भाग को तथ्यात्मक जांच हेतु जल संसाधन मंत्रालय को भेजा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिवेदन में दी गई जानकारी प्रामाणिक है। समिति द्वारा प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार करने तथा मंत्रालय द्वारा किए गए तथ्यात्मक परिवर्तनों एवं समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर संशोधन/आशोधन करने के पश्चात् इसे सभापति के नाम से संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति शाखा प्रेस प्रकाशनी भी जारी करती है जिसमें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट प्रमुख टिप्पणियों/सिफारिशों का उल्लेख होता है।

वर्ष 2004 में, जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के गठन के बाद समिति ने अब तक विभिन्न विषयों से संबंधित 6 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। इनमें निम्नलिखित प्रतिवेदन शामिल हैं:—

(एक) "नदियों को परस्पर जोड़ना" विषयक ग्यारहवां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा);

(दो) "ब्रह्मपुत्र बोर्ड का कार्यकरण" विषयक चौथा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा);

(तीन) "गिरते भू-जल स्तर का संवर्धन, सतत् विकास, संरक्षण, प्रबंधन, भू-जल का उपयोग तथा जल प्रदूषण की रोकथाम" विषयक दसवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा);

(चार) "केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र की समीक्षा" विषयक ग्यारहवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा);

(पांच) "जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार" विषयक सोलहवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा); तथा

(छह) "गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की समीक्षा" विषयक इक्कीसवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

समिति ने पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान उपर्युक्त विषयों से संबंधित प्रतिवेदनों के अतिरिक्त "बांध सुरक्षा विधेयक, 2010" विषयक सातवां प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान प्रस्तुत कतिपय महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों को नीचे दिया गया है:—

बांध सुरक्षा विधेयक, 2010 विषयक सातवां प्रतिवेदन

(एक) समिति ने बांध सुरक्षा विधेयक, 2010 विषयक अपने सातवें प्रतिवेदन में नोट किया कि विधेयक में बांधों की आवधिक जांच करने और आपातकालीन कार्य योजना का उपबंध किया गया है। तथापि बांध के विफल होने अथवा विधेयक में उपबंधित निदेशों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में बांध सुरक्षा हेतु जिम्मेदार मालिक अथवा व्यक्ति(यों) पर शास्ति लगाने का कोई उपबंध नहीं किया गया है। चूंकि बांधों की सुरक्षा सर्वोच्च है, समिति ने सिफारिश की कि विधेयक में बांध की विफलता अथवा डाउनस्ट्रीम/अपस्ट्रीम में त्रासदी होने की स्थिति में शास्ति लगाने के उपबंध को उपयुक्त रूप से जोड़ा जाए।

(दो) समिति ने नोट किया कि विधेयक में बांध के विफल होने के कारण उत्पन्न किसी आपदा की स्थिति में इससे प्रभावित होने वाले लोगों को मुआवजा देने का कोई उपबंध नहीं किया गया है। अत: समिति चाहती है कि विधेयक में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने हेतु समुचित उपबंध किए जाएं।

(तीन) समिति ने नोट किया कि प्रस्तावित विधेयक में बांध सुरक्षा संबंधी उपायों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने हेतु यथा अभिकल्पित एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण का गठन करने का कोई उल्लेख नहीं है। अत:, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि विधेयक के वांछित उद्देश्यों की निगरानी और प्राप्ति हेतु इस प्रकार का प्राधिकरण गठित किया जाए।

(चार) समिति ने नोट किया कि विधेयक में बांधों के डिजाइन अथवा बांधों की सुरक्षा के मूल्यांकन में अपनाई जानी वाली मानकों अथवा पद्धतियों का कोई उल्लेख नहीं था। समिति को आशंका थी कि विनिर्दिष्ट मानकों के अभाव में, विभिन्न अभिकरण/राज्य सरकारें भिन्न-भिन्न मानक अपनाएंगी/अनुपालन करेंगी। समिति ने सिफारिश की कि एक नया खण्ड जोड़ा जाए और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक संहिताओं और दिशा-निर्देशों के उपयोग को अनिवार्य बनाया जाए, और यदि बांध के डिजाइन अथवा सुरक्षा मूल्यांकन से कुछ अलग किया गया है तो उसका कारण स्पष्ट किया जाए।

(पांच) समिति ने मंत्रालय से आग्रह किया कि वह जोन-3 में आने वाले सभी विनिर्दिष्ट बांधों और 30 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी बांधों के समीप भूकंपविज्ञानी केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता के संबंध में विशेषज्ञों की चिंताओं पर पुन: विचार करे।

गिरते भू-जल स्तर का संवर्धन, सतत विकास, संरक्षण, प्रबंधन, भू-जल का उपयोग और जल प्रदूषण की रोकथाम संबंधी दसवां प्रतिवेदन

(एक) इस प्रतिवेदन में, यह नोट किया गया है कि संवैधानिक व्यवस्था में जल का दोहन राज्य का विषय होने के कारण, समिति ने मंत्रालय से आग्रह किया कि जल उपयोगकर्ताओं और किसानों, उद्योगों आदि द्वारा भू-जल के व्यर्थ तथा अत्यधिक जल कर्षण को नियंत्रित करने के लिए एक उपयुक्त तथा समान विनियामक तंत्र अपनाने के लिए सभी राज्यों को प्रोत्साहित करे।

(दो) समिति ने यह नोट किया कि देश की 1,79,999 बसावटों में फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह, लवणता और नाइट्रेट से संबद्ध जल समस्याएं थीं। देश की 33,363 बसावटों में फ्लोराइड, 9,504, बसावटों में आर्सेनिक, 11,872 बसावटों में लौह, 32,689 बसावटों में लवणता और 2,571 बसावटों में नाइट्रेट मौजूद था। यह देश के कुछ भागों में खनन कार्यकलापों अथवा अनुपचारित औद्योगिक कचरे से रिसाव के कारण भूजल में उपस्थित मैंगनीज़, सीसा, क्रोमियम, कैडमियम आदि मानव जनित संदूषण द्वारा उत्पन्न खतरे से अधिक था। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में सीवर लाइनों के अभाव में सेप्टिक टैंकों का अधिकाधिक निर्माण नीचे की भूमि के संदूषण का एक अन्य संभव कारण बन गया है। समिति यह देखकर क्षुब्ध थी की कुछ उद्योगों ने जलभृत पुनर्भरण के नाम पर जलभृत पुनर्भरण हेतु ढांचे बनाए परंतु वास्तव में वह भूमि के नीचे जलभृत में संदूषित जल छोड़ रहे थे। समिति ने सरकार से यह आग्रह किया कि वह देश में भू-जल संदूषण की खतरनाक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने हेतु संबंधित मंत्रालयों के साथ उचित परामर्श के पश्चात् एक व्यापक राष्ट्रीय योजना बनाए ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ियों हेतु सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

(तीन) समिति ने नोट किया है कि भारत में नदियों के प्रदूषित होने का एक मुख्य कारण इसमें असंसाधित सीवेज जल का प्रवाह था। तथापि, देश में मल व्ययन के शोधन की क्षमता मात्र 30 प्रतिशत बताई गई है जबकि मल व्ययन के शेष 70 प्रतिशत भाग को संसाधित किए बिना सीधे नदियों में प्रवाह कर दिया जाता है। समिति ने आशा व्यक्त की कि "जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण को मूर्त रूप देने के प्रयास सफल होंगे तथा जल की गुणवत्ता की निगरानी के पहलू के परिणाम निकट भविष्य में दिखाई देंगे।

(चार) समिति ने यह टिप्पणी की कि भारत के बाहर कृत्रिम पुनर्भरण की कुछ पद्धतियों और भू-जल प्रबंधन को सफलतापूर्वक अपनाया जा रहा है, उदाहरण के लिए एरिजोना (अमेरिका) में भू-जल संहिता (1980) लागू की गई है। इसी प्रकार, ओमान ने सतत भू-जल प्रबंधन हेतु एक सफलतापूर्ण नीति अपनाई है जिसमें मांग पक्ष में कुओं का अनिवार्य पंजीकरण, कुआं परमिटों, राष्ट्रीय कुआं सूची, कुओं पर मीटर लगाने, जल संरक्षण के लिए सिंचाई तकनीकों का सुधार, जल संरक्षण हेतु जन जागरूकता अभियान आदि तथा पूर्ति पक्ष के उपायों में बड़े पुनर्भरण बांध शामिल हैं। समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि सरकार कृत्रिम पुनर्भरण/भू-जल प्रबंधन की ऐसी पद्धतियों को भारत में दोहराने की व्यवहार्यता का पता लगाए।

(पांच) समिति ने नोट किया कि पर्यावरण और वन मंत्रालय राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण का गठन कर रहा था जिसके तहत वे नदियों/जलाशयों सहित पर्यावरण को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान शामिल करने पर विचार कर रहे थे। इस तथ्य को देखते हुए कि देश में पर्यावरण का उल्लंघन करने वालों को दंड देने के लिए वर्तमान आपराधिक अभियोजन प्रणाली असफल रही है और नदियों/जलाशयों को प्रदूषित करने वाले लंबी और बहुत समय लेने वाली न्यायिक प्रक्रिया की आड़ में सुरक्षित हैं, समिति ने यह सिफारिश की कि सरकार राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण का शीघ्र गठन करे जिससे आशा है कि उल्लंघन करने वाले उद्योगपतियों, प्रदूषकों आदि पर दंड लगाया जा सकेगा।

जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन

(एक) इस सोलहवें प्रतिवेदन में समिति ने टिप्पणी की कि जल सर्वोत्तम प्राकृतिक संसाधन है, यह मानव जाति की मूल आवश्यकता है और एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा है। समिति की सुविचारित राय थी कि प्रयासों, निधियों और कार्यक्रम संबंधी सतत् आदानों के माध्यम से देश भर के जलाशयों के उचित, प्रभावी और सतत प्रबंधन तथा विकास की अत्यावश्यकता थी। एक व्यापक विधायी ढांचा बनाने के लिए समिति ने यह दोहराया है कि "जल" विषय को समवर्ती सूची में शामिल करने की आवश्यकता है।

(दो) समिति ने सभी जलाशयों की गणना शीघ्र पूरा करने तथा उन्हें यूनिक कोड आबंटित किए जाने की पुरजोर सिफारिश की।

(तीन) समिति यह नोट कर चिंतित थी कि लघु सिंचाई (2005) की तीसरी गणना के अनुसार देश में 5.50 लाख जलाशय थे जिनमें से 2.39 लाख सार्वजनिक जलाशय और शेष 3.17 लाख निजी जलाशय थे। समिति को यह बताया गया कि जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार योजना में देश भर में फैले 3.17 लाख जलाशयों को शामिल नहीं किया गया। समिति ने सरकार की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार योजना में निजी जलाशयों को शामिल न करने की निंदा की जो अन्यथा प्रशंसनीय इस योजना में एक बड़ी त्रुटि थी विशेषकर तब जबकि यह जलाशयों के संरक्षण के लिए आवश्यक था। सार्वजनिक जलाशयों को पहली प्राथमिकता मानते हुए उन्हें कवर करने के मंत्रालय के प्रस्ताव को नोट करते हुए समिति ने सरकार से यह आग्रह किया कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी जलाशयों के सरकारी वित्तपोषण की व्यावहारिकता की संभावना का पता लगाया जाए, अथवा कम से कम ऐसे निजी जलाशयों के मालिकों से मेल-जोल रखने तथा उन्हें जलाशयों से गाद निकालने, जलमार्ग कार्य की मरम्मत करने, पिचिंग, इससे सम्बद्ध नहरों की मरम्मत आदि कार्यों के द्वारा जलाशयों के पुनरुद्धार, मरम्मत, नवीकरण तथा विकास के लिए उपाय करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को शामिल करने की संभावना का पता लगाया जाए।

(चार) समिति यह नोट करके निराश है कि मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा निगरानी क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के बावजूद, स्वीकृत योजनाओं की संख्या देखते हुए बहुत ही कम प्रगति की गई है। देश में आरआरआर योजना के अंतर्गत कुल 3341 जलाशयों में से, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड/राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 18 सितम्बर, 2012 तक मात्र 1481 जलाशयों का कार्य पूरा किया गया दर्शाया गया था। इसलिए, समिति यह चाहती थी कि मंत्रालय उन सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, जहां आरआरआर योजना क्रियान्वित की जा रही है, में इसे सक्रिय रूप से क्रियान्वित करने हेतु पंचायतों की स्थायी समिति की सक्रिय भागीदारी हेतु राज्यों के साथ जोर-शोर से कार्यवाही करे।

(पांच) समिति ने नोट किया कि सरकार ने मनरेगा पनधारा विकास कार्यक्रम और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना जैसे अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए प्रयासों को अभिकेन्द्रित करने की एक योजना बनाई है। अतएव, समिति ने यह सिफारिश की कि मंत्रालय मनरेगा के अधीन उन विशिष्ट गतिविधियों/कार्यों को चिह्नित करे जहां जलाशयों की चालू आरआरआर स्कीम को मनरेगा के साथ मिलाया गया है ताकि कार्यों के दोहराव, निधियों के दुरुपयोग से बचा जा सके और पूरे देश के जलाशयों को नवजीवन और पुनर्जीवन के दीर्घकालिक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

'गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की समीक्षा' संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन

(एक) समिति ने आगे यह नोट किया कि गंगा बेसिन के 250.00 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) उपयोगी सतही जल में से केवल 63.28 बीसीएम का उपयोग किया जा रहा है। शेष

सतही जल बहकर समुद्र/पड़ोसी देश में जा रहा है जिसका उपयोग ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में पर्याप्त स्टोरेज निर्माण द्वारा जल रोक कर किया जा सकता है। टोपोग्राफिकल बाधाओं (अर्थात् समतल क्षेत्र) के कारण गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्टोरेज बनाना व्यावहारिक नहीं है। देश में 05 स्टोरेज परियोजनाओं के निर्धारित समयावधि के अंदर निर्माण हेतु भारत सरकार लगातार नेपाल सरकार से बातचीत कर रही है। समिति ने मंत्रालय से यह आग्रह किया है कि वह नेपाल में स्टोरेज निर्माण के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने हेतु सतत् और हर संभव प्रयास करे।

(दो) समिति ने यह नोट किया कि नदियों को परस्पर जोड़ने (आईएलआर) की योजना के हिमालय के घटक के अंतर्गत 14 लिंकों की पहचान की गई है ताकि गंगा और उसकी सहायक नदियों का जल समुद्र/पड़ोसी देश में जाने से पहले उपयोग में लाया जा सके और यह गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ को रोकने/कुशनिंग हेतु प्रभावी तंत्र के रूप में भी कार्य करे। भारत सरकार नेपाल और भूटान में लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) को पूरा करने हेतु क्षेत्रीय कार्य में तेजी लाने के लिए इन देशों के साथ वार्ता कर रही है। समिति ने यह सिफारिश की है कि मंत्रालय द्वारा नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी योजना और नेपाल और भूटान में स्टोरेज परियोजनाओं के कार्यान्वयन को कार्यान्वयन योग्य समय-अनुसूची तैयार करके सर्वोच्च वरीयता दी जाए और इसमें गंभीरता के साथ कार्य किया जाना चाहिए।

(तीन) 11 गंगा बेसिन राज्यों में बार-बार विनाशकारी बाढ़ आती है। देश में 49.815 मिलियन हेक्टेयर में से 23.728 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गंगा बेसिन राज्य हैं। वर्ष 2000 से 2012 के दौरान इन राज्यों में बाढ़ से 200.312 मिलियन आबादी प्रभावित हुई थी और 36,744.142 करोड़ रुपये की फसलों, घरों और जनोपयोगी सेवाओं की कुल क्षति हुई थी। समिति ने आग्रह करते हुए यह नोट किया था कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन आकलन के भारतीय नेटवर्क (आईएनसीसीए) द्वारा हिमालय क्षेत्र सहित देश के चार क्षेत्रों में जल संसाधनों संबंधी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में किए गए अध्ययन में यह बताया गया था कि वर्ष 2030 तक अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ की विद्यमान मात्रा में 10 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन हो सकता है। समिति राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में सभी परियोजनाओं में जलवायु परिवर्तन के इनपुट को शामिल करने की आवश्यकता को तथा इस बात को नोट करते हुए कि मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन के पहलू को शामिल करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार किए जाने के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है, समिति यह सिफारिश करती है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने की प्रक्रिया तेज की जानी चाहिए तथा नदी बेसिन प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव का निवारण करने अथवा इसे न्यूनतम करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिएं।

(चार) समिति ने नोट किया कि गंगा बेसिन राज्यों में अभी तक 17,826 किमी. तटबंधों का निर्माण किया गया है, परन्तु मंत्रालय द्वारा तटबंधों के निर्माण में आई लागत का ब्यौरा संकलित नहीं किया गया है। यह नोट करते हुए कि बाढ़ तटबंध का प्रावधान करने के लिए मांग बढ़ रही है और यह कि गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ की संभावना वाले कुल 20.81 एमएचए क्षेत्र में से बाढ़ से सुरक्षित कुल क्षेत्र मात्र 9.40 एमएचए है, समिति ने मंत्रालय से यह अनुरोध किया कि गंगा बेसिन राज्यों में और तटबंधों का शीघ्रतापूर्वक निर्माण करने के लिए संबंधित राज्यों को बढ़ावा दिया जाए। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि गंगा बेसिन राज्यों को वनीकरण के द्वारा तटबंधों के समुचित रखरखाव तथा संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा तटबंधों के आवधिक निरीक्षण के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(पांच) समिति ने नोट किया कि केन्द्रीय जल आयोग बाढ़ की पूर्वसूचना गंगा बेसिन राज्यों के 87 स्टेशनों पर जारी करता है जो विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों नामत: राज्य राजस्व/सिविल प्राधिकरणों, संबंधित राज्य सरकारों की जल संसाधनों/सिंचाई/बाढ़ नियंत्रण/आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों तथा सड़क और रेल यातायात प्राधिकरणों को दी जाती है। यह नोट करते हुए कि राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में जोर दिया गया है कि बाढ़ की तैयारी के लिए बाढ़ की पूर्वसूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए, इसका पूरे देश में अच्छी तरह से विस्तार होना चाहिए, समिति ने यह सिफारिश की थी कि रीयल टाइम डाटा ऐक्विजिशन सिस्टम का प्रयोग करते हुए वर्तमान बाढ़ पूर्वानुमान अवसंरचना का आधुनिकीकरण होना चाहिए और इसे पूर्वसूचना मॉडलों के साथ लिंक किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय का बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में डिजिटल एलिवेशन मैप्स (डीईएम) की तैयारी, इनफ्लो फॉरकास्टिंग नेटवर्क के अंतर्गत अतिरिक्त जलाशय शामिल करने के लिए अपने बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क का आधुनिकीकरण और विस्तार करने के प्रस्तावों को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

(छह) यह नोट करते हुए कि वर्ष 2013 में उत्तराखंड में एक विनाशकारी बाढ़ आयी जिसमें 1,08,653 लोग बुरी तरह प्रभावित हुए, 580 लोग मारे गए, 4726 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हुए और 9470 पशु गुम हो गए, समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय को हिमालय में ऐसी जलवायु संबंधी घटनाएं जैसे बादल फटना, वर्षा का पैटर्न, बर्फ पिघलने का

पैटर्न आदि में उपयुक्त रूप से अनुसंधान करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय मौसम विभाग, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र (एनआरएससी), आदि जैसे संबद्ध संगठनों/विभागों के साथ समन्वय करना चाहिए ताकि उनके परिणामों का बेहतर, अधिक सटीक मौसम अनुमान लगाने के लिए लाभदायक उपयोग किया जा सके ताकि प्राकृतिक महाविपत्ति जैसे कि उत्तराखंड में घटित हुई थी, के लिए अग्रिम तैयारी में संबंधित विभागों/संगठनों को मदद मिल सके।

(सात) समिति ने नोट किया कि अक्तूबर, 2013 की स्थिति के अनुसार, 97 योजनाएं शुरू की गई थीं, जिनमें से 52 पूरी हो गईं, 04 योजनाएं छोड़ दी गईं/वापस ले ली गईं और 2007-08 से अब तक 41 योजनाओं पर अभी भी काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त, गंगा बेसिन में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के खराब निष्पादन के लिए कारण बताते हुए, मंत्रालय ने इसके लिए सीमित कार्य समय, भूमि अधिग्रहण में विवाद और राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्रों (यूसी) के समय पर न दिए जाने को जिम्मेदार ठहराया। समिति ने यह सिफारिश की थी कि गंगा बेसिन राज्यों द्वारा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के लिए भेजी गई योजनाओं को स्वीकार करने से पहले, मंत्रालय सुनिश्चित करे कि आवश्यक मूलभूत कार्यों नामत: भूमि अधिग्रहण, उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना, अवसंरचनात्मक विकास, पुनर्वास और पुन: स्थापन संबंधी मुद्दों आदि का निवारण योजनाओं का निष्पादन करने से पहले संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कर लिया जाए।

6

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति*

संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन से पूर्व, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और उनकी निगरानी और इन सुरक्षोपायों के कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आयुक्त के रूप में एक विशेष अधिकारी को पदनामित करने का उपबंध था। आयुक्त के प्रतिवेदनों को संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई और प्रस्तावित कार्रवाई तथा ऐसी सिफारिशों को अस्वीकार किए जाने के कारणों संबंधी ज्ञापन के साथ संसद की प्रत्येक सभा के पटल पर रखा जाता था। तथापि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के चौदहवें और पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर अगस्त, 1967 में लोक सभा में हुई चर्चा के दौरान अनेक सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षात्मक उपायों की देखभाल करने के लिए जांच-पड़ताल और आयुक्त के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्ण अधिकारों से संपन्न एक स्थायी संसदीय समिति की नियुक्ति की जानी चाहिए। सरकार ने यह सुझाव स्वीकार किया था और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगस्त, 1968 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी एक स्थायी संसदीय समिति का गठन किया गया था। समिति का गठन और उसके कृत्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331क और 331ख के द्वारा शासित होते हैं। तथापि, यहां यह उल्लेख किया जाता है कि अजा तथा अजजा आयुक्त का पद ही संवैधानिक सुरक्षोपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अपने आप में काफी नहीं था। तद्नुसार, सरकार ने गृह मंत्रालय के संकल्प संख्या: 13013/9/77-एससीटी(1) दिनांकित 21 जुलाई, 1978 के अंतर्गत प्रशासनिक निर्णय के माध्यम से एक बहु-सदस्यीय आयोग का गठन करने का निर्णय लिया। इस प्रकार अगस्त, 1978 में प्रथम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। बाद में 1992 में सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के पद तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थान पर अनुच्छेद 338 में संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 के द्वारा संशोधन करके सांविधिक बहु-सदस्यीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने का निर्णय लिया जो कि 12 मार्च, 1992 से अस्तित्व में आया। अनुच्छेद 338 में संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के द्वारा और संशोधन किया गया जिसके द्वारा नये अनुच्छेद 338(क) को अंत:स्थापन करके पूर्ववर्ती अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का क्रमश: दो अलग-अलग आयोगों यथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में द्विशाखन किया गया। यह द्विशाखन 1 दिसम्बर, 2004 को अस्तित्व में आया।

*लोक सभा सचिवालय की एससीटीसी शाखा के सौजन्य से।

समिति की संरचना

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति में 30 सदस्य होते हैं — जिनमें से 20 लोक सभा से और 10 राज्य सभा से एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार सदस्य अपने में से निर्वाचित करते हैं। अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से सभापति नियुक्त किया जाता है। किसी मंत्री को समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाता है और यदि कोई सदस्य समिति में निर्वाचन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाए तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा। समिति की कार्यावधि एक वर्ष से अनधिक होती है तथा यह वर्ष में 30 अप्रैल को समाप्त हो जाती है।

नई लोक सभा के गठन के साथ ही समिति की पहली कार्यावधि के लिए लोक सभा में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सामान्यत: इसके पहले या दूसरे सत्र के दौरान समिति के गठन हेतु निर्वाचन कराने के बारे में प्रस्ताव पेश किया जाता है। समिति की परवर्ती कार्यावधि के लिए कार्यकाल समाप्त करने वाले समिति के सभापति द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाता है।

समिति के कृत्य

लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331क के अनुसार समिति के महत्वपूर्ण कृत्यों में अन्य बातों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद क्रमश: 338(5)(घ) एवं 338क (5)(घ) के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदनों पर विचार करना और संघ सरकार, जिसमें संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं, के क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले मामलों के बारे में संघ सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों को प्रतिवेदित करना, समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों का संघ सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की गई कार्यवाही प्रतिवेदित करना, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का विधिवत् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 335 के उपबंधों को दृष्टि में रखते हुए संघ सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं तथा पदों में (जिनमें सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों, सांविधिक और अर्द्ध-सरकारी निकायों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में नियुक्तियां भी शामिल हैं)

संघ सरकार द्वारा किये गये उपायों पर विचार करना। संघ राज्यक्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो समिति उचित समझे या जो सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशेषरूप से निर्दिष्ट किए जाएं।

समिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी विभिन्न विषयों को गहन जांच के लिए चुनती है। विषयों का चयन करने में समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों को उचित महत्व देती है। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, समिति ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी), दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, पूर्व रेलवे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), एयर इंडिया (नेसिल), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) जैसे सरकारी सेवाओं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक तथा युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की जा रही ऋण सुविधाएं; गैस एवं पेट्रोल की एजेंसियों के आवंटन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण; वर्ष 2005 तथा 2007 के विशेष भर्ती अभियानों के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की नवयुग स्कूल शैक्षणिक सोसायटी द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त अजा के 10 पूर्व अध्यापकों की सेवाएं समाप्त किए जाने; विशेषरूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास संबंधी कार्यक्रमों की जांच; अनुसूचित जाति उप-योजना; जनजातीय उप-योजना का कार्यकरण; पूर्वोत्तर राज्यों में छठी अनुसूची के क्षेत्रों का कार्यकरण; भारत सरकार में वरिष्ठ पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा; सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में अस्पृश्यता की रोकथाम, अजा एवं अजजा के कल्याण के विशेष संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए); अजा एवं अजजा के विशेष सदंर्भ में बीड़ी कामगारों हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन; अजा एवं अजजा के शैक्षणिक विकास संबंधी मुद्दों; सशस्त्र बलों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रिया; "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन्यवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006" के उल्लंघन में जनजातियों के विरुद्ध किए गए अत्याचारों सहित "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" के कार्यान्वयन की समीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 5(घ) के अंतर्गत प्रस्तुत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (2004-05) की जांच; भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क (5)(घ) के अंतर्गत प्रस्तुत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (2004-05 एवं 2005-06) की जांच; केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों, मिलिट्री स्कूलों सहित स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, चिकित्सा कॉलेजों आदि सहित उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नीति; कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत अजा एवं अजजा के विकास जैसे विषयों को जांच के लिए चुना।

समिति ने अपने प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में भारत सरकार से सूचना अथवा स्पष्टीकरण मांगने पर भी विशेष ध्यान दिया।

पन्द्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान समिति की 80 बैठकें हुईं जो 111 घंटे और 35 मिनट तक चलीं।

कुछ प्रतिवेदनों की मुख्य बातें

विवरण में दी गई जानकारी के अनुसार पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान समिति ने विभिन्न विषयों संबंधी 42 प्रतिवेदन (19 मूल, 16 की गई कार्यवाही प्रतिवेदन तथा 7 अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (प्रस्तुत किए)। प्रतिवेदनों में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं:—

- समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (2009-10) में ''तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. (ओएनजीसी) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन'' विषय के संबंध में यह सिफारिश की थी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपने मंत्रालय में सरकारी निदेश की नियुक्ति करने हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम प्रायोजित करे। समिति ने चिंता के साथ यह नोट भी किया था कि विशेष भर्ती अभियान संबंधी ब्यौरे उसे प्रदान नहीं किये गये हैं।

  बोर्ड में नियुक्ति हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को प्रायोजित करने के लिए समिति की सिफारिश के संबंध में मंत्रालय ने अपने की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणों में यह बताया था कि ओएनजीसी ने उनकी वरीयता पर विचार करते हुए सभी वरिष्ठ पात्र इग्जेक्युटिव्ज के नाम अग्रेषित कर दिये हैं। उसने यह भी बताया था कि ओएनजीसी ने विशेष भर्ती अभियान, प्रत्यक्ष भर्ती तथा साक्षात्कार तथा वर्ष 2002 से 2010 तक कैम्पस भर्ती द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पदों को भरने के लिए बहुत प्रयास किये थे।

- समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अपने चौथे प्रतिवेदन (2009-10) में "गैस और पेट्रोल एजेंसियों के आबंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण" विषय की जांच करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आबंटितियों के नाम से अन्य व्यक्तियों द्वारा 'बेनामी ऑपरेशन' की समस्या को रोकने के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया था। समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि बढ़ते बेनामी ऑपरेशनों को रोकने के मद्देनजर तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) को सभी पेट्रोल पंपों तथा गैस एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य किया जाये कि वे फोटोग्राफ सहित सभी मालिकों के नाम दर्शायें। आगे यह सिफारिश भी की गई थी कि इस संबंध में सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) डीलरों/एलपीजी वितरकों को

अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें और यदि वे इसका अनुपालन नहीं करते हैं तो उन मालिकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणों में यह सूचित किया था कि मार्केटिंग डिसिपलिन गाइडलाइन्स (एमडीजी) आबंटन की श्रेणियों के बावजूद सभी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु समान रूप से मान्य है। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया था कि ओएमसीज़ सभी आरओ डीलरशिप तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु इसे अनिवार्य बनाने के लिए यह दिशा-निर्देश जारी करे कि वे परिसरों में मालिकों के नाम तथा फोटोग्राफ दर्शायें।

- समिति ने अपने आठवें प्रतिवेदन (2010-11) में "पंजाब और सिंध बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन और बैंक द्वारा उन्हें प्रदत्त ऋण सुविधायें" विषय के संबंध में यह नोट किया था कि अधिकारी संवर्ग में अनुसूचित जनजाति की 46 बकाया रिक्तियों को उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरा जा सका है।

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवायें विभाग ने अपने की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणों में यह बताया था कि वर्ष 2006 में बैंक ने दिनांक 2 जुलाई, 1997 से 1 जुलाई, 2004 की अवधि से संबंधित अधिकारी संवर्ग में अनुसूचित जनजाति की 86 बकाया रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया था और विशेष अभियान में अनुसूचित जनजातियों की 40 रिक्तियों को भरा गया था तथा उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण अनुसूचित जनजाति की 46 रिक्तियों को भरा नहीं गया था। आगे यह भी बताया गया था कि बैंक ने चालू सीधी भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति की 46 बकाया रिक्तियों को शामिल किया था जो पूरा होने के अंतिम चरण में थी तथा बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती में नई रिक्तियों सहित इन बकाया रिक्तियों को भरने के लिए दूसरा प्रयास किया गया था और यह आशा की गई थी कि सभी बकाया रिक्तियों को दिनांक 31 मार्च, 2011 तक भर लिया जायेगा।

उसी प्रतिवेदन में यह नोट करते हुए कि पंजाब और सिंध बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के ऋण की मॉनीटरिंग के लिए विशेष प्रकोष्ठ नहीं था इसलिए समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंजाब और सिंध बैंक शीघ्रातिशीघ्र अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के ऋण की मॉनीटरिंग के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करे ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार वह उसे दिये गये कार्य को पूरा कर सके। समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से यह भी अनुरोध किया था कि पंजाब और सिंध बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक पूर्ण रूप से उसके द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन करें ताकि कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों को ऋण देने वाले वरीयता क्षेत्र को मॉनीटरिंग संबंधी उद्देश्य को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सके।

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवायें विभाग ने अपने की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणों में यह बताया था कि बैंक ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के ऋण की मॉनीटरिंग करने के लिए हेड आफिस प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसिस डिपार्टमेंट में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की है। आगे यह भी बताया गया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन तथा शाखाओं से संगत सूचना/डाटा के नियमित रूप से एकत्रीकरण तथा संहिताबद्ध करने के पश्चात् भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपे जाने को सुनिश्चित करता है।

- समिति ने अपने दसवें प्रतिवेदन (2010-11) में भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित "भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन" विषय के संबंध में यह नोट किया था कि अनुसूचित जनजाति के एक भी कर्मचारी को वर्ष 2006 तथा 2007 के दौरान विदेश में प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा गया है। इसलिए, समिति ने प्रबंधन से यह आग्रह किया था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित इकाई के प्रमुख द्वारा सिफारिश स्तर से विदेश में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के नामांकन को पारदर्शी तथा सही तरीके से किया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के योग्य अभ्यर्थियों को इन प्रशिक्षणों में नामनिर्दिष्ट किये जाने के समान अवसर मिलें।

अपने की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणों में समिति को यह सूचित किया गया था कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. ने समिति को यह आश्वासन दिया था कि कंपनी सही तरीके से विदेशों में प्रशिक्षण हेतु नामनिर्दिष्ट करने के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान करने में भरसक प्रयासों सहित उनके करियर में बढ़ोतरी हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अपने कर्मचारियों को मंच प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।

- समिति ने अपने 22वें प्रतिवेदन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित "अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी)" (2012-13) विषय के संबंध में यह नोट किया था कि एससीएसपी का कार्यान्वयन सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एक समान रूप से नहीं किया जा रहा है तथा विभिन्न राज्यों ने प्रभावी तंत्र का पता लगाये बिना विभिन्न

तंत्रों को अपनाया जो एससीएसपी हेतु निधियों, व्यय संबंधी निगरानी, निधियों के विपथन को रोकना सुनिश्चित करेंगे। समिति ने यह भी नोट किया कि राज्य सरकारों ने विभाज्य और अविभाज्य दो संघटकों का प्रयोग किया है। प्रत्येक योजना में प्रभावी परिमाण केवल विभाज्य संघटक के तहत किया गया। इसके परिणामस्वरूप होने वाला निधियों का प्रवाह, राज्य की कुल जनसंख्या में से अजा और अजजा की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार कुल राज्य योजना से एससीएसपी को जितनी निधियां प्रदान की जानी चाहिए थीं उससे बहुत कम प्रदान की गईं।

समिति ने सिफारिश की कि अजा और अजजा के लिए अधिक संतुलित और साम्य समाज बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर देने हेतु उनके लिए बने कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा गंभीरता से कार्यान्वित किए जाएं। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि अजा और अजजा छात्रों के शैक्षणिक विकास में तेजी लाने के लिए स्ववित्तपोषित निजी संस्थानों में उच्च शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति एससीएसपी निधि से की जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियों की राशि बढ़ाई जाए जैसे-जैसे जीवन जीने की लागत बढ़ती रहती है। अजा या अजजा छात्रों के माता-पिता की आय सीमा बढ़ाकर 10 लाख रु. की जाए ताकि कई अजा या अजजा छात्र जिसे शिक्षा हेतु वित्त की आवश्यकता हो वित्तीय सहायता की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए।

- समिति ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित अपने चौबीसवें प्रतिवेदन (2012-13) में "केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन" विषय की जांच करते हुए नोट किया कि सीबीडीटी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की शिकायतों को निपटाने के लिए पृथक अजा/अजजा प्रकोष्ठ नहीं है और विभिन्न निदेशालयों/क्षेत्रों में से प्रकोष्ठ स्थापित करने की सिफारिश की। समिति ने इस तथ्य के संबंध में भी गंभीर चिंता व्यक्त की कि संपर्क अधिकारी को अजा/अजजा से संबंधित कार्य के अलावा विभिन्न अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं। समिति ने यह भी नोट किया कि विभिन्न निदेशालयों में अजा/अजजा की शिकायतों/परिवादों के निवारण के लिए अलग से शिकायत पंजिका नहीं रखी जाती। समिति जाली जाति प्रमाणपत्रों के मामलों के संबंध में ढुलमुल रवैये से खिन्न थी। समिति ने पुरजोर सिफारिश की कि ज्वाइनिंग के समय जाति प्रमाणपत्रों का सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए और सीबीडीटी को यह भी निर्देश दिया कि यह विभिन्न निदेशालयों के आयकर आयुक्तों को अनुदेश दे कि वे जाली जाति प्रमाण-पत्र मामलों के शीघ्र निपटान में व्यक्तिगत रूप से लगें और इस संबंध में जिलाधीशों/सक्षम प्राधिकारियों के संपर्क में रहें। की-गई-कार्रवाई टिप्पण में यह जानकारी दी गई कि सभी 18 आयकर आयुक्तों (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण) [सीसीएसआईटी (सीसीएस)] और सीबीडीटी के कार्यकारी नियंत्रण के अधीन 6 निदेशालयों ने अजा/अजजा प्रकोष्ठों से सृजन की पुष्टि की है जो संपर्क अधिकारी के नियंत्रण में कार्य कर रहे थे। यह जानकारी भी दी गई कि इन संपर्क अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया और उनके पास अधिक कार्यभार नहीं था। समिति को यह जानकारी भी दी गयी कि सभी सीसीएसआईटी (सीसीए) और आयकर विभाग निदेशालयों को अजा/अजजा कर्मचारियों की शिकायतों के लिए अजा/अजजा प्रकोष्ठ में पृथम रजिस्टर रखने का निदेश दिया गया है। जाली जाति प्रमाण-पत्र और संबद्ध बकाया वाद मामलों से निपटने के लिए समिति की सिफारिश के अनुसरण में यह जानकारी दी गयी कि सभी सीसीएसआईटी (सीसीए) को ऐसे मामलों के निपटान में व्यक्तिगत रूप से शामिल रहने और सक्षम प्राधिकारियों के संपर्क में रहने के अनुदेश दिए गए हैं।

- कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित "भारत सरकार के वरिष्ठ पदों में अजा और अजजा के प्रतिनिधित्व की समीक्षा" विषयक अपने छब्बीसवें प्रतिवेदन (2012-2013) में समिति ने सिफारिश की कि संयुक्त सचिव/अपर सचिव और सचिव पदों की नाम सूची बनाने की प्रक्रिया में आरक्षण आवश्यक बनाया जाए। समिति ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से अनुरक्षित नहीं किए जाते। समिति ने यह भी नोट किया कि वैज्ञानिक और तकनीकी पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है तथा इस हेतु सिफारिश की। समिति यह नोट करके अप्रसन्न थी कि सरकार की नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर के पदों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अत: समिति ने सरकार से आग्रह किया कि वह नीति बनाने वाले निर्णय लेने वाले निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे। मंत्रालय से प्राप्त की गयी कार्रवाई टिप्पणों की जांच की जा रही है।

- "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में बीड़ी कामगारों हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन" विषय पर श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अपने 27वें प्रतिवेदन (2012-2013) में समिति ने नोट किया कि अधिकांश बीड़ी कामगार निरक्षर हैं, उनकी कोई परिसंपत्ति नहीं है, उनकी स्वच्छता की स्थिति बहुत खराब है, वे टीबी (तपेदिक) जैसी व्यवसाय से जुड़ी बीमारियों तथा चर्म रोगों से प्रभावित होते हैं और उन्हें अपने संरक्षण संबंधी कानूनों की जानकारी नहीं होती जिसके कारण उनका शोषण होने की आशंका बढ़ जाती है।

समिति का दृढ़ मत है कि कामगारों को विशेष, सुगम, वहनीय तथा नियमित चिकित्सा परिचर्या की आवश्यकता है। समिति ने यह सिफारिश की है कि विशेष चिकित्सा उपचार हेतु तत्काल कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि दूरस्थ क्षेत्रों में बीड़ी कामगारों की सुगमता के लिए, जहां अस्पताल तथा विशेष डॉक्टर नहीं हैं वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सों और औषधियों आदि के साथ मोबाइल वैन चलाई जाएं। समिति ने पाया कि अधिकांश बीड़ी कामगार निर्धन हैं, उनका संबंध अजा/अजजा से है और बीपीएल श्रेणी से है। वे चिकित्सा देखभाल पर धन खर्च करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए समिति ने सिफारिश की थी कि ठेकेदारों के अधीन अथवा घर से कार्य कर रहे अजा तथा अजजा बीड़ी कामगारों को ईएसआई कॉर्पोरेशन के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

- समिति ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अपने 28वें प्रतिवेदन में "अजा तथा अजजा के विशेष संदर्भ में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमएनआरईजीए)" विषय की जांच में यह सुझाव दिया था कि केंद्र को लक्षित लाभार्थियों की गांव-वार/पंचायत-वार/जिला-वार सूची बनानी चाहिए और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नरेगा के अंतर्गत रोजगार में प्राथमिकता देनी चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्येक परिवार को एक वित्त वर्ष में मौजूदा कम से कम 100 दिन के बजाय 150 दिन के रोजगार की गारंटी देने के लिए नरेगा में संशोधन किया जाना चाहिए। समिति ने दृढ़ता से यह महसूस किया कि सरकार नरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के गरीबों के लिए खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को रोजगार की गारंटी के लिए भी एक विधान लाना चाहिए।

- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/संगठनों और राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि के निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में, समिति ने बीएचईएल, एफसीआई, भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन कंपनी लिमिटेड (एनएसीआईएल), ओएनजीसी, एनटीपीसी, ओएफबी, पंजाब और सिंध बैंक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि से संबंधित अपने कई प्रतिवेदनों में पुरजोर सिफारिश की थी कि सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य संगठनों में निदेशक मंडल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित विधान लाना चाहिए। साक्ष्य के दौरान, वित्त मंत्रालय के सचिव ने समिति को आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में समिति की सिफारिशों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे।

अध्ययन दौरा

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान समिति ने सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में विभिन्न केंद्रीय सरकारी उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य निकायों के 8 तत्स्थानिक अध्ययन दौरे किए। अध्ययन दौरों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गयी विशिष्ट योजनाओं के बारे में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश, दमन और दीव, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। समिति द्वारा किए गए तत्स्थानिक दौरों के दौरान उपर्युक्त राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए गए/प्रस्तावित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक उपायों पर भी चर्चा की गई। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को समझने के लिए समिति ने देश के विभिन्न भागों में किये गये अध्ययन दौरों से संबंधित पांच प्रतिवेदन संसद की दोनों सभाओं के सभा पटल पर रखे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदाय के सदस्यों पर बढ़ते हुए अत्याचारों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने हरियाणा के हिसार, जींद और कैथल जिलों और मिर्चपुर गांव का तत्स्थानिक अध्ययन दौरा किया और राज्य सरकार के अधिकारियों/सक्षम प्राधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरे से संबंधित प्रतिवेदन संसद की दोनों सभाओं के सभा पटल पर रखे गये।

अभ्यावेदनों का निपटारा करने की प्रक्रिया

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं/कठिनाइयों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायतों का निपटारा करने के लिए समिति ने निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की है:—

- सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त हुए ज्ञापनों/अभ्यावेदनों के लिए शीर्ष स्तर पर राष्ट्रपति के साथ एक अपीलीय और समीक्षा प्राधिकारी निर्धारित है। ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उन्हें संबंधित मंत्रालय/विभाग के पास उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है।

- राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों से संबंधित ज्ञापनों/अभ्यावेदनों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों के पास निपटारे के लिए भेज दिया जाता है और याचिकाकर्ता को की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाता है।

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनकी दशा में सुधार के सामान्य सुझाव संबंधी ज्ञापनों/अभ्यावेदनों पर समिति द्वारा उन सुझावों में उल्लिखित विषयों पर कार्रवाई करते समय उसके महत्व के आधार पर विचार किया जाता है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों कर्मचारी कल्याण संघों और व्यक्तियों से आरक्षण नीति के कार्यान्वयन तथा अजा/अजजा के लोगों के समक्ष आ रही अन्य समस्याओं के संबंध में प्राप्त कुल 3700 अभ्यावेदनों में से 3658 अभ्यावेदनों का केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निबटारा किया गया है।

इन वर्षों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने वाला एक प्रभावी तंत्र बन गया है। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान का संबंध है, समिति ने सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों पर काफी अधिक प्रभाव डाला है। समिति की कार्य प्रणाली से इस संबंध में जागरूकता भी पैदा हुई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक रक्षोपायों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए संसद की एक निगरानी समिति मौजूद है।

विवरण

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की सूची

क्रम सं.	प्रतिवेदन संख्या	विषय प्रस्तुत करने की तारीख
1	2	3
1.	पहला प्रतिवेदन	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनका नियोजन। (25.11.2009)
2.	दूसरा प्रतिवेदन	"जाली जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किए गए रोजगार से उत्पन्न स्थिति" विषय पर 29वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही। (30.11.2009)
3.	तीसरा प्रतिवेदन	भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनका नियोजन। (2.12.2009)
4.	चौथा प्रतिवेदन	गैस और पेट्रोल एजेंसियों के आबंटन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। (11.3.2010)
5.	पांचवां प्रतिवेदन	"केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) और नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रवेश तथा नियोजन में आरक्षण सहित सेवाओं में आरक्षण" के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही। (11.3.2010)
6.	छठा प्रतिवेदन	"दक्षिण पश्चिम रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन"। (11.3.2010)
7.	सातवां प्रतिवेदन	"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग – इसका अधिदेश और उपलब्धियां – इसके संगठन तथा कार्यप्रणाली की समीक्षा" विषय के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही। (22.4.2010)
8.	आठवां प्रतिवेदन	पंजाब एंड सिंध बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदत्त ऋण सुविधाएं। (28.7.2010)
9.	नौवां प्रतिवेदन	भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनका नियोजन" विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्यवाही। (11.8.2010)

1	2	3
10.	दसवां प्रतिवेदन	"भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनका नियोजन"। (23.11.2010)
11.	ग्यारहवां प्रतिवेदन	"राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग – इसका अधिदेश और उपलब्धियां – इसके संगठन और कार्यकरण की समीक्षा" विषयक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) द्वारा की-गई-कार्रवाई। (24.3.2011)
12.	बारहवां प्रतिवेदन	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्गों (पीटीजी) के विकास हेतु कार्यक्रमों की जांच। (6.9.2011)
13.	तेरहवां प्रतिवेदन	वर्ष 2005 और 2007 के दौरान विशेष भर्ती अभियान के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की नवयुग विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए अजा के पूर्व अध्यापकों की सेवाएं समाप्त किया जाना। (6.9.2011)
14.	चौदहवां प्रतिवेदन	"दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन" विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के छठवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्रवाई। (7.9.2011)
15.	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	"भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) में अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनका नियोजन" विषय के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई। (7.9.2011)
16.	सोलहवां प्रतिवेदन	"तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन" विषय के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई। (13.12.2011)
17.	सत्रहवां प्रतिवेदन	"गैस और पेट्रोल एजेंसियों के आवंटन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण" विषय के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई। (13.12.2011)
18.	अठारहवां प्रतिवेदन	"दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन" विषयक रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के बारे में अट्ठाइसवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई। (27.12.2011)
19.	उन्नीसवां प्रतिवेदन	"भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन" विषय के संबंध में तीसरे प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई। (15.3.2012)
20.	बीसवां प्रतिवेदन	"पंजाब एंड सिंध बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदत्त ऋण सुविधाएं" विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई। (27.4.2012)
21.	इक्कीसवां प्रतिवेदन	नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीआईएल) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन। (9.8.2012)
22.	बाईसवां प्रतिवेदन	अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) की कार्य प्रणाली। (26.11.2012)

1	2	3
23.	तेईसवां प्रतिवेदन	"वर्ष 2005 और 2007 के दौरान विशेष भर्ती अभियान के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की नवयुग विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए अजा के 10 पूर्व अध्यापकों की सेवाएं समाप्त किया जाना" विषय के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई। (26.11.2012)
24.	चौबीसवां प्रतिवेदन	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण एवं नियोजन। (26.11.2012)
25.	पच्चीसवां प्रतिवेदन	जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) का कार्यकरण। (26.11.2012)
26.	छब्बीसवां प्रतिवेदन	भारत सरकार के उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा। (20.3.2013)
27.	सत्ताइसवां प्रतिवेदन	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में बीड़ी कामगारों हेतु योजनाओं का कार्यकरण। (30.4.2013)
28.	अट्ठाइसवां प्रतिवेदन	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जांच। (7.8.2013)
29.	उनतीसवां प्रतिवेदन	"विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास हेतु कार्यक्रमों की जांच" विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बारहवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई। (22.8.2013)
30.	तीसवां प्रतिवेदन	सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना में अस्पृश्यता निवारण। (22.8.2013)
31.	इकतीसवां प्रतिवेदन	आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन। (22.8.2013)
32.	बत्तीसवां प्रतिवेदन	"केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण एवं नियोजन" विषय पर चौबीसवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई। (9.12.2013)
33.	तैंतीसवां प्रतिवेदन	"भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लिमिटेड (एनएसीआईएल) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन" विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई। (11.2.2014)
34.	चौंतीसवां प्रतिवेदन	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदत्त ऋण सुविधाएं (11.2.2014)
35.	पैंतीसवां प्रतिवेदन	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदत्त ऋण सुविधाएं। (18.2.2014)

7

नियम 377 के अधीन मामले*

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 377 के अधीन सदस्य, अध्यक्ष की पूर्व सहमति से, कोई मामला जो व्यवस्था का प्रश्न न हो, सभा के ध्यान में ला सकता है। इस प्रयोजन हेतु उठाए जाने वाले मामले के पाठ को संक्षिप्त रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना महासचिव को लिखित रूप में दी जानी चाहिए। जहां पहले नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामले संवैधानिक अथवा विधिक महत्व तक ही सीमित होते थे जो सभा के अधिकार क्षेत्र में होते थे या जो सभा के कार्य अथवा इसकी पद्धति से संबंधित होते थे अथवा जो व्यवस्था के प्रश्न जैसे होते हैं परंतु व्यवस्था का प्रश्न होने से चूक जाते हैं—इसलिए छठी लोक सभा के चौथे सत्र से उदार दृष्टिकोण अपनाया गया। नियम 377 के अंतर्गत प्रतिदिन पांच सूचनाओं की अनुमति दी गई। प्रतिदिन आठ मामले उठाए जाने की प्रथा जो सातवीं लोक सभा के दौरान आरंभ हुई—वह नवम्बर 1997 तक चलती रही। तत्पश्चात्, यह निर्णय लिया गया कि नियम 377 के अंतर्गत उठाए जा रहे मामलों की संख्या प्रतिदिन आठ से बढ़ाकर चौबीस की जाए जो लोक सभा में दलों/समूहों की संख्या के आधार पर आवंटित हो।

तथापि, चूंकि लगातार व्यवधानों के कारण नियम 377 के अधीन मामलों को सभा में नहीं उठाया जा सका, इसलिए 11वीं लोक सभा के विघटन अर्थात् 4 दिसंबर, 1997 तक निर्णय को लागू नहीं किया जा सका।

वास्तव में इस पद्धति को 12वीं लोक सभा के पहले सत्र अर्थात् 26 मार्च, 1998 से ही लागू किया जा सका। तदुपरांत, 29 मई, 1998 को हुई कार्य मंत्रणा समिति में, यह निर्णय लिया गया कि लोक सभा में दलों/समूहों की संख्या के आधार पर प्रतिदिन 24 सदस्यों के स्थान पर 12 सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी जाएगी। 19 नवम्बर, 2000 को दलों/समूहों के नेताओं के साथ अध्यक्ष की बैठक में प्रायोगिक आधार पर यह निर्णय लिया गया कि नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों की संख्या प्रतिदिन 12 से बढ़ाकर 15 की जाए और सूचना का पाठ 250 शब्दों से कम करके 150 किया जाए। इस पद्धति को 27 नवम्बर, 2000 से लागू किया गया।

दलों के नेताओं के साथ माननीय अध्यक्ष की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों की संख्या प्रतिदिन 15 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है ताकि अधिक सदस्य अपने मामले उठा सकें। इस निर्णय को 25 अप्रैल, 2005 से लागू किया गया।

तथापि, समय के साथ-साथ, कभी तो अधिक विधायी और अन्य कार्यसूचियों के कारण और कभी सभा के व्यवधानों के कारण एक परिपाटी विकसित हुई है जिसके अंतर्गत नियम 377 के अधीन मामले सभापटल पर रखे हुए माने जाते हैं।

5 नवम्बर, 2009 को अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि यदि अध्यक्षपीठ द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि नियम 377 के अधीन मामलों को सभापटल पर रखा हुआ माना जाएगा तो अध्यक्षपीठ द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि जिन सदस्यों को उस दिन नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर अपनी पर्चियां पटल पर दे दें। जिन सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से नियम 377 के अधीन मामलों को सभापटल पर नहीं सौंपा है उनकी सूचना को व्यपगत माना जाएगा। इस प्रक्रिया का लोक सभा के 15वें सत्र से पालन किया जा रहा है।

नियम 377 के अधीन किसी सूचना के ग्राह्य होने के लिए आवश्यक है कि वह राज्य सूची का विषय न हो, उसी सत्र में पहले उठाया गया मामला न हो, उसमें तर्क, अभ्यारोप, अनुमान न हों और वह किसी संसदीय/सलाहकार समिति की कार्यवाही से संबंधित न हो।

सदस्य नियम 377 के अधीन एक सप्ताह में केवल एक मामला उठा सकता है/सकती है। नियम 377 के अधीन सूचना देना काफी आसान है और दी गई सूचना पूरे सप्ताह के लिए मान्य होती है। समयाभाव के कारण चाहे किसी सूचना का वरीयता क्रम सुनिश्चित करने के लिए उसे बैलट में शामिल न किया गया हो पर प्राप्त सूचनाओं को उनकी प्राप्ति के दिन और समय के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है और यदि रिक्ति हो तो उन्हें उठाए जाने का अवसर मिल जाता है।

प्रतिदिन 20 सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी जाती है। प्रत्येक दल और मामले उठाने वाले उस दल के सदस्यों की संख्या का अनुपात एक फार्मूले द्वारा विनिर्धारित किया जाता है। संबंधित दलों के प्रतिदिन के कोटे का फार्मूला नीचे दिया गया है:

$$\frac{\text{प्रतिदिन उठाए जाने वाले मामलों की कुल संख्या} \times \text{दल के सदस्यों की संख्या}}{\text{सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या}}$$

विगत वर्षों में नियम 377 की संभावना में वृद्धि हुई है और यह सभी दलों के सदस्यों के लिए लोकप्रिय संसदीय उपाय माना गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रश्न, ध्यानाकर्षण इत्यादि जैसे अन्य नियमों के अंतर्गत उठाए जाने वाले मामलों के लिए विशेष प्रक्रियाएं विनिर्धारित हैं

*लोक सभा सचिवालय के टेबल आफिस के सौजन्य से।

जिसके कारण, अधिकांश मामलों में, सदस्य नियमित आधार पर अपने विचार नहीं रख पाते। तथापि, नियम 377 के अधीन सदस्यों को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित लोकहित के महत्व के उन मामलों को हर सप्ताह उठाने का अवसर मिल जाता है जिन्हें सामान्यत: अन्य नियमों के अंतर्गत उठाने की अनुमति नहीं होती। अधिकांश मामलों में यह पाया गया है कि सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों का उत्तर संबंधित मंत्री/मंत्रालय सभा में मामला उठाए जाने के एक माह के भीतर दे देते हैं। सदस्य संबंधित मंत्री/मंत्रालय से सीधे स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, मांग लेता है। नियम 377 के अधीन प्राप्त उत्तरों की स्थिति की समीक्षा सामान्यत: अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक सत्र आरंभ होने के पहले दलों के नेताओं की बैठक में की जाती है।

यह नियम निर्वाचन क्षेत्र के उन मुद्दों को उठाने के लिए बनाया गया है जिन पर संबंधित सदस्य को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अधिकांश मामलों में सूचनाएं सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने हेतु सुझाव होती हैं और कुछ मामलों में ज्ञानप्रद होती हैं जो सरकार को उपर्युक्त सरकारी नीति बनाने हेतु बहुमूल्य आदान उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार इस नियम का अत्यधिक महत्व है।

कभी-कभी सभा में लगातार व्यवधानों के कारण उस दिन के लिए सभा की कार्यसूची में शामिल अन्य कार्य नहीं लिए जाते जबकि लगातार व्यवधानों के बावजूद नियम 377 के अधीन मामले निरपवाद रूप से सभापटल पर रखे जाते हैं और इसी कारण इसने सदस्यों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है।

8

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य*

लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों का निपटान करने के लिए सप्ताह (सामान्यत: शुक्रवार को) में एक बार ढाई घंटे के समय के नियतन का उपबंध है। यद्यपि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत समय बहुत सीमित है, फिर भी सभा में सभी वर्गों के सदस्य सामान्य लोक हित से संबंधित मामलों पर चर्चा में भाग लेकर, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के रूप में विधायी प्रस्ताव प्रारंभ करके तथा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पेश करके इस कार्य में अपनी-अपनी गहन रुचि का प्रदर्शन करते हैं।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान संसद में लगभग सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी सदस्यों ने 372 विधेयक पुर:स्थापित किए। इनमें से 62 विधेयकों का आशय संविधान में संशोधन करना था। कुल मिलाकर ग्यारह विधेयकों पर चर्चा हुई (अनुबंध-एक)। इनमें से नौ विधेयकों को संबंधित मंत्री द्वारा विधेयक पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप के माध्यम से दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रभारी सदस्यों द्वारा वापस लिया गया, एक विधेयक अस्वीकृत हुआ और शेष एक विधेयक, जिस पर चर्चा पूरी नहीं हुई थी, पन्द्रहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया।

चर्चा किए गए कुछेक महत्वपूर्ण विधेयक हैं:—

(एक) श्री वैजयंत ''जय'' पांडा, संसद सदस्य द्वारा पेश किया गया अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्र तथा अंचल (त्वरित विकास के लिए विशेष उपबंध) विधेयक, 2009, जिसका आशय देश में अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्रों जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं, का त्वरित विकास सुनिश्चित करने के लिए एक स्वायत्त केन्द्रीय प्राधिकरण स्थापित करना था। इस विधेयक ने सदस्यों के बीच काफी रुचि पैदा की तथा वाद-विवाद में 16 सदस्यों ने भाग लिया। अंत में सभा की अनुमति से विधेयक वापस ले लिया गया।

(दो) श्री जय प्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य द्वारा पेश किया गया अनिवार्य मतदान विधेयक, 2009, जिसका आशय निर्वाचन आयोग द्वारा कहे जाने पर किसी निर्वाचन में मतदान को देश के प्रत्येक पात्र नागरिक के लिए अनिवार्य बनाए जाने हेतु उपबंध करना था। इस विधेयक को सभा में सभी वर्गों से समर्थन प्राप्त हुआ तथा यहां तक कि इस चर्चा में 20 सदस्यों ने भाग लिया।

(तीन) श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य का जादू-टोना पर पाबंदी विधेयक, 2010, जिसका आशय किसी भी रूप में जादू-टोना करने, उसे बढ़ावा देने या उसे विज्ञापित करने के लिए कठोर दंड का उपबंध करने तथा जादू-टोना पर पाबंदी का उपबंध करना था। इस विधेयक को सभा में सभी वर्गों से समर्थन प्राप्त हुआ तथा इस चर्चा में 16 सदस्यों ने भाग लिया। चूंकि विधेयक के प्रभारी सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे अत: चर्चा के अंत में विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर मत-विभाजन हुआ तथा वह अस्वीकृत हुआ।

(चार) श्री जय प्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य का वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपबंध विधेयक, 2010, जिसका आशय सभी वरिष्ठ नागरिकों को शोषण और दुर्व्यवहार से संरक्षण देने के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपबंध करना था। सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया। सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों के निपटान के लिए सीमित समय उपलब्ध होने तथा बैलट आदि में उच्च प्राथमिकता प्राप्त करने संबंधी प्रक्रियागत औपचारिकताओं के कारण कई महत्वपूर्ण विषयों पर सभा में पुर:स्थापित किए गए अधिकांश विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण विधेयक ये हैं:—

(एक) श्री के.सी. सिंह ''बाबा'', संसद सदस्य का पर्यावरण संरक्षण विधेयक, 2009, जिसका आशय पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संरक्षण के लिए केन्द्र और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र में एक परिषद् की स्थापना करने का उपबंध करना था;

(दो) श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसद सदस्य का वर्षा जल (अनिवार्य संचयन) विधेयक, 2009, जिसका आशय जल संचयन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गृहस्थी, व्यवसाय स्थापन और सरकारी भवन द्वारा वर्षा जल के अनिवार्य संचयन का उपबंध करना था।

(तीन) श्री शैलेन्द्र कुमार, संसद सदस्य का निस्सहाय बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2009, जिसका आशय उन निस्सहाय बालकों, जो कूड़ा बीनकर, भिक्षावृत्ति से, जूते पॉलिश करके, पॉटर के रूप में काम करके या सड़क क्रॉसिंग या सार्वजनिक स्थानों पर करतब दिखाकर जीवनयापन करते हैं, के लिए संघ और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले पुनर्वास और

*विधायी शाखा-II के सौजन्य से।

कल्याणकारी उपायों और उन्हें अभिरक्षा में लेकर उनका पुनर्वास करने और उन्हें उचित देख-देख, संरक्षण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का उपबंध करना था।

(चार) श्री हंसराज गं. अहीर, संसद सदस्य का विस्थापित कृषक (पुनर्वास और अन्य सुविधाएं) विधेयक, 2010, जिसका आशय कृषक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए जिन कृषकों की भूमि का अर्जन किया जाता है और जिसके परिणामस्वरूप वे विस्थापित हो जाते हैं, उनके पुनर्वास औद्योगिक इकाइयों द्वारा अर्जित लाभों में ऐसे कृषकों की हिस्सेदारी का उपबंध करना था।

(पांच) श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला, संसद सदस्य का पोलियो-पश्चात् संलक्षण (शिक्षा, प्रशिक्षण और जानकारी) विधेयक, 2010, जिसका आशय पोलियो-पश्चात् संलक्षण के बारे में शिक्षा और प्रशिक्षण तथा जानकारी देने का उपबंध करना था।

(छह) डॉ. अजय कुमार, संसद सदस्य का स्वास्थ्य बीमा (गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के लिए) विधेयक, 2011, जिसका आशय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए स्वास्थ्य बीमा का उपबंध करना था।

(सात) डॉ महेन्द्रसिंह पी. चौहान, संसद सदस्य का महिला और बालिका (अत्याचार निवारण) विधेयक, 2012, जिसका आशय बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों को नियंत्रित करने के लिए कठोर दंड, अत्याचार से पीड़ित महिलाओं के लिए पुनर्वास उपायों तथा महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने का उपबंध करना था।

(आठ) श्री कालीकेश नारायण सिंह देव, संसद सदस्य का जलवायु परिवर्तन विधेयक, 2012, जिसका आशय लक्षित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए लक्ष्य निर्धारित करना; राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति की स्थापना करना; कार्बन बजटिंग तथा कार्बन ट्रेडिंग स्कीमों का उपबंध करना और अन्य ऐसे ही क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना; ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए उपबंध करना था।

(नौ) श्री फिरोज वरुण गांधी, संसद सदस्य का निजी क्षेत्र में रिश्वत की रोकथाम विधेयक, 2012, जिसका आशय निजी क्षेत्र में कार्मिकों के मध्य रिश्वत की प्रक्रियाओं से निपटने के लिए तंत्र विकसित करने का उपबंध करना है।

(दस) डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहान, संसद सदस्य का इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (उठाई-धराई और निपटान) विधेयक, 2013, जिसका आशय इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के निपटान के संबंध में मानक विहित करके और विनिर्माताओं, पुनः चक्रणकर्ताओं और उपभोक्ताओं के दायित्व और कर्तव्यों का नियतन करके परित्यक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट की उचित उठाई-धराई और निपटान का उपबंध करना है।

गैर-सरकारी सदस्यों ने अपने विधेयकों के जरिए नए विचार लाने के द्वारा अच्छे प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए श्री सतपाल महाराज, संसद सदस्य ने एक विधेयक नामतः संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अनुच्छेद 24क का अंतःस्थापन) पुरःस्थापित किया, जिसका आशय नागरिकों से संबंधित सेवाओं के समयबद्ध वितरण के अधिकार को नागरिकों के मौलिक अधिकार बनाने की दृष्टि से संविधान को संशोधित करना था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधेयक जिनमें नए विचार समाहित थे, निम्नानुसार हैं:—

(एक) श्री वैजयंत पांडा द्वारा अयाचित टेलीफोन कालों का निवारण और एकांतता का संरक्षण विधेयक, 2009, विधेयक का आशय टेलीमार्केटिंग सेवा प्रदाताओं और अन्य संस्थाओं से अयाचित टेलीफोन कालों का निवारण और नागरिकों की व्यक्तिगत एकांतता का संरक्षण करने के लिए उपबंध करना है।

(दो) श्री हंसराज ग. अहीर, संसद सदस्य का वन उपज प्रबंध बोर्ड, विधेयक, 2010, विधेयक का आशय जनजातीय तथा अन्य व्यक्तियों, जो वन उपज पर आश्रित हैं, को जीविका उपार्जित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से वन उपज प्रबंध बोर्ड की स्थापना करना है।

(तीन) श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य का सांस्कृतिक विरासत संरक्षण विधेयक, 2001, विधेयक का आशय देश में स्थित सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक विरासत संरक्षण बोर्ड कहलाने वाले एक बोर्ड के गठन के लिए उपबंध करना है।

(चार) श्री ओमप्रकाश यादव, संसद सदस्य का उपशामक देखरेख (शिक्षा और प्रशिक्षण) विधेयक, 2010, विधेयक का आशय उपशामक देखरेख को स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के एक एकीकृत हिस्से के रूप में मान्यता देना है और निम्नलिखित के लिए भी उपबंध करता है:—

(क) उपशामक देखरेख के बारे में जागरूकता सृजित करने की दृष्टि से उपशामक देखरेख के लिए नीति का प्रतिपादन;

(ख) प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान में उपशामक देखरेख में शिक्षण और प्रशिक्षण; और

(ग) केन्द्रीय सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित और चलाए जा रहे प्रत्येक आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा चिकित्सालय पर्यवसेय रुग्णता वाले व्यक्तियों को उपशामक देखरेख।

(पांच) डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, संसद सदस्य का आवश्यक वस्तु कीमत निर्धारण आयोग विधेयक, 2010 विधेयक का आशय

आवश्यक वस्तुओं के कीमत निर्धारण के लिए आयोग का गठन करने का उपबंध करना है।

(छः) श्री पन्ना लाल पुनिया, संसद सदस्य का सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (धन उधार देने का विनियमन) विधेयक, 2010, विधेयक का आशय सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को धन उधार देने का विनियमन करने से, देश में महिला स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के शोषण से संरक्षण देना है।

(सात) श्री सतपाल महाराज, संसद सदस्य का शैक्षिक संस्थाओं में योग का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2010, विधेयक का आशय प्राथमिक विद्यालय स्तर से उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक सभी शैक्षिक संस्थाओं में योग को अनिवार्य शिक्षण विषय बनाने का उपबंध करना है।

(आठ) श्री वैजयंत पांडा, संसद सदस्य का सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नकदी अंतरण का चरणबद्ध निगमन विधेयक, 2011, विधेयक का आशय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हिताधिकारियों को परिदान मूल्य पर मुहैया कराए जा रहे खाद्यान्नों के बदले चरणबद्ध तरीके में नकदी अंतरण शुरुआत का उपबंध करना है।

(नौ) श्री हंसराज गंगाराम अहीर, संसद सदस्य का विद्यालयों में अनिवार्य खेल शिक्षा विधेयक, 2011, विधेयक का आशय अन्य बातों के साथ-साथ, देश के सभी विद्यालयों में अनिवार्य खेल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति का प्रतिपादन और राष्ट्रीय खेल शिक्षा कोष का गठन करने का उपबंध करना है।

(दस) श्रीमती प्रिया दत्त, संसद सदस्य का लेखक और कलाकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2011, अन्य बातों के साथ-साथ विधेयक का आशय है देश में लेखकों और कलाकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए:-

(क) लेखकों और कलाकारों के लिए कल्याणकारी स्कीमें तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाना तथा इस प्रयोजनार्थ लेखक और कलाकार सामाजिक सुरक्षा सलाहकार बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन करना; और

(ख) राष्ट्रीय लेखक और कलाकार कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करना।

(ग्यारह) डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुच्छेद 72 का संशोधन), विधेयक का आशय है संविधान के अनुच्छेद 72 में संशोधन करना ताकि यह उपबंध किया जा सके कि राजद्रोह या राज्य के विरुद्ध युद्ध करने या देश के किसी भाग में आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरन की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा दया की अर्जी की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(बारह) श्री पन्ना लाल पुनिया, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अनुच्छेद 16क, आदि का अंत:स्थापन), विधेयक का आशय संविधान में संशोधन करके राज्य को समर्थ बनाना है ताकि वह निजी उपक्रमों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के पक्ष में नियोजन के मामलों में आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करे।

(तेरह) श्री हंसराज गं. अहीर, संसद सदस्य का राष्ट्रीय सौर ऊर्जा प्राधिकरण विधेयक, 2012, विधेयक का आशय देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन और प्रयोग को संवर्धित करने के प्रयोजनार्थ एक राष्ट्रीय सौर ऊर्जा प्राधिकरण का गठन का उपबंध करना है।

(चौदह) श्री कालीकेश नारायण सिंह देव, संसद सदस्य का पक्ष प्रचारण के क्रियाकलापों का प्रकटीकरण विधेयक, 2013, विधेयक का आशय निम्नलिखित का उपबंध करना है:-

(एक) किसी व्यक्ति अथवा किसी संगठन जो स्वयं अपनी ओर से अथवा किसी तीसरे पक्षकार की ओर से पक्ष प्रचारण क्रियाकलाप संचालित करता है, के रजिस्ट्रीकरण के लिए पक्ष प्रचारण रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण का गठन करना; और

(दो) शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऐसे पक्ष प्रचारण क्रियाकलापों का प्रकटीकरण जो विधायी और कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।

इनके अलावा, सामान्य तौर पर महिलाओं के कल्याण को प्रवर्तित करने के उद्देश्य से महिला सदस्यों द्वारा भी कुछ विधेयक पुर:स्थापित किए गए हैं। इस प्रयोजनार्थ पुर:स्थापित किए गए कुछ विधेयक इस प्रकार हैं:-

(एक) कुमारी सरोज पांडेय, संसद सदस्य का महिला अधिकारिता विधेयक, 2010 । विधेयक का आशय सभी क्षेत्रों में महिलाओं को अधिकारिता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपायों का उपबंध करना है:-

(क) महिलाओं को कतिपय सुविधाएं जैसे नि:शुल्क शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नि:शुल्क बीमा उपलब्ध कराने के लिए कामकाजी महिला कल्याण निधि का गठन;

(ख) प्रबंधन, एसोसिएशन आदि में समान अधिकार;

(ग) महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के निपटान के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान;

(घ) निराश्रित महिलाओं के लिए सुविधाएं;

(ङ) संपत्ति के अधिकार; और

(च) यौन उत्पीड़न का निवारण।

(दो) श्रीमती मेनका संजय गांधी, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010, विधेयक का आशय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 1951 में यह उपबंध करने के लिए संशोधन करना है कि लोक सभा अथवा किसी राज्य की विधान सभा के निर्वाचन के लिए प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा निर्वाचन लड़ने के लिए खड़े किए जाने वाले उम्मीदवारों में से कम से कम एक तिहाई उम्मीदवार महिलाएं हों।

(तीन) श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा बालिका (नि:शुल्क और अनिवार्य) शिक्षा विधेयक, 2010। इस विधेयक का आशय ऐसी प्रत्येक बालिका को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था जिनके माता-पिता गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं।

(चार) डॉ. (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी, संसद सदस्य द्वारा महिला (सेवा में आरक्षण) विधेयक, 2012। इस विधेयक का आशय महिलाओं के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों सहित केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत सेवाओं में सभी पदों के लिए तैंतीस प्रतिशत आरक्षण और सेवाओं में महिलाओं की नियुक्ति के लिए पात्रता शर्तों को शिथिल करने के लिए उपबंध करना था।

निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों में अंतर्विष्ट विचारों ने सरकार को अपने स्वयं के विधायी उपाय लाने के लिए प्रेरित किया:-

(एक) श्री खगेन दास, संसद सदस्य के त्रिपुरा उच्च न्यायालय विधेयक, 2010, का आशय त्रिपुरा राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध करना था।

(दो) एडवोकेट पी.टी. थॉमस, संसद सदस्य के संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुसूची का संशोधन) का आशय संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची की प्रविष्टि 46, भाग-आठ – केरल में ''पल्लुवन'' शब्द के स्थान पर ''पुल्लुवन'' शब्द प्रतिस्थापित करना था जिसका उद्देश्य पुल्लुवन समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों को मिल रही सभी प्रसुविधा प्रदान करना है।

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

गैर-सरकारी सदस्य, गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के रूप में अन्य महत्वपूर्ण संसदीय उपाय के माध्यम से राय का सृजन और विभिन्न मुद्दों को रेखांकित भी करते हैं। यद्यपि गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प सभा में राय की अभिव्यक्ति मात्र है या सिफारिश के रूप में ही है, यह निश्चित तौर पर सरकार को उस मुद्दे पर सक्रिय ढंग से विचार करने के लिए जानकारी प्रदान करता है जिस पर संकल्प के माध्यम से चर्चा की गई है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान 88 गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प गृहीत किए गए थे। इनमें से 10 संकल्पों पर चर्चा की गई (देखिए अनुबंध-दो)। 10 संकल्पों जिन पर चर्चा की गई थी, में से 5 वापस लिए गए और 4 अस्वीकृत हुए। शेष एक संकल्प पर आंशिक चर्चा की गई तथा पन्द्रहवीं लोक सभा के विघटन के साथ व्यपगत हुआ।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान कोई भी गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प स्वीकृत नहीं हुआ। संकल्पों जिन पर चर्चा हुई थी, में से कुछ महत्वपूर्ण संकल्प निम्नलिखित हैं:-

- श्री सतपाल महाराज, संसद सदस्य द्वारा देश में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- राजकुमारी रत्ना सिंह, संसद सदस्य द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी जिलों के लिए विशेष आर्थिक विकास पैकेज।
- डॉ. भोला सिंह, संसद सदस्य द्वारा बिहार राज्य को विशेष दर्जा।
- श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य द्वारा बिहार के मोतीहारी जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना।
- श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसद सदस्य द्वारा पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक कार्य योजना का निरूपण।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

सभा में गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य विनियमित करने के लिए, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के नाम से एक समिति है। समिति में 15 सदस्य होते हैं और समिति का सभापति लोक सभा का उपाध्यक्ष होता है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के संबंध में वही कार्य निष्पादित करती है जो सरकारी कार्य के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान समिति की कुल 38 बैठकें हुईं। समिति ने सभा में 38 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। समिति ने 88 संविधान (संशोधन) विधेयकों की जांच की और उनकी जांच करने के पश्चात् यह सिफारिश की कि पुर:स्थापन के लिए 65 ऐसे विधेयकों की अनुमति दी जाए जबकि संविधान में संशोधन करने के आशय वाले 20 विधेयकों को पुर:स्थापन की अनुमति नहीं दी गई। समिति ने वर्गीकरण के लिए 370 विधेयकों पर भी चर्चा की। इन विधेयकों में से, समिति ने विधेयकों के सापेक्ष महत्व के अनुसार वर्ग ''क'' में 214 विधेयकों का वर्गीकरण किया तथा शेष 156 विधेयकों को वर्ग ''ख'' में वर्गीकृत किया गया।

अंत में, सदस्यों द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों को सभा पटल पर रखने में सदस्यों द्वारा दर्शाए गए उत्साह पर विचार करते हुए, यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आने वाले वर्षों में बहुत सी शासकीय अधिनियमितियों या प्रशासनिक उपायों के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

अनुबंध-एक

पन्द्रहवीं लोक सभा द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

क्रम सं.	विधेयक का संक्षिप्त नाम	प्रभारी सदस्य और संबद्ध दल	विधेयक का संक्षिप्त प्रयोजन	लोक सभा द्वारा विचार किए जाने की तारीख(खें)	क्या पारित हुआ/ वापस लिया गया/ अस्वीकृत हुआ/ सभा के विघटन के पश्चात् व्यपगत/लंबित रजिस्टर से हटाया गया	अधिनियम संख्या, विधेयक अधिनियमित किए जाने की दशा में अनुमति की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्र तथा अंचल (खंडित विकास के लिए विशेष उपबंध) विधेयक, 2009	श्री वैजयंत पांडा (बीजू जनता दल)	इस विधेयक का आशय देश के अल्प विकसित और पिछड़े अंचल जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं, का तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए एक स्वायत्त केन्द्रीय प्राधिकरण स्थापित करने का उपबंध करना है।	03.07.2009 (I) 17.07.2009 31.07.2009 04.12.2009	वापस लिया गया।	
2.	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009 (धारा 11 आदि का संशोधन)	श्री फ्रांसिस्को सारदीना (भा.रा.कां.)	इस विधेयक का आशय गोवा राज्य सहित कतिपय राज्यों में सांडों के बीच शक्ति परीक्षण अथवा धीरियों के पारंपरिक खेल का आयोजन किए जाने की अनुमति दिए जाने के उद्देश्य से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन करना है।	03.07.2009 (I) 04.12.2009	वापस लिया गया।	
3.	अनिवार्य मतदान विधेयक, 2009	श्री जयप्रकाश अग्रवाल (भा.रा.कां.)	इस विधेयक का आशय देश के प्रत्येक अर्हक नागरिक द्वारा निर्वाचन में अनिवार्य मतदान का उपबंध करना है।	17.07.2009 (I) 04.12.2009 05.03.2010 30.04.2010 13.08.2010	वापस लिया गया।	
4.	बालक कल्याण विधेयक, 2009	श्री अधीर रंजन चौधरी (भा.रा.कां.)	इस विधेयक का आशय बालक नियोजन प्रतिषेध; निराश्रित बालकों के लिए बालगृह की स्थापना के माध्यम से बालकों के कल्याण और अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसे बच्चों के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन पद और सेवाओं में आरक्षण हेतु उपाय करने का उपबंध करना है।	04.12.2009 (I) 13.08.2010 25.02.2011	वापस लिया गया।	
5.	अवैध अप्रवासी और स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए विदेशी राष्ट्रिक (पहचान और विवासन) विधेयक, 2009	श्री वैजयंत पांडा (बीजू जनता दल)	इस विधेयक का आशय अवैध अप्रवासियों तथा उन विदेशी राष्ट्रिकों, जो देश में अपनी वीजा अवधि समाप्त होने के बारे में भी स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए हैं, अथवा लापता हो गए हैं, की पहचान करने के लिए एक आयोग की स्थापना का उपबंध करना है।	04.12.2009 (I) 25.02.2011 11.03.2011	वापस लिया गया।	

1	2	3	4	5	6	7
6.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (नए अनुच्छेद 275क और 371ञ का अंत:स्थापन)	प्रो. रंजन प्रसाद यादव [जनता दल (यूनाइटेड)]	इस विधेयक का आशय निम्नलिखित का उपबंध करने के उद्देश्य से संविधान में नए अनुच्छेद 275क और 371ञ को अंत:स्थापित करना है— (एक) कि केन्द्रीय सरकार बिहार राज्य को विकास कार्य करने के लिए और उस राज्य में बाढ़ और सूखा प्रवण क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपाय के लिए नब्बे हजार करोड़ रुपए की एक बारगी और प्रतिवर्ष तीस हजार करोड़ रुपए की अनुदान सहायता प्रदान करेगी और ऐसी धनराशि भारत की संचित निधि पर प्रभारित और उससे देय होगी। (दो) कि बिहार राज्य के समग्र विकास के उद्देश्य से दीर्घकालिक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संविधान में विशेष उपबंध किए जाएं।	04.12.2009 (I) 11.03.2011 05.08.2011 19.08.2011	वापस लिया गया।	
7.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (आठवीं अनुसूची में संशोधन)	श्री सतपाल महाराज (भा.रा.कां.)	विधेयक का आशय संविधान में 'गढ़वाली' और 'कुमांऊनी' भाषाओं को शामिल करने के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन करना है।	13.08.2010 (I) 19.08.2011 02.09.2011 27.04.2012	वापस लिया गया।	
8.	जादू-टोना पर पाबंदी विधेयक, 2010	श्री ओम प्रकाश यादव (निर्दलीय)	विधेयक का आशय जादू-टोना के कृत्य पर पाबंदी लगाने और किसी भी रूप में जादू-टोना करने, उसे बढ़ावा देने अथवा उसे विज्ञापित करने के लिए कठोर दंड देना है।	30.04.2010 (I) 27.04.2012 09.08.2012 07.12.2012	अस्वीकृत।	
9.	वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा उपबंध विधेयक, 2010	श्री जय प्रकाश अग्रवाल (भा.रा.कां)	विधेयक का आशय सभी वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा और शोषण तथा दुर्व्यवहार से उनका संरक्षण सुनिश्चित करना है।	25.02.2011 (I) 07.12.2012 22.02.2013	वापस लिया गया।	
10.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 2 का संशोधन, आदि)	श्री हंसराज गंगाराम अहीर (भाजपा)	विधेयक का आशय ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे सभी वयस्क व्यक्तियों के लिए, जो सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हों, उन्हें ऐसे कार्य उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 का संशोधन करना है।	11.03.2011 (I) 22.02.2013 08.03.2013	वापस लिया गया।	
11.	सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक, 2011	श्री अर्जुन राम मेघवाल (भाजपा)	विधेयक का आशय सफाई कर्मचारियों को आर्थिक संरक्षण, उनके हितों की रक्षा और उनसे जुड़े मामलों में सहयोग प्रदान करने हेतु उनके कार्य से जुड़ी किसी दुर्घटना के लिए व्यापक और अनिवार्य बीमा प्रदान करना है।	02.09.2011 (I) 08.03.2013 चर्चा समाप्त नहीं हुई।	व्यपगत।	

अनुबंध-दो

पन्द्रहवीं लोक सभा में चर्चा किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

क्रम.सं.	संकल्प की विषय-वस्तु	सदस्य का नाम जिसने संकल्प पेश किया	तारीख(खें) जब संकल्प पर चर्चा की गई	लिया गया समय घ. मि.	सभा का निर्णय
1	2	3	4	5	6
पहला सत्र		शून्य			
दूसरा सत्र					
1.	हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जिसके कारण भू-स्खलन, बादल फटना, भूकंप, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिनके परिणामस्वरूप जान और माल का भारी नुकसान होता है और साथ ही उत्तुंग पहाड़ियों के कारण वहां सड़कों, भवनों और अन्य विकास कार्यों के निर्माण की उच्च लागत और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह संघ सरकार की पूरी वित्तीय सहायता से— (एक) हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के चहुंमुखी और तीव्र विकास के लिए; (दो) इन राज्यों में विद्यमान केन्द्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए; और (तीन) उक्त क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय सुझाने के लिए 'राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड' नामक एक बोर्ड का गठन करे।	श्री वीरेन्द्र कश्यप	3.7.2009 10.7.2009	4 - 39	वापस लिया गया।
2.	इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश के विभिन्न भागों विशेषकर उत्तराखंड राज्य में पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल जिलों में पेयजल की उपलब्धता का गंभीर संकट है और कि स्वजलधारा और वर्द्धित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) जैसी केन्द्र प्रायोजित पेयजल योजनाएं सही ढंग से लागू और निगरानी नहीं की जा रही हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि पेयजल की समस्या से उबरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समयबद्ध व्यापक कार्य-योजना बनाई जाए।	श्री सतपाल महाराज	10.7.2009 30.7.2009	2 - 40	चर्चा समाप्त नहीं हुई।
तीसरा सत्र					
3.	इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश के विभिन्न भागों विशेषकर उत्तराखंड राज्य में पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल जिलों में पेयजल की उपलब्धता का गंभीर संकट है और कि स्वजलधारा और वर्द्धित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) जैसी केन्द्र प्रायोजित पेयजल योजनाएं सही ढंग से लागू और निगरानी नहीं की जा रही हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि पेयजल की समस्या से उबरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समयबद्ध व्यापक कार्य-योजना बनाई जाए।	श्री सतपाल महाराज	11.12.2009	0 - 56	वापस लिया गया।

1	2	3	4	5	6
4.	उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी जिलों, जिन्हें पूर्वांचल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार करते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए घोषित पैकेज की तर्ज पर इस क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक विकास पैकेज तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए तत्काल कदम उठाए।	राजकुमारी रत्ना सिंह	11.12.2009	1 - 35	चर्चा पूरी नहीं हुई।
	चौथा सत्र				
5.	उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी जिलों, जिन्हें पूर्वांचल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार करते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए घोषित पैकेज की तर्ज पर इस क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक विकास पैकेज तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए तत्काल कदम उठाए।	राजकुमारी रत्ना सिंह	21.4.2010	2 - 32	चर्चा पूरी नहीं हुई।
6.	''कि यह सभा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की दुर्दशा पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह देश से वर्ष 2015 तक गरीबी के उन्मूलन के लिए समयबद्ध ढंग से निम्नलिखित कदम उठाए:— (एक) सभी राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना; (दो) ऐसे प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को व्यावसायिक प्रशिक्षण और तत्पश्चात् लाभदायक रोजगार देना; (तीन) ऐसे प्रत्येक परिवार जिसके किसी भी सदस्य को लाभदायक रोजगार नहीं दिया गया है, को तीन हजार रुपए प्रतिमाह से अन्यून दर पर कुटुंब पेंशन देना; और (चार) ऐसे परिवारों के सभी बच्चों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क गुणवत्ताप्रद शिक्षा देना।''	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	21.4.2010	0 - 02	चर्चा पूरी नहीं हुई।
	पांचवां सत्र				
7.	''कि यह सभा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की दुर्दशा पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह देश से वर्ष 2015 तक गरीबी के उन्मूलन के लिए समयबद्ध ढंग से निम्नलिखित कदम उठाए:— (एक) सभी राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना; (दो) ऐसे प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को व्यावसायिक प्रशिक्षण और तत्पश्चात् लाभदायक रोजगार देना; (तीन) ऐसे प्रत्येक परिवार जिसके किसी भी सदस्य को लाभदायक रोजगार नहीं दिया गया है, को तीन हजार रुपए प्रतिमाह से अन्यून दर पर कुटुंब पेंशन देना; और	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	6.8.2010 21.8.2010	4 - 55	वापस लिया गया।

1	2	3	4	5	6
	(चार) ऐसे परिवारों के सभी बच्चों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क गुणवत्ताप्रद शिक्षा देना।''				
8.	''कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य में विकास की गति में तेजी लाने तथा इसे पिछड़ेपन से निपटने में सबल बनाने के उद्देश्य से इसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे।''	डॉ. भोला सिंह	21.8.2010	0 - 05	वापस लिया गया।
छठा सत्र		शून्य*			
सातवां सत्र					
9.	यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य में विकास की गति में तेजी लाने तथा पिछड़ेपन से निपटने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करे।	डॉ. भोला सिंह	18.3.2011	0 - 01	चर्चा पूरी नहीं हुई।
आठवां सत्र					
10.	यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य में विकास की गति में तेजी लाने तथा पिछड़ेपन से निपटने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करे।	डॉ. भोला सिंह	12.8.2011 26.8.2011	4 - 34	वापस लिया गया।
11.	''यह सभा देश के मरु प्रदेशों में व्याप्त पिछड़ेपन पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह:— (एक) मरु प्रदेशों में रहने वाले लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं को कम करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए आर्थिक पैकेज की तर्ज पर मरु प्रदेशों के समग्र विकास; तथा (दो) इन प्रदेशों के लोगों को देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के समतुल्य सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज तैयार करे और इसे कार्यान्वित करे।''	श्री हरीश चौधरी	26.8.2011	0 - 27	चर्चा पूरी नहीं हुई।
नौवां सत्र		शून्य*			
दसवां सत्र					
12.	''यह सभा देश के मरु प्रदेशों में व्याप्त पिछड़ेपन पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह:— (एक) मरु प्रदेशों में रहने वाले लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं को कम करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए आर्थिक पैकेज की तर्ज पर मरु प्रदेशों के समग्र विकास; तथा (दो) इन प्रदेशों के लोगों को देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के समतुल्य सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज तैयार करे और इसे कार्यान्वित करे।''	श्री हरीश चौधरी	4.5.2012 18.5.2012	2 - 50	अस्वीकृत।

*छठे और नौंवे सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (संकल्प) संबंधी कार्य नहीं हुआ।

1	2	3	4	5	6
13.	बिहार राज्य में उच्चतर शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य के मोतिहारी जिला, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।	श्री ओम प्रकाश यादव	18.5.2012	2 - 08	चर्चा पूरी नहीं हुई।
ग्यारहवां सत्र					
14.	बिहार राज्य में उच्चतर शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य के मोतिहारी जिला, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की "कर्मभूमि" रही है, में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करे।	श्री ओम प्रकाश यादव	17.8.2012	1 - 00	अस्वीकृत।
15.	यह सभा देश के विभिन्न भागों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की बढ़ती हुई घटनाओं पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए।	श्री बसुदेव आचार्य	17.8.2012	1 - 18	अस्वीकृत।
16.	पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्य-योजना तैयार करे।	श्री अर्जुन मेघवाल	17.8.2012	0 - 02	चर्चा पूरी नहीं हुई।
बारहवां सत्र					
17.	पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्य-योजना तैयार करे।	श्री अर्जुन मेघवाल	30.11.2012 14.12.2012	2 - 35	चर्चा पूरी नहीं हुई।
तेरहवां सत्र					
18.	पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्य-योजना तैयार करे।	श्री अर्जुन मेघवाल	15.3.2013	1 - 02	अस्वीकृत।

1	2	3	4	5	6
19.	कि यह सभा मुद्रास्फीति की दर में निरंतर वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में परिणामस्वरूप वृद्धि पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है तथा सरकार से आग्रह करती है कि वह आवश्यक वस्तुओं के बढ़ रहे मूल्यों पर नियंत्रण रखने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसे सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए।	श्री महेन्द्र कुमार रॉय	15.3.2013	1 - 25	चर्चा पूरी नहीं हुई।
चौदहवां सत्र		**शून्य***			
पन्द्रहवां सत्र		**शून्य***			

*चौदहवें और पंद्रहवें सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य (संकल्प) संबंधी कार्य नहीं हुआ।

9

संसदीय मंच*

पृष्ठभूमि

चौदहवीं लोक सभा के दौरान 12 मई, 2005 को तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष, श्री सोमनाथ चटर्जी ने जल संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच गठित किये जाने के अपने निर्णय की जानकारी सभा को दी ताकि संसद सदस्य जल जैसे गंभीर विषय पर व्यवस्थित ढंग से चर्चा कर सकें और सभा और समितियों की बैठकों में इस मुद्दे को अधिक प्रभावी ढंग से उठा सकें। तदनुसार, 12 अगस्त, 2005 को जल संसाधन एवं प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच का गठन हो गया। तत्पश्चात्, चौदहवीं लोक सभा के दौरान चार और संसदीय मंचों, संसदीय बाल; युवा; जनसंख्या और जनकल्याण, भूमंडलीय तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन का गठन किया गया।

मई, 2009 में पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन के पश्चात् 21 जनवरी, 2010 को इन सभी संसदीय मंचों का पुनर्गठन किया गया। इसके अलावा लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार की पहल पर तीन और संसदीय मंचों अर्थात् आपदा प्रबंधन (8 दिसंबर, 2011); शिल्पकार और दस्तकार (26 अप्रैल, 2013); और सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (11 दिसंबर, 2013) संबंधी मंचों का गठन किया गया जिससे संसदीय मंचों की संख्या बढ़कर आठ हो गई जो इस प्रकार है:—

(एक) जल संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच

(दो) संसदीय युवा मंच

(तीन) संसदीय बाल मंच

(चार) जनसंख्या और जन स्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच

(पांच) भूमंडलीय तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय मंच

(छह) आपदा प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच

(सात) शिल्पकारों और दस्तकारों संबंधी संसदीय मंच

(आठ) सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य संबंधी संसदीय मंच

उद्देश्य

इन विभिन्न संसदीय मंचों के गठन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:—

- सदस्यों को संबंधित मंत्रियों, विशेषज्ञों तथा प्रमुख मंत्रालयों के मुख्य अधिकारियों के साथ संवाद हेतु मंच प्रदान करना ताकि कार्यान्वयन प्रक्रिया तेज करने हेतु परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर भली-भांति एवं सार्थक चर्चा की जा सके;
- सदस्यों को विषय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा उन्हें अद्यतन जानकारी, तकनीकी ज्ञान एवं अपने देश और दूसरे देशों के विशेषज्ञों से भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना ताकि इन विषयों को सदन में एवं विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की बैठक में भी कारगर ढंग से उठाया जा सके; और
- संबंधित विभिन्न मंत्रालयों, संयुक्त राष्ट्र संघ, गैर-सरकारी संगठनों, समाचार-पत्रों, इन्टरनेट आदि से महत्वपूर्ण विषयों पर आंकड़े एकत्र कर डाटाबेस तैयार करना तथा इन्हें सदस्यों को परिचालित करना ताकि वे मंच की चर्चा में सार्थक ढंग से भाग ले सकें एवं बैठक में उपस्थित विशेषज्ञों अथवा अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग सकें।

संसदीय मंच विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों अथवा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के अधिकार क्षेत्र में न तो हस्तक्षेप करते हैं, न ही उनका अधिक्रमण करते हैं। संसदीय मंच समितियों की भांति सभा (सभाओं) में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करते।

गठन

संबंधित मंच के दिशा-निर्देशों में उपबंध है कि लोक सभा अध्यक्ष जनसंख्या और जन-स्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच, जहां राज्य सभा के सभापति पदेन अध्यक्ष और लोक सभा अध्यक्ष पदेन सह-अध्यक्ष होते हैं, को छोड़कर सभी संसदीय मंचों के पदेन अध्यक्ष होता/होती है। अध्यक्ष के अतिरिक्त, राज्य सभा के उप सभापति, लोक सभा के उपाध्यक्ष, संबंधित मंत्री तथा विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के संबंधित सभापति मंच के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं।

*संसदीय मंच प्रकोष्ठ के सौजन्य से

प्रत्येक मंच के 31 से अनधिक सदस्य (अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को छोड़कर) होंगे जिनमें से 21 से अनधिक सदस्य लोक सभा से और 10 से अनधिक सदस्य राज्य सभा से होंगे।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों के अलावा अन्य सदस्यों को, यथास्थिति लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं में से अथवा उनके नामितियों जिन्हें विषय की विशेष जानकारी हो/जिनकी विषय में गहरी रुचि हो, में से नामनिर्देशित किया जाता है।

पांच अतिरिक्त उपाध्यक्षों/सदस्यों को, जिनमें से लोक सभा से 3 से अनधिक और राज्य सभा से 2 से अनधिक सदस्य होंगे, लोक सभा के अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा यथास्थिति नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

सदस्य संयोजक की नियुक्ति

मंच का अध्यक्ष मंच के नियमित, अनुमोदित कार्यक्रमों/बैठकों के संचालन हेतु सदस्य-संयोजक की नियुक्ति कर सकता/सकती है। जनसंख्या और जन स्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच के मामले में जहां राज्य सभा का सभापति, अध्यक्ष और लोक सभा अध्यक्ष पदेन सह-अध्यक्ष होता/होती है, ऐसा सदस्य-संयोजक अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

पदावधि

मंच के सदस्यों की पदावधि संबंधित सभाओं में उनकी सदस्यता के साथ सह-विस्तारी होगी। कोई सदस्य, राज्य सभा के सभापति अथवा लोक सभा अध्यक्ष, यथास्थिति, को संबोधित अपने हस्ताक्षरित पत्र द्वारा इस मंच से अपना त्यागपत्र दे सकता है।

विशेषज्ञों की सहबद्धता

प्रत्येक मंच के विषय से संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ विशेष आमंत्रिती के रूप में संबद्ध होते हैं जो मंच की बैठकों/विचारगोष्ठियों के दौरान अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं/पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान आठ संसदीय मंचों से संबंधित संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:-

जल संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान 21 जनवरी, 2010 को जल संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच का पुर्नगठन किया गया। अध्यक्ष ने श्री प्रबोध पांडा, संसद सदस्य, लोक सभा को मंच के नियमित, अनुमोदित कार्यक्रमों/बैठकों के आयोजन के लिए सदस्य-संयोजक के रूप में नियुक्त किया।

कृत्य

जल संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच के कृत्य निम्नानुसार हैं:-

- जल से जुड़ी समस्याओं का पता लगाना तथा सरकार/संबंधित संगठनों को विचारार्थ और समुचित कार्यवाही हेतु सुझाव देना/सिफारिश करना;
- संसद सदस्यों को उनके राज्यों/निर्वाचन क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल संसाधनों में वृद्धि करने के कार्य में शामिल करने के तरीकों का पता लगाना;
- जल के संरक्षण और कुशल प्रबंधन हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए विचारगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन करना; और
- ऐसे अन्य संबद्ध कार्य करना जो यह उचित समझे।

बैठकें

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान जल संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच द्वारा आयोजित बैठकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम.सं.	बैठक की तारीख	प्रस्तुतकर्ता (विशेषज्ञ/संगठन का नाम)	विषय
1	2	3	4
1.	20.04.2010		पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान मंच की पहली बैठक
2.	03.08.2010	**सुश्री सुनीता नारायण,** निदेशक, विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र	"बढ़ते जल संकट से जूझते विश्व के लिए जल प्रबंधन हेतु एजेंडा - भावी समाधान"
3.	17.08.2010	**डॉ. टी.बी.एस. राजपूत,** परियोजना निदेशक, जल प्रौद्योगिकी केन्द्र	'जल उपयोग में दक्षता'
4.	30.11.2010	**श्री एदान क्रॉनिन,** जल और पर्यावरण स्वच्छता विशेषज्ञ, यूनिसेफ इंडिया	'पेयजल'

1	2	3	4
5.	03.03.2011	**डॉ. किरीट एस. पारिख,** चेयरपर्सन, एक्सपर्ट ग्रुप फॉर लो कार्बन स्ट्रेटीजी फॉर इन्क्लूसिव ग्रोथ तथा पूर्व सदस्य (जल संसाधन), योजना आयोग	'समेकित जल प्रबंधन: नीति और कार्यवाही'
6.	17.08.2011	**श्री एम.ई. हक, सदस्य,** केन्द्रीय जल आयोग	'ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकाय'
7.	29.11.2011	**डॉ. देवेन्दर कुमार चड्ढा,** प्रेजिडेंट, ग्लोबल हाइड्रोज्योलोजिकल सोल्यूशन्स (जीएचएस) और भूतपूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड	'वर्षा जल संसाधनों का अपर्याप्त दोहन'
8.	21.03.2012	**डॉ. राजीव शर्मा,** संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन, पर्यावरण और वन मंत्रालय	'पर्यावरण और गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण'
9.	03.05.2012	**श्री हेमंत ध्यानी,** सदस्य, 'गंगा आह्वान'	'गंगा नदी का पारिस्थितिकी तंत्र – वर्तमान नीतियां और गतिविधियां'
10.	22.08.2012	**श्री जी. मोहन कुमार,** अपर सचिव (जल संसाधन) और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन मंत्रालय	'राष्ट्रीय जल मिशन: उद्देश्य और जल संरक्षण संबंधी कार्यनीतियां'
11.	11.12.2012	**श्री राजेश कुमार,** अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	'सिंचाई, जलापूर्ति तथा उद्योगों में जल उपयोग दक्षता में सुधार'
12.	13.03.2013	**डॉ. बिन्देश्वर पाठक,** संस्थापक, सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक संगठन	'ग्रामीण स्वच्छता में प्रौद्योगिकीय विकल्प – भारतीय परिपेक्ष्य'
13.	30.08.2013	**डॉ. (श्रीमती) के. विजयलक्ष्मी** उपाध्यक्ष, डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स	'जल संरक्षण - वर्षा जल संचयन'

संसदीय बाल मंच

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान 21 जनवरी, 2010 को संसदीय बाल मंच का पुर्नगठन किया गया। अध्यक्ष ने श्री नवीन जिंदल, संसद सदस्य, लोक सभा को मंच के नियमित, अनुमोदित कार्यक्रमों/बैठकों के आयोजन के लिए सदस्य-संयोजक के रूप में नियुक्त किया।

कृत्य

मंच के कृत्य इस प्रकार हैं:–

- बाल कल्याण संबंधी गंभीर मुद्दों के प्रति सांसदों की जागरूकता और ध्यान में और वृद्धि करना ताकि वे विकास प्रक्रिया में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करने हेतु यथोचित नेतृत्व प्रदान कर सकें।
- सांसदों को कार्यशालाओं, विचारगोष्ठियों, प्रबोधन कार्यक्रमों, इत्यादि के माध्यम से बालकों के संबंध में विचारों, दृष्टिकोणों, अनुभवों और सुविज्ञ प्रक्रियाओं का व्यवस्थित ढंग से आदान-प्रदान करने हेतु मंच प्रदान करना।
- सांसदों को, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वयंसेवी क्षेत्र, मीडिया और कॉर्पोरेट जगत में बालकों के मुद्दों को विशिष्टता प्रदान करने हेतु सिविल समाज के साथ संवाद के अवसर उपलब्ध कराना और इस प्रकार, इस संबंध में कारगर रणनीतिक भागीदारी विकसित करना।

- सांसदों को विश्वभर में क्षेत्र विशेष में विकास से संबद्ध विशेषज्ञों के प्रतिवेदनों, अध्ययनों, समाचारों और रुख विश्लेषणों, इत्यादि के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के 'यूनिसेफ' जैसे विशिष्टकृत अभिकरणों तथा अन्य सदृश बहुपक्षीय अभिकरणों के साथ सुस्थापित ढंग से संवाद कायम करने हेतु जानकारी प्रदान करना।
- ऐसे अन्य कार्य, परियोजनाएं, नियत कार्य, इत्यादि आरंभ करना जिन्हें मंच उचित समझे।

बैठकें

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान संसदीय बाल मंच द्वारा आयोजित बैठकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्रम.सं.	बैठक की तारीख	प्रस्तुतकर्ता (विशेषज्ञ/संगठन का नाम)	विषय
1	2	3	4
1.	15.03.2010		पंद्रहवीं लोक सभा के दौरान मंच की पहली बैठक
2.	30.04.2010	**श्री विनोद रैना,** सदस्य, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई)	'शिक्षा का अधिकार'
3.	20.08.2010	**डॉ. वी.के. पॉल,** प्रमुख, शिशु रोग विभाग, एम्स और ग्लोबल, को-चेयरमैन, पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हैल्थ, श्री विक्टर अगुआयो, पोषाहार प्रमुख, यूनिसेफ और डॉ. शरीका युनुस, कार्यक्रम अधिकारी, पोषाहार, विश्व खाद्य कार्यक्रम	'भारत में कुपोषण और नवजात शिशुओं की उत्तरजीविका बढ़ाने की अत्यावश्यकता'
4.	7.12.2010	(एक) **श्री एंटोनी लेक,** कार्यकारी निदेशक, यूनिसेफ; (दो) **श्री एन.सी. सक्सेना,** सदस्य, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् और पूर्व सचिव, योजना आयोग; और (तीन) उपेक्षित बच्चों से संबंधित मुद्दों पर कार्य कर रहे युवा नेताओं द्वारा अनुभवों का आदान प्रदान।	'चिल्ड्रन एज़ एजेंट्स ऑफ चेंज: वॉयसस फ्रॉम दि फील्ड'
5.	15.03.2011	**सुश्री रज़िया इस्माइल,** इंडिया एलायन्स फॉर चाइल्ड राइट्स	'बाल अधिकार'
6.	11.08.2011	**श्री विनीत जोशी,** अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	खुशहाल स्कूली बच्चे
7.	30.08.2011	**डॉ. राजीव सेठ,** मानद सचिव, भारतीय बाल शोषण, उपेक्षा और बाल श्रम ग्रुप	एशिया प्रशांत देशों में बाल शोषण और उपेक्षा: चुनौतियां और अवसर
8.	08.12.2011	**श्री जोस बर्गुआ,** चीफ 'चाइल्ड प्रोटेक्शन इन यूनिसेफ, इंडिया'	'बाल विवाह: अधिकारों का उल्लंघन'
9.	27.03.2012	**सुश्री रोमा देबब्रत,** अध्यक्ष, 'स्टॉप ट्रैफिकिंग एंड ऑफेंस ऑफ चिल्ड्रेन एंड वूमेन'	'बाल दुर्व्यापार'

1	2	3	4
		मानव संसाधन विकास मंत्रालय/एनसीईआरटी/ सीबीएसई के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों के पुनरीक्षण/अद्यतन बनाने की स्थिति
10.	08.05.2012	**डॉ. विनीता कौल,** निदेशक, सेंटर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट	'प्रारंभिक बाल देख-रेख और विकास'
		डॉ. प्रेमरामचन्दन, निदेशक, न्यूट्रीशियन फाउंडेशन ऑफ इंडिया	'पोषाहार, खाद्य और कुपोषण'
		मानव संसाधन विकास मंत्रालय/एनसीईआरटी/सीबीएसई के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों के पुनरीक्षण/अद्यतन बनाने की स्थिति
11.	23.08.2012	**श्री ए.सी. पांडे,** संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय	'बाल श्रम उन्मूलन'
12.	12.12.2012	(एक) **सुश्री शिरीन वकील मिल्लर,** निदेशक, पॉलिसी एंड एडवोकेसी, सेव द चिल्ड्रन, और (दो) **प्रोफेसर अरविन्द पंगरिया,** प्रोफेसर, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी	'सेव द चिल्ड्रन'
13.	11.03.2013	**श्री आमोद कंठ,** प्रयास इन्स्टीट्यूट ऑफ जूवेनाइल जस्टिस	'किशोर न्याय (बालकों, की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000'
14.	03.05.2013	**प्रो. आशा कपूर मेहता,** अर्थशास्त्र की प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन	'एनजेंडरिंग डेवलपमेंट: द ट्वेल्फ्थ प्लान परस्पेक्टिव'
15.	27.08.2013	**डॉ. एल.एस. राणावत,** कार्यकारी निदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण	'बच्चों हेतु खेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु योजनाएं'

संसदीय युवा मंच

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान 21 जनवरी, 2010 को संसदीय युवा मंच का पुर्नगठन किया गया। अध्यक्ष ने श्री अशोक तंवर, संसद सदस्य, लोक सभा को मंच के नियमित, अनुमोदित कार्यक्रमों/बैठकों के आयोजन के लिए सदस्य-संयोजक के रूप में नियुक्त किया।

कृत्य

युवाओं संबंधी संसदीय मंच के कृत्य इस प्रकार हैं:—

- नए-नए क्षेत्रों में विकास की गति में तेजी लाने के लिए युवा शक्ति के भरपूर उपयोग हेतु बनाई जाने वाली नीतियों पर भली-भांति चर्चा करना;
- सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु युवा शक्ति की संभाव्यता के संबंध में जन-नेताओं में तथा निचले स्तर पर अधिकाधिक जागरूकता पैदा करना;
- युवा प्रतिनिधियों तथा नेताओं के साथ नियमित आधार पर संवाद करना, ताकि उनकी आशाओं, आकांक्षाओं, सरोकारों और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके;
- विभिन्न युवा वर्गों तक संसद की पहुंच का विस्तार करने संबंधी उपायों पर विचार करना ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया जा सके और उनमें उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके; और

- युवा अधिकारिता के मामले में जननीति के पुनर्निर्धारण हेतु, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ परामर्श करना।

बैठकें

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान संसदीय युवा मंच द्वारा आयोजित बैठकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्रम.सं.	बैठक की तारीख	प्रस्तुतकर्ता (विशेषज्ञ/संगठन का नाम)	विषय
1	2	3	4
1.	09.03.2010		पंद्रहवीं लोक सभा के दौरान मंच की पहली बैठक
2.	04.05.2010	**श्री पी. माइकल वेथा सिरोमॉनी,** निदेशक, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	'लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं हेतु नीतियां'
3.	11.08.2010	**प्रो. सुखदेव थोराट,** चेयरपर्सन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	'भारत में विश्विद्यालय शिक्षा'
4.	16.11.2010	(एक) **श्री पॉल कॉमिन,** सीनियर स्पेशलिस्ट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवेलपमेंट विद द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज़ेशन (आईएलओ) डिसेंट टीम वर्क फॉर साउथ एशिया; और (दो) **सुश्री अमरजीत कौर,** उप महानिदेशक (रोजगार), श्रम और रोज़गार मंत्रालय	'बेरोज़गारी की समस्या और उसका समाधान'
5.	09.03.2011	**श्री गोपाल कृष्ण,** सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण	'राष्ट्रीय खेल नीति'
6.	10.08.2011	**श्री इनजेति श्रीनिवास,** संयुक्त सचिव, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	'खेलों में चुनौतियां और सुधार'
7.	15.12.2011	**श्री दिलीप चिनाय,** प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम	'युवक और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा दक्षता विकास की आवश्यकता'
8.	28.03.2012	**सुश्री सारदा अली खान,** संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय सेवा योजना	'प्रकृति संरक्षण में युवाओं की भूमिका'
9.	17.05.2012	**प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार,** कुलपति, ओ.पी. जिंदल, ग्लोबल यूनिवर्सिटी	'युवा और उद्यमिता'
10.	27.08.2012	**प्रो. विवेक देब्राय,** नीति अनुसंधान	'युवा और आर्थिक विकास'
11.	29.11.2012	(एक) **(डॉ.) श्रीमती निधि प्रसाद,** वरिष्ठ परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक; और (दो) **(डॉ.) सुश्री यशोधरा अरोड़ा,** वरिष्ठ परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक	'व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार'

1	2	3	4
12.	21.03.2013	**श्री दिलीप चिनाय,** प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम	'कौशल विकास'
13.	07.05.2013	**श्री आर.पी. सिसोदिया,** संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	'उच्च शिक्षा के लिए छात्र वित्तपोषण और मांग प्रबंधन'
14.	05.09.2013	**श्री नमन पुगलिया,** पब्लिक अफेयर्स एनलिस्ट, गूगल इंडिया	'युवा और सोशल मीडिया: चुनौतियां और अवसर'

जनसंख्या और जन-स्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान 21 जनवरी, 2010 को जनसंख्या और जन स्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच का पुनर्गठन किया गया। राज्य सभा के सभापति और मंच के अध्यक्ष ने प्रोफेसर राम गोपाल यादव, संसद सदस्य, राज्य सभा को मंच के नियमित, अनुमोदित कार्यक्रमों/बैठकों के आयोजन के लिए सदस्य-संयोजक के रूप में नियुक्त किया।

कृत्य

मंच के मुख्य कृत्य निम्नलिखित हैं:—

- जनसंख्या स्थिरीकरण और इससे जुड़े मामलों से संबंधित नीतियों पर विषय केन्द्रित विचार-विमर्श करना।
- जन-स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना और नीति बनाना।
- जनसंख्या नियंत्रण और जन-स्वास्थ्य के संबंध में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर निचले स्तर पर लोगों में अधिक जागरूकता पैदा करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के साथ जनसंख्या और जन-स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर व्यापक वार्ता और चर्चा करना तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, अकादमिक विशेषज्ञों और संबंधित सरकारी एजेंसियों जैसे बहुपक्षीय संगठनों से संवाद करना।

बैठकें

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान जनसंख्या और जन-स्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच द्वारा आयोजित बैठकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्रम.सं.	बैठक की तारीख	प्रस्तुतकर्ता (विशेषज्ञ/संगठन का नाम)	विषय
1	2	3	4
1.	05.05.2010		पंद्रहवीं लोक सभा के दौरान मंच की पहली बैठक
2.	28.07.2010	**श्री ए.आर. नंदा,** कार्यकारी निदेशक, पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया	'एम्पावरिंग अप्रोच टू पापुलेशन स्टेबलाइजेशन'
3.	14.03.2011	**डॉ. एल.एस. चौहान,** निदेशक, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कन्ट्रोल	'जन स्वास्थ्य मुद्दे'
4.	24.08.2011	**श्री जे.एस. माथरु,** संयुक्त सचिव (स्वच्छता), पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	'ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं अपशिष्ट व्ययन'
5.	13.12.2011	**डॉ. के. जैकब रॉय,** संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष, अल्जाइमर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डस सोसायटी ऑफ इंडिया	'स्मृतिभ्रंश (डिमेन्शिया)'

1	2	3	4
6.	21.05.2012	**डॉ. एस.के. सिकदर,** उपायुक्त, परिवार नियोजन प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	'जनसंख्या नीति: वर्तमान स्थिति और नई जनसंख्या नीति की आवश्यकता'
7.	06.09.2012	**प्रो. जयंत के. दास,** निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान	'सेनीटेशन इन्टरवेंशन्स फॉर पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन'
8.	18.12.2012	(एक) **डॉ. नाटा मेनाब्दे,** भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि (दो) **डॉ. एन्टोनियो डूरन,** कोऑर्डिनेटर, इन्टरनेशनल हेल्थ पॉलिसी, अन्डलूशियान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्पेन; और (तीन) **श्री मनोज झालानी,** संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	'भारत में सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास'
9.	25.04.2013	**डॉ. तरुण शर्मा,** निदेशक, शंकर नेत्रालय, चेन्नै	'भारत में दृष्टिहीनता निवारण'
10.	08.05.2013	**श्री देवेश चतुर्वेदी,** आयुक्त, इलाहाबाद	'कुम्भ मेले का प्रबंधन'

भूमंडलीय तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय मंच

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान 21 जनवरी, 2010 को भूमंडलीय तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय मंच का पुनर्गठन किया गया। लोक सभा अध्यक्ष ने श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य, राज्य सभा को मंच के नियमित, अनुमोदित कार्यक्रमों/बैठकों के आयोजन के लिए सदस्य-संयोजक के रूप में नियुक्त किया।

कृत्य

मंच के कृत्य इस प्रकार हैं:—

- भूमंडलीय तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं की पहचान करना तथा भूमंडलीय तापवृद्धि की व्यापकता को कम करने के लिए सरकार/संबंधित संगठनों के विचारार्थ और समुचित कार्यवाही हेतु सुझाव देना/सिफारिशें करना;
- भूमंडलीय तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के विशेषज्ञों के साथ संवाद करने हेतु संसद सदस्यों को शामिल करने के लिए मार्गोपाय ढूंढने के साथ-साथ भूमंडलीय तापवृद्धि का शमन करने हेतु नई प्रौद्योगिकियां विकसित करना;
- संसद सदस्यों में भूमंडलीय तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारणों और प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विचारगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करना;
- भूमंडलीय तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम हेतु जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने में संसद सदस्यों को शामिल करने के लिए मार्गोपाय ढूंढना; और
- अन्य ऐसे संबंधित कृत्य करना जो यह उचित समझे।

बैठकें

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान भूमंडलीय तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय मंच द्वारा आयोजित बैठकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्रम.सं.	बैठक की तारीख	प्रस्तुतकर्ता (विशेषज्ञ/संगठन का नाम)	विषय
1	2	3	4
1.	11.03.2010		पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान मंच की पहली बैठक

1	2	3	4
2.	27.04.2010		'परस्पर हित के मुद्दों पर संवाद हेतु यूरोपीय संसद के शिष्टमंडल के साथ बैठक'
3.	03.05.2010	**श्री गिरीश संत,** सह-संस्थापक, ''प्रयास'', पुणे और को-ऑर्डिनेटर, एनर्जी ग्रुप	'यूएनएफसीसीसी द्वारा भारत सरकार को यथा संसूचित वर्ष 2022 तक भारतीय जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 20-25% तक कमी लाने हेतु कार्य योजना'
4.	10.03.2011	(एक) **प्रो. जे. श्रीनिवासन,** चेयरमैन, दिवेचा सेन्टर फॉर क्लाइमेट चेंज, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु; और (दो) **डॉ. एस. नरेश कुमार,** वरिष्ठ वैज्ञानिक, पर्यावरण विज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	'जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव'
5.	18.08.2011	**डॉ. अशोक खोसला,** चेयरपर्सन, डेवेलपमेंट्स आलटरनेटिव्स और प्रेसीडेंट, आईयूसीएन	'जलवायु परिवर्तन के संबंध में जनसंख्या, संसाधन और जैव-विविधता'
6.	25.08.2011	(एक) **श्री बिट्टू सहगल,** सदस्य, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, भारत सरकार और संपादक, सैंक्चुअरी एशिया; तथा (दो) **सुश्री प्रेरणा सिंह बिंद्रा,** सदस्य, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, भारत सरकार और क्षेत्रीय समन्वयक, बाघ कार्यक्रम, 'पन्थेरा', न्यूयार्क	'वन, वन्यजीव और जलवायु परिवर्तन'
7.	30.11.2011	**डॉ. एम.के. भान,** सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	'प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन'
8.	26.03.2012	**डॉ. अजय माथुर,** महानिदेशक, (बीईई), विद्युत मंत्रालय	'जलवायु परिवर्तन का ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव'
9.	02.05.2012	**डॉ. सुबोध कुमार शर्मा,** सलाहकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय	'जलवायु परिवर्तन का मानव जीवन और पर्यावास पर प्रभाव'
10.	30.08.2012	**डॉ. अश्विनी कुमार,** निदेशक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	'जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सौर मिशन तथा संबंधित पहलें'
11.	17.12.2012	**श्री अशोक सिंघवी,** संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	'राष्ट्रीय सतत आवास मिशन'
12.	27.02.2013	**श्री निकोलस डनलप,** सेक्रेटरी जनरल, क्लाइमेट पार्लियामेंट	'नवीकरणीय ऊर्जा: नई चुनौतियां और प्राथमिकताएं'
13.	30.04.2013	**प्रो. सर डेविड किंग,** जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ	'जलवायु विज्ञान - जलवायु परिवर्तन के बारे में हाल ही के निष्कर्ष और नवीन प्रतिक्रियाएं'

1	2	3	4
14.	29.08.2013	**श्री संजीव अग्रवाल,** मुख्य अभियंता (पी एंड डी), केन्द्रीय जल आयोग	'राष्ट्रीय जल मिशन – जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव'
15.	17.12.2013	**सुश्री बैरनस ब्रायनी वर्थिंग्टन,** हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऊर्जा/जलवायु संबंधी विपक्ष प्रवक्ता तथा वाइस प्रेसिडेंट, ग्लोब इंटरनेशनल	'यू.के. में जलवायु परिवर्तन अधिनियम से सीखे गए सबक'

आपदा प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान 03 दिसंबर, 2010 को एक प्रतिनिधिमंडल ने लोक सभा अध्यक्ष से भेंट की तथा भोपाल गैस रिसाव आपदा के शिकार हुए लोगों की स्थिति के बारे में एक ज्ञापन दिया। तदुपरांत, अध्यक्ष ने राज्य सभा के सभापति के परामर्श से 8 दिसंबर, 2011 को आपदा प्रबंधन संबंधी एक नए संसदीय मंच का गठन किया। अध्यक्ष ने डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य, लोक सभा को मंच के नियमित, अनुमोदित कार्यक्रमों/बैठकों के आयोजन के लिए सदस्य-संयोजक के रूप में नियुक्त किया। डॉ. शशि थरूर की मंत्री पद पर नियुक्ति के परिणामस्वरूप डॉ. थरूर ने 01 नवम्बर, 2012 को मंच की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। तत्पश्चात् अध्यक्ष ने 26 नवम्बर, 2012 को डॉ. (श्रीमती) काकोली घोष दस्तिदार, संसद सदस्य, लोक सभा को मंच के सदस्य-संयोजक के रूप में नियुक्त किया।

कृत्य

मंच के कृत्य इस प्रकार हैं:–

- आपदा प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का पता लगाने तथा आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए संबंधित सरकार/संगठनों के विचारार्थ और समुचित कार्यवाही हेतु सुझाव देना/सिफारिशें करना;
- आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के विशेषज्ञों के साथ संवाद हेतु संसद सदस्यों को शामिल करने के तौर-तरीकों का पता लगाने के साथ-साथ आपदाओं के प्रभाव का शमन करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास करना;
- संसद सदस्यों में आपदा प्रबंधन के कारणों और प्रभावों के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए विचारगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करना;
- आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने में संसद सदस्यों को शामिल करने के तौर-तरीके ढूंढना; और
- ऐसे अन्य संबद्ध कार्य करना जो वह उचित समझे।

बैठकें

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान आपदा प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच द्वारा आयोजित बैठकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्रम.सं.	बैठक की तारीख	प्रस्तुतकर्ता (विशेषज्ञ/संगठन का नाम)	विषय
1	2	3	4
1.	22.12.2011		लोक सभा अध्यक्ष ने नवगठित आपदा प्रबंधन संबंधी मंच का उद्घाटन किया।
2.	22.03.2012	**श्री एम. शशिधर रेड्डी,** उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)	'आपदा प्रबंधन'
3.	25.04.2012	**श्री ए.के. बजाज,** पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	'बांधों की सुरक्षा'
4.	16.08.2012	**प्रो. ए.के. गोसाईं,** प्रोफेसर और हेड, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	'शहरों में बाढ़ और आपदा को कम करना'

1	2	3	4
5.	19.12.2012	**श्री कृष्ण एस. वत्स,** रीजनल डिजास्टर रिडक्शन एडवाइजर, यूएनडीपी	'बाढ़, सुनामी और इसका प्रबंधन'
6.	05.03.2013	**डॉ. मनु गुप्ता,** चेयरमैन, सस्टेनेबल एन्वायर्नमैंट एंड इकोलोजिकल डेवेलपमैंट	'आपदा से निपटने हेतु सामुदायिक तैयारी'
7.	13.02.2014	**श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती,** सलाहकार और डॉ. एस. आनंदबाबू, प्रेज़ीडेंट, डिसास्टर मेनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कन्ट्रोल सोसायटी (डीएमआईसीएस)	'भारत में आपदा प्रबंधन की बढ़ती चुनौतियां'

शिल्पकारों और दस्तकारों संबंधी संसदीय मंच

लोक सभा अध्यक्ष ने राज्य सभा के सभापति के परामर्श से 26 अप्रैल, 2013 को शिल्पकारों और दस्तकारों संबंधी संसदीय मंच का गठन किया। अध्यक्ष ने श्रीमती पुतुल कुमारी, संसद सदस्य, लोक सभा को मंच के नियमित, अनुमोदित कार्यक्रमों/बैठकों के आयोजन के लिए सदस्य-संयोजक के रूप में नियुक्त किया।

कृत्य

शिल्पकारों और दस्तकारों संबंधी संसदीय मंच के कृत्य हैं:—

- शिल्पकारों और दस्तकारों को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दों के प्रति सांसदों का ध्यान आकर्षित करना और उनकी जागरूकता में वृद्धि करना ताकि विभिन्न तंत्रों के माध्यम से परम्परागत कला और शिल्प का संरक्षण और संवर्धन किया जा सके।
- सांसदों को कार्यशालाओं, विचारगोष्ठियों, प्रबोधन कार्यक्रमों, इत्यादि के माध्यम से शिल्पकारों और दस्तकारों के संबंध में विचारों, दृष्टिकोणों, अनुभवों, सुविज्ञता तथा बेहतर प्रक्रियाओं का व्यवस्थित ढंग से आदान-प्रदान करने हेतु मंच प्रदान करना।
- सांसदों को, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वयंसेवी क्षेत्र, मीडिया और कॉर्पोरेट जगत में शिल्पकारों और दस्तकारों के मुद्दों को उजागर करने हेतु सिविल सोसाइटी के साथ संवाद के अवसर उपलब्ध कराना और इस प्रकार, इस संबंध में कारगर नीतिगत भागीदारी विकसित करना।
- सांसदों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, कॉयर बोर्ड, लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् जैसे सरकारी संगठनों और अन्य संबंधित संगठनों/निकायों के प्रतिनिधियों के साथ संस्थागत ढंग से संवाद करने को सुगम बनाना।
- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर विशेषज्ञों/संगठनों के साथ कला और परम्परागत शिल्प के संरक्षण तथा शिल्पकारों और दस्तकारों को बढ़ावा देने से संबंधित मामलों पर व्यापक संवाद और चर्चा आयोजित करना।
- ऐसे अन्य कार्य करना, परियोजनाएं लेना, नियत कार्य इत्यादि आरंभ करना जिन्हें मंच उचित समझे।

बैठक/कार्यशाला

शिल्पकारों और दस्तकारों संबंधी संसदीय मंच द्वारा आयोजित बैठक/कार्यशाला का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्रम.सं.	तिथि	बैठक/कार्यशाला
1.	13.08.2013	माननीय अध्यक्ष द्वारा आरंभिक बैठक की अध्यक्षता।
2.	18.12.2013 से 20.12.2013 तक	'हथकरघा और हस्तशिल्प — भावी चुनौतियां' विषय पर संसदीय सौध में एक कार्यशाला-सह-प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। लोक सभा अध्यक्ष ने इस कार्यशाला-सह-प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य संबंधी संसदीय मंच

लोक सभा अध्यक्ष ने राज्य सभा के सभापति के परामर्श से 11 दिसंबर, 2013 को सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य संबंधी संसदीय मंच का गठन किया। अध्यक्ष ने श्री कमल किशोर, संसद सदस्य, लोक सभा को मंच के नियमित, अनुमोदित कार्यक्रमों/बैठकों के आयोजन के लिए सदस्य-संयोजक के रूप में नियुक्त किया।

कृत्य

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य संबंधी संसदीय मंच के कृत्य हैं:—

- सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के अंतर्गत वर्ष 2015 तक लक्ष्यों की प्राप्ति/निर्धारित लक्ष्यों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा करना और सांसदों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करके उनकी जागरूकता में वृद्धि करना।
- सांसदों को कार्यशालाओं, विचारगोष्ठियों, प्रबोधन कार्यक्रमों, इत्यादि के माध्यम से सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के संबंध में विचारों, दृष्टिकोणों, अनुभवों, सुविज्ञता तथा बेहतर प्रक्रियाओं का व्यवस्थित ढंग से आदान-प्रदान करने हेतु मंच प्रदान करना।
- सांसदों को सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों यथा — गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन करना; सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना; स्त्री-पुरुष समानता को प्रोत्साहन देना और महिलाओं को शक्तियां प्रदान करना; शिशु मृत्यु दर कम करना; मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना; एचआईवी/एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करना; पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना और विकास हेतु वैश्विक साझेदारी विकसित करना संबंधी मुद्दों को उजागर करने हेतु सिविल सोसाइटी के साथ संवाद के अवसर उपलब्ध कराना।
- सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सांसदों द्वारा विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और इस जैसी अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों; विशेषज्ञों की रिपोर्ट, अध्ययन, समाचार और रूझान का विश्लेषण आदि के साथ संस्थागत ढंग से संवाद करने को सुगम बनाना।
- ऐसे अन्य कार्य, परियोजनाएं, नियत कार्य इत्यादि आरंभ करना जिन्हें मंच उचित समझे।

बैठक

विदेश मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद ने 17 फरवरी, 2014 को आयोजित बैठक में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य संबंधी संसदीय मंच का उद्घाटन किया।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान तीन नए संसदीय मंचों अर्थात् आपदा प्रबंधन; शिल्पकारों और दस्तकारों और सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य संबंधी मंचों के गठन से संसदीय मंचों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है जिससे संसदीय मंचों की प्रणाली सुदृढ़ हुई है।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार और अन्य विशिष्टजन 22 दिसम्बर, 2011 को
संसदीय ज्ञानपीठ में "आपदा प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच" के उद्घाटन अवसर पर।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 13 अगस्त, 2013 को संसदीय ज्ञानपीठ में
"शिल्पकार और दस्तकार संबंधी संसदीय मंच" के उद्घाटन अवसर पर।

17 फरवरी, 2014 को संसदीय सौध में "सहस्राब्दि विकास लक्ष्य संबंधी संसदीय मंच" के उद्घाटन के अवसर पर विशिष्टजन।

10

संसदीय संग्रहालय*

संसदीय ज्ञानपीठ के हॉल संख्या जी-118 के भू-तल और मध्य तल पर 1500 वर्ग मीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैले एक उच्च तकनीक युक्त इतिवृत्तात्मक संग्रहालय का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा 14 अगस्त, 2006 को किया गया था। संसद के परिसर में इस संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य जनता को संसद के नजदीक लाने और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने का था।

भारत की संसद विश्व की उन गिनी-चुनी संसदों में से एक है जिसके परिसर में एक पूर्ण सुसज्जित संग्रहालय है। यह विश्वस्तरीय संवादी संग्रहालय अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है और निम्नलिखित सात प्रमुख खंडों अर्थात् (एक) प्रारंभिक विरासत और मध्यकाल; (दो) स्वतंत्रता आंदोलन; (तीन) सत्ता हस्तांतरण; (चार) संविधान; (पांच) विधानमंडल का कार्यकरण; (छह) विश्व की संसदें; और (सात) सूचना बैंक के माध्यम से भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाता है। इन सात मुख्य खंडों में से प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:—

प्रारंभिक विरासत और मध्यकाल

एक पुन:सृजित प्राचीन स्थल के माध्यम से भारत में युगों में विकसित स्वशासी लोकतांत्रिक समाजों का चित्रण किया गया है। सम्राट अशोक के काल के चित्रण में जीवन के नैतिक तथा आचारपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाता शिलालेख तथा सिंहमुद्रा विशेष तौर पर देखी जा सकती है। भारत में विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को दर्शाती अकबर की दीन-ए-इलाही की परिकल्पना भी प्रदर्शित की गई है।

स्वतंत्रता आंदोलन

इस समूह में विभिन्न संस्कृतियों वाले बहुलवादी भारतीय समाज को दर्शाया गया है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी ध्वनि-प्रकाश-वीडियो सिंक्रोनाइजेशन के माध्यम से प्रदर्शों सहित दर्शाई गई है। वास्तविक सादृश चित्रण के माध्यम से दर्शकों को 1930 के ऐतिहासिक दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ भाग लेने का अवसर मिलता है।

सत्ता का हस्तांतरण

1833 के चार्टर अधिनियम से शुरू होने वाले और भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के साथ समाप्त होने वाले विधायी सुधारों और सत्ता के हस्तांतरण की गाथा मल्टी मीडिया प्रक्षेपण और तत्कालिक कलाकृतियों द्वारा दर्शाई गई है।

*संसदीय संग्रहालय प्रकोष्ठ के सौजन्य से।

संविधान

इस समूह में संविधान सभा की प्रारूपण समिति द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूपण सुंदरता से प्रदर्शित किया गया है। दर्शकों को कम्प्यूटर मल्टी-मीडिया कार्यक्रम के माध्यम से संविधान के प्रत्येक पृष्ठ का अवलोकन करने की सुविधा मिलती है। भारतीय गणतंत्र के तीन अंगों, यथा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का भी चित्रण किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी दिखाने के लिए एक मतदान केन्द्र और एक मतगणना केन्द्र के दृश्य पुन:सृजित किए गए हैं।

विधानमंडल का कार्यकरण

राज्य सभा और लोक सभा चैम्बरों के पुन:सृजित विन्यासों से दर्शकों को कम्प्यूटर समव्यवहार माड्यूलों के माध्यम से दोनों सभाओं की कार्यवाही का बोध होता है। संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष को बड़े सुंदर ढंग से पुन:सृजित किया गया है जहां दर्शकों को देश के शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू को सजीव रेखाचित्रण द्वारा 14-15 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि को 'नियति से मिलन' (ट्रिस्ट विद डेस्टिनी) नामक ऐतिहासिक भाषण देते हुए देखने का अवसर प्राप्त होता है।

विश्व की संसदें

इस समूह में एडविन लुटियन्स द्वारा बनाए गए प्रारंभिक आरेखों से लेकर वर्तमान संसदीय ज्ञानपीठ तक संसद भवन परिसर के विकास को प्रदर्शित किया गया है। भारत के राज्य विधानमंडलों और विश्व की संसदों के चित्र दिखाने हेतु कम्प्यूटरीकृत मल्टी मीडिया प्रक्षेपणों का प्रयोग किया जाता है।

सूचना बैंक

इस अंतिम समूह में केन्द्रीय कक्ष में समय-समय पर गण्यमान्य राष्ट्रीय नेताओं के अनावरित चित्र तथा विभिन्न देशों/स्रोतों से प्राप्त कलाकृतियां और स्मृति-चिन्ह भी प्रदर्शित किये गये हैं। कम्प्यूटरीकृत सूचना बैंक से शोधकर्त्ताओं को संसाधन केन्द्र में भंडारित लिखित और दृश्य सामग्रियों की पूरी जानकारी मिलती है।

संग्रहालय में विषय को दर्शाने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। आगन्तुक ध्वनि और प्रकाश वीडियो सिंक्रोनाइजेशन द्वारा काल विशेष के चित्रण, वृहत पटल संव्यवहारात्मक कम्प्यूटर, मल्टी-मीडिया और बहुपटलीय विहंगम प्रक्षेपणों द्वारा प्रभावपूर्ण चित्रण, वास्तविक सादृश्य तथा सजीव रेखा चित्रण को देखकर सम्मोहित हो जाता है। यह संग्रहालय

दृष्टिबाधित आगन्तुकों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है ताकि वे संग्रहालय में विभिन्न स्थानों पर ब्रेल लिपि में उत्कीर्ण भारत की लोकतांत्रिक विरासत के बारे में जान सकें।

इस संग्रहालय की अवधारणा, अभिकल्पना और इसका प्रचालन प्रसिद्ध संग्रहालयविद् डॉ. सरोज घोष द्वारा ग्यारह महीनों के रिकॉर्ड समय में किया गया था।

संग्रहालय की लोकप्रियता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि संसद का दौरा करने वाले सभी आगन्तुकों/शिष्टमंडलों के एजेंडे में संग्रहालय का दौरा करना विशेष रूप से शामिल होता है। गण्यमान्य व्यक्तियों के अतिरिक्त, लगभग 150 आगन्तुक, जिनमें अधिकांश छात्र होते हैं, प्रतिदिन संसदीय संग्रहालय का दौरा करते हैं। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, लगभग 1,24,800 आगन्तुकों ने संग्रहालय का दौरा किया।

संग्रहालय में एक पूर्णत: सुसज्जित परिरक्षण प्रयोगशाला भी है जिसमें बहुमूल्य कलाकृतियों का परिरक्षण और पुनरुद्धार किया जाता है। संसदीय संग्रहालय के लोगों वाली 50 से अधिक स्मारिका वस्तु वाला स्मारिका बिक्री केन्द्र संग्रहालय की सुंदरता में और वृद्धि करता है।

संसदीय संग्रहालय की संवादी वेबसाइट *(www.parliamentmuseum.org)* आगन्तुकों को संग्रहालय का वास्तविक दौरा करने का अवसर प्रदान करती है।

यह संग्रहालय जनता के लिए रविवार, सोमवार (अंतर सत्रावधि के दौरान) तथा राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक खुला रहता है। गाइड आगंतुकों को संग्रहालय का दौरा कराते हैं और उन्हें प्रदर्शित प्रत्येक वस्तु के बारे में विस्तार से बताते हैं। संसदीय संग्रहालय का दौरा करने हेतु समय की बुकिंग/आरक्षण टेलीफोन, ई-मेल अथवा फैक्स के माध्यम से अग्रिम तौर पर की जा सकती है। संग्रहालय तक पहुंचने के लिए पंडित पंत मार्ग स्थित संसदीय ज्ञानपीठ के स्वागत कार्यालय आना होता है।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 3 दिसम्बर, 2013 को संसदीय संग्रहालय में दृष्टिबाधित आगंतुकों के लिए ब्रेल सुविधा के उद्घाटन के अवसर पर।

11

लोक सभा टेलीविजन (एलएसटीवी)*

शुभारम्भ

लम्बे समय से पीठासीन अधिकारियों और अन्य लोगों द्वारा संसदीय/विधायी कार्यवाही का दूरदर्शन/आकाशवाणी पर प्रसारण किए जाने के संबंध में विचार किया जा रहा था। 20 दिसम्बर, 1989 को यह पहल की गई और नौवीं लोक सभा के दौरान दूरदर्शन/आकाशवाणी ने संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित राष्ट्रपति के अभिभाषण का सीधा प्रसारण किया। अनुवर्ती वर्षों में नौवीं लोक सभा के बाद के अध्यक्षों की पहल पर संसदीय कार्यवाही के प्रसारण की विधियों/तकनीकी व्यावहारिकता के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार किए गए। इस संबंध में सदन में राजनीतिक दलों और समूहों के साथ विचार-विमर्श किया गया। सदस्यों के एक अध्ययन दल ने अन्य देशों में जाकर वहां की संसदों की स्थिति को समझने का प्रयास भी किया।

प्रश्न काल का प्रसारण/टेलीफिल्मांकन दसवीं लोक सभा के दौरान 1991 में आरंभ हुआ और 1992 में रेल बजट और सामान्य बजट का सीधा प्रसारण शुरू हुआ। अप्रैल, 1994 से, उल्लेखनीय प्रयोजन के लिए लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का टेलीफिल्मांकन किया गया है। संसदीय कार्यवाही के सीधे प्रसारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम 25 जुलाई, 1994 को उठाया गया जब संसद भवन में 100 वाट का उच्च शक्ति (वीएचपी) ट्रांसमीटर लगाया गया। 15 किमी. की परिधि में लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण औपचारिक तौर पर अगस्त, 1994 से शुरू किया गया। 14 दिसम्बर, 2014 को भारत के उप राष्ट्रपति और लोक सभा अध्यक्ष ने संसद की दोनों सभाओं की कार्यवाही के सीधे प्रसारण हेतु दूरदर्शन के दो अलग सेटेलाइट चैनलों का शुभारम्भ किया।

अगस्त, 2005 में, तत्कालीन अध्यक्ष ने लोक सभा में विभिन्न दलों के नेताओं के परामर्श से लोक सभा का 24 घंटे का टेलीविजन चैनल शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। यह अध्यक्ष महोदय की ही सोच थी कि इस चैनल के रूप में दर्शक दीर्घा का सम्पूर्ण देश के लिए विस्तार होगा। यह चैनल भारत में अधिकारिक प्रसारणकर्ता दूरदर्शन, जो कि उस समय तक सभा की कार्यवाही का प्रसारण किया करता था, से मुक्त होगा। 24 जुलाई, 2006 को संसद के मानसून सत्र (8वां सत्र, 14वीं लोक सभा) के प्रारंभ से लोक सभा टेलीविजन (एलएसटीवी) ने निरंतर 24 घंटे का प्रसारण करना शुरू किया। नया चैनल, डायरेक्ट-टु-होम (डीटीएच) प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995, यथा संशोधित, की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिनांक 6 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 1360 के द्वारा केबल ऑपरेटरों के लिए इस चैनल का प्रसारण करना अनिवार्य बनाया गया।

*लोक सभा सचिवालय की एलएसटीवी सेवा के सौजन्य से।

स्थापना

लोक सभा टेलीविजन चैनल की स्थापना के एक भाग के रूप में संसदीय ज्ञानपीठ (पीएलबी) में रिकार्डिंग और प्रसारण सुविधायुक्त एक स्टूडियो की स्थापना की गई। स्टूडियो की स्थापना शुरू में दूरदर्शन द्वारा की गई थी और बाद में इसे लोक सभा टेलीविजन को सौंप दिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) को एलएसटीवी के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य सौंपा गया। लोक सभा कक्ष में पुराने रोबोटिक कैमरों को प्रतिस्थापित किया गया और कार्यवाही के बेहतर कवरेज हेतु दस नए हाई डेफिनिशन (एचडी) रोबोटिक कैमरे, जो संसद भवन में स्थापित आधुनिकतम स्टूडियो से रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किए जाते हैं, महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित किए गए। संसद भवन में लगाई गई माडर्न ग्राफिक्स प्रणाली के माध्यम से लोक सभा की प्रसारित कार्यवाही को उपयुक्त शीर्षक दिए जाते हैं। चैनल पर कार्यक्रमों की रिकार्डिंग और प्रसारण को और सुगम बनाने के लिए हाई डेफिनिशन उपकरण युक्त एक दूसरा, बड़ा स्टूडियो भी स्थापित किया गया है।

एक अर्थ स्टेशन भी स्थापित किया गया है ताकि चैनल के पारेषण को सीधे सेटेलाइट से जोड़ा जा सके। अर्थ स्टेशन की स्थापना के साथ चैनल ने एक और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

अध्यक्ष ने चैनल के कार्यकरण के मार्ग निर्देशन हेतु लोक सभा टेलीविजन के लिए एक सलाहकार परिषद् का गठन करने का एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। सलाहकार परिषद् के कार्य इस प्रकार हैं:—

- प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश देना;
- नई कार्यक्रम संकल्पनाओं पर विचार करना;
- चैनल के प्रभावी कार्यकरण हेतु राय देना; और
- चैनल के कार्यकरण से संबंधित किसी अन्य मामले पर चर्चा करना।

कार्यक्रम

लोक सभा की कार्यवाही तथा संसद की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं, जैसे कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के सीधे प्रसारण के अलावा, चैनल

द्वारा लोकतंत्र, शासन, सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक विषयों तथा नागरिकों के सरोकारों संबंधी विभिन्न ज्ञानवर्धक, संवादात्मक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं।

संसद सत्रों के दौरान कार्यक्रम

- **एजेंडा (हिन्दी और अंग्रेजी में):** एक घंटे का स्टूडियो से सीधे प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम है, जिसमें सत्रकाल में प्रतिदिन लोक सभा के समक्ष आने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाती है। उस दिन के लिए सूचीबद्ध विभिन्न विधेयकों तथा अन्य मुद्दों सहित सभा पटल पर रखे गए पत्रों के संबंध में कुछ पृष्ठाधार सूचना भी उपलब्ध कराई जाती है।
- **हाउस हाइलाइट्स (हिन्दी और अंग्रेजी में):** लोक सभा की दिनभर की कार्यवाही का स्टूडियो से आधे घंटे का हिन्दी और अंग्रेजी में होने वाला सीधा प्रसारण है।
- **डेटलाइन:** यह लोक सभा की सप्ताह भर की कार्यवाही की आधे घंटे की समीक्षा है। (सभा की कार्यवाही का साप्ताहिक प्रसारण)

अन्य कार्यक्रम (हिन्दी)

- **लोकमंच:** किसी वर्तमान या जन-सरोकार के मुद्दे पर स्टूडियो से सीधे प्रसारित होने वाली एक घंटे की चर्चा।
- **लीगल प्वाइंट:** एंकर और पैनल आधारित कार्यक्रम जो लोगों की कानूनी समस्याओं पर चर्चा करता है और उनके बारे में विशेषज्ञों के विचार और राय प्रस्तुत करता है।
- **संसद से सड़क तक (फ्रॉम पार्लियमेंट टु द स्ट्रीट्स):** यह आधे घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें संसद में लिए गए निर्णयों के आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विशेषज्ञ पैनल के साथ चर्चा की जाती है।
- **अध्यक्ष महोदय:** भारत संघ के विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं अध्यक्षों पर एक शृंखलाबद्ध कार्यक्रम।
- **विशेष:** सामाजिक मुद्दों और/अथवा सरकारी योजनाओं के बारे में शोधपरक वर्तमान घटनाक्रम को दर्शाता कार्यक्रम।
- **सुर्खियों से परे:** इस साप्ताहिक कार्यक्रम में ऐसी रुचिप्रद घटनाओं को प्रमुखता दी जाती है जो खबरों की सुर्खियां नहीं बनती।
- **आंचल में आकाश:** महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर फिल्म आधारित शृंखलाबद्ध कार्यक्रम।
- **साहित्य संसार:** 4 भागों में दिखाया जाने वाला हिन्दी साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम जिसमें हिन्दी के किसी प्रख्यात साहित्यिक व्यक्ति के साथ किसी हाल की साहित्यिक घटना, हाल में प्रकाशित पुस्तक, जनप्रिय पुस्तकालय और किसी प्रसिद्ध लेखक के जीवन के बारे में चर्चा होती है।
- **आमने-सामने:** राष्ट्रीय स्तर के किसी प्रख्यात व्यक्ति के साथ विशेष साक्षात्कार।
- **हमारी संसद:** भारत की संसदीय प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास।
- **दृष्टिकोण:** विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित चर्चा में रहे लोगों से वन-ऑन-वन साक्षात्कार।
- **विज्ञान दर्पण:** विज्ञान संबंधी समाचार और जानकारी हिन्दी में दी जाती है।
- **भारत एक खोज:** श्याम बेनेगल द्वारा पंडित नेहरू की पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' पर निर्मित कार्यक्रम।

अन्य कार्यक्रम (अंग्रेजी)

- **स्पेशल गैस्ट:** नीतियों, अर्थशास्त्र और सामाजिक मुद्दों पर विशेषज्ञ के साथ चर्चा पर आधारित कार्यक्रम।
- **पब्लिक फोरम:** जन-सरोकार के वर्तमान विषय या मुद्दे पर एक घंटे की स्टूडियो-चर्चा का सीधा प्रसारण।
- **हैल्दी इंडिया:** आहार, पोषण तथा घरेलू नुस्खों पर आधारित एक घंटे के सीधे प्रसारण वाला कार्यक्रम, जिसमें लोगों द्वारा फोन पर किए सवालों का विशेषज्ञों द्वारा उत्तर दिया जाता है।
- **रोविंग कैमरा:** संसद भवन और आस-पास हुए समारोहों और घटनाओं का ब्यौरा देने वाला साप्ताहिक कार्यक्रम।
- **टॉकटाइम:** नीतिगत विषयों पर दो या दो से अधिक विशेषज्ञों के पैनल की एक घंटे की चर्चा का साप्ताहिक कार्यक्रम।
- **वन-ऑन-वन:** यह घंटेभर का साप्ताहिक साक्षात्कार है जिसमें सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी ख्यातिप्राप्त व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है।
- **जेन्डर डिस्कोर्स:** लैंगिक मुद्दों पर चर्चा का सीधे प्रसारित किया जाने वाला एक घंटे का कार्यक्रम है जिसमें जनता की ओर से फोन पर सवाल भी पूछे जाते हैं। इसके पैनल में दो अथवा अधिक समाज-विज्ञानी, विधि तथा लैंगिक मुद्दों के विशेषज्ञ होते हैं।
- **पब्लिक डोमेन:** यह आम रुचि के विभिन्न मुद्दों पर विषय-विशेष के विशेषज्ञों द्वारा सार्वजनिक व्याख्यानों और विचारगोष्ठियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम है।
- **पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी:** विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी) द्वारा आयोजित व्याख्यान शृंखला पर आधारित कार्यक्रम।
- **अ पेज फ्रॉम हिस्ट्री:** इस कार्यक्रम में अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की वर्षगांठ पर उनके विषय में चर्चा की जाती है।
- **नो योर एम.पी.:** संसद सदस्यों (लोक सभा) के अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में आधे घंटे का साक्षात्कार।
- **ग्लोब वॉच:** विश्व के विभिन्न देशों के राजनयिकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा।

अन्य कार्यक्रम (हिन्दी व अंग्रेजी)

- **पर्सपेक्टिव:** अंतर-सत्रावधि के दौरान सीधे प्रसारित किया जाने वाला एक घंटे का दैनिक कार्यक्रम, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों,

टिप्पणीकारों और विशेषज्ञों के अतिथि पैनल वाले सदस्यों के साथ उस दिन की खबरों का विश्लेषण किया जाता है।

- **इनसाइट:** आधे घंटे का सीधे प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम जिसमें विशेषज्ञ पैनल के साथ उस दिन के किसी प्रमुख मुद्दे अथवा समाचार का विश्लेषण किया जाता है।
- **इनसाइट वीकेण्ड:** यह आधे घंटे की साप्ताहिक "फील्ड रिपोर्ट" है जिसमें एंकर दर्शकों को विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त उदाहरणों और आदान सामग्री पर आधारित मुद्दे से साक्षात्कार कराता है।
- **करियर कैफे:** प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कार्यक्रम।

भारतीय संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम

- **स्टेट ऑफ कल्चर:** भारतीय संस्कृति की प्रवृत्तियों पर तथा राष्ट्रीय राजधानी के सांस्कृतिक परिदृश्य पर रिपोर्ताज और साक्षात्कार-आधारित कार्यक्रम है।
- **इन ट्रांजिट:** राजधानी से होकर जाते हुए किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति से साक्षात्कार।
- **सुर-सप्तक:** भारतीय शास्त्रीय संगीत परम्परा से संबंधित कार्यक्रम।

फिल्में/वृत्तचित्र

- **वीकेंड क्लासिक फिल्म:** प्रत्येक सप्ताहांत, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्मित या उपलब्ध कराई गई हिन्दी और विभिन्न भारतीय भाषाओं की पुरस्कृत फिल्में दिखाई जाती हैं।
- **इंडिया अनलिमिटेड:** विदेश मंत्रालय के लोकनय प्रभाग द्वारा निर्मित और भारतीय संस्कृति व विरासत पर आधारित वृत्तचित्रों की श्रृंखला।
- **पीएसबीटी फिल्में:** लोक सभा प्रसारण न्यास (पीएसबीटी) द्वारा प्रदत्त वृत्तचित्र अलग-अलग समय पर दिखाये जाते हैं।
- **फेयर्स ऑफ इंडिया:** देश के भिन्न-भिन्न भागों में होने वाले मेलों और त्यौहारों की विशेषताओं और फ्लेवर को दर्शाने वाला एक वृत्तचित्र आधारित कार्यक्रम है।

विपणन

चैनल के विपणन-कार्यकलाप दिसम्बर, 2006 में प्रारंभ हुए और जैसे-जैसे चैनल स्वयं को स्थापित करता गया और इसकी रेटिंग में सुधार होता गया इसके कार्यकलापों में और तेजी से वृद्धि हुई। इस प्रयोजनार्थ, लोक सभा टेलीविजन ने एक विपणन प्रभाग गठित किया। चैनल के लोक सभा प्रोफाइल के कारण जागरूकता और प्रचार अभियानों के लिए एयर टाइम का विपणन केवल सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ही किया जाता है।

ऐसे एयर टाइम विपणन कार्यकलापों का उद्देश्य जनता की भलाई के लिए बने जागरूकता और प्रचार अभियानों को उचित मूल्य पर एक मंच प्रदान करना और चैनल पर होने वाले व्यय को वहन करने में मदद करने हेतु राजस्व जुटाना है। विपणन प्रभाग ने इस दिशा में उल्लेखनीय और तेज प्रगति की है और वित्त वर्ष 2013-14 में 13.95 करोड़ रुपये (सकल) का राजस्व अर्जित किया है। विपणन संबंधी कार्यकलापों का क्षेत्र सीमित होने पर भी चैनल ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

विपणन प्रभाग प्रचार और जन संपर्क कार्यकलापों के माध्यम से चैनल और इसके कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करता है। चैनल ने भारत में कार्य कर रहे केबल और सेटेलाइट टेलीविजन नेटवर्कों में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

नि:संदेह, लोक सभा टेलीविजन द्वारा गंभीर, सूचनाप्रद, विश्वसनीय और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के कारण लोक सभा टेलीविजन जिज्ञासु टेलीविजन दर्शकों में लोकप्रिय होता जा रहा है।

वितरण

जुलाई, 2006 में जब एलएसटीवी ने 24 घंटे का प्रसारण शुरू किया था तब केवल नेटवर्क के माध्यम से चैनल की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी। तथापि, 7 वर्ष से अधिक समय तक सफलतापूर्वक प्रसारण करने के पश्चात् अब चैनल भारत में प्रमुख शहरी और ग्रामीण टेलीविजन बाजारों में 150 मिलियन (लगभग) केबल और सेटेलाइट टेलीविजन घरों तक पहुंच रहा है। चैनल के वितरण और दर्शकों की संख्या में यह वृद्धि चैनल के वितरण विभाग में कार्यरत एक छोटी सी पेशेवर टीम की मदद और क्षेत्रीय स्तर पर वितरकों की सहायता से प्राप्त हुई है। एलएसटीवी सम्पूर्ण भारत में सभी डीटीएच प्लेटफार्मों, बहु-सेवा ऑपरेटरों (एमएसओ) और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) ब्राडबैंड केबल प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 में अधिसूचित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां) की धारा 8 की उपधारा (1) में संशोधन ने केबल ऑपरेटरों के लिए अपनी केबल/वितरण सेवा में लोक सभा टेलीविजन चैनल को दिखाना अनिवार्य कर दिया है।

एलएसटीवी के वितरण विभाग के लिए केबल ऑपरेटरों की एलएसटीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की विषय-वस्तु के बारे में शिक्षित करने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर अनेक संवाद सत्र आयोजित किए हैं ताकि वे चैनल की व्यापक जागरूकता पैदा करने में मदद कर सके।

स्टाफ और बजट

कार्यक्रम, तकनीकी, विपणन और वितरण प्रभागों के कार्य करने हेतु लोक सभा टेलीविजन चैनल की कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 136 है। चैनल के कार्यकरण को और सुचारू बनाने के लिए लोक सभा सचिवालय के भी लगभग 23 अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए हैं। लोक सभा टीवी चैनल पर आवर्ती व्यय लोक सभा सचिवालय के स्वीकृत बजट से पूरा किया जाता है जबकि चैनल पर पूंजीगत व्यय की पूर्ति केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए चैनल पर होने वाले आवर्ती व्यय हेतु कुल बजटीय प्रावधान 10.48 करोड़ रुपये था जबकि इस अवधि में चैनल द्वारा अर्जित सकल राजस्व 13.95 करोड़ रुपये था। अत: शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि लोक सभा टेलीविजन देश में सबसे किफायती टेलीविजन चैनलों में से एक है जिसके दर्शक देशभर में हैं।

12

संसद ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस)—एक सिंहावलोकन

वर्ष 1921 तक भारतीय विधानमंडल के सदस्यों के लिए कोई पृथक ग्रंथालय नहीं था। प्रकाशनों का केवल एक छोटा संग्रह बिना किसी उपयुक्त वर्गीकरण के रखा जाता था, जिसमें मुख्यत: विभागीय प्रतिवेदन, विधानमंडलों, की कार्यवाही, कानून आदि होते थे। सदस्यों द्वारा पुस्तकों और अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों की मांग किए जाने पर तत्कालीन विधायी विभाग और "इम्पीरियल" सचिवालय के ग्रंथालयों से उन्हें उधार लिया जाता था। ऐसी व्यवस्था में निहित कमियों को काफी वर्षों से महसूस किया जा रहा था और तत्कालीन केन्द्रीय विधान सभा में वर्ष 1921 में पहली बार एक छोटे पुस्तकालय की स्थापना की गई। यह पुस्तकालय अनेक वर्षों तक बहुत सीमित स्तर पर सदस्यों को सेवा उपलब्ध कराता रहा।

स्वाधीन भारत के लिए नये संविधान का प्रारुप तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा कार्य प्रारंभ करने के बाद ग्रंथालय संबंधी मांगें कई गुना बढ़ने लगीं। नीति निर्धारण तथा नीति के मूल्यांकन अथवा किसी सरकारी गतिविधि के आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए सरकारी सूचना स्त्रोतों पर ही सदस्यों की अत्यधिक निर्भरता को असंतोषजनक महसूस किया गया। इसलिए, पुस्तकों, विधायी वाद-विवादों और संसदीय पत्रों के न केवल एक भंडार के रूप में, बल्कि एक अद्यतन और विषयपरक ज्ञान भंडार को उपलब्ध कराने के रूप में एक ऐसी स्वतंत्र और विशाल ग्रंथालय सेवा की परिकल्पना की गई जिससे सदस्य लाभान्वित हो सकें।

वर्ष 1950 में भारत के एक प्रभुतासंपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के साथ ही संख्या तथा गुणात्मकता, दोनों दृष्टियों से संसद ग्रंथालय में संग्रहीत पुस्तकों में व्यवस्थित विस्तार का आरंभ हुआ। साथ ही नवगठित शोध तथा संदर्भ शाखा के अंतर्गत सदस्यों की संदर्भ सेवा का भी गठन किया गया जो प्रारंभ में संसद ग्रंथालय से पृथक कार्य करती थी।

पिछले छह दशकों के दौरान, ग्रंथालय तथा संसद सदस्यों की शोध और संदर्भ सेवाएं धीरे-धीरे विकसित हुई हैं, जिन्हें ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा के नाम से जाना जाता है और यह अपने नाम के शब्दों के प्रथम अक्षरों से बने शब्द "लार्डिस" के रूप में अधिक जानी जाती है। एकीकृत सेवा का वर्तमान ढांचा और नाम, वर्ष 1974-75 में लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों का बड़े पैमाने पर कृत्यात्मक पुनर्गठन किए जाने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया है।

यद्यपि ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) लोक सभा सचिवालय के प्रशासनिक तंत्र का एक भाग है परन्तु यह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को सेवा उपलब्ध कराती है और मुख्यत: विषय-अनुभाग-एवं-डेस्क अधिकारी प्रणाली के आधार पर कार्य करती है। प्रत्येक स्तर पर उद्देश्य, आवश्यक विशिष्ट जानकारी और विशेषज्ञ जानकारी के विकास को सुनिश्चित करना हैं तथा व्यापक विषय क्षेत्रों के अंतर्गत डेस्कों की पारंपरिक परिवर्तनशीलता तथा अनुभव की विविधता को बनाए रखना है।

इस समय ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा को अनेक कार्यात्मक प्रभागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक प्रभाग में अधिकारियों के दल का नेतृत्व निदेशक/अपर निदेशक द्वारा किया जाता है। कार्यात्मक तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर इन प्रभागों के नाम तथा कार्य के आबंटन में यथावश्यक परिवर्तन किया जा सकता है।

शोध और सूचना सेवा

संसद सदस्यों को शोध और सूचना सेवाएं, शोध तथा संदर्भ प्रभागों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। शोध प्रभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी निम्नलिखित स्वत: पूर्ण विशिष्ट कृत्यात्मक स्कंधों या अनुभागों में विभाजित हैं जो प्रत्येक प्रभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों से जाने जाते हैं:—

- *आर्थिक और वित्तीय कार्य स्कंध*
- *शैक्षणिक और वैज्ञानिक कार्य स्कंध*
- *जर्नल ऑफ पार्लियामेंटरी इंफार्मेशन*
- *विधि और संवैधानिक कार्य स्कंध*
- *संसदीय कार्य स्कंध*
- *राजनीतिक कार्य स्कंध*
- *पद्धति और प्रक्रिया एकक*
- *सामाजिक कार्य स्कंध*
- *सदस्य परिचय प्रकोष्ठ*

शोध और सूचना प्रभाग का मुख्य कार्य है — अद्यतन संसदीय रुचि

के विषयों, जिसमें ऐसे विधायी उपाय भी सम्मिलित हैं जिन पर संसद द्वारा चर्चा किए जाने और इस बारे में संसद सदस्यों द्वारा विस्तृत सूचना और आंकड़ों की मांग किए जाने की संभावना होती है, का पूर्वानुमान करने और उन्हें चिह्नित करते हुए सदस्यों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करना।

संसद सदस्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों की घटनाओं की अद्यतन सूचना देने का पूरा-पूरा प्रयास पुस्तिकाओं, सूचना पत्रकों, पृष्ठाधार टिप्पणों, विवरणिकाओं इत्यादि, जिसमें तथ्यपरक जानकारी होती है, के प्रकाशन के द्वारा किया जाता है। लघु-सूचना पत्रिकाएं इत्यादि भी तैयार की जाती हैं तथा सदस्यों के उपयोग के लिए वितरित की जाती हैं। ये सभी प्रकाशन पूर्व प्रकाशित प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित होते हैं और इन्हें अद्यतन रखने का भी सतत प्रयास किया जाता है।

पुस्तकें

पिछली लोक सभाओं की तरह पन्द्रहवीं लोक सभा की अवधि के दौरान भी शोध और सूचना प्रभाग ने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इनमें से कुछ हैं: भारत का संविधान (सजिल्द डीलक्स फार्मेट और पॉकेट आकार); भारतीय संसद का छठा और सातवां संस्करण; भारतीय संसद का सातवां द्विभाषी संस्करण; राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन; सदस्य परिचय; प्रथम लोक सभा (पुन: मुद्रित); सदस्य परिचय-पन्द्रहवीं लोक सभा: "पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य – एक संक्षिप्त परिचय" का प्रथम और द्वितीय संस्करण; वित्त मंत्रियों के बजट भाषण: 1947-2011 (तीन खंडों में); संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण: लोक सभा अध्यक्ष, सोमनाथ चटर्जी के चयनित भाषण; कौल और शकधर कृत संसदीय पद्धति और प्रक्रिया (छठा संस्करण); बाबू जगजीवन राम इन पार्लियामेंट: ए कमेम्प्रेटिव वाल्यूम एक खंड (द्वितीय संस्करण); त्रिदिब चौधरी इन पार्लियामेंट: ए कमेम्प्रेटिव वाल्यूम लोक सभा अध्यक्ष (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों संस्करणों में); और संसद सदस्य परिचय मंजूषा; लोक सभा सदस्य परिचय – पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा।

पहले की तरह, शोध और सूचना प्रभाग ने भोपाल (2010); जयपुर (2011) और पटना (2013) में हुए, भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों के सम्मेलन के दौरान उपयोग हेतु भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों के जीवनवृत्त वाली पुस्तिकाएं प्रकाशित की हैं। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 20वें सम्मेलन, 22वीं राष्ट्रमंडल संसदीय संगोष्ठी और सार्क देशों के अध्यक्षों और सांसदों के संघ के 5वें सम्मेलन के दौरान शिष्टमंडल के सदस्यों के उपयोग हेतु जीवनवृत्त वाली पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन किया गया।

संसद भवन परिसर में पूर्व अध्यक्षों, केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्षों, विशिष्ट संसद सदस्यों और जन नेताओं की प्रतिमाओं और चित्रों का समय-समय पर अनावरण किया जाता है। ऐसे अवसरों पर शोध और सूचना प्रभाग ऐसे प्रकाशन निकालता है जिनमें इन उत्कृष्ट नेताओं के जीवन वृत्त और चुनिंदा फोटोग्राफ होते हैं। हाल ही में सर फ्रैडरिक व्हाइट, विट्ठल भाई पटेल, सर मुहम्मद याकूब, सर इब्राहिम रहमतुल्ला, आर.के. षणमुगम चेट्टी, सर अब्दुर्रहीम, जी.वी. मावलंकर, एम. अनंत शयनम अय्यंगर, सरदार हुकुम सिंह, डॉ. नीलम संजीव रेड्डी, जी.एस. ढिल्लों, बलीराम भगत, के.एस. हेगड़े, बलराम जाखड, रबि राय, शिवराज वी. पाटील, पी.ए. संगमा, गंती मोहन चंद्र बालयोगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, सतगुरु राम सिंह, बाबू जगजीवन राम, जयी राजगुरु, एन.टी. रामा राव भूपेन्द्र नाथ बसु और श्री चन्द्रशेखर जैसे नेताओं/विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन वृत्त प्रकाशित किए गए।

जिन राष्ट्रीय नेताओं के चित्र संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में लगे हुए हैं उनके जन्म दिन पर, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय संसदीय समूह (आईपीजी) के तत्वावधान में समारोहों का आयोजन किया जाता है। शोध और सूचना प्रभाग ऐसे अवसरों पर इन नेताओं के जीवन वृत्त वाली पुस्तिकाओं का प्रकाशन करता है और उनको अद्यतन बनाता है।

पुस्तिकाएं, विषय सार, पृष्ठाधार टिप्पण, प्रारूप भाषण आदि

शोध और सूचना प्रभाग को पुस्तिकाएं, विषय-सार, पृष्ठाधार टिप्पण आदि तैयार करने का विशेष कार्यभार सौंपा गया है। राष्ट्रीय नीतियों के संबंध में सदस्यों के लिए तथ्यपरक सूचना के महत्व को ध्यान में रखकर प्रभाग ने राष्ट्रीय नीति निर्धारण को दर्शाने वाली विभिन्न पुस्तिकाएं प्रकाशित की हैं।

संसदीय, संवैधानिक और अन्य संगत विषयों पर समय-समय पर सूचना बुलेटिन, पुस्तिकाओं और पत्रकों का भी प्रकाशन किया जाता है। 15वीं लोक सभा के दौरान प्रकाशित कुछ सूचना बुलेटिन इस प्रकार हैं: जलवायु परिवर्तन; राष्ट्रपति का निर्वाचन 2012; उप राष्ट्रपति का निर्वाचन 2012; भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन: व्यवस्थापन विधेयक, 2011; भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन; भारत में राज्यों का पुनर्गठन; पेट्रोलियम मूल्य; डीजल ईंधन: मांग, राज सहायता और मूल्य निर्धारण; भारतीय रुपया बनाम अमेरिकी डॉलर: वर्तमान परिदृश्य; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013; विद्युत क्षेत्र: मुद्दे और चुनौतियां।

इस प्रकार के अन्य प्रकाशनों में, भारत की संसद के बारे में एक पुस्तिका; "संसदीय विशेषाधिकार संबंधी पुस्तिका; डॉ. त्रिस्ताओ द ब्रगेंजा कुन्हा के बारे में एक पत्रक; चौदहवीं लोक सभा के दौरान माननीय अध्यक्ष द्वारा की गई "महत्वपूर्ण पहलों" संबंधी पुस्तिका तथा आर्थिक और वित्तीय कार्य स्कंध और शैक्षणिक और वैज्ञानिक कार्य स्कंध के प्रक्रिया और पद्धति के संस्करण शामिल हैं।

शोध और सूचना प्रभाग महत्वपूर्ण सम्मेलनों की कार्यवाहियों और ऐसे सम्मेलनों की मुख्य बातों संबंधी प्रतिवेदनों का भी प्रकाशन करता है। 15वीं लोक सभा के दौरान प्रकाशित ऐसे प्रतिवेदनों में सार्क देशों के अध्यक्षों और सांसदों के संघ के पांचवें सम्मेलन संबंधी प्रतिवेदन; महिला संवेदी संसदें: संसद की महिला अध्यक्षों की सातवीं बैठक संबंधी प्रतिवेदन; राष्ट्रमंडल देशों की महिला सांसदों की संचालन समिति की 16वीं बैठक के संबंध में "भारतीय परिक्षेत्र में महिलाओं संबंधी मुद्दों पर शाखा और परिश्रोत्र में प्रगति" विषय पर प्रतिवेदन; साइबर सुरक्षा की तीन चुनौतियों; सूचना, नागरिक और अवसंरचना, विषय पर जिनेवा में सूचना समाज के निर्माण संबंधी चौथे संसदीय मंच के संबंध में साइबर सुरक्षा के वैश्विक

मुद्दों पर ध्यान देने और नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक मानवीय अधिकारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित विभिन्न संसदीय कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 20वें सम्मेलन के दौरान "भारत की संसद" विषय पर एक डीवीडी भी तैयार और जारी की गई और उसे शिष्टमंडल के सदस्यों को वितरित किया गया।

शोध और सूचना प्रभाग, भारत की संसद द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न सम्मेलनों के दौरान दैनिक बुलेटिन डेस्कों की स्थापना करता है। ऐसा, शिष्टमंडल के सदस्यों और सम्मेलन के प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान करने और उन्हें सम्मेलन-संबंधी समाचारों, कार्यवाहियों, दैनिक अनुसूचियों और आयोजित किए जा रहे सम्मेलनों में किए गए किसी परिवर्तन के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान विभिन्न अवसरों पर दैनिक बुलेटिन डेस्कों की स्थापना की गई जिनमें पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान आयोजित राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 20वां सम्मेलन; सार्क देशों के अध्यक्षों और सांसदों के संघ का 5वां सम्मेलन; महिला संवेदी संसद विषय पर संसदों की महिला अध्यक्षों की सातवीं बैठक और भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन आदि शामिल हैं।

शोध और सूचना प्रभाग सद्भावना यात्रा पर विदेश जाने वाले या "अंतरसंसदीय संघ" (आईपीयू), "राष्ट्रमंडल-संसदीय संघ" (सीपीए) सार्क अध्यक्षों और सांसदों का संघ, राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के तत्वावधान में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों/गोष्ठियों में भाग लेने वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के लिए बड़ी संख्या में संक्षिप्त विवरण और पृष्ठाधार टिप्पण भी तैयार करता है। जब भी आवश्यकता होती है तब आईपीयू सम्मेलनों में विचारित विशिष्ट विषयों के संबंध में संकल्प भी तैयार किए जाते हैं।

भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलनों और "भारतीय संसदीय ग्रुप" (आईपीजी) तथा "संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो" (बीपीएसटी) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के अवसरों पर होने वाली विचार-गोष्ठियों और संगोष्ठियों में उपयोग के लिए पृष्ठाधार टिप्पण भी तैयार किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त शोधन और सचूना प्रभाग सद्भावना यात्रा पर विदेश जाने वाले या अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों और संगोष्ठियों, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों और संसदीय या अन्य समारोहों में भाग लेने वाले संसद के कार्य निर्वाहकों और भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों के उपयोगार्थ प्रारूप भाषण/भाषण हेतु बिन्दु भी तैयार करता है।

मोनोग्राफ

उन सुविख्यात सांसदों, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारी संसदीय प्रणाली के विकास में महान योगदान दिया, की यादों को ताजा करने की दृष्टि से 1990 में **"सुविख्यात सांसद मोनोग्राफ सीरीज"** नाम से एक नयी मोनोग्राफ सीरीज प्रारंभ की गई थी। इस सीरीज के अंतर्गत अनेक सुविख्यात विभूतियों के संबंध में मोनोग्राफ जारी किए जा चुके हैं। हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त इनमें से कुछ मोनोग्राफ संबंधी मान्य व्यक्तियों की क्षेत्रीय भाषा में भी प्रकाशित किए गए हैं।

ऐसे प्रख्यात नेताओं और सांसदों, जो आज अनेक प्रकार से देश की सेवा कर रहे हैं, का सम्मान करने तथा उनके योगदान को रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए **"सुविख्यात सांसद सम्मान श्रृंखला"** नाम से एक नई मोनोग्राफ सीरीज आरंभ की गई है। महत्वपूर्ण भाषणों की प्रतिलिपियों और बीपीएसटी तथा अन्य स्थानों पर होने वाली वार्ता पर भी मोनोग्राफ प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संसद और इसके कार्यकरण से संबंधित विषयों पर समय-समय पर मोनाग्राफ प्रकाशित किए जाते हैं।

इसके अलावा, शोध और सूचना प्रभाग, लेख, संकल्प, उत्कृष्ट सांसद पुरस्कारों के लिए प्रशस्ति पत्र, संदेश, पुस्तकों के प्राक्कथन/आमुख, प्रश्न सूची के उत्तर तथा राज्य विधानमंडलों के लिए महासचिव के अ.शा. पत्र भी तैयार करता है।

पत्र-पत्रिकाएं

शोध और सूचना प्रभाग इन तदर्थ प्रकाशनों के अतिरिक्त सदस्यों के उपयोग के लिए निम्नलिखित पत्र-पत्रिकाएं भी प्रकाशित करता है:—

दि जर्नल ऑफ पार्लियामेंटरी इंफारमेशन (त्रैमासिक) : यह पत्रिका, पद्धति और प्रक्रिया में हुई प्रगति तथा भारतीय और विदेशी विधानमंडलों में घटित संसदीय घटनाक्रमों और कार्यकलापों के प्रामाणिक रिकॉर्डर की भूमिका निभाता है। इसमें संवैधानिक और संसदीय विषयों पर संसद सदस्यों और क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों के लेख होते हैं। **जेपीआई को अब संसद के होम पेज पर पीडीएफ वर्जन में उपलब्ध करा दिया गया है।**

डायजेस्ट ऑफ सेंट्रल एक्ट्स (त्रैमासिक) : इसमें संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त सभी विधेयकों के सार होते हैं।

डायजेस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव एंड कांस्टीट्यूशनल केसेज (त्रैमासिक) : इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए उन निर्णयों का सार होता है जिनमें महत्वपूर्ण विधायी और संवैधानिक मामलों में संविधान के उपबंधों की व्याख्या की गई हो।

आईपीजी न्यूजलेटर (त्रैमासिक) : इस समाचार-पत्र द्वारा भारतीय संसदीय ग्रुप के सदस्यों को भारतीय संसदीय ग्रुप के कार्यकलापों (जैसे संसदीय शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान) आईपीयू, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ और सार्क देशों के अध्यक्षों और सांसदों के संघ के सम्मेलनों, विचारगोष्ठियों, संगोष्ठियों तथा बैठकों आदि के बारे में जानकारी दी जाती है।

पत्रिकाओं (आईपीजी न्यूजलेटर के अतिरिक्त) की प्रतियां सदस्यों के अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाती हैं। आईपीजी न्यूजलेटर को भारतीय संसदीय ग्रुप के सदस्यों को परिचालित किया जाता है। कुछ समूल्य प्रकाशनों को सक्षम प्राधिकारी के विशेष आदेशों के आधार पर सदस्यों को नि:शुल्क वितरित किया जाता है। नई लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को अनेक प्रकाशनों का नि:शुल्क वितरण करने की भी परंपरा है। संसद सदस्य, लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों सहित अन्य समूल्य प्रकाशनों को प्रकाशन के बिक्री मूल्य के 50% की विशेष छूट (पहली प्रति पर) पर खरीद सकते हैं।

संदर्भ सेवा

सदस्य संदर्भ सेवा

ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध प्रलेखन और सूचना सेवा द्वारा जो संदर्भ सेवाएं संसद सदस्यों को उपलब्ध करायी जाती हैं, वे अन्य ग्रंथालयों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली इसी प्रकार की सेवाओं से गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनो दृष्टियों से भिन्न हैं। सदस्य संदर्भ सेवा, संसद सदस्यों, पीठासीन अधिकारियों तथा संसदीय समितियों को महत्वपूर्ण विधायी उपायों तथा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक और अन्य कानूनी महत्व जैसे अन्य विषयों की वास्तविक, उद्देश्यपूर्ण और नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराती है। इस सेवा का मुख्य कार्य सदस्यों को देश और विदेश में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देना है। सदस्य संदर्भ सेवा मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करती है:—

- सदस्यों के संदर्भों के उत्तर में तत्काल आंकड़े, सांख्यिकी उपलब्ध कराना
- सदस्यों के संदर्भों के उत्तर में नवीनतम संगत सामग्री, तथ्यात्मक आंकड़े, सांख्यिकी, आदि का संकलन और जानकारी उपलब्ध कराना
- महत्वपूर्ण विधेयकों के संबंध में ग्रंथ सूची संबंधी टिप्पण तैयार कराना
- पुस्तिका, पृष्ठाधार टिप्पण, तथ्य संबंधी सूचियां, सूचना बुलेटिन आदि तैयार करना और पूर्वानुमानी संदर्भ कार्य के भाग के रूप में विधेयकों और प्रासंगिक विषयों के संबंध में व्यापक संदर्भों का रख-रखाव।

उपर्युक्त कार्यों के अलावा, समय-समय पर निम्नलिखित तद्‌र्थ प्रकाशनों के संशोधन और उनको अद्यतन बनाने का कार्य भी किया जाता है:—

- केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्, 1947 केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के नाम और मंत्रालय
- भारत — कुछ तथ्य (समय-समय पर अद्यतन बनाए गए)
- भारत की संसद : एक अध्ययन *(प्रत्येक लोक सभा की अवधि की समाप्ति पर प्रकाशित)*
- राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन
- राष्ट्रपति के अध्यादेश
- लोक सभा में विभिन्न कार्यों में लगा समय-एक विश्लेषण

सदस्यों को निर्धारित समय में अद्यतन और स्पष्ट जानकारी सुलभ कराने के कार्य को सुचारू बनाने के लिए संदर्भ प्रभाग को निम्नलिखित कार्यात्मक डेस्कों में विभक्त किया गया है:—

- कृषि और उपभोक्ता मामले
- आर्थिक और वित्तीय मामलों संबंधी डेस्क
- मानव संसाधन विकास डेस्क
- उद्योग और निवेश डेस्क
- अवसंरचना और ऊर्जा डेस्क
- अंतर्राष्ट्रीय मामले और रक्षा डेस्क
- विधिक और संवैधानिक मामलों संबंधी डेस्क
- राजनैतिक और संसदीय मामलों संबंधी डेस्क
- ग्रामीण विकास, श्रम और रोजगार डेस्क
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संचार डेस्क
- सामाजिक कार्य संबंधी डेस्क
- समाज कल्याण संबंधी डेस्क

सदस्यों के संदर्भों के आग्रह पर संकलित की जाने वाली सामग्री का दायरा सामान्यत: उन्हीं विषयों तक सीमित होता है जो संसद के दोनों सदनों के समक्ष उसी समय आने वाले कार्य से संबंधित हों। सदस्य संदर्भ सेवा सदस्यों को उनकी रुचि के अनुसार अंग्रेजी और हिन्दी में सूचना उपलब्ध कराती है। सदस्यों को संदर्भ सेवा को लिखित "रिक्वीजीशन" देने होते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से उन विषयों तथा निश्चित मुद्दों का उल्लेख करना होता है जिनके बारे में जानकारी चाहिए और यह भी उल्लेख करना होता है कि किस तारीख और किस समय तक जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई जाए। वे अपनी आवश्यकता के बारे में टेलीफोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से संसद भवन स्थित सहायता डेक्स और संसदीय ज्ञानपीठ स्थित सदस्य अध्ययन कक्ष में सदस्य सहायता डेस्क को भी बता सकते हैं। जब किसी भी संदर्भ के रिक्वीजीशन दिए जाते हैं, तो वे तत्काल ही सदस्य संदर्भ सेवा को भेज दिए जाते हैं, जहां संबंधित अधिकारी या विषय-एकक उनके बारे में कार्यवाही प्रारंभ कर देता है। अपेक्षित जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से ली जाती है और नोट या तालिका के रूप में तैयार कर और सम्पादित करके सदस्यों को निर्धारित समय व तिथि तक उपलब्ध करा दी जाती है। जिन संदर्भों के बारे में जानकारी प्रकाशित दस्तावेजों में उपलब्ध होती है और जिसे तैयार करने के लिए किसी विशेष विश्लेषण अथवा संकलन की आवश्यकता नहीं होती है वह उसी समय सदस्य को उपलब्ध करा दी जाती है। सभी संगत पुस्तकें, प्रतिवेदन एवं समाचार-पत्रों

की कतरनों के फोल्डर पढ़े जाते हैं और संदर्भ तथा अध्ययन के लिए सदस्यों को उसकी फोटो प्रतियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

विधेयक जिसको संसद में चर्चा के लिए कार्य सूची में रखा गया है, से संबंधित संगत सामग्री के अध्ययन में सदस्यों की सहायता के लिए उन्हें स्थायी समिति के प्रतिवेदनों सहित अन्य संगत सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

संसद की अंतर-सत्रावधि के दौरान यह सेवा सत्रावधि के सदस्यों के उपयोग के लिए समसामयिक विषयों पर संदर्भ टिप्पण/सूचना पुस्तिकाएं तैयार करती है। 2009-2014 की अवधि के दौरान सदस्य संदर्भ-सेवा द्वारा निम्नलिखित विषयों पर अनेक प्रासंगिक पत्र तैयार किए गए:-

संदर्भ टिप्पण

(एक) कृषि उत्पाद मूल्य निर्धारण नीति

(दो) स्कूली शिक्षा हेतु केन्द्र सरकार की नीतियां

(तीन) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

(चार) भारत में शहरीकरण की चुनौतियां

(पांच) बाल श्रम

(छह) बाल कुपोषण

(सात) जलवायु परिवर्तन

(आठ) समुद्रतटीय सुरक्षा

(नौ) हिन्द महासागर में जल दस्युता का मुकाबला

(दस) उपभोक्ता सुरक्षा

(ग्यारह) निगमित सामाजिक दायित्व

(बारह) महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार

(तेरह) वर्तमान आर्थिक परिदृश्य

(चौदह) औद्योगिक परियोजनाओं के कारण लोगों का विस्थापन और पुनर्वास

(पन्द्रह) किसानों की समस्याएं

(सोलह) खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समस्याएं और संभावनाएं

(सत्रह) वित्तीय क्षेत्र: सुधार और विनियमन

(अठारह) सरकारी राजसहायता नीति और इसका प्रभाव

(उन्नीस) विदेशों में रहने वाले भारतीय

(बीस) मुद्रास्फीति/मूल्य वृद्धि

(इक्कीस) लोकपाल विधेयक

(बाईस) हाथ से मैला उठाने वाले: कल्याण और पुनर्वास

(तेईस) मानसिक स्वास्थ्य देखभाल

(चौबीस) मध्याह्न भोजन योजना

(पच्चीस) सहस्राब्दि विकास लक्ष्य

(छब्बीस) अल्पसंख्यक शिक्षा

(सत्ताईस) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम

(अट्ठाईस) नई खनन नीति

(उनतीस) पेड न्यूज

(तीस) पेट्रोलियम की कीमतें

(इकतीस) ऊर्जा क्षेत्र परिदृश्य

(बत्तीस) वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं और कल्याण

(तैंतीस) शिक्षा का अधिकार

(चौंतीस) ग्रामीण आवास: इंदिरा आवास योजना

(पैंतीस) भारत में स्कूली शिक्षा: एक सिंहावलोकन

(छत्तीस) मिलावटी औषधियां

(सैंतीस) भारत में पर्यटन क्षेत्र

(अड़तीस) भारत में जल प्रबंधन

(उनतालीस) बुनकरों का कल्याण

(चालीस) अल्पसंख्यकों का कल्याण

सूचना पत्रक (अंग्रेजी और हिन्दी)

(एक) कोयला ब्लॉकों का आवंटन

(दो) जलवायु परिवर्तन

(तीन) तेलंगाना राज्य का गठन

(चार) महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार

(पांच) ओडिशा में चक्रवात

(छह) रक्षा तैयारी

(सात) प्रत्यक्ष कर कोड

(आठ) आपदा प्रबंधन

(नौ) खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

(दस) खाद्य सुरक्षा

(ग्यारह) भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता

(बारह) भारत में मुद्रास्फीति

(तेरह) भारत में नक्सल समस्या

(चौदह) पेट्रोलियम के मूल्य

(पन्द्रह) जनसंख्या संबंधी मुद्दे

(सोलह) राष्ट्रपति का अभिभाषण

(सत्रह) रेल बजट

(अठारह) केन्द्रीय बजट

(उन्नीस) महिला सशक्तीकरण

(बीस) विधायी निकायों में महिला आरक्षण

प्रकाशन

15वीं लोक सभा की अवधि के दौरान इस सेवा ने निम्नलिखित प्रकाशन अद्यतन/संशोधित किए: राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन (2011 तक अद्यतन और संशोधित); मंत्रिपरिषद्, 1947 से 2011; राष्ट्रपति के अध्यादेश (2009 तक संशोधित); भारत की संसद—14वीं लोक सभा—2009 जो 14वीं लोक सभा के दौरान किए गए कार्यों का विश्लेषण दर्शाता है; भारत—कुछ तथ्य नामक तथ्यात्मक जानकारी जिनमें अन्य देशों की यात्रा करने वाले भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों और यहां आने वाले विदेशी शिष्टमंडल के सदस्यों के उपयोग हेतु देश के जनांकीय सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक पक्षों की नवीनतम सांख्यिकीय जानकारी होती है।

इसके अतिरिक्त, संसद ग्रंथालय की सहायता से संदर्भ सेवा शाखा संसदीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के दौरान शिष्टमंडल के लिए सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संदर्भ डेस्क बनाता है। 15वीं लोक सभा के दौरान 4 से 6 जनवरी, 2010 को आयोजित राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 20वें सम्मेलन के दौरान शिष्टमंडल के सदस्यों के लिए सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक संदर्भ डेस्क बनाया गया था। 9 से 11 जुलाई, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित दक्षिण-एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के अध्यक्षों के 5वें सम्मेलन के दौरान भी एक संदर्भ डेक्स बनाया गया था।

सदस्य संदर्भ सेवा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान विशेष रूप से आठवें और नौवें दशक में संदर्भ सेवा को प्राप्त हुए और इसके द्वारा निपटाए गए संदर्भों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1970 में 700 संदर्भ निपटाए गए जबकि 1974 में यह संख्या बढ़कर 950 हो गई। वर्ष 1977 में संदर्भों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और सदस्य संदर्भ सेवा के इतिहास में पहली बार यह संख्या 1000 से ऊपर अर्थात् 1,120 हो गई थी। वर्ष 1978 में संदर्भ पर्चियों की संख्या पहले से दुगनी अर्थात् कुल संख्या 2480 हो गई। वर्ष 1990 के दौरान सर्वाधिक 5,167 संदर्भ पर्चियां प्राप्त हुईं और उनका निपटान किया गया। वर्ष 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2010 और सितम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 4302, 6508, 5116, 5810, 3475, 6681 और 3727 संदर्भ प्राप्त हुए। 15वीं* लोक सभा के दौरान 24,964 संदर्भ पर्चियां प्राप्त हुईं और उनका निपटान किया गया।

सदस्यों से संदर्भ, सत्र और अंतर-सत्रावधि में पूरे वर्ष प्राप्त होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, चौथी लोक सभा की पूरी अवधि के दौरान प्राप्त 2900 संदर्भ में से 600 से अधिक अंतर-सत्रावधि में प्राप्त हुए और निपटाए गए। पांचवीं लोक सभा में 4100 संदर्भों में से 950 संदर्भ अंतर-सत्रावधि में प्राप्त हुए। आठवीं लोक सभा (1985-1989), नौवीं लोक सभा (1989-91), दसवीं लोक सभा (जुलाई, 1991 से 22 मार्च, 1996), ग्यारहवीं लोक सभा (15 मई, 1996 और 4 दिसम्बर, 1997) तथा बारहवीं लोक सभा (23 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999) के दौरान क्रमश: कुल 20,708, 6,650, 23,898, 7,176 तथा 5,949 संदर्भ प्राप्त हुए जिनमें क्रमश: 5,402, 2,232, 5,385, 1,669 और 1,333 संदर्भों को अंतर-सत्रावधि में निपटाया गया। तेरहवीं लोक सभा के दौरान प्राप्त कुल 23,148 संदर्भों में से 3414 संदर्भ अंतर-सत्रावधि के दौरान प्राप्त हुए जबकि 14वीं लोक सभा के दौरान प्राप्त 33,317 संदर्भों में से 10,609 संदर्भ अंतर-सत्रावधि के दौरान प्राप्त हुए। 15वीं लोक सभा के दौरान प्राप्त 24,964 संदर्भों में से 4513 संदर्भ अंतर-सत्रावधि के दौरान प्राप्त हुए। इन वर्षों के दौरान तत्स्थानिक संदर्भों के मामले में भी यही रुझान देखा गया।

बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के दौरान सत्रावधि में प्रतिदिन औसतन 60 संदर्भ प्राप्त हुए। 14वीं लोक सभा के दौरान सत्रावधि में प्रतिदिन औसतन 70 संदर्भ प्राप्त हुए। यह 11वीं लोक सभा के दौरान सत्रावधि में प्रतिदिन प्राप्त 45 से 52 संदर्भ की तुलना में है जबकि 15वीं लोक सभा के दौरान सत्रावधि में प्रतिदिन औसतन 55 संदर्भ प्राप्त हुए। समय और कार्यनिष्पादन की गति की दृष्टि से प्राप्त, संदर्भों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 12वीं और 13वीं लोक सभा में 65 प्रतिशत संदर्भ उसी दिन के लिए थे, 30 प्रतिशत की आवश्यकता दो-तीन दिनों के भीतर थी, 3 प्रतिशत 4 से 7 दिनों में निपटाए जाने के लिए थे और केवल 2 प्रतिशत सात दिनों से अधिक के लिए थे। समय और कार्यनिष्पादन की गति की दृष्टि से 14वीं लोक सभा के दौरान प्राप्त हुए संदर्भों के विश्लेषण से पता चलता है कि 72 प्रतिशत संदर्भ उसी दिन के लिए थे, 25 प्रतिशत की आवश्यकता दो-तीन दिनों के भीतर थी, दो प्रतिशत 4-7 दिनों के भीतर निपटाए जाने के लिए थे और केवल 1 प्रतिशत सात दिनों से अधिक के लिए थे। समय और कार्यनिष्पादन की गति की दृष्टि से 15वीं लोक सभा के दौरान प्राप्त हुए संदर्भों के विश्लेषण से पता चलता है कि 81 प्रतिशत संदर्भ उसी दिन के लिए थे। 17 प्रतिशत की आवश्यकता दो तीन दिनों के भीतर थी, दो प्रतिशत 4-7 दिनों के भीतर निपटाए जाने के लिए थे और केवल 1 प्रतिशत सात दिनों से अधिक के लिए थे।

*15वीं लोक सभा से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े 21 फरवरी, 2014 तक के हैं।

बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के दौरान प्राप्त हुए संदर्भों के विषय-वार विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश संदर्भ पर्चियां आर्थिक एवं वित्तीय विषयों से संबंधित थीं जो कुल प्राप्त संदर्भों का 46 प्रतिशत थीं। उसके बाद 45 प्रतिशत संदर्भ राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों से संबंधित थे। 4 प्रतिशत संदर्भ विधिक, संवैधानिक एवं संसदीय मामलों से संबंधित थे और 3 प्रतिशत संदर्भ विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं रक्षा के मामले से संबंधित थे। बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा में से बहुत कम, अर्थात् मात्र 2 प्रतिशत संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित थे। चौदहवीं लोक सभा में 5 प्रतिशत संदर्भ विधिक, संवैधानिक और संसदीय मामलों से संबंधित थे। 15वीं लोक सभा के दौरान प्राप्त संदर्भों के विषय-वार विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश संदर्भ अर्थात् 45 प्रतिशत आर्थिक और वित्तीय मामलों से संबंधित थे जबकि कुल संदर्भों के 42 प्रतिशत संदर्भ राजनीतिक और सामाजिक विषयों से संबंधित थे। विधिक, संवैधानिक और संसदीय मामलों से संबंधित संदर्भ 7 प्रतिशत थे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रक्षा मामलों से संबंधित संदर्भ 3 प्रतिशत थे। 3 प्रतिशत संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित थे।

ऑनलाइन संदर्भ सेवा

हाल ही में संसद सदस्यों तथा अन्य लोगों को "ऑनलाइन संदर्भ सेवा" उपलब्ध कराने के लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई है। यह महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दों पर ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराती है जो सदस्य इसकी सहायता से अपने यहां प्राप्त कर सकते हैं। हस्ताक्षरित संदर्भ पर्चियों के अतिरिक्त, सदस्य अब अपने प्रश्न ऑनलाइन भेज सकते हैं और ई-रिसोर्सेज के माध्यम से वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट और इन्ट्रानेट पर अब बड़ी मात्रा में सामयिक महत्व के पत्र डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि सदस्य इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकें और सचिवालय भी इसका उपयोग कर सके। संदर्भ टिप्पणों के इलेक्ट्रॉनिक रूप भी संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों को ई-मेल किए जाते हैं।

ग्रंथालय सेवाएं

संसद ग्रंथालय

अपने लगभग 1.27 मिलियन के वर्तमान संकलन जिसमें मुद्रित पुस्तकें, प्रतिवेदन, सरकारी प्रकाशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिवेदन, वाद-विवाद, राजपत्र और पत्रिकाओं, समाचार पत्रों सहित अन्य अभिलेख जिसमें लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशन शामिल हैं, के साथ यह देश का एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक समृद्ध ग्रंथालय है। संसद ग्रंथालय में 85 भारतीय तथा विदेशी समाचार पत्र और अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की 463 पत्र-पत्रिकाएं नियमित रूप से आती हैं। ग्रंथालय प्रथमतया पुस्तकों, प्रतिवेदनों, वाद-विवाद और अन्य अभिलेखों का निर्गमन कर, तत्क्षण संदर्भों को देकर और विभिन्न विषयों और व्यक्तियों पर चयनित संदर्भिका प्रदान कर संसद सदस्यों और अन्य उपयोगकर्ताओं की सूचना की जरूरतों को पूरा करता है। 14वीं लोक सभा के दौरान, तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार, संसद ग्रंथालय में मौजूदा ज्ञान के समृद्ध भंडार को शैक्षणिक संस्थानों के संकायों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए खोल दिया गया। ग्रंथालय का लाभ पत्रकारों, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों तथा कर्मचारियों, केन्द्रीय/राज्य सरकारों/सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों एवं सांविधिक निकायों, भारतीय तथा विदेशी प्रेस पत्रकारों, आदि द्वारा भी प्राप्त किया जाता है।

ग्रंथालय प्रभाग के मुख्य कार्य पुस्तकों, आवधिक पत्र-पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों, और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अन्य प्रकाशित सामग्री का अर्जन, प्रक्रमण, परिरक्षण और उन्हें जारी करना है। संसद ग्रंथालय को संसद जैसी महान संस्था, जिसको वह सेवा उपलब्ध कराता है, के समान गतिशील व जीवंत संगठन बनाने की धारणा पर सदैव बल दिया जाता रहा है जो अपने विशिष्ट उपयोगकर्ताओं की बहुमुखी तथा बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नये उपकरणों और सेवाओं की आयोजना करने और विचार करने में समर्थ हो। वस्तुतः संसद ग्रंथालय द्वारा अर्जित किये जाने वाले प्रकाशनों से संपूर्ण राष्ट्रीय गतिविधि का पूरा परिवृत्त प्रतिबिम्बित होता है।

ग्रंथालय के लिए पुस्तकों और प्रकाशनों का चयन और अर्जन लगभग सभी विषयों से संबंधित मानवीय कार्यकलापों के संपूर्ण क्षेत्र से किया जाता है। जिसमें सदस्यों की विधायी आवश्यकताओं को निःसंदेह अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार मानवीय ज्ञान की सभी शाखाएं इनके अंतर्गत आ जाती हैं, परंतु उच्च तकनीकी ज्ञान, विशुद्ध विज्ञान पुस्तकें और हल्के-फुल्के उपन्यास इसका अपवाद हैं।

संसद सदस्यों अथवा अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा मानार्थ अथवा दान स्वरूप भेंट की गईं पुस्तकों तथा प्रकाशनों को भी ग्रंथालय में शामिल किया जाता है। इसके अलावा, संसद सदस्यों अथवा अन्य लोगों के सुझावों पर भी पुस्तकें शामिल की जाती हैं। ग्रंथालय की अधिप्राप्ति शाखा पुस्तकों का चयन करते समय पाठकों की पहल, विगत मांगों, बदलती हुई सामाजिक जरूरतों तथा भावी अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों की पूर्वानुमानित मांग पर विचार करती है।

नई पुस्तकों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को इस प्रकार विनियमित किया जाता है कि पुस्तक के प्रकाशन और उसे ग्रंथालय में पहुंचने के बीच न्यूनतम समय लगे। प्रकाशन पूर्व उद्घोषणाओं, पुस्तक सूचियों और प्रकाशक सूचियों के आधार पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित पुस्तकों की सूची बनाई जाती है। महत्वपूर्ण भारतीय पुस्तकों और समसामयिक प्रकाशनों को उनके जारी होते ही प्राप्त कर लिया जाता है। वरिष्ठ पुस्तकालयकर्मी समय-समय पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भी जाते हैं और ग्रंथालय के संग्रहों को समृद्ध बनाने के लिए अद्यतन पुस्तकों का चयन करते हैं।

संसद ग्रंथालय प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेताओं को सप्ताह में एक बार अधिप्राप्ति शाखा आने पर अनुमोदन के आधार पर नई पुस्तकों की आपूर्ति करने की अनुमति देता है। जैसे ही स्थानीय पुस्तक विक्रेता नई पुस्तकों को लाते हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है कि चयनित पुस्तकें ग्रंथालय की व्यापक रुचि के विषयों के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार चयनित पुस्तकों को विचार तथा अनुमोदन के लिए ग्रंथालय समिति की अगली बैठक के समक्ष रखा जाता है।

संसद ग्रंथालय अपने भंडारण को समृद्ध बनाने के लिए पुस्तकों और प्रकाशनों की केवल सीधी खरीद पर ही निर्भर नहीं है। प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने राज्य में मुद्रित सभी पुस्तकों का अर्जन करें और संसद ग्रंथालय को उसकी प्रतियां नि:शुल्क भेजें। इसी प्रकार, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, उनके विभागों तथा अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों से भी यह आशा की जाती है कि वे अपने सभी प्रकाशनों, प्रतिवेदनों आदि की प्रतियां संसद ग्रंथालय को नि:शुल्क उपलब्ध कराएं। लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों के बदले में अपने सभी प्रकाशन भेजने के लिए भारत तथा विदेशों की अनेक सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ भी विनिमय प्रबंध है। संसद ग्रंथालय संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके सहायक संगठनों के सभी अप्रतिबंधित प्रकाशनों का संग्राहक ग्रंथालय भी है।

15वीं लोक सभा के दौरान 20,571 खरीदी गई पुस्तकें और 7,748 पुस्तकें कॉपीराइट/मानार्थ के अंतर्गत ग्रंथालय संग्रह में शामिल की गईं। 1,60,100 सरकारी प्रतिवेदन/प्रकाशन भी अनुभाग में प्राप्त किए गए। संसद सदस्यों/कर्मचारियों द्वारा 1102 पुस्तकों के लिए सुझाव दिए गए और अधिकारियों/शाखाओं हेतु 1,912 पुस्तकों की अधिप्राप्ति की गई।

पुस्तक की प्राप्ति और उसे प्रक्रमण शाखा को भेजे जाने के बाद इसका कैटलॉग बनाया जाता है और वर्गीकरण किया जाता है। कैटलॉगकर्मी सर्वप्रथम एक शेल्फ लिस्ट कार्ड तैयार करता है जिसे मास्टर कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कॉल नंबर, आगमन नंबर, लेखक का नाम, पुस्तक का शीर्षक, प्रकाशन विवरण, समाकलन, और सर्च कीवर्ड्स भी शामिल होते हैं। शेल्फ लिस्ट कार्ड में ग्रंथालय के संपूर्ण संग्रह का वर्णन होता है। ग्रंथालय के काउंटरों पर लगाए गए कम्प्यूटर के द्वारा सदस्य ग्रंथालय की सूचियां प्राप्त कर सकते हैं।

पुस्तकों और प्रकाशनों को "डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम" (डीडीसीएस) (22वां और 23वां संस्करण) के अनुसार प्रक्रमित और वर्गीकृत किया जाता है। 1992 में "लिबसिस" (ग्रंथालय प्रणाली) सॉफ्टवेयर पैकेज को अपनाते हुए ग्रंथालय के समस्त क्रियाकलाप का कम्प्यूटरीकरण भी शुरू किया गया। तद्नुसार, डीडीसी के 20वें संस्करण के अनुसार सभी पुरानी पुस्तकों का पुनर्वर्गीकरण करने तथा कम्प्यूटर में संदर्भिका विवरण डालने का निर्णय लिया गया। परिणामस्वरूप, इस प्रयोजन हेतु पुनर्वर्गीकरण एकक की स्थापना की गई। अब एक बार पुन: परिवर्तन किया गया है और अप्रैल, 2006 से, पुरानी पुस्तकों का पुनर्वर्गीकरण "डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम" के 22वें संस्करण के अनुसार किया जा रहा है। इस पुरानी पुस्तकों के कैटलॉग कार्डों को भी 'शेल्फ लिस्ट' तथा 'लेखक/शीर्षक' कैटलॉग में भी नए कार्डों से बदला जा रहा है। आवश्यक संदर्भिका विवरणों को भी कम्प्यूटर में फीड किया जा रहा है ताकि उनकी ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

15वीं लोक सभा के दौरान, 12,853 सरकारी प्रतिवेदनों, संयुक्त राष्ट्र संघ और विदेशों के प्रकाशनों सहित अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं की कुल 25,510 पुस्तकें अनुभाग में प्रक्रमित की गईं। संसदीय ग्रंथालय बुलेटिन के 53 अंक प्रकाशित किए गए और वितरित किए गए। लोक सभा/राज्य सभा के संसद सदस्यों/अधिकारियों को बुलेटिन के नवीनतम अंक ई-मेल किए गए।

ग्रंथालय सूची तक इंटरनेट प्रोटोकाल (आईपी) पते: एचटीटीपी:// पार्लियामेंट ऑफ इंडिया.निक.इन पर 'पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होमपेज' के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। ऑनलाइन सूची लेखक, शीर्षक, विषय और ''की-वर्ड'' आधारित खोज से संबंधित सूचना प्रदान करती है ताकि अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने में सदस्यों तथा अन्य पाठकों का समय बचाया जा सके। मांग किए जाने पर सदस्यों को विषय ग्रंथ-सूची और विभिन्न विषयों पर प्रकाशनों की चुनिंदा सूचियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

सदस्यों तथा ग्रंथालय के अन्य प्रयोक्ताओं की जानकारी के लिए प्रक्रमण शाखा द्वारा संसद ग्रंथालय संग्रह में शामिल नई पुस्तकों की ग्रंथ-सूची संबंधी विवरण वाला एक संसद ग्रंथालय बुलेटिन प्रतिमाह प्रकाशित किया जाता है। संसद ग्रंथालय बुलेटिन इंटरनेट पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होमपेज पर भी उपलब्ध है।

विशिष्ट संग्रह

संसद ग्रंथालय में राजनीतिशास्त्र, विधि इतिहास, कला, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला की एक हजार से अधिक दुलर्भ पुस्तकों का बहुमूल्य संग्रह है। बर्नियर द्वारा लिखित और वर्ष 1671 में प्रकाशित पुस्तक "हिस्ट्री ऑफ लेट रिवोल्यूशन ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पायर" संसद ग्रंथालय में उपलब्ध सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। भारतीय कला पर उपलब्ध पुस्तकों में भारतीय इतिहास का एक व्यापक चित्र दर्शाया गया है जिसमें इसके विकास के विभिन्न चरणों का चित्रांकन है। इनमें मुगल, राजपूत, कांगड़ा, गढ़वाल और अन्य कला घरानों की चित्रकलाओं को शामिल किया गया है। विदेशी कला संबंधी पुस्तकों में माइकल एंजेलों, लियनार्दो द विंशी और राफेल जैसे प्रतिष्ठित कलाकारों की कृतियां और साथ ही चीन तथा जापान की कलाकृतियां और रूस, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका तथा अरब की चित्रकलाएं भी शामिल हैं।

संसद ग्रंथालय में उपलब्ध अन्य महत्वपूर्ण दुर्लभ दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में मूल सुलिखित भारत का संविधान है। यह दस्तावेज जिस पर संविधान के संस्थापकों के हस्ताक्षर हैं, एक बहुमूल्य राष्ट्रीय दस्तावेज है।

गांधी साहित्य

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति के सम्मानस्वरूप महात्मा गांधी द्वारा रचित और उनसे संबंधित संपूर्ण साहित्य को एक ही स्थान पर सुलभ कराने की दृष्टि से संसद ग्रंथालय में 9 अगस्त, 1978 को एक पृथक गांधी साहित्य अनुभाग खोला गया था। महात्मा गांधी के जीवन और उनकी कृतियों पर गहन अध्ययन और व्यापक शोध करने के इच्छुक सदस्यों व वृत्ति छात्रों ने इसका स्वागत किया है, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा रचित तथा उनके बारे में अंग्रेजी, हिन्दी और भारत की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं

में 4295 पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें ग्रंथालय भवन के कमरा संख्या जी-048 में रखी गई हैं।

नेहरू साहित्य

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा रचित तथा उनके बारे में लिखित पुस्तकों को पृथक रूप से कमरा संख्या जी-050 में रखा गया है। इस संग्रह में हिन्दी, अंग्रेजी और भारत की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में लगभग 1250 पुस्तकें हैं।

भारतीय भाषाओं पर साहित्य

संसद ग्रंथालय अपने भाषायी संकलनों के विकास पर अधिक बल देता रहा है। विभिन्न भारतीय भाषाओं की लगभग 1,23,000 पुस्तकों का एक पृथक खंड ग्रंथालय में बनाया गया है। हिन्दी और संस्कृत के अलावा जो भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं, वे इस प्रकार हैं: असमिया; बंगला; भोजपुरी; बोंडो; डोगरी; गुजराती; कन्नड़; कश्मीरी; कोंकणी; मैथिली; मलयालम; मणिपुरी; मराठी; नेपाली; उड़िया; पंजाबी; राजस्थानी; सिंधी; तमिल; तेलुगु; और उर्दू। इनमें से प्रत्येक भाषा में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक मूल मानक कृतियों को शामिल करके इस संग्रह को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

संसद ग्रंथालय में प्राप्त होने वाली 463 पत्रिकाओं में से 78 पत्रिकाएं हिन्दी की और 32 अन्य भारतीय भाषाओं की हैं।

संसद ग्रंथालय समिति

ग्रंथालय समिति का गठन लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है जिसका कार्य संसद ग्रंथालय के विकास से संबंधित सभी मामलों के बारे में उसे परामर्श देना है। समिति में लोक सभा के छह सदस्य और राज्य सभा के तीन सदस्य होते हैं, जिन्हें संबंधित सभाओं के पीठासीन अधिकारियों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है। लोक सभा का उपाध्यक्ष ग्रंथालय समिति का पदेन सभापति होता है। ग्रंथालय समिति ग्रंथालय में आने वाली सभी पुस्तकों की गुणवत्ता और संख्या के बारे में निगाह रखती है और संसद ग्रंथालय तथा उसकी अनुषंगी सेवाओं के कार्यकरण में और अधिक सुधार करने के संबंध में टिप्पणी करती है तथा अपने सुझाव देती है।

संसद ग्रंथालय नियम

सदस्यों को पुस्तकों व अन्य प्रकाशनों का जारी किया जाना संसद ग्रंथालय समिति की सिफारिशों पर बनाए गए संसद ग्रंथालय नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। इन नियमों को अलग से प्रकाशित किया जाता है और आग्रह करने पर सदस्य इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। 15वीं लोक सभा के दौरान समिति की कुल 9 बैठकें हुई थीं।

15वीं लोक सभा के दौरान, 58,864 पुस्तकें जारी की गईं, 44,981 पुस्तकें वापस की गईं और 1,69,123 तत्क्षण संदर्भों का निपटारा किया गया था।

सॉफ्टवेयर पैकेज – "लिबसिस" के प्रयोग द्वारा ग्रंथालय प्रबंधन के कार्यों जैसे पुस्तकों का अर्जन, प्रक्रमण जारी करना और वापस लेने का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। अपेक्षित सूचना प्राप्त करने में सदस्यों और पाठकों का समय बचाने के लिए ऑनलाइन कैटलॉग लेखक, शीर्षक, विषय और संकेतक शब्द आधारित खोजों के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है। समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित महत्वपूर्ण लेखों की सूचियां तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। विभिन्न विषयों के प्रकाशनों के विषय विवरण और चयन सूचियां, अनुरोध पर सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती हैं।

प्रशासन और संरक्षण अनुभाग

ग्रंथालय प्रभाग का प्रशासन और संरक्षण अनुभाग ग्रंथालय के सामान्य प्रशासन, ग्रंथालय में रखे गए ग्रंथों के रख-रखाव और संरक्षण, शोध छात्रों (भारतीय और विदेशी) और संसद सदस्यों के निजी स्टाफ को ग्रंथालय सुविधाएं प्रदान करने, प्रकाशनों की जिल्दसाजी, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और सभी ग्रंथालय उपकरणों के अर्जन आदि का कार्य देखता है।

15वीं लोक सभा के दौरान 1,778 व्यक्तियों ने संसद ग्रंथालय का भ्रमण किया। संसद ग्रंथालय आने के लिए 59 भ्रमणों की व्यवस्था की गई और 875 शोधार्थियों को संसद ग्रंथालय सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई।

अधिनियम तथा विधेयक अनुभाग

अधिनियम तथा विधेयक अनुभाग केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिनियमों और अध्यादेशों, सरकारी और गैर-सरकारी विधेयकों, केन्द्र और राज्य सरकारों के नियम, संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भारत का संविधान; भारत सरकार (कार्य नियतन नियम), 1961, चुने हुए देशों के विदेशी अधिनियम (जब और जैसे प्राप्त) आदि का संसद सदस्यों, शोधार्थियों एवं अन्य प्रयोक्ताओं के संदर्भ और उपयोग हेतु रख-रखाव और संरक्षण करता है। यह अनुभाग भारत का संविधान, भारत सरकार (कार्य नियतन नियम), 1961 और समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय अधिनियमों की पांच प्रतियों में नियमित रूप से संशोधन करता रहता है ताकि उन्हें अद्यतन बनाया जा सके। इस अनुभाग में संयुक्त/प्रवर समिति (विधेयकों की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर गठित) के 1921 से लोक सभा/राज्य सभा के समक्ष यथाप्रस्तुत प्रतिवेदनों का भी रख-रखाव होता है।

इस अनुभाग में सन्, 1836 से अब तक के सभी केन्द्रीय अधिनियमों की प्रतियां संरक्षित हैं। विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त भारत कोड के खंड, केन्द्रीय अधिनियमों की अद्यतन प्रतियों और भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रतियों का भी रख-रखाव किया जाता है। केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत सभापटल पर रखे गए भारत सरकार के नियम, विनियम और अधिसूचनाओं का भी अनुभाग में रख-रखाव किया जाता है।

15वीं लोक सभा के दौरान अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि की आपूर्ति हेतु मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों को 215 पत्र भेजे गए और इंटरनेट पर उपलब्ध लीगल डाटा बेस से 3400 अधिनियम/नियम/अधिसूचनाएं डाउनलोड की गईं। केन्द्रीय अधिनियमों/नियमों आदि की अजिल्द प्रतियों में 1150 सुधार/संशोधन किए गए। 8900 प्रकाशन जारी किए गए और 11000 संदर्भों का निपटान किया गया तथा 120 शोधार्थियों/लॉ इंटर्नों को ग्रंथालय सेवा प्रदान की गई। अधिसूचनाओं की 15600 प्रतियों को छांटा गया और फील्डरों में व्यवस्थित किया गया।

प्रलेखन सेवा

वर्ष 1975 में स्थापित प्रलेखन सेवा का मुख्य कार्य संसद ग्रंथालय में उपलब्ध अंग्रेजी और हिन्दी समाचार पत्रों, संपादित पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं सहित विभिन्न दस्तावेजों में प्रकाशित होने वाले ऐसे लेखों की सूची बनाना है, जो सदस्यों के लिए उपयोगी हों। किसी विशेष पाक्षिक के लिए चुने गए लेखों को उपयुक्त टिप्पण लेखन के साथ विषय-वार शीर्ष देकर "लिबसिस" सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाता है।

इसके पूर्व, इस जानकारी को 'डाक्यूमेंटेशन फोर्टनाइटली' नामक एक पाक्षिक पत्रिका में प्रकाशित किया जाता था (जनवरी 1975 से दिसम्बर, 1988 तक)। तत्पश्चात् जनवरी, 1989 से इसे 'पार्लियामेंट्री डाक्यूमेंटेशन' पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। पार्लियामेंट्री डाक्यूमेंटेशन को अगस्त, 2008 से 'संसदीय प्रलेखन' नाम से हिन्दी में भी शुरू किया गया है।

सूचीबद्ध लेखों को लेखक-वार, शीर्षक-वार और विषय-वार 'पार्लियामेंट्री डाक्यूमेंटेशन' हेतु बनाए गए लोक सभा होमपेज की वेबसाइट के माध्यम से देखा जा सकता है *http://164.100.47.134/plibrary/issue.aspx* और संसदीय प्रलेखन के लिए *http://164.100.47.132/loksabhahindi/parliament%20library/issue.aspx.*

यद्यपि, अब प्रलेखन सेवा संबंधी सूचना संसद के होमपेज पर उपलब्ध है, तथापि, 'पार्लियामेंट्री डाक्यूमेंटेशन' और 'संसदीय प्रलेखन' की कम्प्यूटर से निकाली गईं कुछ प्रतियां तैयार करके रिकॉर्ड के तौर पर और संसद सदस्यों तथा अन्य उपयोगकर्ताओं के उपयोग हेतु रखी जाती हैं। 1975 से 1988 तक की अवधि में प्रकाशित 'डाक्यूमेंटेशन फोर्टनाइटली', 'पार्लियामेंट्री डाक्यूमेंटेशन' (1989 से) और संसदीय प्रलेखन (अगस्त, 2008 से) से जिल्दबद्ध खंड भी ग्रंथालय में संदर्भ के उपयोग हेतु रखी गई हैं।

"पार्लियामेंट्री डाक्यूमेंटेशन" और "संसदीय प्रलेखन" का इलेक्ट्रॉनिक रूप ई-मेल के माध्यम से संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों और लोक सभा तथा राज्य सभा के अधिकारियों को भेजा जा रहा है।

अब संसद सदस्यों और अन्य उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध लेखों के पूर्ण पाठ देखने हेतु लिंक उपलब्ध कराने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

समाचार कतरन सेवा

समाचार कतरन सेवा की स्थापना 1956 में छोटे पैमाने पर की गई थी जिसका उद्देश्य ज्वलंत मुद्दों पर संसद सदस्यों से प्राप्त संदर्भों का शीघ्र निपटान करना था। विगत वर्षों में सेवा का कार्यक्षेत्र काफी बढ़ा है। तद्नुसार, इसे संदर्भ उद्देश्यों हेतु आवश्यक तंत्र के रूप में और व्यवस्थित किया गया है। यह सेवा विधायी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सुसंगत और अद्यतन समाचार, सम्पादकीय टिप्पणी और लेख आदि उपलब्ध कराती है।

देश के विभिन्न भागों से प्रकाशित होने वाले 11 हिन्दी और 18 अंग्रेजी समाचार पत्रों से कतरनें एकत्र की जाती हैं। हिन्दी भाषा के समाचार पत्र हैं: बिजनेस स्टैंडर्ड, दैनिक जागरण, इकॉनॉमिक टाइम्स, हिन्दुस्तान, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा (सभी नई दिल्ली से प्रकाशित), आज (वाराणसी), लोकमत समाचार (नागपुर); पंजाब केसरी (पानीपत); और राजस्थान पत्रिका (जयपुर)। अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र हैं: *एशियन एज, बिजनेस स्टैंडर्ड; इकॉनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस; हिंदू बिजनेस लाइन, हिन्दुस्तान टाइम्स; इंडियन एक्सप्रेस; पायनियर; स्टेट्समैन; द हिन्दू; टाइम्स ऑफ इंडिया और ट्रिब्यून (सभी नई दिल्ली से प्रकाशित), असम ट्रिब्यून* (गुवाहाटी); *डैक्कन हैराल्ड* (बंगलौर); *फ्री प्रेस जर्नल* (मुम्बई), *कश्मीर टाइम्स* (जम्मू); *टेलीग्राफ* (कोलकाता) और *द हिन्दू* (चेन्नै)।

सभी कतरनों का वर्गीकरण एक विशेष रूप से तैयार वर्गीकरण योजना, जो डेवी दशमलव वर्गीकरण प्रणाली पर आधारित है, के अनुसार कर इनके विषय-वार फोल्डर बनाकर समुचित क्रम में लगाया जाता है। इन फोल्डरों को बाहर के लिए जारी नहीं किया जाता है, परंतु इनका अध्ययन संसद ग्रंथालय के वाचनालयों और समाचार कतरन अनुभाग में ही किया जा सकता है। वर्तमान में समाचार कतरन सेवा अनुभाग संसदीय ज्ञानपीठ के प्रथम निम्नतल स्थित "के" ब्लॉक में है।

विषय विशेष और संसदीय महत्व की समाचार कतरनों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, इन्हें प्रतिदिन लोक सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महासचिव, सचिव एवं अपर सचिव के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

सदस्यगण, शोध एवं संदर्भ सेवा के कर्मचारीगण और लोक सभा तथा राज्य सभा की विभिन्न शाखाएं, विशेषकर समिति शाखाएं संसद ग्रंथालय आने वाले शोधार्थी तथा प्रत्यायित प्रेस संवाददाता भी इन समाचार-कतरनों का विशद उपयोग करते हैं।

पुरानी समाचार कतरनों की नियमित रूप से संवीक्षा की जाती है। अधिकतर समाचार पत्र कतरनों को पांच वर्षों के लिए संभाल कर रखा जाता है। तथापि, स्थायी महत्व और रुचि की तथा संवैधानिक, संसदीय और कानूनी विषयों से संबंधित समाचार कतरनों को संवीक्षा के पश्चात् स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है।

संसद ग्रंथालय के विभिन्न क्रियाकलापों के चल रहे कम्प्यूटरीकरण के अनुरूप जून, 2011 को प्रेस कतरन सेवा का डिजिटलीकरण शुरू किया गया है। विषयगत महत्व की चुनिंदा समाचार-कतरनों (हिन्दी और अंग्रेजी भाषा की) को स्कैन कर और ई-न्यूज सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर लोक सभा इंट्रानेट पर डाला जाता है। इन कतरनों को स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क

(लैन), संसद भवन परिसर से जुड़े कम्प्यूटर के माध्यम से, वर्गीकरण संख्या और वांछित विषय की डी-वर्ड डालकर देखा जा सकता है।

राजपत्र और वाद-विवाद एकक

यह अनुभाग केन्द्रीय विधान सभा, संविधान सभा, अंतरिम संसद, लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधानमंडल और कुछेक विदेशी संसदों (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका) के वाद-विवाद और लोक सभा तथा राज्य सभा के वाद-विवाद की अनुक्रमणिकाएं रखता है। यह अनुभाग केन्द्र और राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों की राजपत्र अधिसूचनाएं भी रखता है। इसके अलावा, यह अनुभाग लोक सभा की कार्यवाही की मूल शब्दश: रिपोर्टिंग लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही सारांश तथा सभा पटल पर रखे गए पत्रों के सजिल्द खंडों का संरक्षण करता है।

15वीं लोक सभा के दौरान 14,445 वाद-विवाद, 17,333 राजपत्र और 8,158 सभा पटल पर रखे गए पत्र संग्रह में शामिल किए गए। 25,997 प्रकाशन उपयोगकर्ताओं को जारी किए गए। 19,112 प्रश्नों का समाधान किया गया और 2167 संसद सदस्यों/पूर्व संसद सदस्यों/शोधार्थियों को सेवाएं प्रदान की गईं।

रेप्रोग्राफी सेवा

वर्ष 1975 में स्थापित यह सेवा महत्वपूर्ण प्रेस कतरनों, संसदीय प्रश्नों के उत्तरों और वाद-विवाद, पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों में लेखों और पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों के उद्धरणों में निहित सूचना की फोटो प्रतियों के संबंध में संसद सदस्यों, लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा शाखाओं, शोध छात्रों और सभा की कार्यवाहियों को कवर करने के लिए लोक सभा दीर्घा में जाने हेतु प्रत्यायित मीडिया कर्मियों की तात्कालिक शासकीय आवश्यकताओं को पूरा करती है।

रेप्रोग्राफी सेवा के तीन अलग-अलग एकक हैं अर्थात् (एक) सदस्य रेप्रोग्राफी और टंकण एकक, संसद भवन; (दो) सदस्य रेप्रोग्राफी एकक, संसद ग्रंथालय भवन; और (तीन) शोध संदर्भ रेप्रोग्राफी एकक।

(एक) *सदस्य रेप्रोग्राफी और टंकण एकक, संसद भवन*

यह एकक संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष के समीप भूतल पर कमरा संख्या-45-क में स्थित है जहां से संसद सदस्य, भूतपूर्व संसद सदस्य, प्रेस संवाददाता एवं वास्तविक शोधार्थी 1 रु. प्रति कॉपी की नाममात्र की दर से अपने दस्तावेजों की छाया प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। यह एकक संसद सदस्यों को उनके व्यक्तिगत पत्र-व्यवहार/दस्तावेजों को हिन्दी तथा अंग्रेजी में कम्प्यूटर पर टाइप कराने की सुविधा सिंगल स्पेस के लिए 6 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से तथा डबल स्पेस के लिए 5 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से भी प्रदान करता है। टंकित दस्तावेज की अतिरिक्त प्रतियों के लिए प्रति पृष्ठ 1 रुपये की दर से अतिरिक्त भुगतान लिया जाता है।

(दो) *सदस्य रेप्रोग्राफी एकक, संसदीय ज्ञानपीठ*

संसदीय ज्ञानपीठ के कमरा संख्या 037, भूतल, 'ए' ब्लॉक से कार्य कर रहा है। जहां संसद सदस्य, भूतपूर्व संसद सदस्य, प्रेस संवाददाता तथा वास्तविक रिसर्च स्कॉलर 1 रु. प्रति पृष्ठ की नाममात्र की दर से अपने दस्तावेजों की छाया प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।

(तीन) *शोध/संदर्भ रेप्रोग्राफी एकक*

यह एकक प्रथम निम्न तल 'आई' ब्लॉक, कमरा संख्या 54, संसदीय ज्ञानपीठ से कार्य करता है तथा केवल शाखाओं, सचिवालय के अधिकारियों तथा संसदीय समितियों के सभापतियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

स्टाफ लाइब्रेरी

चूंकि, संसद ग्रंथालय मूलत: दोनों सभाओं के सदस्यों के प्रयोग के लिए है, अत: संसदीय कर्मचारियों के लाभार्थ छठे दशक की शुरुआत में एक पृथक् ग्रंथालय स्थापित किया गया। स्टाफ लाइब्रेरी दोनों सचिवालयों के स्टाफ की आवश्यकता को पूरा करती है। वर्तमान में 3592 कर्मचारी स्टाफ लाइब्रेरी के सदस्य हैं। लाइब्रेरी के नियमों और शर्तों के अनुसार उन्हें लाइब्रेरी से पुस्तकें प्राप्त करने का अधिकार है।

स्टाफ लाइब्रेरी अपने सदस्यों की पढ़ने की आदत को बढ़ाने में सहायता करती है। कर्मचारियों के सुझावों के अनुसार समय-समय पर लाइब्रेरी में पुस्तकें शामिल की जाती हैं। वर्तमान में, स्टाफ लाइब्रेरी में 39087 से अधिक पुस्तकें हैं। यहां 14 दैनिक समाचार पत्र (7 अंग्रेजी, 5 हिन्दी, 1 पंजाबी और 1 उर्दू) तथा 27 पत्रिकाएं (16 अंग्रेजी और 11 हिन्दी) भी नियमित रूप से आती हैं। प्रत्येक महीने स्टाफ लाइब्रेरी में लगभग 90 नई पुस्तकें शामिल की जाती हैं। लाइब्रेरी की सभी पुस्तकों की प्रोसेसिंग तथा उनका वर्गीकरण डेवीडेसीमल क्लासीफिकेशन स्कीम के 22वें संस्करण के अनुसार किया जाता है।

लोक सभा सचिवालय के विभिन्न कार्यकलापों के कम्प्यूटरीकरण की चल रही प्रक्रिया के अनुरूप, स्टाफ पुस्तकालय को भी स्वचालित किया गया है। लिबसिस सॉफ्टवेयर पैकेज का प्रयोग करके पुस्तकों के प्रसंस्करण का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। कैटलॉग की ऑनलाइन उपलब्धता से लेखक, शीर्षक और विषय की जानकारी मिलती है। इससे की-वर्ड आधारित संदर्भों की खोज में भी सहायता मिलती है।

पुरानी, अप्रचलित, अप्रयोज्य अथवा अप्रयुक्त पुस्तकों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के पश्चात् स्टाफ लाइब्रेरी के संग्रह से हटा दिया जाता है। ये हटाई गई पुस्तकें दोनों सचिवालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नि:शुल्क दी जाती हैं।

बाल कक्ष

चौदहवीं लोक सभा के दौरान संसदीय ज्ञानपीठ के कक्ष संख्या जी-131 में 21 अगस्त, 2007 को एक बाल कक्ष का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य 8-17 वर्ष की आयु के, विशेषत: समाज के शोषित/निर्धन वर्गों के बच्चों हेतु संसद ग्रंथालय के समृद्ध संसाधनों को सुलभ बनाकर उनमें पढ़ने की आदत विकसित करना है।

समुचित रूप से सुसज्जित बाल कक्ष में अंग्रेजी की 1835, हिन्दी की 1500 और क्षेत्रीय भाषाओं की 100 पुस्तकों के अतिरिक्त विभिन्न विषयों से संबंधित बहुत सारी सीडी और डीवीडी भी उपलब्ध हैं। बालकक्ष में नियमित रूप से बच्चों की रुचि की 11 अंग्रेजी और हिन्दी पत्रिकाएं तथा समाचारपत्र आते हैं। सभी कार्यदिवसों में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 5.30 बजे तक खुला रहने वाला यह कक्ष बच्चों के कौशल को निखारने के लिए अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु जीवंत, रंग-बिरंगा और शांत वातावरण उपलब्ध कराता है। कक्ष में उपलब्ध दस्तावेज/सीडी/डीवीडी प्रयोगार्थ पुस्तकालय में ही उपलब्ध होते हैं और इन्हें घर के लिए नहीं दिया जाता है।

बाल कक्ष की सदस्यता निम्नलिखित बच्चों को प्रदान की जाती है:—

- संसद ग्रंथालय की सदस्यता प्राप्त संसद सदस्यों तथा पूर्व सांसदों के बच्चे/पौत्र-पौत्रियां।
- संसद के सचिवालयों तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के स्थायी कर्मचारियों के बच्चे।
- लोक सभा/राज्य सभा की प्रेस दीर्घा के लिए प्रत्यायित पत्रकारों के बच्चे।
- पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों (और निदेशक संसद ग्रंथालय द्वारा प्राधिकृत) द्वारा प्रायोजित बच्चे।
- मान्यताप्राप्त विद्यालयों द्वारा प्रायोजित बच्चे।

आवश्यक दस्तावेजों सहित विहित प्रपत्र प्रस्तुत करने पर आरंभ में सदस्यता 6 महीने के लिए दी जाती है और अर्ध-वार्षिक आधार पर इसका नवीकरण होता है।

बाल कक्ष में एक सुविकसित मल्टीमीडिया केन्द्र भी है जो इंटरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटरों से सुसज्जित है। बाल कक्ष स्टाफ बच्चों को शैक्षिक सुविधा के रूप में कम्प्यूटरों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है और स्कूल परियोजनाओं को तैयार करने में उनको सहायता दी जाती है।

बाल कक्ष को कार्यकलाप का एक जीवंत और संवादात्मक केन्द्र बनाने हेतु यहां विशेष कार्यक्रम यथा लेख प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं, जिनमें मान्यताप्राप्त विद्यालयों और पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित बच्चों के छोटे ग्रुप तथा बाल कक्ष की सदस्यता प्राप्त बच्चे भाग ले सकते हैं।

माइक्रोफिल्मिंग एकक

पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के बेहतर प्रबंधन हेतु माइक्रोग्राफिक/माइक्रोफिल्मिंग समूचे विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी का एक अनिवार्य अंग है। दुर्लभ और नष्ट हो रहे दस्तावेजों के संरक्षण की यह एक जानी-मानी विधि है। वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि ध्यानपूर्ण प्रबंधन और भंडारण से माइक्रोफिल्म का सामान्य जीवन संभावित डिजिटल मीडिया के लघु जीवन काल की तुलना में 500 वर्ष (लगभग) होता है। माइक्रोफिल्म मूल के लिए कानूनी रूप से स्वीकृत विकल्प है। इसके अतिरिक्त यह विषाणुओं और कीड़ों से सुरक्षित रहता है और हैक करने वाले इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। छायांकन लागत, मीडिया जीवन, प्रौद्योगिकीय अप्रचलन और छायाचित्र गुणवत्ता की दृष्टि से भी डिजिटल मीडिया के मुकाबले यह अधिक प्रभावी होता है।

संसद और उसके ग्रंथालय के बहुमूल्य दस्तावेजों/संग्रहों, यथा संसदीय वाद-विवादों, सभा पटल पर रखे गए पत्रों, अधिनियमों और विधेयकों, समितियों के प्रतिवेदनों, गैर-सरकारी पत्रों, दुर्लभ पुस्तकों एवं दस्तावेजों, समाचारपत्रों (सजिल्द खंड), प्रेस कतरनों, संसदीय अभिलेखागार के दस्तावेजों और सचिवालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अन्य दस्तावेजों के बेहतर संरक्षण और भावी उपयोग हेतु लोक सभा सचिवालय की लार्डिस सेवा के एक अभिन्न अंग के रूप में 1987 में माइक्रोफिल्मिंग एकक की स्थापना की गई थी। एकक के सुचारू कार्यनिष्पादन के लिए नवीनतम अत्याधुनिक माइक्रोफिल्मिंग उपस्कर और अनुषंगी यंत्र लगाए गए। यह एकक संसदीय ज्ञानपीठ में स्थित है। सभी दस्तावेजों की माइक्रोफिल्मिंग 16 एमएम के रोल पर की जाती है, परंतु असामान्य रूप से बड़े आकार के दस्तावेजों जैसे 'सभा पटल पर रखे गए पत्रों' की माइक्रोफिल्मिंग 35 एमएम फिल्म रोलों पर की जाती है। दस्तावेजों की माइक्रोफिल्में, संसद सदस्यों, शोधार्थियों और अन्य व्यक्तियों के उपयोग के लिए सहज-सुलभ हैं।

जुलाई, 2012 तक 1673 माइक्रोफिल्म रोल तैयार किये जा चुके हैं तथा माइक्रोफिल्म यूनिट द्वारा विभिन्न दस्तावेजों के 33,06,526 एक्सपोजर लिये जा चुके हैं। 15वीं लोक सभा की अवधि के दौरान इस यूनिट द्वारा निम्नलिखित अन्य दस्तावेजों की माइक्रोफिल्में तैयार की जा चुकी हैं:—

1.	लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)	:	11.05.1993 से 26.02.2009
2.	लोक सभा वाद-विवाद (अंग्रेजी संस्करण)	:	23.02.2007 से 04.08.2009
3.	राज्य सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)	:	25.04.1995 से 02.06.1995
4.	राज्य सभा वाद-विवाद (अंग्रेजी संस्करण)	:	10.08.2007 से 25.03.2011

विभागों से संबद्ध स्थायी संसदीय समितियों के प्रतिवेदन

1.	विदेशी मामलों संबंधी समिति (अंग्रेजी)	:	14वीं लोक सभा (11वें से 23वें प्रतिवेदन तक)
2.	विदेशी मामलों संबंधी समिति (हिन्दी)	:	14वीं लोक सभा (11वें से 23वें प्रतिवेदन तक)

प्रेस तथा जनसंपर्क सेवा

प्रेस तथा जनसंपर्क सेवा, जो लार्डिस की संघटक एकक है, की स्थापना अप्रैल, 1956 में प्रेस की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं उन्हें लोक सभा की कार्यवाही को कवर करने हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। यह सेवा लोक सभा की संसदीय एवं अन्य गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिए संसदीय संवाददाताओं, विभिन्न सरकारी और निजी विज्ञापन संगठनों एवं संचार माध्यमों के साथ बेहतर संपर्क रखने का प्रयास करती है। यह सेवा लोक सभा की प्रेस दीर्घा से संबंधित सभी मामलों को देखती है जिसमें प्रेस दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी करना और लोक सभा की कार्यवाही को कवर करने वाले संवाददाताओं हेतु कार्यात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करना भी शामिल है।

प्रेस तथा जनसंपर्क स्कंध के कृत्य

लोक सभा के सत्रों से संबंधित सभी मामलों और विदेशी गण्यमान्य व्यक्तियों की लोक सभा अध्यक्ष, लोक सभा के उपाध्यक्ष, लोक सभा में विपक्ष के नेता और लोक सभा महासचिव से भेंट, संसदीय समितियों की बैठकों, विभिन्न संसदीय सम्मेलनों, विदेशी संसदीय शिष्टमंडलों की भारत यात्रा और भारतीय शिष्टमंडलों की अन्य देशों की यात्रा सहित सभी संसदीय कृत्यों पर प्रेस विज्ञप्तियां प्रेस और जनसंपर्क स्कंध द्वारा जारी की जाती हैं।

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संसदीय समितियों के सभापतियों के सभी प्रेस सम्मेलनों का प्रबंध प्रेस तथा जनसंपर्क स्कंध द्वारा किया जाता है। प्रेस दीर्घा के लिए अधिकृत संवाददाताओं की अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/महासचिव के साथ बैठकों का प्रबंध भी इसी सेवा द्वारा किया जाता है।

नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों/विचारगोष्ठियों/संगोष्ठियों के दौरान, मीडिया के लोगों को कार्यात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अलग मीडिया केन्द्र की स्थापना की जाती है।

इस स्कंध द्वारा प्रत्येक नई लोक सभा के गठन के तुरंत बाद लोक सभा "सदस्य परिचय" पुस्तक में फोटो छापने के लिए तथा अन्य विभिन्न प्रयोगों हेतु फोटोग्राफ के संकलन हेतु इस स्कंध द्वारा एक अस्थायी स्टूडियो स्थापित किया जाता है।

लोक सभा सदस्यों का फोटो चार्ट

इस स्कंध द्वारा सभा कक्ष में अध्यक्ष पटल पर रखने के लिए तथा सभा के अधिकारियों के प्रयोग के लिए सदस्यों के फोटो, नाम, दलगत संबद्धता और उनकी विभाजन संख्या दर्शाने वाला एक चार्ट तैयार किया जाता है ताकि अध्यक्षपीठ सभा के सदस्यों को आसानी से पहचान सके।

सूचना फोल्डर

इस सेवा द्वारा संसदीय संस्थाओं के कार्यकरण के बारे में जानकारी के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु महत्वपूर्ण संसदीय गतिविधियों तथा संसदीय व्यवहार और प्रक्रिया के विविध पहलुओं के बारे में छोटे व सुचालनीय सूचना फोल्डर तैयार किए जाते हैं और उन्हें सदस्यों, प्रेस संवाददाताओं, भारत और विदेश से आने वाले गण्यमान्य व्यक्तियों तथा अन्यों को वितरित किया जाता है।

संसद कैलेंडर

इस स्कंध द्वारा सन् 1999 से प्रत्येक वर्ष लोक सभा सचिवालय का कैलेंडर संसद सदस्यों, गण्यमान्य व्यक्तियों, मीडिया के लोगों और अन्य लोगों को देने के लिए तैयार किया जाता है जिसमें विभिन्न विषयों से संबंधित फोटोग्राफ होते हैं। इन कैलेण्डरों में प्रत्येक वर्ष शामिल किए गए विषय निम्नलिखित हैं:-

1999	–	संसद भवन में भित्तिचित्र
2000	–	संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में राष्ट्रीय नेताओं के चित्र
2001	–	संसद भवन में स्थापित राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाएं
2002	–	राज्य विधानमंडलों के भवन
2003	–	संसद भवन परिसर
2004	–	राष्ट्रपति की शोभायात्राएं (पहली से तेरहवीं लोक सभा)
2005	–	संसदीय ज्ञानपीठ
2006	–	संसद भवन में चित्र
2007	–	संसदीय संग्रहालय
2008	–	संसद द्वारा सांस्कृतिक दूतों का सम्मान
2009	–	संसद भवन परिसर की झलकियां
2010	–	संसद भवन में हरीतिमा
2011	–	संसद भवन में चित्र
2012	–	हमारी संसद (संसद भवन के पुराने और दुलर्भ फोटो)
2013	–	लोगों की संसद-कार्यबल
2014	–	संसद: लोगों की आवाज

मीडियाकर्मियों को उपलब्ध सुविधाएं

यह स्कंध संसदीय क्रियाकलापों को कवर करने वाले जनसंचार माध्यम के संवाददाताओं को सभी कार्यात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इन सुविधाओं में संसद भवन में तीन प्रेस कक्षों का आबंटन संसदीय पत्रों, दैनिक कार्यसूची, समितियों के प्रतिवेदन, सभा पटल पर रखे गए अन्य पत्रों को उपलब्ध कराना शामिल है।

संसदीय ज्ञानपीठ में मीडिया कर्मियों के लिए 10 कम्प्यूटरों, एक टीवी सेट और एक टेलीफोन कनेक्शन के साथ एक पृथक वर्कस्टेशन प्रदान किया गया है, ताकि वे संसदीय कार्यवाही, घटनाक्रम और कार्यकलापों से जुड़े अपने लेख फाइल कर सकें। मीडियाकर्मियों को निःशुल्क फोटोकॉपी और फैक्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। संसद की दोनों सभाओं की प्रेस दीर्घाओं में संवाददाताओं के लिए संसद की कार्यवाही के साथ-साथ भाषांतरण की सुविधा भी उपलब्ध है।

अब संसद के सभी प्रत्यायित संवाददाताओं को सचिवालय द्वारा एक वर्ष के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग प्रदान किए जाते हैं। समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मीडियाकर्मियों को एक सत्र के दौरान 10 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी पास जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न संसदीय समारोहों और कार्यकलापों को कवर करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के संवाददाताओं तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाताओं को प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं।

पत्रकारों की सुविधा हेतु प्रेस दीर्घा और प्रेस के लिए उपलब्ध कमरों में बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन सेट रखे गए हैं ताकि वे दोनों सभाओं की कार्यवाहियों को देख सकें, जिससे अब राज्य सभा और लोक सभा के लिए समर्पित दो सैटेलाइट चैनलों द्वारा सीधा प्रसारण किया जाता है।

सदस्यों को, विशेषत: संसद सत्र के दौरान देश और विदेश में होने वाली अद्यतन घटनाओं से अवगत कराने के लिए राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों से समाचारों को प्राप्त करने के लिए संसद भवन/संसदीय ज्ञानपीठ में अंग्रेजी और हिन्दी टेलीप्रिंटर लगाए गए हैं।

प्रत्यायित संवाददाताओं को उपलब्ध कराई गई अन्य कार्यात्मक सुविधाओं में संसदीय ज्ञानपीठ में उपलब्ध पुस्तकों/प्रतिवेदनों/दस्तावेजों का अवलोकन, संसद भवन/संसदीय सौध में चिकित्सा सुविधाएं तथा संसद परिसर में कैंटीन सुविधाएं शामिल हैं।

प्रेस सलाहकार समिति

लोक सभा की प्रेस दीर्घा में अखबारों/प्रेस संवाददाताओं और अन्य मीडिया के प्रवेश तथा प्रेस दीर्घा पास के कोटे में वृद्धि तथा प्रेस दीर्घा में सीटों का आबंटन को सामान्यत: लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा प्रतिवर्ष गठित प्रेस सलाहकार समिति द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर विनियमित किया जाता है। इस समिति में लोक सभा प्रेस दीर्घा के लिए प्रत्यायित 27 वरिष्ठ पत्रकार होते हैं। इसमें चार पदाधिकारी होते हैं – सभापति, उप-सभापति, सचिव और संयुक्त सचिव । प्रेस और जनसंपर्क सेवा स्कंध समिति को सचिवालयीय सहायता प्रदान करता है और इसकी बैठकें भी आयोजित करता है तथा उसकी सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही भी करता है।

शोध अध्येतावृत्तियां

लोक सभा सचिवालय द्वारा दो वार्षिक शोध अध्येतावृत्तियां, हिन्दी में तीन और अंग्रेजी में दो और मोनोग्राफ लिखने के लिए हिन्दी में तीन और अंग्रेजी में दो अध्येतावृत्तियां संसदीय अभिरुचि के विषयों के संबंध में मौलिक अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। इस प्रयोजन हेतु एक अध्येतावृत्ति समिति लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की जाती है। पीपीआर स्कंध समिति के इस कार्य में इसकी सहायता करता है।

15वीं लोक सभा की अवधि के दौरान, इस अनुभाग ने लोक सभा प्रेस दीर्घा में मीडिया संगठनों और उनके प्रतिनिधियों के प्रत्यायन/प्रवेश हेतु 358 आवेदनों पर विचार किया। प्रेस सलाहकार समिति की 20 बैठकें, प्रेस सलाहकार समिति की उप-समिति की 24 बैठकें और अध्येतावृत्ति समिति की 9 बैठकें आयोजित हुईं। 909 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं और समिति से प्राप्त हार्ड कापियों को मीडियाकर्मियों में वितरित किया गया। 1807 संदर्भ सूचना (मौखिक और फोटोकॉपी) दी गई। इसके अतिरिक्त, 1739 रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग जारी/नवीकृत किए गए। सत्र हेतु 2142 प्रेस दीर्घा पास, 1123 अस्थायी प्रेस दीर्घा पास, समाचारपत्रों/नए अभिकरणों के सहायककर्मी के लिए 2006 सामान्य ड्यूटी पास, दूरदर्शन/आकाशवाणी के अधिकारियों को 396 पास और विभिन्न कार्यक्रमों को कवर करने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो से मान्यताप्राप्त कैमरामैनों को 2170 पास जारी किए गए।

दृश्य-श्रव्य एकक

दृश्य-श्रव्य एकक जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों/विचारगोष्ठियों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं की कार्यवाहियों, संसदीय फिल्मों आदि के दृश्य-श्रव्य वीडियो रिकॉर्डों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। सदस्य दृश्य-श्रव्य एकक में स्थापित सदस्य अवलोकन कक्ष में दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डों को देख और सुन सकते हैं। यह एकक दृश्य-श्रव्य सामग्रियों के चयन तथा संग्रह और महत्वपूर्ण संसदीय समारोहों एवं कार्यक्रमों, इन कैसेटों को प्राप्त करने तथा उनका वर्गीकरण करने का भी कार्य करता है। सदस्यों के भाषणों को नाममात्र भुगतान के आधार पर वीसीडी/डीवीडी कैसेटों में डब करने की भी व्यवस्था की गई है। इन रिकॉर्डों का सांसदों, मीडिया से जुड़े लोगों, शिक्षाविदों तथा ग्रंथालय के अन्य प्रयोक्ताओं के लिए भी पुरातात्विक महत्व है।

दृश्य-श्रव्य एकक के पास विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं में लिंग्वाफोन पाठ्यक्रमों के श्रव्य एवं दृश्य कैसेट उपलब्ध हैं तथा इन्होंने विभिन्न संसदीय समारोहों में प्रयोग करने हेतु शास्त्रीय/वाद्य संगीत तथा देशभक्ति गीतों का भी संग्रह किया है। अवलोकन कक्ष में सुनने/देखने के लिए निम्नलिखित लिंग्वाफोन पाठ्यक्रम (श्रव्य एवं दृश्य कैसेट) उपलब्ध हैं:–

श्रव्य (ऑडियो) कैसेट

- अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी भाषा का लिंग्वाफोन पाठ्यक्रम
- असमिया, बंगला, अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तमिल और तेलुगु भाषा की कमेन्ट्री के माध्यम से हिन्दी भाषा का पाठ्यक्रम
- हिन्दी माध्यम से अंग्रेजी भाषा का लिंग्वाफोन पाठ्यक्रम
- अंग्रेजी माध्यम से कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु भाषा का पाठ्यक्रम

- अंग्रेजी माध्यम से 23 विदेशी भाषाओं अर्थात् अरबी, चीनी, डेनिश, डच, फिनिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, हिब्रू, आइसलैंडिक, इंडोनेशियाई, इतालवी, जापानी, कोरियन, मलय, नार्वेजियाई, फारसी, पोलिश, पुर्तगाली, रूसी, सर्बो-क्रोएशियन, स्पेनिश और स्वीडिश में लिंग्वाफोन पाठ्यक्रम

दृश्य (वीडियो) कैसेट

अंग्रेजी माध्यम से 4 विदेशी भाषाओं अर्थात् फ्रेंच, जर्मन, इतालवी और स्पेनिश में लिंग्वाफोन पाठ्यक्रम।

15वीं लोक सभा की अवधि के दौरान, दृश्य-श्रव्य एकक ने 81 महत्वपूर्ण संसदीय कार्यक्रमों का वीडिया कवरेज किया है। लोक सभा की कार्यवाहियों के 1434 कैसेटों और लोक सभा टेलीविजन कार्यक्रमों के 9642 कैसेटों को रिकॉर्ड किया गया है। लोक सभा की कार्यवाहियों, संसदीय कार्यक्रमों और लोक सभा टेलीविजन कार्यक्रमों की 5791 डीवीडी तैयार की गई हैं और सदस्यों तथा अन्यों को भुगतान और मानार्थ आधार पर दिया गया है। भुगतान आधार पर आपूर्ति की गई डीवीडी के लिए 5,27,875 रुपये की राशि एकत्र की गई है। 15012 रिकॉर्ड की गई कैसेटें प्राप्त हुई हैं। लोक सभा टेलीविजन कार्यक्रमों के 21,361 रिकॉर्ड की गई कैसेटों के तुरंत पुनर्प्राप्ति ब्यौरा की सुविधा के लिए "वीडियो टेप्स मैनेजमेंट सिस्टम" नाम के सॉफ्टवेयर में डाल किया गया है। 21272 खाली कैसेटें और डीवीडी मंगाए गए। लोक सभा टेलीविजन के अधिकारियों को रिकॉर्ड करने/प्रसारण करने और अन्य सरकारी कार्यों के लिए 16,320 खाली/रिकॉर्ड किए हुए कैसेट जारी किए गए। राष्ट्रीय नेताओं के जन्मदिन की वर्षगांठों के अवसर पर केन्द्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित करने के दौरान, भाषणों, देशभक्ति के गीतों और संगीत के श्रव्य कैसेटों/डीवीडी को चलाने की व्यवस्था की गई है। संसद सदस्यों और अन्य प्रयोक्ताओं हेतु संसदीय कार्यवाहियों, लोक सभा टेलीविजन कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों की कुल 1340 रिकार्डिंगों को देखने की व्यवस्था की गई।

लोक सभा टेलीविजन चैनल (लो.स.टी.वी.)

संसदीय कार्यवाही के टेलीप्रसारण के इतिहास में एक बहुत ही उल्लेखनीय घटना घटित हुई जब लोक सभा अध्यक्ष ने लोक सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ परामर्श करके निर्णय लिया कि लोक सभा का दूरदर्शन से अलग एक अपना स्वयं का टेलीविजन चैनल होना चाहिए। तद्नुसार, संसदीय ज्ञानपीठ में एक ट्रांसमिशन रूम और एक स्टूडियो स्थापित किया गया था जहां से ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के माध्यम से संसद भवन में कार्यक्रम निर्माण नियंत्रण कक्ष से प्राप्त लोक सभा की सीधी कार्यवाही और स्टूडियो में रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। संसद की संपूर्ण कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने के लिए संसद भवन में एक स्टूडियो सहित अत्याधुनिक रोबोटिक कैमरा प्रणाली स्थापित की गई है। 1997 में संसद के शीतकालीन सत्र से इस प्रणाली ने काम करना शुरू कर दिया और लोक सभा टेलीविजन (एलएसटीवी) चैनल की शुरूआत के पश्चात् वर्ष 2007 के मानसून सत्र से हाई-डेफिनिशन टेक्नोलॉजी उपकरण की स्थापना के साथ कार्यक्रम निर्माण नियंत्रण कक्ष का उन्नयन किया गया। नई रोबोटिक कैमरा प्रणाली के अंतर्गत उन्नत प्रौद्योगिकी वाले दस रोबोटिक कैमरे हैं, जो संसद भवन में स्थापित आधुनिकतम स्टूडियो से रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित किए जाते हैं। मॉडर्न ग्राफिक्स प्रणाली के माध्यम से टेलीविजन पर प्रसारित संसद की कार्यवाही के उचित प्रकार से शीर्षक दिए जाते हैं; उक्त प्रणाली भी संसद भवन में स्थापित है। 11 मई, 2006 से संसद भवन की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के अलावा, लोक सभा टेलीविजन चैनल पर अन्य कई कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जाने लगा है। 24 जुलाई, 2006 से लोक सभा टेलीविजन चैनल ने 24 घंटे अनेक अच्छे, रोचक और सूचनात्मक कार्यक्रमों का प्रसारण करना शुरू कर दिया है।

लोक सभा की कार्यवाही तथा संसद की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं, जैसे कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के सीधे प्रसारण के अलावा, चैनल द्वारा लोकतंत्र, शासन, सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक विषयों तथा नागरिकों के सरोकारों संबंधी ऐसे विभिन्न ज्ञानवर्द्धक, संवादात्मक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं।

लोक सभा टेलीविजन की पहुंच

क्षेत्र, आयु, लिंग इत्यादि की सीमाओं को लांघते हुए लोक सभा टेलीविजन की व्यापक पहुंच है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोक सभा टेलीविजन चैनल (एलएसटीवी) देशभर में सभी केबल ऑपरेटरों द्वारा दिखाया जाए, क्षेत्रीय स्तर पर संपूर्ण भारत में वितरण नियुक्त किए गए हैं। देश में प्रत्येक केबल ऑपरेटर के लिए अपने केबल नेटवर्क पर एलएसटीवी दिखाना अनिवार्य बनाने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन किए गए हैं।

सरकारी प्रसारणकर्ता के रूप में लोक सभा टेलीविजन

लोक सभा टेलीविजन लोक प्रसारक के सिद्धांतों पर कार्य करता है ताकि जन सामान्य और राष्ट्र के उस वर्ग, जो संसद के दिन-प्रतिदिन के कामकाज, सामाजिक मुद्दों पर वाद-विवादों, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार-विमर्श, आगंतुक गण्यमान्य व्यक्तियों के विचारों, संस्कृति पर वृत्तचित्रों, आम आदमी के मुद्दों इत्यादि में रुचि लेता है, की मांगों को पूरा किया जा सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन निजी टेलीविजन नेटवर्कों जो कार्यवाहियों का सीधा/रिकार्डेड प्रसारण करने अथवा संसदीय कार्यवाहियों के रिकार्डेड अंश/फुटेज प्रयोग करने में रुचि दिखाते हैं, को निश्चित शर्तों पर फीड का प्रयोग करने की अनुमति देकर उनसे नाममात्र का शुल्क किया जाता है। तथापि, दूरदर्शन को बिना किसी शुल्क के सभी फुटेज का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है।

संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार

लोक सभा सचिवालय द्वारा संसद ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) के अंग के रूप में संसदीय फोटो और फिल्म अभिलेखागार की स्थापना 1976 में की गई थी जिसका उद्देश्य भारतीय संसद की स्थापना के इतिहास, इसके कार्यकलाप और महान नेताओं के चित्रों के प्रामाणिक और अद्यतन रिकॉर्ड रखना है। इसके कार्यकलापों

का क्षेत्र और व्यापक बनाने हेतु लोक सभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने संविधान और संसद से संबंधित सभी मूल्यवान अभिलेखों, ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा लेखों को समय के प्रकोप और उपेक्षा से बचाकर तथा भूत और वर्तमान को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने, ताकि इसके माध्यम से संसदीय संस्थाओं और राजनीतिक प्रणाली के इतिहास को बेहतर ढंग से समझा जा सके; के उद्देश्य से 1 अगस्त, 1984 को संग्रहालय तथा अभिलेखागार (पीएमए) गठित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया।

29 दिसम्बर, 1989 को लोक सभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री रवि राय द्वारा संसदीय संग्रहालय तथा अभिलेखागार का उद्घाटन किया गया।

संसदीय संग्रहालय तथा अभिलेखागार जो संसदीय ज्ञानपीठ के प्रथम तथा द्वितीय बेसमेंट में स्थित है के इस समय चार पृथक अनुभाग हैं:—

(एक) संग्रहालय अनुभाग

संग्रहालय अनुभाग को दुर्लभ वस्तुओं, प्राचीन वस्तुओं, कलाकृतियों, मॉडलों, चित्रों और भारत तथा विदेश में संसदीय संस्थाओं के विकास और कार्यकरण से जुड़ी अन्य चीजों के अर्जन और परिरक्षण का कार्य सौंपा गया है।

इस अनुभाग के संग्रह में स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात् की संसदीय संस्थाओं से संबंधित भारत के राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधानमंडल भवनों और विदेशी संसदों के भवनों चार्ट, चित्रों, वस्तुओं, फोटोग्राफ इत्यादि के प्रभावपूर्ण और बड़े आकार के चित्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह अनुभाग विशिष्ट स्वतंत्रता सेनानियों और संसदविदों की प्रतिमाओं एवं चित्रों जिनका समय-समय पर संसद परिसर में अनावरण किया गया है, का संरक्षण करती है। कुछ प्रतिमाएं संसद संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। विभिन्न सम्मेलनों के दौरान राज्य विधानमंडलों, विदेशी संसदों, आने वाले शिष्टमंडलों से भारतीय संसद को प्राप्त उपहारों और स्मृतिचिह्नों को भी इस अनुभाग में संरक्षित किया गया है। वर्तमान में, इस प्रकार की 900 वस्तुएं संग्रहालय संकलन में मौजूद हैं और इनमें से अनेक कलात्मक वस्तुओं को संसदीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है।

15वीं लोक सभा के दौरान, विद्यमान संग्रह में 170 संग्रहालय/उपहार वस्तुएं और शामिल हुई हैं।

(दो) अभिलेखागार अनुभाग

संसदीय अभिलेखागार का संबंध बहुमूल्य अभिलेखों की खरीद, इनके संग्रहण तथा सुव्यवस्थित ढंग से कैटलॉग तैयार करने और इनके संरक्षण तथा सांसदों के निजी पत्रों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और शोध तथा साहित्यिक क्रियाकलापों के प्रोत्साहन और प्रचार के लिए तथा संसदीय लोकतंत्र के क्षेत्र में अन्य प्रलेखीय सामग्री से है। यह अनुभाग संवैधानिक विकास और संसदीय कार्यकलापों से संबंधित पुस्तकों तथा लोक सभा के अध्यक्षों, संसद सदस्यों और महासचिवों के बारे में अथवा इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का संग्रहण करता है।

अभिलेखागार अनुरक्षण में इस समय 84 प्रख्यात संसदविदों और स्वतंत्रता सेनानियों के संसदीय कार्यों एवं उससे जुड़े मामलों से संबंधित दस्तावेज, निजी पत्र, पत्राचार, टिप्पण और छायाचित्र तथा संविधान, संसदीय कार्यकलापों, संसदविदों और संग्रहालय पर लगभग 700 पुस्तकें संग्रहीत हैं। इस अनुभाग में स्वतंत्रता सेनानियों, विशिष्ट संसदविदों और समय-समय पर आयोजित होने वाले संसदीय सम्मेलनों पर डाक विभाग द्वारा जारी की गई 1319 डाक टिकटें और 158 'फर्स्ट डे कवर्स' और विश्व के विभिन्न देशों की डाक टिकटें भी रखी गई हैं।

15वीं लोक सभा की अवधि के दौरान, 32 पूर्व सांसदों के 1,488 निजी पत्र और 6 पुस्तकों की जांच-पड़ताल की गई। 340 पत्रों का माइक्रोफिल्मिंग के लिए चयन किया गया। इस संग्रह में 77 नए पुस्तक और शामिल किए गए। 1,110 डाक टिकटों को अधिग्रहण संख्या के अनुसार एल्बम में लगाया गया।

(तीन) फोटो अनुभाग

इस अनुभाग द्वारा भारत के दौरे पर आए तथा विदेशी दौरे पर गए संसदीय शिष्टमंडलों से संबंधित कार्यकलापों सहित संसदीय क्रियाकलापों से संबंधित फोटोग्राफों की अधिप्राप्ति की जाती है, इनका परिरक्षण किया जाता है तथा इन्हें सूचीबद्ध और प्रदर्शित किया जाता है।

यह अनुभाग संसद और प्रख्यात संसदविदों के कार्यकलापों का अद्यतन चित्रमय अभिलेख का रखरखाव करता है और इसका वर्तमान संग्रह 18,000 फोटोग्राफ का है जिसमें से अधिकांश को बेहतर परिरक्षण और शीघ्र अवलोकन के लिए डिजिटलीकरण किया गया है।

15वीं लोक सभा की अवधि के दौरान, महत्वपूर्ण संसदीय घटनाओं/प्रख्यात संसदविदों के 11,242 फोटोग्राफ प्राप्त हुए और 5,310 अनुमोदित फोटोग्राफ को संग्रह में रख लिए गए। सम्मेलन शाखा से प्राप्त 180 फोटो अल्बमों में से 140 को स्कैन किया गया। 6,906 फोटोग्राफ लोक सभा, राज्य सभा, लोक सभा टेलीविजन चैनल, माननीय अध्यक्ष के कार्यालय, गण्यमान्य व्यक्तियों और विभिन्न संस्थाओं की मांग पर आपूर्ति करने हेतु मंगाया गया। फोटोग्राफ की 2,716 सॉफ्ट कॉपी को ई-मेल किया गया। 17,500 फोटोग्राफ का डिजिटलीकरण किया गया।

(चार) प्रदर्शनी अनुभाग

संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार द्वारा, देश तथा विदेश के विभिन्न भागों में संसद सदस्यों और आम जनता के लिए विभिन्न विषयों पर प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं जिनमें भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक विरासत और आधुनिक लोकतांत्रिक संसदीय संस्थाओं के उद्भव और विकास को दर्शाया जाता है। इन प्रदर्शनियों में मुख्यत: छायाचित्रों, सांख्यिकीय चार्टों, आरेखों, लेखों, उद्धरणों, लघु फिल्मों, श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतियों और कम्प्यूटर इंटरएक्टिव कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है।

प्रबोधन कार्यक्रम के अंग के रूप में, 15वीं लोक सभा के लिए चुने गए नए सदस्यों हेतु एक प्रदर्शनी जिसका शीर्षक था– "भारत में संसदीय लोकतंत्र: भविष्य की ओर अग्रसर", जुलाई, 2009 में संसदीय सौध में संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार द्वारा आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी में लेखों, प्रेस कतरनों, छायाचित्रों, सांख्यिकी चार्टों और कम्प्यूटर मल्टीमीडिया कार्यक्रमों की सहायता से हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र के विकास को प्रदर्शित किया गया था।

जनवरी, 2010 में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 20वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) के दौरान, संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी जिसका शीर्षक था – "भारत में संसदीय लोकतंत्र: एक सिंहावलोकन" आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी में भारत में संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली पर ध्यान केन्द्रित किया गया था और इसके विभिन्न पहलुओं विशेषत: लोक सभा की कार्यप्रणाली का चित्रण किया गया था। सीएसपीओसी के सदस्य देशों के संक्षिप्त विवरण के साथ-साथ इसके कार्यकलापों को भी प्रदर्शित किया गया था।

छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर में चौथे भारत और एशिया क्षेत्र के राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (सीपीए) के दौरान एक दो-दिवसीय प्रदर्शनी, जिसका शीर्षक था– "लोकतंत्र और विकास: एशियाई परिप्रेक्ष्य" अक्तूबर, 2010 में आयोजित हुई थी। इस प्रदर्शनी में भारतीय संसद की कार्यप्रणाली और एशियाई देशों के समक्ष आ रही विकास संबंधी चुनौतियों के सिंहावलोकन का चित्रण किय गया। इसने छायाचित्रों, लेखों, चार्टों, ग्राफों, प्रेस कतरनों और फिल्मों की सहायता से सदस्य देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय विधायी संबंधों को भी दर्शाया।

संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार द्वारा क्रमश: "भारत में लोकतंत्र: भूतकाल से वर्तमान तक; भारत में विधानमंडल - लोकतंत्र के स्तंभ", और "भारत में संसदीय लोकतंत्र: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य" विषयों पर जून, 2010 में भोपाल में, फरवरी, 2010 में श्रीनगर में और सितम्बर, 2011 में जयपुर में भारत के पीठासीन अधिकारियों और विधायिकाओं के सचिवों के सम्मेलन के साथ-साथ प्रदर्शनियां भी आयोजित की गईं।

संसद की महिला अध्यक्षों की 7वीं बैठक के अवसर पर 3 से 4 अक्तूबर, 2012 को "भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण" विषय पर संसदीय संग्रहालय में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में, कम्प्यूटर मल्टीमीडिया कार्यक्रमों, फोटोग्राफिक प्रदर्शनों, लेबों, उद्धरणों और सांख्यिकी चार्टों की सहायता से भारत में महिला सशक्तीकरण की स्थिति पर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। महिलाओं के कल्याण वृद्धि पर लक्षित सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया था।

संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार द्वारा 8 और 9 मार्च, 2013 को संसदीय सौध में राष्ट्रमंडल देशों की भारत क्षेत्र की महिला सांसदों (सीडब्ल्यूपी) की विचारगोष्ठी के दौरान "भारत में लिंग समानता पर महिलाओं का सशक्तीकरण" शीर्षक से एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में महिलाओं से संबंधित भारत में संवैधानिक और न्यायिक ढांचे का चित्रण करते हुए कई प्रदर्श और महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और संस्थागत तंत्र तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तीकरण को भी दर्शाया गया।

15वीं लोक सभा की अवधि के दौरान कुल 8 प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

संसद ग्रंथालय की पुस्तकों का डिजिटलीकरण

ग्रंथालय की गतिविधियों के चालू डिजिटलीकरण के अनुरूप और सूचना और जानकारी की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने संसद सदस्यों और अन्य लाभार्थियों के लाभ के लिए डिजिटल संग्रह हेतु एक परियोजना आरंभ करने के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। यह परियोजना राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। संसद ग्रंथालय के दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों और अन्य संगठनों के पास डिजिटल रूप से उपलब्ध और साथ ही साथ उनके सर्वर से कॉपी करके तथा संसद ग्रंथालय के वेब पोर्टल पर उन्हें अपलोड करके अधिक से अधिक दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। सभी मंत्रालयों से आग्रह किया गया है कि वे मंत्रालय द्वारा संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखे गए प्रत्येक पत्र की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने पास मुद्रित रूप से उपलब्ध महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्वयं ही डिजिटलाइज करके संसद ग्रंथालय को सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया गया है ताकि दस्तावेजों को संसद की डिजिटल लाइब्रेरी के प्रस्तावित वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। इसके प्रत्युत्तर में, इस पोर्टल पर अभी तक वित्त मंत्री के सन् 1952 से अब तक के सामान्य बजट भाषणों; रेल मंत्री के 1952 से अब तक के रेल बजट भाषणों; संस्कृति मंत्रालय की ई-पुस्तक/समिति/आयोग के प्रतिवेदन; योजना आयोग की वार्षिक योजनाएं/नीतियां अपलोड की गई है।

जहां तक ग्रंथालय के पुराने दस्तावेजों के डिजिटलीकरण का संबंध हैं, पहली लोक सभा से बारहवीं लोक सभा के सभी संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों का डिजिटलीकरण करने और उन्हें इंटरनेट पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। 13वीं लोक सभा से सभी प्रतिवेदन पहले से ही भारतीय संसद की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, पहली लोक सभा से ग्यारहवीं लोक सभा के वाद-विवादों का भी डिजिटलीकरण किया जाना है और इंटरनेट पर अपलोड किया जाना है। इस परियोजना को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सी-डैक के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

संसद ग्रंथालय की वेबसाइट

संसद ग्रंथालय के लिए एक अलग वेब पेज *(http://164.100.47.134/plibrary/home.htm)* बनाया गया है और लार्डिस के विभिन्न शाखाओं से संबंधित सूचना को इसमें समाविष्ट किया गया है, और होम पेज पर उपलब्ध सूचना के विभिन्न शीर्षों का लिंक दिया गया है।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 6 जुलाई, 2009 को संसदीय सौध में 15वीं लोक सभा के
नव-निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी
"भारत में संसदीय लोकतंत्र: भविष्य की ओर अग्रसर" के अवसर पर।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 5 जनवरी, 2010 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल के
अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 20वें सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रदर्शनी
"भारत में संसदीय लोकतंत्र: एक सिंहावलोकन" के अवसर पर।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 3 फरवरी, 2010 को मध्य प्रदेश में भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों के सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रदर्शनी "भारत में लोकतंत्र: अतीत से वर्तमान तक" के अवसर पर।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 26 अक्तूबर, 2010 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में "लोकतंत्र और विकास: एशियाई परिप्रेक्ष्य" प्रदर्शनी के अवसर पर।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 2 जून, 2011 को संसदीय ज्ञानपीठ में आयोजित समारोह में लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक "राष्ट्रीय नेताओं का सम्मान–संसद परिसर में प्रतिमाएं और चित्र" का विमोचन करती हुईं।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 21 सितम्बर, 2011 को राजस्थान विधान सभा भवन में भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 76वें सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रदर्शनी "भारत में संसदीय लोकतंत्र: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य" के अवसर पर।

तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील 13 मई, 2012 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में लोक सभा की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक "लोक सभा के साठ वर्ष: एक अध्ययन" का विमोचन करती हुईं।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 2 अक्तूबर, 2012 को संसदीय ज्ञानपीठ में "महिला संवेदी संसदें" विषय पर संसदों की महिला अध्यक्षों की सातवीं बैठक के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी "भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण" के अवसर पर।

13

संसद ग्रंथालय सूचना प्रणाली*

संसदीय प्रणाली में जनप्रतिनिधियों को वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक और समय पर सूचना की आवश्यकता होती है। भारत की संसद ने सांसदों की उनके उत्तरदायित्वों के प्रभावी और अर्थपूर्ण निर्वहन में सहायता करने के उद्देश्य से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए हैं।

संसद ग्रंथालय में स्वचालित कार्यप्रणाली की शुरुआत करने के प्रयोजन से दिसम्बर, 1985 में राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) की सहायता से एक कम्प्यूटर-आधारित सूचना प्रणाली 'पार्लिस' (संसद ग्रंथालय सूचना प्रणाली) शुरू की गई। प्रारम्भ में यह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संदर्भगत तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसदीय प्रश्नों, संसदीय वाद-विवाद, विधायी विधेयकों, सांसदों के जीवनवृत्त, लोक सभा अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों/की गई टिप्पणियों, राष्ट्रपति शासन, इत्यादि, के बारे में एक अनुक्रमणिका-आधारित डाटाबेस से सूचना प्राप्त करने की प्रणाली थी। बाद में, समस्त डाटाबेस को उसके पूर्णपाठ सहित वेब-फार्मेट में परिवर्तित कर दिया गया जहां संसदीय वाद-विवादों के अक्षरशः वृत्तांत के पूरे पाठ, मंत्रालयों द्वारा संसदीय प्रश्नों के उत्तर, संसदीय समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा लोक सभा अध्यक्ष द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिये गये भाषण भारत की संसद के होमपेज *(http://parliamentofindia.nic.in)* और *(http://loksabha.nic.in)* पर उपलब्ध कराए गये।

भारत की संसद का होमपेज: भारत की संसद के होमपेज का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा द्वारा 15 मार्च, 1996 को किया गया था। तब से ही यह होमपेज संविधान तथा संसद से जुड़े मामलों के बारे में सूचना एवं संदर्भ का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। वर्तमान में लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा की अलग-अलग वेबसाइटें संचालित की जा रही हैं जो भारत की संसद के होमपेज से जुड़ी हैं।

प्रयोक्ताओं को सूचना आसानी से उपलब्ध कराने को सुकर बनाने के लिए लोक सभा वेब पेज को आवधिक रूप से पुनः डिजाइन किया जाता है। वेबसाइट पर जारी डाटा को प्रयोक्तानुकूल ड्राप-डाउन मीनू के माध्यम से तर्कसंगत रूप से एकत्र किया जाता है। पेज पर सूचना दिशा सूचक (नेवीगेशन) भी उपलब्ध होता है। वर्तमान में, लोक सभा होम पेज *(http://loksabha.nic.in)* पर उपलब्ध संसदीय सूचना के मुख्य घटक हैं:—

(एक) **सदस्य:** इसमें सदस्यों की वर्णाक्रमानुसार, राज्य-वार, दल-वार सूची, मनोनीत सदस्य, महिला सदस्यों का ब्यौरा, रिक्तियां, संपर्क पता तथा ई-मेल पता आदि शामिल है।

(दो) **कार्य:** इसमें सभा के कार्य, समाचार, गैर-सरकारी सदस्यों की कार्य सूची, विशेष उल्लेख तथा प्रत्येक सत्र में किए गए कार्य का सारांश शामिल है।

(तीन) **प्रश्न:** इसमें मत सूची, प्रश्न सूची, प्रश्नों की सूचनाओं की स्थिति, फरवरी 2000 से प्रश्नों और उत्तरों और जुलाई, 2000 से पूरक प्रश्नों और उत्तरों का पाठ शामिल है।

(चार) **वाद-विवाद:** इसमें प्रतिदिन के वाद-विवाद, वाद-विवाद का सारांश, संविधान सभा वाद-विवाद और मार्च, 1998 (12वीं लोक सभा) से विभिन्न खोज (सर्च) सुविधा सहित वाद-विवाद का पाठ शामिल है। असंशोधित वाद-विवाद को भी घंटों के आधार पर होमपेज पर उपलब्ध कराया जाता है और पूरे दिन के वाद-विवाद का पूरा पाठ उसी दिन अथवा अगले दिन उपलब्ध कराया जाता है।

(पांच) **विधान:** इसमें लोक सभा और राज्य सभा में पुरःस्थापित किए गए सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पाठ को शीर्षक-वार, सदस्य/मंत्रालय-वार, श्रेणी-वार खोजने का विकल्प और किसी विशेष विधेयक पर लोक सभा में हुई चर्चा का पाठ शामिल है तथा विधेयकों के राजपत्र की अधिसूचना, लोक सभा और राज्य सभा में विधेयकों को पुरःस्थापित करने/पारित करने की तारीख, विधेयक को समिति को भेजने की तारीख, प्रस्तुत प्रतिवेदन और समितियों के पास लंबित विधेयकों की सूची भी उपलब्ध है।

(छह) **समितियां:** वित्तीय, विभागों से संबद्ध स्थायी, तद्र्थ और जांच समित की संरचना, सभापति, सदस्यता, चयनित विषय, प्रतिवेदन, अनुसूचियां, भेजे गए विधेयक, प्रेस विज्ञप्तियां आदि उपलब्ध है।

(सात) **संसदीय मंच:** इसमें संसदीय मंच से संबंधित सूचना उपलब्ध है।

(आठ) **सम्मेलन:** आयोजित किए गए सम्मेलनों, अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) प्रकोष्ठ और भारतीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ ग्रुप (सीपीए) के कार्यकलापों की जानकारी उपलब्ध है।

(नौ) **सचिवालय:** इसमें संगठनात्मक चार्ट, भर्ती नियम, भर्ती परीक्षा के परिणाम/और बिक्री हेतु उपलब्ध प्रकाशनों, लोक सभा सचिवालय द्वारा जारी निविदाओं आदि की सूचना शामिल है।

*कम्प्यूटर प्रबंधन शाखा (सॉफ्टवेयर यूनिट) के सौजन्य से।

इसके अतिरिक्त, संसद के बारे में सामान्य जानकारी, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम, अध्यक्ष के निदेश, संसदीय कार्य संबंधी भारत सरकार की नियम पुस्तक, संसद सदस्यों के साथ व्यवहार संबंधी सरकारी अनुदेश तथा संसद भवन और संसद ग्रंथालय का आभासी दौरा करने आदि की जानकारी होम पेज पर उपलब्ध है। भारत में विधायी निकाय, अन्य संसदें, अंतर-संसदीय संघ, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों, निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों संबंधी लिंक विधायी साइट, न्यायिक/विधायी साइट और अधिकारिक साइट पर भी उपलब्ध है।

सदस्य होमपेज: इसमें सदस्यों की वर्णाक्रमानुसार, राज्य-वार और दल-वार सूची, मनोनीत सदस्य, महिला सदस्यों का ब्यौरा, रिक्तियां, संपर्क पता और ई-मेल पता शामिल हैं। सदस्यों का जीवनवृत्त, संसदीय कार्यवाही में उनके भाग लेने, प्रश्न विधेयक और संकल्प, सदस्यों का उपस्थिति चार्ट भी शामिल है। डाटाबेस में कई सर्च विकल्प उपलब्ध हैं। सदस्यों की पूरी सूची (पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा) जिसमें उनका लोक सभा अनुभव और पहली लोक सभा से लेकर सदस्यों का जीवन वृत्त भी होमपेज पर उपलब्ध है।

लोक सभा अध्यक्ष का होमपेज (http://speakerloksabha.nic.in):

लोक सभा अध्यक्ष के लिए एक पृथक होमपेज बनाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अध्यक्ष का जीवनवृत्त, उसकी राजनैतिक और व्यक्तिगत उपलब्धियां, अध्यक्ष की भूमिका, कार्यक्रम, जिनमें उन्होंने भाग लिया, अध्यक्ष के चुनिंदा भाषण और प्रेस विज्ञप्तियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सभी भूतपूर्व अध्यक्षों का जीवनवृत्त और उनके कार्यकाल का ब्यौरा भी इस साइट पर उपलब्ध है।

संसदीय संग्रहालय वेबसाइट (http://parliamentmuseum.org/indextry.html):

संसदीय संग्रहालय की नई संवादी वेबसाइट का शुभारंभ 19 दिसम्बर, 2007 को तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने किया। इस वेबसाइट में भारत की लोकतांत्रिक विरासत के 2500 वर्ष पुराने इतिहास का वर्णन किया गया है। यह वर्णन ध्वनि और प्रकाश-वीडियो एनीमेशन द्वारा काल विशेष के चित्रण एवं वृहत पटल संव्यवहारात्मक कम्प्यूटर मल्टीमीडिया, सजीव रेखाचित्रण तथा बहुपटलीय विहंगम प्रक्षेपणों द्वारा प्रभावपूर्ण चित्रण के माध्यम से किया जाता है। दर्शक भारतीय लोकतंत्र संबंधी क्विज में भाग ले सकते हैं, चित्रयुक्त पोस्टकार्ड चुन कर ई-मेल कर सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं।

संसद ग्रंथालय वेबसाइट (http://164.100.47.134/plibrary/home.htm):

यह वेबसाइट, संसद ग्रंथालय में पुस्तक संकलनों, नई पुस्तकों, ई-संसाधनों और सांसदों को उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में सूचना प्रदान करती है। सदस्य वेबसाइट के माध्यम से ग्रंथालय की विवरण सूची (कैट लॉग) भी देख सकते हैं। वेबसाइट से अद्यतन समाचार कतरनें विभिन्न विषयों के संबंध में समाचार कतरनें भी प्राप्त की जा सकती हैं। सामयिक विषयों पर संदर्भ टिप्पण, जो सदस्यों के लिए वाद-विवाद में भाग लेने हेतु उपयोगी होते हैं, भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी) वेबसाइट (http://bpst.nic.in):

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो के लिए एक पृथक वेबसाइट तैयार की गई है जिसमें सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम, प्रसिद्ध विद्वानों के व्याख्यान, पाठ्यक्रम, सेमिनार तथा सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, लोक सभा इंटर्नशिप कार्यक्रम तथा अध्ययन दौरे शामिल हैं। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के परिवीक्षार्थियों के लिए आयोजित परिबोधन कार्यक्रम और संसदीय तथा सरकारी अधिकारियों आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी भी दी जाती है। ब्यूरो द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, प्रतिभागियों की संख्या और कार्यक्रमों की जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

लोक सभा टेलीविजन चैनल (एलएसटीवी वेबसाइट) (http://loksabha.nic.in):

एलएसटीवी के लिए एक पृथक वेबसाइट तैयार की गई है जिसमें एलएसटीवी के कार्यक्रमों के समय, विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमों, संसद डायरी, साक्षात्कार, वृत्तचित्र, सभा की सुर्खियां आदि की जानकारी शामिल है। इसके अतिरिक्त, 24 घंटे का लोक सभा टीवी वेबकास्ट भी उपलब्ध है।

भारत में विधायी निकाय वेबसाइट (http://legislativedivisionindia.nic.in):

भारत में विधायी निकाय वेबसाइट 8 अक्तूबर, 2004 को तैयार और शुरू की गई थी। संसद तथा राज्य विधान मंडलों के साथ-साथ भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों के फोटो के अलावा इस वेबसाइट पर विधायी निकायों के उद्भव, भूमिका और कार्यों की जानकारी और भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों अर्थात् अध्यक्षों/उपाध्यक्षों और सभापति का संक्षिप्त जीवन परिचय उनके फोटो सहित दिए गए हैं। प्रत्येक राज्य के वेबपेज में उसकी राज्य विधान सभा वेबसाइट का लिंक दिया गया है। अन्य राज्य सरकारों की वेबसाइट के बारे में जानकारी "अधिक जानकारी" आइकन के तहत प्राप्त की जा सकती है। वेबसाइट में अभी तक आयोजित किए गए विभिन्न पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों की तारीख, स्थान और लक्ष्य तथा उद्देश्य की जानकारी भी शामिल है।

डिजिटल लाइब्रेरी

सांसदों और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1997 में डीवीडी, सीडी, टेप और फ्लापी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनवाली एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की गई। सदस्यों की रुचि के क्षेत्रों तथा अद्यतन प्रौद्योगिकीय प्रगति को ध्यान में रखते हुए डिजिटल लाइब्रेरी संकलन विकसित किया जा रहा है। इस संकलन को लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) अथवा *http://164.100.24.230/* के माध्यम से देखा जा सकता है। सदस्य संदर्भ और उपयोग के लिए एक समय में दो डीवीडी उधार ले सकता है।

14

सूचना का अधिकार*

सूचना किसी भी लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना की पर्याप्त उपलब्धता के बिना देश के नागरिक और संसदविद् सही निर्णय नहीं ले सकते हैं और अक्षम एवं भ्रष्ट सरकार गोपनीयता की आड़ में अपने आपको छुपा सकती है।

— लॉरेंस मार्टिन, हार्परलैंड : द पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल

प्रस्तावना

विश्व के लगभग 93 देशों ने सूचना का अधिकार कानून (जो सूचना की स्वतंत्रता, एफओआई के रूप में भी जाना जाता है) अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने भी इस बात पर बल दिया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सार्वजनिक वाद-विवाद और मुक्त निर्णयन शामिल होता है। इसलिए ऐसी शासन व्यवस्था में हित समूहों का संगठन, विचारों, मतों एवं सूचना का निर्बाध आदान-प्रदान अनिवार्य हो जाता है। गरीबों की सूचना एवं संचार संबंधी जरूरतों को पूरा करना भी अनिवार्य है। गरीबों के पास अक्सर अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं, जैसे मौलिक अधिकारों एवं हकदारियों, लोक सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगार आदि से संबंधित सचूना का अभाव होता है। उनके पास नीतिगत प्राथमिकताएं निर्धारित करने और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने मे सक्षम बनाने वाली स्पष्टता और अभिव्यक्ति की भी कमी होती है।

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू हुए आठ वर्ष हो चुके हैं। एक प्रभावी कानून के रूप में इसकी सर्वत्र प्रशंसा की गई है। वस्तुत: यह देश का एकमात्र ऐसा कानून है जो यहां के नागरिकों को अधिनियम में यथा परिभाषित विभिन्न लोक प्राधिकारियों से सीधे संपर्क कर उनसे लगभग प्रत्येक पहलू (अधिनियम की धारा 8 और 9 में अंतर्विष्ट), कतिपय मदों को छोड़ कर के बारे सूचना मांगने तथा उनके कार्यकरण से संबद्ध क्षेत्रों में पारदर्शिता एवं जबावदेही लाने का अधिकार प्रदान करता है।

लोक सभा सचिवालय में सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

लोक सभा सचिवालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से इस अधिनियम की धारा 5 और 19 के उपबंधों के अध्यधीन तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी के अनुमोदन से नवम्बर, 2005 में एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गये। 14 नवम्बर, 2005 को सूचना प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। उसके बाद एक केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी की भी नियुक्ति की गई। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 28 की उपधारा 2(एक), (दो), और (तीन) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अध्यक्ष (सक्षम प्राधिकारी) ने सा.का.नि. 747(ई) के द्वारा 27 दिसम्बर, 2005 को 'लोक सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत विनियमन) नियम, 2005' बनाया तथा 12 जून, 2007 को सा.का.नि. 426(ई) के द्वारा इसमें संशोधन किया। सूचना प्रकोष्ठ सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी दोनों को सचिवालय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ सचूना हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करने तथा सूचना प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकोष्ठ द्वारा आरटीआई के सभी आवेदनों, प्रथम अपीलों और आरटीआई से संबंधित अन्य मामलों पर कार्यवाही की जाती है।

संसदीय सूचना

संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। संसदीय सूचना बहुत हद तक अपने आप में अद्वितीय है तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों के जीवन और दैनिक कार्यकलापों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रभावित करने वाली सरकारी/कार्यकारी सूचना से भिन्न है। संसदीय सूचना संसदीय प्रणाली अर्थात् समितियों के कार्यकरण, सभा, वाद-विवाद, प्रश्न, विधायी कार्य, शोध कार्य, प्रशासनिक कार्यकरण, संसदीय विरासत और सबसे महत्वपूर्ण भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों अर्थात् 98, 105, 118, 122 आदि और विगत 60 वर्षों में विकसित प्रक्रिया एवं पद्धति से सभा और अध्यक्ष को प्राप्त कर्तव्यों, दायित्वों, शक्तियों और विशेषाधिकारों के बारे में है।

आरटीआई अधिनियम (पारदर्शिता और जवाबदेही पढ़ें) के मद्देनजर संसदीय प्रक्रिया और पद्धति को समझना संसद के लिए नई चुनौती है। देश के नागरिकों में संसद, इसके कार्यकरण, पारदर्शिता की सीमा तथा निर्णयन प्रक्रिया में जबावदेही के बारे में और अधिक जानने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए सूचना प्रकोष्ठ ने "आरटीआई और संसद" शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों/विचारों की पहचान की है जिन पर विस्तारपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस विषय पर एक सम्मेलन

*लोक सभा सचिवालय के सूचना प्रकोष्ठ के सौजन्य से।

आयोजित करने की भी सलाह दी थी जिस पर अध्यक्ष महोदय सिद्धांत रूप से सहमत थे। मुद्दे और विचार निम्नलिखित हैं:—

1. विभिन्न संवैधानिक उपबंधों/अधिकार पत्रों/अभिसमयों के माध्यम से विश्व भर में विकसित पारदर्शिता विधियों की अवधारणा।
2. आरटीआई शासन व्यवस्था में संसद और राज्य विधानमंडलों के कार्यकरण-अवरोध एवं उपलब्धियां।
3. विश्व भर में पारदर्शिता कानून को अपनाने वाले देशों की संसदों की तुलना में भारत की संसद के कार्यकरण में पारदर्शिता।
4. संसद से संबंधित रिपोर्टिंग में मीडिया की भूमिका।
5. आरटीआई शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यकरण में पारदर्शिता और जबावदेही लाने के प्रयास में विधायी सीमाओं का उल्लंघन।
6. सभा और लोक सभा सचिवालय के कार्यकरण पर आरटीआई अधिनियम का प्रभाव — एक सिंहावलोकन।
7. आरटीआई शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसद के कार्यकरण के बारे में जनधारणा।
8. संसदीय विशेषाधिकार और पारदर्शिता।
9. क्या आरटीआई संसद सदस्यों के लिए संसदीय प्रश्न का विकल्प है?
10. आरटीआई अधिनियम संसदीय प्रश्न का पूरक कैसे हो सकता है?
11. संसदीय समिति की कार्यवाही, रिकॉर्ड और पारदर्शिता।
12. संसद का कार्यकरण — नागरिक अधिकार पत्र की अवधारणा का उत्तर।
13. संसदीय शोध कार्य — *vo/kkj.kk@{ks=@laln* सदस्य कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराना।
14. नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता।
15. लोक सभा सचिवालय में प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता — निर्णयन और शिकायत निवारण पर विशेष बल।
16. संसद की कार्यवाही पर होने वाला व्यय।
17. संसदीय विरासत — जनजागरूकता।
18. भवन और अवसंरचना।
19. संसदीय विधायी कार्यों में पारर्दिशता।
20. विशेषकर संसद सदस्यों के वेतन, यात्रा/दैनिक भत्तों, सुविधाओं और परिसंपत्तियों आदि का रिकॉर्ड रखना।
21. पारदर्शिता के माध्यम के रूप में लोक सभा टेलीविजन।
22. सूचना का अधिकार कानून और नियमों के संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेशों और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन का स्तर।
23. आवेदनों के बिन्दुओं के उत्तर तैयार करना।

पन्द्रहवीं लोक सभा (2009-2014) के दौरान सूचना का अधिकार

पन्द्रहवीं लोक सभा का कार्यकाल इस अधिनियम के उद्भव और इसके कार्यकरण का भी सबसे सक्रिय काल रहा है क्योंकि इस देश के नागरिकों ने अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा दर्शाई, जिससे इस सचिवालय का कार्यकरण और अधिक पारदर्शी बन पाया और सूचना के स्वत: प्रकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह तथ्य नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट दिखाई देता है। तालिका यह दर्शाती है कि पन्द्रहवीं लोक सभा के आरंभिक वर्ष 2009 में 814 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए थे जो वर्ष 2013 में बढ़कर 1800 हो गए। इसके साथ ही वर्ष 2009-2014 के दौरान प्रथम अपीलों और दूसरी अपीलों की संख्या में भी कुछ रुझान दिखाई देते हैं। वर्ष 2012 में सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त 1616 आवेदनों में से 211 प्रथम अपील और 49 दूसरी अपील के संबंध में थे जिसमें कमी आयी और वर्ष 2013 में प्राप्त कुल 1800 आवेदनों में से 164 प्रथम अपील और 25 द्वितीय अपील के संबंध में थे। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि अब तक लोक सभा सचिवालय की न तो कोई कटु आलोचना की गई न ही इस पर कोई शास्ति अधिरोपित की गई है।

वर्ष 2009-2014 के दौरान किए गए कार्य
(15वीं लोक सभा की आज की स्थिति के अनुसार)

वर्ष	आवेदनों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई और सूचनाएं दी गईं	प्रथम अपीलों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई	द्वितीय अपीलों/सूचना आयोग की सुनवाइयों की संख्या	विविध आवेदन/पीयूसी (सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं)
1	2	3	4	5
2009	814	60	23	24

1	2	3	4	5
2010	1121	102	14	33
2011	1510	136	18	36
2012	1616	211	49	22
2013	1800	164	25	27
2014 (3.4.2014 की स्थिति के अनुसार)	648	09	07	09

सूचना प्रसार: सूचना के अधिकार के उद्देश्यों को पूरा करना

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना का प्रसार दो प्रकार से किया जाता है। पहला है सूचना का स्वत: प्रसार जो इस अधिनियम की धारा 4 के तहत जन प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य बनाया गया है। लोक सभा सचिवालय की संबंधित शाखाओं द्वारा उनके विभागीय प्रमुखों के मार्गनिर्देशन में इसका अनुपालन किया जाता है। लोक सभा का होमपेज अर्थात् *loksabha.nic.in* में इस पेज की बाईं ओर इस प्रयोजन के लिए कई लिंकों को सूचीबद्ध किया गया है और इन लिंकों को संबंधित शाखाओं द्वारा अद्यतन किया जाता रहता है।

दूसरा, व्यक्तिगत आवेदकों से प्राप्त सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन के उत्तर में सूचना दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए सूचना प्रकोष्ठ नोडल शाखा है। इसमें शाखा द्वारा आवेदनों को प्राप्त किया जाता है और इन्हें संबंधित प्रभाग/प्रभागों को अग्रेषित किया जाता है। सभी जगह से सूचना प्राप्त होने पर इन्हें अंत में आवेदकों को भेज दिया जाता है। सूचना, डाक और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उपलब्ध कराई जाती है। आवेदकों के डाक के पते पर सीधे उत्तर भेज दिया जाता है। साथ ही साथ उनके द्वारा मांगी गई सूचना को वेबसाइट *10.21.192.57/rti new/login.aspx.* पर भी डाल दिया जाता है। लोक सभा सचिवालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में और स्वत: प्रकरण के माध्यम से सूचना को लोगों के बीच प्रसारित करने में अग्रणी रहा है।

निष्कर्ष

लोक सभा सचिवालय सामान्य जन के उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर सूचना का अधिकार संबंधी आवेदनों और तत्संबंधी उत्तरों के प्रकटन के लिए यथासंभव पारदर्शी तरीके को आरंभ करने वाले भारत के अग्रणी और सबसे सक्रिय लोक प्राधिकरणों में से एक है। सुनवाई के दौरान, मुख्य सूचना आयुक्त ने इस संबंध में सचिवालय के प्रयासों की अनेक अवसरों पर सराहना की है और कतिपय सूचना का अधिकार संबंधी कार्यकर्ताओं ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्यों को अक्षरश: पूरा करने में इस सचिवालय द्वारा किए जा रहे सतत् प्रयासों की प्रशंसा की है। इसे अतिश्योक्तिपूर्ण वक्तव्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि आज तक सूचना का अधिकार के कार्यकरण के संबंध में किसी त्रुटि के लिए सचिवालय के जन प्राधिकारी पर न तो कभी अर्थदंड लगाया गया है और न ही शास्ति अधिरोपित की गई है।

इस सचिवालय के कार्यकरण को जानने में आम लोगों की सहायता करने में लगभग सभी शाखाएं/प्रभाग नियमित रूप से अपने कार्यकरण और कर्तव्यों से जुड़ी सूचना को अद्यतन करते रहते हैं। लोक सभा सचिवालय अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। एक और ध्यान देने वाली बात जो सदा रही है कि पारदर्शिता और जबावदेही के अलावा संसद से जुड़े अनेक बड़े मुद्दे हैं जिन पर सूचना का अधिकार कदाचित और अन्य ऐसे कानूनों के परिप्रेक्ष्य में फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है जिन पर देश के सामान्य नागरिकों को लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निकट भविष्य में संसद द्वारा अधिनियम बनाए जाने की संभावना है।

15

संसद ग्रंथालय में डिजिटलीकरण*

प्रस्तावना

किसी भी देश की शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक स्वरूप में संसद एक सर्वोच्च राजनैतिक निकाय है। सांसदों के लिए निर्वाचित निकायों के अंदर और बाहर अपनी विभिन्न भूमिकाओं को प्रभावकारी ढंग से निभाने हेतु जानकारी प्राप्त करना अति महत्वपूर्ण है। अत: यह आवश्यक है कि उन्हें विभिन्न विषयों पर सच्ची, निष्पक्ष, अधिकृत, अनिवार्य और संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। अत: न केवल सदस्यों को पुस्तकें, विधायी चर्चाओं और संसदीय पत्रों आदि की सुविधा के लिए बल्कि उन्हें ऐसी अद्यतन और वस्तुनिष्ठ जानकारी जिसका उपयोग प्रदान करने के लिए वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में वस्तुपरक और उत्पादक ढंग से कर सकें, प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र, सुसंगठित और आधुनिक ग्रंथालय अनिवार्य है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में पुस्तकों का सबसे अधिक संग्रह संसदीय ज्ञानपीठ में है। इसकी स्थापना वर्ष 1921 में तत्कालीन केन्द्रीय विधान सभा के सदस्यों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक छोटे से स्तर पर की गई थी। वर्तमान में, नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता के बाद संसदीय ज्ञानपीठ भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथालय है। वर्ष 1950 में संसदीय ज्ञानपीठ के संग्रह में सुव्यवस्थित ढंग से संख्यात्मक और गुणवत्तापूर्ण विस्तार आरंभ किया गया। 1950-55 की अवधि के दौरान देश-विदेश के विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ परस्पर विनियम की व्यवस्था आरंभ करके ज्ञानपीठ को सुदृढ़ करने के और प्रयास किए गए। पुस्तकों की खरीद में भी वृद्धि की गई। संयुक्त राष्ट्र और इसकी आनुषंगिक एजेंसियों के प्रकाशन, युनाइटेड किंगडम के कमांड पत्र तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकारी प्रकाशन संसदीय ज्ञानपीठ के संग्रह में जोड़े गए। वर्तमान में, संसदीय ज्ञानपीठ संसद सदस्यों की सूचना संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को उनके विधायी दायित्वों को पूरा करने में भी यह ज्ञानपीठ अपनी सेवाएं प्रदान करता है।

कार्य के आधार पर विभिन्न सेवाओं के पुनर्गठन और एकीकरण के परिणामस्वरूप संसदीय ज्ञानपीठ को एक नया स्वरूप प्रदान किया गया और अब इसे ग्रंथालय, संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) के नाम से जाना जाता है।

*निदेशक (सीएमपी), लोक सभा सचिवालय के सौजन्य से।

डिजिटलीकरण की ओर बढ़ते कदम

चूंकि ग्रंथालयों में पुस्तकें और जानकारी के अन्य उपलब्ध स्रोत अधिकांशत: मुद्रित रूप में उपलब्ध होते हैं, अत: ये ज्ञान का भंडार होते हैं। तथापि डिजिटल प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के आने से ग्रंथालय के स्वरूप में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। डिजिटल लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग एक ऐसी प्रणाली या अनुप्रयोग के लिए किया जाता है जिसका मुख्य कार्य पारम्परिक ग्रंथालयों में मुद्रित रूप में उपलब्ध सामग्री को इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराना है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के माध्यम से पारम्परिक ग्रंथालयों को डिजिटल ग्रंथालयों में परिवर्तित किया जा रहा है। डिजिटल ग्रंथालयों में भौतिक रूप में उपलब्ध आंकड़े डिजिटल रूप में संरक्षित किए जा रहे हैं। डिजिटल ग्रंथालय बड़ी संख्या में लोगों तक जानकारी और ज्ञान पहुंचाने में समर्थ हैं। ये ग्रंथालय समय और स्थान की बाधा को भी दूर करते हैं।

भारत की संसद ने सूचना प्रौद्योगिकी के सामर्थ्य का प्रभावपूर्ण उपयोग करने के लिए विशिष्ट कदम उठाए हैं ताकि सदस्य प्रभावपूर्ण ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। वर्ष 1985 में कम्प्यूटर आधारित सूचना प्राप्ति प्रणाली जिसे संसदीय ज्ञानपीठ सूचना प्रणाली (प्रालिस) कहा जाता है, का आरंभ किया गया।

ग्रंथालय द्वारा स्वयं एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर पैकेज "लिबसेस" विकसित किया गया है जिसके द्वारा संसदीय ग्रंथालय की गतिविधियों को स्व:चालित बना दिया गया है। 'लिबसेस' वेब समर्थित एक ऐसा एकीकृत ग्रंथालय अनुप्रयोग साफ्टवेयर पैकेज है जिसमें ग्रंथालय के लगभग सभी कार्यों को सम्मिलित किया गया है। संसद सदस्य तथा अन्य प्रयोक्त इंटरनेट के साथ-साथ इंट्रानेट के माध्यम से ग्रंथसूची देख सकते हैं। डिजिटल संग्रह जैसे संदर्भ ग्रंथ, वार्षिक किताबें, प्रतिवेदन, एटलस, ई-जर्नल्स, डायरेक्टरी आदि भी लोकल एरिया नेटवर्क (लान) या इंटरनेट के माध्यम से *http://164.100.24.230* पते पर देखे जा सकते हैं।

डिजिटल युग का उदय

डिजिटल क्रांति ने पूरे विश्व में सूचना क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए नई चुनौतियों के साथ नये अवसर भी पैदा किए हैं। प्रौद्योगिकी ने आज यह संभव बना दिया है कि पारम्परिक रूप से जो सूचना मुद्रित रूप में कागज पर दी जाती थी, उसे अब डिजिटलीकरण द्वारा संरक्षित किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रयोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है। डिजिटलीकरण से सूचनाओं को संरक्षित करने, लोगों तक

पहुंचाने तथा साझा करना सरल होता है। उदाहरणार्थ, कोई मूल ऐतिहासिक दस्तावेज संभवत: उन्हीं लोगों तक पहुंच पाता है जो इसके वास्तविक स्थान पर जाते हैं परन्तु यदि दस्तावेज की विषय-वस्तु का डिजिटलीकरण कर दिया जाए तो इसे सम्पूर्ण विश्व में लोगों को उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर महत्वपूर्ण आंकड़ों के डिजिटलीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। डिजिटलीकरण मूल ऐतिहासिक दस्तावेजों और मुद्रित अभिलेखों को और अधिक खराब होने और नष्ट होने से बचाता है क्योंकि इससे बार-बार रख-रखाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। हाल ही में, विशेष रूप से 2003 में जेनेवा में सूचना समाज संबंधी विश्व सम्मेलन के पश्चात्, ग्रंथालयों के डिजिटलीकरण की मांग बढ़ गई है।

आज, डिजिटलीकरण के कारण, विशेष रूप से उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराए गए खुली पहुंच वाले भंडारों के कारण सम्पूर्ण ज्ञान सहज सुलभ हो गया है। अब डिजिटल ग्रंथालय तेजी से परम्परागत ग्रंथालयों का स्थान ले रहे हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, प्राचीन ग्रंथालयों, जिनमें बहुत समय से एकत्रित की गई पांडुलिपियां और पुस्तकें बड़ी संख्या में हैं, ने दुनिया भर में अपने प्राचीन अभिलेखों की स्कैनिंग और उनके डिजिटलीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आरंभ कर दिया है।

संसद ग्रंथालय हेतु डिजिटल पोर्टल

इस बात को भली प्रकार समझते हुए कि सूचना, ज्ञान और सम्पर्क किसी समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानदंड हैं और सफल लोकतंत्र कायम रखने के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, भारत की संसद भी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित नए साधनों का अधिकतम उपयोग करके एक जागरुक समाज की इमारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रही है। भारत की संसद इन साधनों के माध्यम से सूचना का प्रसार करने का भरसक प्रयास कर रही है और इस प्रक्रिया में स्वयं का ही ज्ञानवर्धन नहीं कर रही है अपितु लोगों का ही ज्ञान बढ़ा रही है। भारत के संसद ग्रंथालय की बहुत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और इसके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। पुस्तकों, रिपोर्टों, सरकारी प्रकाशनों, संयुक्त राष्ट्र प्रकाशनों, वाद-विवादों, राजपत्रों, पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों और अन्य दस्तावेजों जिनमें लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित दस्तावेज भी शामिल हैं, को मिलाकर लगभग 1.27 मिलियन परिमाण के वर्तमान संपत्ति के साथ संसद ग्रंथालय हमारे देश के सबसे शानदार और समृद्ध भंडारों में से एक है। ग्रंथालय और लोक सभा, राज्य सभा के वाद-विवादों और संसद के भीतर सृजित अन्य आंकड़ों के अभिलेखीय और संदर्भ संबंधी महत्व तथा सर्वसुलभता के कारक को ध्यान में रखते हुए ग्रंथालय की सम्पत्ति के डिजिटलीकरण का कार्य कराया गया है। भारतीय संसद के डिजिटलीकरण की परियोजना का उद्देश्य डिजिटल ग्रंथालय का निर्माण करना है। प्रथम चरण में लगभग 11 श्रेणी के दस्तावेजों यथा संसदीय वाद-विवादों, विधेयकों, अधिनियमों, समिति/आयोगों के प्रतिवेदनों, दुर्लभ पुस्तकों, श्वेत पत्रों इत्यादि के डिजिटलीकरण के लिए पहचान की गई है।

सभी संसदीय अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की माइक्रोफिल्मिंग और डिजिटलीकरण के द्वारा संसद ग्रंथालय हेतु एक डिजिटल पोर्टल बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और तेजी से संसद ग्रंथालय के डिजिटलीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में और संगठित प्रयास करने हेतु तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष ने सभी संसदीय दस्तावेजों की माइक्रोफिल्मिंग और डिजिटलीकरण का कार्य कराने और संसद ग्रंथालय को डिजिटल ग्रंथालय में बदलने के लिए श्री एस.एस. अहलूवालिया की अध्यक्षता में 10 जुलाई, 2012 को एक समिति गठित की थी।

समिति ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सहायता से संसद ग्रंथालय को डिजिटल ग्रंथालय में बदलने और लंबे समय तक संरक्षण हेतु दस्तावेजों की माइक्रोफिल्म बनाने का कार्य कराया है। स्कैनिंग विषय-वस्तु निर्माण और मेटाडाटा के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश एनआईसी के परामर्श से तैयार किए गए थे।

समिति ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अन्य के साथ 42 बैठकों की और इस बात पर जोर दिया कि सभी मंत्रालयों/विभागों को अपने पास इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध संपूर्ण डाटा, जो कि सांसदों के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में महत्वपूर्ण हो सकता है, डिजिटल ग्रंथालय की साइट पर अपलोड करने के लिए भेजना चाहिए। समिति ने उन्हें यह अनुरोध भी किया कि दोनों सभाओं के पटल पर रखे जाने वाले सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपियां भी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा मुद्रित प्रतियों के साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

समिति ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध पुराने दस्तावेजों का डिजिटलीकरण कराने हेतु भी कार्रवाई शुरू कर दी है। सचिव, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समिति को आश्वासन दिया है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अपने पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने में सभी सहायता दी जाएगी। समिति द्वारा किए गए प्रयासों की अन्य मंत्रालयों, जो कि इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त करने में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटी) से सहायता मांग रहे हैं, द्वारा प्रशंसा की गई है। उन सभी रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण करने के बाद, इन दस्तावेजों को संसदीय ग्रंथालय के डिजिटल पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा।

समिति ने नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता और डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, आईआईएससी, बंगलौर सहित अन्य ग्रंथालयों में उपलब्ध दुर्लभ पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों का ई-पाठ प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित पुस्तकों सहित काफी सामग्री पहले ही प्राप्त की जा चुकी है और उसे डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

समिति द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप ई-गजट ऑफ इंडिया और नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता की वेबसाइट, जिसका प्रबंधन क्रमश: शहरी विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है, को और अधिक प्रयोक्तानुकूल और अद्यतन बनाया गया है।

समिति ने डिजिटल पोर्टल में ऐतिहासिक संकलन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स, यू.के. से भारत की स्वाधीनता पूर्व युग के विशिष्ट दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

विभिन्न मंत्रालयों और अन्य संगठनों के पास उपलब्ध अधिकाधिक दस्तावेजों को प्राप्त करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि उन्हें संसदीय ग्रंथालय के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। इसके प्रत्युत्तर में, महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे:– 1952 से आज तक वित्त मंत्रियों के सामान्य बजट भाषण; 1952 से आज तक रेल मंत्रियों के रेल बजट भाषण; ई-पुस्तकें; संस्कृति मंत्रालय की समिति/आयोगों के प्रतिवेदन; योजना आयोग की वार्षिक योजनाएं/नीतियों को भी प्राप्त करके उन्हें इस पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

समिति की पहल पर, संसदीय समितियों के गठन से लेकर उनके सभी प्रतिवेदनों तथा 1952 से लेकर लोक सभा के वाद-विवाद की स्केनिंग का काम भी किया गया है। जब इन प्रतिवेदनों और वाद-विवाद की स्केनिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इन दस्तावेजों के ई-पाठ को डिजिटल पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।

भावी संभावना

संसदीय ग्रंथालय के डिजिटलीकरण की परियोजना का उद्देश्य संसद के कृत्यों और कार्यों तथा संसदीय दस्तावेजों के बारे में सांसदों की सूचना संबंधी सभी आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप शॉप सृजित करने का है। संसदीय ग्रंथालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सांसदों की रुचि के उन रिकॉर्डों के ई-पाठ प्राप्त कर रहा है जिनका पहले ही डिजिटलीकरण हो चुका है। इन्हें डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

संसदीय ग्रंथालय के डिजिटल पोर्टल का वेब पेज एनआईसी द्वारा तैयार किया जा चुका है। ऐसे दस्तावेजों जिनका डिजिटलीकरण हो चुका है अथवा जिनका ई-पाठ प्राप्त हो चुका है उनको अपलोड करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इस पोर्टल पर 12,000 से अधिक दस्तावेज अपलोड किए जा चुके हैं। दस्तावेजों के ई-पाठ को अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। उन दस्तावेजों, जिनका ई-पाठ प्राप्त हो चुका है अथवा संसदीय ग्रंथालय में सृजित किया गया है, को साइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि साइट पर सदैव अद्यतन जानकारी उपलब्ध रहे।

संसदीय ग्रंथालय के डिजिटल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सांसदों की सूचना संबंधी सभी आवश्यकताओं को एक ही स्थान पर पूरा करना है। सांसद अपने घर बैठकर पोर्टल पर दिए गए आइकॉन दबाकर अपने विधायी कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपेक्षित दस्तावेजों को ढूंढ सकते हैं। चाहे उन्हें किसी विधान अथवा लोक सभा में हुए वाद-विवाद या सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए विभिन्न आयोगों/समिति के प्रतिवेदनों, अथवा सरकार की राष्ट्रीय नीतियों/योजनाओं अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जा रहे श्वेत पत्रों के बारे में सूचना की जरूरत हो इन सभी का ई-पाठ इस पोर्टल पर उपलब्ध है। यहां तक की आम आदमी के सरोकार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रेस रिपोर्ट भी इस पोर्टल का एक अंग है। अत: इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक बार शुरू किए जाने के बाद यह पोर्ट सभा में विभिन्न चर्चाओं में भाग लेने हेतु सांसदों की सभी जरूरतों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा इस पोर्टल का प्रयोग संसद में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी लेने हेतु भी किया जा सकता है। इस पोर्टल को शीघ्रातिशीघ्र शुरू किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

16

बाल कक्ष*

संसद ग्रंथालय, जो भारत में ज्ञान का उत्कृष्ट केन्द्र है और जहां पुस्तकों का विपुल भंडार है, विधायकों और अन्य उपयोगकर्ताओं के ज्ञान की पिपासा को शांत करने के एक अपरिहार्य संस्थान के रूप में कार्यरत है।

पिछले कुछ वर्षों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि संसद ग्रंथालय के विपुल संसाधनों का उपयोग वास्तविक शोधकर्ताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों, पत्रकारों, शैक्षणिक संस्थानों के संकाय सदस्यों इत्यादि द्वारा भी किया जाए। संसद ग्रंथालय भवन में "बाल कक्ष" की स्थापना इस दिशा में उठाया गया एक कदम है और साथ ही साथ यह प्रयास भी है कि बच्चों को संसद ग्रंथालय के विशाल संसाधनों तक सुगम पहुंच प्रदान की जाए। जहां तक विधानमंडल ग्रंथालय का संबंध है, अगस्त, 2007 में संसद ग्रंथालय में बाल-कक्ष की स्थापना एक अनूठा प्रयास है। बच्चों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था भारत के संसद ग्रंथालय के अलावा जापान की नेशनल डाइट लाइब्रेरी में ही विद्यमान है।

बाल कक्ष की साज-सज्जा इस प्रकार की गई है ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित की जा सके तथा उन्हें संसद ग्रंथालय और संसद संग्रहालय तथा अभिलेखागार के विशाल संसाधनों का उपयोग करने में समर्थ बनाया जा सके। इसका उद्देश्य 8 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को संसद ग्रंथालय में उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं, अन्य दस्तावेजों तथा इलैक्ट्रॉनिक सामग्री तक सुगम पहुंच प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है कि समाज के वंचित वर्गों के बच्चों जिनकी पहुंच अच्छी और संसाधनयुक्त पुस्तकालय तक नहीं है, वह संसद ग्रंथालय के बाल कक्ष की सुविधा का उपयोग कर सकें।

बाल कक्ष तक पहुंच

बाल कक्ष एक बड़े हॉल (कमरा संख्या जी-131, पीएलबी) में स्थित है और इसकी साज-सज्जा इस ढंग से की गई है कि यह कक्ष बच्चों के लिए आकर्षक, मनोरंजक तथा पंसदीदा स्थान हो ताकि बच्चे यहां अध्ययन कर सकें और शांत माहौल में अपने हुनर को निखार सकें। वे बाल कक्ष और संसद ग्रंथालय में उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग तथा उनका अध्ययन कर सकते हैं। इस कक्ष में सभी प्रकार की सामग्री केवल परामर्श हेतु ही उपलब्ध है। बच्चों को अपने हुनर का विकास करने के लिए कम्प्यूटरों का शैक्षिक उपकरण के रूप में अधिकतम प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और साथ ही उन्हें स्कूल में प्रोजेक्ट तैयार करने में मदद की जाती है।

सदस्यता

बाल कक्ष की सदस्यता संसद सदस्यों तथा पूर्व सांसदों के बच्चों/नाती-पोतों; लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के स्थायी कर्मचारियों के बच्चों, लोक सभा और राज्य सभा की प्रेस दीर्घा हेतु अधिकृत पत्रकारों के बच्चों; पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा प्रायोजित बच्चों; अथवा मान्यताप्राप्त स्कूलों के 8 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खुली है।

संग्रह

बाल पुस्तकालय में (एक) लगभग 2,000 पुस्तकें, (दो) पत्रिकाओं/समाचार-पत्रों/सीडी/डीवीडी के प्रदर्शन के लिए विशेष रैक, (तीन) कम्प्यूटर और साथ ही टच स्क्रीन कम्प्यूटर्स; (चार) एक साथ 24 बच्चों के अध्ययन की सुविधा, तथा (पांच) छोटे बच्चों की सुविधा के लिए रंगीन बीन बैग्स हैं। इसके संग्रह में क्लासिक, विश्वकोश, समसामयिक कथा साहित्य, साइंस प्रोजेक्ट बुक्स, लार्ज प्रिंट बुक्स, संदर्भ सामग्री आदि शामिल है। भूगोल, इतिहास, मानव विकास जैसे विषयों तथा विश्व के विभिन्न देशों एवं क्षेत्रों के लोक साहित्य पर विशेष जोर दिया गया है। बाल कक्ष में बच्चों की रुचि की विभिन्न पत्रिकाएं (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) भी उपलब्ध कराई गई हैं।

ई-साहित्य की व्यवस्था

वर्तमान सूचना क्रांति तथा इलैक्ट्रॉनिक फार्म में सूचना प्राप्त करने की बच्चों की प्रवृत्ति के दृष्टिगत बाल कक्ष में सीडी/वीसीडी फार्म में ई-साहित्य भी उपलब्ध कराया गया है। बच्चे यहां समय-समय पर वीसीडी/वीडियो कैसेट्स पर सिनेमा, नाटक और अन्य ज्ञानप्रद कार्यक्रम देख सकते हैं।

मल्टीमीडिया सेक्शन

बाल कक्ष में कम्प्यूटर, कम्प्यूटर कैटलॉग व इंटरनेट सुविधा से सुसज्जित एक सुविकसित मल्टीमीडिया सेंटर है। इस सेंटर के माध्यम से बच्चों को मौखिक उपकरण के रूप में कम्प्यूटर का प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें कम्प्यूटर पर स्कूल प्रोजेक्ट्स तैयार करने में भी मदद की जाती है। मल्टीमीडिया शैक्षिक और मनोरंजक

*बाल कक्ष (लार्डिस) के सौजन्य से।

कार्यक्रम देखने के लिए थिनफिल्म ट्रांजिस्टर (टीएफटी) मॉनीटर भी लगाए गए हैं।

अपने मल्टीमीडिया सेंटर के माध्यम से बाल कक्ष का यह प्रयास है कि बच्चों को वैश्विक नागरिक वर्ग का एक महत्वपूर्ण घटक बनाया जाए। प्रयास यह है कि उन्हें जीवन भर काम आने वाले ज्ञान और साक्षरता में निपुणता प्रदान की जाए जिससे वे विभिन्न विचार-विमर्शों व विवेचनाओं में सक्रियता से भाग लेने के योग्य बन सकें तथा इस तरह से समाज के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे सकें। वस्तुत: कक्ष का लक्ष्य यह है कि बच्चों को समाज में निरंतर हो रहे परिवर्तन के अनुकूल बनाया जाए एवं बच्चों की सूचना संबंधी तथा सांस्कृतिक व मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए।

बच्चों के कार्यक्रम और उनका समूह में भ्रमण

बच्चों के निर्धारित कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं जैसे समय-समय पर कठपुतली का खेल, कथाकारिता, संगीत और नाटक का आयोजन, गर्मी के महीनों में वार्षिक ग्रीष्म वाचन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मान्यताप्राप्त विद्यालयों व पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित बच्चों के छोटे समूहों को बाल पुस्तकालय देखने की अनुमति दी जाती है तथा समय-समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की भी अनुमति दी जाती है।

बाल कक्ष को जीवंत और संवादात्मक क्रियाकलापों का केंद्र बनाने के लिए लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, वाकपटुता प्रतियोगिता आदि जैसे विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

आयोजित कार्यक्रम

संसद ग्रंथालय में बाल कक्ष का उद्घाटन

बाल कक्ष का उद्घाटन लोक सभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने 21 अगस्त, 2007 को किया। इस आयोजन में लोक सभा और राज्य सभा के अनेक गण्यमान्य व्यक्ति, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रख्यात गैर-सरकारी संगठनों के प्रमुख आदि सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के बच्चों ने इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

बाल दिवस, 2007

बाल दिवस मनाने हेतु, 14 नवंबर, 2007 को "चाचा नेहरू का गुलाब" शीर्षक से एक कथाकारिता व चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन 'बचपन सोसायटी फॉर चिल्ड्रन्स लिटरेचर एंड कल्चर' के सहयोग के किया गया।

साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप सप्ताह

सुविधाओं से वंचित बच्चों के लिए 26-30 मई, 2008 को बचपन सोसायटी के सहयोग से एक पांच दिवसीय साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पांच गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 125 बच्चों ने कथाकारिता, कविता पाठ, भारतीय त्योहारों पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, बधाई कार्ड बनाना, कम्प्यूटर एनिमेशन, समाचारपत्र तैयार करना आदि जैसे विभिन्न कार्यकलापों में हिस्सा लिया।

विश्व पर्यावरण दिवस, 2008

विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2008 को मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बच्चों और महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठन 'आंबपाली' के सहयोग से किया गया।

बाल कक्ष की पहली वर्षगांठ

बाल कक्ष की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए, 21 अगस्त, 2008 की "आज के बच्चों की पढ़ने की आदतों पर कम्प्यूटर/इंटरनेट का प्रभाव" विषय पर सामूहिक चर्चा का आयोजन किया गया।

बाल दिवस, 2008

14 नवम्बर, 2008 को बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक ऑन दि स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें तीन पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों के बच्चों सहित 144 बच्चों और बाल कक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया।

बाल कक्ष की दूसरी वर्षगांठ

बाल कक्ष की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर, 21 अगस्त, 2009 को नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से एक पुस्तक समीक्षा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

बाल दिवस, 2009

बाल कक्ष में एक ऑन दि स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिए गए विषय थे (एक) चाचा नेहरू का जीवन; (दो) स्वतंत्रता संग्राम; (तीन) भारत की अनेकता में एकता; एवं (चार) पर्यावरण संरक्षण, दो आयु समूहों अर्थात् 8-13 वर्ष व 14-17 वर्ष के 186 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।

बाल कक्ष की तीसरी वर्षगांठ

बाल कक्ष की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर, (एक) राष्ट्रीय ध्वज; (दो) भारत का संविधान; (तीन) भारत की संसद; और (चार) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 विषयों पर 21 अगस्त, 2010 को रचनात्मक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 8 से 17 वर्ष के आयु समूह के 224 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।

बाल दिवस, 2010

ऑन दि स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें दो आयु समूहों अर्थात 8-13 वर्ष और 14-17 वर्ष के 269 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के विषय थे (एक) संसदीय संग्रहालय; (दो) भारत के पर्व; (तीन) राष्ट्रीय नेताओं का चित्र; और (चार) राष्ट्रमंडल खेल, 2010

बाल कक्ष की चौथी वर्षगांठ

बाल कक्ष की चौथी वर्षगांठ 21 अगस्त, 2011 को मनायी गयी। इस अवसर पर एक ऑन दी स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बाल कक्ष के सदस्यों सहित समाज के उपेक्षित वर्गों के बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाले तीन गैर-सरकारी संगठनों (एक) एसओएस चिल्ड्रेन विलेज ऑफ इंडिया; (दो) सलाम बालक ट्रस्ट एवं (तीन) मानव मिशन ट्रस्ट के 281 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के विषय थे—(एक) हमारी संसद; (दो) मतदान केंद्र का दृश्य; (तीन) गणतंत्र दिवस परेड; (चार) लाल किला पर स्वतंत्र दिवस समारोह; (पांच) स्वतंत्रता संग्राम; एवं (छह) जल संरक्षण।

बाल दिवस, 2011

14 नवम्बर, 2011 को बाल दिवस के अवसर पर एक रचनात्मक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कुल 200 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें तीन पंजीकृत गैर-सरकारी संस्थाओं के 91 बच्चे तथा बाल कक्ष के 109 सदस्य थे। 8 से 13 वर्ष की आयु वर्ग के लिए अनुमोदित विषय थे (एक) दीपावली; (दो) गणतंत्र दिवस; (तीन) मेरा प्रिय नेता; (चार) मेरे जीवन का एक यादगार दिन; (पांच) अच्छी आदतें और 14 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के लिए चयनित विषय थे: (एक) इंटरनेट का बच्चों पर प्रभाव; (दो) पर्यावरण संवेदनशीलता के प्रति मेरी अवधारणा; (तीन) भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति; (चार) मेरे लिए स्वतंत्रता का अर्थ; और (पांच) शिक्षा का अधिकार।

बाल कक्ष की पांचवीं वर्षगांठ

बाल कक्ष की पांचवीं वर्षगांठ 21 अगस्त, 2012 को मनायी गई। इसका स्मरण उत्सव मनाने के लिए इस अवसर पर एक रचनात्मक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता हेतु अनुमोदित विषय थे: (एक) संसद में युवा शक्ति; (दो) भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का जीवन परिचय; (तीन) पर्यावरण प्रदूषण; (चार) ग्रीष्म ओलम्पिक खेल, 2012। बाल कक्ष के सदस्यों तथा तीन पंजीकृत गैर-सरकारी संस्थाओं यथा (1) एसओएस चिल्ड्रन विलेज ऑफ इंडिया (2) सलाम बालक ट्रस्ट और (3) स्पर्श सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल आर्गनाइजेशन से आए बच्चों सहित कुल 174 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया।

बाल दिवस, 2012

बाल दिवस के स्मरण उत्सव पर बाल कक्ष ने 19 नवम्बर, 2012 को ऑन-दि-स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें 166 बच्चों [तीन पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों यथा (1) एसओएस चिल्ड्रन्स विलेजिस ऑफ इंडिया (2) दीपालय (3) मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट के 88 बच्चों और बाल कक्ष के 78 बच्चों] ने दो आयु वर्गों (अर्थात् 8-13 वर्ष और 14-17 वर्ष) के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता के विषय थे: (एक) भारत के प्रधानमंत्री का चित्र; (दो) राष्ट्रीय स्मारक; (तीन) भारत के पर्व; और (चार) राष्ट्रीय पशु अथवा पक्षी।

25 नवम्बर, 2012 को आयोजित ऑन-दि-स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता

बाल कक्ष द्वारा 25 नवम्बर, 2012 को एक ऑन-दि-स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें 188 बच्चों ने [तीन पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों यथा (1) दीपालय, (2) स्पर्श समाज कल्याण और चेरीटेबल संगठन (3) सलाम बालक ट्रस्ट के 101 बच्चों तथा बाल कक्ष के 86 सदस्यों] ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता हेतु एकमात्र विषय 'भारतीय संसद' था। इस प्रतियोगिता को प्रारंभ करने से पहले, सभी प्रतियोगियों को संसद में लोक सभा, राज्य सभा कक्ष तथा केन्द्रीय कक्ष दिखाया गया ताकि उन्हें इनके बारे में एक अंदाजा हो जाए और प्रतियोगिता में भाग लेने में मदद मिल सके।

बाल कक्ष की छठी वर्षगांठ

बाल कक्ष की छठी वर्षगांठ 21 अगस्त, 2013 को थी और इस अवसर पर एक रचनात्मक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के विषय थे: (क) भारत में संसदीय लोकतंत्र; (ख) भारतीय समाज में बाल श्रमिकों पर ध्यान केन्द्रित करना; (ग) राष्ट्रीय अखंडता की मुख्य विशेषताएं; और (घ) पर्यावरण का ह्रास प्राकृतिक आपदाओं का एक कारण। बाल कक्ष के सदस्यों और तीन पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों यथा अंक, चेतना और साक्षी के बच्चों सहित कुल 187 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया।

बाल दिवस, 2013 के अवसर पर आयोजित समारोह

बाल दिवस के अवसर पर बाल कक्ष द्वारा 19 नवम्बर, 2013 को एक कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बाल कक्ष के सदस्यों तथा तीन पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों यथा एसओएस चिल्ड्रन्स विलेजिस ऑफ इंडिया, स्पर्श और साक्षी के बच्चों सहित कुल 182 बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता हेतु अनुमोदित विषय थे पंचतंत्र/जातक कथाओं की कहानियां।

भाग दो

सांख्यिकीय विश्लेषण

1

लोक सभा का गठन और संरचना

निर्वाचन

भारत का संविधान संसद को देश के विधायी निकायों के लिए निर्वाचन कराने संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तद्नुसार, संसद ने वर्ष 1950 और वर्ष 1951 में दो प्रमुख कानून अधिनियमित किए थे। तत्पश्चात्, निर्वाचन कराने हेतु इन अधिनियमों के अंतर्गत सांविधिक नियम बनाए गए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में लोक सभा और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आबंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और इन निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की अर्हता तथा मतदाता सूचियां तैयार करने, आदि का प्रावधान है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संसद की दोनों सभाओं और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल का निर्वाचन कराने और उन सभाओं की सदस्यता हेतु अर्हताओं और निरर्हताओं एवं इन निर्वाचनों के दौरान अथवा निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों तथा इन निर्वाचनों के कारण अथवा इनसे संबंधित उठने वाली शंकाओं और विवादों पर निर्णय देने का प्रावधान है।

संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान है। अप्रैल-मई, 2009 के दौरान हुए पन्द्रहवीं लोक सभा के आम चुनावों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 84 और 47 सीटें आरक्षित की गई थीं।

विवरण-2 में पन्द्रहवीं लोक सभा के लिए हुए आम चुनावों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की राज्य-वार संख्या दर्शायी गई है।

वर्ष 1950 में संविधान लागू होने से लेकर मई, 2009 तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोक सभा के पन्द्रह आम चुनाव हुए। पहला आम चुनाव दिसम्बर 1951-फरवरी 1952; दूसरा फरवरी-मार्च, 1957; तीसरा फरवरी 1962; चौथा फरवरी 1967; पांचवां मार्च 1971; छठा मार्च 1977; सातवां दिसम्बर 1979-जनवरी 1980; आठवां दिसम्बर 1984; नौवां नवम्बर 1989; दसवां मई-जून, 1991; ग्यारहवां अप्रैल-मई 1996; बारहवां फरवरी-मार्च 1998; तेरहवां सितम्बर-अक्तूबर 1999 और चौदहवां अप्रैल-मई, 2004 में हुआ था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 की उपधारा (2) के अंतर्गत 23 और 28 मार्च, 2009 तथा 2, 11 और 17 अप्रैल, 2009 को जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसरण में पन्द्रहवीं लोक सभा की 543 सीटों के लिए आम चुनाव 16, 22, 23 और 30 अप्रैल तथा 7 और 13 मई, 2009 को हुए थे।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के अधिसूचना जारी करने के साथ ही 18 मई, 2009 को पन्द्रहवीं लोक सभा का गठन किया गया था। सभा की पहली बैठक 1 जून, 2009 को हुई थी। **विवरण-1** में पन्द्रहवें आम चुनावों का कार्यक्रम दर्शाया गया है।

राजनैतिक दल

पन्द्रहवें आम चुनावों में 7 राष्ट्रीय दलों, 34 राज्यस्तरीय दलों और 322 अन्य गैर-मान्यताप्राप्त किंतु पंजीकृत दलों के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इन चुनावों में 3831 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हुए।

विवरण-3 और 3 (क) में क्रमशः राष्ट्रीय दलों और राज्यस्तरीय दलों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

दलीय स्थिति

543 निर्वाचित सदस्यों के अलावा दो सदस्यों अर्थात् श्री चार्ल्स डिएस और श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड को संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 सितम्बर, 2009 को नाम-निर्देशित किया गया था। सभा में किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर आई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नम्बर था।

विवरण-4 में पन्द्रहवीं लोक सभा में 18 मई, 2009 की दल-वार स्थिति दर्शायी गई है।

सदस्यों द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान

पन्द्रहवीं लोक सभा के पहले सत्र के दौरान संविधान के अनुच्छेद 99 के अंतर्गत 540 सदस्यों ने शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया। इनमें से 234 ने हिन्दी में, 100 ने अंग्रेजी में, 40 ने तमिल में, 24 ने

बंगला में, 23 ने तेलुगू में, 23 ने मराठी में, 10 ने संस्कृत में, 26 ने कन्नड़ में, 12 ने उड़िया में, 5 ने मलयालम में, 13 ने पंजाबी में, 13 ने गुजराती में, 5 सदस्यों ने उर्दू में, 7 ने असमिया में, 2 सदस्यों ने डोगरी में और 2 सदस्यों ने मैथिली और 1 सदस्य ने मणिपुरी में शपथ ली।

विवरण-5 में सदस्यों द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान के लिए प्रयुक्त की गई भाषाओं को दर्शाया गया है।

उप-चुनाव

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान कुल 19 उप-चुनाव हुए थे। **विवरण-6** में इन उप-चुनावों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति तालिका

पन्द्रहवीं लोक सभा पहली बार 1 जून, 2009 को समवेत हुई। श्री माणिकराव होडल्या गावित, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 मई, 2009 को सामयिक अध्यक्ष (प्रो-टेम स्पीकर) नियुक्त किया गया था, ने 1 जून, 2009 से लेकर 3 जून, 2009 को अध्यक्ष का चुनाव होने तक लोक सभा की बैठकों की अध्यक्षता की और इस कार्य में उनकी सहायता सभापति तालिका के सदस्यों ने की जिनमें श्री बसुदेव आचार्य, श्री अर्जुन चरण सेठी, श्री बीरेन सिंह इंगती और श्रीमती सुमित्रा महाजन शामिल थे। श्रीमती मीरा कुमार को 3 जून, 2009 को सर्वसम्मति से पन्द्रहवीं लोक सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 8 जून, 2009 को श्री कड़िया मुंडा को सर्वसम्मति से पन्द्रहवीं लोक सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

विवरण-7 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति तालिका के सदस्यों के नामों तथा उनके कार्यकाल का ब्यौरा दिया गया है।

सदन का नेता

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने श्री प्रणब मुखर्जी को 29 मई, 2009 से सदन का नेता मनोनीत किया। चूंकि श्री प्रणब मुखर्जी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और उन्होंने 25 जुलाई, 2012 को पदभार संभाल लिया था इसलिए श्री सुशील कुमार शिंदे को 3 अगस्त, 2012 से सदन का नेता मनोनीत किया गया।

विपक्ष का नेता

सामयिक अध्यक्ष श्री माणिकराव होडल्या गावित ने लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को 22 मई, 2009 से लोक सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की और वे 21 दिसम्बर, 2009 तक इस पद पर रहे। श्रीमती सुषमा स्वराज को 21 दिसम्बर, 2009 से विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया।

पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों का सामाजिक-आर्थिक परिचय[1]

पन्द्रहवीं लोक सभा का प्रतिनिधित्व विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों द्वारा किया गया था। पन्द्रहवीं[2] लोक सभा के सदस्यों की औसत आयु 53.7 वर्ष थी जबकि चौदहवीं लोक सभा के सदस्य औसतन 52.17 वर्ष के थे। जहां तक व्यावसायिक पृष्ठभूमि का संबंध है, सदन में कृषकों (35.54 प्रतिशत) की बहुतायत थी, जिनके बाद राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता (27.07 प्रतिशत) और वकील (10.13 प्रतिशत) थे। चौदहवीं लोक सभा के संगत आंकड़े क्रमश: 41.88 प्रतिशत, 23.77 प्रतिशत और 12.26 प्रतिशत थे। पन्द्रहवीं लोक सभा में लगभग 48.62 प्रतिशत स्नातक और इसके समतुल्य तकनीकी योग्यता वाले 24.59 प्रतिशत स्नातकोत्तर और इसके समतुल्य तकनीकी योग्यता वाले सदस्य थे। ऐसे सदस्यों की प्रतिशतता 5.14 थी, जिन्होंने डॉक्टरेट अथवा ऐसी ही अन्य उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त की थी। पन्द्रहवीं लोक सभा में मैट्रिक से कम की शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों की प्रतिशतता 4.40 थी जबकि चौदहवीं लोक सभा में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट अथवा उच्च शैक्षिक योग्यता और मैट्रिक से कम की शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों की प्रतिशतता क्रमश: 50.46; 28.38; 3.33 और 2.78 थी।

पन्द्रहवीं लोक सभा में 60[3] महिला सदस्य थीं जोकि सदन की कुल सदस्यता का 11.01 प्रतिशत थीं, जबकि चौदहवीं लोक सभा में 46 महिला सदस्य थीं जो कुल सदस्यता का 8.48 प्रतिशत थीं।

पन्द्रहवीं लोक सभा के 545 सदस्यों में से 291 सदस्य सभा में नए थे जबकि शेष 184 सदस्य चौदहवीं लोक सभा से और 52 सदस्यों को राज्य सभा का अनुभव था। कुल 255 सदस्यों को केवल राज्य विधानमंडलों का पूर्व विधायी अनुभव था। पन्द्रहवीं लोक सभा में 37 राजनीतिक दलों/ग्रुपों का प्रतिनिधित्व था।

सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था

लोक सभा कक्ष की आकृति अर्द्ध-गोलाकार है। अध्यक्ष का आसन स्पष्ट रूप से गोलार्द्ध के दोनों छोरों को जोड़ने वाले व्यास के बीचों-बीच स्थापित किया गया है। कक्ष में अध्यक्ष के आसन के ठीक नीचे महासचिव पटल है।

इस कक्ष में 550 सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था है। सीटों को छह खंडों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक खंड में ग्यारह पंक्तियां हैं। अध्यक्षपीठ के दाहिनी ओर सत्ता पक्ष और बायीं ओर विपक्ष की सीटें हैं।

---

[1]प्रतिशत, जानकारी देने वाले कुल सदस्यों की संख्या पर आधारित है।

[2]18.5.2009 को पन्द्रहवीं लोक सभा का गठन होने की तारीख को जिसमें दो मनोनीत सदस्य तथा 7.11.2009 को हुए उप-चुनाव में निर्वाचित श्री राज बब्बर शामिल हैं।

[3]जनवरी, 2011 को सभा के गठन पर आधारित। इसके गठन की तारीख को, पन्द्रहवीं लोक सभा में 58 महिला सदस्य थीं।

विवरण 1

पन्द्रहवें आम चुनाव का कार्यक्रम

क्रम.सं.	कार्यक्रम	तारीख
1.	अधिसूचना जारी करने की तारीख	23.3.2009 28.3.2009 2.4.2009 11.4.2009 17.4.2009
2.	नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख	30.3.2009 4.4.2009 9.4.2009 18.4.2009 24.4.2009
3.	नामांकन पत्रों की जांच की तारीख	31.3.2009 6.4.2009 10.4.2009 11.4.2009 20.4.2009 25.4.2009
4.	नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	2.4.2009 8.4.2009 13.4.2009 15.4.2009 22.4.2009 27.4.2009 28.4.2009
5.	जिन तारीखों* को चुनाव कराया गया	16.4.2009 22.4.2009 23.4.2009 30.4.2009 7.5.2009 13.5.2009
6.	पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख	18.5.2009

* 22 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में एक ही दिन मतदान हुआ: 16.4.2009 को अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप; 23.4.2009 को गोवा; त्रिपुरा; 30.4.2009 को गुजरात, सिक्किम, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव; 07.05.2009 को हरियाणा, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली; 13.5.2009 को हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पुदुचेरी।

8 राज्यों में दो दिन मतदान हुआ, अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, ओडिशा (16.04.2009 और चंडीगढ़ 23.4.2009); पुदुचेरी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश (23.04.2009 और 30.04.2009); मणिपुर (16.04.2009 और 22.04.2009); पंजाब (7.05.2009 और 13.05.2009)।

2 राज्यों में तीन दिन मतदान हुआ अर्थात् महाराष्ट्र (16.04.2009, 23.04.2009 और 30.04.2009); पश्चिम बंगाल (30.04.2009, 07.05.2009 और 13.05.2009)।

1 राज्य अर्थात् बिहार में चार दिन मतदान हुआ। (16.04.2009, 23.04.2009, 30.04.2009 और 07.05.2009)।

2 राज्यों अर्थात् जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में पांच दिन मतदान हुआ। (16.4.2009, 23.04.2009, 30.04.2009, 7.5.2009 और 13.5.2009)।

विवरण 2

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें

क्रम.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	आम चुनाव-2009		
		कुल सीटें	अ.जा.	अ.ज.जा.
	1	2	3	4
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	42	7	3
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	0	0
3.	असम	14	1	2
4.	बिहार	40	6	0
5.	छत्तीसगढ़	11	1	4
6.	गोवा	2	0	0
7.	गुजरात	26	2	4
8.	हरियाणा	10	2	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4	1	0
10.	जम्मू और कश्मीर	6	0	0
11.	झारखंड	14	1	5
12.	कर्नाटक	28	5	2
13.	केरल	20	2	0
14.	मध्य प्रदेश	29	4	6
15.	महाराष्ट्र	48	5	4
16.	मणिपुर	2	0	1
17.	मेघालय	2	0	2
18.	मिजोरम	1	0	1
19.	नागालैंड	1	0	1
20.	ओडिशा	21	3	5
21.	पंजाब	13	4	0
22.	राजस्थान	25	4	3
23.	सिक्किम	1	0	0
24.	तमिलनाडु	39	7	0
25.	त्रिपुरा	2	0	1
26.	उत्तराखंड	5	1	0
27.	उत्तर प्रदेश	80	17	0

	1	2	3	4
28.	पश्चिम बंगाल	42	10	2
	संघ राज्यक्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0
2.	चंडीगढ़	1	0	0
3.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0
4.	दमन और दीव	1	0	0
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7	1	0
6.	लक्षद्वीप	1	0	1
7.	पुदुचेरी	1	0	0
	कुल योग	543	84	47

विवरण 3

लोक सभा का आम चुनाव 2009—राष्ट्रीय दलों और उनके चुनाव चिह्नों की सूची

क्रम.सं.	राष्ट्रीय दल	आरक्षित चिह्न
1.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
2.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
3.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	ज्वार की बाली और हंसिया
4.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	हथौड़ा, हंसिया और तारा
5.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	हाथ
6.	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	घड़ी
7.	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन

विवरण 3(क)

राज्य स्तरीय दलों और उनके चुनाव चिह्नों की सूची

क्रम.सं.	राज्यस्तरीय दल	आरक्षित चुनाव चिह्न	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिनमें मान्यताप्राप्त है
1	2	3	4
1.	अरूणाचल कांग्रेस	परस्पर काटते हुए दो दाव	अरूणाचल प्रदेश
2.	ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम	दो पत्तियां	तमिलनाडु, पुदुचेरी
3.	असम गण परिषद्	हाथी	असम
4.	ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक	शेर	पश्चिम बंगाल

1	2	3	4
5.	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस	फूल और घास	पश्चिम बंगाल, मेघालय
6.	असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	ताला और चाबी	असम
7.	बीजू जनता दल	शंख	ओडिशा
8.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम	उगता सूरज	तमिलनाडु, पुदुचेरी
9.	इंडियन नेशनल लोक दल	चश्मा	हरियाणा
10.	जनता दल (सेक्युलर)	सिर पर धान ले जाती महिला किसान	कर्नाटक, केरल
11.	जनता दल (यूनाइटेड)	तीर	बिहार, झारखंड
12.	जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस	हल	जम्मू और कश्मीर
13.	जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी	साइकिल	जम्मू और कश्मीर
14.	जम्मू एण्ड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	कलम दवात	जम्मू और कश्मीर
15.	झारखंड मुक्ति मोर्चा	तीर-कमान	झारखंड, ओडिशा
16.	केरल कांग्रेस	साइकिल	केरल
17.	केरल कांग्रेस (एम)	दो पत्तियां	केरल
18.	लोक जनशक्ति पार्टी	बंगला	बिहार
19.	महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी	शेर	गोवा
20.	मारूमलारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम	लट्टू	तमिलनाडु
21.	मणिपुर पीपल्स पार्टी	साइकिल	मणिपुर
22.	मुस्लिम लीग केरल राज्य समिति	सीढ़ी	केरल
23.	नागालैंड पीपल्स फ्रंट	मुर्गा	नागालैंड
24.	पट्टाली मक्काल काच्ची	आम	तमिलनाडु, पुदुचेरी
25.	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	फावड़ा और स्टोकर	पश्चिम बंगाल
26.	शिरोमणि अकाली दल	तराजू	पंजाब
27.	सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट	छाता	सिक्किम
28.	सेव गोवा फ्रंट	हवाई जहाज	गोवा
29.	शिवसेना	तीर-कमान	महाराष्ट्र
30.	समाजवादी पार्टी	साइकिल	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
31.	तेलुगू देशम	साइकिल	आंध्र प्रदेश
32.	तेलंगाना राष्ट्र समिति	कार	आंध्र प्रदेश
33.	यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी	ढोल	मेघालय
34.	उत्तराखंड क्रांति दल	कुर्सी	उत्तराखंड

विवरण 3(ख)

निर्वाचन आयोग में पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के नाम*

1. अखिल भारतीय अशोक सेना
2. अखिल भारतीय कांग्रेस दल (अम्बेडकर)
3. अखिल भारतीय देशभक्त मोर्चा
4. अखिल भारतीय हिन्द क्रांति पार्टी
5. अखिल भारतीय हिन्दू महासभा
6. अखिल भारतीय भारती जग पार्टी
7. अखिल भारतीय जनसंघ
8. अखिल भारतीय किसान मजदूर मोर्चा
9. अखिल भारतीय लोकतंत्र पार्टी
10. अखिल भारतीय मानवता पक्ष
11. अखिल भारतीय मानव सेवा दल
12. अखंड भारत महासंघ सर्वहारा क्रांतिकारी पार्टी
13. अम्बेडकरवादी पार्टी
14. अखिल भारतीय राजार्या सभा
15. अखिल भारतीय शिवसेना राष्ट्रवादी
16. अखिल भारतीय सिंधु समाजवादी पार्टी
17. ए-चिक नेशनल कांग्रेस (डेमोक्रेटिक)
18. अपना दल
19. अनंत इंडिया द्रविड़ समुदाय मुनेत्र कषगम
20. आदिवासी सेना पार्टी
21. ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी
22. अद्वैत ईशावास्यम कांग्रेस
23. ऑल इंडिया दलित वेलफेयर कांग्रेस
24. ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (सुभाषवादी)
25. अखिल इंडिया जननायक मक्कल काच्ची (डॉ. इसाक)
26. ऑल इंडिया माइनारिटीज फ्रंट
27. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन
28. ऑल इंडिया रक्षा पार्टी
29. अखिल इंडिया वल्लालार पेरावाई
30. अजेय भारत पार्टी
31. अल्पजन समाज पार्टी
32. एजेएसयू पार्टी
33. आमरा बंगाली
34. अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस
35. अवामी पार्टी
36. अम्बेडकर प्रगतिशील रिपब्लिकन पार्टी
37. अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी
38. अखिल राष्ट्रवादी पार्टी
39. ऑटोनोमस स्टेट डिमान्ड कमिटी
40. अम्बेडकर समाज पार्टी
41. आदर्शवादी दल
42. बुंदेलखंड एकीकृत पार्टी
43. भारिपा बहुजन महासंघ
44. भारतीय बैकवर्ड पार्टी
45. पिछड़ा वर्ग लोकतांत्रिक पार्टी, जे एंड के
46. भारतीय चैतन्य पार्टी
47. बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट
48. भारत दल
49. भारतीय देशभक्त पार्टी
50. भारतीय एकलव्य पार्टी
51. भारतीय ग्रामीण दल
52. भारतीय गांव ताज दल
53. भारतीय बहुजन पार्टी
54. भारतीय कांग्रेस (एम)
55. भारतीय जागरण पार्टी
56. भारतीय पिछड़ा दल
57. भारतीय पीपुल्स पार्टी
58. भारतीय सधर्म समस्तपन पार्टी
59. भारतीय जन बेरोजगार छात्र दल
60. भारतीय जय भीम पार्टी
61. भारतीय जनतांत्रिक जनता दल
62. भारतीय जन क्रांति दल (डेमोक्रेटिक)
63. वज्जिकांचल विकास पार्टी
64. भारतीय जन शक्ति
65. भारतीय जनतांत्रिक परिषद्
66. भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी

*पन्द्रहवें आम चुनाव, 2009 में भाग लिया।

67. भारतीय लोक कल्याण दल
68. भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी (गांधी, लोहियावादी)
69. भारतीय मोमिन पार्टी
70. बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा
71. भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ
72. भारतीय राष्ट्रीय जनता दल
73. भारतीय नागरिक पार्टी
74. वीर उड़िया पार्टी
75. बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट
76. भारतीय प्रगतिशील कांग्रेस
77. भारत पुनर्निर्माण दल
78. भारतीय प्रजा पक्ष
79. बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच
80. भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा
81. भारतीय राष्ट्रवादी पक्ष
82. भारतीय रिपब्लिकन पक्ष
83. बहुजन शक्ति
84. भारतीय सहयोग कांग्रेस
85. भारतीय समाज दल
86. भारतीय सर्वकल्याण क्रांति दल
87. भारतीय सर्वोदय क्रांति दल
88. भारतीय समाज कल्याण पार्टी भारत
89. भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी
90. बहुजन समाज पार्टी (अम्बेडकर फूले)
91. बहुजन संघर्ष पार्टी (कांशीराम)
92. भारतीय सुभाष सेना
93. भारतीय सद्भावना समाज पार्टी
94. भारतीय समता समाज पार्टी
95. भारत उदय मिशन
96. बहुजन उदय मंच
97. बहुजन विकास अघाड़ी
98. भारत विकास मोर्चा
99. बहुजन विकास मोर्चा
100. बुद्धिविवेकी विकास पार्टी
101. क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट
102. छत्तीसगढ़ विकास पार्टी
103. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी लिबरेशन)
104. छत्तीसगढ़ समाज पार्टी
105. देशभक्त पार्टी
106. डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी
107. डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी
108. डेमोक्रेटिक सेक्युलर पार्टी
109. दुग्गर प्रदेश पार्टी
110. देशीय मुरकोप्पु द्रविड़ कषगम
111. डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया
112. देशीय पथुकप्पु कषगम
113. एकलव्य समाज पार्टी
114. फेडरल कांग्रेस ऑफ इंडिया
115. गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
116. गोंडवाना मुक्ति सेना
117. ग्रेट इंडिया पार्टी
118. हिंद विकास पार्टी
119. हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल)
120. हिन्दुस्तान जनता पार्टी
121. हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी
122. इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी
123. इंडियन क्रिश्चियन सेक्युलर पार्टी
124. इंडियन जस्टिस पार्टी
125. इंडियन पीपुल्स फॉरवर्ड ब्लॉक
126. इंडियन पीस पार्टी
127. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
128. इंकलाब विकास दल
129. जगनमय नारी संगठन
130. जय भारत पार्टी
131. जय भारत समानता पार्टी
132. जय छत्तीसगढ़ पार्टी

133. जन चेतना पार्टी
134. झारखंड दिशोम पार्टी
135. जागो पार्टी
136. झारखंड जनाधिकार मंच
137. झारखंड जन मोर्चा
138. जन हितकारी पार्टी
139. जेबमणि जनता
140. जय जवान जय किसान मजदूर कांग्रेस
141. जम्मू एंड कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस
142. जन एकता दल
143. जवान किसान मोर्चा
144. झारखंड पार्टी
145. झारखंड पार्टी (नरेन)
146. झारखंड पीपुल्स पार्टी
147. जन मोर्चा
148. जनता पार्टी
149. जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस
150. जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट)
151. जनसत्ता पार्टी
152. जन सुराज्य शक्ति
153. जनता उदय पार्टी
154. झारखंड विकास दल
155. झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक)
156. कन्नड़ चालवाली वाटल पक्ष
157. कामराजार देशीया कांग्रेस
158. क्रांतिकारी जयहिन्द सेना
159. कांतिसेना महाराष्ट्र
160. कोंगुनाडु मुनेत्र कषगम
161. कोसल क्रांति दल
162. कलिंग सेना
163. क्रांतिकारी साम्यवादी पार्टी
164. कर्नाटक तमिझार मुनेत्र कषगम
165. कोसी विकास पार्टी
166. लोक भारती
167. लोक भलाई पार्टी
168. लोक दल
169. लोक जन विकास मोर्चा
170. लोकतांत्रिक जनता पार्टी (सेक्युलर)
171. लोक संग्राम
172. लोकतांत्रिक सरकार पार्टी
173. लोक मोर्चा
174. लोकप्रिय समाज पार्टी
175. लोक सत्ता पार्टी
176. लघुजन समाज विकास पार्टी
177. लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी
178. लोकतांत्रिक समता दल
179. लोक विकास पार्टी
180. मौलिक विकास पार्टी
181. मनिथानेया मक्कल काची
182. माना पार्टी
183. महिला अधिकार पार्टी
184. मूल भारती (एस) पार्टी
185. मातृ भक्त पार्टी
186. मोमिन कॉन्फ्रेंस
187. मार्क्सवादी कोआर्डिनेशन
188. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एसएस श्रीवास्तव)
189. महान दल
190. मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी
191. महागुजरात जनता पार्टी
192. मैदानी क्रांति दल
193. मजदूर किसान यूनियन पार्टी
194. मक्कल मनाडु काची
195. मानव मुक्ति मोर्चा
196. मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश
197. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
198. मोडरेट पार्टी

199. नवभारत निर्माण पार्टी
200. नेशनल डेवलपमेंट पार्टी
201. नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट
202. निलोपा (युनाइटेड)
203. नेशनल लोकहिंद पार्टी
204. नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी
205. नमधु मक्कल काची
206. नेशनल सेक्युलर पार्टी
207. नि:स्वार्थ सेवा पार्टी
208. नेशनल यूथ पार्टी
209. उड़ीसा मुक्ति मोर्चा
210. प्रजा भारत पार्टी
211. पीपुल्स डेमोक्रेटिक एलायंस
212. पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट
213. पीपुल्स डेमोक्रेटिक फोरम
214. पार्टी फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म
215. पीस पार्टी
216. पीपुल्स गार्जियन
217. पचाई कुडी मक्कल काची
218. पंजाब लेबर पार्टी
219. प्रगतिशील मानव समाज पार्टी
220. पुथिया निधि काची
221. पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल
222. पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (सेक्युलर)
223. पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया
224. प्रजा राज्यम् पार्टी
225. पूर्वांचल राज्य बनाओ दल
226. पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी
227. प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी
228. प्रोफेसनल्स पार्टी ऑफ इंडिया
229. प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी
230. पुथिया तमिलगाम
231. प्राउटिस्ट सर्व समाज
232. राष्ट्रीय अग्रणीय दल
233. राष्ट्रीय जनोत्थान पार्टी
234. राष्ट्रीय लोकवादी पार्टी
235. राष्ट्रवादी लेबर पार्टी
236. राष्ट्रीय सहारा पार्टी
237. राष्ट्रवादी आर्थिक स्वतंत्र दल
238. राष्ट्रीय जनहित पार्टी
239. राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी
240. राष्ट्र भक्त दल
241. राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी
242. रेवोल्यूशनरी कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रसिक भट्ट)
243. राज्याधिकार पार्टी
244. राष्ट्रीय देहात मोर्चा पार्टी
245. राजस्थान देव सेना दल
246. राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी
247. राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी
248. राष्ट्रीय जन जागरण मोर्चा
249. राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (क्रांतिकारी)
250. राष्ट्रीय जन सहाय दल
251. राजस्थान विकास पार्टी
252. राष्ट्रीय क्रांतिकारी जनता पार्टी
253. राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी
254. राष्ट्रीय लोक दल
255. राष्ट्रीय लोकहित पार्टी
256. राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी
257. राष्ट्रीय मंगलम पार्टी
258. राष्ट्रीय मछुआ समाज पार्टी
259. राष्ट्रीय नौजवान दल
260. राज्य नौजवान शक्ति पार्टी

261. रिपब्लिकन पक्ष (खोरिया)
262. राष्ट्रीय प्रजा कांग्रेस (सेक्युलर)
263. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
264. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)
265. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)
266. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोब्रागेड)
267. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी
268. राष्ट्रीय प्रगति पार्टी
269. रिपब्लिकन प्रेजिडियम पार्टी ऑफ इंडिया
270. राष्ट्रीय रक्षा दल
271. रायलसीमा राष्ट्र समिति
272. राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी
273. राष्ट्रीय समानता पार्टी
274. राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (सेक्युलर)
275. राष्ट्रीय समाज पक्ष
276. राष्ट्रीय सूर्य प्रकाश पार्टी
277. राष्ट्र सेवा दल
278. राष्ट्रीय क्रांति पार्टी
279. राष्ट्रवादी जनता पार्टी
280. राष्ट्रीय विकास पार्टी
281. राष्ट्रवादी सेना
282. राष्ट्रवादी समाज पार्टी
283. राष्ट्रीय युवा संघ
284. शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) (सिमरनजीत सिंह मान)
285. समृद्ध ओडिशा
286. समता पार्टी
287. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी
288. सिक्किम गोरखा प्रजातांत्रिक पार्टी
289. सिक्किम हिमाली राज्य परिषद् पार्टी
290. सिक्किम जन एकता पार्टी
291. समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय)
292. सामाजिक जनतांत्रिक पार्टी
293. सर्वोदय कर्नाटक पक्ष
294. सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया)
295. समस्त भारतीय पार्टी
296. शक्ति सेना (भारत देश)
297. शोषित समाज दल
298. स्वतंत्र भारत पक्ष
299. समाजतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया
300. सुन्दर समाज पार्टी
301. सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी
302. शिवराज्य पार्टी
303. सवर्ण समाज पार्टी
304. समाजवादी जन परिषद्
305. स्वाभिमानी पक्ष
306. स्वराज्य पार्टी ऑफ इंडिया
307. द हुमैनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
308. त्रिलिंगा प्रजा प्रगति पार्टी
309. यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
310. यूनाइटेड गांव डेमोक्रेटिक पार्टी
311. उलजयपली मक्कल काची
312. यूनाइटेड नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी
313. उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी
314. यूनाइटेड वूमैन फ्रंट
315. वंचित जमात पार्टी
316. विदुथलाई चिरुथैगल काची
317. विश्व हिंदुस्तानी संगठन
318. विकास पार्टी
319. विश्व विकास संघ
320. यूथ फॉर इक्वेलिटी
321. यूथ एंड स्टूडेंट्स पार्टी
322. युवा विकास पार्टी

निर्दलीय

323. निर्दलीय

विवरण 4

पन्द्रहवीं लोक सभा में राजनीतिक दलों की संख्या (18.05.2009 की स्थिति के अनुसार)

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	सीट	भाराकां	भाजपा	सपा	बसपा	जद (यू)	अ.भा. तृ.कां	द्रमुक	भाकपा (मा)	बीजद	शिव सेना	राकांपा	एआईए डीएमके	तेदेपा	रालोद	भाकपा	एसएडी	राजद	जेकेएनसी	जद (एस)	अभाफाबा
राज्य																					
आंध्र प्रदेश	42	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–
अरूणाचल प्रदेश	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
असम	14	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	40	2	12	–	–	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
छत्तीसगढ़	11	1	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गोवा	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात	26	11	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हरियाणा	10	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
झारखंड	14	1	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	28	6	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
केरल	20	13	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	29	12	16	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र	48	17	9	–	–	–	–	–	–	–	11	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मणिपुर	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मेघालय	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मिजोरम	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नागालैंड	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ओडिशा	21	6	–	–	–	–	–	–	–	14	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
पंजाब	13	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–
राजस्थान	25	20	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सिक्किम	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	39	8	–	–	–	–	–	18	1	–	–	–	9	–	–	1	–	–	–	–	–
त्रिपुरा	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	सीट	भाराकां	भाजपा	सपा	बसपा	जद (यू)	अ.भा. तृ.कां	द्रमुक	भाकपा (मा)	बीजद	शिव सेना	राकांपा	एआईए डीएमके	तेदेपा	रालोद	भाकपा	एसएडी	राजद	जेकेएनसी	जद (एस)	अभाफाबा
उत्तराखंड	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	80	21	10	23	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	42	6	1	–	–	–	19	–	9	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2
संघ शासित प्रदेश																					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चंडीगढ़	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दादरा और नगर हवेली	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दमन और दीव	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पुदुचेरी	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	543	206	116	23	21	20	19	18	16	14	11	9	9	6	5	4	4	4	3	3	2

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	झामुमो	एमएलके एससी	आरएसपी	टीआरएस	एआईएम ईआईएम	अगप	एयूडीएफ	बीवीए	बीवीएफ	एचजेसी (बीएल)	जेवीएम (पी)	केसी (एम)	एमडी एमके	एनपीएफ	एसडीएफ	एसपी*	वीसीके	आईएनडी	कुल	रिक्तियां
राज्य																				
आंध्र प्रदेश	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42	–
अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
असम	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–
बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	40	–
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–
गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	–
हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	–
झारखंड	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	14	–
कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	–
केरल	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	20	–

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	झामुमो	एमएलके एससी	आरएसपी	टीआरएस	एआईएम ईआईएम	अगप	एयूडीएफ	बीवीए	बीवीएफ	एचजेसी (बीएल)	जेवीएम (पी)	केसी (एम)	एमडी एमके	एनपीएफ	एसडीएफ	एसपी*	वीसीके	आईएनडी	कुल	रिक्तियां
मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29	–
महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	48	–
मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
ओडिशा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	–
पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–
राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	25	–
सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	39	–
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
उत्तराखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	80	–
पश्चिम बंगाल	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	42	–
संघ शासित प्रदेश																				
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
कुल	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	543	–

लोक सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के संबंध में प्रयोग होने वाले संक्षेपाक्षर

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (भाराकां); भारतीय जनता पार्टी (भाजपा); समाजवादी पार्टी (स.पा.); जनता दल (यूनाइटेड) [जद(यू)]; अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी); द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक); भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) भाकपा (मार्क्स); बीजू जनता दल (बीजेडी); शिव सेना; राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी); अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अ.भा.अ.द्र.मु.क.); तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा); राष्ट्रीय लोक दल (रालोद); भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई); शिरोमणि अकाली दल (शि.अ.द.); राष्ट्रीय जनता दल (रा.ज.द.); जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेएंडकेनेकां); जनता दल (एस); अखिल भारतीय फारवार्ड ब्लॉक (एआईएफबी); झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम); मुस्लिम लीग केरल राज्य समिति (एमएलकेएससी); रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी); तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस); अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमईआईएम); असम गण परिषद् (अ.ग.प.); असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (ए.यू.डी.एफ.); बहुजन विकास अधाड़ी (बीवीए); बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ); हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) [हजकां (बीएल)]; झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) [जेवीएम (पी)]; केरल कांग्रेस (एम) [केसी(एम)]; मरुमालारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एमडीएमके); नागालैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एनपीएफ); सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ); स्वाभिमानी पक्ष (एसपी*); विदुथलाई चिरुतैगल काच्ची (वीसीके) और निर्दलीय (नि.)।

विवरण 5

पन्द्रहवीं लोक सभा के प्रथम सत्र के दौरान शपथ लेने वाले अथवा प्रतिज्ञान करने वाले सदस्यों की संख्या का भाषा-वार ब्यौरा

भाषा	सदस्यों की संख्या
हिन्दी	234
अंग्रेजी	100
तमिल	40
कन्नड़	26
बंगला	24
तेलुगु	23
मराठी	23
गुजराती	13
पंजाबी	13
उड़िया	12
संस्कृत	10
असमी	7
मलयालम	5
उर्दू	5
डोगरी	2
मैथिली	2
मणिपुरी	1
कुल	540*

*श्री माणिकराव होडल्या गावित, सामयिक अध्यक्ष ने 1 जून, 2009 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के समक्ष हिंदी में शपथ ली। झारखंड के दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री शिबू सोरेन ने पहले सत्र के दौरान शपथ नहीं ली। श्री अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों कन्नौज और फिरोजाबाद से निर्वाचित हुए, ने फिरोजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से त्यागपत्र दे दिया।

विवरण 6

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान हुए उप-चुनाव

क्रम. सं.	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र और नाम	उप-चुनाव की तारीख	शपथ/प्रतिज्ञान तथा सभा में स्थान ग्रहण करने की तारीख	उप-चुनाव का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राज बब्बर	फिरोजाबाद/उत्तर प्रदेश	07.11.2009	19.11.2009	श्री अखिलेश यादव द्वारा 26.5.2009 को इस लोक सभा सीट से त्यागपत्र दिया जाना।

1	2	3	4	5	6
2.	श्रीमती पुतुल कुमारी	बांका/बिहार	01.11.2010	26.11.2010	श्री दिग्विजय सिंह का 24.6.2010 को निधन।
3.	श्री दिनेश कश्यप	बस्तर/छत्तीसगढ़	07.05.2011	02.08.2011	श्री बलीराम कश्यप का 10.03.2011 को निधन।
4.	श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी	कड़पा/आंध्र प्रदेश	08.05.2011	04.08.2011	श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी द्वारा 29.11.2010 को इस लोक सभा सीट से त्यागपत्र दिया जाना।
5.	श्री अजय कुमार	जमशेदपुर/झारखंड	01.07.2011	01.08.2011	श्री अर्जुन मुंडा द्वारा 26.2.2011 को इस लोक सभा सीट से त्यागपत्र दिया जाना।
6.	श्री कुलदीप बिश्नोई	हिसार/हरियाणा	13.10.2011	22.11.2011	श्री भजन लाल का 3.6.2011 को निधन।
7.	श्री सुब्रत बक्शी	कोलकाता दक्षिण/पश्चिम बंगाल	30.11.2011	21.12.2011	कु. ममता बनर्जी द्वारा 9.10.2011 को इस लोक सभा सीट से त्यागपत्र दिया जाना।
8.	श्री के. जयप्रकाश हेगड़े	उदुपी चिकमंगलूर/कर्नाटक	18.03.2012	27.03.2012	श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा द्वारा 29.12.2011 को इस लोक सभा सीट से त्यागपत्र दिया जाना।
9.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	नेल्लोर/आंध्र प्रदेश	12.06.2012	08.08.2012	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी द्वारा 28.2.2012 को इस लोक सभा सीट से त्यागपत्र दिया जाना।
10.	श्रीमती डिम्पल यादव	कन्नौज/उत्तर प्रदेश	24.06.2012	08.08.2012	श्री अखिलेश यादव द्वारा 2.5.2012 को इस लोक सभा सीट से त्यागपत्र दिया जाना।
11.	श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी साह	टिहरी गढ़वाल/उत्तराखंड	10.10.2012	22.11.2012	श्री विजय बहुगुणा द्वारा 23.7.2012 को इस लोक सभा सीट से त्यागपत्र दिया जाना।
12.	श्री अभिजीत मुखर्जी	जंगीपुर/पश्चिम बंगाल	10.10.2012	22.11.2012	श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 25.7.2012 को भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के पश्चात् वह लोक सभा के सदस्य नहीं रहे।
13.	श्री प्रभुनाथ सिंह	महाराजगंज/बिहार	02.06.2013	05.08.2013	श्री उमा शंकर सिंह का 24.1.2013 को निधन।
14.	श्री हरिभाई चौधरी	बनासकांठा/गुजरात	02.06.2013	05.08.2013	श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी का 1.3.2013 को निधन।
15.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	पोरबंदर/गुजरात	02.06.2013	05.08.2013	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया द्वारा 3.1.2013 को इस लोक सभा सीट से त्यागपत्र दिया जाना।
16.	श्रीमती प्रतिभा सिंह	मंडी/हिमाचल प्रदेश	23.06.2013	05.08.2013	श्री वीरभद्र सिंह द्वारा 1.1.2013 को इस लोक सभा सीट से त्यागपत्र दिया जाना।
17.	श्री प्रसून बनर्जी	हावड़ा/पश्चिम बंगाल	02.06.2013	05.08.2013	श्री अम्बिका बनर्जी का 25.4.2013 को निधन।

1	2	3	4	5	6
18.	श्री डी.के. सुरेश	बंगलौर ग्रामीण/कर्नाटक	21.08.2013	26.08.2013	श्री एस.डी. कुमारास्वामी द्वारा 21.5.2013 को इस लोक सभा सीट से त्यागपत्र दिया जाना।
19.	सुश्री रम्या दिव्य स्पंदना	मांड्या/कर्नाटक	21.08.2013	26.08.2013	श्री एन. चेलुवरया स्वामी का 21.5.2013 को निधन।

विवरण 7

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के नाम और सभापति तालिका

नाम	अवधि	
	से	तक
सामयिक अध्यक्ष		
श्री माणिकराव होडल्या गावित	01.06.2009	03.06.2009 को अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक
अध्यक्ष		
श्रीमती मीरा कुमार	03.06.2009	04.06.2014
उपाध्यक्ष		
श्री कड़िया मुंडा	08.06.2009	18.05.2014
सभापति तालिका		
श्री बसुदेव आचार्य*	01.06.2009	05.06.2009
श्री अर्जुन चरण सेठी*	01.06.2009	
श्री बीरेन सिंह इंगती*	01.06.2009	
श्रीमती सुमित्रा महाजन*	01.06.2009	
श्री बसुदेव आचार्य	05.06.2009	18.05.2014 तक
श्री पी.सी. चाको	05.06.2009	-वही-
श्रीमती सुमित्रा महाजन	05.06.2009	-वही-
श्री इन्दर सिंह नामधारी	05.06.2009	-वही-
श्री फ्रांसिस्को सारदीना	05.06.2009	-वही-
श्री अर्जुन चरण सेठी	05.06.2009	-वही-
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	05.06.2009	-वही-
डॉ. एम. तम्बिदुरई	05.06.2009	-वही-
श्री बेनी प्रसाद वर्मा	05.06.2009	19.01.2011#
डॉ. (कुमारी) गिरिजा व्यास	05.06.2009	17.06.2013¥
श्री सतपाल महाराज	01.03.2011	18.05.2014 तक
श्री जगदम्बिका पाल	18.07.2013	-वही-

* भारत के राष्ट्रपति ने 29 मई, 2009 को संविधान के अनुच्छेद 99 के अंतर्गत नियुक्त किया जिसके समक्ष सदस्य शपथ ले सकें अथवा प्रतिज्ञान कर सकें।

\# इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में शपथ लेने के पश्चात् 19.1.2011 से सभापति तालिका के सदस्य नहीं रहे।

¥ केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री के रूप में शपथ लेने के पश्चात् 17.6.2013 से सभापति तालिका के सदस्य नहीं रहे।

2

लोक सभा की बैठकों की संख्या और अवधि

संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है। हमारी संसद में राष्ट्रपति और दो सदन—राज्य सभा (काउंसिल ऑफ स्टेट्स) और लोक सभा (हाउस ऑफ पीपुल) शामिल हैं। राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन की बैठक बुलाने, उसका अवसान करने और लोक सभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान में प्रावधान है कि यदि लोक सभा समय से पूर्व भंग नहीं होती है, तो यह पहली बैठक की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक चलेगी। तथापि, राष्ट्रीय आपातकाल की संभाव्यता में संसद विधि द्वारा एक बार में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए लोक सभा की अवधि बढ़ा सकती है परंतु आपातकाल समाप्त होने के पश्चात् यह अवधि छह माह से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती।

सत्र

प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् आरंभ होने वाले लोक सभा के पहले सत्र से अन्य सत्रों की क्रमानुसार गणना की जाती है। सामान्यत: एक वर्ष में लोक सभा के तीन सत्र यथा बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र आयोजित किए जाते हैं। बजट सत्र तीनों सत्रों में सबसे महत्वपूर्ण और लम्बा सत्र है जो अक्सर फरवरी के तीसरे सप्ताह में किसी भी समय आरंभ होता है और मई के मध्य तक समाप्त होता है। मानसून सत्र, सामान्यत: जुलाई के मध्य में आरंभ होता है और अगस्त के तीसरे सप्ताह तक चलता है। शीतकालीन सत्र नवम्बर के मध्य से आरंभ होता है और दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में समाप्त होता है।

अवधि और बैठकें

प्रत्येक लोक सभा अपने क्रमांक से जानी जाती है। दिनांक 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद तथा संविधान के अंतर्गत 25 अक्तूबर, 1951 से 21 फरवरी, 1952 तक हुए पहले आम चुनावों के पश्चात् पहली निर्वाचित संसद 17 अप्रैल, 1952 को गठित हुई थी। पहली लोक सभा की प्रथम बैठक 13 मई, 1952 को हुई और उसे पांच वर्ष की सामान्य अवधि से अड़तीस दिन पूर्व 4 अप्रैल, 1957 को राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया गया। दूसरी लोक सभा, जिसकी पहली बैठक 10 मई, 1957 को हुई, 31 मार्च, 1962 को अपने कार्यकाल की समाप्ति से 40 दिन पूर्व भंग कर दी गई। तीसरी लोक सभा, जिसकी पहली बैठक 16 अप्रैल, 1962 को हुई, 3 मार्च, 1967 को, अपने कार्यकाल की समाप्ति से चवालीस दिन पूर्व भंग कर दी गई। चौथी लोक सभा की पहली बैठक 16 मार्च, 1967 को हुई और 27 दिसम्बर, 1970 को अपने कार्यकाल की समाप्ति से एक वर्ष और 79 दिन पूर्व भंग कर दी गई। पांचवीं लोक सभा की पहली बैठक 19 मार्च, 1971 को हुई। पांचवीं लोक सभा का कार्यकाल, जो 18 मार्च, 1976 को पूरा होना था, उसे लोक सभा (कालावधि विस्तारण) अधिनियम, 1976 के द्वारा एक वर्ष अर्थात् 18 मार्च, 1977 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तथापि, सभा को 5 वर्ष, 10 महीने और 6 दिन तक कार्य करने के बाद 18 जनवरी, 1977 को भंग कर दिया गया। छठे आम चुनावों के बाद छठी लोक सभा की पहली बैठक 5 मार्च, 1977 को हुई। संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत लोक सभा की सामान्य अवधि पुन: 5 वर्ष कर दी गई। किन्तु 2 वर्ष, 4 मास और 28 दिन के बाद यह सभा 22 अगस्त, 1979 को भंग कर दी गई। सातवीं लोक सभा की पहली बैठक 21 जनवरी, 1980 को हुई। 4 वर्ष, 11 महीने और 10 दिन की अवधि के बाद यह सभा 31 दिसम्बर, 1984 को भंग कर दी गई। आठवीं लोक सभा की पहली बैठक 15 जनवरी, 1985 को हुई। आठवीं लोक सभा का कार्यकाल 14 जनवरी, 1990 को समाप्त होना था, तथापि यह 4 वर्ष, 10 महीने और 16 दिन की अवधि के बाद 27 नवम्बर, 1989 को भंग कर दी गई। नौंवी लोक सभा की पहली बैठक 18 दिसम्बर, 1989 को हुई। 1 वर्ष, 2 महीने और 26 दिन अस्तित्व में रहने के बाद, यह सभा 13 मार्च, 1991 को भंग कर दी गई। दसवीं लोक सभा का गठन 20 जून, 1991 को हुआ और सभा की पहली बैठक 9 जुलाई, 1991 को हुई। यह सभा 4 वर्ष, 10 माह और 3 दिन अस्तित्व में रहने के बाद 10 मई, 1996 को भंग कर दी गई। ग्यारहवीं लोक सभा का गठन 15 मई, 1996 को हुआ और इसकी पहली बैठक 22 मई, 1996 को हुई। यह सभा 1 वर्ष, 6 माह और 9 दिन तक अस्तित्व में रहने के बाद 4 दिसम्बर, 1997 को भंग कर दी गई। बारहवीं लोक सभा का गठन 10 मार्च, 1998 को हुआ और इसकी पहली बैठक 23 मार्च, 1998 को हुई। यह सभा मात्र 1 वर्ष, 1 माह और 5 दिन अस्तित्व में रहने के बाद 26 अप्रैल, 1999 को भंग कर दी गई। तेरहवीं लोक सभा का गठन 10 अक्तूबर, 1999 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 20 अक्तूबर, 1999 को हुई। सभा का कार्यकाल 19 अक्तूबर, 2004 को समाप्त होना था, किन्तु इसे 6 फरवरी, 2004 को अर्थात् कार्यकाल की समाप्ति से 8 महीने और 12 दिन पहले ही भंग कर दिया गया। चौदहवीं लोक सभा का गठन 17 मई, 2004 को हुआ था और सभा की पहली बैठक 2 जून, 2004 को हुई। सभा 4 वर्ष, 11 माह और 10 दिन अस्तित्व में रहने के बाद 18 मई, 2009 को भंग कर दी गई।

पन्द्रहवीं लोक सभा का गठन 18 मई, 2009 को हुआ और सभा की पहली बैठक 1.6.2009 को हुई। यह सभा 5 वर्ष और 1 दिन अस्तित्व में रहने के बाद 18 मई, 2014 को भंग कर दी गई। **विवरण-10** में पन्द्रहवीं लोक सभा के सत्र आरंभ होने तथा समाप्त होने की तारीखें दर्शायी गयी हैं।

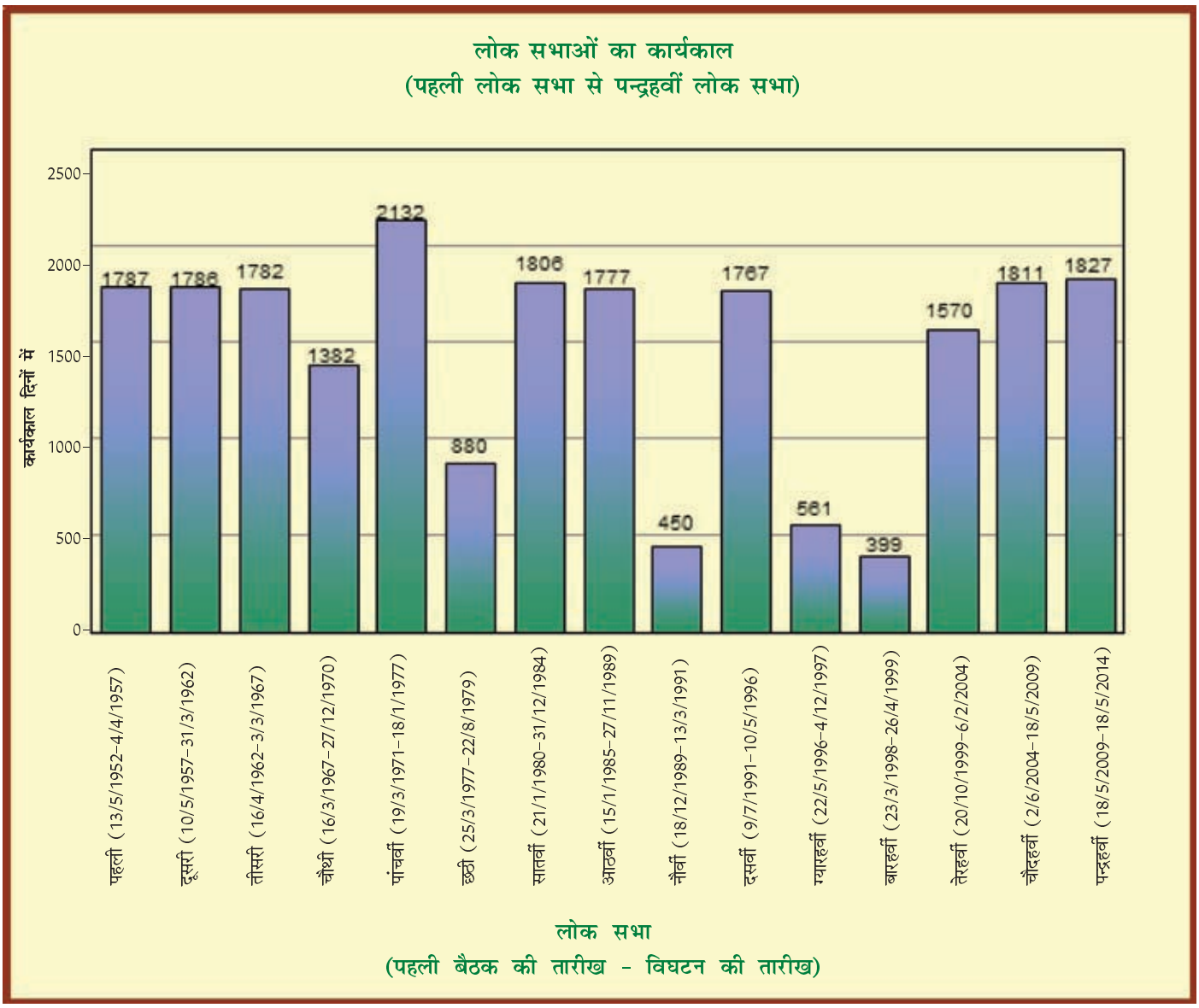

अपने कार्यकाल के दौरान पन्द्रहवीं लोक सभा ने 15 सत्रों में हुई 357 बैठकों में (13 मई, 2012 को संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित विशेष बैठक सहित) किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए 1344 घंटे और 37 मिनट का समय लिया। इसकी तुलना में चौदहवीं लोक सभा ने 15 सत्रों के दौरान 332 बैठकों में 1736 घंटे और 55 मिनट का समय लिया, तेरहवीं लोक सभा ने 14 सत्रों के दौरान 356 बैठकों में 1945 घंटे और 39 मिनट का समय लिया, बारहवीं लोक सभा ने 4 सत्रों के दौरान 88 बैठकों में 574 घंटे और 55 मिनट का समय लिया, ग्यारहवीं लोक सभा ने 6 सत्रों के दौरान 125 बैठकों में 813 घंटे और 38 मिनट, दसवीं लोक सभा ने 16 सत्रों के दौरान 423 बैठकों में 2527 घंटे और 52 मिनट, नौवीं लोक सभा ने 7 सत्रों के दौरान 109 बैठकों में 754 घंटे, आठवीं लोक सभा ने 14 सत्रों के दौरान 485 बैठकों में 3223 घंटे और 52 मिनट तथा सातवीं लोक सभा ने 15 सत्रों के दौरान 464 बैठकों में 3324 घंटे और 1 मिनट का समय लिया। छठी लोक सभा ने 9 सत्रों के दौरान 267 बैठकों में लगभग 1753 घंटे, पांचवीं लोक सभा ने 18 सत्रों के दौरान 613 बैठकों में लगभग 4071 घंटे, चौथी लोक सभा ने 12 सत्रों के दौरान 467 बैठकों में लगभग 3029 घंटे, तीसरी लोक सभा ने 16 सत्रों के दौरान 578 बैठकों में लगभग 3733 घंटे, दूसरी लोक सभा ने 16 सत्रों के दौरान 567 बैठकों में लगभग 3651 घंटे तथा पहली लोक सभा ने 14 सत्रों के दौरान 677 बैठकों में लगभग 3784 घंटे का समय लिया।

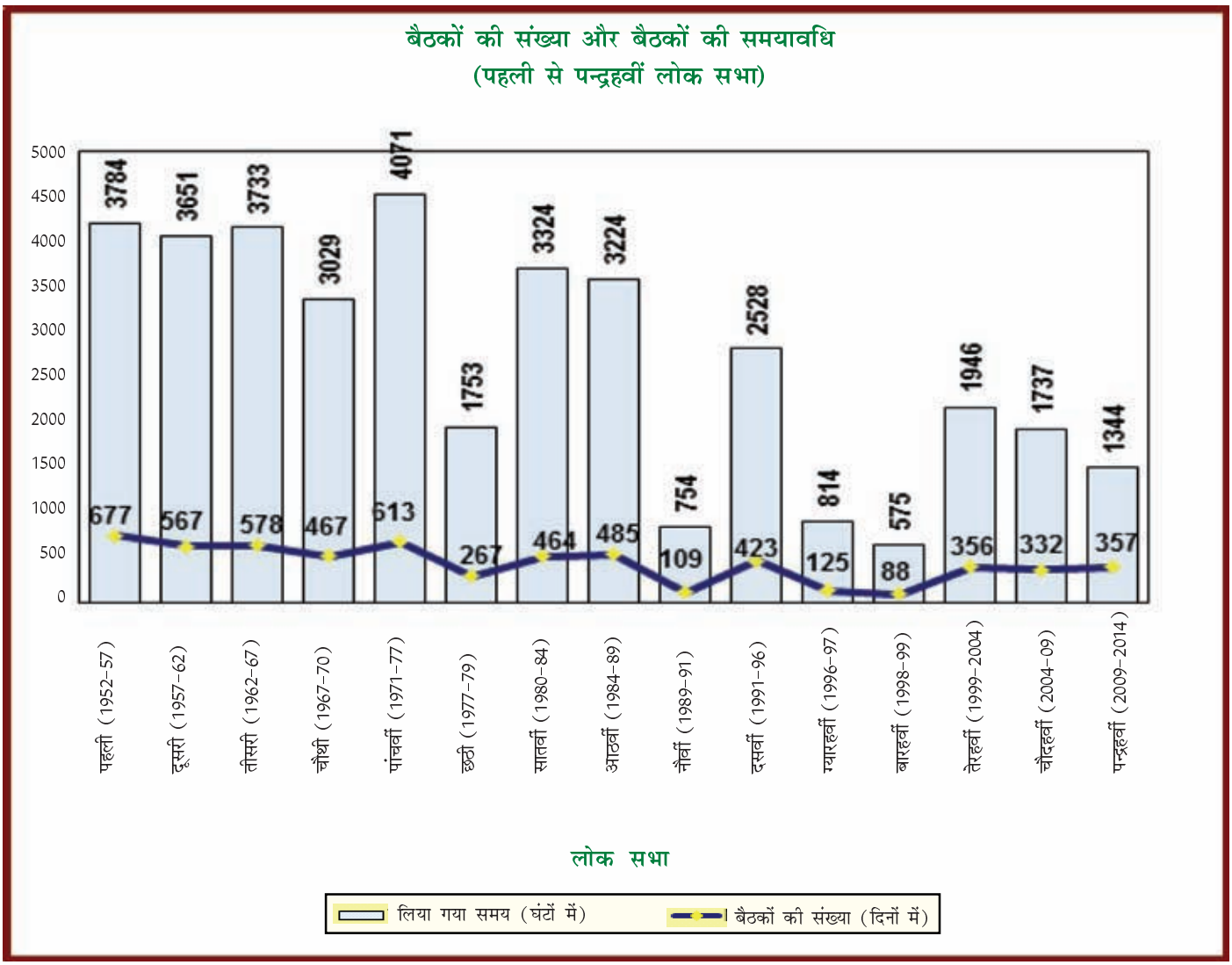

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान बैठकों की औसत अवधि 3 घंटे 45 मिनट रही जबकि इसकी तुलना में चौदहवीं लोक सभा के दौरान बैठकों की औसत अवधि 5 घंटे 15 मिनट रही, तेरहवीं लोक सभा के दौरान बैठकों की औसत अवधि 5 घंटे 46 मिनट रही, बारहवीं लोक सभा के दौरान बैठकों की औसत अवधि 6 घंटे 32 मिनट, ग्यारहवीं लोक सभा में 6 घंटे 30 मिनट, दसवीं में 5 घंटे 58 मिनट, नौवीं में 6 घंटें 55 मिनट, आठवीं में 6 घंटे 39 मिनट, सातवीं में 7 घंटे 10 मिनट, छठी में 6 घंटे 34 मिनट, पांचवीं में 6 घंटे 38 मिनट, चौथी में 6 घंटे 29 मिनट, तीसरी में 6 घंटे 27 मिनट, दूसरी में 6 घंटे 26 मिनट और पहली में 5 घंटे 35 मिनट थी।

विवरण-11 में वर्ष 1929 से आगे सभा की बैठकों की संख्या तथा अवधि को दर्शाया गया है।

विभिन्न प्रकार के कार्यों में लिया गया समय

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, सभा द्वारा लिया गया कुल समय 1344 घंटे तथा 37 मिनट था जिनमें से विधायी कार्य (सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक) में 318 घंटे और 35 मिनट अर्थात् 23.79 प्रतिशत समय लिया गया, जबकि इसकी तुलना में चौदहवीं लोक सभा के दौरान, सभा द्वारा लिया गया कुल समय 1736 घंटे तथा 55 मिनट था जिनमें से विधायी कार्य (सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक) में 375 घंटे और 40 मिनट अर्थात् 21.63 प्रतिशत समय लिया गया, तेरहवीं लोक सभा में 493 घंटे और 79 मिनट अर्थात् 25.3 प्रतिशत, बारहवीं लोक सभा में 95 घंटे 25 मिनट अर्थात् 16.6 प्रतिशत, ग्यारहवीं लोक सभा में 128 घंटे 15 मिनट अर्थात् 15.66 प्रतिशत, दसवीं लोक सभा में 560 घंटे 03 मिनट अर्थात् 22.16 प्रतिशत, नौवीं में 122 घंटे 37 मिनट अर्थात् 16.23 प्रतिशत, आठवीं में 806 घंटे तथा 59 मिनट अर्थात् 25 प्रतिशत, सातवीं में 797 घंटे और 48 मिनट अर्थात् 23.99 प्रतिशत, छठी में 412 घंटे 28 मिनट अर्थात् 23.51 प्रतिशत, पांचवीं में 1121 घंटे 52 मिनट अर्थात् 27.55 प्रतिशत, चौथी में 668 घंटे तथा 02 मिनट अर्थात् 22.08 प्रतिशत, तीसरी में 867 घंटे तथा 58 मिनट अर्थात् 23 प्रतिशत, दूसरी में 1031 घंटे और 58 मिनट अर्थात् 28.20 प्रतिशत तथा पहली लोक सभा में 1844 घंटे तथा 02 मिनट अर्थात् 48.8 प्रतिशत समय लिया गया था।

पन्द्रहवीं लोक सभा में बजट पर चर्चा में लिया गया समय कुल समय का 276 घंटे 14 मिनट अर्थात् 20.63 प्रतिशत था जबकि चौदहवीं लोक सभा में बजट पर चर्चा में लिया गया समय कुल समय का 352 घंटे 52 मिनट अर्थात् 20.32 प्रतिशत था; तेरहवीं लोक सभा में बजट पर चर्चा में लिया गया समय कुल समय का 212 घंटे 55 मिनट अर्थात् 10.9 प्रतिशत था; बारहवीं लोक सभा में लिया गया समय कुल समय का 82 घंटे 26 मिनट अर्थात् 14.68 प्रतिशत; ग्यारहवीं लोक सभा में 17.60 प्रतिशत; दसवीं में 17.38 प्रतिशत; नौवीं में 16 प्रतिशत; आठवीं में 21.74 प्रतिशत; सातवीं में 20.84; छठी में 23.26 प्रतिशत; पांचवीं में 21.64 प्रतिशत; चौथी में 19.13 प्रतिशत, तीसरी में 25 प्रतिशत, दूसरी में 20.9 प्रतिशत तथा पहली लोक सभा में 18.50 प्रतिशत था।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान प्रश्नों पर लिया गया समय 121 घंटे 17 मिनट या कुल समय का 9.05 प्रतिशत था जबकि चौदहवीं लोक सभा के दौरान 198 घंटे 22 मिनट या कुल समय का 11.42 प्रतिशत था; तेरहवीं लोक सभा में 228 घंटे 23 मिनट या कुल समय का 11.7 प्रतिशत था; बारहवीं लोक सभा में 8.96 प्रतिशत; ग्यारहवीं लोक सभा में 9.58 प्रतिशत था; दसवीं में 11.80 प्रतिशत; नौवीं में 10.14 प्रतिशत; आठवीं में 12.80 प्रतिशत; सातवीं में 12.20 प्रतिशत; छठी में 13.70 प्रतिशत; पांचवीं में 12.61 प्रतिशत; चौथी में 15.94 प्रतिशत; तीसरी तथा दूसरी में प्रत्येक में 15 प्रतिशत तथा पहली लोक सभा में 14.60 प्रतिशत था।

पन्द्रहवीं लोक सभा में संकल्पों पर लिया गया समय 34 घंटे 56 मिनट अर्थात् कुल समय का 2.61 प्रतिशत था जबकि चौदहवीं लोक सभा में 55 घंटे 16 मिनट अर्थात् कुल समय का 3.18 प्रतिशत था; तेरहवीं लोक सभा में 71 घंटे 38 मिनट अर्थात् कुल समय का 3.7 प्रतिशत था; बारहवीं लोक सभा में 4.45 प्रतिशत; ग्यारहवीं लोक सभा में 4.59 प्रतिशत; दसवीं में 6.23 प्रतिशत; नौवीं में 5.77 प्रतिशत; आठवीं में 5.47 प्रतिशत; सातवीं में 3.96 प्रतिशत; छठी में 3.72 प्रतिशत तथा पांचवीं में 12.61 प्रतिशत था। यह चौथी में 6.45 प्रतिशत; तीसरी में 5.90 प्रतिशत तथा दूसरी में 5.50 प्रतिशत था। पहली लोक सभा ने अपने कुल समय का 6.30 प्रतिशत संकल्पों में लगाया।

पन्द्रहवीं लोक सभा में प्रस्तावों पर लिया गया समय 42 घंटे अर्थात् कुल समय का 3.14 प्रतिशत था जबकि चौदहवीं लोक सभा में प्रस्तावों पर लिया गया समय 46 घंटे और 19 मिनट अर्थात् कुल समय का 2.67 प्रतिशत था; तेरहवीं लोक सभा में 3.9 प्रतिशत; बारहवीं लोक सभा में 10.45 प्रतिशत; ग्यारहवीं लोक सभा में 17.33 प्रतिशत; दसवीं में 6.33 प्रतिशत; नौवीं में 4.34 प्रतिशत; आठवीं में 3.66 प्रतिशत; सातवीं में 6.35 प्रतिशत; छठी में 10.70 प्रतिशत; पांचवीं में 6.55 प्रतिशत; चौथी में 9.22 प्रतिशत; तीसरी में 13.20 प्रतिशत; दूसरी में 13.70 प्रतिशत तथा पहली लोक सभा में 7.10 प्रतिशत था। शेष समय ध्यानाकर्षण

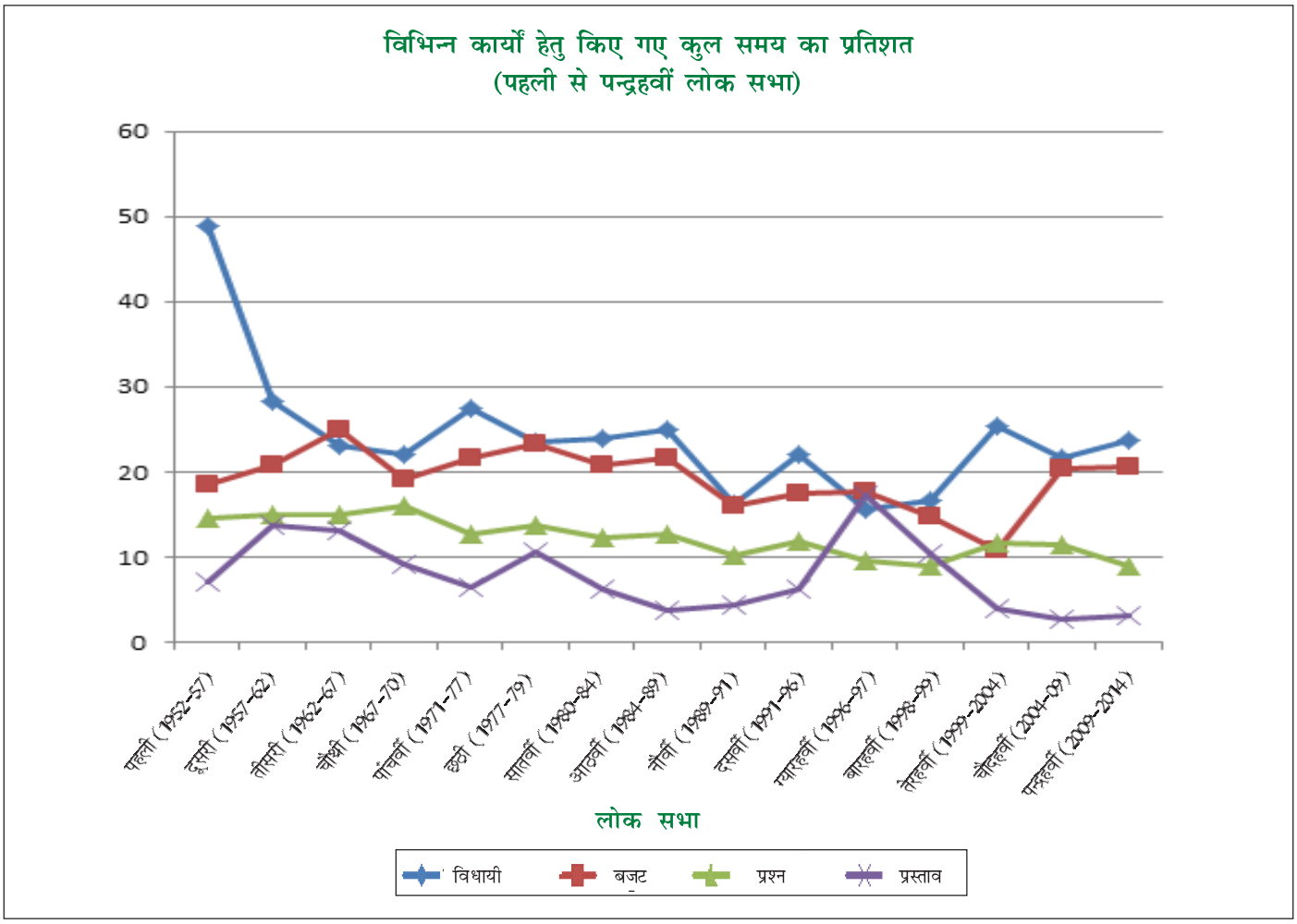

सूचनाओं, नियम 55 तथा 193 के अंतर्गत चर्चा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य, व्यवस्था के प्रश्न पर तथा अन्य प्रकीर्ण मदों में लिया गया, जैसाकि **विवरण-12** में दिया गया है।

विवरण-13 में कालक्रमानुसार, पन्द्रहवीं लोक सभा द्वारा निबटाए गए महत्वपूर्ण कार्य तथा इस अवधि के दौरान हुई संसदीय दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया गया है।

विवरण-10

पन्द्रहवीं लोक सभा के सत्रों के आरंभ होने तथा समाप्त होने की तारीखें

सत्र	आरंभ होने की तारीख	समाप्त होने की तारीख	दिनों की कुल संख्या जिनमें बैठक हुई (सत्र-वार)	वर्ष के दौरान उन दिनों की कुल संख्या जिनमें बैठकें चलीं
		2009		
पहला	01.06.2009	09.06.2009	7	
दूसरा	02.07.2009	07.08.2009	26	54
तीसरा	19.11.2009	18.12.2009	21	
		2010		
चौथा	22.02.2010	07.05.2010	32	
पांचवां	26.07.2010	31.08.2010	26	81
छठा	09.11.2010	13.12.2010	23	
		2011		
सातवां	21.02.2011	25.03.2011	23	
आठवां	01.08.2011	08.09.2011	26	73
नौवां	22.11.2011	29.12.2011	24	
		2012		
दसवां	12.03.2012	22.05.2012	35	
ग्यारहवां	08.08.2012	07.09.2012	19	74
बारहवां	22.11.2012	20.12.2012	20	
		2013		
तेरहवां	21.02.2013	08.05.2013	32	
चौदहवां	05.08.2013	06.09. 2013	21	63
पन्द्रहवां भाग-एक	05.12.2013	18.12.2013	10	
		2014		
भाग-दो	05.02.2014	21.02.2014	12	12

विवरण-11

लोक सभा की बैठकों की संख्या और अवधि*
(एक तुलनात्मक विवरण)

वर्ष	बैठकों की संख्या	बैठकों की अवधि (लगभग घंटों में)
1	2	3
1929	62	295
1930	55	261
1931	83	394
1932	68	396
1933	109	510
1934	89	423
1935	66	206
1936	86	409
1937	78	468
1938	99	468
1939	59	280
1940	52	247
1941	46	219
1942	41	194
1943	67	319
1944	52	247
1945	41	194
1946	75	356
1947	68	323
1948	74	352
1949	79	362
1950	99	496
1951	150	987
1952	123	880

*ये आंकड़े 13 मई, 1952 के पश्चात् लोक सभा से संबंधित हैं। पूर्व के वर्षों के संबंध में, इनका संबंध या तो केन्द्रीय विधान सभा (28 जनवरी, 1929 से 3 फरवरी, 1947 तक) अथवा संविधान सभा (विधायी) (17 नवम्बर, 1947 से 28 नवम्बर, 1949 तक) और अस्थायी संसद (28 जनवरी, 1950 से 5 फरवरी, 1952 तक) से है।

1	2	3
1953	137	749
1954	137	716
1955	139	859
1956	151	1,026
1957	106	668
1958	125	781
1959	123	792
1960	121	798
1961	102	668
1962	116	730
1963	122	787
1964	122	753
1965	113	730
1966	119	810
1967	110	699
1968	120	801
1969	120	747
1970	119	782
1971	102	616
1972	111	700
1973	120	814
1974	119	853
1975	63	442
1976	98	645
1977	86	568
1978	115	768
1979	66	417
1980	98	679
1981	105	721
1982	92	640
1983	93	709

1	2	3
1984	77	575
1985	109	729
1986	98	693
1987	102	646
1988	102	677
1989	83	546
1990	81	584
1991	90	592
1992	98	575
1993	89	570
1994	77	445
1995	78	403
1996	71	394
1997	65	447
1998	64	438
1999	51	305
2000	85	467
2001	81	363
2002	84	470
2003	74	449
2004	53	238
2005	85	490
2006	77	437
2007	66	283
2008	46	258
2009	64	355
2010	81	281
2011	73	305
2012	74	273
2013	63	172
2014[#]	12	15

[#]पन्द्रहवीं लोक सभा के पंद्रहवें सत्र तक।

विवरण-12

पन्द्रहवीं लोक सभा द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों में लिया गया समय

क्रम सं.	कार्य का स्वरूप	लिया गया समय		कुल समय का प्रतिशत
		घंटे	मिनट	
1.	**विधायी**	318	35	23.79
2.	**बजट** (सामान्य, रेल और राष्ट्रपति के अधीन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों संबंधी बजट)	276	14	20.63
3.	**प्रश्न** (तारांकित, अतारांकित, अल्पकालिक)	121	17	9.05
4.	**प्रस्ताव** (स्थगन प्रस्ताव, नियम 191 और 342 के तहत प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव)	42	00	3.14
5.	**संकल्प** (सरकारी, सांविधिक और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प)	34	56	2.61
6.	**चर्चाएं** [आधे घंटे की चर्चाएं (नियम 55 के अधीन) और अल्पकालिक चर्चाएं (नियम 193 के अधीन)]	179	49	13.43
7.	**अन्य मामले** (ध्यानाकर्षण, राष्ट्रपति के अभिभाषण, वाद-विवाद, मंत्रियों के वक्तव्य, प्रश्न काल के बाद उठाए गए अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले, आदि)	366	11	27.35
	कुल	1339	02	100

विवरण-13

महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रमानुसार ब्यौरा

2009

18 मई, 2009 — 15वीं लोक सभा का गठन हुआ।

29 मई, 2009 — **राष्ट्रपति द्वारा श्री माणिक राव होडल्या गावित को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया।**

01 जून, 2009 — **सदन की पहली बैठक हुई।**

03 जून, 2009 — **श्रीमती मीरा कुमार को पन्द्रहवीं लोक सभा के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुना गया।**

04 जून, 2009 — राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में एकत्रित हुए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया।

05 जून, 2009 — डॉ. गिरिजा व्यास ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया। श्री पी.सी. चाको ने इसका समर्थन किया।

08 जून, 2009	**श्री कड़िया मुंडा को 15वीं लोक सभा का उपाध्यक्ष चुना गया।**
09 जून, 2009	**सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।**
02 जुलाई, 2009	**15वीं लोक सभा का दूसरा सत्र आरंभ हुआ।**
03 जुलाई, 2009	रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी ने वर्ष 2009-10 के लिए रेल बजट प्रस्तुत किया।
06 जुलाई, 2009	वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-10 के लिए सामान्य बजट प्रस्तुत किया।
08 जुलाई, 2009	वित्त राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा ने वर्ष 2009-10 के लिए बजट (झारखंड) प्रस्तुत किया।
09 जुलाई, 2009	रेल मंत्री ने वर्ष 2009-10 के बजट (रेल) पर 7, 8, 9 जुलाई, 2009 को हुई चर्चा का उत्तर दिया। रेलवे बजट 2009-10 के संबंध में अनुदानों की मांगें पूर्णत: स्वीकृत हुईं।
14 जुलाई, 2009	वित्त मंत्री ने 9, 10, 13 और 14 जुलाई, 2009 को वर्ष 2009-10 के बजट (सामान्य) पर हुई चर्चा का उत्तर दिया।
23 जुलाई, 2009	15, 17, 20, 21, 22 और 23 जुलाई, 2009 को क्रमश: मानव संसाधन विकास, कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, विद्युत, गृह, महिला और बाल विकास मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई और उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया। वर्ष 2009-10 के सामान्य बजट के संबंध में अनुदानों की मांगें पूर्णत: स्वीकृत हुईं।
07 अगस्त, 2009	**15वीं लोक सभा के दूसरे सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।**
19 नवम्बर, 2009	**15वीं लोक सभा का तीसरा सत्र आरंभ हुआ।**
15 दिसम्बर, 2009	माननीय अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर के पारंपरिक स्वरूप के अनुरक्षण और विकास संबंधी एक नई संयुक्त समिति का गठन किया।
18 दिसम्बर, 2009	**15वीं लोक सभा के तीसरे सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।**

2010

22 फरवरी, 2010	**15वीं लोक सभा का चौथा सत्र आरंभ हुआ।**
22 फरवरी, 2010	राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में एकत्रित हुए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया।
22 फरवरी, 2010	अध्यक्ष ने श्री ज्योति बसु (पूर्व मुख्य मंत्री पश्चिम बंगाल) के निधन का उल्लेख किया जिनका निधन 17.1.2010 को हुआ।
24 फरवरी, 2010	रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी ने वर्ष 2010-11 के लिए रेल बजट प्रस्तुत किया।
26 फरवरी, 2010	वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2010-11 के लिए सामान्य बजट प्रस्तुत किया।
26 फरवरी, 2010	वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण के दौरान पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि की घोषणा का विरोध करते हुए विपक्ष के सदस्य सभा से बाहर चले गए।
03 मार्च, 2010	श्री इन्द्रजीत सिंह राव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया। कुमारी मीनाक्षी नटराजन ने इसका समर्थन किया।
09 मार्च, 2010	रेल मंत्री ने 8 और 9 मार्च, 2010 को वर्ष 2010-11 के लिए बजट (रेल) पर हुई चर्चा का उत्तर दिया।
12 मार्च, 2010	वित्त मंत्री ने 11 और 12 मार्च, 2010 को वर्ष 2010-11 के लिए बजट (सामान्य) पर हुई चर्चा का उत्तर दिया।
19 अप्रैल, 2010	रेल बजट 2010-11 के संबंध में अनुदानों की मांगें पूर्णत: स्वीकृत हुईं।
23 अप्रैल, 2010	20, 22 और 23 अप्रैल, 2010 को विदेश मामले, ग्रामीण विकास, जनजातीय मामले मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा की और उन्हें पूर्णत: स्वीकृत किया। सामान्य बजट 2010-11 के संबंध में अनुदानों की मांगें पूर्णत: स्वीकृत हुईं।
07 मई, 2010	**15वीं लोक सभा के चौथे सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।**
26 जुलाई, 2010	**15वीं लोक सभा का पांचवां सत्र आरंभ हुआ।**

03 अगस्त, 2010
04 अगस्त, 2010 श्रीमती सुषमा स्वराज ने नियम 342 के अंतर्गत अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव तथा आम आदमी पर उसके विपरीत प्रभाव के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा सदन के समक्ष एक संकल्प प्रस्तुत किया गया जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

04 अगस्त, 2010 श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा नियम 342 के अंतर्गत उठाए गए जनसंख्या स्थिरीकरण के मामलों के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

31 अगस्त, 2010 15वीं लोक सभा के पांचवें सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

09 नवम्बर, 2010 15वीं लोक सभा का छठा सत्र आरंभ हुआ।

13 दिसम्बर, 2010 15वीं लोक सभा के छठे सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

2011

21 फरवरी, 2011 15वीं लोक सभा का सातवां सत्र आरंभ हुआ।

21 फरवरी, 2011 राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में एकत्रित हुए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया।

24 फरवरी, 2011 श्री पी.सी. चाको ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया और श्री मनीष तिवारी ने इसका समर्थन किया।

25 फरवरी, 2011 रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी ने वर्ष 2011-12 के लिए रेल बजट प्रस्तुत किया।

28 फरवरी, 2011 वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य बजट प्रस्तुत किया।

07 मार्च, 2011 रेल मंत्री ने 4 और 7 मार्च, 2011 को वर्ष 2011-12 बजट (रेल) पर हुई चर्चा का उत्तर दिया। रेल बजट 2011-12 से संबंधित अनुदानों की मांगें पूर्णत: स्वीकृत हुईं।

11 मार्च, 2011 वित्त मंत्री ने 8, 9 और 11 मार्च, 2011 को वर्ष 2011-12 के लिए बजट (सामान्य) पर हुई चर्चा का उत्तर दिया।

16 मार्च, 2011 14, 15 और 16 मार्च, 2011 को ग्रामीण विकास, विदेशी मामले और खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई और उन्हें पूर्णत: स्वीकृत कर लिया गया।

17 मार्च, 2011 सामान्य बजट 2011-12 से संबंधित अनुदानों की मांगें पूर्णत: स्वीकृत हुईं।

25 मार्च, 2011 15वीं लोक सभा के सातवें सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

01 अगस्त, 2011 15वीं लोक सभा का आठवां सत्र आरंभ हुआ।

08 सितम्बर, 2011 15वीं लोक सभा के आठवें सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

22 नवम्बर, 2011 15वीं लोक सभा का नौवां सत्र आरंभ हुआ।

12 दिसम्बर, 2011 अध्यक्ष ने दिल्ली को देश की राजधानी बनाए जाने के सौ वर्ष (12.12.1911) पूरे होने का उल्लेख किया।

19 दिसम्बर, 2011 अध्यक्ष ने गोवा की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर का उल्लेख किया।

27 दिसम्बर, 2011 अध्यक्ष ने पहली बार राष्ट्रीय गान गाए जाने के सौ वर्ष पूरे होने का उल्लेख किया।

29 दिसम्बर, 2011 15वीं लोक सभा के नौवें सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

2012

12 मार्च, 2012 15वीं लोक सभा का दसवां सत्र आरंभ हुआ।

12 मार्च, 2012 राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में एकत्रित हुए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया।

14 मार्च, 2012 रेल मंत्री श्री मुकुल राय ने वर्ष 2012-13 के लिए रेल बजट प्रस्तुत किया।

16 मार्च, 2012 वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2012-13 का सामान्य बजट प्रस्तुत किया।

19 मार्च, 2012	डॉ. गिरिजा व्यास ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। डॉ. शशि थरूर द्वारा इसका समर्थन किया गया।
22 मार्च, 2012	रेल मंत्री ने 20, 21 और 22 मार्च, 2012 को 2012-13 के बजट (रेल) पर हुई बहस का उत्तर दिया।
27 मार्च, 2012	वित्त मंत्री ने 22, 26 और 27 मार्च, 2012 को 2012-13 के बजट (सामान्य) पर हुई बहस का उत्तर दिया।
26 अप्रैल, 2012	रेल बजट, 2012-13 के संबंध में अनुदानों की मांगें पूर्णत: स्वीकृत हुईं।
3 मई, 2012	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शहरी विकास, गृह तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर 26, 27, 30 अप्रैल तथा 2 और 3 मई, 2012 को चर्चा हुई और वे पूर्णत: स्वीकृत हुईं। सामान्य बजट 2012-13 के संबंध में अनुदानों की मांगें पूर्णत: स्वीकृत हुईं।
13 मई, 2012	संसद भवन की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक विशेष बैठक हुई। बैठक में "भारतीय संसद की 60 वर्ष की यात्रा" विषय पर चर्चा हुई और चर्चा समाप्त होने और विदाई उल्लेख करने के बाद अध्यक्ष ने सभा के समक्ष एक संकल्प रखा जो सर्वसम्मति से पारित हुआ।
22 मई, 2012	**पन्द्रहवीं लोक सभा का दसवां सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ।**
4 जून, 2012	सभा द्वारा 21.12.2011 को स्वीकृत एक प्रस्ताव के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का गठन किया गया।
25 जुलाई, 2012	भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने के परिणामस्वरूप पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य नहीं रहे।
2 अगस्त, 2012	माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति गठित की।
8 अगस्त, 2012	**पन्द्रहवीं लोक सभा का ग्यारहवां सत्र प्रारंभ हुआ।**
16 अगस्त, 2012	अध्यक्ष ने केन्द्रीय मंत्री तथा राज्य सभा के वर्तमान सदस्य श्री विलासराव देशमुख के निधन का उल्लेख किया जिनका 14.8.2012 को निधन हो गया।
7 सितम्बर, 2012	**पन्द्रहवीं लोक सभा का ग्यारहवां सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ।**
22 नवम्बर, 2012	**पन्द्रहवीं लोक सभा का बारहवां सत्र प्रारंभ हुआ।**
22 नवम्बर, 2012	अध्यक्ष ने शिव सेना के संस्थापक तथा गैर-सदस्य श्री बाल केशव ठाकरे के निधन का उल्लेख किया। जिनका निधन 17.11.2012 को हो गया।
3 दिसम्बर, 2012	अध्यक्ष ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल के निधन का उल्लेख किया। जिनका निधन 30.11.2012 को हो गया।
4 दिसम्बर, 2012 5 दिसम्बर, 2012	श्रीमती सुषमा स्वराज ने मल्टीब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के सरकार के निर्णय को तत्काल वापस लेने के बारे में नियम 184 के अंतर्गत सूचना सभा पटल पर रखी। यह चर्चा क्रमश: प्रो. सौगत राय और श्री हसन खान द्वारा प्रस्तुत विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अधिसूचना के आशोधन हेतु दो प्रस्तावों [जीएसआर 795(ई) दिनांक 19 अक्तूबर, 2012]के साथ की गई। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
20 दिसम्बर, 2012	**पन्द्रहवीं लोक सभा का बारहवां सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ।**
	2013
21 फरवरी, 2013	**पन्द्रहवीं लोक सभा का तेरहवां सत्र प्रारंभ हुआ।**
21 फरवरी, 2013	राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में एक साथ एकत्र हुए दोनों सभाओं के सदस्यों को संबोधित किया।
26 फरवरी, 2013	रेल मंत्री श्री पवन कुमार बंसल ने वर्ष 2013-14 का रेल बजट प्रस्तुत किया।
28 फरवरी, 2013	वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम, ने वर्ष 2013-14 का सामान्य बजट प्रस्तुत किया।

6 मार्च, 2013	श्री पी.सी. चाको ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। डॉ. गिरिजा व्यास ने इसका समर्थन किया।
13 मार्च, 2013	रेल मंत्री ने 7, 8, 11, 12 और 13 मार्च, 2013 को 2013-14 के बजट (रेल) पर हुई बहस का उत्तर दिया।
14 मार्च, 2013	वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम ने वर्ष 2013-14 का बजट (झारखंड) प्रस्तुत किया।
14 मार्च, 2013	वित्त मंत्री ने 13 और 14 मार्च, को 2013-14 के बजट (सामान्य) पर हुई बहस का उत्तर दिया।
30 अप्रैल, 2013	रेल बजट 2013-14 के संबंध में अनुदानों की मांगें पूर्णत: स्वीकृत हुईं।
30 अप्रैल, 2013	सामान्य बजट 2013-14 के संबंध में अनुदानों की मांगें पूर्णत: स्वीकृत हुईं।
8 मई, 2013	**पन्द्रहवीं लोक सभा का तेरहवां सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ।**
5 अगस्त, 2013	**पन्द्रहवीं लोक सभा का चौदहवां सत्र प्रारंभ हुआ।**
23 अगस्त, 2013	आंध्र प्रदेश के 12 सदस्यों को लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 374क के अंतर्गत सभा की पांच लगातार बैठकों से निलंबित कर दिया गया। इस नियम का पहली बार प्रयोग किया गया।
2 सितम्बर, 2013	आंध्र प्रदेश के 9 सदस्यों को लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 374क के अंतर्गत सभा की पांच लगातार बैठकों के लिए सभा की सेवा से निलम्बित कर दिया गया।
6 सितम्बर, 2013	**पन्द्रहवीं लोक सभा का चौदहवां सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ।**
30 सितम्बर, 2013	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ग) के अंतर्गत सर्वश्री लालू प्रसाद और जगदीश शर्मा की पन्द्रहवीं लोक सभा की सदस्यता समाप्त हो गई।
5 दिसम्बर, 2013	**पन्द्रहवीं लोक सभा का पंद्रहवां सत्र (भाग-1) प्रारंभ हुआ।**
06 दिसम्बर, 2013	अध्यक्ष ने दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित, श्री नेल्सन मंडेला के निधन का उल्लेख किया। जिनका 06.12.2013 को निधन हो गया।
16 दिसम्बर, 2013	अध्यक्ष ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा वर्तमान सदस्य श्री शीशराम ओला के निधन का उल्लेख किया। जिनका 15.12.2013 को निधन हो गया।
18 दिसम्बर, 2013	**सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।**
	2014
5 फरवरी, 2014	**पन्द्रहवीं लोक सभा का पंद्रहवां सत्र (भाग-2) प्रारंभ हुआ।**
12 फरवरी, 2014	रेल मंत्री, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने वर्ष 2014-15 का अंतरिम रेल बजट प्रस्तुत किया।
13 फरवरी, 2014	आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से सांसद श्री एल. राज गोपाल ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित किए जाने के दौरान सभा में *पेपर स्प्रे* का प्रयोग किया। उसके पश्चात् उन्हें और 15 अन्य सदस्यों को लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 374क के अंतर्गत पांच लगातार बैठकों के लिए सभा की सेवाओं से निलंबित कर दिया गया।
13 फरवरी, 2014	लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम और लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों को लिंग निरपेक्ष बना दिया गया। नियम समिति द्वारा यथासंस्तुत और सभा द्वारा स्वीकृत लिंग निरपेक्ष और निदेश 13.2.2014 से लागू हुए।
17 फरवरी, 2014	वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम, ने वर्ष 2014-15 का अंतरिम सामान्य बजट प्रस्तुत किया।
17 फरवरी, 2014	2014-15 के लिए अंतरिम रेल बजट के संबंध में अनुदानों की मांगें पूर्णत: स्वीकृत हुईं।
19 फरवरी, 2014	2014-15 के लिए अंतरिम सामान्य बजट के संबंध में अनुदानों की मांगें पूर्णत: स्वीकृत हुईं।
21 फरवरी, 2014	वित्त राज्य मंत्री श्री जेसुदासु सीलम ने वर्ष 2014-15 का बजट (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) प्रस्तुत किया।
21 फरवरी, 2014	**पन्द्रहवीं लोक सभा का पंद्रहवां सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ।**
18 मई 2014	पन्द्रहवीं लोक सभा का विघटन हुआ।

3

सदस्य और मंत्री

लोक सभा की सदस्यता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 में यह उपबंध है कि लोक सभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 530 से अनधिक सदस्य और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक सभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा। इस उपबंध के अनुसरण में, इस समुदाय के दो सदस्यों को अब तक की सभी लोक सभाओं में नामनिर्देशित किया जाता रहा है।

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित संविधान के अनुच्छेद 82 में यह उपबंध है कि संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 द्वारा यथाआवंटित सीटों की संख्या तथा यथानिर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों की प्रादेशिक सीमाओं को वर्ष 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन तक बदला नहीं जा सकेगा। दूसरे शब्दों में, वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन तक विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए लोक सभा में आवंटित सीटों की वर्तमान संख्या को बदला नहीं जा सकता है। संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 के अधिनियमन के अनुसरण में परिसीमन अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया गया। उक्त अधिनियम के अनुसार, 12 जुलाई, 2002 को परिसीमन आयोग का गठन किया गया। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री कुलदीप सिंह को आयोग का अध्यक्ष तथा भारत के निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त, श्री बी.बी. टंडन और राज्य निर्वाचन आयुक्तों को इसका पदेन सदस्य बनाया गया। मूल रूप से अधिनियमित परिसीमन अधिनियम, 2002 के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाना था। किन्तु परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2003 के लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः 9 दिसम्बर और 16 दिसम्बर, 2003 को पारित किये जाने तथा 01 जनवरी, 2004 को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन/परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिये पन्द्रहवीं लोक सभा में सीटों के आवंटन को **विवरण-12** में दर्शाया गया है।

दिनांक 16, 22, 23 और 30 अप्रैल तथा 7 और 13 मई, 2009 को कराये गये आम चुनावों के संपन्न होने पर 18 मई, 2009 को पन्द्रहवीं लोक सभा गठित की गई। यह राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के 543 सदस्यों से मिलकर बनी। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत 18 सितम्बर, 2009 को आंग्ल भारतीय समुदाय के दो सदस्यों, नामतः श्री चार्ल्स डायस और सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड को नाम-निर्देशित किया।

सदस्यों का सामाजिक-आर्थिक जीवनवृत्त

पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन की तिथि अर्थात् 18 मई, 2009 तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों के आयु वर्गीकरण, शैक्षिक पृष्ठभूमि, व्यवसाय के आधार पर सदस्यों का वर्गीकरण और पिछली विधायी अनुभव व सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध में सांख्यिकीय ब्यौरे तैयार किए गए। इसमें 7.11.2009 को हुए उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य के साथ-साथ दो नाम-निर्देशित सदस्यों से संबंधित जानकारी भी सम्मिलित है। इसके मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित पैराओं में संक्षिप्त रूप में दिये गये हैं:—

(एक) आयु विवरण

संसद की सदस्यता हेतु अधिकतम आयु-सीमा संबंधी कोई सांविधिक प्रावधान नहीं है। तथापि संविधान द्वारा लोक सभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राज्य सभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है।

विवरण-13 में विभिन्न लोक सभाओं की पांच वर्ष की अवधि के दौरान 25-30 वर्ष के आयु वर्ग से लेकर 86-90 वर्ष के आयु वर्ग के सदस्यों के अलग-अलग 13 वर्गीकरण दर्शाए गए हैं। दूसरी, सातवीं, आठवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभा को छोड़कर अधिकांश लोक सभाओं में अधिकतर सदस्य 41-55 वर्ष अर्थात् 15 वर्ष के आयु अंतराल वर्ग के रहे हैं। पांचवीं लोक सभा में इस आयु वर्ग के सबसे अधिक 269 सदस्य थे जो सदन की कुल सदस्य संख्या का 53.37% था। सातवीं, आठवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभाओं में 15 वर्ष के आयु अंतराल वर्ग में सबसे अधिक सदस्य 46-60 वर्ष की आयु वर्ग के थे जबकि दूसरी लोक सभा में सबसे अधिक सदस्य 36-50 वर्ष की आयु वर्ग के थे।

यह उल्लेखनीय है कि पन्द्रहवीं लोक सभा में 25-35 वर्ष की आयु के युवा सदस्यों का प्रतिनिधित्व पहली लोक सभा के 17.75% से घटकर 6.79% रह गया। तथापि, 36-45 वर्ष की आयु वर्ग की श्रेणी के सदस्यों की उपस्थिति बरकरार रही है। दूसरी ओर 56-65 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। आठवीं लोक सभा में इस वर्ग का प्रतिशत पहली लोक सभा के 16.45 के निम्नतम प्रतिशत से बढ़कर 29.01 के उच्चतम प्रतिशत तक पहुंच गया। चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभा में यह वर्ग कुल सदस्य संख्या का 26.97 प्रतिशत था। इसी प्रकार 66-75 वर्ष के आयु वर्ग के प्रतिनिधित्व में धीमा किन्तु निरंतर सुधार हुआ है और ग्यारहवीं लोक सभा में यह पहली लोक सभा के निम्नतम 2.38% से बढ़कर 12.79 के उच्चतम प्रतिशत तक पहुंच गया।

यद्यपि विभिन्न लोक सभाओं में सदस्यों की औसत आयु घटती-बढ़ती रही है फिर भी पहली लोक सभा से ही इसमें उर्ध्वगामी प्रवृत्ति देखी गयी है। सदस्यों की औसत आयु जो पहली लोक सभा में 46.5 वर्ष थी, तेरहवीं लोक सभा में बढ़कर 55.5 वर्ष हो गई और इस कारण तेरहवीं लोक सभा अब तक की सर्वाधिक बुजुर्ग सदस्यों वाली लोक सभा मानी जाती है। यह एक रोचक तथ्य है कि इससे पूर्व 46.4 वर्ष की औसत आयु के साथ बारहवीं लोक सभा सर्वाधिक युवा सदस्यों वाली सभा थी। छठी, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभा में औसत आयु 50 वर्ष से ऊपर थी। **विवरण-14** में विभिन्न लोक सभाओं की औसत आयु दर्शायी गई है।

(दो) शैक्षिक पृष्ठभूमि

सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों को छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि संबंधी विस्तृत जानकारी **विवरण-15** में दी गई है। यह देखा गया है कि मैट्रिक से कम शिक्षा प्राप्त करने वाले सदस्यों की संख्या में कमी आ रही है। पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवीं लोक सभा में इस श्रेणी के सदस्यों की संख्या सदन की कुल सदस्यता के 23% से भी अधिक थी जो नौवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, और चौदहवीं लोक सभा में तेजी से घटकर 3% से भी कम रह गई। पन्द्रहवीं लोक सभा में इस श्रेणी के सदस्यों की संख्या 4.4% थी। मैट्रिक/हायर सेकेंडरी/इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त करने वाले सदस्यों का प्रतिशत छठी लोक सभा में सबसे अधिक 24.91 था जो दसवीं लोक सभा में घटकर सबसे कम 8.73 प्रतिशत रह गया। तथापि, यदि हम अवर स्नातक सदस्यों को भी इसमें सम्मिलित करें तो अलग-अलग लोक सभाओं में इस श्रेणी का प्रतिशत 15-25 के बीच रहता है।

श्रेणी-वार देखें तो सभी लोक सभाओं में स्नातक तक शिक्षा प्राप्त करने वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक रहा है। चौदहवीं लोक सभा में इनका प्रतिशत सर्वाधिक 50.46 था। सातवीं लोक सभा से सदन में इनका प्रतिशत 40% से भी अधिक रहा है। श्रेणी-वार पहली लोक सभा में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले सदस्यों की संख्या निम्नतम 17.82 प्रतिशत थी जो ग्यारहवीं लोक सभा में बढ़कर 28.82 के उच्चतम प्रतिशत तक पहुंच गई यद्यपि पन्द्रहवीं लोक सभा में यह प्रतिशत घटकर 24.59 रह गया। डॉक्टर की उपाधि या अन्य उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वाले सदस्यों की स्थिति में भी सुधार आया है और पन्द्रहवीं लोक सभा में इनका प्रतिशत पहली लोक सभा के 3.14% से बढ़कर 5.14% हो गया है।

सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि की एक उल्लेखनीय विशिष्टता यह है कि सदस्यों के शैक्षणिक ग्राफ में उत्तरोत्तर लोक सभाओं में उर्ध्वगामी प्रवृत्ति रही है। स्नातक श्रेणी के सदस्यों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है तथा चौदहवीं लोक सभा अब तक की सर्वाधिक शिक्षित सदस्यों वाली सभा थी। स्नातक तथा उससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले सदस्यों का संयुक्त प्रतिनिधित्व जो पहली लोक सभा में 58.07% था, चौदहवीं लोक सभा में बढ़कर 82.19% हो गया। पन्द्रहवीं लोक सभा में यह संयुक्त प्रतिनिधित्व घटकर 78.35% रह गया।

(तीन) व्यवसाय के आधार पर सदस्यों का वर्गीकरण

विभिन्न लोक सभाओं के सदस्यों की व्यवसाय संबंधी पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए इन्हें अलग-अलग व्यवसायों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है। यदि कोई सदस्य एक से अधिक व्यवसायों में लगा होता है तो केवल उसी व्यवसाय को ध्यान में रखा जाता है जिसे सदस्य सूची में सबसे ऊपर रखता है।

पहली और दूसरी लोक सभा में कृषि व्यवसाय से जुड़े सदस्यों का वर्ग दूसरा सबसे बड़ा वर्ग था किन्तु बाद की विभिन्न लोक सभाओं में इनकी संख्या में वृद्धि होती गई। तीसरी लोक सभा से पन्द्रहवीं लोक सभा तक व्यवसाय की विभिन्न श्रेणियों में कृषि व्यवसाय में लगे सदस्यों का वर्ग सबसे बड़ा वर्ग रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि अधिकांश सदस्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहे हैं जो मुख्य रूप से हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रामीण प्रकृति के अनुरूप ही है। उत्तरोत्तर लोक सभाओं में उनकी बढ़ती हुई संख्या शहरी संभ्रांत वर्ग से समाज के निम्नतम वर्ग को सत्ता के विकेन्द्रीकरण की द्योतक है।

लोक सभा के इतिहास के आरंभिक वर्षों में पहली और दूसरी लोक सभा में वकील के पेशे से जुड़े सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। किन्तु, तीसरी लोक सभा से आठवीं लोक सभा तक कृषि व्यवसाय में लगे सदस्यों की संख्या सबसे अधिक हो गई और अधिवक्ता वर्ग सदन में सदस्यों का दूसरा सबसे बड़ा वर्ग बना रहा किन्तु इस पूरी अवधि के दौरान चौथी लोक सभा में अधिवक्ता वर्ग तीसरा सबसे बड़ा वर्ग भी रहा। तत्पश्चात्, इनकी संख्या में अत्यधिक कमी आई।

इस अध्ययन में राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की श्रेणी को पहली बार तीसरी लोक सभा के दौरान सम्मिलित किया गया। तब से इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व काफी अधिक रहा है और चौथी लोक सभा में यह वर्ग दूसरा सबसे बड़ा वर्ग बना और नौवीं लोक सभा से लेकर पन्द्रहवीं लोक सभा तक लगातार इस स्थान पर कायम है। आठवीं लोक सभा में इस वर्ग का निम्नतम प्रतिनिधित्व 16.04% था जबकि पन्द्रहवीं लोक सभा में इनका प्रतिनिधित्व सर्वाधिक 27.07% था। भारतीय राजनैतिक प्रणाली के कार्यकरण के परिदृश्य में राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की श्रेणी का प्राधन्य महत्वपूर्ण है और परिलक्षित करता है कि बहुत से सदस्यों के लिए राजनीति और संसदीय कार्य एक पूर्ण कालिक कार्य बन गया है।

पिछले वर्षों में अन्य व्यवसायों से सम्बद्ध सदस्यों ने भी राजनीतिक परिदृश्य में अपना स्थान बनाया है। **विवरण-16** सभी पन्द्रह लोक सभाओं में सदस्यों की संख्या और प्रतिशत के आधार पर उनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि से संबंधित 24 श्रेणियों का विस्तृत विवरण देता है।

महिला सदस्य

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के संविधान ने बिना किसी लिंग भेद के 25 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी नागरिकों को, जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का अवसर प्रदान किया। इन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए व्यस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया। तथापि, जैसाकि **विवरण-17** से पता चलता है कि हमारे समाज में स्त्री-पुरुष के लिए प्रचलित परम्पराओं और सांस्कृतिक व्यवस्था नियमों के चलते लोक सभा में महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि धीमी रही है।

पहली लोक सभा में 22 महिला प्रतिनिधियों (4.41%) की तुलना में उनकी संख्या में तीन गुनी वृद्धि हुई है और पन्द्रहवीं लोक सभा में उनकी संख्या सर्वाधिक 60 (11.01%) तक पहुंच गई। तथापि वर्ष 2011 के 19.7% विश्व औसत की तुलना में हमारी लोक सभा में महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व कम दिखाई देता है। पूर्ववर्ती लोक सभाओं में सातवीं लोक सभा से नए सदस्यों और अनुभवी सदस्यों का एक अनूठा सम्मिश्रण रहा है। पन्द्रहवीं लोक सभा में न केवल महिला सदस्यों की अब तक की सर्वाधिक संख्या है बल्कि नयी महिला सदस्यों की संख्या भी सबसे अधिक है और उतनी ही संख्या पिछली लोक सभाओं का अनुभव प्राप्त महिला सदस्यों की है।

विवरण-18 में महिला सदस्यों के आयु वर्गीकरण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। यदि सातवीं लोक सभा से विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि सदन की कुल सदस्यता के संबंध में साधारण प्रवृत्ति यह रही है कि अधिकांश लोक सभाओं में महिला सदस्य 41-55 वर्ष के 15 वर्ष के आयु अंतराल वर्ग की रही हैं। दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा में 36-50 वर्ष के 15 वर्ष के आयु अंतराल वर्ग की महिलाओं की संख्या सर्वाधिक रही जबकि सातवीं लोक सभा में 46-60 वर्ष के आयु वर्ग की महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि दिखाई दी।

महिला सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण **(विवरण-19)** करने पर पता चलता है कि शिक्षित महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सातवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभाओं में स्नातक तक शिक्षा प्राप्त महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। सदन की साधारण प्रवृत्ति के विपरीत बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा में स्नातकोत्तर महिला सदस्यों का प्रभुत्व रहा जबकि चौदहवीं लोक सभा में स्नातक और स्नातकोत्तर महिला सदस्यों की संख्या बराबर थी। स्नातक और उससे ऊपर की श्रेणी की महिला सदस्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है तथा दसवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा में इनका प्रतिशत 80% से भी ऊपर रहा। पन्द्रहवीं लोक सभा में इनका संयुक्त प्रतिनिधित्व घटकर 78.33% रह गया।

विवरण-20 में महिला सदस्यों के पूर्ववर्ती व्यवसाय का वर्गीकरण दर्शाया गया है। अभी तक जो प्रवृत्ति रही है उसके अनुसार महिला सदस्यों में राजनैतिक और सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाली महिलाओं की संख्या सर्वाधिक रही है जबकि पूरे सदन में कृषक वर्ग के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक रही है। अध्ययन के लिए ली गई नौ लोक सभाओं में से सात लोक सभाओं में 40% महिला सदस्य राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता रही हैं। सातवीं, आठवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभाओं में महिला सदस्यों का दूसरा बड़ा वर्ग कृषि व्यवसाय से संबंधित था। जबकि नौवीं, दसवीं और तेरहवीं लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला दूसरा बड़ा वर्ग अध्यापकों और शिक्षाविदों का था। आठवीं लोक सभा से महिला सदस्यों में अन्य व्यवसायों जैसे कला से जुड़े वर्ग का तथा नौवीं लोक सभा से अधिवक्ता वर्ग का प्रतिनिधित्व भी लगातार रहा है।

विधायी अनुभव

पन्द्रहवीं लोक सभा के 545 सदस्यों में से 291 सदस्य नए थे जबकि 184 सदस्य चौदहवीं लोक सभा के सदस्य रहे थे तथा 52 सदस्यों को राज्य सभा का अनुभव प्राप्त था। कुल 255 नए सदस्यों को राज्य विधानमंडलों का विधायी अनुभव प्राप्त था। पन्द्रहवीं लोक सभा में 38 राजनैतिक दलों/वर्गों का प्रतिनिधित्व था।

सदस्यों पर व्यय

विवरण-21 में पहली से चौदहवीं लोक सभा की तुलना में पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान सदस्यों पर हुए वार्षिक व्यय संबंधी जानकारी दी गई है।

मंत्रिपरिषद्

डॉ. मनमोहन सिंह ने 18 मई, 2009 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। **विवरण-22** में पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के नाम तथा उनके द्वारा धारित पदभार का ब्यौरा दिया गया है।

सभा की बैठक से अनुपस्थिति

पन्द्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान 50 सदस्यों को सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई। **विवरण-23** में सदस्यों के अनुपस्थित रहने की अनुमति संबंधी ब्यौरा दिया गया है।

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान 24 सदस्यों ने सभा से त्यागपत्र दिया। **विवरण-24** में इसका ब्यौरा दिया गया है।

वर्तमान सदस्यों का निधन

पन्द्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान वर्तमान सदस्यों श्री शीश राम ओला, श्री मुरारीलाल सिंह, श्री दिलीप सिंह जूदेव, श्री अम्बिका बनर्जी, श्री मुकेश भैरवदाजी गढ़वी, श्री उमाशंकर सिंह, श्री भजन लाल, श्री बलीराम कश्यप और श्री दिग्विजय सिंह का निधन हुआ।

निधन संबंधी उल्लेख

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान कुल मिलाकर 359 निधन संबंधी उल्लेख किए गए। **विवरण-25** में इन सभी निधन संबंधी उल्लेखों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण 12

पन्द्रहवीं लोक सभा में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए सीटों का आवंटन

क्रम.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	42
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	14
4.	बिहार	40
5.	छत्तीसगढ़	11
6.	गोवा	2
7.	गुजरात	26
8.	हरियाणा	10
9.	हिमाचल प्रदेश	4
10.	जम्मू और कश्मीर	6
11.	झारखंड	14
12.	कर्नाटक	28
13.	केरल	20
14.	मध्य प्रदेश	29
15.	महाराष्ट्र	48
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	2
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	1
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	7
21.	ओडिशा	21
22.	पुदुचेरी	1
23.	पंजाब	13
24.	राजस्थान	25
25.	सिक्किम	1
26.	तमिलनाडु	39
27.	त्रिपुरा	2
28.	उत्तर प्रदेश	80
29.	उत्तराखंड	5
30.	पश्चिम बंगाल	42
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
32.	चंडीगढ़	1
33.	दादरा और नगर हवेली	1
34.	दमन और दीव	1
35.	लक्षद्वीप	1
	लोक सभा में नाम-निर्देशित सदस्य	2
	कुल	545

स्रोत: भारत का निर्वाचन आयोग।

विवरण 13

पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों का आयु-वर्ग के आधार पर वर्गीकरण

आयु-वर्ग / वर्ष	पहली लोक सभा		दूसरी लोक सभा		तीसरी लोक सभा		चौथी लोक सभा		पांचवीं लोक सभा		छठी लोक सभा		सातवीं लोक सभा		आठवीं लोक सभा		नौवीं लोक सभा		दसवीं लोक सभा		ग्यारहवीं लोक सभा		बारहवीं लोक सभा		तेरहवीं लोक सभा		चौदहवीं लोक सभा		पन्द्रहवीं लोक सभा	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
25-30	28	6.06	13	2.67	11	2.32	22	4.44	16	3.17	18	3.47	9	1.73	7	1.32	14	2.68	8	1.58	11	2.13	11	2.06	5	0.92	10	1.83	9	1.65
31-35	54	11.69	60	12.35	34	7.16	37	7.46	28	5.56	26	5.01	43	8.29	36	6.78	17	3.26	32	6.34	22	4.26	23	4.30	24	4.44	21	3.85	28	5.14
36-40	58	12.55	91	18.72	64	13.47	68	13.71	62	12.30	62	11.95	71	13.68	60	11.30	55	10.54	50	9.90	43	8.33	45	8.41	49	9.06	45	8.26	43	7.89
41-45	68	14.72	71	14.61	79	16.63	84	16.94	76	15.08	69	13.29	75	15.45	73	13.75	76	14.56	75	14.85	77	14.92	78	14.58	84	15.53	64	11.74	73	13.39
46-50	74	16.02	64	13.17	73	15.37	85	17.04	99	19.64	94	18.11	70	13.49	77	14.50	92	17.62	87	17.23	82	15.89	98	18.32	87	16.08	93	17.06	78	14.31
51-55	93	20.13	76	15.64	69	14.53	69	13.91	94	18.65	94	18.11	84	16.18	74	13.94	82	15.71	71	14.06	80	15.50	83	15.51	93	17.19	84	15.41	95	17.43
56-60	47	10.17	70	14.40	58	12.21	55	11.09	57	11.31	66	12.72	87	16.76	80	15.07	68	13.03	65	12.87	65	12.60	64	11.96	62	11.46	94	17.25	84	15.41
61-65	29	6.28	25	5.14	58	12.21	39	7.86	35	6.94	41	7.90	41	7.90	74	13.94	63	12.07	66	13.07	59	11.43	61	11.40	64	11.83	53	9.72	63	11.56
66-70	10	2.16	12	2.47	21	4.42	25	5.04	25	4.96	33	6.36	24	4.62	30	5.65	41	7.85	32	6.34	47	9.11	44	8.22	40	7.39	45	8.26	36	6.61
71-75	1	0.22	4	0.82	6	1.26	10	2.02	9	1.79	11	2.12	11	2.12	11	2.07	12	2.30	14	2.77	19	3.68	19	3.55	25	4.62	22	4.04	23	4.22
76-80	—	—	—	—	1	0.21	1	0.20	2	0.40	4	0.77	3	0.58	6	1.13	1	0.19	4	0.79	8	1.55	7	1.31	5	0.92	12	2.20	10	1.83
81-85	—	—	—	—	1	0.21	1	0.20	1	0.20	1	0.19	1	0.19	3	0.56	—	—	1	0.20	3	0.58	2	0.37	3	0.55	2	0.37	2	0.37
86-90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.18
जानकारी देने वाले सदस्यों की कुल संख्या	462		486		475		496		504		519		519		531		522		505		516		535		541		545		545^	
नाम-निर्देशित सदस्यों सहित सीटों की कुल संख्या	499		500		503		523		521		544		544		545		545		545		545		545		545		545		545	

प्रतिशत कुल सदस्यों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है।

^दो नाम-निर्देशित सदस्यों तथा 7.11.2009 को हुए उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्री राज बब्बर सहित पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख अर्थात् 18.5.2009 के अनुसार।

विवरण 14

पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की औसत आयु

लोक सभा	औसत आयु
पहली (1952-57)	46.5
दूसरी (1957-62)	46.7
तीसरी (1962-67)	49.4
चौथी (1967-70)	48.7
पांचवीं (1971-77)	49.2
छठी (1977-79)	52.1
सातवीं (1980-84)	49.9
आठवीं (1984-89)	51.4
नौवीं (1989-91)	51.3
दसवीं (1991-96)	51.4
ग्यारहवीं (1996-97)	52.8
बारहवीं (1998-99)	46.4
तेरहवीं (1999-2004)	55.5
चौदहवीं (2004-09)	52.2
पन्द्रहवीं (2009-अब तक)	53.7*

औसत आयु उन सदस्यों की कुल संख्या पर आधारित है जिन्होंने सारणी 1 के अनुसार सूचना दी है।

*दो नाम-निर्देशित सदस्यों और 7.11.2009 को हुए उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्री राज बब्बर सहित 18.5.2009 को पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख के अनुसार।

विवरण 15

पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि

शैक्षिक योग्यता	पहली लोक सभा		दूसरी लोक सभा		तीसरी लोक सभा		चौथी लोक सभा		पांचवीं लोक सभा		छठी लोक सभा		सातवीं लोक सभा		आठवीं लोक सभा		नौवीं लोक सभा		दसवीं लोक सभा		ग्यारहवीं लोक सभा		बारहवीं लोक सभा		तेरहवीं लोक सभा		चौदहवीं लोक सभा		पन्द्रहवीं लोक सभा	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
मैट्रिक-पूर्व	112	23.48	120	25.48	141	28.78	54	11.81	119	23.15	52	9.81	53	10.04	42	7.88	10	2.09	18	3.57	15	2.90	12	2.27	15	2.81	15	2.78	24	4.40
मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट प्रमाण-पत्र धारक	88	18.45	90	19.11	87	17.76	101	22.10	82	15.95	132	24.91	118	22.35	112	21.01	94	19.67	44	8.73	94	18.18	89	16.82	48	9.01	69	12.80	77	14.13
स्नातक-पूर्व	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	11.31	8	1.55	18	3.40	42	7.88	12	2.23	17	3.12
स्नातक (इसमें समकक्ष तकनीकी योग्यता वाली भी शामिल हैं)	177	37.11	160	33.97	157	32.04	172	37.64	178	34.63	205	38.68	213	40.34	238	44.65	233	48.74	220	43.65	222	42.94	237	44.80	256	48.03	272	50.46	265	48.62
स्नातकोत्तर (इसमें तकनीकी योग्यता वाले भी शामिल हैं)	85	17.82	92	19.53	98	20.00	113	24.73	127	24.71	132	24.91	136	25.76	131	24.58	124	25.94	145	28.77	149	28.82	149	28.17	145	27.20	153	28.39	134	24.59
डॉक्टर की डिग्री अथवा अन्य उच्च शैक्षिक योग्यता धारक	15	3.14	9	1.91	7	1.43	17	3.72	8	1.56	9	1.70	8	1.52	10	1.88	17	3.56	20	3.97	29	5.61	24	4.54	27	5.07	18	3.34	28	5.14
जानकारी देने वाले सदस्यों की कुल संख्या	477		471		490		457		514		530		528		533		478		504		517		529		533		539		545^	
नाम-निर्देशित सदस्यों सहित सीटों की कुल संख्या	499		500		503		523		521		544		544		545		545		545		545		545		545		545		545	

प्रतिशत, सूचना देने वाले सदस्यों की कुल संख्या पर आधारित है।

^दो नाम-निर्देशित सदस्यों और 7.11.2009 को हुए उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्री राज बब्बर सहित 18.5.2009 को पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख के अनुसार।

विवरण 16

पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि

पूर्व व्यवसाय	पहली लोक सभा		दूसरी लोक सभा		तीसरी लोक सभा		चौथी लोक सभा		पांचवीं लोक सभा		छठी लोक सभा		सातवीं लोक सभा		आठवीं लोक सभा		नौवीं लोक सभा		दसवीं लोक सभा		ग्यारहवीं लोक सभा		बारहवीं लोक सभा		तेरहवीं लोक सभा		चौदहवीं लोक सभा		पन्द्रहवीं लोक सभा	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
कृषक/बागवानी विशेषज्ञ	97	22.45	141	29.01	129	27.45	154	30.62	168	33.20	189	36.00	206	39.39	203	38.30	230	44.15	163	32.09	207	38.69	261	49.06	230	42.67	222	41.89	193	35.54
कलाकार	—	—	—	—	—	—	1	0.20	—	—	—	—	1	0.19	5	0.94	4	0.77	5	0.98	7	1.31	6	1.13	8	1.48	7	1.32	10	1.84
व्यवसायी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	4.53	31	5.79	8	1.5	22	4.08	30	5.66	48	8.84
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.19	2	0.37	1	0.19	1	0.18
असैनिक पुलिस और सैनिक सेवा	16	3.70	19	3.91	4	0.85	16	3.18	17	3.36	9	1.71	5	0.96	16	3.02	6	1.15	16	3.15	13	2.43	10	1.88	8	1.48	3	0.57	6	1.10
सहकारी नेता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—
राजनयिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0.58	4	0.79	4	0.75	2	0.38	—	—	—	—	1	0.18
अर्थशास्त्री	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.19	—	—	1	0.19	1	0.19	—	—	—	—	—	—
इंजीनियर और प्रौद्योगिकीविद्	—	—	—	—	4	0.85	7	1.39	6	1.19	5	0.95	6	1.15	4	0.75	11	2.11	7	1.38	9	1.68	5	0.94	8	1.48	6	1.13	8	1.47
पूर्व शासक	5	1.16	7	1.44	10	2.13	7	1.39	2	0.40	3	0.57	1	0.19	3	0.57	2	0.38	3	0.59	—	—	2	0.38	1	0.19	1	0.19	—	—
न्यायाधीश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.19	1	0.19	1	0.19	—	—
औद्योगिक श्रमिक/ मजदूर नेता	—	—	—	—	1	0.21	1	0.20	—	—	9	1.71	4	0.76	7	1.32	2	0.38	4	0.79	4	0.75	11	2.07	9	1.67	3	0.57	2	0.37
पत्रकार/लेखक	45	10.42	50	10.29	27	5.74	24	4.77	32	6.32	11	2.10	15	2.87	7	1.32	14	2.69	11	2.17	8	1.50	7	1.32	9	1.67	14	2.64	6	1.10
वकील	153	35.42	147	30.25	115	24.47	88	17.50	103	20.36	123	23.43	116	22.18	101	19.06	80	15.36	83	16.34	65	12.15	54	10.15	66	12.24	65	12.26	55	10.13
प्रबंध सलाहकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.37	2	0.38	2	0.37	4	0.75	4	0.74
चिकित्सक	21	4.86	17	3.50	14	2.98	14	2.78	9	1.78	10	1.90	10	1.91	21	3.96	18	3.45	25	4.92	16	2.99	17	3.20	17	3.15	14	2.64	20	3.68
पायलट	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.19	1	0.20	2	0.37	—	—	1	0.19	—	—	—	—
राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता	—	—	—	—	88	18.72	115	22.86	96	18.97	105	20.00	90	17.21	85	16.04	89	17.08	92	18.11	104	19.44	96	18.05	108	20.04	126	23.77	147	27.07
धार्मिक प्रचारक	—	—	—	—	1	0.21	4	0.8	2	0.40	—	—	1	0.19	1	0.19	—	—	3	0.59	1	0.19	4	0.75	2	0.37	1	0.19	1	0.18
वैज्ञानिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.20	—	—	—	—	1	0.19	1	0.19	—	—
खिलाड़ी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.39	—	—	3	0.56	2	0.37	1	0.19	2	0.37
अध्यापक और शिक्षाविद्	43	9.95	55	11.32	27	5.74	33	6.56	36	7.11	44	8.38	35	6.69	41	7.74	41	7.87	49	9.65	43	8.04	28	5.26	33	6.12	22	4.15	25	4.60
व्यापारी और उद्योगपति	52	12.04	50	10.29	50	10.64	39	7.76	35	6.92	17	3.24	33	6.31	36	6.79	19	3.65	16	3.15	14	2.62	12	2.26	9	1.67	—	—	14	2.58
पशु चिकित्सक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.19	—	—	8	1.51	—	—
जानकारी देने वाले सदस्यों की कुल संख्या	432		486		470		503		506		525		523		530		521		508		535		532		539		530		543^	
दो नाम-निर्देशित सदस्यों सहित सीटों की कुल संख्या	499		500		503		523		521		544		544		545		545		545		545		545		545		545		545	

प्रतिशत, सूचना देने वाले सदस्यों की कुल संख्या पर आधारित है।

^दो नाम-निर्देशित सदस्यों और 7.11.2009 को हुए उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्री राज बब्बर सहित 18.5.2009 को पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख के अनुसार।

विवरण 17

पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा तक महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व और सातवीं से पन्द्रहवीं लोक सभा तक महिला सदस्यों का पूर्व विधायी अनुभव

लोक सभा	सीटों की कुल संख्या	महिला सदस्यों की संख्या	कुल का प्रतिशत	पूर्व लोक सभाओं में कार्यकाल की संख्या के संबंध में महिला सदस्यों का पूर्व विधायी अनुभव						
				नए सदस्य	एक लोक सभा	दो लोक सभा	तीन लोक सभा	चार लोक सभा	पांच लोक सभा	छह लोक सभा
पहली	499	22	4.41	—	—	—	—	—	—	—
दूसरी	500	27	5.40	—	—	—	—	—	—	—
तीसरी	503	34	6.76	—	—	—	—	—	—	—
चौथी	523	31	5.93	—	—	—	—	—	—	—
पांचवीं	521	22	4.22	—	—	—	—	—	—	—
छठी	544	19	3.49	—	—	—	—	—	—	—
सातवीं	544	28	5.15	19	4	2	3	—	—	—
आठवीं	544	44	8.09	23	13	6	2	—	—	—
नौवीं	529	28	5.29	15	4	5	4	—	—	—
दसवीं	509	36	7.07	18	9	5	1	2	1	—
ग्यारहवीं	543	40	7.37	23	11	4	—	1	1	—
बारहवीं	545	44	8.07	23	10	5	4	—	1	1
तेरहवीं	543	49	9.02	19	17	5	4	4	—	—
चौदहवीं	545	45*	8.26	27	6	7	2	1	2	—
पन्द्रहवीं	545	60^	11.01	31	14	8	3	1	1	2

*उप-चुनाव में निर्वाचित हुईं छह महिला सदस्यों और चौदहवीं लोक सभा के लिए नाम-निर्देशित एक महिला सदस्य को छोड़कर 17.5.2004 को चौदहवीं लोक सभा के गठन की तारीख के अनुसार।

^एक नाम-निर्देशित सदस्य और नवम्बर, 2010 में हुए उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्रीमती पुतुल कुमारी सहित 18.5.2009 को पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख के अनुसार।

विवरण 18

सातवीं से पन्द्रहवीं लोक सभा की महिला सदस्यों का आयु वर्ग के आधार पर वर्गीकरण

आयु वर्ग	7वीं लोक सभा		8वीं लोक सभा		9वीं लोक सभा		10वीं लोक सभा		11वीं लोक सभा		12वीं लोक सभा		13वीं लोक सभा		14वीं लोक सभा		15वीं लोक सभा	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
25-30 वर्ष	—	—	1	2.27	1	3.70	4	11.11	—	—	2	4.55	1	2.08	4	8.89	4	6.78
31-35 वर्ष	1	3.57	2	4.55	2	7.41	3	8.33	3	8.11	4	9.09	4	8.33	3	6.67	5	8.47
36-40 वर्ष	3	10.71	3	6.82	2	7.41	4	11.11	8	21.62	4	9.09	7	14.58	3	6.67	7	11.86
41-45 वर्ष	4	14.29	5	11.36	5	18.52	8	22.22	8	21.62	12	27.27	8	16.67	11	24.44	11	18.64
46-50 वर्ष	6	21.43	7	15.91	5	18.52	4	11.11	5	13.51	8	18.18	7	14.58	11	24.44	11	18.64
51-55 वर्ष	4	14.29	9	20.45	4	14.81	2	5.56	4	10.81	3	6.82	7	14.58	5	11.11	8	13.56
56-60 वर्ष	6	21.43	5	11.36	2	7.41	5	13.89	4	10.81	4	9.09	6	12.50	6	13.33	5	8.47
61-65 वर्ष	3	10.71	6	13.64	2	7.41	3	8.33	—	—	2	4.55	5	10.42	2	4.44	6	10.17
66-70 वर्ष	—	—	5	11.36	1	3.70	1	2.78	2	5.41	3	6.82	3	6.25	—	—	2	3.39
71-75 वर्ष	1	3.57	1	2.27	3	11.11	2	5.56	2	5.41	1	2.27	—	—	—	—	—	—
76-80 वर्ष	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.70	1	2.27	—	—	—	—	—	—
जानकारी देने वाले सदस्यों की कुल संख्या	28		44		27		36		37		44		48		45		59	
महिला सदस्यों की कुल संख्या	28		44		28		36		40		44		49		45*		60^	
नाम-निर्देशित सदस्यों सहित सीटों की कुल संख्या	544		545		545		545		545		545		545		545		545	

प्रतिशत, सूचना देने वाले सदस्यों की कुल संख्या पर आधारित है।

*उप-चुनाव में निर्वाचित हुईं छह महिला सदस्यों और चौदहवीं लोक सभा के लिए नाम-निर्देशित एक महिला सदस्य को छोड़कर 17.5.2004 को चौदहवीं लोक सभा के गठन की तारीख के अनुसार।

^एक नाम-निर्देशित सदस्य और नवम्बर, 2010 को हुए उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्रीमती पुतुल कुमारी सहित 18.5.2009 को पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख के अनुसार।

विवरण 19

सातवीं से पन्द्रहवीं लोक सभा की महिला सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि

शैक्षिक योग्यता	7वीं लोक सभा		8वीं लोक सभा		9वीं लोक सभा		10वीं लोक सभा		11वीं लोक सभा		12वीं लोक सभा		13वीं लोक सभा		14वीं लोक सभा		15वीं लोक सभा	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
मैट्रिक-पूर्व	7	25.00	3	6.82	1	3.70	2	5.56	3	8.33	3	6.98	1	2.08	1	2.22	3	5.00
मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट प्रमाण-पत्र धारक	4	14.29	14	31.82	7	25.93	1	2.78	8	22.22	3	6.98	5	10.42	6	13.33	6	10.00
स्नातक-पूर्व	–	–	–	–	–	–	3	8.33	–	–	1	2.33	1	2.08	2	4.44	4	6.67
स्नातक (इसमें समकक्ष तकनीकी योग्यता वाले भी शामिल हैं)	9	32.14	14	31.82	10	37.04	17	47.22	14	38.89	16	37.21	14	29.17	17	37.78	25	41.67
स्नातकोत्तर (इसमें तकनीकी योग्यता वाले भी शामिल हैं)	7	25.00	10	22.73	6	22.22	8	22.22	7	19.44	17	39.53	22	45.83	17	37.78	20	33.33
डॉक्टर की डिग्री अथवा अन्य उच्च शैक्षिक योग्यता धारक	1	3.57	3	6.82	3	11.11	5	13.89	4	11.11	3	6.98	5	10.42	2	4.44	2	3.33
जानकारी देने वाले सदस्यों की कुल संख्या	28		44		27		36		36		43		48		45		60	
महिला सदस्यों की कुल संख्या	28		44		28		36		40		44		49		45*		60^	
नाम-निर्देशित सदस्यों सहित सीटों की कुल संख्या	544		545		545		545		545		545		545		545		545	

प्रतिशत, सूचना देने वाले सदस्यों की कुल संख्या पर आधारित है।

*उप-चुनाव में निर्वाचित हुई छह महिला सदस्यों और चौदहवीं लोक सभा के लिए नाम-निर्देशित एक महिला सदस्य को छोड़कर 17.5.2004 को चौदहवीं लोक सभा के गठन की तारीख के अनुसार।

^एक नाम-निर्देशित सदस्य और नवम्बर, 2010 में हुए उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्रीमती पुतुल कुमारी सहित 18.5.2009 को पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख के अनुसार।

विवरण 20

सातवीं से पन्द्रहवीं लोक सभा की महिला सदस्यों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि

शैक्षिक योग्यता	7वीं लोक सभा		8वीं लोक सभा		9वीं लोक सभा		10वीं लोक सभा		11वीं लोक सभा		12वीं लोक सभा		13वीं लोक सभा		14वीं लोक सभा		15वीं लोक सभा	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
कृषक/बागवानी विशेषज्ञ	11	39.29	14	32.56	3	12.00	5	13.89	8	21.62	11	25.00	8	16.33	7	16.67	11	18.33
कलाकार	–	–	1	2.33	2	8.00	1	2.78	2	5.41	1	2.27	1	2.04	1	2.38	4	6.67
व्यवसायी	–	–	–	–	–	–	1	2.78	–	–	1	2.27	1	2.04	2	4.76	5	8.33
असैनिक, पुलिस और सैनिक सेवा	1	3.57	1	2.33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
राजनयिक	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2.70	–	–	–	–	–	–	–	–
पूर्व शासक	–	–	1	2.33	–	–	1	2.78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
औद्योगिक श्रमिक/ मजदूर नेता	–	–	–	–	1	4.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पत्रकार/लेखक	–	–	–	–	1	4.00	–	–	–	–	4	9.09	1	2.04	2	4.76	1	1.67
वकील	–	–	–	–	1	4.00	2	5.56	2	5.41	2	4.55	4	8.16	6	14.29	6	10.0
चिकित्सक	–	–	1	2.33	–	–	1	2.78	–	–	2	4.55	3	6.12	–	–	5	8.33
राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता	13	46.43	15	34.88	11	44.00	14	38.89	18	48.65	18	40.91	21	42.86	20	47.62	24	40.00
धार्मिक प्रचारक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2.27	1	2.04	–	–	–	–
अध्यापक और शिक्षाविद्	3	10.71	8	18.60	5	20.00	10	27.78	5	13.51	4	9.09	9	18.37	4	9.52	4	6.67
व्यापारी और उद्योगपति	–	–	2	4.65	1	4.00	1	2.78	1	2.70	–	–	–	–	–	–	–	–
जानकारी देने वाले सदस्यों की कुल संख्या	28		43		25		36		37		44		49		42		60	
महिला सदस्यों की कुल संख्या	28		44		28		36		40		44		49		45*		60^	
नाम-निर्देशित सदस्यों सहित सीटों की कुल संख्या	544		545		545		545		545		545		545		545		545	

प्रतिशत, सूचना देने वाले सदस्यों की कुल संख्या पर आधारित है।

*उप-चुनाव में निर्वाचित हुई छह महिला सदस्यों और चौदहवीं लोक सभा के लिए नाम-निर्देशित एक महिला सदस्य को छोड़कर 17.5.2004 को चौदहवीं लोक सभा के गठन की तारीख के अनुसार।

^एक नाम-निर्देशित सदस्य और नवम्बर, 2010 में हुए उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्रीमती पुतुल कुमारी सहित 18.5.2009 को पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख के अनुसार।

विवरण 21

सदस्यों पर व्यय

	वर्ष	किया गया व्यय (रुपयों में)
	1	2
पहली लोक सभा	1952–53	37,96,818
	1953–54	38,89,783
	1954–55	46,00,620
	1955–56	52,03,214
	1956–57	43,89,087
	कुल	2,18,79,522
दूसरी लोक सभा	1957–58	48,61,383
	1958–59	45,80,692
	1959–60	47,40,870
	1960–61	44,79,964
	1961–62	32,76,756
	(दिसम्बर, 1961 तक)	
	कुल	2,19,39,665
तीसरी लोक सभा	1962–63	50,02,715
	1963–64	48,29,589
	1964–65	68,23,153
	1965–66	47,45,730
	(नवम्बर, 1966 तक)	
	कुल	2,14,01,187
चौथी लोक सभा	1967–68	76,81,929
	1968–69	81,81,379
	1969–70	1,11,52,543
	1970–71	88,22,725
	(दिसम्बर, 1970 तक)	
	कुल	3,58,38,576
पांचवीं लोक सभा	1971–72	1,11,94,646
	1972–73	1,43,64,276
	1973–74	1,36,97,156
	1974–75	1,61,38,257
	1975–76	1,67,63,224
	1976–77	1,38,24,598
	(दिसम्बर, 1976 तक)	
	कुल	8,59,82,157

1		2
छठी लोक सभा	1977-78	1,88,30,567
	1978-79	3,12,65,993
	1979-80	84,50,374
	(22 अगस्त, 1979 तक)	
	कुल	5,85,46,934
सातवीं लोक सभा	1980-81	2,98,46,458
	1981-82	3,76,24,227
	1982-83	3,92,66,880
	1983-84	4,29,55,090
	1984-85	1,63,73,034
	(30 सितम्बर, 1984 तक)	
	कुल	16,60,65,690
आठवीं लोक सभा	1985-86	2,13,89,199
	1986-87	3,74,68,338
	1987-88	4,79,64,617
	1988-89	5,17,33,529
	1989-90	2,43,33,197
	(30 सितम्बर, 1989 तक)	
	कुल	18,28,88,880
नौवीं लोक सभा	1989-90	7,78,08,044
	1990-91	9,95,31,936
	(13 मार्च, 1991 तक)	
	कुल	17,73,39,980
दसवीं लोक सभा	1991-92	10,22,10,512
	1992-93	13,54,71,709
	1993-94	22,61,31,333
	1994-95	22,28,54,276
	1995-96	30,77,30,769
	कुल	99,43,98,599
ग्यारहवीं लोक सभा	1996-97	13,11,25,147
	1997-98	16,28,95,967
	(4 दिसम्बर, 1997 तक)	
	कुल	29,40,21,114

	1	2
बारहवीं लोक सभा	1998–99	40,60,75,463
	1999–2000 (30 अप्रैल, 1999 तक)	2,85,63,267
	कुल	43,46,38,730
तेरहवीं लोक सभा	1999–2000	32,09,75,000
	2000–2001	63,70,22,000
	2001–2002	95,82,06,000
	2002–2003	98,60,81,000
	2003–2004 (31 जनवरी, 2004 तक)	91,13,25,000
	कुल	3,81,36,09,000
चौदहवीं लोक सभा	2004–2005	80,84,64,000
	2005–2006	1,04,98,13,000
	2006–2007	1,00,82,38,000
	2007–2008	1,14,25,39,700
	2008–2009 (31 मार्च, 2009 तक)	1,30,37,52,400
	कुल	5,31,28,07,100
पन्द्रहवीं लोक सभा	2009–2010	1,07,03,02,943
	2010–2011	1,81,37,76,425
	2011–2012	1,86,71,93,060
	2012–2013	2,20,79,27,655
	2013–2014	2,40,79,43,805
	कुल	9,36,71,43,888

विवरण 22

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के नाम और विभाग

क्रम सं.	नाम	विभाग और अवधि
1	2	3
		भाग एक
		प्रधानमंत्री
1.	सिंह, डॉ. मनमोहन	प्रधानमंत्री, उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। (दिनांक 22.5.2009 से 23.5.2009 तक) (i) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; (ii) योजना मंत्रालय; (iii) परमाणु ऊर्जा विभाग; और (iv) अंतरिक्ष विभाग (दिनांक 23.5.2009 से 26.5.2014* तक) जल संसाधन मंत्रालय का कार्यभार संभाला (दिनांक 31.5.2009 से 14.6.2009 तक) संस्कृति मंत्रालय का कार्यभार संभाला (दिनांक 23.5.2009 से 19.1.2011 तक) रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाला (दिनांक 19.5.2011 से 12.7.2011 तक) (पुन: दिनांक 15.6.2013 से 17.6.2013 तक) वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला (दिनांक 26.6.2012 से 31.7.2012 तक) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार संभाला (दिनांक 15.6.2013 से 17.6.2013 तक) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का कार्यभार संभाला (दिनांक 15.6.2013 से 17.6.2013 तक)
		भाग दो
		मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री
1.	अब्दुल्ला, डॉ. फारूख	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 26.5.2014* तक)
2.	अलागिरी, श्री एम.के.	रसायन और उर्वरक मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 20.3.2013 तक)
3.	एंटनी, श्री ए.के.	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 23.5.2009 तक) रक्षा मंत्री (दिनांक 23.5.2009 से 26.5.2014* तक)

*मंत्रिपरिषद् के विघटन की तारीख।

1	2	3
4.	आजाद, श्री गुलाम नबी	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 28.5.2009 तक) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 26.5.2014* तक) जल संसाधन मंत्री (दिनांक 1.2.2014 से 26.5.2014* तक)
5.	बनर्जी, कुमारी ममता	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 23.5.2009 तक) रेल मंत्री (दिनांक 23.5.2009 से 19.5.2011 तक)
6.	बंसल, श्री पवन कुमार	संसदीय कार्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 14.6.2009 तक) (पुन: दिनांक 14.6.2009 से 28.10.2012 तक) जल संसाधन मंत्री (दिनांक 14.6.2009 से 19.1.2011 तक) (पुन: दिनांक 12.7.2011 से 28.10.2012 तक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 12.7.2011 तक) रेल मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 11.5.2013 तक)
7.	भूरिया, श्री कांति लाल	जनजातीय कार्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 12.7.2011 तक)
8.	चिदम्बरम, श्री पी.	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 23.5.2009 तक) गृह मंत्री (दिनांक 23.5.2009 से 31.7.2012 तक) वित्त मंत्री (दिनांक 31.7.2012 से 26.5.2014* तक)
9.	देव, श्री वी. किशोर चन्द्र	जनजातीय कार्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री (दिनांक 12.7.2011 से 26.5.2014* तक)
10.	देवड़ा, श्री मुरली	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 28.5.2009 तक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 12.7.2011 तक)
11.	देशमुख, श्री विलास राव	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 12.7.2011 तक)

*मंत्रिपरिषद् के विघटन की तारीख।

1	2	3
		विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (दिनांक 12.7.2011 से 10.8.2012 तक) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (दिनांक 26.6.2012 से 10.8.2012 तक) निर्विभाग मंत्री (दिनांक 10.8.2012 से 14.8.2012 तक*)
12.	फर्नांडीज, श्री आस्कर	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (दिनांक 17.6.2013 से 26.5.2014** तक) श्रम और रोजगार मंत्री (दिनांक 15.12.2013 से 26.5.2014** तक)
13.	गिल, डॉ. एम.एस.	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 12.7.2011 तक)
14.	हान्डिक, श्री बी.के.	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 28.5.2009 तक) खान मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 12.7.2011 तक)
15.	जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश	कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) कोयला मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 26.5.2014** तक)
16.	जोशी, श्री सी.पी.	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 28.5.2009 तक) ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 15.6.2013 तक) रेल मंत्री (दिनांक 22.9.2012 से 28.10.2012 तक) (पुन: दिनांक 11.5.2013 से 15.6.2013 तक)
17.	कटोच, श्रीमती चन्द्रेश कुमारी	संस्कृति मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014** तक)
18.	खान, श्री के. रहमान	अल्पसंख्यक मामले मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014** तक)
19.	खरगे, श्री मल्लिकार्जुन	श्रम और रोजगार मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 17.6.2013 तक) रेल मंत्री (दिनांक 17.6.2013 से 26.5.2014** तक) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (दिनांक 28.1.2014 से 26.5.2014** तक)

*उनके निधन की तारीख।

**मंत्रिपरिषद् के विघटन की तारीख।

1	2	3
20.	खुर्शीद, श्री सलमान	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) जल संसाधन मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 12.7.2011 तक) अल्पसंख्यक मामले मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 28.10.2012 तक) विधि और न्याय मंत्री (दिनांक 12.7.2011 से 28.10.2012 तक) विदेश मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
21.	कृष्णा, श्री एस.एम.	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 23.5.2009 तक) विदेश मंत्री (दिनांक 23.5.2009 से 27.10.2012 तक)
22.	कुमार, श्री अश्विनी	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 28.10.2012 तक) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 12.7.2011 तक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 28.10.2012 तक) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 28.10.2012 तक) विधि और न्याय मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 11.5.2013 तक)
23.	कुमारी सैलजा	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 28.10.2012 तक) पर्यटन मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) संस्कृति मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 28.10.2012 तक) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 28.1.2014 तक)
24.	माकन, श्री अजय	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 19.1.2011 से 28.10.2012 तक) मानव संसाधन विकास मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 15.6.2013 तक)
25.	मारन, श्री दयानिधि	वस्त्र मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 12.7.2011 तक)

*मंत्रिपरिषद् के विघटन की तारीख।

1	2	3
26.	कुमार, श्रीमती मीरा	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 28.5.2009 तक) जल संसाधन मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 31.5.2009, उनके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की तारीख तक)
27.	मोइली, श्री एम. वीरप्पा	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 28.5.2009 तक) विधि और न्याय मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 12.7.2011 तक) कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (दिनांक 12.7.2011 से 28.10.2012 तक) विद्युत मंत्री (दिनांक 31.7.2012 से 28.10.2012 तक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक) पर्यावरण और वन मंत्री (दिनांक 21.12.2013 से 26.5.2014* तक)
28.	मुखर्जी, श्री प्रणब	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 23.5.2009 तक) वित्त मंत्री (दिनांक 23.5.2009 से 26.6.2012 तक)
29.	नाथ, श्री कमल	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 28.5.2009 तक) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) शहरी विकास मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 26.5.2014* तक) संसदीय कार्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
30.	ओला, श्री शीश राम	श्रम और रोजगार मंत्री (दिनांक 17.6.2013 से 15.12.2013 तक**)
31.	पल्लम राजू, श्री एम.एम.	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 28.10.2012 तक) मानव संसाधन विकास मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014 तक*)
32.	पटेल, श्री दिनशा	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 19.1.2011 से 28.10.2012 तक) खान मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)

*मंत्रिपरिषद् के विघटन की तारीख।

**उनके निधन की तारीख।

1	2	3
33.	पटेल, श्री प्रफुल	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 26.5.2014* तक)
34.	पवार, श्री शरद	वित्त विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 23.5.2009 तक) कृषि मंत्री (दिनांक 23.5.2009 से 26.5.2014* तक) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (दिनांक 23.5.2009 से 19.1.2011 तक) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 26.5.2014* तक)
35.	राजा, श्री ए.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 15.11.2010 तक)
36.	रमेश, श्री जयराम	पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 28.5.2009 से 12.7.2011 तक) ग्रामीण विकास मंत्री (दिनांक 12.7.2011 से 26.5.2014* तक) पेयजल और स्वच्छता मंत्री (दिनांक 13.7.2011 से 28.10.2012 तक)
37.	राव, डॉ. के.एस.	वस्त्र मंत्री (दिनांक 17.6.2013 से 3.4.2014 तक)
38.	रवि, श्री वयालार	वित्त विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 28.5.2009 तक) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 26.5.2014* तक) नागर विमानन मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 18.12.2011 तक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (दिनांक 10.8.2012 से 28.10.2012 तक)
39.	रावत, श्री हरीश	श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 28.10.2012 तक) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 12.7.2011 से 28.10.2012 तक) जल संसाधन मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 1.2.2014 तक)

*मंत्रिपरिषद् के विघटन की तारीख।

1	2	3
40.	रेड्डी, श्री एस. जयपाल	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 28.5.2009 तक) शहरी विकास मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 28.10.2012 तक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक) पृथ्वी विज्ञान मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
41.	राय, श्री मुकुल	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 20.3.2012 तक) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.5.2011 से 12.7.2011 तक) रेल मंत्री (दिनांक 20.3.2012 से 22.9.2012 तक)
42.	सहाय, श्री सुबोध कांत	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) पर्यटन मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 27.10.2012 तक)
43.	शर्मा, श्री आनंद	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 28.5.2009 तक) वाणिज्य और उद्योग मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 26.5.2014* तक) वस्त्र मंत्री (दिनांक 12.7.2011 से 17.6.2013 तक) (पुनः 3.4.2014 से 26.5.2014* तक)
44.	शिंदे, श्री सुशील कुमार	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 28.5.2009 तक) विद्युत मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 31.7.2012 तक) गृह मंत्री (दिनांक 31.7.2012 से 26.5.2014* तक)
45.	सिब्बल, श्री कपिल	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 28.5.2009 तक) मानव संसाधन विकास मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 28.10.2012 तक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री (दिनांक 10.11.2010 से 19.1.2011 तक) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (दिनांक 15.11.2010 से 26.5.2014* तक) विधि और न्याय मंत्री (दिनांक 11.5.2013 से 26.5.2014* तक)

*मंत्रिपरिषद् के विघटन की तारीख।

1	2	3
46.	सिंह, श्री अजित	नागर विमानन मंत्री (दिनांक 18.12.2011 से 26.5.2014* तक)
47.	सिंह, श्री वीरभद्र	इस्पात मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 26.6.2012 तक)
48.	सोनी, श्रीमती अंबिका	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 28.5.2009 तक) सूचना और प्रसारण मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 27.10.2012 तक)
49.	त्रिवेदी, श्री दिनेश	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 12.7.2011 तक) रेल मंत्री (दिनांक 12.7.2011 से 19.3.2012 तक)
50.	वासन, श्री जी.के.	पोत परिवहन मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 26.5.2014* तक)
51.	वर्मा, श्री बेनी प्रसाद	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 19.1.2011 से 12.7.2011 तक) इस्पात मंत्री (दिनांक 12.7.2011 से 26.5.2014* तक)
52.	व्यास, डॉ. गिरिजा	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (दिनांक 17.6.2013 से 26.5.2014* तक)
53.	वासनिक, श्री मुकुल	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 27.10.2012 तक)
		भाग तीन **राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**
1.	चव्हाण, श्री पृथ्वीराज	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 10.11.2010 तक)
2.	चिरंजीवी, डॉ. के.	पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
3.	घाटोवार, श्री पवन सिंह	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 12.7.2011 से 26.5.2014* तक) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 20.7.2011 से 26.5.2014* तक)
4.	जैना, श्री श्रीकांत	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 20.3.2013 तक)

*मंत्रिपरिषद् के विघटन की तारीख।

1	2	3
		रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 20.3.2013 से 26.5.2014* तक)
		सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 12.7.2011 से 26.5.2014* तक)
5.	कामत, श्री गुरूदास	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) (पुन: 21.1.2011 से 12.7.2011 तक)
		गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 12.7.2011 तक)
		पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 12.7.2011 से 13.7.2011 तक)
6.	मुनियप्पा, श्री के.एच.	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 28.10.2012 तक)
		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
7.	नटराजन, श्रीमती जयंती	पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 12.7.2011 से 21.12.2013 तक)
8.	पायलट, श्री सचिन	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 28.10.2012 तक)
		कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
9.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 28.10.2012 तक)
		विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
10.	सोलंकी, श्री भरत सिंह	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक)
		रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 28.10.2012 तक)
		पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
11.	तिवारी, श्री मनीष	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
12.	थॉमस, प्रो. के.वी.	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक)
		उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 19.1.2011 से 26.5.2014* तक)
13.	तीरथ, श्रीमती कृष्णा	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 28.5.2009 से 26.5.2014* तक)

*मंत्रिपरिषद् के विघटन की तारीख।

1	2	3
		भाग चार
		राज्य मंत्री
1.	अधिकारी, श्री शिशिर	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 22.9.2012 तक)
2.	अहमद, श्री ई.	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 26.5.2014* तक) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 12.7.2011 से 28.10.2012 तक)
3.	अहमद, श्री सुल्तान	पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 22.9.2012 तक)
4.	बंदोपाध्याय, श्री सुदीप	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 12.7.2011 से 22.9.2012 तक)
5.	चौधरी, श्री तुषार	जनजातीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 26.5.2014* तक)
6.	चौधरी, श्री अधीर रंजन	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
7.	चौधरी, श्री ए.एच. खान	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
8.	चौधरी, श्रीमती संतोष	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 17.6.2013 से 26.5.2014* तक)
9.	दासमुंशी, श्रीमती दीपा	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
10.	देवरा, श्री मिलिन्द	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 12.7.2011 से 26.5.2014* तक) पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 30.10.2012 से 26.5.2014* तक)
11.	ईरींग, श्री निनोंग	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
12.	गांधीसेलवन, श्री एस.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 20.3.2013 तक)
13.	गावित, श्री माणिकराव होडल्या	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 17.6.2013 से 26.5.2014* तक)
14.	जगतरक्षकन, श्री एस.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 28.10.2012 तक)

*मंत्रिपरिषद् के विघटन की तारीख।

1	2	3
		नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 2.11.2012 तक)
		वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 2.11.2012 से 20.3.2013 तक)
15.	जैन, श्री प्रदीप	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 26.5.2014* तक)
16.	जतुआ, श्री चौधरी मोहन	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 22.9.2012 तक)
17.	कटारिया, श्री लालचन्द	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 30.10.2012 तक)
		ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 30.10.2012 से 26.5.2014* तक)
18.	कौर, श्रीमती परनीत	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 26.5.2014* तक)
19.	खंडेला, श्री महादेव एस.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक)
		जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 27.10.2012 तक)
20.	किल्ली, डॉ. (श्रीमती) कृपारानी	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
21.	लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 30.10.2012 तक) (पुन: 5.3.2013 से 26.5.2014* तक)
		पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 30.10.2012 से 26.5.2014* तक)
22.	महन्त, श्री चरणदास	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 12.7.2011 से 26.5.2014* तक)
		कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 12.7.2011 से 26.5.2014* तक)
23.	मीणा, श्री नमोनारायण	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 26.5.2014* तक)
24.	रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 26.5.2014* तक)
25.	नायक, श्री पी. बलराम	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
26.	नैपोलियन, श्री डी.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 20.3.2013 तक)
27.	नरह, श्रीमती रानी	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
28.	नारायणसामी, श्री वी.	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक)
		संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 12.7.2011 तक)

*मंत्रिपरिषद् के विघटन की तारीख।

1	2	3
		कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 15.11.2010 से 26.5.2014* तक)
		प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 26.5.2014* तक)
29.	नचियप्पन, डॉ. ई.एम. सुदर्शन	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 17.6.2013 से 26.5.2014* तक)
30.	पाला, श्री बिन्सेंट एच.	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 27.10.2012 तक)
		अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 27.10.2012 तक)
31.	पलानीमनिकम, श्री एस.एस.	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 20.3.2013 तक)
32.	पाटील, श्री प्रतीक	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 14.6.2009 तक)
		युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 14.6.2009 से 19.1.2011 तक)
		कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 26.5.2014* तक)
33.	प्रसाद, श्री जतिन	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक)
		सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 28.10.2012 तक)
		मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
34.	प्रताप, श्री ए. साई	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक)
		भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 12.7.2011 तक)
35.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 28.10.2012 तक)
		वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 11.3.2014 तक)
36.	राय, श्री सौगत	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 22.9.2012 तक)
37.	रेड्डी, श्री के.जे. सूर्य प्रकाश	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
38.	संगमा, कुमारी अगाथा	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 27.10.2012 तक)
39.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)

*मंत्रिपरिषद् के विघटन की तारीख।

1	2	3
40.	सीलम, श्री जेसु दासु	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 17.6.2013 से 26.5.2014* तक)
41.	श्री तारिक अनवर	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
42.	शुक्ल, श्री राजीव	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 12.7.2011 से 26.5.2014* तक) योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
43.	सिंह, श्री जितेन्द्र	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 12.7.2011 से 28.10.2012 तक) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
44.	सिंह, श्री आर.पी.एन.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 19.1.2011 तक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 28.10.2012 तक) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 28.10.2012 तक) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
45.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
46.	थरूर, डॉ. शशि	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 18.4.2010, उनके त्यागपत्र देने की तारीख तक) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
47.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 28.10.2012 तक) नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.10.2012 से 26.5.2014* तक)
48.	यादव, श्री अरुण	निर्विभाग मंत्री (दिनांक 22.5.2009 से 28.5.2009 तक) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 28.5.2009 से 14.6.2009 तक) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 14.6.2009 से 19.1.2011 तक) कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 12.7.2011 तक) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनांक 19.1.2011 से 12.7.2011 तक)

*मंत्रिपरिषद् के विघटन की तारीख।

विवरण 23

सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति

क्रम सं.	सदस्य का नाम	अवधि जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत हुई	जिस तारीख को छुट्टी स्वीकृत हुई
1	2	3	4
1.	श्री कामेश्वर बैठा	19.11.2009 से 21.12.2009	3.5.2010
2.	श्री गजानन ध. बाबर	30.11.2009 से 14.12.2009	
3.	श्री यशवंत सिन्हा	19.11.2009 से 08.12.2009	
4.	श्री शिवाजी अधलराव पाटील	05.12.2009 से 21.12.2009	
5.	श्री कबीर सुमन	26.02.2010 से 16.03.2010	
6.	श्री बलिराम कश्यप	22.02.2010 से 07.05.2010	
7.	श्री शिबू सोरेन	19.11.2009 से 21.12.2009 और 22.02.2010 से 16.03.2010	
8.	श्री रमाकांत यादव	19.11.2009 से 21.12.2009 और 22.02.2010 से 16.03.2010 और 15.04.2010 से 07.05.2010[$]	
9.	श्री के. चंद्रशेखर राव	19.11.2009 से 21.12.2009 और 22.02.2010 से 16.03.2010	
10.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	10.03.2010 से 16.03.2010 और 12.04.2010 से 26.04.2010	
11.	श्री मधु कोड़ा	19.11.2009 से 21.12.2009 और 22.02.2010 से 16.03.2010 और 15.04.2010 से 07.05.2010[%]	19.08.2010
12.	श्री इज्यराज सिंह	26.07.2010 से 21.08.2010	
13.	डॉ. बलिराम	26.07.2010 से 31.08.2010 और 9.11.2010 से 13.12.2010[#]	08.12.2010

[$] चूंकि सदस्य ने 60 दिन की अनुपस्थिति 18 अप्रैल, 2010 को पूरी कर ली थी और अनुपस्थिति की अनुमति का आवेदन उस तारीख के पश्चात् प्राप्त हुआ था इसलिए समिति ने यह सिफारिश की कि आवेदन की तारीख (अर्थात् 21 अप्रैल, 2010) तक की उनकी अनुपस्थिति की अवधि को माफ किया जाए और उन्हें 22 अप्रैल, 2010 से 7 मई, 2010 (16 दिन) तथा अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए।

[%] चूंकि सदस्य ने 60 दिन की अनुपस्थिति 18 अप्रैल, 2010 को पूरी कर ली थी और अनुपस्थिति की अनुमति का आवेदन 13 जुलाई, 2010 को प्राप्त हुआ था इसलिए समिति ने सिफारिश की कि 7 मई, 2010 तक उनकी अनुपस्थिति की पूरी अवधि को माफ किया जाए।

[#] समिति 59 दिन से अधिक से अवकाश की सिफारिश नहीं करती। अत: सदस्य को पहली बार में 59 दिन का अवकाश प्रदान किया गया। उनसे 13 दिन की शेष अवधि के लिए नए सिरे से आवेदन करने का अनुरोध किया जाए।

1	2	3	4
14.	श्री कामेश्वर बैठा	25.02.2010 से 16.03.2010 और 15.04.2010 से 07.05.2010 और 26.07.2010 से 31.08.2010 और 09.11.2010 से 26.11.2010[ss]	
15.	श्रीमती कैसर जहां	09.11.2010 से 24.11.2010	
16.	श्री ए. राजा	2.12.2010 से 13.12.2010 और 21.2.2011 से 25.03.2011 और 1.8.2011 से 8.9.2011^	05.09.2011
17.	श्रीमती सोनिया गांधी	01.08.2011 से 31.08.2011*	
18.	श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर	01.8.2011 से 08.09.2011	
19.	श्री सुरेश कलमाडी	01.8.2011 से 08.09.2011	
20.	श्री ए. राजा	15.08.2011 से 08.09.2011 और 22.11.2011 से 22.12.2011^^	14.12.2011
21.	श्री मधु कोड़ा	22.11.2011 से 22.12.2011	
22.	श्री सुरेश कलमाड़ी	22.11.2011 से 22.12.2011	
23.	श्रीमती श्रुति चौधरी	22.11.2011 से 22.12.2011	
24.	श्री ए. राजा	23.12.2011 से 29.12.2011 और 12.03.2012 से 30.03.2012 और 24.04.2012 से 22.05.2012@	10.05.2012
25.	श्री मधु कोड़ा	12.03.2012 से 30.03.2012 और 24.04.2012 से 22.05.2012	
26.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	12.03.2012 से 30.03.2012 और 24.04.2012 से 30.04.2012	
27.	श्री प्रताप नारायणराव सोनवणे	12.03.2012 से 30.03.2012	
28.	श्री दिनेश त्रिवेदी	08.05.2012 से 22.05.2012	

[ss] चूंकि सदस्य ने अवकाश के लिए 1.11.2010 (अर्थात् लगातार 60 दिन का अवकाश समाप्त होने के बाद) को आवेदन किया है अत: 25.2.2010 से 31.8.2010 तक उनकी अनुपस्थिति की कुल अवधि 80 दिन को माफ करने के लिए सिफारिश की गई है और समिति द्वारा 9.11.2010 से 26.11.2010 तक शेष 18 दिनों की उनकी अनुपस्थिति की अनुमति की सिफारिश की जाती है।

^ समिति 59 दिन से अधिक से अवकाश की सिफारिश नहीं करती है। अत: सदस्य को पहली बार में 59 दिन का अवकाश प्रदान किया जाए। उनसे 25 दिन की शेष अवधि के लिए नए सिरे से आवेदन करने का अनुरोध किया जाए।

* अनुपस्थिति की अनुमति की अवधि का आवेदन पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है। उपस्थिति रजिस्टर से यह पता किया गया है कि सदस्य 1 से 31 अगस्त, 2011 तक सभा में उपस्थित नहीं था।

^^ सदस्य से पूर्ववर्ती सत्र अर्थात् 15वीं लोक सभा के 8वां सत्र से संबंधित 25 दिनों के अवकाश के लिए नए सिरे से आवेदन करने का अनुरोध किया गया था। यह स्थिति समिति के पिछले प्रतिवेदन अर्थात् चौथे प्रतिवेदन में प्रतिबिम्बित हुई थी।

@ सदस्य से पूर्ववर्ती सत्र अर्थात् 15वीं लोक सभा के 9वें सत्र से संबंधित 7 दिनों के अवकाश के लिए नए सिरे से आवेदन करने का अनुरोध किया गया था। यह स्थिति समिति के पिछले प्रतिवेदन अर्थात् पांचवें प्रतिवेदन में प्रतिबिम्बित हुई थी।

1	2	3	4
29.	श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी	22.12.2011 से 29.12.2011 और 12.03.2012 से 30.03.2012 और 24.04.2012 से 09.05.2012	
30.	श्री शिबू सोरेन	22.12.2011 से 29.12.2011 और 12.03.2012 से 30.03.2012 और 24.04.2012 से 08.05.2012	
31.	श्री शत्रुघ्न सिन्हा	08.08.2012 से 25.08.2012	04.09.2012
32.	श्री डी. वेणुगोपाल	09.08.2012 से 07.09.2012	
33.	श्री मधु कौड़ा	08.08.2012 से 07.09.2012	
34.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	08.08.2012 से 29.08.2012	
35.	श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी	10.05.2012 से 22.05.2012 और 08.08.2012 से 07.09.2012	
36.	श्री सुब्रत बक्शी	08.08.2012 से 02.09.2012	
37.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	22.11.2012 से 20.12.2012	13.12.2012
38.	श्री मधु कौड़ा	22.11.2012 से 20.12.2012	
39.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	22.11.2012 से 20.12.2012	
40.	श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी	22.11.2012 से 20.12.2012 और 21.02.2013 से 22.03.2013	02.05.2013
41.	श्री मधु कौड़ा	21.02.2013 से 22.03.2013 और 22.04.2013 से 28.04.2013	
42.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	21.02.2013 से 22.03.2013 और 22.04.2013 से 10.05.2013	
43.	कुमारी मौसम नूर	21.02.2013 से 22.03.2013	
44.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	06.12.2012 से 20.12.2012 और 21.02.2013 से 22.03.2013	
45.	श्री सी.एम. चांग	22.02.2013 से 21.03.2013	
46.	श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी	22.04.2013 से 08.05.2013	23.08.2013
47.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	05.08.2013 से 30.08.2013	
48.	श्री के.जे.के. रितीश शिवकुमार	09.08.2013 से 06.09.2013 और 05.12.2013 से 15.12.2013	18.02.2014
49.	श्री एम.के. अलागिरी	09.08.2013 से 06.09.2013 और 05.12.2013 से 18.12.2013 और 05.02.2014 से 20.02.2014[&]	
50.	श्री डी. नैपोलियन	24.08.2013 से 06.09.2013 और 05.12.2013 से 18.12.2013 और 05.02.2014 से 21.02.2014	

[&]चूंकि समिति 59 दिन से अधिक के अवकाश की सिफारिश नहीं करती। अत: सदस्य को पहली बार में 59 दिन का अवकाश प्रदान किया जाए।

विवरण 24

उन सदस्यों की सूची जिनका 15वीं लोक सभा के दौरान त्यागपत्र स्वीकार किया गया

क्रम सं.	सदस्य का नाम	राज्य	निर्वाचन क्षेत्र	अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की तारीख	कारण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अखिलेश यादव	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	26.05.2009	एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित
2.	श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी	आंध्र प्रदेश	कडप्पा	29.11.2010	
3.	श्री अर्जुन मुंडा	झारखंड	जमशेदपुर	26.02.2011	झारखंड विधान सभा हेतु निर्वाचित
4.	कुमारी ममता बनर्जी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता दक्षिण	09.10.2011	पश्चिम बंगाल विधान सभा हेतु निर्वाचित
5.	श्री डी.बी. सदानंद गौड़ा	कर्नाटक	उदूपी चिकमंगलूर	29.12.2011	कर्नाटक विधान परिषद् हेतु निर्वाचित
6.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	आंध्र प्रदेश	नेल्लौर	28.02.2012	
7.	श्री अखिलेश यादव	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	02.05.2012	उत्तर प्रदेश विधान परिषद् हेतु निर्वाचित
8.	श्री विजय बहुगुणा	उत्तराखंड	टिहरी गढ़वाल	23.07.2012	उत्तराखंड विधान सभा हेतु निर्वाचित
9.	श्री वीरभद्र सिंह	हिमाचल प्रदेश	मंडी	01.01.2013	हिमाचल प्रदेश विधान सभा हेतु निर्वाचित
10.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादडिया	गुजरात	पोरबंदर	03.01.2013	गुजरात विधान सभा हेतु निर्वाचित
11.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	कर्नाटक	मांडव्या	21.05.2013	कर्नाटक विधान सभा हेतु निर्वाचित
12.	श्री एच.डी. कुमारस्वामी	कर्नाटक	बंगलौर ग्रामीण	21.05.2013	कर्नाटक विधान सभा हेतु निर्वाचित
13.	श्री सी.एम. चांग	नागालैंड	नागालैंड	21.09.2013	नागालैंड विधान सभा हेतु निर्वाचित
14.	श्री उदय प्रताप सिंह	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	10.12.2013	मध्य प्रदेश विधान सभा हेतु निर्वाचित
15.	श्री के.डी. देशमुख	मध्य प्रदेश	बालाघाट	12.12.2013	मध्य प्रदेश विधान सभा हेतु निर्वाचित
16.	श्री भूपेन्द्र सिंह	मध्य प्रदेश	सागर	13.12.2013	मध्य प्रदेश विधान सभा हेतु निर्वाचित
17.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	19.12.2013	मध्य प्रदेश विधान सभा हेतु निर्वाचित
18.	डॉ. किरोड़ी लाल मीना	राजस्थान	दौसा	19.12.2013	राजस्थान विधान सभा हेतु निर्वाचित
19.	श्री एल. राजगोपाल	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	19.02.2014	
20.	श्री सौमेन मित्रा	पश्चिम बंगाल	डायमंड हार्बर	01.03.2014	
21.	श्री कल्याण सिंह	उत्तर प्रदेश	एटा	01.03.2014	
22.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	महाराष्ट्र	कल्याण	01.03.2014	
23.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	उत्तर प्रदेश	कैसरगंज	15.03.2014	
24.	श्री जगदम्बिका पाल	उत्तर प्रदेश	डुमरियागंज	15.03.2014	

विवरण 25

निधन संबंधी उल्लेख

क्रम सं.	सदस्य/विशिष्ट व्यक्ति का नाम और विवरण	निधन/घटना की तारीख	निधन संबंधी उल्लेख की तारीख	लिया गया समय	
				घं.	मि.
1	2	3	4	5	6
1.	श्री गिरधारी लाल भार्गव (सदस्य, नौवीं से चौदहवीं लोक सभा)	08.03.2009			
2.	श्री गुमान मल लोढ़ा (सदस्य, नौवीं से ग्यारहवीं लोक सभा)	12.03.2009			
3.	श्री तुलमोहन राम (सदस्य, तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा)	28.03.2009			
4.	श्री ए.एफ. गुलाम ओस्मानी (सदस्य, बारहवीं से चौदहवीं लोक सभा)	31.03.2009	4.06.2009	00	00.15
5.	श्री शंकर तिवारी (सदस्य, पांचवीं लोक सभा)	09.04.2009			
6.	श्री वीरेन्द्र वर्मा (सदस्य, बारहवीं लोक सभा)	02.05.2009			
7.	श्री होमी एफ. दाजी (सदस्य, तीसरी लोक सभा)	14.05.2009			
8.	चक्रवात 'आईला' जिसने पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश को प्रभावित किया।	25.05.2009	4.06.2009	00	02
9.	एयर फ्रांस के विमान, जिसमें 228 व्यक्ति सवार थे, के अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त होने के संदर्भ में				
10.	श्री शिवचरण माथुर (सदस्य, तीसरी और दसवीं लोक सभा)	25.06.2009	2.07.2009	00	06
11.	श्री फसी-उर-रहमान मुन्ना खान (सदस्य, नौवीं लोक सभा)				
12.	डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (सदस्य, ग्यारहवीं से तेहरवीं लोक सभा)	20.02.2009	07.07.2009	00	04
13.	श्रीमती गायत्री देवी (सदस्य, तीसरी से पांचवीं लोक सभा)	29.07.2009	31.07.2009	00	04

1	2	3	4	5	6
14.	श्री नकली सिंह (सदस्य, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा)	20.08.2009			
15.	श्री यशवंत राव मोहिते (सदस्य, सातवीं लोक सभा)	22.08.2009			
16.	डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (सदस्य, नौवीं से बारहवीं लोक सभा)	03.09.2009			
17.	प्रो. शेर सिंह (सदस्य, चौथी से छठी लोक सभा)	05.09.2009			
18.	श्री राव वीरेन्द्र सिंह (सदस्य, पांचवीं, सातवीं, आठवीं और नौवीं लोक सभा)	30.09.2009	19.11.2009	00	18
19.	श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल (सदस्य, नौवीं लोक सभा)	06.10.2009			
20.	श्री कचारूलाल हेमराज जैन (सदस्य, छठी लोक सभा)	06.10.2009			
21.	श्री विक्रम केशरी देव (सदस्य, बारहवीं से चौदहवीं लोक सभा)	07.10.2009			
22.	श्री पी. उपेन्द्र (सदस्य, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा)	16.11.2009			
23.	श्री वी. कांडासामी (सदस्य, ग्यारहवीं लोक सभा)	10.09.2009			
24.	श्री पी. मोहन (सदस्य, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा)	30.10.2009	25.11.2009	00	06
25.	श्री अजीत बाग (सदस्य, सातवीं लोक सभा)	07.11.2009			
26.	श्री बी. शंकरानंद (सदस्य, चौथी से दसवीं लोक सभा)	20.11.2009			
27.	श्री के.सी. शर्मा (सदस्य, सातवीं लोक सभा)	06.11.2009			
28.	श्री एस. जेवयिर (सदस्य, चौथी लोक सभा)	06.12.2009			
29.	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (सदस्य, तीसरी, चौथी, पांचवीं और आठवीं लोक सभा)	10.12.2009	18.12.2009	00	06
30.	श्री शम्भू नाथ (सदस्य, चौथी और पांचवीं लोक सभा)	12.12.2009			

1	2	3	4	5	6
31.	छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के भानपुरी में नक्सली हमले में श्री बलीराम कश्यप, संसद सदस्य के पुत्र की मृत्यु।	26.09.2009			
32.	केरल के इदुक्की जिले की थेकडी झील में एक नाव डूबने से हुई दुर्घटना, 45 पर्यटकों की मृत्यु।	30.09.2009			
33.	महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के लाहेरी पुलिस थाने पर नक्सली हमले में 17 पुलिसकर्मियों की मौत।	8.10.2009	19.11.2009	00	04
34.	उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास गोवा एक्सप्रेस और मेवाड़ एक्सप्रेस के बीच हुई रेलवे दुर्घटना में 22 व्यक्तियों की मृत्यु।	21.10.2009			
35.	राजस्थान के दौसा जिले में मंडोर एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने पर 7 व्यक्तियों की मौत।	14.11.2009			
36.	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में अभूतपूर्व वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ तथा चक्रवात की घटना से सैकड़ों लोगों की मौत और अधिकांश बेघर हुए और जान-माल की भारी हानि।	अक्तूबर-नवम्बर, 2009	25.11.2009	00	02
37.	छत्तीसगढ़ के कोरबा में निर्माणाधीन चिमनी टावर के गिरने से हुई 50 मजदूरों की मौत।	23.09.2009			
38.	जयपुर के सांगानेर में भारतीय तेल निगम के डिपो में लगी भारी आग में 11 व्यक्तियों की मौत।	20.10.2009	25.11.2009	00	02
39.	मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिक हताहत हुए थे, की पहली वर्षगांठ के अवसर पर संकल्प को स्वीकार करना।	28.11.2008	26.11.2009	00	04
40.	भोपाल गैस त्रासदी की 25वीं वर्षगांठ।	3.12.1984	3.12.2009	00	01
41.	[1]13 दिसम्बर 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की 8वीं वर्षगांठ।	13.12.2001	11.12.2009	00	04
42.	श्री अरविंद तुलसीराम कांबले (सदस्य, आठवीं, नौवीं, दसवीं और बारहवीं लोक सभा)	28.12.2009			
43.	श्री नागेश्वर द्विवेदी (सदस्य, चौथी और पांचवीं लोक सभा)	1.1.2010			
44.	श्री जगपाल सिंह (सदस्य, सातवीं और नौवीं लोक सभा)	13.1.2010	22.2.2010	00	15
45.	श्री विधी चन्द्र जैन (सदस्य, सातवीं और आठवीं लोक सभा)	13.1.2010			

[1]12.12.2009 और 13.12.2009 को अवकाश होने के कारण निधन संबंधी उल्लेख 11.12.2009 को किए गए।

1	2	3	4	5	6
46.	श्री राम निवास मिर्धा (सदस्य, आठवीं और दसवीं लोक सभा)	29.1.2010	22.2.2010	00	15
47.	श्री ज्योति बसु (पूर्व मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल)	17.1.2010			
48.	श्री जनेश्वर मिश्रा (सदस्य, चौथी, पांचवीं, छठी और नौवीं लोक सभा)	22.1.2010	23.2.2010	00	12
49.	श्री ब्रह्मानन्द पांडा (सदस्य, चौदहवीं लोक सभा)	23.01.2010			
50.	श्री चौखामून गोंहाईं (सदस्य, पहली और दूसरी लोक सभा)	2.02.2010			
51.	श्री डी.एन. रेड्डी (सदस्य, आठवीं लोक सभा)	16.2.2010			
52.	श्री मधुकर सरपोंतदार (सदस्य, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा)	20.2.2010			
53.	श्री खगपति प्रधानी (सदस्य, चौथी से बारहवीं लोक सभा)	3.2.2010	5.3.2010	00	05
54.	श्री अशोक सिंह (सदस्य, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा)	23.2.2010			
55.	श्री नानाजी देशमुख (सदस्य, छठी लोक सभा)	27.2.2010	12.3.2010	00	05
56.	श्री लेच काज्यंस्की (पोलैण्ड के राष्ट्रपति)	10.4.2010	15.4.2010	00	12
57.	श्री शिवशरण वर्मा (सदस्य, सातवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा)	27.1.2010			
58.	श्री पी. राजारेतिनम (सदस्य, बारहवीं लोक सभा)	4.2.2010			
59.	श्रीमती सुंदरवती नवल प्रभाकर (सदस्य, आठवीं लोक सभा)	24.3.2010			
60.	श्री वरकला राधाकृष्णन (सदस्य, बारहवीं से चौदहवीं लोक सभा)	26.4.2010	27.4.2010	00	08
61.	श्रीमती प्रभु राऊ (सदस्य, तेरहवीं लोक सभा)	26.4.2010			

1	2	3	4	5	6
62.	श्री सत्येन्द्र चन्द्र गुरिया	24.4.2010	28.4.2010	00	06
63.	श्री ए. जयमोहन (सदस्य, आठवीं से दसवीं लोक सभा)	25.4.2010	3.5.2010	00	06
64.	श्री टी. बाला गौड (सदस्य, आठवीं और नौवीं लोक सभा)	1.3.2010	4.5.2010	00	06
65.	श्री आर.पी. यादव (सदस्य, पांचवीं और सातवीं लोक सभा)	28.3.2010	7.5.2010	00	06
66.	पुणे में एक बेकरी पर हुए आतंकवादी हमले में विदेशियों समेत 15 लोगों की मृत्यु और 60 व्यक्ति घायल।	13.2.2010			
67.	पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के सिल्दा कैम्प पर हुए एक नक्सली हमले में अर्ध-सैनिक बलों के 20 जवानों की मृत्यु।	15.2.2010	22.2.2010	00	02
68.	बिहार में जमुई जिले के फिलवारी गांव में हुए नक्सली हमले में 11 ग्रामीणों की मृत्यु।	18.2.2010			
69.	उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ के एक आश्रम में मची भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत 63 लोगों की मृत्यु तथा सैकड़ों घायल।	4.3.2010	5.3.2010	00	01
70.	छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में हुए एक माओवादी हमले में केंरिपु बल के 75 जवानों और एक राज्य पुलिसकर्मी की मृत्यु।	6.4.2010			
71.	ओडिशा के कोरापुट जिले में नक्सली हमले में मारे गए स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप के 11 सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु।	4.4.2010	15.4.2010	00	02
72.	असम, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में तूफान के कारण 120 लोगों की मृत्यु।	14.4.2010			
73.	हरिद्वार में घटित एक दु:खद दुर्घटना में भगदड़ में लगभग 7 लोगों की मृत्यु और 2 लोगों का डूबना।	14.4.2010	15.4.2010	00	02
74.	हरियाणा के हिसार जिले के मिर्चपुर गांव में एक घटना में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दलितों के बहुत से घरों को जला देने और दो लोगों की मृत्यु तथा एक दर्जन से अधिक घायल।	21.4.2010	27.4.2010	00	01
75.	श्री भैरों सिंह शेखावत (भारत के पूर्व उप-राष्ट्रपति)	15.5.2010			
76.	श्री दिग्विजय सिंह (वर्तमान सदस्य और सदस्य, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा)	24.6.2010	26.7.2010	00	08
77.	श्री राम सागर (सदस्य, छठी और नौवीं लोक सभा)	12.7.2010			

1	2	3	4	5	6
78.	श्री जोरा सिंह मान (सदस्य, आठवीं से दसवीं लोक सभा)	27.6.2010	27.7.2010	00	02
79.	श्री मोहन लाल झिकराम (सदस्य, आठवीं से दसवीं लोक सभा)	06.06.2010	29.7.2010	00	03
80.	श्री शिव चरन गुप्ता (सदस्य, तीसरी लोक सभा)	26.7.2010			
81.	श्री एस.के. राय (सदस्य, पांचवीं लोक सभा)	16.2.2010	12.8.2010	00	02
82.	डॉ. ए.यू. आजमी (सदस्य, सातवीं लोक सभा)	24.5.2010			
83.	श्रीमती उषा चौधरी (सदस्य, सातवीं और आठवीं लोक सभा)	02.8.2010	31.8.2010	00	02
84.	श्री कल्पनाथ सोनकर (सदस्य, सातवीं और नौवीं लोक सभा)	23.8.2010			
85.	छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक नक्सली हमले में आठ केंरिपु बल कार्मिकों की मृत्यु।	8.5.2010	26.7.2010	00	03
86.	छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में छह ग्रामीणों और दूसरे नक्सली हमले में गांव के सरपंच की मृत्यु।	16.5.2010			
87.	कर्नाटक में मैंगलोर एयरपोर्ट पर एअर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटना में 158 लोगों की मृत्यु।	22.5.2010			
88.	पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में संदिग्ध नक्सली हमले के कारण मुंबई जाने वाली ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस की एक मालगाड़ी के साथ हुई भिड़ंत में 148 लोगों की मृत्यु और 200 से ज्यादा लोग घायल।	28.5.2010			
89.	छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक माओवादी हमले में केंरिपु बल के 27 कार्मिकों की मृत्यु और छत्तीसगढ़ पुलिस के चार विशेष पुलिस अधिकारियों सहित सात अन्य घायल।	26.9.2010			
90.	पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सैंथिया स्टेशन पर सियालदह जाने वाली उत्तरबंग एक्सप्रेस की रांची जाने वाली वनांचल एक्सप्रेस के साथ हुई भिड़ंत में 60 लोगों की मृत्यु और 90 लोग घायल।	19.7.2010			

1	2	3	4	5	6
91.	पंजाब, हरियाणा और देश के कुछ अन्य भागों में हुई भारी वर्षा से हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण 51 लोगों और बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु तथा बड़े पैमाने पर फसलों और सम्पत्ति का नुकसान।	अगस्त, 2010			
92.	जम्मू और कश्मीर में लेह में बड़े स्तर पर बादल फटने के कारण 175 से अधिक लोगों की मृत्यु और 200 से अधिक लोगों के लापता होने तथा सैकड़ों अन्य लोगों के घायल होने का उल्लेख।	6.8.2010	9.8.2010	00	01
93.	ऊफनती कोसी नदी में एक नाव के भंवर में फंसने और पलटने से हुई दुर्घटना में बच्चों समेत 25 लोगों की मृत्यु।	11.8.2010	12.8.2010	00	01
94.	बागेश्वर, उत्तराखंड में बादल फटने से हुए भूस्खलन से एक प्राथमिक विद्यालय के 18 बच्चों की मृत्यु।	18.8.2010	19.8.2010	00	01
95.	कारगिल युद्ध में भारत की विजय की 11वीं वर्षगांठ पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि।	26.7.2010	26.7.2010	00	01
96.	श्री एन.के. सोमानी (सदस्य, चौथी लोक सभा)	1.08.2010			
97.	श्री गंगा भक्त सिंह (सदस्य, छठी लोक सभा)	15.08.2010			
98.	श्री लालजी भाई (सदस्य, पांचवीं और छठी लोक सभा)	5.09.2010			
99.	श्री शंकरराव माने (सदस्य, चौथी लोक सभा)	8.10.2010	9.11.2010	00	05
100.	श्री ओंकार लाल (सदस्य, दूसरी लोक सभा)	10.10.2010			
101.	श्री सिद्धार्थ शंकर राय (सदस्य, पांचवीं लोक सभा)	6.11.2010			
102.	डॉ. वसंत पवार (सदस्य, दसवीं लोक सभा)	7.10.2010			
103.	श्री अमर पाल सिंह (सदस्य, दसवीं से बारहवीं लोक सभा)	15.11.2010	22.11.2010	00	02
104.	श्री महाबीर प्रसाद (सदस्य, सातवीं, आठवीं, नौवीं और चौदहवीं लोक सभा)	28.11.2010	1.12.2010	00	02
105.	श्री श्रीकिशन मोंदी (सदस्य, पांचवीं लोक सभा)	22.11.2010	3.12.2010	00	02

1	2	3	4	5	6
106.	श्री मेंघराज जी (सदस्य, चौथी लोक सभा)	1.08.2010	10.12.2010	00	03
107.	श्री एम. राजशेखर मूर्ति (सदस्य, सातवीं लोक सभा)	5.12.2010			
108.	इंडोनेशिया के सुमात्रा के मेंनतावई द्वीपसमूह में सूनामी और जावा में मेंरापी पर्वत ज्वालामुखी के फटने के कारण हुई दु:खद मौत और संपत्ति का नुकसान।	25.10.2010 और 30.11.2010	9.11.2010	00	03
109.	मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बदरवास स्टेशन पर एक मालगाड़ी की इंदौर-ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस से भिड़ंत में 34 लोगों की मृत्यु और 160 से ज्यादा लोग घायल।	20.09.2010			
110.	पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में काकद्वीप के नजदीक हुगली नदी में एक ट्रॉलर के पलटने की दु:खद घटना में लगभग 69 लोगों का डूबना।	30.10.2010			
111.	आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से टकराने वाले चक्रवात "जाल" के कारण लगभग तीस लोगों की मृत्यु और बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान।	8.11.2010			
112.	पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में ललिता पार्क में एक बहुमंजिली इमारत गिरने से लगभग 70 लोग मारे गए और 82 घायल हुए।	15.11.2010	22.11.2010	00	01
113.	26 नवम्बर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की दूसरी वर्षगांठ।	26.11.2008	26.11.2010	00	01
114.	26 वर्ष पहले 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी।	3.12.1984	3.12.2010	00	01
115.	तमिलनाडु राज्य में भारी वर्षा के कारण 170 लोगों की मृत्यु और हजारों अन्यों का विस्थापन।	नवंबर/दिसंबर, 2010	8.12.2010	00	02
116.	वाराणसी में शीतला घाट पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में एक बम विस्फोट में एक नवजात की मृत्यु और 39 लोग घायल।	7.12.2010	7.12.2010	00	01
117.	आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में हुई अभूतपूर्व वर्षा के कारण 14 लोगों की मृत्यु और हजारों अन्य विस्थापित हुए।	नवंबर/दिसंबर, 2010	10.12.2010	00	01
118.	13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की नौवीं वर्षगांठ।	13.12.2001	13.12.2010	00	01

1	2	3	4	5	6
119.	श्री बली राम भगत (पूर्व अध्यक्ष, लोक सभा और सदस्य, अंतरिम संसद, पहली से पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा)	02.01.2011			
120.	श्री लताफत अली खान (सदस्य, चौथी लोक सभा)	23.11.2010			
121.	श्रीमती प्रभावती गुप्ता (सदस्य, आठवीं लोक सभा)	10.12.2010	21.02.2011	00	14
122.	श्री के. करूणाकरण (सदस्य, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा)	23.12.2010			
123.	श्री टी.एस. श्रृंगारे (सदस्य, छठी लोक सभा)	08.01.2011			
124.	पंडित भीमसेन जोशी (विशिष्ट शास्त्रीय गायक)	24.01.2011			
125.	श्री अर्जुन सिंह (सदस्य, आठवीं और दसवीं लोक सभा)	04.03.2011	07.03.2011	00	03
126.	श्री बलीराम कश्यप (वर्तमान सदस्य और सदस्य, बारहवीं से चौदहवीं लोक सभा)	10.03.2011	10.03.2011	00	03
127.	श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव (सदस्य, तेरहवीं लोक सभा)	21.01.2011	24.03.2011	00	03
128.	श्री एस. बेंजामिन (सदस्य, नौवीं लोक सभा)	06.03.2011	25.03.2011	00	03
129.	केरल के इडुक्की जिले में वंदिपेरियार के निकट पुलमेडु में वार्षिक सबरीमाला तीर्थयात्रा के दौरान भगदड़ की दु:खद घटना में बच्चों सहित 102 तीर्थयात्रियों की मृत्यु और सैकड़ों अन्य घायल।	14.01.2011	21.02.2011	00	02
130.	जापान के उत्तर-पूर्वी तट पर 9.0 तीव्रता वाले एक बड़े भूकंप से पैदा हुई विनाशकारी सूनामी के कारण कई हजार लोगों की मृत्यु और बड़े पैमाने पर सम्पत्ति का नुकसान।	11.03.2011	14.03.2011	00	02
131.	जोधपुर, राजस्थान में एक अस्पताल में संक्रमित अन्त:शिरा द्रव के इंजेक्शन के कारण 17 महिलाओं की मृत्यु।	मार्च, 2011	15.03.2011	00	01
132.	देश के स्वतंत्रता संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस की 80वीं वर्षगांठ।	23.03.1931	23.03.2011	00	03

1	2	3	4	5	6
133.	श्री भजन लाल (वर्तमान सदस्य और सदस्य, नौवीं और बारहवीं लोक सभा)	03.06.2011			
134.	श्री धर्मभिक्षम (सदस्य, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा)	26.03.2011			
135.	प्रो. श्रीपाल सिंह यादव (सदस्य, नौवीं और दसवीं लोक सभा)	26.04.2011			
136.	श्री श्रीबात्या दिगल (सदस्य, छठी लोक सभा)	15.04.2011	01.08.2011	00	12
137.	श्री एल.एस. तूर (सदस्य, सातवीं लोक सभा)	14.06.2011			
138.	श्री चतुरानन मिश्रा (सदस्य, ग्यारहवीं लोक सभा)	02.07.2011			
139.	श्री राम चन्द्र विकल (सदस्य, पांचवीं लोक सभा)	26.06.2011			
140.	श्री इन्दर जीत (सदस्य, नौवीं और दसवीं लोक सभा)	31.07.2011	02.08.2011	00	04
141.	श्री दौलत राम सरन (सदस्य, छठी, सातवीं और नौवीं लोक सभा)	02.07.2011			
142.	श्री वी.एस. कृष्ण अय्यर (सदस्य, आठवीं लोक सभा)	25.07.2011	04.08.2011	00	04
143.	श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल (सदस्य, आठवीं, नौवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा)	24.05.2011	10.08.2011	00	03
144.	किंगडम ऑफ नॉर्वे के ओस्लो और यूटोया द्वीप में हुए दो हमलों का उल्लेख जिनमें 76 लोगों की मृत्यु और 96 घायल हुए।	22.07.2011			
145.	एक आतंकवादी हमले में मुंबई के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में हुए तीन बम विस्फोटों में 25 लोगों की मृत्यु और लगभग 100 लोगों का घायल होना।	13.07.2011			
146.	उत्तर प्रदेश के कांशीराम नगर में थानागांव, पटियाली में एक बस और मथुरा-छपरा एक्सप्रेस की टक्कर में बच्चों समेत 38 लोगों की मृत्यु और 29 लोगों का घायल होना।	7.07.2011			
147.	उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मलवां के समीप कालका मेल एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के कारण 80 लोगों की मृत्यु और 200 लोगों का घायल होना।	10.07.2011	1.08.2011	00	04
148.	नलबारी, असम में रांगिया और घागरापार स्टेशनों के बीच गुवाहाटी-पुरी एक्सप्रेस के इंजन और चार सवारी डिब्बों के पटरी से उतरने के कारण हुई दुर्घटना में 200 लोग घायल।	10.07.2011			
149.	पश्चिम बंगाल के बाखरपुर, मालदा में पटरी से उतरी हुई गुवाहाटी-बंगलुरु-गुवाहाटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में अजीमगंज-मालदा पैसेंजर रेलगाड़ी के टक्कर मारने के कारण 3 लोगों की मृत्यु और 50 से ज्यादा लोग घायल।	31.07.2011			

1	2	3	4	5	6
150.	दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर हुए बम विस्फोट का उल्लेख।	7.09.2011	7.09.2011	00	02
151.	श्री अताउर रहमान (सदस्य, आठवीं लोक सभा)	09.09.2011			
152.	श्री वसन्त साठे (सदस्य, पांचवीं से नौवीं लोक सभा)	23.09.2011			
153.	श्री डाल चन्द जैन (सदस्य, आठवीं लोक सभा)	25.09.2011			
154.	श्री भगवत झा आजाद (सदस्य, पहली, तीसरी, चौथी, पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा)	04.10.2011	22.11.2011	00	09
155.	श्री सुशील चन्दर वर्मा (सदस्य, नौवीं से बारहवीं लोक सभा)	06.10.2011			
156.	श्री मोती लाल मालवीय (सदस्य, पहली और दूसरी लोक सभा)	24.10.2011			
157.	श्री हरीश कुमार गंगवार (सदस्य, सातवीं लोक सभा)	26.11.2011	01.12.2011	00	02
158.	श्री धर्म देव आनन्द (विख्यात फिल्म कलाकार)	03.12.2011	08.12.2011	00	02
159.	श्री चिरंजी लाल शर्मा (सदस्य, सातवीं से दसवीं लोक सभा)	12.12.2011	14.12.2011	00	03
160.	श्री आर.एल. कुरील (सदस्य, छठी लोक सभा)	04.11.2011	22.12.2011	00	02
161.	श्री एस. बंगारप्पा (सदस्य, ग्यारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा)	26.12.2011	27.12.2011	00	02
162.	डॉ. बापू कालदाते (सदस्य, छठी लोक सभा)	17.11.2011	29.12.2011	00	02
163.	सिक्किम में आये भयंकर भूकंप के कारण 111 से ज्यादा लोगों की मृत्यु और सैंकड़ों अन्य घायल।	18.09.2011			
164.	हरिद्वार में हर की पौड़ी के समीप चण्डीद्वीप घाट पर भगदड़ में 20 लोगों की मृत्यु और लगभग 50 अन्य लोग घायल हुए।	08.11.2011			
165.	दिल्ली में नंद नगरी इलाके में लगी आग में 15 लोगों की मृत्यु और 65 अन्य लोग घायल हुए।	20.11.2011	22.11.2011	00	08
166.	तुर्की के पूर्वी प्रांत वान में आये भूकंप में 641 लोगों के निधन और 2076 लोगों के घायल होने का उल्लेख।	23.10.2011 और 09.11.2011			
167.	थाइलैण्ड में आई बाढ़ का उल्लेख जिसमें 2.45 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और 500 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई।	अगस्त-नवम्बर, 2011			

1	2	3	4	5	6
168.	झारखंड के गिरिडीह जिले में निमियाघाट और पारसनाथ स्टेशनों के बीच हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस में लगी आग से 7 लोगों की मृत्यु।	22.11.2011	23.11.2011	CC	C1
169.	ओडिशा में विनाशकारी बाढ़ का उल्लेख जिसमें जान-माल और सम्पत्ति का व्यापक नुकसान हुआ।	सितंबर-अक्तूबर, 2011	24.11.2011	CC	C1
170.	श्री शरद पवार, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पर हुए हमले की निंदा।	24.11.2011	25.11.2011	CC	C1
171.	महाराष्ट्र के बुलढ़ाणा जिले की महकार तहसील में बस दुर्घटना में 15 लोगों की मृत्यु और 35 लोग घायल।	28.11.2011	29.11.2011	CC	C1
172.	श्री इन्दर सिंह नामधारी, संसद सदस्य, लोक सभा के काफिले में बारुदी सुरंग विस्फोट के हमले में सदस्य के साथ चल रहे पुलिसकर्मियों सहित कई लोगों की मृत्यु।	03.12.2011	07.12.2011	CC	C1
173.	दक्षिण कोलकाता के एमरी अस्पताल में भयंकर आग दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु और अन्य घायल हुए।	09.12.2011	09.12.2011	CC	C1
174.	फिलीपीन्स के दक्षिणी मिंडानाओं द्वीप पर कटिबंधीय तूफान "सैनडोंग" के कारण हुई भारी जनहानि।	16.12.2011	21.12.2011	CC	C1
175.	श्री एम.वाई. घोरपड़े (सदस्य, आठवीं लोक सभा)	28.10.2011	12.03.2012	CC	11
176.	श्री रामचन्द्र उलाका (सदस्य, तीसरी और चौथी लोक सभा)	25.12.2011			
177.	श्री परागी लाल चौधरी (सदस्य, ग्यारहवीं लोक सभा)	17.01.2012			
178.	श्री ब्रज राज सिंह (सदस्य, तीसरी और छठी लोक सभा)	21.01.2012			
179.	श्री एम.ओ.एच. फारूक (सदस्य, दसवीं, ग्यारहवीं और तेरहवीं लोक सभा)	26.01.2012			
180.	कर्नल राव राम सिंह (सदस्य, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा)	30.01.2012			
181.	श्री मणि राम बागड़ी (सदस्य, तीसरी, छठी और सातवीं लोक सभा)	31.01.2012			

1	2	3	4	5	6
182.	श्री उत्तम राव पाटिल (सदस्य, सातवीं से दसवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा)	10.03.2012	15.03.2012	CC	C2
183.	श्री हाफिज मो. सिद्दीक (सदस्य, आठवीं लोक सभा)	13.03.2012	19.03.2012	CC	C2
184.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन (सदस्य, पांचवीं, छठी और चौदहवीं लोक सभा)	22.03.2012	26.03.2012	CC	C3
185.	श्री सुधीर घोषाल (सदस्य, छठी लोक सभा)	29.01.2012	29.03.2012	CC	C3
186.	श्री दिनेश प्रताप सिंह (सदस्य, पहली और दूसरी लोक सभा)	17.02.2012	24.04.2012	CC	C3
187.	श्री एन.के.पी. साल्वे (सदस्य, चौथी और पांचवीं लोक सभा)	01.04.2012	24.04.2012	CC	C3
188.	श्री बृजभूषण तिवारी (सदस्य, छठी, नौवीं और ग्यारहवीं लोक सभा)	25.04.2012	26.04.2012	CC	C2
189.	श्री टेक लाल महतो (सदस्य, चौदहवीं लोक सभा)	27.09.2012	08.05.2012	CC	C2
190.	सेन्ट्रल फिलीपींस में आये भूकम्प में 69 लोगों की मृत्यु और सौ से अधिक घायल।	06.02.2012	12.03.2012	CC	C2
191.	कश्मीर घाटी के गंडरबाल और बांदीपुर जिले में पहाड़ी क्षेत्रों में हुए दो भारी भूस्खलन में 19 सैनिकों की मृत्यु और कई घायल।	22.02.2012			
192.	उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मिनी बस और मथुरा-कासगंज एक्सप्रेस में हुई टक्कर में 15 व्यक्ति मारे गए और 3 अन्य घायल हुए।	20.03.2012	21.03.2012	CC	C3
193.	आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में एक बाइक से टक्कर को बचाते हुए एक स्कूल बस के नहर में गिर जाने से 14 बच्चों की मौत और 30 घायल।				
194.	उत्तराखंड के पौड़ी जिले में श्रीनगर के पास अलकनंदा नदी के ऊपर बने पुल के गिर जाने के कारण 6 श्रमिकों की मृत्यु एवं 18 घायल।	25.03.2012	26.03.2012	CC	C2
195.	महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिले में पुस्तोला के पास आतंकवादियों द्वारा किए गए बारुदी सुरंग विस्फोट में 15 सीआरपीएफ जवानों की मृत्यु और कई घायल।	27.03.2012	28.03.2012	CC	C2

1	2	3	4	5	6
196.	उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास हुई एक सड़क दुर्घटना में लगभग 20 व्यक्ति मारे गए और कई घायल हुए।	29.04.2012	2.05.2012	00	01
197.	बिजली गिरने की दो घटनाओं में आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में 17 व्यक्तियों की मृत्यु और पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में 16 व्यक्तियों की मृत्यु तथा कई जख्मी हुए।				
198.	असम के धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने की घटना में 100 व्यक्ति डूबे और लगभग 200 व्यक्ति लापता।	30.04.2012	02.05.2012	00	03
199.	पिछले कुछ दिनों के दौरान त्रिपुरा के कई हिस्सों में वर्षा और ओलावृष्टि के साथ आये तूफान के कारण कथित रूप से 7 व्यक्तियों की मौत, 175 घायल तथा फसल और पशुधन की बर्बादी।	27.04.2012 और 30.04.2012	2.05.2012	00	01
200.	छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले के किरनडुल कस्बे में हुए माओवादी हमले में 6 सीआईएसएफ जवानों और एक असैन्य जीप चालक की मौत।	13.04.2012	14.05.2012	00	02
201.	आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक खड़ी मालगाड़ी और हुबली-बंगलूरु एक्सप्रेस के बीच हुई टक्कर में 15 व्यक्ति मारे गए और कई अन्य जख्मी।	22.05.2012	22.05.2012	00	02
202.	श्री रंजीत सिंह गायकवाड़ (सदस्य, सातवीं और आठवीं लोक सभा)	10.05.2012	08.08.2012	00	05
203.	श्री गंगा राम (सदस्य, आठवीं लोक सभा)	23.06.2012			
204.	श्री लम्बोदर बलियार (सदस्य, पांचवीं लोक सभा)	26.06.2012			
205.	श्री भंवर सिंह डंगवास (सदस्य, चौदहवीं लोक सभा)	02.07.2012			
206.	श्री प्रताप सिंह (सदस्य, नौवीं और दसवीं लोक सभा)	05.07.2012			
207.	श्रीमती मृनाल गोरे (सदस्य, छठी लोक सभा)	17.07.2012			
208.	श्री राजेश खन्ना (सदस्य, दसवीं लोक सभा)	18.07.2012			
209.	श्री विभूदेन्द्र मिश्रा (सदस्य, तीसरी लोक सभा)	15.02.2012	09.08.2012	00	01

1	2	3	4	5	6
210.	श्री विलासराव देशमुख (केन्द्रीय केबिनेट मंत्री और सदस्य, राज्य सभा)	14.08.2012	16.08.2012	CC	C1
211.	श्री प्रभात सिंह एच. चौहान (सदस्य, नौवीं लोक सभा)	01.07.2012	22.08.2012	CC	C1
212.	श्री ए.के. हंगल (विख्यात फिल्म अभिनेता)	26.08.2012	27.08.2012	CC	C1
213.	श्री काशीराम राणा (सदस्य, नौवीं से चौदहवीं लोक सभा)	31.08.2012	03.09.2012	CC	C1
214.	असम में बाढ़ के परिणामस्वरूप 125 से अधिक व्यक्तियों की मौत और लगभग 24 लाख लोग प्रभावित तथा भारी पैमाने पर सम्पत्ति और फसलों का विनाश।	अप्रैल-जुलाई, 2012			
215.	असम में छुट-पुट जातीय हिंसा में 73 व्यक्तियों के मारे जाने और 61 अन्यों के घायल होने के अलावा लगभग दो लाख लोग बेघर।	जुलाई-अगस्त, 2012			
216.	अमरनाथ यात्रा के दौरान 100 से अधिक श्रद्धालुओं की मृत्यु।	जुलाई-अगस्त, 2012			
217.	नेपाल में त्रिवेणी में एक बस दुर्घटना में 39 श्रद्धालुओं, जिनमें अधिकांश भारतीय थे, की मौत और कई घायल।	15.7.2012			
218.	चेन्नई जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास आग लगने की दुर्घटना में 32 व्यक्ति मारे गए और 25 घायल।	30.7.2012	8.8.2012	CC	C4
219.	हरियाणा के भिवानी में दो ट्रकों के बीच हुई टक्कर में 29 श्रद्धालुओं की मौत और 45 घायल।	30.7.2012			
220.	उत्तराखंड के देहरादून में एक बस दुर्घटना में 27 व्यक्तियों की मृत्यु और 26 घायल।	1.8.2012			
221.	बादल फटने के कारण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ में 34 व्यक्तियों की मौत और बहुत से लापता।	04.08.2012			
222.	अमेरिका के विसकंसिन में एक गुरुद्वारे में हुई गोलीबारी की घटना में 4 भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के 2 अमरीकियों सहित कुल 6 व्यक्तियों की मौत और 3 घायल।	05.08.2012			
223.	केरल में भारी वर्षा के कारण आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन में 6 व्यक्तियों की मौत और कई जख्मी।	07.08.2012	09.08.2012	CC	C1

1	2	3	4	5	6
224.	तमिलनाडु में शिवकाशी में पटाखों के एक निजी कारखाने में हुई आग दुर्घटना में 38 व्यक्तियों की मृत्यु और 49 घायल।	05.09.2012	06.09.2012	00	02
225.	श्री राम सेवक चौधरी (सदस्य, तीसरी, चौथी एवं पांचवीं लोक सभा)	28.07.2012			
226.	श्री भरत भूषण (सदस्य, छठी लोक सभा)	09.08.2012			
227.	श्री सत महाजन (सदस्य, ग्यारहवीं लोक सभा)	01.09.2012			
228.	श्री राजकुमार राय (सदस्य, आठवीं लोक सभा)	24.09.2012			
229.	श्री लौदसामी अदाईकलराज (सदस्य, आठवीं, नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा)	27.09.2012			
230.	श्री नवल किशोर शर्मा (सदस्य, चौथी, पांचवीं, सातवीं, आठवीं और ग्यारहवीं लोक सभा)	08.10.2012	22.11.2012	00	09
231.	श्री हरिहर स्वैन (सदस्य, चौदहवीं लोक सभा)	13.10.2012			
232.	श्री राम सेवक हजारी (सदस्य, छठी लोक सभा)	27.10.2012			
233.	श्री के. येरननायडु (सदस्य ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा)	02.11.2012			
234.	श्री कृष्ण चन्द्र पंत (सदस्य, तीसरी, चौथी, पांचवीं और आठवीं लोक सभा)	15.11.2012			
235.	श्री बाल केशव ठाकरे [शिव सेना के संस्थापक (गैर-सदस्य)]	17.11.2012			
236.	श्री हरिकेवल प्रसाद (सदस्य, नौवीं, दसवीं, बारहवीं और चौदहवीं लोक सभा)	15.09.2012	27.11.2012	00	02
237.	श्री ताराचंद साहू (सदस्य, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा)	11.11.2012			
238.	श्री इन्द्र कुमार गुजराल (भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और सदस्य, नौवीं और बारहवीं लोक सभा)	30.11.2012	03.12.2012	00	02

1	2	3	4	5	6
239.	पंडित रवि शंकर (प्रतिष्ठित संगीतज्ञ और पूर्व सदस्य, राज्य सभा)	12.12.2012	12.12.2012	00	02
240.	श्री शंकर राव डी. काले (सदस्य, दसवीं लोक सभा)	05.11.2012	14.12.2012	00	01
241.	आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर तबाही मचाने वाले चक्रवात नीलम में 25 से अधिक व्यक्तियों की मौत।	31.10.2012	22.11.2012	00	04
242.	संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर तबाही मचाने वाले हरिकेन सैन्डी से 113 लोगों की मौत और सम्पत्ति की हानि।	03.11.2012			
243.	पटना में बांकीपुर के पास बांस के पुल के गिरने के कारण हुई दु:खद दुर्घटना में 17 से अधिक व्यक्तियों की मौत और 40 घायल।	19.11.2012			
244.	मुंबई में आतंकी हमले की चौथी वर्षगांठ।	26.11.2008	26.11.2012	00	02
245.	भोपाल गैस त्रासदी।	03.12.1984	03.12.2012	00	02
246.	संसद भवन पर आतंकी हमले की ग्यारहवीं वर्षगांठ।	13.12.2001	13.12.2012	00	02
247.	श्री उमाशंकर सिंह (वर्तमान सदस्य, पन्द्रहवीं लोक सभा)	24.01.2013	21.02.2013	00	04
248.	श्री मनहरन लाल पाण्डेय (सदस्य, ग्यारहवीं लोक सभा)	21.01.2013			
249.	श्री पी. षणमुगम (सदस्य, सातवीं, आठवीं और नौवीं लोक सभा)	02.02.2013			
250.	श्री वैष्णव चरण पटनायक (सदस्य, तीसरी लोक सभा)	01.01.2013	26.02.2013	00	01
251.	श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी (वर्तमान सदस्य, पन्द्रहवीं लोक सभा)	01.03.2013	01.03.2013	00	01
252.	श्री कृष्ण कुमार चौधरी (सदस्य, बारहवीं लोक सभा)	24.12.2012	07.03.2013	00	02
253.	श्री ह्यूगो चावेज (वेनेजुएला के राष्ट्रपति)	05.03.2013	11.03.2013	00	01
254.	श्री वीरेन शाह (सदस्य, चौथी लोक सभा)	09.03.2013	12.03.2013	00	01
255.	श्री कुमार माझी (सदस्य, पांचवीं लोक सभा)	27.01.2013	13.03.2013	00	03
256.	श्री टिंडिवनम जी. वेंकटरमन (सदस्य, ग्यारहवीं लोक सभा)	21.02.2013			

1	2	3	4	5	6
257.	श्रीमती माया रे (सदस्य, पांचवीं लोक सभा)	11.03.2013	13.03.2013	00	03
258.	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव (सदस्य, नौवीं लोक सभा)	09.03.2013	19.03.2013	00	01
259.	श्री फ्रांसिस फैन्थम (सदस्य, चौदहवीं लोक सभा)	12.03.2013			
260.	श्री नरेश कुमार बालियान (सदस्य, दसवीं लोक सभा)	17.03.2013	20.03.2013	00	02
261.	श्री मोहम्मद जिया-उर-रहमान (बांग्लादेश के राष्ट्रपति)	20.03.2013	21.03.2013	00	02
262.	लेडी मार्गरेट थैचर (ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री)	08.04.2013	22.04.2013	00	01
263.	श्री अम्बिका बनर्जी (वर्तमान सदस्य, पन्द्रहवीं लोक सभा)	25.04.2013	25.04.2013	00	03
264.	श्री सी. कुप्पुसामी (सदस्य, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा)	19.04.2013			
265.	श्री डी.के. औडिकेशवुलु (सदस्य, चौदहवीं लोक सभा)	24.04.2013	26.04.2013	00	02
266.	श्री सरबजीत सिंह (पाकिस्तानी जेल में मारा गया एक भारतीय नागरिक) (संकल्प स्वीकृत हुआ)	02.05.2013	02.05.2013	00	01
267.	श्री कृष्ण कुमार गोयल (सदस्य, छठी और सातवीं लोक सभा)	23.04.2013	03.05.2013	00	02
268.	श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (सदस्य, बारहवीं और चौदहवीं लोक सभा)	23.03.2013	07.05.2013	00	03
269.	इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में कुम्भ मेले के 37 श्रद्धालुओं की मृत्यु।	10.02.2013	21.02.2013	00	01
270.	हैदराबाद में बम विस्फोट की दु:खद घटना में कई लोगों की मृत्यु।	21.02.2013	22.02.2013	00	02
271.	उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में नाव के डूबने की दु:खद घटना में 11 व्यक्तियों की मृत्यु।	20.02.2013	26.02.2013	00	01

1	2	3	4	5	6
272.	बिहार के गया जिले में एक बारुदी सुरंग विस्फोट में छह पुलिसकर्मियों की मृत्यु।	22.02.2013	26.02.2013	00	01
273.	कोलकाता के एक बाजार में आग लगने की एक बड़ी घटना में 19 व्यक्तियों की मृत्यु।	27.02.2013	01.03.2013	00	01
274.	पंजाब के जालधंर में एक सड़क दुर्घटना में 11 स्कूली बच्चों की मृत्यु।	04.03.2013	04.03.2013	00	02
275.	जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंम्प पर एक आतंकी हमले में पांच सीआरपीएफ जवानों की मृत्यु और कई घायल।	13.03.2013	14.03.2013	00	02
276.	महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में हुई एक बस दुर्घटना में 36 लोगों की मृत्यु।	19.03.2013	19.03.2013	00	01
277.	थाणे में एक इमारत गिरने से 74 व्यक्तियों की मृत्यु।	04.04.2013	22.04.2103	00	04
278.	सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के 5 भारतीय सैनिकों की मृत्यु।	09.04.2013			
279.	अमेरिका के बोस्टन में हुए एक बम विस्फोट की घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु और 170 व्यक्ति घायल।	15.04.2013			
280.	ईरान और पाकिस्तान में भूकम्प।	16.04.2013			
281.	दिल्ली में एक बच्चे के साथ दुराचार।	16.04.2013	22.04.2013	00	01
282.	बांग्लादेश के सावर में एक बहुमंजिली इमारत के ढह जाने के कारण कई लोगों की मृत्यु और कई घायल।	24.04.2013	26.04.2013	00	01
283.	श्री वीरेन्द्र प्रसाद (सदस्य, छठी लोक सभा)	11.01.2013	05.08.2013	00	13
284.	श्री महेन्द्र वर्मा (सदस्य, ग्यारहवीं लोक सभा)	25.05.2013			
285.	श्री लोनाप्पन नामबदन (सदस्य, चौदहवीं लोक सभा)	05.06.2013			
286.	श्री विद्याचरण शुक्ल (सदस्य, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा)	11.06.2013			
287.	श्री एन. डैनिश (सदस्य, सातवीं से बारहवीं लोक सभा)	21.06.2013			
288.	श्री दिनकर बालू पाटील (सदस्य, छठी, सातवीं और आठवीं लोक सभा)	24.06.2013			

1	2	3	4	5	6
289.	डॉ. चन्द्र शेखर वर्मा (सदस्य, आठवीं लोक सभा)	25.06.2013			
290.	श्री सुभाष यादव (सदस्य, सातवीं और आठवीं लोक सभा)	26.06.2013			
291.	श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया (सदस्य, दसवीं से तेरहवीं लोक सभा)	28.06.2013			
292.	श्री हरिसिंह चावड़ा (सदस्य, दसवीं और चौदहवीं लोक सभा)	29.06.2013	05.08.2013	00	13
293.	श्री समर मुखर्जी (सदस्य, पांचवीं से सातवीं लोक सभा)	18.07.2013			
294.	श्री खुर्शीद आलम खान (सदस्य, आठवीं लोक सभा)	20.07.2013			
295.	श्री अरुण कुमार नेहरू (सदस्य, सातवीं, आठवीं और नौवीं लोक सभा)	25.07.2013			
296.	श्री पी. सुब्बिया अम्बलम (सदस्य, दूसरी लोक सभा)	21.06.2013	07.08.2013	00	02
297.	श्री अमर रायप्रधान (सदस्य, छठी से तेरहवीं लोक सभा)	03.07.2013			
298.	श्री राम नरेश त्रिपाठी (सदस्य, तेरहवीं लोक सभा)	05.08.2013	12.08.2013	00	02
299.	श्री डी.पी. यादव (सदस्य, पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा)	11.08.2013	13.08.2013	00	02
300.	श्री दिलीप सिंह जूदेव (वर्तमान सदस्य)	14.08.2013	19.08.2013	00	02
301.	श्री एस.एम. लाल जन बाशा (सदस्य, दसवीं लोक सभा)	15.08.2013	20.08.2013	00	01
302.	श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (सदस्य, बारहवीं लोक सभा)	23.07.2013	23.08.2013	00	02
303.	श्री भगवान दत्त शास्त्री (सदस्य, पहली लोक सभा)	24.07.2013	06.09.2013	00	03
304.	श्री हरि किशोर सिंह (सदस्य, पांचवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा)	28.08.2013			

1	2	3	4	5	6
305.	उत्तराखंड में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण अभूतपूर्व आपदा।	18.06.2013			
306.	एक बचाव अभियान के दौरान भारतीय वायु सेना के एक हेलीकॉप्टर में सवार चालक दल के पांच सदस्य और अन्य पन्द्रह की मृत्यु।	25.06.2013			
307.	बस्तर में नक्सली हमले में 28 व्यक्तियों की मृत्यु।	25.05.2013			
308.	श्रीनगर में सेना के एक काफिले पर आतंकी हमले में 8 जवानों की मृत्यु।	24.06.2013			
309.	झारखंड के दुमका में एक नक्सली हमले में एक पुलिस अधीक्षक सहित छह पुलिसकर्मियों की मृत्यु।	02.07.2013	05.08.2013	CC	04
310.	बिहार के सारण में मध्याह्न भोजन में विषाक्तता की दु:खद घटना में 23 स्कूली बच्चों की मृत्यु।	16.07.2013			
311.	स्पेन में रेल दुर्घटना में कई लोगों की मौत।	24.07.2013			
312.	राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुई सड़क दुर्घटना में कई स्कूली बच्चों की मृत्यु।	30.07.2013			
313.	पंजाब में भाखड़ा नहर में एक बस के गिरने से 40 लोगों की मृत्यु।	01.08.2013			
314.	केरल में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण जनहानि।	05.08.2013	06.08.2013	CC	01
315.	हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास नागोरी में बस दुर्घटना में 10 व्यक्तियों की मृत्यु।	06.08.2013	07.08.2013	CC	01
316.	हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के कारण जान-माल की हानि।	12.08.2013	13.08.2013	CC	01
317.	ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में कोयले की खान के धंस जाने से कई लोगों की मृत्यु।	10.08.2013	14.08.2013	CC	02
318.	मुंबई के नौसैनिक डाकयार्ड में लगी आग के कारण आई.एन.एस. सिंधुरक्षक पनडुब्बी का डूबना।	13.08.2013	19.08.2013	CC	01
319.	बिहार के खगड़िया जिले में धमरा स्टेशन पर एक रेल दुर्घटना में लोगों का मारा जाना।	19.08.2013	20.08.2013	CC	02

1	2	3	4	5	6
320.	श्री मुरारीलाल सिंह (वर्तमान सदस्य, पन्द्रहवीं लोक सभा)	04.12.2013			
321.	श्रीमती गुरबिन्दर कौर बराड़ (सदस्य, सातवीं लोक सभा)	07.09.2013			
322.	श्री आर.पी. सारंगी (सदस्य, छठी और सातवीं लोक सभा)	08.09.2013			
323.	श्री मोहन सिंह (सदस्य, दसवीं, बारहवीं और चौदहवीं लोक सभा)	22.09.2013	05.12.2013	00	05
324.	श्री राम नरेश कुशवाहा (सदस्य, छठी लोक सभा)	07.10.2013			
325.	श्री मोहन धारिया (सदस्य, पांचवीं और छठी लोक सभा)	14.10.2013			
326.	डॉ. नीतिश सेनगुप्ता (सदस्य, तेरहवीं लोक सभा)	03.11.2013			
327.	श्री एच.पी. सिंह (सदस्य, बारहवीं लोक सभा)	18.11.2013			
328.	डॉ. नेल्सन मण्डेला (रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्राप्तकर्ता)	06.12.2013	06.12.2013	00	48
329.	श्री मनोरंजन सूर (सदस्य, नौवीं और दसवीं लोक सभा)	15.11.2013	09.12.2013	00	02
330.	श्री आशुतोष ला (सदस्य, आठवीं लोक सभा)	3.11.2013	13.12.2013	00	04
331.	श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार (सदस्य, आठवीं, नौवीं, ग्यारहवीं और तेरहवीं लोक सभा)	10.12.2013			
332.	श्री शीश राम ओला (वर्तमान सदस्य और केन्द्रीय केबिनेट मंत्री, पन्द्रहवीं लोक सभा)	15.12.2013	16.12.2013	00	05
333.	श्री सोमनाथ रथ (सदस्य, आठवीं लोक सभा)	07.10.2013			
334.	श्री एम.एम. हशीम (सदस्य, पांचवीं और छठी लोक सभा)	22.12.2013	05.02.2014	00	07
335.	श्री पी.के. घोष (सदस्य, तीसरी से पांचवीं लोक सभा)	25.12.2013			
336.	श्री दीपक कुमार (सदस्य, तेरहवीं लोक सभा)	24.01.2014			
337.	श्री पीयूष तिर्की (सदस्य, छठी से दसवीं लोक सभा)	25.01.2014			

1	2	3	4	5	6
338.	श्री सीता राम सिंह (सदस्य, चौदहवीं लोक सभा)	11.01.2014	13.02.2014	00	02
339.	श्री भीम सिंह पटेल (सदस्य, दसवीं लोक सभा)	22.01.2014	18.02.2014	00	02
340.	श्री छिटुभाई गामित (सदस्य, छठी से बारहवीं लोक सभा)	17.12.2014	22.02.2014	00	00
341.	श्री सी.सी. गोहैन (सदस्य, चौथी और पांचवीं लोक सभा)	16.02.2014			
342.	श्रीमती पार्वती कृष्णन (सदस्य, दूसरी, पांचवीं और छठी लोक सभा)	20.2.2014	21.02.2014	00	02
343.	केन्या नैरोबी के वेस्टगेट मॉल में एक आतंकी हमले में चार भारतीयों सहित 67 व्यक्तियों की मौत।	21-24.09.2013	05.12.2013	00	05
344.	मुंबई के मझगांव क्षेत्र में एक बहुमंजिली इमारत के ढह जाने से 61 व्यक्तियों की मौत।	27.09.2013			
345.	ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय जिलों में चक्रवात 'फैलिन' से 23 व्यक्तियों की मौत।	13.10.2013			
346.	आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात 'हेलेन' से 10 व्यक्तियों की मौत।	22.11.2013			
347.	मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्र त्यौहार के दौरान मची भगदड़ में 111 व्यक्तियों की कथित मौत।	14.10.2013			
348.	बिहार के औरंगाबाद जिले में हुए एक बारूदी सुरंग के विस्फोट में सात पुलिसकर्मियों की मौत।	03.12.2013			
349.	फिलीपींस में महाचक्रवात 'हैयन' से भारी पैमाने पर विध्वंस और तबाही।	10.11.2013			
350.	उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में उपद्रव राहत शिविरों में कई बच्चों सहित लगभग 60 व्यक्तियों की कड़ी ठंड से मौत।	05.12.2013	11.12.2013	00	03

1	2	3	4	5	6
351.	लात्वियन कैपिटल (राजधानी) रीगा के एक उपनगर में अवस्थित एक सुपर मार्केट की छत के ढह जाने के कारण 54 व्यक्तियों की मृत्यु और 41 घायल।	21.11.2013			
352.	रूसी शहर बाल्गोगार्ड के नागरिकों पर हुए आतंकी हमले में कई व्यक्तियों की मृत्यु।	29 – 30 दिसम्बर, 2013			
353.	आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में नांदेड़-बंगलौर एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगने से दो बच्चों सहित 26 व्यक्तियों की मृत्यु और अन्य कई लोग घायल।	28.12.2013	05.02.2014	00	05
354.	मालशेज घाट महाराष्ट्र में बस दुर्घटना में 27 यात्रियों की मृत्यु और 18 व्यक्ति घायल।	2.1.2014			
355.	पणजी, गोवा में एक निर्माणाधीन भवन के गिर जाने से 31 व्यक्तियों की मृत्यु।	4.1.2014			
356.	मालाबार हिल्स, मुंबई में भगदड़ में 18 व्यक्तियों की मृत्यु और 40 घायल।	18.1.2014			
357.	अंडमान में नौका दुर्घटना में 21 व्यक्तियों की मृत्यु	26.1.2014			
358.	ओडिशा के संबलपुर में हीराकुंड बांध के जलाशय में एक मोटरबोट के डूब जाने के कारण 10 व्यक्तियों की मृत्यु और कई लापता।	9.2.2014	11.2.2014	00	01
359.	पश्चिम बंगाल में मालदा के समीप एक ट्रक की कार से टक्कर होने के कारण 16 व्यक्तियों की मृत्यु और 3 घायल।	11.2.2014			

4

प्रश्न

संसदीय प्रश्न उन महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक उपायों में से एक हैं जिसके माध्यम से संसद सदस्य जनहित संबंधी किसी मामले पर सरकार से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संसदीय प्रश्न प्रशासन के ऊपर निगरानी रखने वाला एक अद्वितीय तंत्र[1] है; यह सदस्यों के हाथ एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से प्रशासन द्वारा संसद और जनता के प्रति अपने कृत अथवा अकृत कार्यों के लिए जिम्मेदारी अथवा जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इस प्रक्रिया के द्वारा समस्त सरकारी कार्यकलाप संसद के संवीक्षाधीन होते हैं। बहुधा सदस्य प्रशासनिक चूकों को बताने और सरकार से कतिपय जानकारी प्राप्त करने और आश्वासन अथवा यहां तक कि वायदा लेने में भी सक्षम हो जाते हैं।

सामान्यतया, लोक सभा की प्रत्येक बैठक में पहला घंटा, जो "प्रश्न काल" के नाम से जाना जाता है, प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध है। अपवादस्वरूप कुछ मामलों में कोई अत्यावश्यक कार्य करने के लिए "प्रश्न काल" को समाप्त किया जाता है बशर्ते संपूर्ण सभा ऐसा करने के लिए एकमत हो।

2. सूचना की अवधि

सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह सभा पटल पर प्रश्न रखने के लिए विहित प्रपत्र में कम से कम पूरे पन्द्रह दिन पहले लिखित में सूचना दें। सदस्य प्रश्नों की सूचनाएं उस दिन के अगले दिन से दे सकते हैं जिस दिन सत्र के लिए आमंत्रण जारी किए जाते हैं। ये सूचनाएं लोक सभा के महासचिव को संबोधित की जाती हैं और उसमें प्रश्न जिस मंत्री को संबोधित हो उसके पद के नाम का उल्लेख किया जाता है।

3. प्रश्नों की श्रेणियां

संसदीय प्रश्नों को तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और गैर-सरकारी सदस्यों से प्रश्न में श्रेणीबद्ध किया गया है।

तारांकित प्रश्न वह होता है जिसके लिए सदस्य सभा में मौखिक उत्तर प्राप्त करना चाहता है। इन प्रश्नों के उत्तर के बाद सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न नाम इस तथ्य के आधार पर दिया गया है कि उन पर सदैव तारे का चिन्ह लगा होता है।

अतारांकित प्रश्न को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस पर तारे का चिन्ह नहीं लगा होता। तारांकित प्रश्न के विपरीत, ऐसे प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में न देकर लिखित रूप से दिए जाते हैं।

अल्प सूचना प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय से संबंधित होता है और यह साधारण प्रश्न की निर्धारित सूचना-अवधि की अपेक्षा अल्प-अवधि की सूचना पर पूछा जा सकता है।

प्रश्न गैर-सरकारी सदस्य को भी संबोधित किया जा सकता है बशर्ते कि प्रश्न का विषय किसी ऐसे विधेयक, संकल्प अथवा सभा के कार्य के अन्य विषय से संबंधित हो, जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी हो। ऐसे प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परन्तु कोई अल्प सूचना प्रश्न गैर-सरकारी सदस्य को संबोधित नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा, सदस्य सभा में हाल ही में उत्तरित प्रश्नों और जिनके संबंध में किसी तथ्य के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, से उत्पन्न मामलों पर आधे घंटे की चर्चा उठा सकता है। ऐसी चर्चा केवल आधे घंटे के लिए होती है और सामान्यत: सप्ताह में तीन दिन अर्थात् सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में होती है। बजट सत्र के दौरान, वित्तीय कार्य पूरा होने तक सामान्यत: आधे घंटे की चर्चा नहीं होती।

लोक सभा में तारांकित प्रश्नों की सूची हरे कागज पर, अतारांकित प्रश्नों की सूची सफेद कागज पर, अल्प सूचना प्रश्नों की सूची गुलाबी कागज पर और गैर-सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची पीले कागज पर मुद्रित की जाती है ताकि सदस्य इन सूचियों में आसानी से भेद कर सकें।

4. प्रश्नों की संख्या के संबंध में सीमाएं

किसी सदस्य को मौखिक और लिखित उत्तरों के लिए किसी एक दिन के लिए प्रश्नों की दस से अनधिक सूचनाएं देने की अनुमति है। किसी सदस्य से एक दिन के लिए प्राप्त दस से अधिक सूचनाओं को उसी सत्र की अवधि के दौरान उसी मंत्री (मंत्रियों) से संबंधित आगे के दिन (दिनों) के लिए रख दी जाती हैं। जो सदस्य पूरे सत्र के लिए सूचनाएं देना चाहते हैं वे उनको परस्पर अधिमान्यता देकर ऐसा कर सकते हैं। यदि किसी परस्पर अधिमान्यता का संकेत न दिया गया हो तो प्रतिदिन दस से अधिक प्रश्नों पर उनकी प्राप्ति के समय के आधार पर आगामी दिन (दिनों) के लिए विचार किया जाता है।

[1]कश्यप, सुभाष सी. : पार्लियामेंटरी प्रोसीजर—दि लॉ, प्रिविलेजिस, प्रैक्टिस एंड प्रीसिडेन्ट्स, खंड 1, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, नई दिल्ली पृ. 593-94

प्रत्येक बैठक के लिए एक सदस्य के नाम में पांच से अधिक प्रश्न गृहीत नहीं किए जाते हैं जिनमें से केवल एक ही प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए तारांकित सूची में सम्मिलित किया जाता है। सामान्यत:, एक दिन के मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में 20 से अधिक प्रश्न नहीं रखे जाते। स्थगित प्रश्नों के कारण यह संख्या बढ़ सकती है। बीस प्रश्नों के अतिरिक्त प्रश्न लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में अंतरित कर दिए जाते हैं। एक दिन में उत्तर के लिए एक से अधिक अल्प सूचना प्रश्न नहीं रखा जाता। इसके अलावा, किसी एक दिन के लिए लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में सामान्यतया 230 से अधिक प्रश्न शामिल नहीं किए जाते हैं। तथापि, 230 प्रश्नों की कुल सीमा में अधिक से अधिक 25 प्रश्न और जोड़े जा सकते हैं बशर्ते कि प्रश्न "राष्ट्रपति शासन" के अधीन राज्य अथवा राज्यों के बारे में हों। एक दिन की प्रश्नों की सूची में "230/5 से अधिक" प्रश्नों को सदस्य को विशेष अनुरोध पर वापस कर दिया जाता है सदस्य यदि चाहे तो प्रश्नों की इन सूचनाओं को बाद के दिन (दिनों) के लिए, यदि कोई हो, फिर से दे सकता है अन्यथा ऐसी सूचनाएं सत्र की समाप्ति पर व्यपगत हो जाती हैं। अतारांकित प्रश्नों की सूची तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी दिन के प्रश्नों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रत्येक राउंड में प्रत्येक सदस्य का एक प्रश्न शामिल किया जाए।

तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिए जाने के बाद अल्प-सूचना प्रश्न, यदि उस दिन के लिए कोई है तो, लिया जाता है और उसका निपटान उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों का निपटान किया जाता है।

5. प्रश्नों के उत्तर के लिए दिनों का नियतन

जैसे ही लोक सभा के सत्र की बैठकों की तारीखें नियत हो जाती हैं, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिन नियत कर दिए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय पांच समूहों अर्थात् समूह क, ख, ग, घ और ङ में बांटे जाते हैं और मंत्रालयों/विभागों के समूहों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सप्ताह में नियत दिन आबंटित कर दिए जाते हैं। यदि शनिवार को किसी विशिष्ट प्रयोजन से सभा की बैठक हो, तो भी उस दिन प्रश्न काल नहीं होता है। इसी प्रकार, जब सत्र समाप्त होने की पूर्व निश्चित तारीख के बाद एक दिन या कुछ दिन के लिए सत्र की अवधि बढ़ाई जाती है तो सामान्यत: प्रश्नोत्तर के लिए समय तब तक आबंटित नहीं किया जाता जब तक कि प्रश्नों के लिए पूरे पन्द्रह दिन की सूचनाओं की शर्त का समाधान न हो जाए।

प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयोजन से संबंधित मंत्रालयों का वर्गीकरण इस ढंग से किया जाता है कि प्रत्येक मंत्रालय समूह के हिस्से में, यथा-साध्य बराबर-बराबर प्रश्न आयें। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सभा में मंत्रालय द्वारा उत्तर दिए जाने का दिन राज्य सभा में प्रश्नों के उत्तर के लिए नियत दिन एक ही न हो ताकि मंत्रीगण प्रश्नों का उत्तर देने हेतु अपने-अपने लिए निर्धारित दिनों पर दोनों सदनों में उपस्थित हो सकें।

6. प्रश्नों की ग्राह्यता संबंधी शर्तें

मुख्यत:, लोक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है जो उस मंत्री के विशेष संज्ञान में हो जिसे वह संबोधित किया गया हो। तथापि, प्रश्न पूछने का अधिकार कतिपय शर्तों के अधीन है। प्रश्न जो अस्पष्ट हैं अथवा अत्यंत सामान्य रूप के हैं अथवा जानकारी लेने के बजाय देने के लिए पूछे गए हैं, वे गृहीत नहीं किए जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो मुख्यतया भारत सरकार का विषय नहीं होते, अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। जिन प्रश्नों में तर्क, निष्कर्ष या मानहानिकारक कथन होते हैं या जिसमें किसी व्यक्ति की पदेन या सरकारी हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण का जिक्र किया गया हो, उन्हें गृहीत नहीं किया जाता। ऐसे प्रश्न, जो हाल ही में दिए गए प्रश्न के उत्तर में कवर किए गए हैं अथवा जिनमें पूछी गई जानकारी सुलभ दस्तावेजों या सामान्य संदर्भ ग्रंथों में उपलब्ध हो, भी गृहीत नहीं किए जाते। इसके अतिरिक्त, यदि किसी प्रश्न का विषय किसी न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण या किसी अन्य सांविधिक निकाय में निर्णयाधीन हो या किसी संसदीय समिति में विचाराधीन हो, तो उसे पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है। जिन देशों के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध हैं, उनके बारे में अशिष्टतापूर्ण उल्लेख वाले प्रश्न भी अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार, ऐसे प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया जाता जिनमें नीति संबंधी बड़े मामले उठाए गए हैं क्योंकि प्रश्न के उत्तर में नीतियों को स्पष्ट करना संभव नहीं होता। ऐसे प्रश्न, जिनमें अनन्य रूप से अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले विषय से संबंधित जानकारी मांगी गई हो, भी गृहीत नहीं किए जाते।

7. प्रश्नों के उत्तर

गृहीत प्रश्नों की सूचनाएं अलग कर दी जाती हैं। तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की अलग-अलग सूचियां तैयार की जाती हैं। गृहीत प्रश्नों की सूचनाएं बैलट में प्राप्त प्राथमिकता के अनुसार उस दिन की मौखिक या लिखित उत्तर, यथास्थिति, के लिए प्रश्नों की सूची में सम्मिलित की जाती हैं।

सभा में किसी दिन दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर उस दिन की कार्यवाही में छापे जाते हैं। अतारांकित प्रश्नों के मामले में उनके लिखित उत्तर संबद्ध मंत्रियों द्वारा औपचारिक रूप से सभा पटल पर नहीं रखे जाते अपितु प्रश्नकाल के अंत में सभा पटल पर रखे मान लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, किसी दिन की "मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची" का जो प्रश्न, उस दिन प्रश्न काल में उत्तर के लिए न पुकारा जाए, उसका लिखित उत्तर उस मंत्री द्वारा जिससे वह संबंधित हो, सभा पटल पर रख दिया जाता है। किसी दिन के प्रश्न काल को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में अथवा जब अव्यवस्था और लगातार व्यवधान के कारण प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जाता है तो उस दिन के लिए सूचीबद्ध सभी तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्न मान लिए जाते हैं और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों, यदि कोई हों, के साथ उस दिन के वाद-विवाद में छाप दिए जाते हैं। जब सभा की एक अथवा एक से अधिक बैठक रद्द हो जाने अथवा बिना किसी कार्यवाही के सभा की बैठक स्थगित हो जाने के कारण

प्रश्न काल समाप्त हो जाता है तो उस दिन के लिए तारांकित और अतारांकित सूची में शामिल प्रश्नों को अगली बैठक के लिए अतारांकित प्रश्न मान लिया जाता है और इन प्रश्नों को इनके उत्तर सहित सभा पटल पर रखा मान लिया जाता है और उन्हें अगले दिन की बैठक के वाद-विवाद में शामिल कर लिया जाता है।

8. पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान प्राप्त प्रश्नों की सूचनाएं

पहली से पन्द्रहवीं लोक सभाओं के दौरान प्राप्त और गृहीत प्रश्नों की सूचनाओं की कुल संख्या निम्नलिखित तालिका-1 में दर्शायी गयी है:-

तालिका-1

प्राप्त और गृहीत प्रश्नों की सूचनाओं की संख्या

लोक सभा	प्राप्त सूचनाएं	कुल गृहीत प्रश्न
पहली	92,134	43,725 (47.45%)
दूसरी	1,43,651	63,252 (44.03%)
तीसरी	1,62,334	42,725 (46.37%)
चौथी	2,64,742	63,607 (44.27%)
पांचवीं	2,52,700	58,355 (36.00%)
छठी	1,37,045	93,538 (35.30%)
सातवीं	2,69,221	1,02,959 (38.24%)
आठवीं	2,50,098	98,390 (39.34%)
नौवीं	75,228	21,550 (28.64%)
दसवीं	3,30,325	90,695 (27.45%)
ग्यारहवीं	98,863	23,681 (24.44%)
बारहवीं	72,934	15,579 (21.36%)
तेरहवीं	3,13,157	77,982 (25.00%)
चौदहवीं	3,11,728	66,677 (21.38%)
पन्द्रहवीं	4,43,578	79666 (17.95%)

9. पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान प्रश्न

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान कुल गृहीत प्रश्न, मंत्रालय/विभाग जिनके संबंध में सर्वाधिक संख्या में प्रश्न गृहीत किए गए; एक दिन के उन प्रश्नों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या जिनका मौखिक उत्तर दिया गया, का ब्यौरा नीचे क्रमशः तालिका 2, तालिका 3 और तालिका 4 में दर्शाया गया है; एक सदस्य के नाम से गृहीत तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या भी तालिका 4 में दर्शायी गई है।

तालिका-2

कुल गृहीत प्रश्न

प्रश्नों की श्रेणी	गृहीत प्रश्नों की संख्या	उत्तरित प्रश्नों की संख्या
तारांकित प्रश्न	6480*	6478
अतारांकित प्रश्न	73183$	73156
अल्प सूचना प्रश्न	शून्य	शून्य

*चौदहवें सत्र के दौरान मुद्रित सूची से 2 तारांकित प्रश्नों का लोप किया गया।
$दूसरे, दसवें, चौदहवें और पन्द्रहवें सत्र के दौरान मुद्रित सूची से 27 (क्रमशः 2, 7, 13 और 5) अतारांकित प्रश्नों का लोप किया गया।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान 6480 गृहीत तारांकित प्रश्नों में से, केवल 650 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये गये और एक सदस्य (श्री आनंदराव वी. अडसूल) के नाम से गृहीत तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 95 थी।

तालिका-3

मंत्रालय, जिनके संबंध में सर्वाधिक संख्या में प्रश्न गृहीत किए गए

मंत्रालय	गृहीत प्रश्न
वित्त	4963
रेल	4132
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4054
गृह	4027
मानव संसाधन विकास	4019

तालिका-4

एक दिन के उन प्रश्नों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या जिनका मौखिक उत्तर दिया गया

प्रश्नों की न्यूनतम संख्या जिनका मौखिक उत्तर दिया गया	प्रश्नों की अधिकतम संख्या जिनका मौखिक उत्तर दिया गया
1	8

10. विवरण 21 से 26 में निम्नलिखित दर्शाया गया है:—

(क) **विवरण 21 :** सदस्यों से प्राप्त प्रश्नों की सूचनाओं का सत्र-वार निपटान;

(ख) **विवरण 22 :** प्रश्नों की कुल सूचनाओं में से हिन्दी में प्राप्त प्रश्नों की सूचनाओं की कुल संख्या;

(ग) **विवरण 23 :** तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्नों का सत्र-वार निपटान;

(घ) **विवरण 24 :** एक दिन के उन प्रश्नों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या जिनका मौखिक उत्तर दिया गया;

(ङ) **विवरण 25 :** मंत्रालय-वार प्रश्नों का निपटान;

(च) **विवरण 26 :** पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान प्रत्येक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों की संख्या

विवरण 21

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान सदस्यों से प्राप्त प्रश्नों की सूचनाओं का निष्पादन

वर्ष और सत्र	तारांकित प्रश्न			अतारांकित प्रश्न		अल्प सूचना प्रश्न				गृहीत तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना प्रश्नों की कुल सूचनाएं (3), (4), (6), (8), (9), (10)
	प्राप्त सूचनाएं	के रूप में गृहीत		प्राप्त सूचनाएं ह्न	अतारांकित प्रश्नों के रूप में ह्नगृहीत	प्राप्त सूचनाएं ह्न	के रूप में गृहीत			
		तारांकित	अतारांकित				अल्प सूचना प्रश्न	तारांकित प्रश्न	अतारांकित प्रश्न	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2009 पहला	प्रश्न काल नहीं हुआ									
2009 दूसरा	11905	500(4.49%)	3634(30.52%)	4513	1260(27.91%)	6			1(16.66%)	5395
2009 तीसरा	18812	440(2.33%)	3643(19.36%)	7494	1205(16.07%)	12	ह्न		1(3.33%)	5289
2010 चौथा	31728	620(1.95%)	5068(15.97%)	12703	1961(15.43%)	25	ह्न	1(4.00%)	3(12.00%)	7653
2010 पांचवां	21592	460(2.13%)	3767(17.44%)	8361	1516(18.13%)	4				5743
2010 छठा	21872	480(2.19%)	3800(17.37%)	9360	1720(18.37%)	10				6000
2011 सातवां	14752	300(2.03%)	2297(15.57%)	5936	1153(19.42%)	2				3750
2011 आठवां	26350	500(1.89%)	3718(14.11%)	10115	2031(20.00%)	8				6249
2011 नौवां	21052	400(1.90%)	3345(15.88%)	10288	1255(12.19%)	8				5000
2012 दसवां	32551	656(2.04%)	4738(14.55%)	17183	2852(16.59%)	9				8246
2012 ग्यारहवां	20225	400(1.99%)	2622(12.96%)	11331	1978(17.69%)	8				5000
2012 बारहवां	18003	400(2.22%)	2674(14.85%)	10877	1925(17.69%)	18				4999
2013 तेरहवां	28995	600(2.06%)	4023(13.87%)	17567	2860(16.29%)	17				7483
2013 चौदहवां	14445	300(2.10%)	7080(14.39%)	8875	1370(15.43%)	8				8750
2013-14 पन्द्रहवां	15564	420(2.69%)	2544(16.34%)	11162	2139 (19.16%)	9				5103

विवरण 22

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान हिन्दी में प्राप्त प्रश्नों की सूचनाओं की कुल संख्या

वर्ष और सत्र	हिन्दी में प्राप्त सूचनाओं की संख्या
2009 पहला	प्रश्न काल नहीं हुआ
2009 दूसरा	5345
2009 तीसरा	8505
2010 चौथा	12827
2010 पांचवां	11152
2010 छठा	11560
2011 सातवां	7599
2011 आठवां	14033
2011 नौवां	12413
2012 दसवां	17880
2012 ग्यारहवां	11247
2012 बारहवां	10082
2013 तेरहवां	16451
2013 चौदहवां	8537
2013-14 पन्द्रहवां	8977
कुल	1,56,608

विवरण 23

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्नों का सत्र-वार निष्पादन

वर्ष और सत्र	तारांकित			गृहीत अतारांकित प्रश्न	गृहीत अल्प सूचना प्रश्न	कुल (4+5+6)
	मौखिक उत्तर दिया गया	उत्तर सभा पटल पर रखे गए	कुल गृहीत			
1	2	3	4	5	6	7
2009 पहला	ह	ह	ह	ह	ह	ह
2009 दूसरा	87	413	500	4894	0	5394
2009 तीसरा	87	353	440	4848	0	5288
2010 चौथा	76	544	620	7029	0	7649
2010 पांचवां	46	414	460	5283	0	5743

1	2	3	4	5	6	7
2010 छठा	5	475	480	5520	0	6000
2011 सातवां	47	253	300	3450	0	3750
2011 आठवां	51	449	500	5749	0	6249
2011 नौवां	41	359	400	4600	0	5000
2012 दसवां	82	578	660	7590	0	8250
2012 ग्यारहवां	13	387	400	4600	0	5000
2012 बारहवां	49	351	400	4599	0	4999
2013 तेरहवां	38	562	600	6883	0	7483
2013 चौदहवां	11	*287	300	3450	0	3750
2013-14 पन्द्रहवां	17	403	420	4683	0	5103

*मुद्रित सूचियों में से दो प्रश्न हटा दिये गये थे।

विवरण 24

पन्द्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान एक दिन में मौखिक उत्तर दिए गए प्रश्नों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या

वर्ष और सत्र	प्रश्नों की अधिकतम संख्या	दिनांक	प्रश्नों की न्यूनतम संख्या	दिनांक
1	2	3	4	5
2009 पहला			प्रश्न काल नहीं हुआ	
2009 दूसरा	6	9, 13 तथा 30 जुलाई, 2009	1	23 जुलाई तथा 6 अगस्त, 2009
2009 तीसरा	8	3 दिसम्बर, 2009	1	2 नवम्बर तथा 18 दिसम्बर, 2009
2010 चौथा	5	16 मार्च, 19, 22 तथा 29 अप्रैल तथा 6 मई, 2010	1	3, 10 तथा 11 मार्च, 2010, 16, 23 तथा 26 अप्रैल, 2010, 3, 4 तथा 5 मई, 2010
2010 पांचवां	5	2, 19, 25 तथा 26 अगस्त, 2010	1	16, 17 तथा 20 अगस्त, 2010
2010 छठा	3	9 नवम्बर, 2010	1	10 तथा 15 नवम्बर, 2010
2011 सातवां	8	16 मार्च, 2011	1	23 फरवरी, 2011, 1, 3, 7 तथा 14 मार्च, 2011
2011 आठवां	6	26 अगस्त, 2011	1	2, 8, 10 तथा 25 अगस्त, 2011, 5, 6 तथा 8 सितम्बर, 2011
2011 नौवां	8	20 दिसम्बर, 2011	1	22, 23 तथा 30 नवम्बर, 2011, 8, 16 तथा 21 दिसम्बर, 2011
2012 दसवां	6	25 अप्रैल तथा 10 मई, 2012	1	15, 21, 22, 26, 27, 28, 30 मार्च, 2012, 24 अप्रैल, 2012, 2, 8, 11, 22 मई, 2012

1	2	3	4	5
2012 ग्यारहवां	3	09 अगस्त, 2012	1	13, 14, 21, 24, 27, 28, 30, 31 अगस्त, 2012, 3 तथा 6 सितम्बर, 2012
2012 बारहवां	6	20 दिसम्बर, 2012	1	6 तथा 11 दिसम्बर, 2012
2013 तेरहवां	5	8 मार्च, 2013	1	4, 5, 12, 15, 20 तथा 21 मार्च, 2013, 23, 26, 29 तथा 30 अप्रैल, 2013, 3, 6, 7 तथा 8 मई, 2013
2013 चौदहवां	4	27 अगस्त, 2013	1	5, 6, 22, 23 तथा 29 अगस्त, 2013
2013-14 पन्द्रहवां	2	7 तथा 21 फरवरी, 2014	1	9, 10, 11, 17 तथा 18 दिसम्बर, 2013 तथा 7, 10, 13 तथा 19 फरवरी, 2014

विवरण 25

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान मंत्रालय/विभाग-वार प्रश्नों का निष्पादन

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग के नाम	गृहीत प्रश्नों की संख्या		कुल (3+4)
		तारांकित प्रश्न	अतारांकित प्रश्न	
1	2	3	4	5
1.	कृषि	284	3622	3906
2.	परमाणु ऊर्जा	47	370	417
3.	रसायन और उर्वरक	121	1387	1508
4.	नागर विमानन	205	1988	2193
5.	कोयला	123	954	1077
6.	वाणिज्य और उद्योग	205	1908	2113
7.	उपभोक्ता मामले	245	1958	2203
8.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	198	1753	1951
9.	कॉर्पोरेट कार्य	37	358	395
10.	संस्कृति	48	1100	1148
11.	रक्षा	115	1810	1925
12.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	12	53	65
13.	पृथ्वी विज्ञान	34	209	243
14.	पेयजल और स्वच्छता	36	253	289
15.	पर्यावरण और वन	220	2439	2659

1	2	3	4	5
16.	विदेश मंत्री	103	1297	1400
17.	वित्त	283	4680	4963
18.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	63	403	466
19.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	380	3674	4054
20.	भारी उद्योग और लोक उद्यम	32	521	553
21.	गृह मंत्रालय	259	3768	4027
22.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन	56	426	482
23.	मानव संसाधन विकास	316	3703	4019
24.	सूचना और प्रसारण	96	985	1081
25.	श्रम और रोजगार	151	1572	1723
26.	विधि और न्याय	88	889	977
27.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	53	570	623
28.	खान	47	456	503
29.	अल्पसंख्यक कार्य	40	462	502
30.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	85	695	780
31.	प्रवासी भारतीय कार्य	30	322	352
32.	पंचायती राज	34	299	333
33.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	37	1053	1090
34.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	260	2306	2566
35.	योजना	67	966	1033
36.	प्रधानमंत्री	0	15	15
37.	संसदीय कार्य	0	15	15
38.	विद्युत	196	1660	1856
39.	रेल	255	3877	4132
40.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	177	2264	2441
41.	ग्रामीण विकास	201	1978	2179
42.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	22	315	337
43.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	70	940	1010
44.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	14	210	224
45.	अंतरिक्ष	12	185	197

1	2	3	4	5
46.	पोत	50	715	765
47.	इस्पात	41	512	553
48.	वस्त्र	101	765	866
49.	पर्यटन	65	548	613
50.	जनजातीय कार्य	50	667	717
51.	शहरी विकास	88	1219	1307
52.	जल संसाधन	133	1422	1555
53.	महिला और बाल विकास	87	1037	1124
54.	युवा कार्यक्रम और खेल	92	870	962

विवरण 26

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान गृहीत प्रश्न
(सदस्य-वार विश्लेषण)

क्रम.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न	अतारांकित प्रश्न	कुल
1	2	3	4	5
1.	अब्दुल रहमान, श्री	49	534	583
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	22	197	219
3.	आधलराव पाटील, श्री शिवाजी	84	997	1081
4.	आधि शंकर, श्री	16	161	177
5.	अधिकारी, श्री सुवेन्दु	12	78	90
6.	आदित्यनाथ, योगी	31	316	347
7.	अडसुल, श्री आनंदराव	95	1170	1265
8.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	64	834	898
9.	अग्रवाल, श्री राजेन्द्र	14	352	366
10.	अहीर, श्री हंसराज गं.	75	927	1002
11.	अहमद, श्री सुल्तान	7	56	63
12.	अजमल, श्री बदरूद्दीन	23	297	320
13.	अजनाला, डॉ. रतन सिंह	19	143	162
14.	अलागिरी, श्री एस.	62	521	583
15.	अमलाबे, श्री नारायण सिंह	11	122	133
16.	आनंदन, श्री एम.	26	200	226

1	2	3	4	5
17.	अनंत कुमार, श्री	33	201	234
18.	अंगड़ी, श्री सुरेश	21	311	332
19.	अन्नय्यागरी, श्री साई प्रताप	2	162	164
20.	एंटोनी, श्री एंटो	60	558	618
21.	अनुरागी, श्री घनश्याम	25	279	304
22.	अर्गल, श्री अशोक	8	172	180
23.	ऐरन, श्री प्रवीण सिंह	0	12	12
24.	आवले, श्री जयवंत गंगाराम	41	309	350
25.	आजाद, श्री कीर्ति (झा)	20	276	296
26.	अजहरूद्दीन, मोहम्मद	0	5	5
27.	बालु, श्री टी.आर.	11	97	108
28.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	13	241	254
29.	बाबर, श्री गजानन ध.	64	1111	1175
30.	बब्बर, श्री राज	1	9	10
31.	बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर	24	253	277
32.	बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह	1	22	23
33.	बहुगुणा, श्री विजय	1	17	18
34.	बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल	8	154	162
35.	बैंस, श्री रमेश	29	268	297
36.	बाइते, श्री थांगसो	3	6	9
37.	बैठा, श्री कामेश्वर	17	253	270
38.	बाजवा, श्री प्रताप सिंह	28	331	359
39.	बलीराम, डॉ.	25	330	355
40.	बाल्मीकि, श्री कमलेश	0	4	4
41.	बलराम, श्री पी. नाइक	14	415	429
42.	बनर्जी, श्री अम्बिका	9	145	154
43.	बंसल, श्री पवन कुमार	2	24	26
44.	बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान	9	88	97
45.	बासवराज, श्री जी.एस.	6	154	160
46.	बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.	11	147	158

1	2	3	4	5
47.	बासकें, श्री पुलीन बिहारी	12	72	84
48.	बाडरी, श्रीमती सुस्मिता	10	121	131
49.	बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	20	300	320
50.	बेग, डॉ. मिर्जा महबूब	3	24	27
51.	भडाना, श्री अवतार सिंह	18	213	231
52.	भगत, श्री सुदर्शन	32	370	402
53.	भगोरा, श्री ताराचन्द	19	333	352
54.	भोई, श्री संजय	38	386	424
55.	भोंसले, श्री उदयनराजे	5	36	41
56.	भुजबल, श्री समीर	30	317	347
57.	बिजू, श्री पी.के.	33	419	452
58.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1	179	180
59.	बोंचा, डॉ. (श्रीमती) झांसी लक्ष्मी	31	346	377
60.	बैंसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	10	90	100
61.	चाको, श्री पी.सी.	5	23	28
62.	चक्रवर्ती, श्रीमती विजया	6	47	53
63.	चांग, श्री चांगशेन मोंगोसंगकम	3	30	33
64.	चौधरी, श्री अरबिन्द कुमार	16	174	190
65.	चौधरी, श्री हरिभाई परथीभाई	3	30	33
66.	चौधरी, श्री जयंत	13	167	180
67.	चौहान, श्री दारा सिंह	10	82	92
68.	चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.	14	132	146
69.	चौहान, श्रीमती राजकुमारी	0	49	49
70.	चौहान, श्री संजय सिंह	24	252	276
71.	चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.	51	734	785
72.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र देओराम	47	745	792
73.	चिन्ता मोहन, डॉ.	55	431	486
74.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1	7	8
75.	चौधरी, श्री भूदेव	39	410	449
76.	चौधरी, श्री हरीश	49	599	648

1	2	3	4	5
77.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	21	162	183
78.	चौधरी, श्रीमती श्रुति	8	656	664
79.	चौधरी, श्री अधीर रंजन	33	275	308
80.	चौधरी, श्री बंस गोपाल	5	38	43
81.	दानवे, श्री रावसाहेब पाटील	25	266	291
82.	दास, श्री भक्त चरण	27	225	252
83.	दास, श्री राम सुन्दर	35	373	408
84.	दास, श्री खगेन	25	285	310
85.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	57	449	506
86.	दासमुंशी, श्रीमती दीपा	22	306	328
87.	दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष	3	10	13
88.	डे (नाग), डॉ. रत्ना	18	156	174
89.	डेका, श्री रमेन	21	157	178
90.	देवरा, श्री मिलिंद	0	274	274
91.	देशमुख, श्री के.डी.	21	170	191
92.	देवी, श्रीमती अश्वमेध	11	134	145
93.	धनपालन, श्री के.पी.	42	451	493
94.	धोत्रे, श्री संजय	35	360	395
95.	ध्रुवनारायण, श्री आर.	36	630	666
96.	धुर्वे, श्रीमती ज्योति	26	344	370
97.	डिएस, डॉ. चार्ल्स	16	144	160
98.	दीक्षित, श्री सन्दीप	0	2	2
99.	डोम, डॉ. रामचन्द्र	6	74	80
100.	दुबे, श्री निशिकांत	74	742	816
101.	दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव	44	375	419
102.	दत्त, श्रीमती प्रिया	10	151	161
103.	इलैंगोवन, श्री टी.के.एस.	1	14	15
104.	ईरींग, श्री निनोंग	4	22	26
105.	गद्दीगौदर, श्री पी.सी.	28	385	413
106.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवादानजी	8	343	351

1	2	3	4	5
107.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	75	946	1021
108.	गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसूखलाल	11	267	278
109.	गांधी, श्रीमती मेनका	38	298	336
110.	गांधी, श्री वरूण	72	569	641
111.	गणेशमूर्ति, श्री ए.	26	392	418
112.	गावित, श्री माणिकराव होडल्या	16	135	151
113.	गीते, श्री अनंत गंगाराम	1	9	10
114.	घाटोवार, श्री पवन सिंह	1	17	18
115.	घुबाया, श्री शेर सिंह	4	47	51
116.	गोहैन, श्री राजेन	4	83	87
117.	गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे	46	704	750
118.	गौडा, श्री डी.वी. सदानंद	5	67	72
119.	गुड्डू, श्री प्रेमचन्द	12	245	257
120.	गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	13	116	129
121.	गुथा, श्री सुकेन्दर रेड्डी	8	94	102
122.	हल्दर, डॉ. सुचारु रंजन	4	25	29
123.	हान्डिक, श्री बी.के.	0	1	1
124.	हक, प्रो. शेख सैदुल	29	228	257
125.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	0	34	34
126.	हसन, श्रीमती तबस्सुम	4	27	31
127.	हसन, डॉ. मोनाजिर	5	18	23
128.	हजारी, श्री महेश्वर	24	454	478
129.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	70	504	574
130.	हेगड़े, श्री के. जयप्रकाश	7	60	67
131.	हेलेन, श्रीमती डेविडसन जे.	22	171	193
132.	हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह	10	73	83
133.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	60	651	711
134.	इस्लाम, एस.के. नूरूल	0	4	4
135.	जाधव, श्री बलीराम	32	280	312
136.	जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव	41	459	500

1	2	3	4	5
137.	जगन्नाथ, डॉ. मन्दा	23	255	278
138.	जहां, श्रीमती कैसर	1	32	33
139.	जायसवाल, डॉ. संजय	21	189	210
140.	जायसवाल, श्री गौरख प्रसाद	50	670	720
141.	जाखड़, श्री बद्रीराम	2	511	513
142.	जरदोश, श्रीमती दर्शना	25	313	338
143.	जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई	7	95	102
144.	जावले, श्री हरिभाऊ	25	379	404
145.	जेना, श्री मोहन	6	43	49
146.	जेयदुरई, श्री एस.आर.	45	635	680
147.	जिगजिणगी, श्री रमेश	0	20	20
148.	जिन्दल, श्री नवीन	30	486	516
149.	जोशी, श्री कैलाश	4	69	73
150.	जोशी, श्री महेश	30	321	351
151.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	78	499	577
152.	जोशी, श्री प्रहलाद	53	584	637
153.	जूदेव, श्री दिलीप सिंह	10	258	268
154.	काछड़िया, श्री नारनभाई	56	712	768
155.	कलमाडी, श्री सुरेश	23	183	206
156.	करुणाकरन, श्री पी.	49	545	594
157.	करवारिया, श्री कपिल मुनि	22	368	390
158.	कश्यप, श्री दिनेश	1	12	13
159.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	19	381	400
160.	कस्वां, श्री राम सिंह	16	311	327
161.	कटारिया, श्री लालचन्द	20	218	238
162.	कटील, श्री नलिन कुमार	11	271	282
163.	कटौच, श्रीमती चन्द्रेश कुमारी	2	40	42
164.	काट्टी, श्री रमेश विश्वनाथ	8	129	137
165.	केपी, श्री महिन्दर सिंह	0	4	4
166.	खैरे, श्री चंद्रकांत	53	672	725

1	2	3	4	5
167.	खान, श्री हसन	7	47	54
168.	खत्री, डॉ. निर्मल	4	20	24
169.	किल्ली, डॉ. (श्रीमती) कृपारानी	30	308	338
170.	किशोर, श्री कमल	18	232	250
171.	कोंडिकुन्नील, श्री सुरेश	50	625	675
172.	कोंड़ा, श्री मधु	3	68	71
173.	कोंवासे, श्री मारोंतराव सैनुजी	39	431	470
174.	कृष्णास्वामी, श्री एम.	18	224	242
175.	कुमार, श्री अजय	17	175	192
176.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	30	427	457
177.	कुमार, श्री पी.	36	559	595
178.	कुमार, श्री शैलेन्द्र	23	146	169
179.	कुमार, श्री विश्व मोहन	31	380	411
180.	कुरूप, श्री एन. पीताम्बर	6	183	189
181.	लगदापति, श्री राजगोपाल	44	492	536
182.	लागुरी, श्री यशवंत	5	682	687
183.	लाल, श्री पकौड़ी	9	52	61
184.	लिब्रा, श्री सुखदेव सिंह	5	93	98
185.	लिंगम, श्री पी.	32	302	334
186.	लोधी, श्री शिवराज सिंह	5	88	93
187.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	52	879	931
188.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	58	509	567
189.	महन्त, डॉ. चरण दास	11	121	132
190.	महाराज, श्री सतपाल	12	126	138
191.	महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद	24	279	303
192.	महतो, श्री नरहरि	45	603	648
193.	महताब, श्री भर्तृहरि	39	356	395
194.	माझी, श्री प्रदीप	74	1028	1102
195.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	37	433	470
196.	मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह	9	56	65

1	2	3	4	5
197.	मलिक, श्री शक्ति मोहन	2	27	29
198.	मंडल, डॉ. तरूण	4	18	22
199.	मंडल, श्री मंगनी लाल	32	246	278
200.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	5	68	73
201.	मणि, श्री जोस के.	49	525	574
202.	मणियन, श्री ओ.एस.	0	60	60
203.	मांझी, श्री हरि	11	117	128
204.	मसराम, श्री बसोरी सिंह	0	10	10
205.	मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड	14	116	130
206.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	52	549	601
207.	मीणा, श्री रघुवीर सिंह	16	109	125
208.	मेघे, श्री दत्ता	29	278	307
209.	मेघवाल, श्री अर्जुन राम	54	695	749
210.	मेघवाल, श्री भरत राम	8	192	200
211.	मैन्या, डॉ. थोकचोम	18	186	204
212.	मिर्धा, डॉ. ज्योति	9	52	61
213.	मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद	16	162	178
214.	मिश्रा, श्री महाबल	27	291	318
215.	मिश्रा, श्री पिनाकी	1	18	19
216.	मिथिलेश कुमार, श्री	11	143	154
217.	मित्रा, श्री सौमेन	17	261	278
218.	हक, श्री मोहम्मद असरारूल	6	51	57
219.	मोहन, डॉ. चिन्ता	3	15	18
220.	मोहन, श्री पी.सी.	15	237	252
221.	महापात्र, श्री सिद्धांत	1	3	4
222.	मुखर्जी, श्री अभिजीत	2	20	22
223.	मुंडा, श्री अर्जुन	12	141	153
224.	मुंडे, श्री गोपीनाथ	37	429	466
225.	मुत्तेमवार, श्री विलास	46	643	689
226.	नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह	27	475	502

1	2	3	4	5
227.	नागपाल, श्री देवेन्द्र	1	42	43
228.	जया प्रदा, श्रीमती	33	363	396
229.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	68	688	756
230.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	11	129	140
231.	नामधारी, श्री इन्दर सिंह	14	167	181
232.	नकवी, श्री जफर अली	6	57	63
233.	नरह, श्रीमती रानी	2	5	7
234.	नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा	0	1	1
235.	नटराजन, कुमारी मीनाक्षी	10	125	135
236.	नटराजन, श्री पी.आर.	19	413	432
237.	निम्मला, श्री कृष्टप्प	5	36	41
238.	निरूपम, श्री संजय	34	299	333
239.	निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद	9	106	115
240.	नूर, कुमारी मौसम	1	59	60
241.	ओला, श्री सीस राम	0	10	10
242.	ओवैसी, श्री असादूद्दीन	86	1043	1129
243.	पक्कीरप्पा, श्री एस.	43	754	797
244.	पाल, श्री जगदम्बिका	20	209	229
245.	पाला, श्री विन्सेंट एच.	2	26	28
246.	पांडा, श्री वैजयंत	99	780	879
247.	पांडा, श्री प्रबोध	57	530	587
248.	पाण्डेय, श्री गोरखनाथ	14	127	141
249.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	44	555	599
250.	पाण्डेय, श्री राकेश	0	20	20
251.	पाण्डेय, कुमारी सरोज	29	409	438
252.	पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार	6	191	197
253.	पांगी, श्री जयराम	9	218	227
254.	परांजपे, श्री आनंद प्रकाश	60	759	819
255.	पासवान, श्री कमलेश	12	104	116
256.	पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार	12	127	139

1	2	3	4	5
257.	पटेल, श्री बाल कुमार	26	254	280
258.	पटेल, श्री देवराज सिंह	9	103	112
259.	पटेल, श्री देवजी एम.	20	400	420
260.	पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	26	488	514
261.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	43	746	789
262.	पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई	5	73	78
263.	पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई	0	33	33
264.	पटेल, श्री आर.के. सिंह	19	179	198
265.	पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली	0	10	10
266.	पाठक, श्री हरिन	49	325	374
267.	पाटील, श्री ए.टी. (नाना)	46	595	641
268.	पाटिल, श्री बी.बी.	55	864	919
269.	पाटील, श्री भास्करराव बापूराव	2	40	42
270.	पाटील, श्रीमती भावना गवली	37	323	360
271.	पाटिल, श्री सी.आर.	29	439	468
272.	पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव	24	213	237
273.	पाटील, श्री संजय दिना	41	427	468
274.	पटले, श्रीमती कमला देवी	8	409	417
275.	पैरूमल, श्री विश्वनाथन	43	615	658
276.	पोटाई, श्री सोहन	0	5	5
277.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	33	896	929
278.	प्रधान, श्री अमरनाथ	14	173	187
279.	प्रधान, श्री नित्यानंद	69	613	682
280.	प्रताप नारायणराव, श्री सोनवणे	16	277	293
281.	प्रेमदास, श्री	15	139	154
282.	पुनिया, श्री पन्ना लाल	39	617	656
283.	पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र	13	117	130
284.	पुतुल कुमारी, श्रीमती	10	107	117
285.	रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई	16	155	171
286.	राघवन, श्री एम.के.	43	415	458

1	2	3	4	5
287.	राय, श्री प्रेम दास	17	164	181
288.	राजभर, श्री रमाशंकर	19	208	227
289.	राजेन्द्रन, श्री सी.	36	375	411
290.	राजेश, श्री एम.बी.	43	470	513
291.	राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह	14	111	125
292.	रामशंकर, प्रो. (डॉ.)	19	216	235
293.	राम, श्री पूर्णमासी	46	610	656
294.	रमा देवी, श्रीमती	50	576	626
295.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	46	1015	1061
296.	रामकिशुन, श्री	38	452	490
297.	राणा, श्री जगदीश सिंह	13	223	236
298.	राणा, श्री कादिर	2	108	110
299.	राणा, श्री राजेन्द्रसिंह (राजू राणा)	4	28	32
300.	राणे, डॉ. निलेश नारायण	12	594	606
301.	राव, डॉ. के.एस.	14	137	151
302.	राव, श्री कै. नारायण	5	25	30
303.	राव, श्री इन्द्रजीत सिंह	1	9	10
304.	राव, श्री नामा नागेश्वर	48	440	488
305.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	35	657	692
306.	रशीद, श्री जे.एम. आरुन	26	349	375
307.	राठौड़, श्री रमेश	11	280	291
308.	राठवा, श्री रामसिंह	42	721	763
309.	रावत, श्री अशोक कुमार	66	753	819
310.	राय, श्री विष्णु पद	5	216	221
311.	राय, श्री रूद्रमाधव	56	778	834
312.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	28	524	552
313.	रेड्डी, श्री कै.आर.जी.	9	150	159
314.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	20	480	500
315.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	52	758	810
316.	रैड्डी, श्री एम. राजा मोहन	19	222	241

1	2	3	4	5
317.	रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल	38	448	486
318.	रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	0	2	2
319.	राय, श्री अर्जुन	35	313	348
320.	राय, श्री महेन्द्र कुमार	20	148	168
321.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	48	588	636
322.	राय, प्रो. सौगत	14	181	195
323.	रुआला, श्री सी.एल.	2	10	12
324.	सचान, श्री राकेश	3	31	34
325.	साहा, डॉ. अनूप कुमार	12	89	101
326.	साहू, श्री चंदूलाल	5	63	68
327.	साय, श्री विष्णु देव	2	12	14
328.	सम्पत, श्री ए.	36	364	400
329.	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कौज्मी	22	266	288
330.	सरोज, श्रीमती सुशीला	27	518	545
331.	सरोज, श्री तूफानी	27	314	341
332.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	7	260	267
333.	सत्पथी, श्री तथागत	37	238	275
334.	सईद, श्री हमदुल्लाह	12	617	629
335.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	12	233	245
336.	सेम्मलई, श्री एस.	55	503	558
337.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	20	179	199
338.	शाह, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी	0	31	31
339.	शानवास, श्री एम.आई.	30	275	305
340.	शांता, श्रीमती जे.	23	493	516
341.	शारिक, श्री शरीफुद्दीन	3	55	58
342.	शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार	2	90	92
343.	शर्मा, श्री जगदीश	60	379	439
344.	शर्मा, श्री मदन लाल	6	73	79
345.	शेखर, श्री नीरज	74	744	818
346.	शेखावत, श्री गोपाल सिंह	6	109	115

1	2	3	4	5
347.	शेंटकर, श्री सुरेश कुमार	28	811	839
348.	शेंट्टी, श्री राजू	23	302	325
349.	शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश	20	141	161
350.	शिवराज गौडा, श्री	16	273	289
351.	शुक्ल, श्री बालकृष्ण खांडेराव	21	233	254
352.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	48	840	888
353.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	9	90	99
354.	सिंह, डॉ. भोला	39	359	398
355.	सिंह, श्री भूपेन्द्र	35	589	624
356.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	26	157	183
357.	सिंह, चौधरी लाल	28	234	262
358.	सिंह, श्री धनंजय	21	220	241
359.	सिंह, श्री दुष्यंत	27	324	351
360.	सिंह, श्री गणेश	48	572	620
361.	सिंह, श्री इज्यराज	38	481	519
362.	सिंह, श्री जगदानंद	49	416	465
363.	सिंह, श्री रेवती रमन	18	198	216
364.	सिंह, श्री महाबली	12	155	167
365.	सिंह, श्रीमती मीना	40	366	406
366.	सिंह, श्री मुरारी लाल	2	89	91
367.	सिंह, श्री एन. थरम	6	44	50
368.	सिंह, श्री पशुपति नाथ	26	276	302
369.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2	32	34
370.	सिंह, श्री प्रदीप कुमार	12	154	166
371.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	3	8	11
372.	सिंह, श्री राधा मोहन	48	509	557
373.	सिंह, श्री राधे मोहन	13	153	166
374.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	58	451	509
375.	सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी	0	1	1
376.	सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह (ललन)	64	515	579

1	2	3	4	5
377.	सिंह, राजकुमारी रत्ना	63	581	644
378.	सिंह, श्री राजनाथ	7	26	33
379.	सिंह, श्री राकेश	33	400	433
380.	सिंह, श्री रतन	24	263	287
381.	सिंह, श्री रवनीत	31	422	453
382.	सिंह, डॉ. संजय	51	614	665
383.	सिंह, श्री सुशील कुमार	27	335	362
384.	सिंह, श्री उदय	60	526	586
385.	सिंह, श्री उदय प्रताप	19	168	187
386.	सिंह, श्री उमाशंकर	11	100	111
387.	सिंह, श्री विजय बहादुर	18	182	200
388.	सिंह, श्री यशवीर	57	591	648
389.	सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण	32	341	373
390.	सिंगला, श्री विजय इन्दर	1	30	31
391.	सिन्हा, श्री शत्रुघ्न	9	57	66
392.	सिन्हा, श्री यशवंत	9	75	84
393.	सिरिसिल्ला, श्री राजय्या	25	774	799
394.	शिवप्रसाद, डॉ. एन.	1	15	16
395.	शिवासामी, श्री सी.	49	651	700
396.	सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई	25	433	458
397.	सोलंकी, श्री मकनसिंह	8	118	126
398.	सुधाकरण, श्री के.	17	275	292
399.	सुगावनम, श्री ई.जी.	12	894	906
400.	सुगुमार, श्री के.	50	600	650
401.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	2	20	22
402.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	67	671	738
403.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	0	12	12
404.	सुशान्त, डॉ. राजन	2	52	54
405.	स्वामी, श्री जनार्दन	0	5	5
406.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	49	786	835

1	2	3	4	5
407.	स्वराज, श्रीमती सुषमा	4	39	43
408.	टैगोर, श्री मानिक	37	432	469
409.	तकाम, श्री संजय	9	67	76
410.	टम्टा, श्री प्रदीप	0	2	2
411.	टन्डन, श्रीमती अन्नू	21	286	307
412.	टन्डन, श्री लालजी	20	130	150
413.	तंवर, श्री अशोक	15	208	223
414.	तराई, श्री बिभू प्रसाद	25	200	225
415.	ताबिआड, डॉ. प्रभा किशोर	1	3	4
416.	तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ	14	169	183
417.	तिवारी, श्री मनीष	46	264	310
418.	ठाकोर, श्री जगदीश	22	284	306
419.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	21	590	611
420.	थामराईसेंलवन, श्री आर.	52	688	740
421.	तम्बिदुरई, डॉ. एम.	39	331	370
422.	थरूर, डॉ. शशि	14	74	88
423.	थोल, श्री तिरुमावलावन	4	19	23
424.	थॉमस, श्री पी.टी.	48	454	502
425.	तिरकी, श्री मनोहर	36	656	692
426.	तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल	46	490	536
427.	तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह	9	206	215
428.	टोप्पो, श्री जोसेफ	20	127	147
429.	टुडु, श्री लक्ष्मण	22	292	314
430.	उदासी, श्री शिवकुमार सी.	17	232	249
431.	उपाध्याय, श्रीमती सीमा	16	381	397
432.	वर्धन, श्री हर्ष	41	407	448
433.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	54	750	804
434.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	20	215	235
435.	वेणुगोपाल, डॉ. पी.	25	450	475
436.	वेणुगोपाल, श्री डी.	0	5	5

1	2	3	4	5
437.	वर्मा, श्री सज्जन सिंह	32	402	434
438.	वर्मा, श्रीमती ऊषा	23	382	405
439.	विजयन, श्री ए.के.एस.	35	405	440
440.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	26	252	278
441.	विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच.	22	321	343
442.	विवेकानन्द, डॉ. जी.	7	49	56
443.	वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार	4	29	33
444.	व्यास, डॉ. गिरिजा	2	14	16
445.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	62	716	778
446.	वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव	32	296	328
447.	यादव, श्री अरुण	2	23	25
448.	यादव, श्री धर्मेन्द्र	61	915	976
449.	यादव, श्री दिनेश चन्द्र	44	394	438
450.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	32	271	303
451.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	25	618	643
452.	यादव, श्री मधुसूदन	6	128	134
453.	यादव, श्री ओम प्रकाश	21	298	319
454.	यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	40	444	484
455.	यादव, श्री शरद	3	39	42
456.	यास्खी, श्री मधु गौड	43	583	626
457.	येदियुरप्पा, श्री राघवेन्द्र बी.	2	126	128

5

विधायी और वित्तीय कार्य

विधान

संविधान के अंतर्गत भारत राज्यों का एक संघ है और सभी विधायी शक्तियां केन्द्र और राज्यों के बीच बंटी हुई हैं। संक्षेप में, विधायी शक्तियों के वितरण की योजना इस प्रकार है कि संसद को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची – एक, जिसे संघ सूची कहा जाता है, में दिए गए मामलों के संबंध में कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। राज्य विधानमंडलों की सूची – दो, अर्थात् राज्य सूची में दिए गए मामलों के संबंध में कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। तथापि, कुछ आकस्मिक मामलों में उदाहरणार्थ, जब राज्य सभा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत प्रस्ताव पारित कर संसद को राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है अथवा दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल अपने संकल्पों द्वारा संसद को ऐसा करने को कहें अथवा कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन हो तथा राज्य विधानमंडल की समस्त शक्तियां संसद में निहित हों, तो यह राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है। सूची – तीन, जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है, में ऐसे विषय शामिल हैं जिनके संबंध में संसद और राज्यों के विधानमंडलों को समान शक्ति प्राप्त है। तथापि इस प्रकार केन्द्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून के बीच विरोध की दशा में केन्द्र द्वारा बनाया गया कानून अभिभावी होगा। चूंकि अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं, अत: संसद ऐसे मामलों में भी कानून बना सकती है जिन्हें सातवीं अनुसूची में शामिल तीन सूचियों में से किसी भी सूची में विशिष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है।

संसद, संविधान के उपबंधों के अध्यधीन आवश्यक होने पर कानून बनाती है तथा संविधान में संशोधन भी करती है। संसद की किसी भी सभा में विधेयक के पुर:स्थापन के साथ ही विधायी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। विधेयक, यथोचित रूप में रखे हुए विधायी प्रस्ताव का वह मसौदा है जो संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने पर अधिनियम बन जाता है। विधेयक या तो मंत्री द्वारा अथवा गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुर:स्थापित किया जा सकता है। पहले वाले मामले में यह सरकारी विधेयक के नाम से जाना जाता है और बाद वाले मामले में यह गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के नाम से जाना जाता है। धन विधेयक [उदाहरणार्थ, वे विधेयक जिनमें करों के लगाये जाने, समाप्त करने, बदलने अथवा विनियमित करने का उपबंध होता है, संचित निधि के धन के विनियोग हेतु विधेयक; तथा संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड (1) में वर्णित अन्य मामले] केवल लोक सभा में ही पुर:स्थापित किया जा सकता है।

जब कोई विधेयक पुर:स्थापित कर दिया जाता है तो उस विधेयक का प्रभारी सदस्य निम्नलिखित प्रस्तावों में से कोई भी प्रस्ताव कर सकता है:–

(एक) कि विधेयक पर विचार किया जाए; अथवा

(दो) कि उसे लोक सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाए; अथवा

(तीन) कि उसे राज्य सभा की सहमति से दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए; अथवा

(चार) कि उस पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए।

वर्तमान प्रथा के अनुसार, अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले और साधारण अथवा तकनीकी प्रकृति के विधेयकों को छोड़कर सभी विधेयक सामान्यतया संबंधित विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की जांच करने और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु भेजे जाते हैं।

कई बार विधेयकों के स्वरूप और जटिलता को देखते हुए उनकी जांच करने और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रवर समितियों को सौंप दिया जाता है। इसी प्रकार विधेयकों को राज्य सभा की सहमति से संयुक्त समितियों को भेजा जा सकता है जिसमें दोनों सभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। ऐसी प्रवर अथवा संयुक्त समितियां तद्‌र्थ समितियां होती हैं जो उन्हें भेजे गए विशिष्ट विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त की जाती हैं।

स्थायी समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद विधेयक का प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव करेगा कि विधेयक पर विचार किया जाए। प्रवर अथवा संयुक्त समिति द्वारा विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव करेगा कि प्रवर अथवा संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक पर विचार किया जाए। यह प्रस्ताव किए जाने पर कि विधेयक, अथवा प्रवर या संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक

पर विचार किया जाए, पर मतदान किया जाता है और विधेयक पर खंड-वार विचार किया जाता है। इस प्रक्रम में संशोधन किए जाने की अनुमति है। जब विधेयक पर खंड-वार विचार कर लिया जाता है और उसके सभी खंडों, अनुसूचियों तथा अन्य भागों पर विचार किया जाता है और उसे संशोधनों के साथ या उसके बिना स्वीकार किया जाता है तो प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक का अथवा यथासंशोधित विधेयक, जैसी भी स्थिति हो, को पारित किया जाए। इस प्रक्रम में यह विचार-विमर्श किया जाता है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाए अथवा अस्वीकृत किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रथा यह है कि विधेयक पर राय जानने के लिए उसे अब परिचालित नहीं किया जाता है। तथापि, यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो विधेयक को राज्य सरकारों को परिचालित किया जाता है जिन्हें इसे अपने राजपत्र में प्रकाशित कराने और अपनी राय, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों और ऐसे अन्य सरकारी निकायों, चुनिंदा अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों, जिन्हें राज्य सरकार उपयुक्त समझे, की राय की दो प्रतियां अग्रेषित करने का अनुरोध किया जाता है। संपादन और समेकन के बाद इस राय को "विधेयक संबंधी कागज पत्र" के रूप में मुद्रित किया जाता है और विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा सभापटल पर रखा जाता है। "विधेयक संबंधी कागज पत्र" रखने के बाद, यदि प्रभारी सदस्य विधेयक पर आगे कार्यवाही चाहे तो वह यह प्रस्ताव करेगा कि विधेयक को लोक सभा की प्रवर समिति अथवा दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया जाए जब तक कि अध्यक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति न दे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

एक सभा द्वारा विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात् सहमति हेतु इसे दूसरी सभा के पास भेज दिया जाता है। धन विधेयकों के मामलों में लोक सभा को कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त है तथा राज्य सभा उसमें संशोधन मात्र की सिफारिश ही कर सकती है। इसकी प्राप्ति की तिथि से चौदह दिनों के भीतर ऐसे विधेयक को लोक सभा को वापस भेजने होता है। धन विधेयक के मामले में लोक सभा, राज्य सभा की किसी अथवा सभी सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। यदि लोक सभा, राज्य सभा की किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार करती है तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा अनुशंसित तथा लोक सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों के साथ दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है। लेकिन यदि लोक सभा, राज्य सभा की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा अनुशंसित किन्हीं संशोधनों के बिना किसी उसी रूप में दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है जिस रूप में इसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया हो। लोक सभा द्वारा पारित तथा इसकी सिफारिशों हेतु राज्य सभा को प्रेषित कोई धन विधेयक चौदह दिन की उक्त अवधि के भीतर लोक सभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर इसे उसी रूप में दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है जिस रूप में इसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

यदि धन विधेयक के अलावा कोई अन्य विधेयक एक सभा द्वारा पारित और दूसरी सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है अथवा, विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों से सभाएं अंतिम तौर पर असहमत हो जाती हैं, अथवा विधेयक प्राप्त होने की तारीख से छह माह से अधिक समय बीत जाने पर भी दूसरी सभा द्वारा विधेयक को पारित नहीं किया जाता है तो राष्ट्रपति गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों सभाओं की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि सभाओं की संयुक्त बैठक में विधेयक उनके द्वारा स्वीकृत संशोधनों, यदि कोई हों, सहित दोनों सभाओं के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो विधेयक दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है।

जब कोई विधेयक दोनों सभाओं द्वारा पारित कर दिया जाता है तो इसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। इस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के पश्चात् ही विधेयक अधिनियम बनता है।

विधेयक, पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे सकता है अथवा अपनी अनुमति देने से इंकार कर सकता है। राष्ट्रपति अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक को (धन विधेयक को छोड़कर) पुनर्विचार हेतु सभाओं के पास लौटा भी सकता है, और यदि सभाएं संशोधनों सहित अथवा संशोधनों रहित फिर विधेयक पारित करती हैं, तो विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही पड़ती है। तथापि, संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के मामले में, विधेयक को दोनों सभाओं द्वारा अपेक्षित विशेष बहुमत से पारित कर दिए जाने और जहां आवश्यक हो, राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन कर दिए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी ही पड़ती है।

पन्द्रहवीं लोक सभा द्वारा बनाए गए विधान

क. विधेयक

पन्द्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान, संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त सरकारी विधेयकों की संख्या 179 थी। इनमें से 3 विधेयक संविधान में संशोधन करने के लिए थे जिनमें निम्नलिखित शामिल थे: 96वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 और 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2012।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के मामले में 372 ऐसे विधेयक पुर:स्थापित किए गए किन्तु इनमें से कोई भी पारित नहीं हुआ।

ख. अध्यादेशों का प्रख्यापन

संविधान के अनुच्छेद 123 में यह प्रावधान है कि उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों। ऐसे अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा, जो संसद के अधिनियम का होता है। तथापि, ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा, यदि इसके स्थान पर संसदीय विधान नहीं बना दिया जाता। विकल्पतया, इसे सरकार द्वारा वापिस लिया जा सकता है अथवा अध्यादेश के प्रख्यापन के बाद संसद के पुन: समवेत होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि की समाप्ति पर वह व्यपगत हो जाता है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, राष्ट्रपति द्वारा 24 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए जिनमें से 11 को आवश्यक कानून बनाकर अधिनियम में परिवर्तित कर दिया गया।

विवरण-27 में वर्ष 1935 से 2014 के दौरान वर्ष-वार पारित विधानों की संख्या दर्शायी गई है। विवरण-28 से 31 में पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान पारित विधेयकों, अधिनियमों की विषय-वार सूची, संयुक्त/ प्रवर/स्थायी समितियों को भेजे गए विधेयकों, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों और अधिनियमों में परिवर्तित अध्यादेशों का ब्यौरा दिया गया है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान वित्तीय कार्य

राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे "बजट" कहते हैं, दो भागों अर्थात् रेल बजट और सामान्य बजट में प्रस्तुत किया जाता है।

रेल बजट प्रत्येक वर्ष फरवरी के तीसरे सप्ताह में किसी दिन रेल मंत्री द्वारा लोक सभा को प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य बजट, सामान्यतया फरवरी के अंतिम कार्यदिवस को वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट भाषण के साथ बजट प्रस्तुत किया जाता है। यह भाषण दो भागों में होता है: भाग-क में देश का "सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण" और भाग-ख में "आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कर-प्रस्ताव" शामिल होते हैं। बजट प्रस्तुत करने के तत्काल बाद राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निम्नलिखित तीन विवरण भी लोक सभा के पटल पर रखे गए:-

(एक) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण;

(दो) राजकोषीय नीति रणनीतिक विवरण; और

(तीन) वृहत आर्थिक ढांचा विवरण

तत्पश्चात्, वित्त मंत्री लोक सभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत करते हैं। बजट प्रस्तुत करने और वित्त विधेयक प्रस्तुत करने के बाद, सभा की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। सामान्य बजट और रेल बजट की एक-एक प्रति लोक सभा में उन्हें प्रस्तुत करने के दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखी जाती है।

चूंकि विधि द्वारा किए गए संगत विनियोग के सिवाय भारत की संचित निधि से कोई धनराशि नहीं निकाली जा सकती है, अत: "विनियोग विधेयक" नामक विधेयक भी भारत की संचित निधि में से सभा द्वारा दिए गए अनुदानों की और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए पुर:स्थापित किया जाता है।

संबंधित बजट प्रस्तुत करने के एक सप्ताह या दस दिन बाद इन पर सामान्य चर्चा की जाती है। इसके बाद, संबंधित विभागों से संबद्ध संसद की स्थायी समितियों द्वारा मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों की जांच की जाती है। विभागों से संबद्ध संसद की स्थायी समितियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान किया जाता है।

सभी मांगों पर चर्चा करने के लिए कुछ नियत दिन या घंटे आवंटित किए जाते हैं। तथापि, अक्सर ऐसा होता है कि आवंटित दिनों के दौरान या इनके अंदर सभी मांगों पर चर्चा नहीं हो पाती है। अत: आवंटित किए गए अंतिम दिन उस समय तक चर्चा हेतु शेष सभी मांगों को अध्यक्ष द्वारा उनके निपटान के लिए आवश्यक प्रश्न के रूप में रखा जाता है। इसे "गिलोटिन" कहा जाता है। विनियोग और वित्त विधेयकों को पारित करने के साथ ही बजट से संबंधित समग्र प्रक्रिया पूरी हो जाती है। विवरण-32 में पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान किए गए वित्तीय कार्य का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण 27

पारित विधान

वर्ष	पारित तथा अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या	वर्ष	पारित तथा अनुमति प्राप्त विधेयकों की संख्या
1935	14	1975	57
1936	24	1976	118
1937	29	1977	48
1938	26	1978	50
1939	42	1979	32
1940	42	1980	72
1941	27	1981	62
1942	26	1982	73
1943	30	1983	49
1944	18	1984	73
1945	11	1985	92
1946	38	1986	71
1947	58	1987	61
1948	62	1988	71
1949	77	1989	38
1950	80	1990	30
1951	72	1991	63
1952	82	1992	44
1953	58	1993	75
1954	54	1994	61
1955	60	1995	45
1956	106	1996	36
1957	68	1997	35
1958	59	1998	29
1959	63	1999	50
1960	67	2000	60
1961	63	2001	57
1962	68	2002	79
1963	58	2003	58
1964	56	2004	33
1965	51	2005	56
1966	57	2006	63
1967	38	2007	52
1968	67	2008	35
1969	58	2009	49
1970	53	2010	47
1971	87	2011	22
1972	82	2012	41
1973	70	2013	30
1974	68	2014	17

विवरण 28

पन्द्रहवीं लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों का विश्लेषणात्मक चार्ट

(क) सरकारी विधेयक

		सत्र														
		पहला	दूसरा	तीसरा	चौथा	पांचवां	छठा	सातवां	आठवां	नौवां	दसवां	ग्यारहवां	बारहवां	तेरहवां	चौदहवां	पन्द्रहवां पहला और दूसरा भाग
1.	बैठकों की संख्या, जिनके दौरान विधेयकों पर विचार किया गया	शून्य	8	13	12	15	4	9	10	11	18	6	8	8	13	7
2.	पुरःस्थापित किए गए विधेयकों की संख्या	शून्य	16	21	27	18	10	11	11	27	21	4	7	18	8	14
3.	विधेयकों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	शून्य	9	19	21	23	7	11	13	20	22	7	8	14	14	14
4.	संयुक्त समिति को सौंपे गए विधेयकों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	स्थायी समिति(यों) को सौंपे गए विधेयकों की संख्या	शून्य	शून्य	6	18	15	8	8	9	18	13	4	8	13	15	7
6.	वापस लिए गए विधेयकों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	2	शून्य	1	शून्य	1	2	शून्य
7.	अस्वीकृत विधेयकों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	पारित विधेयकों की संख्या	शून्य	8	19	21	20	6	10	11	18	21	6	7	12	13	13
9.	विधेयकों की संख्या, जिन पर वाद-विवाद स्थगित किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	विधेयकों की संख्या, जिन पर चर्चा समाप्त नहीं हो सकी	शून्य	1	शून्य	शून्य	2	शून्य	1	शून्य	2	1	1	1	1	1	शून्य
11.	सत्र की समाप्ति पर लंबित विधेयकों की संख्या	शून्य	10	14	23	29	32	35	36	47	55	53	54	60	60	62
12.	सभा पटल पर रखे गए संशोधनों की संख्या	शून्य	96	30	129	64	7	109	69	216	180	254	458	959	1223	697
13.	पेश किए गए संशोधनों की संख्या	शून्य	42	शून्य	115	24	1	83	58	141	105	54	196	58	617	119
14.	वापस लिए गए, प्रस्तुत नहीं किए गए अथवा वर्जित संशोधनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5	शून्य
15.	स्वीकृत संशोधनों की संख्या	शून्य	31	शून्य	104	19	1	80	58	102	98	54	187	39	331	96
16.	अस्वीकृत संशोधनों की संख्या	शून्य	11	शून्य	11	5	शून्य	3	शून्य	39	7	शून्य	9	19	285	23
17.	राज्य सभा द्वारा पारित और लोक सभा के पटल पर रखे गए विधेयकों की संख्या	शून्य	शून्य	2	3	8	शून्य	शून्य	3	5	8	1	शून्य	1	7	3

(ख) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

		पहला	दूसरा	तीसरा	चौथा	पांचवां	छठा	सातवां	आठवां	नौवां	दसवां	ग्यारहवां	बारहवां	तेरहवां	चौदहवां	पन्द्रहवां
1.	बैठकों की संख्या, जिनमें गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार किया गया*	—	3	1	2	1	—	2	3	—	1	1	1	2	—	—
2.	पुरःस्थापित किए गए विधेयकों की संख्या	—	30	31	45	24	—	43	38	—	53	24	48	36	—	—
3.	विधेयकों की संख्या जिन पर विचार किया गया	—	1	—	1	2	—	3	2	—	2	1	2	3	—	—
4.	प्रवर/संयुक्त/स्थायी समितियों को भेजे गए विधेयकों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	वापस लिए गए विधेयकों की संख्या	—	—	2	—	1	—	2	1	—	3	—	—	2	—	—
6.	अस्वीकृत किए गए विधेयकों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
7.	लंबित विधेयकों के रजिस्टर से निकाले गए विधेयकों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	28	—	2	27
8.	राय जानने के लिए परिचालित किए गए विधेयकों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	ऐसे विधेयकों की संख्या जिन्हें परिचालित किए जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	मूलतः लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए उन विधेयकों की संख्या जो राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाए गए और राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर लोक सभा ने सहमति प्रकट की	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	पारित किए गए विधेयकों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	विधेयकों की संख्या, जिन पर वाद-विवाद स्थगित हुआ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	विधेयकों की संख्या, जिन पर चर्चा पूरी नहीं हुई	—	—	1	1	1	@	1	1	@	1	1	1	1	@	@
14.	सत्र के अंत में लंबित विधेयकों की संख्या	—	30	59	104	127	127	168	205	205	254	278	297	331	329	302
15.	सभा पटल पर रखे गए संशोधनों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	पेश किए गए संशोधनों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	वापस लिए गए संशोधनों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	स्वीकृत संशोधनों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	अस्वीकृत संशोधनों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*पन्द्रहवीं लोक सभा के पहले सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों हेतु कोई दिन नियत नहीं किया गया।

@छठे, नौवें, चौदहवें और पंद्रहवें सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य नहीं किए जा सके।

विवरण 29

संसद द्वारा पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान अधिनियमन

[(*) से दर्शाये गए अधिनियम धन विधेयक माने गए]

क्रम.सं.	अधिनियम का नाम
1	2
1.	विनियोग (रेल) संख्यांक 3, अधिनियम, 2009*
2.	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009*
3.	झारखंड विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009*
4.	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2009*
5.	वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009*
6.	मेट्रो रेल (संशोधन) अधिनियम, 2009
7.	नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
8.	आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2009
9.	झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2009*
10.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009
11.	प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2009
12.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2009
13.	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2009
14.	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2009*
15.	झारखंड विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2009*
16.	विनियोग (रेल) संख्यांक 4 अधिनियम, 2009*
17.	कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2009
18.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) अधिनियम, 2009
19.	अनुदान का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2009
20.	सौराष्ट्र स्टेट बैंक (निरसन) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन अधिनियम, 2009
21.	विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009
22.	संविधान (पचानवेंवां) संशोधन अधिनियम, 2009
23.	मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) अधिनियम, 2009

1	2
24.	नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2009
25.	रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009
26.	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2010*
27.	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2010*
28.	विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2, अधिनियम, 2010*
29.	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2010*
30.	विनियोग अधिनियम, 2010*
31.	प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010
32.	विनियोग (रेल) संख्यांक 3, अधिनियम, 2010*
33.	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2010*
34.	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2010*
35.	वित्त अधिनियम, 2010*
36.	उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2010
37.	तमिलनाडु विधान परिषद् अधिनियम, 2010
38.	बागान श्रम (संशोधन) अधिनियम, 2010
39.	कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010
40.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010
41.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक क्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010
42.	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2010*
43.	झारखंड विनियोग अधिनियम, 2010*
44.	नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010
45.	औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010
46.	विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2010
47.	प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010

1	2
48.	भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2010
49.	ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2010
50.	विनियोग (रेल) संख्यांक 4, अधिनियम, 2010*
51.	स्वीय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010
52.	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010
53.	भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010
54.	झारखंड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2010
55.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010
56.	आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2010
57.	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010
58.	संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010
59.	परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010
60.	नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010
61.	व्यापार चिह्न (संशोधन) अधिनियम, 2010
62.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2010
63.	विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010
64.	भारतीय औषधि केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010
65.	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2010*
66.	विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 2010*
67.	विनियोग (रेल) संख्यांक 5, अधिनियम, 2010*
68.	विनियोग (रेल) संख्यांक 6, अधिनियम, 2010*
69.	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2011*
70.	विनियोग (रेल) संख्यांक 2, अधिनियम, 2011*
71.	विनियोग अधिनियम, 2011*
72.	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2011*
73.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र निधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2011
74.	बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 2011
75.	भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन अधिनियम, 2011
76.	वित्त अधिनियम, 2011*
77.	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2011*
78.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (संशोधन) अधिनियम, 2011
79.	सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011
80.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2011
81.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2011
82.	सीमा शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2011
83.	उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 2011
84.	संविधान (छियानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011
85.	मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011
86.	भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधियां) संशोधन अधिनियम, 2011
87.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2011
88.	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2011*
89.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011
90.	केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2011
91.	दामोदर घाटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011
92.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011
93.	चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2011
94.	कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2011
95.	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2011
96.	प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अधिनियम, 2011
97.	विनियोग (रेल) संख्यांक 3, अधिनियम, 2011*
98.	जीवन बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011

1	2
99.	पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2011
100.	लागत और संकर्म, लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2011
101.	भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2011
102.	संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011
103.	फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011
104.	वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अधिनियम, 2011
105.	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2012*
106.	विनियोग (रेल) संख्यांक 2, अधिनियम, 2012*
107.	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2012*
108.	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2012*
109.	विनियोग अधिनियम, 2012*
110.	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2012*
111.	भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2012
112.	विनियोग (रेल) संख्यांक 3, अधिनियम, 2012*
113.	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2012*
114.	वित्त अधिनियम, 2012*
115.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2012
116.	रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) संशोधन अधिनियम, 2012
117.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012
118.	प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012
119.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012
120.	आनन्द विवाह (संशोधन) अधिनियम, 2012
121.	नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012
122.	केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012
123.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

1	2
124.	महाप्रशासक (संशोधन) अधिनियम, 2012
125.	प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012
126.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012
127.	रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) अधिनियम, 2012
128.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2012
129.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर अधिनियम, 2012
130.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अधिनियम, 2012
131.	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2012*
132.	संविधान (अट्ठानवेवां) संशोधन अधिनियम, 2012
133.	प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012
134.	धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012
135.	विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2012
136.	बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012
137.	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2013*
138.	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2013*
139.	विनियोग (रेल) संख्यांक 2, अधिनियम, 2013*
140.	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2013*
141.	विनियोग अधिनियम, 2013*
142.	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2013*
143.	झारखंड विनियोग अधिनियम, 2013*
144.	झारखंड विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2013*
145.	दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013
146.	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013
147.	विनियोग (रेल) संख्यांक 3, अधिनियम, 2013*
148.	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2013*

1	2
149.	वित्त अधिनियम, 2013*
150.	कंपनी अधिनियम, 2013
151.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013
152.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
153.	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2013*
154.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2013
155.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013
156.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013
157.	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
158.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013
159.	वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013
160.	संसद (निरर्हता का निवारण) संशोधन अधिनियम, 2013
161.	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2013
162.	भू-अर्जन, पुनर्वास और विस्थापन में उचित मुआवज़े और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
163.	लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

1	2
164.	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2013*
165.	विनियोग (रेल) संख्यांक 4, अधिनियम, 2013*
166.	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2014*
167.	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2014*
168.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014
169.	पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014
170.	राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम, 2014
171.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2014
172.	रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014
173.	वित्त विधेयक, 2014*
174.	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2014*
175.	विनियोग अधिनियम, 2014*
176.	दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2014*
177.	दिल्ली विनियोग अधिनियम, 2014*
178.	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2014
179.	व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014

विवरण 30

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान संयुक्त समिति/प्रवर समिति को भेजे गए विधेयक

क्रम. सं.	पुर:स्थापन की तारीख	विधेयक का नाम	संयुक्त समिति को भेजने की तारीख	प्रवर समिति को भेजने की तारीख	स्थायी समिति को भेजने की तारीख	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख	विधेयक पर विचारण की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
			शून्य				

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान स्थायी समितियों को सौंपे गए सरकारी विधेयक

क्रम.सं.	विधेयक का शीर्षक	पुर:स्थापन की तिथि	स्थायी समिति को सौंपने की तिथि	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लोक सभा द्वारा विधेयक पर विचार करने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग विधेयक, 2009	26.2.2009 (राज्य सभा)	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति (2.9.2009)	23.11.2009	—
2.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2009	31.7.2009 (लोक सभा)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी (15.9.2009)	24.11.2009	30.4.2010
3.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009	7.8.2009 (लोक सभा)	मानव संसाधन विकास (15.9.2009)	25.11.2009	4.5.2010
4.	औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2009	26.2.2009 (राज्य सभा)	श्रम (10.9.2009)	9.12.2009	—
5.	कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2009	7.8.2009 (लोक सभा)	श्रम (9.9.2009)	9.12.2009	3.5.2010
6.	रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 2008	18.12.2008 (राज्य सभा)	रेल (30.12.2008)	9.12.2009	18.5.2012
7.	संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008	6.5.2008 (राज्य सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (9.5.2008)	17.12.2009	—
8.	संविधान (एक सौ बारहवां संशोधन) विधेयक, 2009	24.11.2009 (लोक सभा)	शहरी विकास (29.12.2009)	9.8.2010	—
9.	संविधान (एक सौ दसवां संशोधन) विधेयक, 2009	26.11.2009 (लोक सभा)	ग्रामीण विकास (29.12.2009)	28.7.2010	—
10.	संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009	30.11.2009 (लोक सभा)	कृषि (29.12.2009)	30.8.2010	—
11.	सिक्का निर्माण विधेयक, 2009	17.12.2009 (लोक सभा)	वित्त (29.12.2009)	31.8.2010	25.3.2011
12.	भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009	18.12.2009 (लोक सभा)	वित्त (29.12.2009)	22.2.2011	11.8.2011

1	2	3	4	5	6
13.	मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009	18.12.2009 (लोक सभा)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (25.1.2010)	4.8.2010	12.8.2011
14.	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2009	7.8.2009 (लोक सभा)	गृह कार्य (15.9.2009)	22.2.2010	6.5.2010
15.	भारतीय जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009	31.7.2009 (लोक सभा)	वित्त (9.9.2009)	12.3.2010	12.12.2011
16.	भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2009	24.2.2009 (लोक सभा)	वित्त (9.9.2009)	12.3.2010	—
17.	विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2009	25.11.2009 (राज्य सभा)	वाणिज्य (1.12.2009)	16.4.2010	12.8.2010
18.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2009	3.8.2009 (लोक सभा)	वित्त (9.9.2009)	19.4.2010	—
19.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010	15.3.2010 (लोक सभा)	गृह कार्य (6.4.2010)	30.7.2010	12.8.2010
20.	पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010	16.3.2010 (लोक सभा)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (7.5.2010)	26.8.2010	12.12.2011
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010	15.4.2010 (लोक सभा)	मानव संसाधन विकास (13.5.2010)	15.11.2010	19.8.2011
22.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010	16.4.2010 (राज्य सभा)	मानव संसाधन विकास (22.4.2010)	30.7.2010	2.9.2011
23.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010	16.4.2010 (राज्य सभा)	मानव संसाधन विकास (22.4.2010)	30.7.2010	9.5.2011
24.	रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) विधेयक, 2010	16.4.2010 (राज्य सभा)	रसायन और उर्वरक (26.4.2010)	30.8.2010	30.8.2012
25.	प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010	19.4.2010 (राज्य सभा)	मानव संसाधन विकास (23.4.2010)	23.11.2010	—
26.	पर्सनल लॉ (संशोधन) विधेयक, 2010	22.4.2010 (राज्य सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (23.4.2010)	4.8.2010	21.8.2010

1	2	3	4	5	6
27.	लागत और संकर्म लेखाकार (संशोधन), विधेयक 2010	28.4.2010 (राज्य सभा)	वित्त (4.5.2010)	31.8.2010	19.12.2011
28.	चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स (संशोधन) विधेयक, 2010	28.4.2010 (राज्य सभा)	वित्त (4.5.2010)	31.8.2010	19.12.2011
29.	कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2010	28.4.2010 (राज्य सभा)	वित्त (4.5.2010)	31.8.2010	19.12.2011
30.	तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2010	3.5.2010 (लोक सभा)	मानव संसाधन विकास (13.5.2010)	2.8.2011	—
31.	शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010	3.5.2010 (लोक सभा)	मानव संसाधन विकास (13.5.2010)	20.8.2010	26.8.2010
32.	विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश और प्रचालन का विनियमन) विधेयक, 2010	3.5.2010 (लोक सभा)	मानव संसाधन विकास (13.5.2010)	2.8.2011	—
33.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010	3.5.2010 (लोक सभा)	मानव संसाधन विकास (13.5.2010)	2.8.2011	—
34.	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड विधेयक, 2010	4.5.2010 (लोक सभा)	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति (13.5.2010)	27.7.2010	—
35.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010	6.5.2010 (राज्य सभा)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (12.5.2010)	11.8.2010	—
36.	परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व विधेयक, 2010	7.5.2010 (लोक सभा)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन (13.5.2010)	18.8.2010	25.8.2010
37.	लोक वित्त पोषित बौद्धिक संपदा का संरक्षण और उपयोग विधेयक, 2008	15.12.2008 (राज्य सभा)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन (28.6.2010)	2.8.2010	—
38.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010	3.8.2010 (लोक सभा)	गृह कार्य (21.8.2010)	22.2.2011	6.8.2010

1	2	3	4	5	6
39.	आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2010	25.8.2010 (लोक सभा)	गृह कार्य (3.9.2010)	2.8.2011	—
40.	वास्तुविद (संशोधन) विधेयक, 2010	31.8.2010 (राज्य सभा)	मानव संसाधन विकास (6.9.2010)	25.2.2011	—
41.	प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2010	31.8.2010 (राज्य सभा)	सूचना प्रौद्योगिकी (9.9.2010)	10.12.2010	20.12.2011
42.	बांध सुरक्षा विधेयक, 2010	30.8.2010 (लोक सभा)	जल संसाधन (9.9.2010)	17.8.2011	—
43.	प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010	30.8.2010 (लोक सभा)	वित्त (9.9.2010)	13.3.2012	—
44.	केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010	6.8.2010 (राज्य सभा)	मानव संसाधन विकास (10.9.2010)	25.2.2011	—
45.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (संशोधन) विधेयक, 2010	5.8.2010 (राज्य सभा)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (13.9.2010)	10.11.2010	—
46.	वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010	30.7.2010 (लोक सभा)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन (16.9.2010)	13.12.2010	5.9.2011
47.	बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010	16.8.2010 (लोक सभा)	गृह कार्य (16.9.2010)	10.11.2010	1.3.2011
48.	संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010	25.8.2010 (लोक सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (16.9.2010)	09.12.2010	—
49.	लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010*	26.8.2010 (लोक सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (16.9.2010)	10.08.2011	27.12.2011
50.	प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010	30.8.2010 (लोक सभा)	मानव संसाधन विकास (16.9.2010)	26.11.2010	24.3.2011

*लोक सभा द्वारा खंड 1 में संशोधन के माध्यम से विधेयक के संक्षिप्त नाम में संशोधन किया गया और विधेयक को व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण विधेयक, 2011 के रूप में पारित किया गया।

1	2	3	4	5	6
51.	यान-हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2010	19.8.2010 (राज्य सभा)	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति (20.9.2010)	01.03.2011	—
52.	विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2010	4.8.2010 (राज्य सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (23.9.2010)	01.03.2011	—
53.	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010	15.11.2010 (लोक सभा)	कृषि (20.12.2010)	20.12.2012	—
54.	शत्रु संपत्ति (संशोधन) और (विधिमान्यकरण) द्वितीय (संशोधन) विधेयक, 2010	15.11.2010 (लोक सभा)	गृह कार्य (31.12.2010)	22.11.2011	—
55.	न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010	1.12.2010 (लोक सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (31.12.2010)	30.8.2011	29.3.2012
56.	अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010	6.12.2010 (लोक सभा)	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण (6.12.2010)	22.12.2011	—
57.	महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक, 2010*	7.12.2010 (लोक सभा)	मानव संसाधन विकास (31.12.2010)	08.12.2011	3.9.2012
58.	किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010	16.11.2010 (राज्य सभा)	मानव संसाधन विकास (1.12.2010)	25.02.2011	29.8.2011
59.	राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010	3.12.2010 (राज्य सभा)	वित्त (10.12.2010)	13.12.2011	—
60.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र संस्थान, बैंगलोर विधेयक, 2010	7.12.2010 (राज्य सभा)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (8.12.2010)	04.03.2011	04.09.2012
61.	बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011	22.3.2011 (लोक सभा)	वित्त (29.3.2011)	13.12.2011	18.12.2012
62.	संविधान (एक सौ पंद्रहवां संशोधन) विधेयक, 2011	22.3.2011 (लोक सभा)	वित्त (29.3.2011)	07.08.2013	—

*लोक सभा द्वारा खंड 1 में संशोधन के माध्यम से विधेयक के संक्षिप्त नाम में संशोधन किया गया और विधेयक को महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) विधेयक, 2012 के रूप में पारित किया गया।

1	2	3	4	5	6
63.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011	24.3.2011 (लोक सभा)	वित्त (8.4.2011)	30.08.2011	4.9.2013
64.	आहरती विनियमन (प्राप्तियों का समनुदेशन) विधेयक, 2011*	24.3.2011 (लोक सभा)	वित्त (29.3.2011)	30.08.2011	—
65.	विदेशी लोक पदधारी और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011	25.3.2011 (लोक सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (4.4.2011)	29.03.2012	—
66.	श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक, 2011	23.3.2011 (राज्य सभा)	श्रम (1.4.2011)	20.12.2011	—
67.	खान (संशोधन) विधेयक, 2011	23.3.2011 (राज्य सभा)	श्रम (1.4.2011)	20.12.2011	—
68.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधेयक, 2011	23.3.2011 (राज्य सभा)	मानव संसाधन विकास (29.3.2011)	21.12.2011	—
69.	लोकपाल विधेयक, 2011	4.8.2011 (लोक सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (9.8.2011)	9.12.2011	—
70.	सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2011	18.8.2011 (राज्य सभा)	गृह कार्य (19.8.2011)	22.11.2011	—
71.	महा प्रशासक (संशोधन) विधेयक, 2011	18.8.2011 (राज्य सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (19.8.2011)	20.03.2012	—
72.	अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) विधेयक, 2011	18.8.2011 (राज्य सभा)	श्रम (24.8.2011)	20.12.2011	—
73.	बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) विधेयक, 2011	18.8.2011 (लोक सभा)	वित्त (13.9.2011)	13.08.2012	—
74.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011**	7.9.2011 (लोक सभा)	ग्रामीण विकास (13.9.2011)	17.05.2012	29.8.2013
75.	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011	8.9.2011 (लोक सभा)	वित्त (13.9.2011)	21.03.2012	20.2.2014
76.	राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार विधेयक, 2011	5.9.2011 (लोक सभा)	मानव संसाधन विकास (16.9.2011)	13.3.2012	—

*लोक सभा द्वारा खंड 1 में संशोधन के माध्यम से विधेयक के संक्षिप्त नाम में संशोधन किया गया और विधेयक को आहरती विनियमन विधेयक, 2011 के रूप में पारित किया गया।
**लोक सभा द्वारा खंड 1 में संशोधन के माध्यम से विधेयक के संक्षिप्त नाम में संशोधन किया गया और विधेयक को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2013 के रूप में पारित किया गया।

1	2	3	4	5	6
77.	परमाणवीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011	7.9.2011 (लोक सभा)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन (16.9.2011)	21.3.2012	—
78.	बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008	22.12.2008 (राज्य सभा)	वित्त (9.1.2009)	13.12.2011	—
79.	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अभिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2011	23.11.2011 (लोक सभा)	शहरी विकास (5.1.2012)	14.5.2012	—
80.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2011	7.12.2011 (लोक सभा)	गृह कार्य (17.1.2012)	28.3.2012	03.09.2012
81.	भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2011	8.12.2011 (लोक सभा)	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण (5.1.2012)	30.8.2012	—
82.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011	12.12.2011 (लोक सभा)	कोयला और इस्पात (5.1.2012)	7.5.2013	—
83.	आयुध (संशोधन) विधेयक, 2011	12.12.2011 (लोक सभा)	गृह कार्य (17.1.2012)	28.3.2012	—
84.	कंपनी विधेयक, 2011	14.12.2011 (लोक सभा)	वित्त (5.1.2012)	13.8.2012	18.12.2012
85.	केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) दूसरा संशोधन विधेयक, 2011	15.12.2011 (लोक सभा)	सूचना प्रौद्योगिकी (5.1.2012)	28.8.2012	—
86.	प्रेस और पुस्तक तथा प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2011	16.12.2011 (लोक सभा)	सूचना प्रौद्योगिकी (5.1.2012)		—
87.	उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011	16.12.2011 (लोक सभा)	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण (27.12.2011)		—
88.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2011	19.12.2011 (लोक सभा)	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति (17.1.2012)	15.3.2012	3.9.2012
89.	नागरिक माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011	20.12.2011 (लोक सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (17.1.2012)	28.8.2012	—

1	2	3	4	5	6
90.	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक, 2011	20.12.2011 (लोक सभा)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन (17.1.2012)	30.8.2012	—
91.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, 2011	21.12.2011 (लोक सभा)	मानव संसाधन विकास (17.1.2012)	26.4.2012	21.5.2012
92.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011	22.12.2011 (लोक सभा)	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण (5.1.2012)	26.2.2013	—
93.	धन शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011	27.12.2011 (लोक सभा)	वित्त (5.1.2012)	09.05.2012	29.11.2012
94.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2011	27.12.2011 (लोक सभा)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता (5.1.2012)	29.03.2012	15.05.2012
95.	सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक परिदान विधेयक, 2011	27.12.2011 (लोक सभा)	सूचना प्रौद्योगिकी (5.1.2012)	30.08.2012	—
96.	विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2011	29.12.2011 (लोक सभा)	गृह कार्य (17.1.2012)	28.03.2012	29.11.2011
97.	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2011	8.12.2011 (राज्य सभा)	गृह कार्य (9.12.2011)	28.03.2012	—
98.	जलदस्युता विधेयक, 2012	24.4.2012 (लोक सभा)	विदेशी मामले (3.5.2012)	14.08.2012	—
99.	राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012	30.4.2012 (लोक सभा)	वित्त (15.5.2012)	05.03.2013	—
100.	भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) विधेयक, 2012	3.5.2012 (लोक सभा)	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण (29.5.2012)	30.08.2013	—
101.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2012	17.5.2012 (लोक सभा)	कृषि (29.5.2012)	22.03.2013	—
102.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012	21.5.2012 (लोक सभा)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता (29.5.2012)	24.8.2012	24.8.2012

1	2	3	4	5	6
103.	लोक उपायान विधेयक, 2012	14.5.2012 (लोक सभा)	वित्त (29.5.2012)	—	—
104.	सूक्ष्म वित्त संस्था (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012	22.5.2012 (लोक सभा)	वित्त (29.5.2012)	17.2.2014	—
105.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012	22.5.2012 (लोक सभा)	वित्त (29.5.2012)	5.3.2013	—
106.	प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012	27.4.2012 (लोक सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (31.5.2011)	—	—
107.	अनुसंधान और नवप्रवर्तन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012	21.5.2012 (लोक सभा)	मानव संसाधन विकास (31.5.2012)	26.2.2013	—
108.	भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2012	26.3.2012 (राज्य सभा)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन (28.3.2012)	—	—
109.	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2012	7.5.2012 (राज्य सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (10.5.2012)	27.2.2013	—
110.	रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2012	22.5.2012 (राज्य सभा)	कृषि (11.6.2012)	14.3.2013	—
111.	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012	3.9.2012 (लोक सभा)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता (10.9.2012)	4.3.2013	6.9.2013
112.	पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012	6.9.2012 (लोक सभा)	शहरी विकास (10.9.2012)	13.3.2013	6.9.2013
113.	संविधान (एक सौ अठारहवां संशोधन) विधेयक, 2012	7.9.2012 (लोक सभा)	गृह (13.9.2012)	22.11.2012	18.12.2012
114.	सशस्त्र बल अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012	13.8.2012 (राज्य सभा)	रक्षा (24.8.2012)	20.3.2013	—
115.	राष्ट्रीय मानव स्वास्थ्य संसाधन आयोग विधेयक, 2011	22.12.2011 (राज्य सभा)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (26.12.2011)	23.11.2012	—

1	2	3	4	5	6
116.	भारतीय वन (संशोधन), विधेयक, 2012	26.3.2012 (राज्य सभा)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन (28.3.2012)	26.11.2012	—
117.	उच्च शिक्षा और अनुसंधान विधेयक, 2011	28.12.2011 (राज्य सभा)	मानव संसाधन विकास (3.1.2012)	13.12.2012	—
118.	प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012	27.4.2012 (लोक सभा)	विधि और न्याय (31.5.2012)	17.12.2012	—
119.	बहु-राज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2010	15.11.2010 (लोक सभा)	कृषि (20.12.2010)	20.12.2012	—
120.	प्रेस और पुस्तकों तथा प्रकाशनों का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2011	16.12.2011 (लोक सभा)	सूचना प्रौद्योगिकी (5.1.2012)	20.12.2012	—
121.	कोयला खान (संरक्षण और विकास) (संशोधन) विधेयक, 2012	22.11.2012 (लोक सभा)	कोयला और इस्पात (24.12.2012)	07.05.2013	—
122.	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012	26.11.2012 (लोक सभा)	श्रम (3.1.2013)	06.09.2013	—
123.	दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012	4.12.2012 (लोक सभा)	गृह (3.1.2013)	04.03.2013	—
124.	बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) विधेयक, 2012	4.12.2012 (राज्य सभा)	श्रम (14.12.2012)	13.12.2013	—
125.	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012	13.12.2012 (राज्य सभा)	मानव संसाधन विकास (21.12.2012)	09.12.2013	—
126.	प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2012	10.12.2012 (लोक सभा)	वित्त (24.12.2012)	17.02.2014	—
127.	राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2012	10.12.2012 (लोक सभा)	गृह (3.1.2013)	04.03.2013	24.8.2013
128.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2012	14.12.2012 (लोक सभा)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता (24.12.2012)	21.03.2013	24.8.2013
129.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2013	26.2.2013 (राज्य सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (19.3.2013)	02.05.2013	—

1	2	3	4	5	6
130.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013	4.3.2013 (लोक सभा)	मानव संसाधन विकास (17.5.2013)	09.12.2013	18.12.2013
131.	उत्तर-पूर्व परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2013	11.3.2013 (राज्य सभा)	गृह (12.3.2013)	05.08.2013	—
132.	राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान विधेयक, 2013	11.3.2013 (राज्य सभा)	वाणिज्य (13.3.2013)	26.08.2013	—
133.	कृषिक जैव-सुरक्षा विधेयक, 2013	11.3.2013 (लोक सभा)	कृषि (9.5.2013)	05.02.2014	—
134.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2013	18.3.2013 (लोक सभा)	मानव संसाधन विकास (17.5.2013)	13.12.2013	—
135.	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2013	18.3.2013 (राज्य सभा)	श्रम (25.3.2013)	—	—
136.	वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2013	18.3.2013 (राज्य सभा)	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति (19.3.2013)	7.8.2013	—
137.	राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-बंगा खंड) विधेयक, 2013	22.3.2013 (राज्य सभा)	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति (25.3.2013)	7.8.2013	—
138.	भारतीय जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2013	22.4.2013 (लोक सभा)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन (17.5.2013)	—	—
139.	प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2013	22.4.2013 (लोक सभा)	वित्त (9.5.2013)	—	—
140.	नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक, 2013	22.4.2013 (राज्य सभा)	श्रम (3.5.2013)	7.2.2014	—
141.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक संशोधन विधेयक, 2013	6.5.2013 (लोक सभा)	वित्त (9.5.2013)	—	—
142.	सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2013	12.8.2013 (लोक सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (16.9.2013)	17.12.2013	—
143.	प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2013	12.8.2013 (लोक सभा)	वित्त (17.9.2013)	—	—

1	2	3	4	5	6
144.	भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण विधेयक, 2013	20.8.2013 (लोक सभा)	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति (19.9.2013)	6.2.2014	—
145.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय विधेयक, 2013	20.8.2013 (लोक सभा)	मानव संसाधन विकास (19.9.2013)	7.2.2014	—
146.	जमीन-जायदाद (विनियमन और विकास) विधेयक, 2013	14.8.2013 (राज्य सभा)	शहरी विकास (11.9.2013)	—	—
147.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2013	19.8.2013 (राज्य सभा)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (12.9.2013)	09.12.2013	—
148.	न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2013	29.8.2013 (राज्य सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (10.9.2013)	09.12.2013	—
149.	औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2013	29.8.2013 (राज्य सभा)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (9.9.2013)	—	—
150.	नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013	26.8.2013 (राज्य सभा)	विदेश (5.9.2013)	17.12.2013	—
151.	भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013	19.8.2013 (राज्य सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (23.8.2013)	06.02.2014	—
152.	वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2013	19.8.2013 (राज्य सभा)	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति (20.8.2013)	17.12.2013	—
153.	मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2013	19.8.2013 (राज्य सभा)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (20.8.2013)	09.12.2013	—
154.	वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2013	5.8.2013 (राज्य सभा)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन (7.8.2013)	—	—
155.	राजस्थान विधान परिषद् विधेयक, 2013	6.8.2013 (राज्य सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (7.8.2013)	9.12.2013	—

1	2	3	4	5	6
156.	रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013	8.8.2013 (राज्य सभा)	ग्रामीण विकास (19.8.2013)	—	—
157.	संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 2013	18.12.2013 (राज्य सभा)	विदेशी मामले (31.12.2013)	—	—
158.	नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014	7.2.2014 (राज्य सभा)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता (24.2.2014)	—	—
159.	मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2014	11.2.2014 (राज्य सभा)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (24.2.2014)	—	—
160.	वक्फ संपत्ति (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014	18.2.2014 (राज्य सभा)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता (6.3.2014)	—	—
161.	संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014	11.2.2014 (राज्य सभा)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता (6.3.2014)	—	—
162.	अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) विधेयक, 2014	19.2.2014 (राज्य सभा)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (24.2.2014)	—	—
163.	खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2014	19.2.2014 (राज्य सभा)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (24.2.2014)	—	—

विवरण 31

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए अध्यादेश

क्रम. सं.	अध्यादेश का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तारीख	विधेयक पुर:स्थापित किए जाने की तारीख और जिस सभा में पुर:स्थापित किया गया	तद्नुसार पारित किया गया अधिनियम
1	2	3	4	5
1.	प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अध्यादेश, 2009	14.10.2009	11.12.2009 (लोक सभा)	प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2009
2.	झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2009	20.10.2009	7.12.2009 (लोक सभा)	झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2009

1	2	3	4	5
3.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009	20.10.2009	24.11.2009 (लोक सभा)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009
4.	आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2009	20.10.2009	4.12.2009 (लोक सभा)	आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधि-मान्यकरण) अधिनियम, 2009
5.	प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010	23.01.2010	11.3.2010 (लोक सभा)	प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010
6.	भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2010	15.5.2010	5.8.2010 (लोक सभा)	भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010
7.	प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण); अध्यादेश, 2010	18.6.2010	27.7.2010 (लोक सभा)	प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010
8.	शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010	2.7.2010	2.8.2010 (लोक सभा)	–
9.	भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2011	10.5.2011	2.8.2011 (लोक सभा)	–
10.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम अध्यादेश, 2011	20.6.2011	5.8.2011 (लोक सभा)	–
11.	केबल टैलीविज़न नैटवर्क (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2011	25.10.2011	–	–
12.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2012	16.7.2012	27.8.2012 (लोक सभा)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012
13.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2013	21.1.2013	–	–
14.	संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन अध्यादेश, 2013	30.1.2013	–	–
15.	दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013	3.2.2013	19.3.2013 (लोक सभा)	दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013
16.	भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2013	21.5.2013	–	–
17.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013	29.5.2013	14.8.2013 (लोक सभा)	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) दूसरा अधिनियम, 2013
18.	संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन (दूसरा) अध्यादेश, 2013	5.6.2013	–	–

1	2	3	4	5
19.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013	5.7.2013	7.8.2013 (लोक सभा)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
20.	प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013	18.7.2013	12.8.2013 (लोक सभा)	–
21.	प्रतिभूति विधि (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013	16.9.2013	–	–
22.	संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन (तीसरा) अध्यादेश, 2013	27.9.2013	–	–
23.	भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013	28.9.2013	–	–
24.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2014	4.3.2014	–	–
25.	प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014	28.3.2014	–	–

विवरण 32

I. वित्तीय कार्य, जिन पर पंद्रहवीं लोक सभा के दौरान चर्चा की गई

	विषय	प्रस्तुत करने की तारीख	चर्चा की तारीख	टिप्पणी
	1	2	3	4
क.	वर्ष 2009-10 का बजट (सामान्य)	06.07.2009	09.7.2009 10.7.2009 13.7.2009 14.7.2009	सामान्य चर्चा
	वर्ष 2010-11 का बजट (सामान्य)	26.02.2010	11.03.2010 12.03.2010	सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2011-12 का बजट (सामान्य)	28.2.2011	08.03.2011 09.03.2011 11.03.2011	सामान्य चर्चा
	वर्ष 2012-13 का बजट (सामान्य)	16.03.2012	22.03.2012 26.03.2012 27.03.2012	सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2013-14 का बजट (सामान्य)	28.02.2013	13.03.2013 14.03.2013	सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान

	1	2	3	4
	वर्ष 2014-15 का अंतरिम बजट (सामान्य)	17.02.2014	19.02.2014	सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
ख.	वर्ष 2009-10 का बजट (रेल)	03.07.2009	07.07.2009 08.07.2009 09.07.2009	सामान्य चर्चा
	वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)	03.07.2009	09.07.2009	*विचार और पारित किया गया
	वर्ष 2010-11 का बजट (रेल)	24.02.2010	08.03.2010 09.03.2010	सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)	24.02.2010	19.04.2010	अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2011-12 का बजट (रेल)	25.02.2011	04.03.2011 07.03.2011	सामान्य चर्चा
	वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)	25.02.2011	07.03.2011	विचार और पारित किया गया
	वर्ष 2012-13 का बजट (रेल)	14.03.2012	20.03.2012 21.03.2012 22.03.2012	सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)	14.03.2012	25.04.2012 26.04.2012	लेखानुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2013-14 का बजट (रेल)	26.02.2013	07.03.2013 08.03.2013 11.03.2013 12.03.2013 13.03.2013	सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)	26.02.2013	30.04.2013	*लेखानुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2014-15 का अंतरिम बजट (रेल)	12.02.2014	17.02.2014	सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
ग.	वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)	08.12.2009	10.12.2009 11.12.2009	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)	05.03.2010	11.03.2010 12.03.2010	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान

*बिना चर्चा के पारित।

	1	2	3	4
	वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)	03.08.2010	05.08.2010	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)	15.11.2010	01.12.2010	*अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)	04.03.2011	08.03.2011 09.03.2011 11.03.2011	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)	02.08.2011	04.08.2011 05.08.2011	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)	25.11.2011	07.12.2011	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)	19.03.2012	22.03.2012 26.03.2012 27.03.2012	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)	07.12.2012	12.12.2012 13.12.2012 14.12.2012	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)	08.03.2013	13.03.2013 14.03.2013	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)	23.08.2013	05.09.2013	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)	11.12.2013	12.12.2013	*अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)	17.02.2014	19.02.2014	*अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
घ.	वर्ष 2006-07 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य)	08.07.2009	09.07.2009 10.07.2009 13.07.2009 14.07.2009	अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2007-08 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य)	16.04.2010	28.04.2010	*अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य)	15.11.2010	01.12.2010	*अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान

*बिना चर्चा के पारित।

	1	2	3	4
	वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य)	19.03.2012	22.03.2012 26.03.2012 27.03.2012	*अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य)	08.03.2013	13.03.2013 14.03.2013	अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
ङ.	वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)	10.12.2009	15.12.2009	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)	04.03.2010	08.03.2010 09.03.2010	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)	11.08.2010	19.08.2010	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)	24.11.2010	02.12.2010	*अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)	03.03.2011	04.03.2011 07.03.2011	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)	08.12.2011	13.12.2011 16.12.2011	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)	14.03.2012	20.03.2012 21.03.2012 22.03.2012	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)	04.03.2013	07.03.2013 08.03.2013 11.03.2013 12.03.2013 13.03.2013	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)	12.12.2013	12.12.2013	*अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)	12.02.2014	17.02.2014	*अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
च.	वर्ष 2007-08 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल)	04.03.2010	08.03.2010 09.03.2010	अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
	वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल)	24.11.2010	02.12.2010	*अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान

*बिना चर्चा के पारित।

1	2	3	4
वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल)	14.03.2012	20.03.2012 21.03.2012 22.03.2012	अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल)	04.03.2013	07.03.2013 08.03.2013 11.03.2013 12.03.2013 13.03.2013	अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान

II. अनुदानों की मांगों (केन्द्रीय बजट से संबंधित) पर चर्चा और मतदान

मंत्रालय/विभाग जिनसे संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा की गई

बजट वर्ष	मंत्रालय/विभाग का नाम	चर्चा की तारीख	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट
2009-10	मानव संसाधन विकास	15.07.2009	5	10
	[$]कृषि और	17.07.2009	8	33
	[$]उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	20.07.2009		
	विद्युत	21.07.2009	6	26
	गृह	22.07.2009	7	17
	महिला एवं बाल विकास	23.07.2009	3	50
2010-11	विदेश	20.04.2010	5	08
	ग्रामीण विकास	22.04.2010	6	50
	जनजातीय कार्य	23.04.2010	5	29
2011-12	ग्रामीण विकास	14.03.2011	4	56
	विदेश	15.03.2011 16.03.2011	6	48
	खान	16.03.2011	2	44
2012-13	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	26.04.2012 27.04.2012	6	29
	शहरी विकास	30.04.2012	4	28
	गृह	02.05.2012	6	05
	वाणिज्य और उद्योग	03.05.2012	3	50

[$]एक साथ चर्चा की गई।

III. राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित बजट

विषय	प्रस्तुत किए जाने की तारीख	चर्चा की तारीख	टिप्पणी
वर्ष 2009-10 के लिए बजट (झारखंड)	08.07.2009	14.07.2009	सामान्य चर्चा
वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की मांगें (झारखंड)	08.07.2009	14.07.2009	अनुदानों की मांगों (झारखंड) पर चर्चा और मतदान
वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (झारखंड)	08.12.2009	11.12.2009	चर्चा और मतदान
वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (झारखंड)	03.08.2010	06.08.2010	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (झारखंड) पर चर्चा और मतदान
वर्ष 2013-14 के लिए बजट (झारखंड)	14.03.2013	15.03.2013	सामान्य चर्चा अनुदानों की मांगों (झारखंड) पर चर्चा और मतदान
वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (झारखंड)	14.03.2013	15.03.2013	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (झारखंड) पर चर्चा और मतदान
वर्ष 2014-15 के लिए बजट (रा.रा. क्षेत्र दिल्ली)	21.02.2014	21.02.2014	अनुदानों की मांगों (रा.रा. क्षेत्र दिल्ली) पर चर्चा और मतदान
वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रा.रा. क्षेत्र दिल्ली)	21.02.2014	21.02.2014	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रा.रा. क्षेत्र दिल्ली) पर चर्चा और मतदान

IV. मंत्रालय/विभाग जिनके संबंध में अनुदानों की मांगें गिलोटिन की गईं

क्रम.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	टिप्पणी
1	2	3
	2009-10	
1.	परमाणु ऊर्जा	23.07.2009 को सांय 5.59 बजे गिलोटिन की गई
2.	रसायन और उर्वरक	
3.	नागर विमानन	
4.	कोयला	
5.	वाणिज्य और उद्योग	
6.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	
7.	कॉर्पोरेट मामले	
8.	संस्कृति	
9.	रक्षा	

1	2	3
10.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	23.07.2009 को सांय 5.59 बजे गिलोंटिन की गई
11.	पृथ्वी विज्ञान	
12.	पर्यावरण और वन	
13.	विदेश	
14.	वित्त	
15.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	
16.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	
17.	भारी उद्योग और लोक उद्यम	
18.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन	
19.	सूचना और प्रसारण	
20.	श्रम और रोजगार	
21.	विधि और न्याय	
22.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	
23.	खान	
24.	अल्पसंख्यक मामले	
25.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	
26.	प्रवासी भारतीय कार्य	
27.	पंचायती राज	
28.	संसदीय कार्य	
29.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	
30.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	
31.	योजना	
32.	लोक सभा	
33.	राज्य सभा	
34.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	
35.	ग्रामीण विकास	
36.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	
37.	पोत परिवहन	
38.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	
39.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	
40.	अंतरिक्ष	
41.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	
42.	इस्पात	

1	2	3
43.	वस्त्र	23.07.2009 को सांय 5.59 बजे गिलोटिन की गई
44.	पर्यटन	
45.	जनजातीय कार्य	
46.	शहरी विकास	
47.	जल संसाधन	
48.	युवक कार्यक्रम और खेल	
	2010-11	
1.	कृषि	27.04.2010 को सांय 6.14 बजे गिलोटिन की गई
2.	परमाणु ऊर्जा	
3.	रसायन और उर्वरक	
4.	नागर विमानन	
5.	कोयला	
6.	वाणिज्य और उद्योग	
7.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	
8.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	
9.	कॉर्पोरेट मामले	
10.	संस्कृति	
11.	रक्षा	
12.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	
13.	पृथ्वी विज्ञान	
14.	पर्यावरण और वन	
15.	वित्त	
16.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	
17.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	
18.	भारी उद्योग और लोक उद्यम	
19.	गृह	
20.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन	
21.	मानव संसाधन विकास	
22.	सूचना और प्रसारण	
23.	श्रम और रोजगार	
24.	विधि और न्याय	
25.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	
26.	खान	

1	2	3
27.	अल्पसंख्यक मामले	
28.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	
29.	प्रवासी भारतीय कार्य	
30.	पंचायती राज	
31.	संसदीय कार्य	
32.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	
33.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	
34.	योजना	
35.	विद्युत	
36.	लोक सभा	
37.	राज्य सभा	
38.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	
39.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	27.04.2010 को सांय 6.14 बजे गिलोटिन की गई
40.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	
41.	पोत परिवहन	
42.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	
43.	अंतरिक्ष	
44.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	
45.	इस्पात	
46.	वस्त्र	
47.	पर्यटन	
48.	शहरी विकास	
49.	जल संसाधन	
50.	महिला एवं बाल विकास	
51.	युवक कार्यक्रम और खेल	
	2011-12	
1.	कृषि	
2.	परमाणु ऊर्जा	
3.	रसायन और उर्वरक	
4.	नागर विमानन	17.03.2011 को सांय 6.00 बजे गिलोटिन की गई
5.	कोयला	
6.	वाणिज्य और उद्योग	
7.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	
8.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	

1	2	3
9.	कॉर्पोरेट मामले	17.03.2011 को सांय 6.00 बजे गिलोटिन की गई
10.	संस्कृति	
11.	रक्षा	
12.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	
13.	पृथ्वी विज्ञान	
14.	पर्यावरण और वन	
15.	वित्त	
16.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	
17.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	
18.	भारी उद्योग और लोक उद्यम	
19.	गृह	
20.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन	
21.	मानव संसाधन विकास	
22.	सूचना और प्रसारण	
23.	श्रम और रोजगार	
24.	विधि और न्याय	
25.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	
26.	खान	
27.	अल्पसंख्यक मामले	
28.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	
29.	प्रवासी भारतीय कार्य	
30.	पंचायती राज	
31.	संसदीय कार्य	
32.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	
33.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	
34.	योजना	
35.	विद्युत	
36.	लोक सभा	
37.	राज्य सभा	
38.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	
39.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	
40.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	
41.	पोत परिवहन	
42.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	

1	2	3
43.	अंतरिक्ष	17.03.2011 को सांय 6.00 बजे गिलोटिन की गई
44.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	
45.	इस्पात	
46.	वस्त्र	
47.	पर्यटन	
48.	जनजातीय कार्य	
49.	शहरी विकास	
50.	जल संसाधन	
51.	महिला और बाल विकास	
52.	युवक कार्यक्रम और खेल	
	2012-13	
1.	कृषि	03.05.2012 को सांय 6.02 बजे गिलोटिन की गई
2.	परमाणु ऊर्जा	
3.	रसायन और उर्वरक	
4.	नागर विमानन	
5.	कोयला	
6.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	
7.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	
8.	कॉर्पोरेट मामले	
9.	संस्कृति	
10.	रक्षा	
11.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	
12.	पृथ्वी विज्ञान	
13.	पर्यावरण और वन	
14.	विदेश	
15.	वित्त	
16.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	
17.	भारी उद्योग और लोक उद्यम	
18.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन	
19.	मानव संसाधन विकास	
20.	सूचना और प्रसारण	
21.	श्रम और रोजगार	
22.	विधि और न्याय	

1	2	3
23.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	03.05.2012 को सांय 6.02 बजे गिलोटिन की गई
24.	खान	
25.	अल्पसंख्यक मामले	
26.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	
27.	प्रवासी भारतीय कार्य	
28.	पंचायती राज	
29.	संसदीय कार्य	
30.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	
31.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	
32.	योजना	
33.	विद्युत	
34.	लोक सभा	
35.	राज्य सभा	
36.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	
37.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	
38.	ग्रामीण विकास	
39.	पेयजल और स्वच्छता	
40.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	
41.	पोत परिवहन	
42.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	
43.	अंतरिक्ष	
44.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	
45.	इस्पात	
46.	वस्त्र	
47.	पर्यटन	
48.	जनजातीय कार्य	
49.	जल संसाधन	
50.	महिला और बाल विकास	
51.	युवक कार्यक्रम और खेल	
	2013-14	
1.	कृषि	30.04.2013 को अपराह्न 12.49 बजे गिलोटिन की गई
2.	परमाणु ऊर्जा	
3.	रसायन और उर्वरक	
4.	नागर विमानन	

1	2	3
5.	कोयला	30.04.2013 को अपराह्न 12.49 बजे गिलोटिन की गई
6.	वाणिज्य और उद्योग	
7.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	
8.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	
9.	कॉर्पोरेट मामले	
10.	संस्कृति	
11.	रक्षा	
12.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	
13.	पेयजल और स्वच्छता	
14.	पृथ्वी विज्ञान	
15.	पर्यावरण और वन	
16.	विदेश	
17.	वित्त	
18.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	
19.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	
20.	भारी उद्योग और लोक उद्यम	
21.	गृह	
22.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन	
23.	मानव संसाधन विकास	
24.	सूचना और प्रसारण	
25.	श्रम और रोजगार	
26.	विधि और न्याय	
27.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	
28.	खान	
29.	अल्पसंख्यक मामले	
30.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	
31.	प्रवासी भारतीय कार्य	
32.	पंचायती राज	
33.	संसदीय कार्य	
34.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	
35.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	
36.	योजना	
37.	विद्युत	

1	2	3
38.	लोक सभा	
39.	राज्य सभा	
40.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	
41.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	
42.	ग्रामीण विकास	
43.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	
44.	पोत परिवहन	
45.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	
46.	अंतरिक्ष	30.04.2013 को अपराह्न 12.49 बजे गिलोटिन की गई
47.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	
48.	इस्पात	
49.	वस्त्र	
50.	पर्यटन	
51.	जनजातीय कार्य	
52.	शहरी विकास	
53.	जल संसाधन	
54.	महिला और बाल विकास	
55.	युवक कार्यक्रम और खेल	

6

लोक महत्व के मामले उठाना

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के अंतर्गत ऐसे अनेक प्रक्रियात्मक साधन सदस्यों को उपलब्ध हैं जो संसद सदस्यों की सभा में मामले उठाने, जानकारी प्राप्त करने और जनता को प्रभावित करने वाले विभिन्न मामलों पर सरकार से निर्णय प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इन साधनों की सहायता से सदस्य न केवल प्रशासन के कार्यकरण की समीक्षा कर सकते हैं बल्कि इसके साथ-साथ उन्हें सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और कृत्यों की रचनात्मक आलोचना के पर्याप्त अवसर भी मिलते हैं। प्रश्नों के अतिरिक्त सदस्य कई अन्य प्रक्रिया संबंधी साधनों यथा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचनाएं, अल्पकालीन चर्चा, प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा, संकल्प आदि के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

संविधान के अनुच्छेद 87(1) में लोक सभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण का उपबंध किया गया है।

लोक सभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में सदस्यों द्वारा शपथ ले लिए जाने अथवा प्रतिज्ञान कर लिए जाने और लोक सभा के अध्यक्ष के निर्वाचित हो जाने के पश्चात् राष्ट्रपति संसद की दोनों सभाओं को सम्बोधित करता है। अन्यथा, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के मामले में दोनों सभाओं के सत्र के प्रारंभ होने के लिए अधिसूचित समय और तारीख को राष्ट्रपति संसद की एक साथ समवेत दोनों सभाओं को सम्बोधित करता है। परम्परा के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण के समापन के बाद आधे घंटे तक सभा में कोई अन्य कार्य नहीं किया जाता। तत्पश्चात्, दोनों सभाओं की अपने-अपने कक्ष में अलग-अलग बैठकें होती हैं और दोनों सभाओं के पटल पर राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति रखी जाती है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित धन्यवाद प्रस्ताव पर होती है। स्थापित परम्परा के अनुसार, धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का चयन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। चर्चा के लिए निर्धारित दिनों में सभा अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है। चर्चा की परिधि अत्यंत व्यापक होती है और सदस्य अभिभाषण में उल्लिखित किसी भी राष्ट्रीय अथवा/और अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। प्रस्ताव में संशोधन के द्वारा ऐसे मामलों पर भी चर्चा की जाती है जिनका अभिभाषण में विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो। तथापि, ऐसे मामलों में कठिनाई केवल यही है कि सदस्य ऐसे मामलों का उल्लेख नहीं कर सकते जिनके लिए केन्द्र सरकार सीधे जिम्मेदार नहीं है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, राष्ट्रपति ने संसद की एक साथ समवेत दोनों सभाओं को पांच बार, अर्थात् पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन के पश्चात् 4.6.2009 को प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 के दौरान संसद के प्रथम सत्र के आरंभ में जो पन्द्रहवीं लोक सभा के क्रमश: चौथे, सातवें, दसवें और तेरहवें सत्र थे, को संबोधित किया था पन्द्रहवीं लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा में कुल 65 घंटे और 20 मिनट का समय लगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीखों और धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में लगे समय का ब्यौरा विवरण-33 में दर्शाया गया है।

स्थगन प्रस्ताव

संसदीय प्रक्रिया में स्थगन प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना है। सामान्यत: स्थगन प्रस्ताव की विषय-वस्तु सरकार के कार्य से संबंधित और भूल-चूक के आधार पर सरकार के कृत्यों की आलोचना से संबंधित होनी चाहिए। स्थगन प्रस्ताव तब तक स्वीकार्य नहीं होता जब तक कि उसमें सरकार की ओर से उसे संविधान तथा विधि द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन में असफलता का बोध न हो। जहां भारत सरकार को मामले में हस्तक्षेप करने की बाध्यता न हो, वहां स्थगन प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं होता। स्थगन प्रस्ताव ऐसे मामलों के संबंध में भी नहीं लाया जा सकता जहां कोई मंत्री संविधि द्वारा उसे प्रदत्त विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करे।

स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति और सभा की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। लोक महत्व के प्रश्न के संबंध में प्रत्येक सूचना का गुण-अवगुण, इसकी स्पष्टता और अविलम्बनीयता का निर्णय अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव सभा के नियमित कार्य में एक प्रकार का व्यवधान है। जब कभी सभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो इसके निपटान तक सभा का सामान्य कार्य स्थगित कर दिया जाता है। अध्यक्ष निर्धारित समय पर जोकि सामान्यतया दिन के 16.00 बजे होता है, प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देता है। चर्चा, यदि पहले पूरी न हो जाए, के लिए समय का आबंटन ढाई घंटे से कम नहीं होता।

जब इस प्रस्ताव पर " कि सभा अब स्थगित होती है" चर्चा की जा रही हो, तो अध्यक्ष को उस दिन के लिए सभा को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती क्योंकि उस अवधि के दौरान सभा को स्थगित करने की शक्ति सभा के पास ही रहती है। सभा के स्थगित होने से पहले ही प्रस्ताव को निपटा देना होता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो सभा प्रस्ताव को स्वीकृत करने के अनुसरण में अपने आप स्थगित हो जाती है। यदि प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उस कार्य को, जो स्थगन प्रस्ताव के कारण स्थगित कर दिया गया था, पर पुन: चर्चा शुरू की जाती है अथवा कार्यसूची की अगली मद पर कुछ समय के लिए चर्चा की जाती है और तत्पश्चात् अध्यक्ष उस दिन के लिए सभा को स्थगित कर देता है। जब प्रस्ताव को सभा की अनुमति से वापस लिया जाता है, तब सभा के अगले कार्य को फिर से शुरू किए बिना, यदि सामान्य रूप से सभा को स्थगित करने का समय हो, सभा को स्थगित किया जाता है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान स्थगन प्रस्ताव की 759 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। 2 मामलों में प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा हुई और इन्हें अस्वीकृत कर दिया गया।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान प्राप्त स्थगन प्रस्तावों की कुल संख्या का सत्र-वार ब्यौरा **विवरण-34** में दर्शाया गया है।

अविश्वास प्रस्ताव

संविधान के अनुच्छेद 75(3) में यह उपबंध है कि मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जब संसद की बैठक चल रही हो तो सरकार का अस्तित्व लोक सभा के प्रतिक्षण उसमें विश्वास पर निर्भर करता है।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना स्वत: ही सरकार के गिरने का कारण बन जाता है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की 42 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 1 सूचना को अनुमति नहीं प्रदान की गई और 41 सूचनाओं को सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका। पन्द्रहवीं लोक सभा में प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाओं का ब्यौरा **विवरण-35** में दर्शाया गया है।

विश्वास प्रस्ताव

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई विशिष्ट नियम नहीं है। परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि ऐसे प्रस्ताव अस्वीकार्य हैं अथवा अविश्वास प्रस्ताव, जोकि विपक्ष का विशेषाधिकार है, को सत्ताधारी दल द्वारा प्रायोजित विश्वास प्रस्ताव से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

हाल में मुख्य धारा के राजनीतिक दलों में विभाजन हो जाने के कारण अल्पमत सरकारों के युग के आगमन के परिणामस्वरूप मिली-जुली सरकारों के गठन का दौर शुरू होने पर विश्वास प्रस्ताव के साधन की आवश्यकता अनुभव की गई है। किसी विशिष्ट नियम के अभाव में विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 के अधीन निर्दिष्ट प्रस्तावों, जो लोक हित में मामलों पर चर्चा करवाने के लिये हैं, की श्रेणी के अंतर्गत गृहीत किया गया है। ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय नियम 191 के अधीन सभा के समक्ष सभी आवश्यक प्रश्न रख कर लिए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिये तो सभा की अनुमति लेनी होती है, किन्तु विश्वास प्रस्ताव के लिये सभा की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रस्ताव की एक पंक्ति की सूचना का पाठ इस प्रकार होता है-'यह सभा मंत्रिपरिषद् में विश्वास व्यक्त करती है।'

विश्वास प्रस्ताव की भाषा अविश्वास प्रस्ताव की भाषा के एकदम विपरीत होती है। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दोनों का प्रयोजन और उद्देश्य एक ही होता है। विश्वास प्रस्तावों को अविश्वास प्रस्ताव की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है भले ही दोनों प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हों क्योंकि मुख्य रूप से नियम 25 के अधीन सरकारी कार्य के सम्पादन के लिये नियत दिनों में अन्य कार्यों की तुलना में सरकारी कार्य को प्राथमिकता प्राप्त है। चूंकि इस प्रस्ताव की आवश्यकता तभी अनुभव की जाती है जब सरकार की वैधता को लेकर संदेह हो, अत: ऐसे में यही उपयुक्त होता है कि सकारात्मक विश्वास मत प्राप्त किया जाये।

अविश्वास प्रस्ताव को गृहीत करने के उद्देश्य से यह जरूरी है कि नियम 198 में निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाये जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध किया गया है कि (एक) यदि प्रस्ताव के समर्थन में कम-से-कम 50 सदस्य खड़े हो जायें तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है; और (दो) कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा नियत किसी ऐसे दिन लिया जायेगा जो अनुमति मांगने के दिन से दस दिन से अधिक बाद का न हो। विश्वास प्रस्ताव के मामले में नियम 190 सुसंगत है जो सामान्यत: प्रस्तावों से संबंधित है और जिसका पाठ इस प्रकार है: "अध्यक्ष, सभा के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद और सभा के नेता के परामर्श से या कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश पर ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकता है"।

पन्द्रहवीं लोक सभा की कार्यविधि के दौरान मंत्रिपरिषद में विश्वास का कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

ध्यानाकर्षण

ध्यानाकर्षण की अवधारणा का, जोकि आधुनिक संसदीय प्रक्रिया में नई बात है, उद्भव भारत में ही हुआ है। कोई सदस्य, अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर सकेगा और मंत्री तत्काल एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा या बाद में किसी तिथि को वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकेगा। मंत्री द्वारा दिए गए किसी वक्तव्य पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं दी जाती परन्तु ध्यान दिलाने वाला प्रत्येक सदस्य एक स्पष्ट और संक्षिप्त स्पष्टीकरण संबंधी

प्रश्न पूछ सकता है। किसी ध्यानाकर्षण सूचना को अविलंबनीयता और लोक महत्व के आधार पर गृहीत किया जाता है। सभा की किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लिए जा सकते।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर ध्यानाकर्षण की कुल 2142 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से 211 सूचनाएं गृहीत हुईं जो कुल प्राप्त सूचनाओं का 9.85 प्रतिशत है। गृहीत सूचनाओं के उत्तर में संबंधित मंत्रियों द्वारा सभा में 40 विषयों पर वक्तव्य दिए गए।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, ध्यानाकर्षण के मामलों का ब्यौरा विवरण 36 में दर्शाया गया है।

अल्पकालीन चर्चा

सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सभा में मार्च, 1953 में एक परिपाटी शुरू की गई जिसके अंतर्गत सदस्य बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव अथवा मतदान के अल्पकालीन चर्चा शुरू कर सकते हैं। बाद में इस प्रक्रिया को लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 193 के अंतर्गत ''अल्पकालीन चर्चा'' के रूप में शामिल किया गया।

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा में सभा के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जाता। अत: चर्चा के पश्चात् कोई मतदान नहीं कराया जाता है। सूचना देने वाला सदस्य संक्षिप्त वक्तव्य देता है तथा अन्य किसी सदस्य को, जिसने अध्यक्ष को पहले सूचना दी हो, चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। चर्चा में प्रश्न उठाने वाले सदस्य को उत्तर का अधिकार नहीं है। चर्चा के अंत में संबंधित मंत्री द्वारा संक्षिप्त उत्तर दिया जाता है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान सदस्यों ने 41 अल्पकालीन चर्चाएं उठाईं।

भारत की संसद की पहली बैठक की साठवीं वर्षगांठ के उपलक्ष में 13 मई 2012 को लोक सभा की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में 'भारतीय संसद की साठ वर्ष की यात्रा' विषय पर चर्चा हुई। चर्चा की समाप्ति और विदाई भाषण की समाप्ति पर अध्यक्ष ने सभा के समक्ष एक संकल्प रखा, संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान अल्पकालीन चर्चा में उठाए गए मामलों का ब्यौरा विवरण-37 में दर्शाया गया है।

प्रस्ताव

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 184 में प्रावधान है कि ''संविधान या लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किए गए प्रस्ताव के बिना सभा में सामान्य लोक हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी''।

सामान्य लोक हित के मामलों पर चर्चा उठाने के लिए प्रस्ताव प्राय: दो रूप में सभा पटल पर रखे जा सकते हैं। पहले तरीके के अंतर्गत सभा, सभा पटल पर रखे गए दस्तावेज की ओर ध्यान देती है जबकि दूसरे तरीके के अंतर्गत सभा, विशिष्ट मामले से संबंधित स्थिति पर विचार करती है।

पहला तरीका सामान्यत: ऐसे प्रस्ताव के बारे में अपनाया जाता है जिसमें सभा पटल पर रखे गए प्रतिवेदन अथवा वक्तव्य आदि पर चर्चा की मांग की गई हो। इस तरीके में किया गया प्रस्ताव अप्रतिबद्ध मूल प्रस्ताव होता है और चर्चा के अंत में सभा में मतदान कराने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे प्रस्तावों पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 191 के अंतर्गत चर्चा की जाती है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को उत्तर देने का अधिकार होता है।

प्रस्ताव का दूसरा तरीका सामान्यत: उस समय अपनाया जाता है जब किसी नीति अथवा स्थिति अथवा वक्तव्य अथवा किस अन्य मामले पर विचार किया जाना हो। इस प्रकार के प्रस्तावों पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 342 के अंतर्गत चर्चा की जाती है। इस प्रकार का प्रस्ताव वाद-विवाद के अंत में सभा में मतदान के लिए नहीं रखा जाता। तथापि, यदि कोई सदस्य प्रारंभिक प्रस्ताव के बदले कोई मूल प्रस्ताव रखे तो उस पर सभा का मतदान कराया जाता है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान नियम 191 तथा 342 के अंतर्गत पेश किए गए प्रस्ताव विवरण-38 में दर्शाए गए हैं।

उपांतरण प्रस्ताव

जब संविधान अथवा संसद के किसी अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजित विधायी कार्यों के अनुसरण में किसी अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए किसी आदेश को लोक सभा के पटल पर रखा जाता है तो कोई सदस्य उस आदेश के उपांतरण हेतु प्रस्ताव या प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के आशय की सूचना दे सकता है। यदि किसी संविधि में यह उपबंध है कि आदेश संसद द्वारा उपांतरण के अधीन होगा और यदि उनके उपांतरण हेतु प्रस्ताव की सूचना को स्वीकार किया जाता है तो सरकार प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने के लिए बाध्य है। (नियम 235)

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान उपांतरण हेतु दो प्रस्तावों पर चर्चा की गई (विवरण 38क)

आधे घंटे की चर्चाएं

कोई सदस्य लोक महत्व के किसी भी ऐसे मामले पर आधे घंटे की चर्चा उठा सकता है जिस पर हाल ही में कोई (तारांकित, अतारांकित अथवा अल्प सूचना) प्रश्न पूछा गया हो और उसके उत्तर के तथ्यों को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो। प्राय: आधे घंटे की चर्चा उठाने की सूचना, जिस दिन प्रश्न, जिसमें संबंधित तथ्यों की जानकारी मांगी गयी है, का उत्तर सभा में दिया गया है, उसके तत्काल बाद अथवा जिस दिन मामला उठाया जाना हो उसके तीन दिन पूर्व दी जानी चाहिए और सदस्य द्वारा उठाए

जाने वाले मुद्दे/मुद्दों का संक्षिप्त विवरण दिया जाना चाहिए। चर्चा आधे घंटे तक सीमित रहती है और सभा की बैठक के अंतिम तीस मिनटों में होती है। बजट सत्र को छोड़कर अन्य सत्रों में आधे घंटे की चर्चा सप्ताह में तीन दिन होती है। बजट सत्र के दौरान प्राय: एक से अनधिक आधे घंटे की चर्चा, वित्तीय कार्य के निपटान तक सप्ताह में एक बार रखी जाती है। आधे घंटे की चर्चा पर मतदान नहीं कराया जाता क्योंकि सभा के सामने कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं होता।

पन्द्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान उठाई गई 7 आधे घंटे की चर्चाओं का ब्यौरा विवरण-39 में दर्शाया गया है।

संकल्प

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 170-176 के अध्यधीन कोई सदस्य या मंत्री सामान्य लोक हित के विषय के संबंध में संकल्प प्रस्तुत कर सकता है। संकल्पों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: (एक) वे संकल्प, जो सभा के मत की अभिव्यक्ति मात्र हैं; (दो) सांविधिक प्रभाव वाले संकल्प; और (तीन) वे संकल्प, जिन्हें सभा स्वयं अपनी कार्यवाही के विनियमन के बारे में पारित करती है। संकल्पों को इस रूप में भी श्रेणीकृत किया जा सकता है: (एक) सरकारी संकल्प; (दो) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प; और (तीन) सांविधिक संकल्प।

संकल्प किसी राय की घोषणा अथवा सिफारिश के रूप में हो सकता है या ऐसे रूप में हो सकता है जिससे कि सरकार के किसी काम अथवा नीति का सभा द्वारा अनुमोदन या निरनुमोदन अभिलिखित किया जाए या कोई संदेश दिया जाए या किसी कार्यवाही के लिए संस्तवन, अनुरोध या प्रार्थना की जाए, या किसी विषय अथवा स्थिति पर सरकार द्वारा विचार हेतु ध्यान आकर्षित किया जाए या किसी अन्य ऐसे रूप में, जो अध्यक्ष उचित समझे।

संकल्प का उद्देश्य पूरी सभा के मत की जानकारी देना होना चाहिए, न कि उसके एक वर्ग की। इसके अतिरिक्त, संकल्प का विषय किसी सामान्य लोक हित के मामले से संबद्ध होना चाहिए और केवल उन्हीं मामलों के बारे में संकल्प लाया जा सकता है जो बुनियादी तौर पर भारत सरकार से संबद्ध हों।

सत्र के प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार को बैठक के अंतिम ढाई घंटे का समय सामान्यत: गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा के लिए नियत किया जाता है।

सरकारी संकल्प उन्हीं नियमों के अधीन होते हैं जिन नियमों के अधीन गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प होते हैं। मोटे तौर पर सरकारी संकल्पों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(एक) अंतर्राष्ट्रीय संधियों, अभिसमयों या करारों का, जिनमें एक पक्ष सरकार है, का अनुमोदन करने वाले संकल्प;

(दो) सरकार की कतिपय नीतियों की घोषणा या उनका अनुमोदन करने वाले संकल्प; तथा

(तीन) कतिपय समितियों की सिफारिशों का अनुमोदन करने वाले संकल्प।

सांविधिक संकल्प वे संकल्प हैं, जो संविधान अथवा संसद के अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार के संकल्प सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कुछ अधिनियमनों के मामले में सरकार से स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर संकल्प प्रस्तुत करे।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान जिन 33 संकल्पों को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया उनमें से 6 सरकारी संकल्प थे और सभी स्वीकार कर लिए गए थे। अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत 5 संकल्प भी स्वीकार कर लिए गए थे। 12 सांविधिक संकल्प थे जिनमें से 4 स्वीकार किए गए। गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा 19 संकल्प पेश किए गए थे जिनमें से कोई स्वीकार नहीं किया गया।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान प्रस्तुत संकल्पों का ब्यौरा विवरण-40 में दर्शाया गया है।

नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले

जो मामले प्रश्न, अल्पसूचना प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों आदि से संबंधित नियमों के अंतर्गत नहीं उठाए जा सकते, उन्हें नियम 377 के अंतर्गत उठाया जा सकता है। प्रक्रिया संबंधी इस साधन से सदस्यों को विशेष रूप से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे उठाने का अवसर मिलता है। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन कुल 4019 मामले उठाए गए।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले और उन पर खर्च हुआ समय विवरण-41 में दर्शाया गया है।

व्यवस्था का प्रश्न

कोई भी सदस्य सभा के नियम की अवहेलना किए जाने के किसी भी मामले की ओर अध्यक्ष का ध्यान, व्यवस्था का प्रश्न उठाकर तुरंत आकर्षित कर सकता है। व्यवस्था का प्रश्न सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों अथवा परिपाटियों अथवा सभा के कार्य संचालन को विनियमित करने वाले संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या अथवा उन्हें लागू किए जाने से संबद्ध होना चाहिए और अध्यक्ष के विचाराधिकार में होना चाहिए। यह प्रश्न किसी ऐसे कार्य को लेकर ही उठाया जा सकता है जो उस समय सभा के सामने हो। व्यवस्था का प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है और कोई भी सदस्य जानकारी मांगने के लिए या अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकता। सूचनाओं की ग्राह्यता के बारे में अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान कुल 61 व्यवस्था के प्रश्न उठाए गए। इनमें से केवल 8 प्रश्न अध्यक्ष ने स्वीकार किए।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान उठाए गए व्यवस्था के प्रश्नों का ब्यौरा विवरण-42 में दर्शाया गया है।

"शून्य काल" के दौरान उठाए गए मामले

सभा में प्रश्न काल के बाद और उस दिन के लिए अन्य सूचीबद्ध कार्यों को आरंभ करने से पूर्व भी मामले उठाए जाते हैं। इस अवधि, जो "शून्य काल" के नाम से जानी जाती है, का उपयोग सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान सदस्यों द्वारा 'शून्य काल' में 3304 मामले उठाये गये थे, जिनमें 152.05 घंटे का समय लगा।

पन्द्रहवीं लोक सभा में "शून्य काल" के दौरान उठाए गए मामलों का ब्यौरा विवरण-43 में दिया गया है।

विवरण 33

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीखें और राष्ट्रपति को दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी चर्चा पर लिया गया समय

सत्र	राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीख	धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटा	मिनट
पहला	4.6.2009	05.6.2009 08.6.2009 09.6.2009	16	18
चौथा	22.2.2010	03.3.2010 04.3.2010 05.3.2010	12	31
सातवां	21.2.2011	22.2.2011 23.2.2011 24.2.2011	10	07
दसवां	12.3.2012	13.3.2012 14.3.2012 15.3.2012 19.3.2012	14	37
तेरहवां	21.2.2013	27.2.2013 06.3.2013	11	47

विवरण 34

लोक सभा में स्थगन प्रस्ताव: प्राप्त सूचनाओं की संख्या, सभा के समक्ष लाई गई सूचनाओं की संख्या, स्वीकार की गई सूचनाओं की संख्या और उन पर लिया गया समय

वर्ष और सत्र	प्राप्त सूचनाओं की कुल संख्या	सत्र के समक्ष लाई गई सूचनाओं की संख्या (कुल का %)	स्वीकार की गई सूचनाएं	लिया गया कुल समय	
				घंटा	मिनट
1	2	3	4	5	
पहला	03	शून्य	शून्य	शून्य	
दूसरा	18	शून्य	शून्य	शून्य	

1	2	3	4	5
तीसरा	17	शून्य	शून्य	शून्य
चौथा	50	13 (26%)	शून्य	0 41
पांचवां	56	14 (25%)	शून्य	0 35
छठा	46	शून्य	शून्य	शून्य
सातवां	50	शून्य	शून्य	शून्य
आठवां	59	शून्य	शून्य	शून्य
नौवां	104	शून्य	02	5 36
दसवां	40	शून्य	शून्य	शून्य
ग्यारहवां	33	शून्य	01	4 42
बारहवां	20	शून्य	शून्य	शून्य
तेरहवां	45	शून्य	शून्य	शून्य
चौदहवां	110	शून्य	शून्य	शून्य
पंद्रहवां	108	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	759	27 (3.55%)	3	11 34

विवरण 35

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	सूचना सभा पटल पर रखने वाले सदस्य का नाम	सूचना की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	श्री सुदीप बंदोपाध्याय	22.11.2012	अनुमति नहीं दी गई।
2.	श्री रायापति सांबाशिवा राव (सर्वश्री सव्वम हरि, वी. अरूण कुमार, ए. साईं प्रताप, एल. राजगोपाल और जी.वी. हर्ष कुमार ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	9.12.2013	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
3.	श्री कोनाकल्ला नारायण राव (डॉ. एन. शिव प्रसाद, सर्वश्री निम्मला कृष्टप्प और मोंडुगुला वेंणुगोपाल रेड्डी ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	9.12.2013	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
4.	श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी (श्री एम. राजामोहन रेड्डी और श्री एस.पी.वाई. रेड्डी ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	9.12.2013	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।

1	2	3	4
5.	श्री मोंडुगुला वेंणुगोपाल रेड्डी (श्री कोंनाकल्ला नारायण राव, डॉ. एन. शिव प्रसाद, निम्मला कृष्टप्प ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	11.12.2013	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
6.	श्री रायापति सांबाशिवा राव (सर्वश्री वी. अरूण कुमार, सब्बम हरि, ए. साईं प्रताप, एल. राजगोंपाल और जी.वी. हर्ष कुमार ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	11.12.2013	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
7.	श्री मेकापति राजामोहन रेड्डी (श्री एस.पी.वाई. रेड्डी ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	11.12.2013	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
8.	श्री रायापति सांबाशिवा राव (सर्वश्री सब्बम हरि, एल. राजगोंपाल, ए. साईं प्रताप, वी. अरूण कुमार और जी.वी. हर्ष कुमार ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	12.12.2013	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
9.	श्री कोंनाकल्ला नारायण राव (श्री मोंडुगुला वेंणुगोपाल रेड्डी, डॉ. एन. शिव प्रसाद और श्री निम्मला कृष्टप्प ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	12.12.2013	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
10.	श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी (सर्वश्री एम. राजामोहन रेड्डी और एस.पी.वाई. रेड्डी ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	12.12.2013	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
11.	श्री कोंनाकल्ला नारायण राव (श्री मोंडुगुला वेंणुगोपाल रेड्डी, डॉ. एन. शिव प्रसाद और श्री निम्मला कृष्टप्प ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	13.12.2013	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
12.	श्री रायापति सांबाशिवा राव (सर्वश्री सब्बम हरि, एल. राजगोंपाल, ए. साईं प्रताप, वी. अरूण कुमार और जी.वी. हर्ष कुमार ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	13.12.2013	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
13.	श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी (श्री एम. राजामोहन रेड्डी ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	13.12.2013	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।

1	2	3	4
14.	श्री कोनाकल्ला नारायण राव (श्री मोंडुगुला वेंणुगोपाल रेड्डी, डॉ. एन. शिव प्रसाद और श्री निम्मला कृष्टप्प ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	16.12.2013	श्री शीश राम ओला (निवर्तमान सदस्य तथा श्रम और रोजगार मंत्री के निधन पर निधन संबंधी उल्लेख करने के पश्चात् सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।
15.	श्री मोंडुगुला वेंणुगोपाल रेड्डी	17.12.2013	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
16.	श्री सब्बम हरि (सर्वश्री रायापति सांबासिवा राव, एल. राजगोपाल, वी. अरूण कुमार, जी.वी. हर्ष कुमार, ए. साईं प्रताप ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	18.12.2013	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
17.	श्री कोनाकल्ला नारायण राव (सर्वश्री निम्मला कृष्टप्प और मोंडुगुला वेंणुगोपाल रेड्डी ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	18.12.2013	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
18.	श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी (श्री एम. राजामोहन रेड्डी ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	18.12.2013	श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी द्वारा सभा पटल पर रखी गई और श्री एम. राजमोहन द्वारा हस्ताक्षरित सूचना सभा के समक्ष लाए जाने से पूर्व ही सदस्यों द्वारा वापस ले ली गई।
19.	श्री वुंडावल्ली अरुण कुमार	5.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
20.	श्री मोंडुगुला वेंणुगोपाल रेड्डी	5.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
21.	श्री कोनाकल्ला नारायण राव (श्री मोंडुगुला वेंणुगोपाल रेड्डी, डॉ. नरमल्ली शिव प्रसाद और श्री निम्मला कृष्टप्प ने भी सूचना पर हस्ताक्षर किए)	5.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
22.	श्री सब्बम हरि	6.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
23.	श्री मोंडुगुला वेंणुगोपाल रेड्डी	6.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।

1	2	3	4
24.	श्री मेकापति राजामोहन रेड्डी	6.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
25.	श्री मोंडुगुला वेंणुगोपाल रेड्डी	7.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
26.	श्री जी.वी. हर्ष कुमार	7.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
27.	श्री मेकापति राजामोहन रेड्डी	7.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
28.	श्री वुंडावल्ली अरुण कुमार	10.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
29.	श्री मोंडुगुला वेंणुगोपाल रेड्डी	10.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
30.	श्री कोंनाकल्ला नारायण राव	10.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
31.	श्री मेकापति राजामोहन रेड्डी	10.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
32.	श्री सव्वम हरि	11.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।

1	2	3	4
33.	श्री कोनाकल्ला नारायण राव	11.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
34.	श्री मेकापति राजामोहन रेड्डी	11.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
35.	श्री एल. राजगोपाल	11.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
36.	श्री रायापति सांबाशिवा राव	12.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
37.	श्री मोंडुगुला वेंणुगोपाल रेड्डी	12.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
38.	श्री मेकापति राजामोहन रेड्डी	12.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
39.	श्री ए. साईं प्रताप	13.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
40.	श्री मोंडुगुला वेंणुगोपाल रेड्डी	13.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
41.	श्री मेकापति राजामोहन रेड्डी	13.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।
42.	श्री जी.वी. हर्ष कुमार	18.2.2014	माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में टिप्पणी की कि चूंकि लगातार व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है इसलिए वह सूचनाएं सभा के समक्ष लाने की स्थिति में नहीं है।

विवरण 36

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान नियम 197 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर मंत्रियों के ध्यानाकर्षण की सूचनाएं

सत्र	प्राप्त सूचनाओं की संख्या	स्वीकृत सूचनाओं की संख्या	कॉलम 3 में कॉलम 2 का %	संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य	कॉलम 5 में कॉलम 3 का %	लिया गया कुल समय	
						घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	
पहला	09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
दूसरा	108	10	9.25%	3	30%	2	07
तीसरा	206	39	18.93%	7	17.94%	4	42
चौथा	138	06	4.34%	2	33.33%	1	25
पांचवां	237	26	10.97%	7	26.92%	4	23
छठा	137	64	46.71%	शून्य	शून्य	शून्य	
सातवां	133	10	7.51%	4	40%	1	01
आठवां	207	15	7.24%	3	20%	3	11
नौवां	187	08	4.27%	3	37.5%	2	19
दसवां	158	08	5.06%	5	62.5%	शून्य	
ग्यारहवां	157	15	9.55%	2	13.33%	शून्य	
बारहवां	156	08	5.12%	3	37.5%	2	24
तेरहवां	137	02	1.45%	1	50%	0	01
चौदहवां	96	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
पंद्रहवां	76	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल	2142	211	9.85%	40	18.95%	21	33

विवरण 37

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान नियम 193 के अधीन अल्पकालीन चर्चा हेतु अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा

क्रम सं.	विषय	चर्चा उठाने वाले सदस्य का नाम	चर्चा की तारीख	लिया गया समय		टिप्पणी
				घंटे	मिनट	
1	2	3	4	5	6	7
		पहला सत्र				
		-शून्य-				
		दूसरा सत्र				
1.	देश में तेजी से फैले स्वाइन फ्लू से उत्पन्न स्थिति	श्री संदीप दीक्षित	3.7.2009	0	56	आंशिक चर्चा हुई

1	2	3	4	5	6	7
2.	देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	28.7.2009	6	26	
3.	प्रधानमंत्री द्वारा हाल की विदेशी यात्रा से उत्पन्न मुद्दे	श्री यशवंत सिन्हा	29.7.2009 30.7.2009	5	03	
4.	आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	श्री बसुदेव आचार्य	3.8.2009 7.8.2009	5	13	
		तीसरा सत्र				
5.	आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	श्री राजीव रंजन सिंह	26.11.2009	5	59	
6.	देश में प्राकृतिक आपदाएं	श्री राजीव रंजन सिंह	30.11.2009	4	02	
7.	जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	3.12.2009	4	56	
8.	लिब्राहन अयोध्या जांच आयोग का प्रतिवेदन और 24 नवंबर 2009 को सभा पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ज्ञापन	श्री गुरूदास दासगुप्त	7.12.2009 8.12.2009	8	28	
9.	हाल की घटनाओं के विशेष संदर्भ में भारत चीन संबंध	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	9.12.2009	3	56	
10.	देश में नक्सली और माओवादी गतिविधियों में वृद्धि	श्री बसुदेव आचार्य	17.12.2009	0	11	आंशिक चर्चा हुई
		चौथा सत्र				
11.	मूल्य वृद्धि	श्रीमती सुषमा स्वराज	25.2.2010	8	14	
12.	छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ के जवानों पर हाल ही में हुआ माओवादी हमला	श्री यशवंत सिन्हा	15.4.2010	6	14	
13.	जनगणना 2011 हेतु विशेष मानदंडों का निर्धारण करने की आवश्यकता	श्री अनंत कुमार	5.5.2010 6.5.2010 7.5.2010	5	00	
		पांचवां सत्र				
14.	राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु तैयारियों में देरी से उत्पन्न स्थिति	श्री कीर्ति आजाद	9.8.2010 10.8.2010	6	21	
15.	भोपाल गैस त्रासदी	श्रीमती सुषमा स्वराज	11.8.2010	6	36	
16.	विभिन्न राज्यों में अवैध खनन	श्री बसुदेव आचार्य	17.8.2010	3	50	आंशिक चर्चा हुई

1	2	3	4	5	6	7
17.	देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध बढ़ते अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति	श्री गोपीनाथ मुंडे	19.8.2010 30.8.2010	6	02	
18.	गृह मंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर की स्थिति के संबंध में 4 अगस्त, 2010 को सभा में दिया गया वक्तव्य	श्री गुरूदास दासगुप्त	26.8.2010	3	48	आंशिक चर्चा हुई
19.	देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	27.8.2010 30.8.2010	3	20	
		छठा सत्र				
		-शून्य-				
		सातवां सत्र				
20.	'वोट के बदले नोट' के भुगतान संबंधी समाचार पत्र की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री द्वारा 18 मार्च, 2011 को दिया गया वक्तव्य	श्री गुरूदास दासगुप्त	23.3.2011	4	34	
21.	देश में अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्तर को उठाने की आवश्यकता	शेख सैदुल हक	24.3.2011 25.3.2011	4	14	
22.	त्रुटिपूर्ण सरकारी नीतियों के कारण कामकाजी वर्ग में व्यापक असंतोष से उत्पन्न स्थिति	श्री गुरूदास दासगुप्त	24.3.2011	0	01	आंशिक चर्चा हुई
		आठवां सत्र				
23.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों (सीडब्ल्यूजी), 2010 के संबंध में 2 अगस्त, 2011 को लोक सभा के पटल पर रखा गया वक्तव्य	श्री बसुदेव आचार्य	09.08.2011	2	06	आंशिक चर्चा हुई
24.	लोकपाल के गठन और 16.8.2011 को नई दिल्ली में हुई कुछ घटनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य	श्रीमती सुषमा स्वराज	17.08.2011	5	15	
25.	श्रीलंका में तमिलों को राहत और पुनर्वास तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अन्य उपायों के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम	श्री टी.आर. बालू	16.08.2011 25.08.2011 26.08.2011	4	24	

1	2	3	4	5	6	7
26.	देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	24.08.2011 25.08.2011	6	10	
27.	@लोकपाल के गठन संबंधी मुद्दे पर वित्त मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य	श्रीमती सुषमा स्वराज	27.8.2011	8	16	
		नौवां सत्र				
28.	भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा 22 नवंबर, 2011 को सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य पर चर्चा	श्री गुरूदास दासगुप्त	8.12.2011 9.12.2011	5	42	
29.	अंधाधुंध दोहन के कारण गंगा नदी और हिमालय के अस्तित्व के लिए पैदा हो रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति	कुंवर रेवती रमण सिंह	19.12.2011	3	27	
30.	देश में कृषि संकट और किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं	श्री बसुदेव आचार्य	22.12.2011	0	15	आंशिक चर्चा हुई
		दसवां सत्र				
31.	त्रुटिपूर्ण सरकारी नीतियों के कारण कामकाजी वर्ग में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति	श्री गुरूदास दासगुप्त	24.3.2011 (7वां सत्र) 19.3.2012	0 4	01 38	
32.	राष्ट्रीय करियर अर्थात् एअर इंडिया और कुछ प्राइवेट करियर के कार्यकलाप में बड़े स्तर पर कुप्रबंधन के कारण नागर विमानन क्षेत्र में व्यापक नीतिगत परिवर्तन लाए जाने की आवश्यकताओं और नागर विमानन क्षेत्र में नियोजित कर्मकारों के समक्ष आ रही समस्याओं की जांच किए जाने की आवश्यकता	श्री गुरूदास दासगुप्त	10.5.2012 15.5.2012	5	20	
33.	गंगा नदी को प्रदूषण और हिमालय को अंधाधुंध दोहन से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, क्योंकि इस विषय पर वर्तमान लोक सभा के नौवें सत्र के दौरान चर्चा की गई थी।	कुंवर रेवती रमण सिंह	14.5.2012 17.5.2012	4	20	
34.	खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति हेतु त्रुटिपूर्ण नीति और उनके भंडारण हेतु अपर्याप्त सुविधाओं से उत्पन्न स्थिति।	श्री शरद यादव	18.5.2012	0	32	आंशिक चर्चा हुई

@वाद-विवाद की कार्यवाही राज्य सभा को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति को लोकपाल हेतु अपनी सिफारिशें तैयार करते समय अवलोकन हेतु अग्रेषित करने के अनुरोध के साथ भेजी गई थी।

1	2	3	4	5	6	7
35.	केन्द्र-राज्य संबंध	श्री बसुदेव आचार्य	21.5.2012	1	24	आंशिक चर्चा हुई
		ग्यारहवां सत्र				
36.	देश में नक्सलवादी और माओवादी गतिविधियों में वृद्धि	श्री बसुदेव आचार्य	17.12.2009 (तीसरा सत्र)	0	11	आंशिक चर्चा हुई
			14.8.2012	1	51	
37.	देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और सूखे की स्थिति	श्री राजीव रंजन सिंह	22.8.2012	0	02	आंशिक चर्चा हुई
		बारहवां सत्र				
38.	देश में समान शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता	श्री शैलेन्द्र कुमार	13.12.2012	2	00	आंशिक चर्चा हुई
		तेरहवां सत्र				
39.	देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे और ओला वृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति	श्री शैलेन्द्र कुमार	26.2.2013	3	28	आंशिक चर्चा हुई
40.	श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा	श्री थलिकोटई राजूथेवर बालू	7.3.2013	4	06	
		चौदहवां सत्र				
41.	देश में आर्थिक स्थिति	श्री गुरुदास दासगुप्त	27.8.2013 30.8.2013	4	28	
42.	उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की प्रतिक्रिया एवं राहत तथा पुनर्निर्माण हेतु की-गई-कार्यवाही के बारे में रक्षा मंत्री द्वारा 6.8.2013 को दिया गया वक्तव्य	श्रीमती सुषमा स्वराज	4.9.2013	3	41	
		पन्द्रहवां सत्र				
43.		-शून्य-				
		संसद की पहली बैठक 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोक सभा की विशेष बैठक				
1.	भारतीय संसद की साठ वर्षों की यात्रा	श्री प्रणब मुखर्जी	13.5.2012	5	35	चर्चा समाप्त होने और विदाई भाषण के पश्चात्, अध्यक्ष द्वारा पेश किया गया संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया।

विवरण 38

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान नियम 191 और 342 के तहत प्रस्ताव

क्रम सं.	संक्षिप्त विषय	नियम के तहत प्रस्ताव	सदस्य का नाम	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		टिप्पणी
					घंटा	मिनट	
1	2	3	4	5	6		7
1.	*"कि यह सभा राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत झारखंड राज्य के संबंध में 19 जनवरी, 2009 को जारी की गई उद्घोषणा रद्द की जाए।"	191	श्री अर्जुन मुंडा	14.7.2009	2	13	अस्वीकृत
2.	*"कि लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के नाम से सभाओं की संयुक्त समिति का गठन किया जाए जिसमें कुल पन्द्रह सदस्य होंगे जिनमें से दस इस सभा से और पांच राज्य सभा से होंगे जिनका निर्वाचन प्रत्येक सभा के सदस्य अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करेंगे:— कि संयुक्त समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे— (एक) सभी विद्यमान 'समितियों' के [उनसे भिन्न जिनकी जांच उस संयुक्त समिति द्वारा की गई थी जिसे संसद (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 1957 में निर्देशित किया गया था] और ऐसी सभी 'समितियों' के, जिनका इसके बाद गठन किया जाएगा और जिनकी सदस्यता किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित कर सकती है, गठन और स्वरूप की जांच करना; (दो) संयुक्त समिति द्वारा जांच की गई 'समितियों' के संबंध में यह सिफारिश करना कि किन पदों को निरर्हताकारी होना चाहिए और किन पदों को निरर्हताकारी नहीं होना चाहिए; (तीन) समय-समय पर संसद (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की जांच करना और उक्त अनुसूची में किसी संशोधन की, चाहे वह परिवर्धन द्वारा, लोप द्वारा या अन्यथा हो, सिफारिश करना।	191	श्री विजय कृष्ण हान्डिक	27.7.2009	0	02	स्वीकृत

*झारखंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने हेतु सांविधिक संकल्प; 2009-10 के लिए झारखंड राज्य हेतु बजट और 2009-10 हेतु बजट (झारखंड) के संबंध में अनुदानों की मांगों पर सामान्य चर्चा के साथ चर्चा की गई।

1	2	3	4	5	6	7	
	कि संयुक्त समिति उपर्युक्त सभी या किन्हीं बातों के बारे में संसद की दोनों सभाओं को समय-समय पर रिपोर्ट देगी; कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक पद-धारण करेंगे; कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति समिति की कुल सदस्य संख्या की एक-तिहाई होगी; कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे रूपभेद और उपांतरणों के साथ, जैसे अध्यक्ष नियत करें, लागू होंगे; और कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और इस सभा को उन सदस्यों के नाम प्रेषित करे जिन्हें राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किया जाये।''						
3.	कि यह सभा अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव और आम जनता पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करे।	342	श्रीमती सुषमा स्वराज	3.8.2010 4.8.2010	8	54	प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होने के बाद अध्यक्ष द्वारा सभा के समक्ष रखा गया संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।
4.	कि यह सभा देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के मुद्दे पर विचार करे।	342	श्री गुलाम नबी आजाद	4.8.2010	5	53	चर्चा पूरी हुई
5.	''कि दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति नियुक्त की जाए जिसमें कुल 30 सदस्य होंगे- जिनमें से 20 सदस्य लोक सभा से और 10 सदस्य राज्य सभा से होंगे:- (एक) वर्ष 1998 से 2009 तक दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन और कीमत निर्धारण में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों और उसके परिणामों सहित, नीति निर्धारण और तत्पश्चात् उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा उनकी व्याख्या की जांच के लिए;	191	श्री प्रणब मुखर्जी	24.2.2011	3	42	स्वीकृत

1	2	3	4	5	6	7
	(दो) वर्ष 1998 से 2009 तक सरकार के निर्णयों और नीति निर्धारण के कार्यान्वयन में अनियमितताओं और विपथनों, यदि कोई हों तथा उनके परिणामों की जांच के लिए; और (तीन) दूरसंचार लाइसेंसों के आवंटन और कीमत निर्धारण में निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के लिए समुचित प्रक्रिया का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु सिफारिश करने के लिए। (क) कि समिति में लोक सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य इसके सदस्य होंगे:— 1. श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव 2. श्री पवन सिंह घाटोवार 3. श्री जय प्रकाश अग्रवाल 4. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा 5. श्री पी.सी. चाको 6. श्री मनीष तिवारी 7. श्री निर्मल खत्री 8. श्री अधीर रंजन चौधरी 9. श्री टी.आर. बालू 10. श्री कल्याण बनर्जी 11. श्री जसवंत सिंह 12. श्री यशवंत सिन्हा 13. श्री हरिन पाठक 14. श्री गोपीनाथ मुंडे 15. श्री शरद यादव 16. श्री दारा सिंह चौहान 17. श्री अखिलेश यादव 18. श्री गुरुदास दासगुप्त 19. श्री अर्जुन चरण सेठी 20. डॉ. एम. तम्बिदुरई (ख) कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इसका सभापति नाम-निर्दिष्ट करेंगी। (ग) कि समिति उस दिन से कार्य करना आरंभ करेगी जिस दिन इसका सम्यक् रूप से गठन होगा। (घ) कि समिति को सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा सभी सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।					

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ङ) कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति, संयुक्त समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी। (च) कि संयुक्त समिति, संसद के अगले सत्र के अंत तक इस सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। (छ) कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया के नियम ऐसे बदलावों और परिवर्तनों, जो अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं, के साथ लागू होंगे। (ज) कि यह सभा राज्य सभा को सिफारिश करती है कि राज्य सभा समिति में शामिल हो और राज्य सभा से समिति के लिए नियुक्त सदस्यों में से दस सदस्यों के नाम उपर्युक्त समिति के लिए इस सभा को भेजे।"						
6.	"कि सभा में मूल्यवृद्धि पर बार-बार चर्चा के बावजूद आम आदमी पर मूल्यवृद्धि का बोझ बढ़ता जा रहा है। मूल्यवृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी।"	191	श्री यशवंत सिन्हा	03.08.2011 04.08.2011	C7	16	स्वीकृत (सभा पटल पर रखे गए संशोधन-2, पेश किए गए संशोधन-1, स्वीकृत संशोधन-शून्य)
7.	"(1) (क) दोनों सभाओं की एक समिति, जिसे अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के कल्याण संबंधी समिति कहा जाएगा, गठित की जाए जिसमें तीस सदस्य, बीस लोक सभा से और दस राज्य सभा से एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार निर्वाचित होने वाले, शामिल होंगे; (ख) कि कोई मंत्री समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन का पात्र नहीं होगा और यह कि यदि कोई सदस्य समिति में निर्वाचन के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाता है तो वह ऐसे नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहेगा;	191	श्री पवन कुमार बंसल	21.12.2011	C	05	स्वीकृत

1	2	3	4	5	6	7

(ग) कि समिति का सभापति, अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा।

(2) समिति के कार्य इस प्रकार होंगे:—

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना और संघ सरकार, जिसमें संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं, के क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले मामलों के बारे में संघ सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों पर दोनों सदनों को प्रतिवेदन देना;

(दो) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन द्वारा की-गई-कार्यवाही पर दोनों सदनों को प्रतिवेदन देना;

(तीन) संविधान के उपबंधों के दृष्टिगत संघ सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं तथा पदों में (जिनमें सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों, सांविधिक और अर्द्ध-सरकारी निकायों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में नियुक्तियां भी शामिल हैं) अन्य पिछड़े वर्गों, विशेषरूप से सर्वाधिक पिछड़े वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संघ सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच करना;

(चार) संघ राज्यक्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में दोनों सदनों को प्रतिवेदन देना;

1	2	3	4	5	6	7
	(पांच) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित सभी मामलों, जो संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन सहित संघ सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं, पर सामान्यत: विचार करना और दोनों सदनों को प्रतिवेदन देना; तथा (छह) ऐसे अन्य मामलों की जांच करना जिन्हें समिति उचित समझे या जो सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशेषरूप से भेजे जाएं। (3) कि समिति के सदस्य, समिति जिसका उपर्युक्त पैरा (1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी समय एक वर्ष हेतु पुनर्गठन किया जाएगा, की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे; (4) कि समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति दस होगी; (5) कि अन्य सभी मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया के नियम ऐसे बदलावों और परिवर्तनों, जो अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं, के साथ लागू होंगे; और (6) कि यह सभा राज्य सभा को सिफारिश करती है कि राज्य सभा समिति में शामिल हो और राज्य सभा से समिति के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम उपर्युक्त समिति के लिए इस सभा को भेजे।"						
8.	@कि यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का अपना निर्णय तत्काल वापस ले।	191	श्रीमती सुषमा स्वराज	4.12.2012 5.12.2012	10	45	अस्वीकृत

@प्रो. सौगत राय और श्री हसन खान द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत किए गए अधिसूचना [जीएसआर 795 (ई) दिनांक 19 अक्तूबर, 2012] के आशोधन हेतु दो प्रस्तावों के साथ चर्चा की गई।

विवरण 38क

सांविधिक नियमों और विनियमों के आशोधन हेतु प्रस्ताव

क्रम सं.	संक्षिप्त विषय	पेश करने वाले सदस्य का नाम	पेश किए जाने और चर्चा किए जाने की तारीख	लिया गया समय		टिप्पणी
				घं.	मि.	
1.	अधिसूचना में आशोधन हेतु प्रस्ताव [जीएसआर 795(ई) दिनांक 19 अक्तूबर, 2012] विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अंतर्गत किया गया और 30 नवम्बर, 2012 को लोक सभा में रखा गया।	प्रो. सौगत राय	4.12.2012	*10	45	अस्वीकृत
2.	अधिसूचना में आशोधन हेतु प्रस्ताव [जीएसआर 795(ई) दिनांक 19 अक्तूबर, 2012] विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अंतर्गत किया गया और 30 नवम्बर, 2012 को लोक सभा में रखा गया।	श्री हसन खान	4.12.2012			प्रस्ताव सभा के मतदान हेतु नहीं रखा गया क्योंकि इसकी विषय वस्तु प्रो. सौगत राय द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में शामिल है जिस पर सभा ने पहले ही अपना निर्णय दे दिया है।

*सरकार को यह सिफारिश करते हुए कि मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का अपना निर्णय तत्काल वापस ले, नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव के साथ चर्चा किया गया प्रस्ताव श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा पेश किया गया।

विवरण 39

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान हुई आधे घंटे की चर्चाएं

क्रम सं.	चर्चा शुरू करने वाले सदस्य का नाम	विषय	चर्चा की तारीख
1.	डॉ. कावुरी सांबासिवा राव	नदियों को परस्पर जोड़ना	02.12.2009
2.	श्री रूद्र माधव राय	उर्वरकों की उपलब्धता	30.08.2010
3.	श्री राजू शेट्टी	पर्यटन नीति	23.03.2011
4.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	अजा/अजजा को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण	24.03.2011
5.	श्री जगदानन्द सिंह	विद्युत की मांग और आपूर्ति	29.08.2011
6.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	कृषि व्यवसाय	21.05.2012
7.	श्री शैलेन्द्र कुमार	किसानों की फसल की क्षति का मुआवजा	06.09.2013

विवरण 40

संकल्प, जिन पर पन्द्रहवीं लोक सभा में चर्चा हुई

क. सरकारी संकल्प

क्रम सं.	संकल्प की विषय–वस्तु	संकल्प पेश करने वाले मंत्री/सदस्य का नाम	तारीखें, जिन पर संकल्पों पर चर्चा हुई	लिया गया समय		सभा का निर्णय
				घं.	मि.	
1	2	3	4	5		6
	पहला सत्र					
		शून्य				
	दूसरा सत्र					
		शून्य				
	तीसरा सत्र					
1.	कि यह सभा संकल्प करती है कि भारतीय रेल द्वारा राजस्व को इस समय देय लाभांश की दर और सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त से जुड़े अन्य आनुषंगिक मामलों की समीक्षा करने हेतु और उन पर सिफारिश करने के लिए अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले बारह सदस्यों वाली एक संसदीय समिति नियुक्त की जाए।	श्री के.एच. मुनियप्पा	15.12.2009			
2.	कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि भारतीय रेल द्वारा सामान्य राजस्व को इस समय देय लाभांश की दर और सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त से जुड़े अन्य आनुषंगिक मामलों की समीक्षा करने हेतु और उन पर सिफारिश करने के लिए राज्य सभा के छह सदस्यों को संसदीय समिति के साथ सम्बद्ध करने की सहमति दे और इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को भेजे।	श्री के.एच. मुनियप्पा	15.12.2009	0	02	स्वीकृत
	चौथा सत्र					
		शून्य				
	पांचवां सत्र					
		शून्य				
	छठा सत्र					
		शून्य				

1	2	3	4	5	6	
	सातवां सत्र					
3.	*कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को देय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) के पहले प्रतिवेदन, जिसे 10 दिसम्बर, 2010 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 55, 56, 57, 58 और 62 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।	श्री के.एच. मुनियप्पा	7.3.2011	02	29*	स्वीकृत
	आठवां सत्र					
		शून्य				
	नौवां सत्र					
		शून्य				
	दसवां सत्र					
4.	कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को देय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) के दूसरे प्रतिवेदन जिसे 30 अगस्त, 2011 को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82 और 84 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।	श्री मुकुल राय	22.3.2012	00	02	स्वीकृत
	ग्यारहवां सत्र					
		शून्य				
	बारहवां सत्र					
		शून्य				
	तेरहवां सत्र					
5.	@कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को देय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) के दूसरे प्रतिवेदन, जिसे 18 मई, 2012 को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 3, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81 और 82 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।	श्री पवन कुमार बंसल	13.3.2013	14	40@	स्वीकृत
	चौदहवां सत्र					
		शून्य				

* इन पर वर्ष 2011-12 के बजट (रेल) पर आगे चर्चा और वर्ष 2010-11 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) पर आगे चर्चा के साथ चर्चा की गई।

@ इन पर बजट (रेल) 2013-14; लेखानुदानों की मांगों (रेल) 2013-14; अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) 2012-13; और अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) 2010-11 के साथ चर्चा की गई।

1	2	3	4	5	6	7
	पन्द्रहवां सत्र					
6.	*कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को देय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) के छठे प्रतिवेदन जिसे 8 मई, 2013 को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और 86 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।	श्री मल्लिकार्जुन खरगे	17.2.2014	C	23*	स्वीकृत
		ख. सांविधिक संकल्प				
	पहला सत्र					
		शून्य				
	दूसरा सत्र					
1.	@कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत झारखंड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 19 जनवरी, 2009 को जारी की गई उद्घोषणा को 19 जुलाई, 2009 से और आगे छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।	श्री पी. चिदम्बरम	14.07.2009	2	10	स्वीकृत
	तीसरा सत्र					
2.	**कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 अक्तूबर, 2009 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु संशोधन और विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।	श्री राजू शेट्टी	9.12.2009 10.12.2009	3	57	अस्वीकृत
	चौथा सत्र					
3.	#कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 जनवरी, 2010 को प्रख्यापित प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।	श्री रमेश बैस	15.3.2010	2	52	वापस लिया गया
	पांचवां सत्र					
4.	कि यह सभा झारखंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन 1 जून, 2010 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।	श्री अजय माकन	29.7.2010	C	02	स्वीकृत
5.	^कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 18 जून, 2010 को प्रख्यापित प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।	श्री प्रबोध पांडा	2.8.2010	2	11	वापस लिया गया

* इन पर अंतरिम बजट (रेल) 2014–15 पर सामान्य चर्चा अंतरिम बजट (रेल) 2014–15 के संबंध में अनुदानों की मांगों और 2013–14 के बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर सामान्य चर्चा के साथ चर्चा की गई।

** आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2009 पर विचारण हेतु प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई।

@ इन पर वर्ष 2009–10 की अनुदानों की मांगों (झारखंड) पर चर्चा के साथ चर्चा की गई।

\# इन पर प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 के विचारण हेतु प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई।

^ इन पर प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 के विचारण हेतु प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई।

1	2	3	4	5	6	6
6.	*कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 15 मई, 2010 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।	श्री प्रबोध पांडा	20-8-2010	0	58	अस्वीकृत
	छठा सत्र					
		शून्य				
	सातवां सत्र					
		शून्य				
	आठवां सत्र					
		शून्य				
	नौवां सत्र					
		शून्य				
	दसवां सत्र					
		शून्य				
	ग्यारहवां सत्र					
		शून्य				
	बारहवां सत्र					
		शून्य				
	तेरहवां सत्र					
7.	कि यह सभा झारखंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत 18 जनवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।	श्री सुशील कुमार शिंदे	13-3-2013	1	16	स्वीकृत
8.	@कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 3 फरवरी, 2013 को प्रख्यापित दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।	डॉ. भोला सिंह	19-3-2013	5	40	अस्वीकृत
	चौदहवां सत्र					
9.	#कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जुलाई, 2013 को प्रख्यापित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।	श्री प्रबोध पांडा	13-8-2013 14-8-2013 26-8-2013	8	45	वापस लिया गया
10.	$कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 29 मई, 2013 को प्रख्यापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।	प्रो. शेख सैदुल हक	27-8-2013	0	54	वापस लिया गया

* इन पर भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010 के विचारण हेतु प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई।
@ इन पर दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 के विचारण हेतु प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई।
# इन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 के विचारण हेतु प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई।
$ इन पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 के विचारण हेतु प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई।

1	2	3	4	5		6
	पन्द्रहवां सत्र					
11.	@कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क के अनुसरण में यह सभा 17 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. 44/2013-सीमा शुल्क [17 सितम्बर, 2013 का सा.का.नि. 635(ङ)] का अनुमोदन करती है जिसका आशय सीटीएच 7113 अथवा 7114 के अंतर्गत आने वाली (क) आभूषण वस्तुओं और उनके अवयवों, बहुमूल्य धातुओं अथवा बहुमूल्य धातु जड़ित धातुओं; (ख) सोने और चांदी की वस्तुओं और उनके अवयवों, बहुमूल्य धातुओं अथवा बहुमूल्य धातु जड़ित धातुओं पर सांविधिक दर में संशोधन करके मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 10% से बढ़ाकर 15% करना है।	श्री पी. चिदम्बरम	12.12.2013	0	04	स्वीकृत
12.	कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 16 फरवरी, 2014 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 50 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) और (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 239कख के अधीन जारी आदेश का अनुमोदन करती है।	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	20.2.2014	0	01	स्वीकृत

@इन पर अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) 2013-2014 के साथ चर्चा की गई।

ग. अध्यक्ष द्वारा सभा के समक्ष रखे गए संकल्प

क्रम सं.	संकल्प की विषय-वस्तु	सभा के समक्ष रखने की तिथि	लिया गया समय		सभा का विनिश्चय
			घं.	मि.	
1	2	3	4	5	6
	पहला सत्र				
		शून्य			
	दूसरा सत्र				
		शून्य			
	तीसरा सत्र				
1.	आज मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की पहली बरसी है। इस हमले में अनेक निर्दोष भारतीय नागरिकों तथा विदेशी राष्ट्रिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है तथा यह उन मूल्यों को पूर्णत: नकारता है जो मानव को प्रिय हैं। आतंकवादियों की बेखौफ हिंसा से अनगिनत परिवार तबाह हो चुके हैं। एक सभ्य संसार में आतंकवाद को बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है तथा प्रत्येक शांतिप्रिय और प्रगतिशील देश का यह कर्त्तव्य बन जाता है कि वह आतंकवाद की इन काली शक्तियों का प्रतिरोध करें तथा उन्हें पराजित करें। यह सभा आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करती है।	26.11.2009	0	04	स्वीकृत

1	2	3	4	5	6
	आतंकवादियों के पूरे विश्व में फैले जाल तथा उनके असीमित संसाधनों, अत्याधुनिक हथियारों तथा प्रशिक्षण से लैस होने तथा उनकी विकृत मानसिकता को देखते हुए यह अत्यंत जरूरी है कि मानवता के इन दुश्मनों का पता लगाने तथा उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए सभी देश संसाधन जुटाएं तथा समन्वित कार्यवाही करें। इस सभा का यह दृढ़ मत है कि हम मजबूत इच्छाशक्ति तथा ठोस कार्यवाही से ही आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम होंगे। यह सभा 26 नवम्बर, 2008 को आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस तथा मुंबई के लोगों द्वारा प्रदर्शित धैर्य के लिए उन्हें नमन करती है और सरकार से आग्रह करती है कि हमारे देश से आतंकवाद जैसी बुराई का समूल नाश करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। इस अवसर पर यह सभा संकल्प करती है कि हम आतंकवाद का मिलकर मुकाबला कर उन्हें पराजित करेंगे तथा उन्हें निर्दोष लोगों का फिर से खून बहाने का मौका नहीं देंगे।				
	चौथा सत्र				
		शून्य			
	पांचवां सत्र				
2.	*यह सभा देश की अर्थव्यवस्था पर महंगाई के दबाव को देखते हुए, आग्रह करती है कि वह आम आदमी पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें।	3.8.2010 4.8.2010	C	C1	स्वीकृत
	छठा सत्र				
		शून्य			
	सातवां सत्र				
		शून्य			
	आठवां सत्र				
		शून्य			
	नौवां सत्र				
		शून्य			
	दसवां सत्र				
		शून्य			
	ग्यारहवां सत्र				
		शून्य			

*अर्थव्यवस्था पर महंगाई के दबाव और आम आदमी पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में नियम 342 के अंतर्गत प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होने के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा संकल्प सभा के समक्ष रखा गया।

1	2	3	4	5	6
	बारहवां सत्र	शून्य			
	संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लोक सभा की विशेष बैठक				
	हम, लोक सभा के सदस्य, संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष बैठक में एकत्र हुए हैं: स्वतंत्रता हेतु राष्ट्र के संघर्ष में हमारे स्वतंत्रता सैनानियों द्वारा किए गए अपरिमित बलिदानों; और समानता, बन्धुत्व, न्याय, मानव मात्र के भातृत्व और समाज के वंचित तथा दलित वर्गों के उत्थान के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा निभाई गई पथ प्रदर्शक की भूमिका को कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हुए: भारत के लोगों की परिपक्वता को संतुष्टि और गर्व के साथ स्वीकार करते हुए, जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को संजोये रखा है तथा देश की एकता और अंखडता हेतु अनवरत प्रयास किया है, यह नोट करते हुए कि पिछले साठ वर्षों में, संसद ने, युगांतकारी कानून बनाकर सभी मामलों में समानता और न्याय सुनिश्चित करने और संविधान की उद्देशिका में वर्णित आदर्शों के प्रति अपनी गहरी आस्था और प्रतिबद्धता के अनुसरण में एक समावेशी समाज की स्थापना करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं और अभी काफी कुछ हासिल करना शेष है; एतद्द्वारा हमारे निर्माताओं द्वारा संजोए गए आदर्शों के प्रति हमारे संपूर्ण और अटूट विश्वास को विधिवत रूप से पुन: व्यक्त करते हैं और: (क) संसद की गरिमा, शुचिता और सर्वोच्चता को बनाए रखने; (ख) संसद को परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम बनाने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को सुदृढ़ करने; (ग) संसद की निगरानी के माध्यम से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही को बढ़ाने; और (घ) राष्ट्र निर्माण के पुनीत कार्य के प्रति स्वयं को पुन: समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।	13.5.2012	05	35	भारत की संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 13 मई, 2012 को लोक सभा की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में "भारतीय संसद की 60 वर्षों की यात्रा" विषय पर चर्चा की गई। चर्चा समाप्त होने और विदाई भाषण के पश्चात् अध्यक्ष ने सभा के समक्ष एक संकल्प प्रस्तुत किया; और संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।
	तेरहवां सत्र				
3.	यह सभा पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली द्वारा 14 मार्च, 2013 को पारित संकल्प को पूर्णत: अस्वीकार करती है। सभा नोट करती है कि पाकिस्तान ने वचन दिया है कि वह अपने भू-भाग का उपयोग भारत के विरुद्ध आतंकवाद के लिए करने की अनुमति नहीं देगा और इस वचन को पूरा किया जाना ही पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंधों का आधार हो सकता है। सभा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को अस्वीकार करती है और पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली को आगाह करती है कि वह अतिवादी और आतंकवादी तत्वों को इस प्रकार का समर्थन देने से बाज आए। सभा इस बात को दोहराती है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भू-भाग सहित सम्पूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य सदैव भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। भारत के आंतरिक मामलों में कहीं से भी किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास का हमारे राष्ट्र द्वारा पूर्ण दृढ़ता और एकजुटता से मुकाबला किया जाएगा।	15.3.2013	01	06	स्वीकृत
4.	यह सभा पाकिस्तान की जेल में साथी कैदियों द्वारा नृशंस हमले के कारण पाकिस्तान के जिन्ना अस्पताल, लाहौर में भारतीय नागरिक श्री सरबजीत सिंह के आज हुए दुखद निधन पर अपना गहरा दुख और शोक प्रकट करती है। यह सभा पाकिस्तान की जेल में श्री सरबजीत सिंह के प्रति किए गए अमानवीय व्यवहार की भी भर्त्सना करती है और आशा करती है कि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह सभा श्री सरबजीत सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है।	2.5.2013	01	02	स्वीकृत

1	2	3	4	5	6
	चौदहवां सत्र				
5.	यह सभा पाकिस्तान नेशनल एसेम्बली और पंजाब की प्रांतीय एसेम्बली द्वारा 13 अगस्त, 2013 को पारित किए गए संकल्पों, जिनमें भारतीय सेना और भारत के नागरिकों पर पूरी तरह निराधार आरोप लगाए गए हैं, को अस्वीकार करती है और उसकी निन्दा करती है। पाकिस्तान नेशनल एसेम्बली के सदस्यों सहित किसी के मन में लेशमात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए कि 6 अगस्त, 2013 को नियंत्रण रेखा पर हमारी सीमा के भीतर भारतीय सेना के गश्ती दल पर पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसाने के हमला किया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने ऐसे समय यह अकारण हमला किया जबकि स्थायी शांति, मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे ताकि दोनों देश जब अपने संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग अपने लोगों के कल्याण के कार्य को अग्रसर करने के महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकें। भारत पाकिस्तान अथवा पाकिस्तानी जनता के लिए कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान ने भारत को निशाना बनाने के लिए जिन आतंकवादी समूहों को पोषित किया वे ही अब इस क्षेत्र में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। यह सभा पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई की भी कड़ी निन्दा करती है और एक बार पुन: दोहराती है कि पाकिस्तान द्वारा बलपूर्वक और गैर-कानूनी रूप से हथियाए हुए भू-भाग सहित सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है और सदैव रहेगा। भारत नियंत्रण रेखा का सम्मान करता है तथा पाकिस्तान सरकार से मांग करता है कि वह अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा दोनों पर वर्ष 2003 की युद्ध विराम संबंधी वचनबद्धता का अक्षरश: पालन करें। यह सभा भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों जिन्होंने नियंत्रण रेखा की पवित्रता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, के साहस और उनकी वीरता को नमन करती है। हमारे संयम की परीक्षा न ली जाए और न ही हमारे सशस्त्र बलों की अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने की क्षमता को कम करके आंका जाए।	14-8-2013	0	03	स्वीकृत

ग. पन्द्रहवीं लोक सभा में चर्चा किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

क्रम सं.	संकल्प की विषय-वस्तु	संकल्प प्रस्तुत करने वाले सदस्य का नाम	तारीख(खें) जिन पर संकल्प पर चर्चा की गई	लिया गया समय		सभा का निर्णय
				घंटे	मिनट	
1	2	3	4	5		6
	पहला सत्र					
		शून्य				

1	2	3	4	5	6	7
	दूसरा सत्र					
1.	हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति जिसके कारण भू-स्खलन, बादल फटना, भूकंप, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिनके परिणामस्वरूप जान और माल का भारी नुकसान होता है और साथ ही उत्तुंग पहाड़ियों के कारण वहां सड़कों, वनों और अन्य विकास कार्यों के निर्माण की उच्च लागत और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह संघ सरकार की पूरी वित्तीय सहायता से: (1) "हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के चहुंमुखी और तीव्र विकास के लिए; (2) इन राज्यों में विद्यमान केन्द्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग के लिए; और (3) उक्त क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय सुझाने के लिए 'राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड' नामक एक बोर्ड का गठन किया जाए।"	श्री वीरेन्द्र कश्यप	03.07.2009 10.07.2009	4	39	वापस लिया गया
2.	इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश के विभिन्न भागों, विशेषकर उत्तराखंड राज्य में पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल जिलों में पेयजल की उपलब्धता का गंभीर संकट है और वहां स्वजलधारा वर्द्धित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) जैसी केन्द्र प्रायोजित पेयजल योजनाओं का सही ढंग से कार्यान्वयन और निगरानी नहीं की जा रही है, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि पेयजल की समस्या से उबरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समयबद्ध व्यापक कार्य योजना बनाई जाए।	श्री सतपाल महाराज	10.7.2009 30.7.2009	2	40	चर्चा पूरी नहीं हुई
	तीसरा सत्र					
3.	इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश के विभिन्न भागों, विशेषकर उत्तराखंड राज्य में पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल जिलों में पेयजल की उपलब्धता का गंभीर संकट है और वहां स्वजलधारा वर्द्धित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) जैसी केन्द्र प्रायोजित पेयजल योजनाओं का सही ढंग से कार्यान्वयन और निगरानी नहीं की जा रही है।, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि पेयजल की समस्या से उबरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समयबद्ध व्यापक कार्य योजना बनाई जाए।	श्री सतपाल महाराज	11.12.2009	0	56	वापस लिया गया

1	2	3	4	5	6
4.	उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी जिलों, जिन्हें पूर्वांचल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार करते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए घोषित पैकेज की तर्ज पर इस क्षेत्र के लिए भी विशेष आर्थिक विकास पैकेज तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए तुरंत कदम उठाए।	राजकुमारी रत्ना सिंह	11.12.2009	1	35	चर्चा पूरी नहीं हुई
	चौथा सत्र				
5.	उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी जिलों, जिन्हें पूर्वांचल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार करते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए घोषित पैकेज की तर्ज पर इस क्षेत्र के लिए भी विशेष आर्थिक विकास पैकेज तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए तुरंत कदम उठाए।	राजकुमारी रत्ना सिंह	21.4.2010	2	32	वापस लिया गया
6.	यह सभा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की दुर्दशा पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वे देश से वर्ष 2015 तक गरीबी के उन्मूलन के लिए समयबद्ध ढंग से निम्नलिखित कदम उठाए:— (एक) सभी राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना; (दो) ऐसे प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को व्यावसायिक प्रशिक्षण और तत्पश्चात् लाभदायक रोजगार देना; (तीन) ऐसे प्रत्येक परिवार जिन्हें लाभदायक रोजगार नहीं दिया गया है, को तीन हजार रुपए प्रतिमाह से अन्यून दर पर कुटुंब पेंशन देना; और (चार) ऐसे परिवारों के सभी बच्चों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क गुणवत्ताप्रद शिक्षा देना।	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	21.4.2010	0	02	चर्चा पूरी नहीं हुई
	पांचवां सत्र				
7.	यह सभा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की दुर्दशा पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वे देश से वर्ष 2015 तक गरीबी के उन्मूलन के लिए समयबद्ध ढंग से निम्नलिखित कदम उठाए:— (एक) सभी राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना;	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	06.8.2010 21.8.2010	4	55	वापस लिया गया

1	2	3	4	5	6	
	(दो) ऐसे प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को व्यावसायिक प्रशिक्षण और तत्पश्चात् लाभदायक रोजगार देना; (तीन) ऐसे प्रत्येक परिवार जिन्हें लाभदायक रोजगार नहीं दिया गया है, को तीन हजार रुपए प्रतिमाह से अन्यून दर पर कुटुंब पेंशन देना; और (चार) ऐसे परिवारों के सभी बच्चों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क गुणवत्ताप्रद शिक्षा देना।					
8.	यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य में विकास की गति में तेजी लाने तथा इसे पिछड़ेपन से निपटने में सबल बनाने के उद्देश्य से इसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे।	डॉ. भोला सिंह	21.8.2010	C	05	चर्चा पूरी नहीं हुई।
	छठा सत्र					
		शून्य*				
	सातवां सत्र					
9.	यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य में विकास की गति में तेजी लाने तथा इसे पिछड़ेपन से निबटने में सबल बनाने के उद्देश्य से इसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे।	डॉ. भोला सिंह	18.3.2011	C	01	चर्चा पूरी नहीं हुई।
	आठवां सत्र					
10.	यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य में विकास की गति में तेजी लाने तथा इसे पिछड़ेपन से निबटने में सबल बनाने के उद्देश्य से इसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे।	डॉ. भोला सिंह	12.8.2011 26.8.2011	4	34	वापस लिया गया।
11.	यह सभा देश के मरु प्रदेशों में व्याप्त पिछड़ेपन पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह: (एक) मरु प्रदेशों में रहने वाले लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं को कम करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए आर्थिक पैकेज की तर्ज पर मरु प्रदेशों के समग्र विकास; तथा (दो) इन प्रदेशों के लोगों को देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के समतुल्य सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज तैयार करे और इसे कार्यान्वित करे।	श्री हरीश चौधरी	26.8.2011	C	27	चर्चा पूरी नहीं हुई।
	नौवां सत्र					
		शून्य*				

*छठे और नौवें सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य (संकल्प) सम्पादित नहीं हो सका।

1	2	3	4	5	6	7
	दसवां सत्र					
12.	यह सभा देश के मरु प्रदेशों में व्याप्त पिछड़ेपन पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह: (एक) मरु प्रदेशों में रहने वाले लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं को कम करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए आर्थिक पैकेज की तर्ज पर मरु प्रदेशों के समग्र विकास; तथा (दो) इन प्रदेशों के लोगों को देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के समतुल्य सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज तैयार करें और इसे कार्यान्वित करें।	श्री हरीश चौधरी	04.05.2012 18.05.2012	2	50	अस्वीकृत।
13.	बिहार राज्य में उच्चतर शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य के मोतिहारी जिले, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 'कर्मभूमि' भी रहा है, में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करें।	श्री ओम प्रकाश यादव	18.5.2012	2	08	चर्चा पूरी नहीं हुई।
	ग्यारहवां सत्र					
14.	बिहार राज्य में उच्चतर शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य के मोतिहारी जिले, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 'कर्मभूमि' भी रहा है, में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करें।	श्री ओम प्रकाश यादव	17.8.2012	1	00	अस्वीकृत।
15.	यह सभा देश के विभिन्न भागों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाए।	श्री बसुदेव आचार्य	17.8.2012	1	18	अस्वीकृत।
16.	पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करें।	श्री अर्जुन मेघवाल	17.8.2012	0	02	चर्चा पूरी नहीं हुई।
	बारहवां सत्र					
17.	पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करें।	श्री अर्जुन मेघवाल	30.11.2012 14.12.2012	2	35	चर्चा पूरी नहीं हुई।

1	2	3	4	5	6
	तेरहवां सत्र				
18.	पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करे।	श्री अर्जुन मेघवाल	15.3.2013	1 02	अस्वीकृत।
19.	मुद्रास्फीति की दर में सतत वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर यह सभा गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने एवं व्यापक बनाने हेतु प्रभावी कदम उठाए।	श्री महेन्द्र कुमार राय	15.3.2013	1 25	चर्चा पूरी नहीं हुई।
	चौदहवां सत्र				
		शून्य*			
	पन्द्रहवां सत्र				
		शून्य*			

*चौदहवें और पन्द्रहवें सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य (संकल्प) नहीं किया गया।

विवरण 41

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले

क्रम.सं.	सत्र	उठाए गए मामलों की कुल संख्या	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट
1	2	3	4	
1.	प्रथम सत्र (01.06.2009 से 09.06.2009)	37	00	02
2.	द्वितीय सत्र (02.07.2009 से 07.08.2009)	322	00	24
3.	तृतीय सत्र (19.11.2009 से 18.12.2009)	185	01	38
4.	चतुर्थ सत्र (22.02.2010 से 07.05.2010)	312	00	38
5.	पांचवां सत्र (26.07.2010 से 31.08.2010)	276	00	19
6.	छठा सत्र (09.11.2010 से 13.12.2010)	259	00	46

1	2	3	4	
7.	सातवां सत्र (22.02.2011 से 25.03.2011)	251	00	16
8.	आठवां सत्र (01.08.2011 से 08.09.2011)	325	00	20
9.	नौवां सत्र (22.11.2011 से 29.12.2011)	314	00	22
10.	दसवां सत्र (12.03.2012 से 22.05.2012)	434	00	28
11.	ग्यारहवां सत्र (08.08.2012 से 07.09.2012)	213	00	14
12.	बारहवां सत्र (22.11.2012 से 20.12.2012)	244	00	15
13.	तेरहवां सत्र (21.02.2013 से 08.05.2013)	377	00	24
14.	चौदहवां सत्र (05.08.2013 से 06.09.2013)	275	00	17
15.	पन्द्रहवां सत्र (05.12.2013 से 21.02.2014)	195	00	16
	कुल	4019	06	339

विवरण 42

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान (सत्र-वार) उठाए गए व्यवस्था संबंधी प्रश्न

क्रम.सं.	सत्र	उठाए गए व्यवस्था संबंधी प्रश्नों की संख्या	अध्यक्षपीठ द्वारा मान्य व्यवस्था संबंधी प्रश्न	अध्यक्षपीठ द्वारा अमान्य व्यवस्था संबंधी प्रश्न	व्यवस्था संबंधी प्रश्न जिनके बारे में कोई विनिर्णय नहीं लिया गया	लिया गया समय	
						घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	
1.	प्रथम सत्र	01	00	01	00	0	01
2.	द्वितीय सत्र	07	01	03	03	0	14
3.	तृतीय सत्र	08	00	05	03	0	10
4.	चतुर्थ सत्र	06	02	01	03	0	06
5.	पांचवां सत्र	07	01	02	04	0	14
6.	छठा सत्र	02	01	01	00	0	02
7.	सातवां सत्र	09	01	02	06	0	11
8.	आठवां सत्र	07	00	03	04	0	13
9.	नौवां सत्र	02	00	01	01	0	11
10.	दसवां सत्र	01	01	00	00	0	03
11.	ग्यारहवां सत्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
12.	बारहवां सत्र	04	00	04	00	0	45

1	2	3	4	5	6	7	
13.	तेरहवां सत्र	02	01	01	00	0	36
14.	चौदहवां सत्र	02	00	02	00	0	13
15.	पन्द्रहवां सत्र	03	00	02	01	0	18
	कुल	61	08	28	25	3	17

विवरण 43

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान प्रश्नकाल (शून्य काल) के पश्चात् उठाए गए अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले

क्रम.सं.	सत्र	उठाए गए मामलों की कुल संख्या	मामले उठाने वाले सदस्यों की संख्या	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1.	प्रथम सत्र (01.06.2009 से 09.06.2009)	08	12	0	25
2.	दूसरा सत्र (02.07.2009 से 07.08.2009)	280	362	14	16
3.	तीसरा सत्र (19.11.2009 से 18.12.2009)	224	286	10	41
4.	चौथा सत्र (22.02.2010 से 07.05.2010)	213	298	10	28
5.	पांचवां सत्र (26.07.2010 से 31.08.2010)	314	450	16	33
6.	छठा सत्र (09.11.2010 से 13.12.2010)	23	27	01	48
7.	सातवां सत्र (21.02.2011 से 25.03.2011)	366	554	17	21
8.	आठवां सत्र (01.08.2011 से 08.09.2011)	307	518	13	17
9.	नौवां सत्र (22.11.2011 से 29.12.2011)	169	320	06	45
10.	दसवां सत्र (12.03.2012 से 22.05.2012)	634	1159	25	07
11.	ग्यारहवां सत्र (08.08.2012 से 07.09.2012)	70	196	03	15
12.	बारहवां सत्र (22.11.2012 से 20.12.2012)	135	285	06	34
13.	तेरहवां सत्र (21.02.2013 से 08.05.2013)	244	417	10	01
14.	चौदहवां सत्र (05.08.2013 से 06.09.2013)	190	558	11	14
15.	पन्द्रहवां सत्र (एक) 05.12.2013 से 18.12.2013 (दो) 05.02.2014 से 21.02.2014	127	233	04	20
	कुल	3304	5675	152	05

7

विशेषाधिकार संबंधी मामले*

संसदीय व्यवहार में 'विशेषाधिकार' शब्द से ऐसे कतिपय अधिकार तथा उन्मुक्तियां अभिप्रेत हैं जो संसद की प्रत्येक सभा और उसकी समितियों को सामूहिक रूप से और प्रत्येक सभा के सदस्य को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं और जिनके बिना वे अपने कृत्यों का निर्वहन सार्थक ढंग से, प्रभावी रूप से तथा दक्षतापूर्वक नहीं कर सकते। संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य संसद की स्वतंत्रता, प्राधिकार और गरिमा की रक्षा करना है। ये विशेषाधिकार सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं क्योंकि सभा अपने सदस्यों की सेवाओं के निर्बाध प्रयोग के बिना अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकती। प्रत्येक सभा को भी ये विशेषाधिकार अपने सदस्यों के संरक्षण तथा स्वयं अपने प्राधिकार और गरिमा की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से प्राप्त हैं। यद्यपि, ये विशेषाधिकार व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को उस सीमा तक प्राप्त हैं जहां तक कि वे सभा के कृत्यों के बिना किसी रुकावट या बाधा के स्वतंत्रतापूर्वक निर्वहन के लिए आवश्यक हैं परंतु वे संसद सदस्यों को समाज के प्रति उन दायित्वों से उन्मुक्त नहीं करते जो अन्य नागरिकों पर लागू होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार, कानूनों के लागू होने के मामले में किसी भी संसद सदस्य को साधारण नागरिक की तुलना में भिन्न स्तर पर नहीं रखते, जब तक कि स्वयं संसद के हित में ऐसा करने के लिए पर्याप्त ठोस कारण न हों।

संसद की प्रत्येक सभा तथा उसके सदस्यों और उसकी समितियों को प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण विशेषाधिकार हैं: संसद में वाक् स्वातंत्र्य; संसद में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिए हुए किसी मत के संबंध में किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्यवाही से उन्मुक्ति; संसद की किसी भी सभा द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मत या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की कार्यवाही से उन्मुक्ति; संसद की कार्यवाही के संबंध में न्यायालयों द्वारा जांच पर प्रतिषेध और दीवानी मुकदमों के मामलों में सदस्यों को सभा के सत्र के दौरान तथा उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तथापि, गिरफ्तारी से उन्मुक्ति का विशेषाधिकार शासकीय आदेश द्वारा सांविधिक प्राधिकार के अधीन निवारक गिरफ्तारी अथवा निरोध के मामलों में और आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता।

जब कोई व्यक्ति अथवा प्राधिकारी या तो व्यक्तिगत रूप से सदस्यों के अथवा समष्टि रूप से सभा के विशेषाधिकारों, अधिकारों और उन्मुक्तियों की अवहेलना करता है अथवा उन पर कुठाराघात करता है तो इसे विशेषाधिकार भंग कहा जाता है और यह सभा द्वारा दंडनीय है। विशिष्ट विशेषाधिकारों के भंग के अतिरिक्त ऐसे कार्य भी, जो सभा के प्राधिकार अथवा गरिमा के प्रतिकूल हों, जैसे उसके वैध आदेशों की अवज्ञा अथवा स्वयं उसके सदस्यों या अधिकारियों के संबंध में अपमानजनक लेख, सभा की अवमानना के समान ही दंडनीय है।

सभा की अवमानना की परिभाषा सामान्यत: इस प्रकार की जा सकती है—कोई कार्य या भूल जिससे संसद की किसी सभा द्वारा उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा या रुकावट पड़ती हो, अथवा जिससे सभा के किसी सदस्य या अधिकारी द्वारा किए जा रहे उसके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पड़ती हो या जिससे प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: ऐसे परिणाम हो सकते हों। संसद की अवमानना के कुछ विशिष्ट मामले इस प्रकार हैं: सभा, उसकी समितियों या उसके सदस्यों पर आक्षेप करने वाले भाषण अथवा लेख, अध्यक्ष के कर्तव्य के निर्वहन को लेकर उसके चरित्र और निष्पक्षता पर आक्षेप; सभा की कार्यवाही का वृत्तांत गलत अथवा तोड़-मरोड़ कर प्रकाशित करना; सभा में सदस्यों के आचरण के कारण उन्हें उत्पीड़ित करना अथवा सदस्यों को अपने कर्तव्य का पालन करते समय अथवा सभा या उसकी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए जाते या आते समय उनके रास्ते में रुकावट डालना; सदस्यों के संसदीय आचरण को प्रभावित करने के लिए उन्हें रिश्वत देना और सदस्यों के संसदीय आचरण के संबंध में उन्हें डराना, धमकाना।

विशेषाधिकार के किसी प्रश्न पर स्वयं सभा ही विचार कर सकती है और निर्णय ले सकती है अथवा किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर उसे विशेषाधिकार समिति को जांच, परीक्षण करने तथा उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सौंपा जा सकता है। तथापि, सामान्य प्रथा यह है कि विशेषाधिकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाता है और सभा उस संबंध में अपना निर्णय समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत होने तक सुरक्षित रखती है। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष स्वत: विशेषाधिकार के किसी प्रश्न को जांच, परीक्षण और प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंप सकता है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान उठाए गए विशेषाधिकार संबंधी मामले

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान विशेषाधिकार भंग के सत्रह नोटिसों को लोक सभा अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार समिति को परीक्षण एवं प्रतिवेदन हेतु सौंपा गया था। समिति ने विशेषाधिकार के चार मामलों

*लोक सभा सचिवालय की विशेषाधिकार और आचार शाखा के सौजन्य से।

में अपना प्रतिवेदन सौंपा। विशेषाधिकार समिति को सौंपे गए उन मामलों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है जिनके संबंध में लोक सभा अध्यक्ष को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और तत्पश्चात् जिसे सभा पटल पर रखा गया:-

1. एक संसद सदस्य और केंद्रीय मंत्रिपरिषद् में राज्य मंत्री का उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जिला प्राधिकारियों द्वारा कथित रूप से हिरासत में लिया जाना और इसकी जानकारी लोक सभा अध्यक्ष को न दिया जाना। अध्यक्ष द्वारा इस मामले को विशेषाधिकार समिति को 5 मार्च, 2010 को सौंपा गया था। समिति ने अध्यक्ष को 28 फरवरी, 2011 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे 4 मार्च, 2011 को सभा पटल पर रखा गया। समिति ने सिफारिश की कि तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री चरणजीत सिंह बख्शी और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री पी.के. मिश्रा द्वारा इस सिलसिले में कर्तव्य पालन में लापरवाही, जिसका परिणाम विशेषाधिकार भंग और सभा के अवमानना के रूप में सामने आया, के मुद्दे पर समिति की गहरी अप्रसन्नता को इस संबंध में समुचित कार्रवाई हेतु कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सचिव तथा गृह मंत्रालय के सचिव के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को सूचित किया जाए। समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (गृह), कुंवर फतह बहादुर के आचरण की भी घोर निंदा की। समिति ने आगे निदेश दिया कि समिति की गहरी अप्रसन्नता की जानकारी समुचित कार्रवाई हेतु उनके संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी अर्थात् कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सचिव को दी जाए। सचिवालय द्वारा तद्नुसार कार्रवाई की गयी।

2. अध्यक्ष द्वारा तीन मामलों, अर्थात् (एक) संसद सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार उल्लंघन और अशिष्ट व्यवहार; (दो) अग्रता-अधिपत्र (वारंट ऑफ प्रिसिडेंस) में संसद-सदस्यों के अग्रता-क्रम में संशोधन; और (तीन) अग्रता-अधिपत्र (वारंट ऑफ प्रिसिडेंस) में लोक सभा के पूर्व अध्यक्षों को शामिल करना; को परीक्षण और प्रतिवेदनार्थ विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था। समिति ने अध्यक्ष को 28 नवंबर, 2011 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उसे 30 नवम्बर, 2011 को सभा पटल पर रखा गया।

(एक) सरकारी अधिकारियों द्वारा संसद सदस्यों के साथ नयाचार उल्लंघन और अशिष्ट व्यवहार का मुद्दा

समिति ने सिफारिश की कि:

(क) 'प्रशासन तथा संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के बीच सरकारी कार्य-संव्यवहार' के अंतर्गत विहित समुचित प्रक्रिया के पालन के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण (डीओपीटी) विभाग द्वारा जारी किए गए समेकित परिपत्र को राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों के अगले सम्मेलन के दौरान उक्त समेकित परिपत्र में अंतर्विष्ट दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर दंड के प्रावधान के विशेष संदर्भ में मुख्य सचिवों के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाए;

(ख) मुख्य सचिवों को राज्य सरकार के विभागों के सचिवों के साथ यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैठकें करने का निदेश दिया जाना चाहिए कि उक्त समेकित परिपत्र में अंतर्विष्ट दिशानिर्देशों/अनुदेशों के कड़ाई से पालन हेतु जिला स्तर के सभी अधिकारियों को बताया जाए; और

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अखिल भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित उम्मीदवारों हेतु विद्यमान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार पालन और शिष्ट व्यवहार के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों तथा इनके कड़ाई से अनुपालन की आवश्यकता को भी शामिल किया जाए। इसी प्रकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अपर अधीनस्थ व कवर अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों, जो राज्य लोक सेवा आयोगों के माध्यम से चयनित होते हैं, के लिए समरूप प्रशिक्षण देने का निदेश राज्य सरकारों को दे।

(दो) अग्रता-अधिपत्र में संसद सदस्यों के अग्रता-क्रम का मुद्दा

समिति ने सिफारिश की कि:

(क) संसद सदस्यों को अग्रता-अधिपत्र में उनकी क्रम संख्या 21 के वर्तमान क्रम के बजाय क्रमोन्नति कर क्रम संख्या 17 पर रखा जाए; और

(ख) संसदीय समितियों के सभापतियों, जो संसद-सदस्य भी हैं, को अग्रता-अधिपत्र के क्रम संख्या 17 में संसद-सदस्यों से ऊपर रखने की सिफारिश की गई है।

(तीन) अग्रता अधिपत्र में लोक सभा के पूर्व अध्यक्षों को शामिल करने संबंधी मुद्दा

लोक सभा के पूर्व अध्यक्षों को अग्रता अधिपत्र में विशिष्ट व्यक्तियों को स्थान नहीं मिला है, इसलिए समिति ने सिफारिश

की कि पूर्व अध्यक्षों को अग्रता अधिपत्र के क्रम संख्या 7 में रखा जाना चाहिए।

मंत्रालयों अर्थात् कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय को सिफारिशों के बारे में सूचित कर दिया गया। केवल डीओपीटी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) ने प्रशासन और संसद सदस्यों के मध्य सरकारी कार्यों संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश निकाला है।

3. अध्यक्ष, लोक सभा पर आक्षेप लगाने और आभ्यारोपित करने हेतु समाचार पत्र 'द स्टेट्समैन' ने दिनांक 24 नवंबर, 2011 को अपने नई दिल्ली संस्करण में 'राइट टू रिजाइन' शीर्षक के अंतर्गत लेख प्रकाशित किया जिस पर श्री असादूद्दीन ओवैसी, श्री जगदम्बिका पाल और श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर ने उक्त समाचार के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी। अध्यक्ष महोदया ने 28 नवंबर, 2011 को यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेज दिया। अध्यक्ष महोदया को 31 दिसम्बर, 2012 को समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और 26 फरवरी, 2013 को इसे सभा पटल पर रखा गया।

समिति ने टिप्पणी की कि निन्दा लेख में अनेक उद्धरण न तो उचित टिप्पणी थी और न ही युक्तिसंगत आलोचना थी और यह देख अध्यक्ष महोदया के लिए अपमानजनक, क्षतिकारक है और उनकी निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगाने वाला था।

'द स्टेट्समैन' के संपादक और प्रबंध निदेशक की क्षमा याचना को स्वीकार करते हुए समिति ने टिप्पणी की कि उन्हें इस प्रकार के पत्रकारी अपराधों से बचना चाहिए और उचित संयम रखना चाहिए तथा अध्यक्ष, लोक सभा जैसे संवैधानिक अधिकारी पर टिप्पणी करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

4. डॉ. (श्रीमती) प्रभा किशोर ताविआड, संसद सदस्य ने जिला दाहोद, गुजरात के पुलिस अधिकारियों द्वारा उन पर किए कथित हमले के संबंध में विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी। अध्यक्ष महोदया ने 3 मई, 2012 को यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। 5 सितंबर, 2013 को समिति का प्रतिवेदन अध्यक्ष महोदया को प्रस्तुत किया गया और इसे 6 सितम्बर, 2013 को सभा पटल पर रखा गया। डॉ. (श्रीमती) प्रभा किशोर ताविआड, संसद सदस्य के विरोध के समय उनके साथ असावधानीवश हुई उपहति के लिए पुलिस अधीक्षक, दाहोद द्वारा व्यक्त बिना शर्त और पूर्ण क्षमा याचना को समिति ने स्वीकार कर लिया।

तथापि, समिति ने दाहोद के डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए व्यवहार पर अत्यधिक अप्रसन्नता व्यक्त की जिनके अति-उत्साहित रवैये के कारण डॉ. (श्रीमती) प्रभा किशोर ताविआड, संसद सदस्य का अपमान हुआ। तद्नुसार, समिति ने डी.एस.पी., दाहोद के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने की सिफारिश की। समिति ने पुलिस अधिकारियों द्वारा सदस्य के विरुद्ध आवश्यकता से अधिक और परिहार्य पुलिस बल के प्रयोग की भी निंदा की। उपयुक्त कार्यवाही के लिए सिफारिशें गुजरात सरकार को प्रेषित कर दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित मामले भी समिति को विचारार्थ भेजे गए:-

- विशेषाधिकार समिति, दूसरी लोक सभा द्वारा अपने छठे प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसार संसद की एक सभा के सदस्य का साक्ष्य देने के लिए अन्य सभा अथवा उसकी किसी समिति के समक्ष उपस्थित होने की प्रक्रिया की समीक्षा।

- कुमारी मीनाक्षी नटराजन, संसद सदस्य द्वारा श्री राजनाथ सिंह, संसद सदस्य के विरुद्ध श्रीमती सोनिया गांधी, संसद सदस्य पर राजीव गांधी न्यास के लिए हरियाणा के किसानों से जबरन भूमि अर्जन किए जाने की आधारहीन और झूठे आरोपों के लिए दिनांक 19 अगस्त, 2011 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।

- श्रीमती सुमित्रा महाजन, संसद सदस्य और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति की सभापति द्वारा उपायुक्त, अमृतसर के विरुद्ध समिति को गलत जानकारी अग्रेषित करने के संबंध में शिकायत।

- श्री हुक्मदेव नारायण यादव, संसद सदस्य द्वारा गृह राज्य मंत्री के विरुद्ध नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए गए मामलों के बारे में तथाकथित भ्रामक उत्तर देने, तथा साथ ही उत्तर के हिंदी संस्करण की बजाय अंग्रेजी संस्करण प्रदान करने के संबंध में दिनांक 16 अगस्त, 2011 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।

- श्री हुक्मदेव नारायण यादव, संसद सदस्य द्वारा निदेश 115 के तहत दी गई सूचना का उत्तर हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 15 मार्च, 2012 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।

- श्री सज्जन सिंह वर्मा तथा श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्यों द्वारा श्री अरविन्द केजरीवाल के विरुद्ध संसद सदस्यों के बारे में अपमानजनक, मानहानिकारक तथा अभद्र टिप्पणी करने के लिए दिनांक 12 तथा 26 मार्च, 2012 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।

- लखनऊ क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट और उपमहानिरीक्षक द्वारा श्री मुलायम सिंह यादव, संसद सदस्य और श्री अखिलेश यादव, संसद सदस्य को उनके लखनऊ स्थित आवास के बाहर बैरिकेड लगाकर और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करके उन्हें जबरन निरुद्ध करने हेतु उनके विरुद्ध, दिनांक 7 और 8 मार्च, 2011 को श्री मुलायम सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।

- श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली, संसद सदस्य एवं सभापति, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति द्वारा तेलुगू समाचार पत्र "आंध्र ज्योति" के विरुद्ध कथित रूप से उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनकी छवि धूमिल करने तथा उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आशय से एक लेख प्रकाशित करने के लिए दिनांक 4 मई, 2012 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।

- श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल, संसद सदस्य द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), अलीगढ़ तथा अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उनके साथ दुर्व्यवहार करने तथा उनको अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन से रोकने के संबंध में दिनांक 7 सितम्बर, 2009 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।

- श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला, संसद सदस्य द्वारा 'गुजरात समाचार' नामक समाचार पत्र के विरुद्ध कथित रूप से उनकी छवि को खराब करने के समाचार जिसमें उनके विरुद्ध एक मानहानिकारक समाचार प्रकाशित किया था और जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने लोक सभा में विपक्ष के नेता के कार्यालय से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब किये हैं, के संबंध में दिनांक 12 मार्च, 2013 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।

- श्री पोन्नम प्रभाकर, संसद सदस्य, डॉ. मन्दा जगन्नाथ, संसद सदस्य और 5 अन्य संसद सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के विरुद्ध तेलंगाना मामले पर चर्चा करने के लिए उनसे मिलने की अनुमति न देकर कथित रूप से उन्हें अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के संबंध में दिनांक 4 अक्तूबर, 2012, 10 दिसम्बर, 2012 और 12 मार्च, 2013 को दी विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं।

- श्री सिराजुद्दीन अजमल, विधायक, असम विधान सभा तथा सभा के 17 अन्य विधायकों द्वारा श्री राजेन गोहैन, संसद सदस्य के विरुद्ध असम विधान सभा में मुख्य विपक्षी दल— ऑल इंडिया यूनाइटिड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के इन 18 विधायकों को कथित रूप से 'बांग्लादेशी' करार दिए जाने के संबंध में दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना का अध्यक्ष, असम विधान सभा द्वारा संदर्भ।

- श्री राज बब्बर, संसद सदस्य और रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सभापति द्वारा 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के संपादक और संबंधित संवाददाता के विरुद्ध उन पर, लोक सभा अध्यक्ष पर और रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्यों पर लांछन लगाने के अलावा समिति की कार्यवाही की विषय-वस्तु को समयपूर्व लीक करने/प्रकाशित करने के संबंध में दिनांक 15 अक्तूबर और 25 अक्तूबर, 2013 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं।

- सदन में 13 फरवरी, 2014 को श्री एल. राजगोपाल, संसद सदस्य द्वारा मिर्च स्प्रे द्वारा तथा कुछ अन्य सदस्यों द्वारा उच्छृंखल कार्य/व्यवहार के माध्यम से सदन की अवमानना किया जाना।

इसके अतिरिक्त, दल-बदल से संबंधित निम्नांकित मामले समिति को सौंपे गए:—

- प्रो. रंजन प्रसाद यादव, संसद सदस्य तथा लोक सभा में जद(यू) के उप-नेता द्वारा श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य के विरुद्ध संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन दी गई याचिका।

- प्रो. रंजन प्रसाद यादव, संसद सदस्य तथा लोक सभा में जद(यू) के उप-नेता द्वारा श्री मंगनी लाल मंडल, संसद सदस्य के विरुद्ध संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन दी गई याचिका।

- प्रो. रंजन प्रसाद यादव, संसद सदस्य तथा लोक सभा में जद(यू) के उप-नेता द्वारा श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, संसद सदस्य के विरुद्ध संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन दी गई याचिका।

- श्री अजित सिंह, संसद सदस्य द्वारा श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल, संसद सदस्य के विरुद्ध संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन दी गई याचिका।

- श्री अजित सिंह, संसद सदस्य द्वारा श्री देवेन्द्र नागपाल, संसद सदस्य के विरुद्ध संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन दी गई याचिका।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान सभा में उठाए गए विशेषाधिकार के मामले

क्रम. सं.	संक्षिप्त विषय	मामले को उठाने वाले सदस्य का नाम	सभा के समक्ष मामले को उठाने की तिथि	लिया गया समय घं. मि.	अध्यक्षपीठ/सभा का निर्णय
1	2	3	4	5	6
1.	एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा डालने के लिए उपायुक्त, अमृतसर के विरुद्ध दिनांक 19 नवम्बर, 2009 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	24.11.2009	01 मिनट	अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से तथ्यात्मक टिप्पण प्राप्त होने के बाद विशेषाधिकार के प्रश्न पर निर्णय लिया जाएगा।
2.	लखनऊ में उनके आवास के बाहर बैरीकेड लगाकर और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करके उन्हें जबरन निरुद्ध करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), लखनऊ और डीआईजी, लखनऊ रेंज के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।	श्री मुलायम सिंह यादव	08.3.2011	01 मिनट	अध्यक्ष ने 3 मई, 2012 को यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया।
3.	श्री अखिलेश यादव, संसद सदस्य द्वारा लखनऊ एअरपोर्ट पर उनके साथ दुर्व्यवहार और उन्हें जबरन निरुद्ध करने तथा उन्हें जेल में डालने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों तथा लखनऊ के जिला प्रशासन के विरुद्ध दिनांक 14 मार्च, 2011 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।	श्री मुलायम सिंह यादव, श्री शैलेन्द्र कुमार	15.3.2011	01 मिनट	अध्यक्षपीठ ने यह टिप्पणी की कि गृह मंत्रालय से तथ्यात्मक टिप्पण प्राप्त होने के बाद ही विशेषाधिकार के प्रश्न पर निर्णय लिया जाएगा।
4.	दो निजी कंपनियों के अधिकारियों के विरुद्ध उन्हें रिश्वत देने और इसे लेने से इंकार करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के लिए विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम	15.3.2011	01 मिनट	अध्यक्षपीठ ने टिप्पणी की कि यह मामला विचाराधीन है।
5.	उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और राज्य पुलिस के विरुद्ध उनके आवास और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उन्हें उनके संसदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।	श्री लालजी टन्डन	15.3.2011	01 मिनट	—

1	2	3	4	5	6
6.	इलाहाबाद में उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करके उन्हें जबरन निरुद्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।	श्री रेवती रमन सिंह	16.3.2011	01 मिनट	अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि इस मामले में तथ्यात्मक टिप्पण मांगा गया है और इसके प्राप्त होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
7.	माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के विरुद्ध सभा को गुमराह करने और विशेषाधिकार का हनन करने के लिए दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।	श्रीमती सुषमा स्वराज	22.3.2011	01 मिनट	अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि यह मामला विचाराधीन है।
8.	अजमेर और मालेगांव बम-धमाकों में उनकी संलिप्तता की खबर प्रचारित करने के लिए "टाइम्स नाऊ" टीवी न्यूज चैनल तथा अन्य प्रेस रिपोर्टों के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।	श्री योगी आदित्यनाथ	23.3.2011	01 मिनट	अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि यह मामला विचाराधीन है।
9.	संसद सदस्यों के बारे में अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणियां करने के लिए श्री अरविन्द केजरीवाल के विरुद्ध श्री सज्जन वर्मा और श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्यों द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2012 तथा 26 मार्च, 2012 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।	श्री शरद यादव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री दारा सिंह चौहान, डॉ. एम. तम्बिदुरई, श्री शरीफुद्दीन शारिक, डॉ. फारूख अब्दुल्ला, श्री टी.के. एस. इलेंगोवन, श्री हुक्मदेव नाराण यादव, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री आनंदराव अडसुल	27.3.2012	01 घंटा	अध्यक्ष ने 11 अप्रैल, 2012 को यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया।
10.	संसद सदस्यों के बारे में अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणियां करने के लिए कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध श्री शैलेन्द्र कुमार, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 15 मई, 2012 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।	श्री शैलेन्द्र कुमार	2.5.2012	02 मिनट	अध्यक्षपीठ ने टिप्पणी की कि यह सूचना माननीय अध्यक्ष को पहले ही दी जा चुकी है। अत: कृपया निर्णय की प्रतीक्षा करें।
11.	डॉ. प्रभा किशोर ताविआड, संसद सदस्य द्वारा दाहोद जिला, गुजरात के पुलिस अधिकारियों द्वारा 1 मई, 2012 को उन पर कथित हमला करने के लिए दिनांक 2 मई, 2012 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।	डॉ. गिरिजा व्यास और डॉ. प्रभा किशोर ताविआड	2.5.2012	02 मिनट	अध्यक्ष ने 3 मई, 2012 को यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। समिति का यह प्रतिवेदन 5 सितम्बर, 2013 को अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था और 6 सितम्बर, 2013 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था

1	2	3	4	5	6
12.	श्री विष्णुपद राय, संसद सदस्य द्वारा गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के विरुद्ध उनके द्वारा दुर्व्यवहार करने और उन पर हमला करने हेतु दिनांक 15 मई, 2012 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।	श्री विष्णुपद राय	10.5.2012 और 16.5.2012	04 मिनट 02 मिनट	अध्यक्ष ने यह मामला दिनांक 5 अक्तूबर, 2012 को लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति के पास भेजा। समिति ने अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 को प्रस्तुत की और दिनांक 6 फरवरी, 2014 को सभा पटल पर रखी।
13.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, संसद सदस्य द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के विरुद्ध राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 'आशा' कार्यकर्त्ताओं को दिए जाने वाले मासिक भत्ते के संबंध में दिनांक 11 मई, 2012 के उनके अतारांकित प्रश्न संख्या 5975 के संबंध में जानबूझ कर गलत उत्तर देकर सभा को कथित तौर पर गुमराह करने के लिए दिनांक 11 मई, 2012 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	15.5.2012	02 मिनट	अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, संसद सदस्य की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के विरुद्ध राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 'आशा' कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मासिक भत्ते के संबंध में दिनांक 11 मई, 2012 के उनके अतारांकित प्रश्न संख्या 5975 के संबंध में जानबूझ कर गलत उत्तर देकर सभा को कथित तौर पर गुमराह करने के लिए दिनांक 11 मई, 2012 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई है और यह मामला जांचाधीन है।
14.	श्री गुरुदास दासगुप्त और 5 अन्य संसद सदस्यों द्वारा नागर विमानन मंत्री के विरुद्ध संसद सत्र के समय नागर विमानन क्षेत्र में नीति परिवर्तनों के संबंध में सभा के बाहर कथित रूप से वक्तव्य देने हेतु दिनांक 15 मई, 2012 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।	श्री बसुदेव आचार्य, श्री गुरुदास दासगुप्त, श्री अनंत कुमार	15.5.2012	02 मिनट	अध्यक्षपीठ ने यह टिप्पणी की कि "चूंकि यह मामला माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है अत: इसे आज नहीं अपितु कल विचार के लिए लिया जाएगा।" अध्यक्षपीठ ने आगे यह भी टिप्पणी की कि "मुझे बताया गया है कि विशेषाधिकार की सूचना समय समाप्त होने के बाद दी गई थी। अत: यह कल विचार करने के लिए वैध है।"
15.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, संसद सदस्य द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्री के विरुद्ध 'पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने' के संबंध में दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3424 के संबंध में कथित तौर पर गलत उत्तर दिए जाने हेतु दिनांक 21 मई, 2012 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	22.5.2012	01 मिनट	अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, संसद सदस्य द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्री के विरुद्ध 'पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने' के संबंध में दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3424 के संबंध में कथित तौर पर गलत उत्तर दिए जाने हेतु दिनांक 21 मई, 2012 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना जांचाधीन है।
16.	श्री एम.बी. राजेश द्वारा सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के विरुद्ध उन पर और श्री एम. पी. अच्युतन, संसद सदस्य पर कथित तौर पर हमला करने के लिए दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।	श्री एम.बी. राजेश	19.2.2014	02 मिनट	अध्यक्ष ने सम्पूर्ण सभा की ओर से इस घटना की स्पष्ट शब्दों में निंदा की क्योंकि यह संसद सदस्यों की सुरक्षा और गरिमा से संबंधित है। अध्यक्ष ने इसका संज्ञान लिया और उन्हें एक लिखित शिकायत भेजने के लिए कहा जिस पर कार्यवाही की जाएगी।

8

स्वत: दिए गए वक्तव्य/सभा पटल पर रखे गए पत्र

मंत्रियों द्वारा स्वत: दिए गए वक्तव्य

लोक महत्व के मामलों के बारे में सभा को सूचित करने या सामयिक महत्व के किसी विषय के संबंध में सरकार की नीति के बारे में सभा को अवगत कराने के लिए, मंत्री, अध्यक्ष की सम्मति से लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 372 के अंतर्गत, समय-समय पर, सभा में वक्तव्य देते हैं।

नियमानुसार, किसी मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के पश्चात् कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि सभा के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं होता है जिस पर वाद-विवाद किया जा सके।

संसद को देश की सभी गंभीर घटनाओं के बारे में यथाशीघ्र अवगत कराने के लिए एक परम्परा का अनुसरण किया जाता है कि मंत्रीगण सभा में ऐसी घटनाओं के बारे में स्वत: वक्तव्य देते हैं। एक सामान्य परम्परा के अनुसार, यदि सभा का सत्र चल रहा हो तो प्रेस या जनता के लिए जारी करने से पूर्व नीति संबंधी वक्तव्य सभा में दिए जाते हैं।

अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 73क के अनुसार संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय के संबंध में लोक सभा की विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में सभा में छ: महीने में एक बार वक्तव्य देगा।

विवरण 45 में पन्द्रहवीं लोक सभा की अवधि के दौरान नियम 372 और अध्यक्ष द्वारा नियम 73क के तहत जारी निदेश और सरकारी कार्यों के संबंध में संसदीय कार्य मंत्रियों द्वारा दिए गए निदेशों के अंतर्गत मंत्रियों द्वारा दिए गए/सभा पटल पर रखे गए 597 वक्तव्यों के ब्यौरे दिए गए हैं।

नीचे दिए गए ग्राफ में पन्द्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए/सभा पटल पर रखे गए वक्तव्यों को दर्शाया गया है।

नियम 372 और अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 73क के अंतर्गत मंत्रियों द्वारा स्वत: दिए गए/सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य (आठवीं से पन्द्रहवीं लोक सभा)

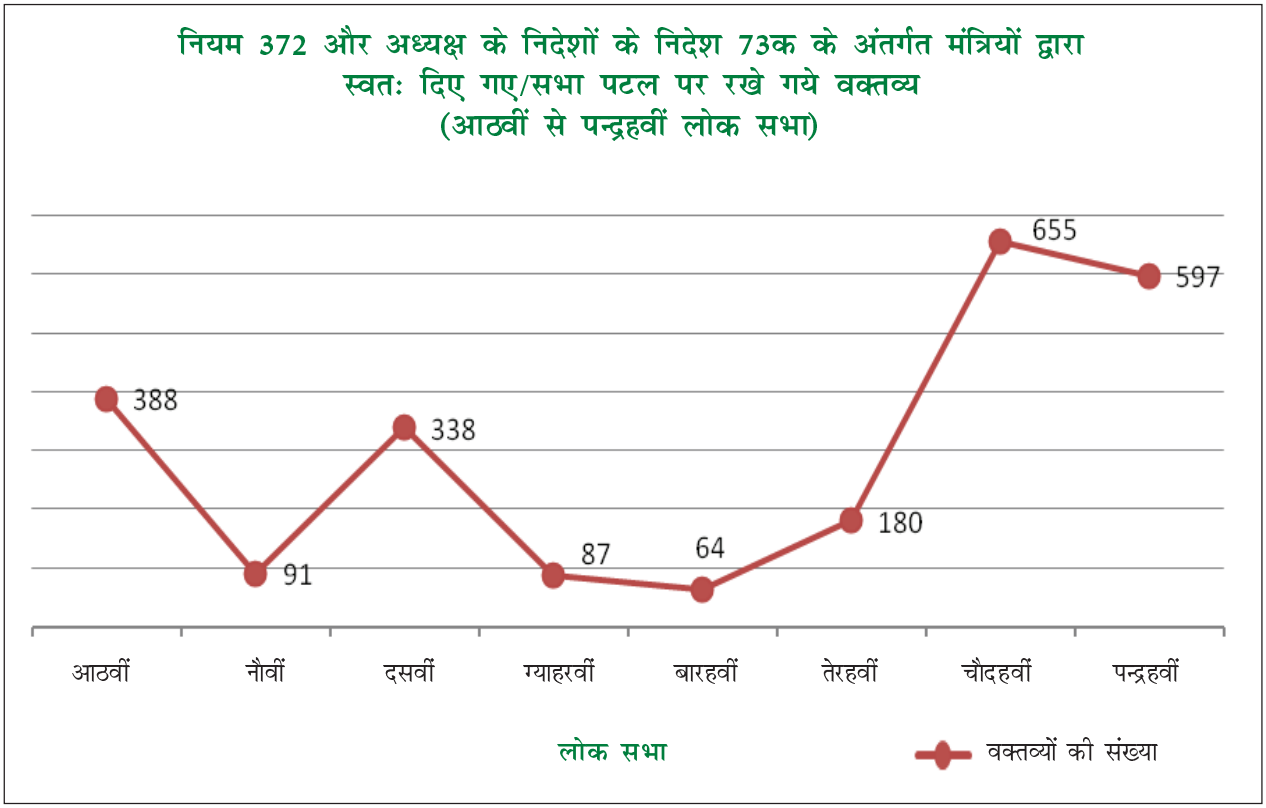

सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसद के संदर्भ में 'सभा पटल पर रखे गए पत्रों' का अर्थ कोई ऐसे दस्तावेज, वक्तव्य, प्रतिवेदन, नियम और विनियम, सरकारी अधिसूचनाएं आदि हैं जिन्हें रिकॉर्ड में लाने के लिए सभा पटल पर रखा जाता है। इसका प्रयोजन सभा में विभिन्न मामलों पर चर्चा हेतु आधार तैयार करने के दृष्टिगत संसद को आधिकारिक तथ्य उपलब्ध कराना है।

लोक सभा के पास अपनी जानकारी हेतु आवश्यक सभी पत्रों को सभा पटल पर रखवाने का आदेश देने का अधिकार है। यद्यपि, सभी पत्रों को सामान्यत: संविधान, विभिन्न केन्द्रीय सांविधियों तथा, सभा के प्रक्रिया नियमों में अंतर्विष्ट विशेष प्रावधानों, समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा जारी निदेशों और इस संबंध में सुस्थापित पद्धतियों एवं परम्पराओं तथा विभिन्न संसदीय समितियों की सिफारिशों के अनुपालन में सभा पटल पर रखा जाता है।

संविधान के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए पत्र

संविधान के विभिन्न उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे जाते हैं:—

(एक) बजट और अन्य संबंधित दस्तावेज (अनुच्छेद 112);

(दो) अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (अनुच्छेद 115);

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश (अनुच्छेद 123);

(चार) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (अनुच्छेद 151);

(पांच) वित्त आयोग के प्रतिवेदन (अनुच्छेद 281);

(छह) संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन (अनुच्छेद 323);

(सात) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन (अनुच्छेद 338);

(आठ) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदन (अनुच्छेद 338क);

(नौ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदन (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13);

(दस) पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन (अनुच्छेद 340);

(ग्यारह) भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी के प्रतिवेदन (अनुच्छेद 350ख);

(बारह) राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने संबंधी उद्घोषणाएं (अनुच्छेद 356) और संबंधित दस्तावेज अर्थात् राज्यपाल का प्रतिवेदन;

(तेरह) अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जारी राष्ट्रपति के आदेश;

(चौदह) आपातकाल की उद्घोषणा (अनुच्छेद 352); और

(पन्द्रह) वित्तीय संकट के संबंध में उद्घोषणा (अनुच्छेद 360)।

संविधियों के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए पत्र

विभिन्न संविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे जाते हैं:—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सम्मिलित अथवा संसद द्वारा विशिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत सृजित सरकारी उपक्रमों संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे;

(दो) संसद के विशिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत सृजित सरकारी उपक्रमों के अलावा, सांविधिक निकायों के प्रतिवेदन;

(तीन) प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा बनाए गए नियम, उप-नियम, विनियम, उप-विधियां; और

(चार) विभिन्न केन्द्रीय संविधियों के अंतर्गत जारी सरकारी संकल्प, सांविधिक या कार्यकारी आदेश या कोई अन्य पत्र।

प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए पत्र

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के पत्र सभा पटल पर रखे जाते हैं:—

(एक) विधेयकों पर प्रवर और संयुक्त समिति के प्रतिवेदन;

(दो) स्थायी संसदीय समितियों के प्रतिवेदन;

(तीन) याचिकाएं;

(चार) अध्यादेशों के बारे में विवरण;

(पांच) संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत संशोधनों के अनुसार उपांतरित नियम, विनियम आदि;

(छह) राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाए गए विधेयकों सहित राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक;

(सात) राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाए गए विधेयक; और

(आठ) अतारांकित प्रश्नों अथवा मौखिक उत्तर के लिए न लिए गए प्रश्नों के उत्तर।

अध्यक्ष के निदेश के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष द्वारा जारी निदेशों के अनुसरण में निम्नलिखित पत्रों का सभा पटल पर रखा जाना अपेक्षित है:—

(एक) आधे घंटे की चर्चाओं के उत्तर में ऐसी स्थिति में, जबकि इस प्रयोजनार्थ नियत समय में पूर्ण उत्तर न दिया गया हो, मंत्री द्वारा वक्तव्य;

(दो) विधेयकों, जिन्हें लोगों की राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया गया है, पर अभिमत;

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक;

(चार) किसी दिन की कार्य सूची हेतु एक से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं स्वीकृत किए जाने के प्रत्युत्तर में विवरण;

(पांच) स्थायी संसदीय समितियों की बैठकों के कार्यवाही सारांश; और

(छह) प्रवर अथवा संयुक्त समिति के प्रतिवेदनों से संबंधित दस्तावेज।

किसी ऐसे मंत्री द्वारा वक्तव्य जिसने त्यागपत्र दे दिया हो

कोई ऐसा सदस्य जिसने मंत्री पद से त्यागपत्र दे रखा है, अध्यक्ष की सम्मति से नियम 199 के अंतर्गत अपने त्यागपत्र की व्याख्या में व्यक्तिगत वक्तव्य दे सकता है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान **विवरण 45क** में दिए गए ब्यौरों के अनुसार तीन वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए।

संसदीय समिति की सिफारिश पर सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय समितियां सभा में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदनों में कभी-कभी यह सिफारिश कर सकती हैं कि कतिपय दस्तावेज, प्रतिवेदन, व्याख्यात्मक ज्ञापन आदि सभा पटल पर रखे जाएं। इन सिफारिशों के अनुसरण में संबद्ध पत्र सभा पटल पर रखे जाते हैं।

गैर-सरकारी सदस्य भी अध्यक्ष की अनुमति से सभा पटल पर कोई पत्र रख सकता है। इसलिए, जब कोई गैर-सरकारी सदस्य किसी दस्तावेज से कुछ उद्धृत करता है तो वह स्वयं अथवा सभा द्वारा मांग किये जाने पर उस दस्तावेज को सभा पटल पर रख सकता है। गैर-सरकारी सदस्य स्वयं द्वारा लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए संबंधित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखेगा।

सभा पटल पर रखे गए सभी पत्रों की प्रतिलिपियों को भावी संदर्भ के लिए संसदीय ग्रंथालय को भी भेजा जाता है। संबंधित मंत्रालयों से इन पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां भी प्राप्त की जाती है तथा उन्हें लोक सभा के मुख्य पृष्ठ पर जारी किया जाता है।

विवरण 46 में दिए गए ब्यौरों के अनुसार पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान कुल 23,952 पत्र सभा पटल पर रखे गए।

विवरण 45

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान नियम 372 और निदेश 73क के अंतर्गत मंत्रियों द्वारा स्वतः दिए गए/सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए सरकारी कार्यों संबंधी वक्तव्य

क्रम.सं.	संक्षिप्त विषय	मंत्री का नाम	तारीख	लिया गया समय	
				घं.	मि.
1	2	3	4	5	
		दूसरा सत्र			
1.	6 जुलाई, 2009 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	3.7.2009	00	06
2.	7 जुलाई, 2009 को काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए हमले की पहली वर्षगांठ के संबंध में।	श्री एस.एम. कृष्णा	7.7.2009	00	01
3.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 63वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. एस. जगतरक्षकन	7.7.2009	00	01
4.	हमारे पड़ोसी देशों में महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	9.7.2009	00	04
5.	उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत कुमार जेना	9.7.2009	00	01

1	2	3	4	5	
6.	13 जुलाई, 2009 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	10.7.2009	00	04
7.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई), कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. के.वी. थॉमस	14.7.2009	00	01
8.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 181वें और 200वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पृथ्वीराज चव्हाण	15.7.2009	00	01
9.	इटली, फ्रांस और मिस्र की यात्राओं के बारे में।	डॉ. मनमोहन सिंह	17.7.2009	00	09
10.	20 जुलाई, 2009 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	17.7.2009	00	08
11.	'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' के बारे में श्री रुद्रमाधव राय तथा डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 48 के 7.7.2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करना।	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	21.7.2009	00	01
12.	संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश मंत्री श्रीमती हिलेरी क्लिंटन की हाल में भारत यात्रा के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	21.7.2009	00	28
13.	बजट दस्तावेज में कतिपय कथित विसंगतियों के बारे में।	श्री पी. चिदम्बरम	23.7.2009	00	04
14.	'रेल सुरक्षा आयोग का कार्यकरण' के बारे में 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति के 98वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री प्रफुल्ल पटेल	23.7.2009	00	01
15.	पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) (मांग संख्या 92) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति के 126वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सुल्तान अहमद	24.7.2009	00	01
16.	पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) (मांग संख्या 93) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 136वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सुल्तान अहमद	24.7.2009	00	01
17.	27 जुलाई, 2009 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	24.7.2009	00	06

1	2	3	4	5	
18.	'रक्षा और संबद्ध सेवाओं में विवाहित आवास परियोजना की स्थिति' तथा 'सशस्त्र बलों में तनाव प्रबंधन' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 30वें और 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री ए.के. एंटनी	27.7.2009	00	01
19.	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के निर्माण स्थल पर 12.7.2009 को हुई दुर्घटना की जांच करने वाली उच्च स्तरीय समिति के प्रतिवेदन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय।	श्री एस. जयपाल रेड्डी	28.7.2009	00	05
20.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 202वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 205वें प्रतिवेदन के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री विलासराव देशमुख	30.7.2009	00	01
21.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सलमान खुर्शीद	30.7.2009	00	01
22.	वस्त्र मंत्रालय से संबंधित "देश में बुनकरों की सामान्य दशा—बुनकर बाहुल्य जोन का निर्णयजन्य अध्ययन" के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	30.7.2009	00	01
23.	वस्त्र मंत्रालय से संबंधित "हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं" के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	30.7.2009	00	01
24.	अपरिष्कृत और सफेद/परिष्कृत चीनी का आयात।	श्री शरद पवार	31.7.2009	00	03
25.	3 अगस्त, 2009 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	31.7.2009	00	06
26.	दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) स्थित विद्युत परियोजना को गैस की आपूर्ति के बारे में।	श्री मुरली देवरा	3.8.2009	00	07
27.	उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित, विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 196वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री कपिल सिब्बल	3.8.2009	00	01
28.	महानगर तथा मरुस्थल क्षेत्र में पुलिस गश्त के बारे में श्री अहीर विक्रमभाई अर्जनभाई मादम, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 432 के संबंध में 7.7.2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करना तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण।	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	4.8.2009	00	01

1	2	3	4	5	
29.	दिल्ली नगर निगम अधिकारियों द्वारा दौरों के बारे में श्री (कैप्टन) जय नारायण प्रसाद निषाद, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 के संबंध में 21.7.2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करना तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण।	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	4.8.2009	00	01
30.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई), कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) तथा (2008-09) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 28वें तथा 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री शरद पवार	4.8.2009	00	01
31.	पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग (डीएडीएफ), कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) तथा (2008-09) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 29वें तथा 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री शरद पवार	4.8.2009	00	01
32.	गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 132वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी समिति के 140वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	4.8.2009	00	01
33.	गृह मंत्रालय से संबंधित जम्मू और कश्मीर प्रवासियों के पुनर्वास के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री अजय माकन	4.8.2009	00	01
34.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित "ऑयल रिफाइनरीज—ए क्रिटिक" के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जितिन प्रसाद	4.8.2009	00	01
35.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सुबोध कांत सहाय	6.8.2009	00	01
36.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 77वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सलमान खुर्शीद	6.8.2009	00	01
37.	रेल मंत्रालय से संबंधित "योजना कार्यनिष्पादन की समीक्षा और 11वीं पंचवर्षीय योजना अनुमान" तथा "विशेष रेल संरक्षा कोष की समीक्षा" के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 40वें और 41वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री के.एच. मुनियप्पा	7.8.2009	00	01

1	2	3	4	5	
38.	लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित सीपीएसई के बोर्डों के व्यावसायीकरण पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 198वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री विलासराव देशमुख	7.8.2009	00	01
39.	उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) (मांग संख्या 58) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 207वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री कपिल सिब्बल	7.8.2009	00	01
		तीसरा सत्र			
40.	जयपुर, राजस्थान के सांगानेर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पीओएल डिपो में आग की घटना के बारे में।	श्री मुरली देवरा	20.11.2009	00	01
41.	23 नवम्बर, 2009 को आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	20.11.2009	00	01
42.	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन – "सौर भारत" के बारे में।	डॉ. फारूख अब्दुल्ला	23.11.2009	00	01
43.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'टेलीविजन ऑडिएन्स मेजरमेंट इन इंडिया' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री चौधरी मोहन जतुआ	24.11.2009	00	01
44.	30 नवम्बर, 2009 को आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	26.11.2009	00	04
45.	कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में पेयजल के रेडियोधर्मी संदूषण संबंधी मुद्दे के बारे में।	श्री पृथ्वीराज चव्हाण	3.12.2009	00	06
46.	प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	3.12.2009	00	17
47.	7 दिसम्बर, 2009 को आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	4.12.2009	00	07
48.	भारत में पहले मानव जीनोम को क्रमबद्ध किए जाने के बारे में।	श्री पृथ्वीराज चव्हाण	8.12.2009	00	01
49.	वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं और विनिवेश विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) तथा जाली करेंसी नोटों के परिचालन के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः 73वें और 79वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री नमो नारायन मीणा	11.12.2009	00	01

1	2	3	4	5	
50.	सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	11.12.2009	00	10
51.	रक्षा मंत्रालय से संबंधित "रक्षा उत्पादों का स्वदेशीकरण – सरकारी निजी भागीदारी" के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री ए.के. एंटनी	14.12.2009	00	01
52.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित "भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव" विषय पर कृषि संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री शरद पवार	15.12.2009	00	01
53.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 144वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री आर.पी.एन. सिंह	15.12.2009	00	01
54.	प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	16.12.2009	00	01
55.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05), (2006-07), (2007-08) और (2008-09) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: पहले, चौदहवें, उन्नीसवें और इकतीसवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पृथ्वीराज चव्हाण	16.12.2009	00	01
56.	कृषि मंत्रालय से संबंधित कृषि उपज के लिए मूल्य निर्धारण नीति के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. के.वी. थॉमस	17.12.2009	00	01
57.	जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पवन कुमार बंसल	18.12.2009	00	01
58.	पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 136वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 145वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सुल्तान अहमद	18.12.2009	00	01
		चौथा सत्र			
59.	'कर्नाटक में ताप विद्युत और पवन ऊर्जा संयंत्र' के बारे में श्री अदगुरू विश्वनाथ, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3589 के संबंध में 11.12.2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किया जाना तथा उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण।	श्री भरतसिंह सोलंकी	12.2.2010	00	01

1	2	3	4	5	
60.	'विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों पर व्यय' के बारे में श्री बी.वाई. राघवेन्द्र, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4014 के 15.12.2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करना और उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण।	श्री सी.एम. जतुआ	23.2.2010	00	01
61.	'पाकिस्तान में एक सिक्ख का सिर काटे जाने' के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	24.2.2010	00	02
62.	संस्कृति मंत्रालय से संबंधित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यकरण के बारे में 91वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 107वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. नारायणसामी	24.2.2010	00	02
63.	'ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हमले' के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	25.2.2010	00	01
64.	2 मार्च, 2010 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	25.2.2010	00	01
65.	भारत और पाकिस्तान के बीच 25 फरवरी, 2010 को हुई वार्ता के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	26.2.2010	00	01
66.	'दूरदर्शन की डीटीएच सेवा' के बारे में श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी, संसद सदस्य द्वारा 23.2.2010 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के दिए गए उत्तर में शुद्धि किया जाना।	श्री एस. जगतरक्षकन	3.3.2010	00	01
67.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में सरकार की नीति के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पृथ्वीराज चव्हाण	3.3.2010	00	01
68.	'प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा' के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	4.3.2010	00	01
69.	8 मार्च, 2010 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	5.3.2010	00	05
70.	'महिला सशक्तिकरण' के बारे में।	श्रीमती कृष्णा तीरथ	8.3.2010	00	01
71.	'जलवायु परिवर्तन' के बारे में।	श्री जयराम रमेश	9.3.2010	00	01
72.	'विमानन अवसंरचना' के बारे में श्री सुभाष वानखेड़े और डॉ. किरोड़ी लाल मीणा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 10 के 19 नवम्बर, 2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करना और उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण।	श्री जितिन प्रसाद	11.3.2010	00	01

1	2	3	4	5	
73.	'ऑटोमोटिव मिशन प्लान' के बारे में श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी और श्री पी. करुणाकरन द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 410 के 17 दिसम्बर, 2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करना और उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण।	श्री अरुण यादव	11.3.2010	00	01
74.	नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'रेल संरक्षा आयोग का कार्यकरण' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 98वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जितिन प्रसाद	11.3.2010	00	01
75.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित 'शहरी आवास' के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	कुमारी सैलजा	12.3.2010	00	01
76.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित देश में विमानपत्तनों, पत्तनों, आईसीडी, एलसीएस आदि तथा निर्यात उत्कृष्टता वाले नगरों में निर्यात अवसंरचना के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 91वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	15.3.2010	00	01
77.	श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कार्यकरण-पेंशन योजना' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री हरीश रावत	15.3.2010	00	01
78.	खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री बी.के. हान्डिक	16.3.2010	00	01
79.	19 अप्रैल, 2010 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	16.4.2010	00	01
80.	श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री हरीश रावत	19.4.2010	00	01
81.	'चीनी क्षेत्र को विनियंत्रित करना' के बारे में श्री अर्जुन सेठी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2989 के संबंध में 8.12.2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करना और उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण।	प्रो. के.वी. थॉमस	20.4.2010	00	01
82.	'प्रधानमंत्री के न्यूक्लियर सिक्युरिटी समिट और आईबीएसए तथा बीआरआईसी समिट के लिए दौरों' के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	23.4.2010	00	01

1	2	3	4	5	
83.	शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेशनरी ऑफिस, कोलकाता' के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री एस. जयपाल रेड्डी	23.4.2010	00	01
84.	विद्युत मंत्रालय से संबंधित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के संबंध में 27वां प्रतिवेदन, अनुदानों की मांग (2008-09) के संबंध में 29वां प्रतिवेदन, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोग की भूमिका के संबंध में 30वां प्रतिवेदन, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरणीय योजना के कार्यान्वयन के संबंध में 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री भरतसिंह सोलंकी	23.4.2010	00	01
85.	26 अप्रैल, 2010 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	23.4.2010	00	01
86.	पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 143वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जी.के. वासन	26.4.2010	00	01
87.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'खुदरा क्षेत्र में विदेशी और घरेलू निवेश' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 90वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	26.4.2010	00	01
88.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वायलार रवि	28.4.2010	00	01
89.	'इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की एक अधिकारी' के संबंध में।	श्रीमती परनीत कौर	29.4.2010	00	02
90.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सलमान खुर्शीद	29.4.2010	00	01
91.	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री प्रणब मुखर्जी	30.4.2010	00	01
92.	3 मई, 2010 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	30.4.2010	00	07

1	2	3	4	5	
93.	'16वें दक्षेस सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा' के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	3.5.2010	00	01
94.	रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सशस्त्र बलों के लिए एकीकृत कमान के कार्यान्वयन की स्थिति' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री ए.के. एंटनी	3.5.2010	00	01
95.	भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. सी.पी. जोशी	3.5.2010	00	01
96.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित भारत में पेटेंट और व्यापार चिह्न प्रणाली के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 88वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	3.5.2010	00	01
97.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के क्रमश: डाक विभाग और दूरसंचार विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के पहले और चौथे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री गुरुदास कामत	3.5.2010	00	01
98.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सचिन पायलट	3.5.2010	00	01
99.	'मुम्बई में रेलवे मोटरमेन और लोको पायलटों की हड़ताल' के बारे में।	श्री के.एच. मुनियप्पा	4.5.2010	00	01
100.	पशुपालन, डेयरी तथा मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. के.वी. थॉमस	4.5.2010	00	01
101.	खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत जेना	4.5.2010	00	01
102.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'टेलीविजन ऑडिएन्स मेजरमेंट इन इंडिया' विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री चौधरी मोहन जतुआ	4.5.2010	00	01

1	2	3	4	5	
103.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री चौधरी मोहन जतुआ	4.5.2010	00	01
104.	उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) (मांग संख्या 58) के बारे में समिति के 207वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 214वें प्रतिवेदन के अध्याय-तीन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री कपिल सिब्बल	5.5.2010	00	01
105.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर कृषि संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सुबोध कांत सहाय	5.5.2010	00	01
106.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05), (2006-07), (2007-08) और (2008-09) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः पहले, 14वें, 19वें और 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. नारायणसामी	5.5.2010	00	01
107.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित 'सीबीआई का कार्यकरण' के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. नारायणसामी	5.5.2010	00	01
108.	कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोल इंडिया लि.' की पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नीति के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	5.5.2010	00	01
109.	योजना मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान पर्यटकों के लिए पर्यटन अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं का विकास' विषय पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 149वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. नारायणसामी	5.5.2010	00	01
110.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सलमान खुर्शीद	6.5.2010	00	01

1	2	3	4	5	
111.	रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री के.एच. मुनियप्पा	6.5.2010	00	01
112.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित "केरोसीन एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन, आपूर्ति वितरण, डीलरशीप और मूल्य-निर्धारण" विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जितिन प्रसाद	6.5.2010	00	01
		पांचवां सत्र			
113.	संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल ही के संशोधन के बारे में।	श्री मुरली देवरा	27.7.2010	00	02
114.	'राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु धनराशि' के बारे में संसद सदस्य श्री मंगनी लाल मंडल, श्रीमती श्रुति चौधरी, डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, श्री एन. चेलुवरया स्वामी, श्री राजनाथ सिंह, डॉ. महेश जोशी, श्री प्रेमचन्द (गुड्डू), श्री ए. वेंकटरामी रेड्डी और श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5144 के संबंध में 27.4.2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण के बारे में।	श्री आर.पी.एन. सिंह	27.7.2010	00	01
115.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जितिन प्रसाद	29.7.2010	00	01
116.	डॉ. चरण दास महन्त द्वारा 12.3.2010 को 'जनजातियों की सुरक्षा' के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2601 पर दिए गए उत्तर के हिन्दी संस्करण में शुद्धिकरण किए जाने तथा उत्तर के शुद्धिकरण में हुए विलंब के कारण के बारे में।	डॉ. तुषारभाई ए. चौधरी	30.7.2010	00	01
117.	2 अगस्त, 2010 को आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	30.7.2010	00	02
118.	औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'चमड़ा उद्योग का विकास' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 89वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	2.8.2010	00	01
119.	कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. के.वी. थॉमस	3.8.2010	00	01

1	2	3	4	5	
120.	'जम्मू और कश्मीर में स्थिति' के बारे में।	श्री पी. चिदम्बरम	4.8.2010	00	06
121.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	4.8.2010	00	01
122.	उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत जेना	5.8.2010	00	01
123.	'कुष्ठ रोग के मामलों' के बारे में श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2671 के संबंध में 12.3.2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धिकरण में हुए विलंब के कारण के बारे में।	श्री दिनेश त्रिवेदी	6.8.2010	00	01
124.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. फारूख अब्दुल्ला	6.8.2010	00	01
125.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. सौगत राय	6.8.2010	00	01
126.	शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री एस. जयपाल रेड्डी	6.8.2010	00	01
127.	9 अगस्त, 2010 को आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	6.8.2010	00	08
128.	रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'मानव संसाधन आयोजना, जनशक्ति की कमी, सशस्त्र बलों के लिए उच्च-तकनीकी शिक्षा और अवसंरचना या समावेशन' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री ए.के. एंटनी	9.8.2010	00	01
129.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'विशेष आर्थिक जोनों का कार्यकरण' के बारे में 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 87वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	9.8.2010	00	01
130.	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री प्रदीप जैन (आदित्य)	9.8.2010	00	01

1	2	3	4	5	
131.	7 अगस्त, 2010 को मुम्बई के समुद्रतट पर तेल के रिसाव के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में।	श्री जयराम रमेश	10.8.2010	00	09
132.	शिक्षा उपकर के बारे में श्री जय प्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 928 के 25.11.2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारणों के बारे में।	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	11.8.2010	00	01
133.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित "केन्द्रीय भंडार के समक्ष आ रही बाधाएं" के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पृथ्वीराज चव्हाण	11.8.2010	00	01
134.	एयर इंडिया कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में श्री ए. वेंकटरामी रेड्डी और श्री एन. चेलुवरया स्वामी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 807 के संबंध में 29.07.2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने के बारे में।	श्री प्रफुल्ल मनोहर भाई पटेल	12.8.2010	00	01
135.	16 अगस्त, 2010 को आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	13.8.2010	00	08
136.	लेह, जम्मू और कश्मीर में बादल फटने से उत्पन्न स्थिति के बारे में।	श्री पी. चिदम्बरम	16.8.2010	00	01
137.	दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री ए. राजा	16.8.2010	00	01
138.	भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. सी.पी. जोशी	16.8.2010	00	01
139.	अवैध खनन के संबंध में एक जांच आयोग के गठन के बारे में।	श्री बी.के. हान्डिक	17.8.2010	00	01
140.	आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	17.8.2010	00	01
141.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के दूसरे और चौथे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री शरद पवार	17.8.2010	00	01

1	2	3	4	5	
142.	उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री शरद पवार	17.8.2010	00	01
143.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई), कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री शरद पावर	17.8.2010	00	01
144.	वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	17.8.2010	00	01
145.	जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पवन कुमार बंसल	18.8.2010	00	01
146.	विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 208वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पृथ्वीराज चव्हाण	18.8.2010	00	01
147.	संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 120वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. नारायणसामी	18.8.2010	00	01
148.	नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'रेल संरक्षा आयोग का कार्यकरण' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति के 98वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री प्रफुल मनोहर भाई पटेल	19.8.2010	00	01
149.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सलमान खुर्शीद	19.8.2010	00	01
150.	भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए दवाओं का उत्पादन और उपलब्धता' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत कुमार जेना	19.8.2010	00	01

1	2	3	4	5	
151.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत कुमार जेना	19.8.2010	00	01
152.	भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत कुमार जेना	19.8.2010	00	01
153.	सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	21.8.2010	00	08
154.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 205वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पृथ्वीराज चव्हाण	25.8.2010	00	01
155.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 209वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पृथ्वीराज चव्हाण	25.8.2010	00	01
156.	कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	25.8.2010	00	01
157.	डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सचिन पायलट	25.8.2010	00	01
158.	पेयजल और स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	कुमारी अगाथा संगमा	25.8.2010	00	01
159.	रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री के.एच. मुनियप्पा	26.8.2010	00	01
160.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए रणनीति' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जितिन प्रसाद	26.8.2010	00	01

1	2	3	4	5	
161.	झारखंड बजट 2009-10 से संबंधित सामान्य चर्चा के बारे में।	श्री प्रणब मुखर्जी	27.8.2010	00	04
162.	'ग्रामीणों को अन्यत्र बसाना' के बारे में सर्वश्री आनन्द प्रकाश परांजपे और वरुण गांधी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 49 के संबंध में 28.7.2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारणों के बारे में।	श्री जयराम रमेश	27.8.2010	00	01
163.	शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड" के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. सौगत राय	27.8.2010	00	01
164.	विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री भरतसिंह एम. सोलंकी	27.8.2010	00	01
165.	पर्यटन मंत्रालय से संबंधित "राष्ट्रमंडल खेल-2010 के दौरान पर्यटन अवसंरचना और पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाओं का विकास" के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 149वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सुल्तान अहमद	27.8.2010	00	01
166.	पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. सी.पी. जोशी	30.8.2010	00	01
167.	प्रोटोकॉल सहित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान को रोकने और मौजूदा करार का संशोधन करने के लिए भारत गणराज्य तथा स्विस फेडरल काउंसिल के बीच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने के बारे में।	श्री प्रणब मुखर्जी	31.8.2010	00	05
168.	'बाढ़ राहत के लिए पाकिस्तान को 25 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता की भारत की पेशकश' के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	31.8.2010	00	05
169.	वित्त सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित "कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह" के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 78वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री प्रणब मुखर्जी	31.8.2010	00	01
		छठा सत्र			
170.	शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. सौगत राय	3.11.2010	00	01

1	2	3	4	5	
171.	उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री शरद पवार	9.11.2010	00	01
172.	नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के बारे में।	डॉ. एम.एस. गिल	16.11.2010	00	01
173.	संयुक्त राज्य अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति बराक एच. ओबामा द्वारा भारत के दौरे के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	19.11.2010	00	01
174.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में की गई विदेश यात्राओं के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	19.11.2010	00	01
175.	कुछ देशों को गैर-बासमती चावल के निर्यात के बारे में।	श्री आनंद शर्मा	19.11.2010	00	01
176.	श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मल्लिकार्जुन खरगे	22.11.2010	00	01
177.	22 नवम्बर, 2010 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	22.11.2010	00	01
178.	गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 144वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	23.11.2010	00	01
179.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों क्रमशः (2008-09) और (2010-11) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 214वें और 217वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री दिनशा जे. पटेल	23.11.2010	00	01
180.	बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में सर्वश्री विश्वमोहन कुमार और अशोक कुमार रावत, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 48 के 28.7.2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण के बारे में।	श्री पवन कुमार बंसल	24.11.2010	00	01
181.	विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी के बारे में श्री पी. कुमार और डॉ. पद्म सिंह बाजीराव पाटील, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 40 के 10.11.2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने के बारे में।	श्री जयराम रमेश	24.11.2010	00	01
182.	नाइपर के लिए धनराशि का आबंटन के बारे में श्री उदय सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5628 के 29 अप्रैल, 2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण के बारे में।	श्री श्रीकांत कुमार जेना	25.11.2010	00	01

1	2	3	4	5	
183.	नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'रेल संरक्षा आयोग का कार्यकरण' के संबंध में 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 98वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री प्रफुल्ल मनोहरभाई पटेल	25.11.2010	00	01
184.	शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित 'ठोस कचरा प्रबंधन' के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. सौगत राय	26.11.2010	00	01
185.	29 नवम्बर, 2010 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	26.11.2010	00	01
186.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2009-10) और (2010-11) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के दूसरे और चौथे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. के.वी. थॉमस	30.11.2010	00	01
187.	कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. के.वी. थॉमस	30.11.2010	00	01
188.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 145वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री बिजय कृष्ण हान्डिक	30.11.2010	00	01
189.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की अनुदानों की मांगों (2004-05) संबंधी पहले प्रतिवेदन; अनुदानों की मांगों (2006-07) संबंधी 14वें प्रतिवेदन; अनुदानों की मांगों (2007-08) संबंधी 19वें प्रतिवेदन; अनुदानों की मांगों (2008-09) संबंधी 31वें प्रतिवेदन; अनुदानों की मांगों (2010-11) संबंधी 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पवन कुमार बंसल	1.12.2010	00	01
190.	अंतरिक्ष विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 206वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पवन कुमार बंसल	1.12.2010	00	01
191.	इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वीरभद्र सिंह	2.12.2010	00	01

1	2	3	4	5	
192.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जितिन प्रसाद	2.12.2010	00	01
193.	आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2009-10) और (2010-11) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री नमो नारायण मीना	3.12.2010	00	01
194.	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री नमो नारायण मीना	3.12.2010	00	01
195.	6 दिसम्बर, 2010 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	3.12.2010	00	01
196.	रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री एम.एम. पल्लमराजू	6.12.2010	00	01
197.	पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. के.वी. थॉमस	7.12.2010	00	01
198.	खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री बिजय कृष्ण हान्डिक	7.12.2010	00	01
199.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पवन कुमार बंसल	7.12.2010	00	01
200.	जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पवन कुमार बंसल	8.12.2010	00	01
201.	योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पवन कुमार बंसल	8.12.2010	00	01
202.	इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वीरभद्र सिंह	9.12.2010	00	01

1	2	3	4	5	
203.	भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 212वें और 215वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पवन कुमार बंसल	9.12.2010	00	01
204.	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. सी.पी. जोशी	9.12.2010	00	01
205.	उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत कुमार जेना	9.12.2010	00	01
206.	उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत कुमार जेना	9.12.2010	00	01
207.	'जाट समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल किये जाने' के बारे में डॉ. जी. विवेकानन्द, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3107 के 29 नवम्बर, 2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने के बारे में।	श्री पवन कुमार बंसल	10.12.2010	00	01
208.	जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री कांति लाल भूरिया	10.12.2010	00	01
209.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सलमान खुर्शीद	10.12.2010	00	01
210.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सलमान खुर्शीद	10.12.2010	00	01
211.	भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत कुमार जेना	10.12.2010	00	01
212.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत कुमार जेना	10.12.2010	00	01
213.	पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 140वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सुल्तान अहमद	10.12.2010	00	01

1	2	3	4	5	
214.	औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 94वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया	13.12.2010	00	01
215.	गृह मंत्रालय से संबंधित कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण की केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 142वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पी. चिदम्बरम	13.12.2010	00	01
		सातवां सत्र			
216.	2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति के गठन के बारे में।	डॉ. मनमोहन सिंह	22.2.2011	00	02
217.	राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद के विकास के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू करने तथा उससे संबंधित सभी विषयों पर कार्यवाही करने की सरकार की मंशा।	श्री अजय माकन	22.2.2011	00	04
218.	खाड़ी और मध्य-पूर्व में हाल ही में आए संकट के दौरान भारतीय नागरिकों, श्रीलंका में पकड़े गए भारतीय मछुआरों और संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रि-वैली विश्वविद्यालय में भारतीय विद्यार्थियों की सहायता के लिए विदेश मंत्रालय के प्रयासों के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	23.2.2011	00	01
219.	28 फरवरी, 2011 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	25.2.2011	00	07
220.	पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 154वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सुल्तान अहमद	4.3.2011	00	01
221.	7 मार्च, 2011 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	4.3.2011	00	07
222.	केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के बारे में।	डॉ. मनमोहन सिंह	7.3.2011	00	02
223.	समुद्री डकैती के मुद्दे के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	11.3.2011	00	05
224.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी स्थायी समिति के 204वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. अश्विनी कुमार	11.3.2011	00	01
225.	14 मार्च, 2011 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	11.3.2011	00	09

1	2	3	4	5	
226.	जापान में आए भूकंप और सुनामी के बारे में।	डॉ. मनमोहन सिंह	14.3.2011	00	06
227.	"जलभराव और जलनिकासी प्रणाली" के बारे में श्री मोडुगुला वेणुगोपाल रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा 3 मार्च, 2011 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 106 के संबंध में दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य।	श्री विंसेंट एच. पाला	14.3.2011	00	01
228.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 155वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. सी.पी. जोशी	14.3.2011	00	01
229.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 93वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. नारायणसामी	14.3.2011	00	01
230.	पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 156वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. नारायणसामी	15.3.2011	00	01
231.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रायल से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वायालार रवि	16.3.2011	00	01
232.	रेल मंत्रालय से संबंधित "रेल संपत्ति और यात्रियों का संरक्षण और सुरक्षा" पर रेल संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री के.एच. मुनियप्पा	16.3.2011	00	01
233.	विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2009-10 और 2010-11) के बारे में विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति के दूसरे और चौथे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती परनीत कौर	16.3.2011	00	01
234.	वोट के लिए नोट का भुगतान संबंधी समाचार-पत्र की रिपोर्ट के बारे में।	डॉ. मनमोहन सिंह	18.3.2011	00	03
235.	22 मार्च, 2011 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	18.3.2011	00	01
236.	"गायों की संख्या में गिरावट" के बारे में श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश और श्री हरीश चौधरी, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3827 के संबंध में 17.08.2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और वक्तव्य देने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य।	श्री अरुण एस. यादव	22.3.2011	00	01

1	2	3	4	5	
237.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	कुमारी शैलजा	22.3.2011	00	01
238.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री हरीश रावत	22.3.2011	00	01
239.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री हरीश रावत	22.3.2011	00	01
240.	रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री ए.के. एंटनी	23.3.2011	00	01
241.	रक्षा मंत्रालय से संबंधित "देश के सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण" के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री ए.के. एंटनी	23.3.2011	00	01
242.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी स्थायी समिति के 218वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. अश्विनी कुमार	23.3.2011	00	01
243.	"समुद्री जहाजों को लूटा जाना" के बारे में सर्वश्री के.डी. देशमुख, अब्दुल रहमान और पी. विश्वनाथन, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1710 के संबंध में 7.3.2011 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य।	श्री वी. नारायणसामी	24.3.2011	00	01
244.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री आर.पी.एन. सिंह	24.3.2011	00	01
245.	विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. अश्विनी कुमार	24.3.2011	00	01
246.	वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	25.3.2011	00	01

1	2	3	4	5	
		आठवां सत्र			
247.	राष्ट्रमंडल खेल (सीडब्ल्यूजी), 2010 के बारे में।	श्री अजय माकन	2.8.2011	00	01
248.	पाकिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	3.8.2011	00	10
249.	श्रीलंका में स्थिति के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	4.8.2011	00	01
250.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में 208वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 217वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. अश्विनी कुमार	4.8.2011	00	01
251.	8 अगस्त, 2011 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	5.8.2011	00	08
252.	गृह मंत्रालय से संबंधित भारत-पाकिस्तान सीमा पर बॉर्डर फेंसिंग और फ्लड लाइटिंग परियोजनाओं के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 135वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	9.8.2011	00	01
253.	गृह मंत्रालय से संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 136वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	9.8.2011	00	01
254.	अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 215वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. नारायणसामी	10.8.2011	00	01
255.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2009-10 और 2010-11) पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 7वें और 12वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सलमान खुर्शीद	11.8.2011	00	01
256.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 214वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. अश्विनी कुमार	11.8.2011	00	01
257.	पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. किशोर चन्द्र देव	12.8.2011	00	01

1	2	3	4	5	
258.	16 अगस्त, 2011 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	12.8.2011	00	07
259.	लोकपाल का गठन किए जाने तथा 16.8.2011 को नई दिल्ली में हुई कतिपय घटनाओं के बारे में।	डॉ. मनमोहन सिंह	17.8.2011	00	24
260.	"स्पेक्ट्रम के उपयोग" के बारे में श्री एस.आर. जेयदुरई, संसद सदस्य और अन्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2154 के संबंध में 9.3.2011 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण।	श्री मिलिंद मुरली देवरा	17.8.2011	00	01
261.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित "ग्रामीण अनुप्रयोगों संबंधी नवीकरणीय ऊर्जा" के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. फारुख अब्दुल्ला	19.8.2011	00	01
262.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण" के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. फारुख अब्दुल्ला	19.8.2011	00	01
263.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित "लघु और न्यून जल विद्युत परियोजना" के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. फारुख अब्दुल्ला	19.8.2011	00	01
264.	23 अगस्त, 2011 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	19.8.2011	00	09
265.	'युवाओं के लिए नवोन्मुखी पाठ्यक्रम' के बारे में श्री के. सुधाकरण, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3018 के संबंध में 15.3.2011 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण।	श्री अजय माकन	23.8.2011	00	01
266.	योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. अश्विनी कुमार	24.8.2011	00	01
267.	लोकपाल के गठन से संबंधित मुद्दों के बारे में।	श्री प्रणब मुखर्जी	27.8.2011	00	26
268.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मुकुल वासनिक	29.8.2011	00	01

1	2	3	4	5	
269.	आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2010-11) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री नमो नारायण मीणा	30.8.2011	00	01
270.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों से संबंधित मांगों (2010-11) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 8वें और 19वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री हरीश रावत	30.8.2011	00	01
271.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के छठे और आठवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. के.वी. थॉमस	30.8.2011	00	01
272.	शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के चुनावों के संबंध में न्यायालय में चल रहे मामलों के बारे में।	श्री पी. चिदम्बरम	2.9.2011	00	03
273.	सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य।	श्री पबन सिंह घाटोवार	2.9.2011	00	01
274.	इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री बेनी प्रसाद वर्मा	5.9.2011	00	01
275.	"खाद्यान्नों की कमी" के बारे में श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े, संसद सदस्य तथा अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1606 के 9.8.2011 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण।	प्रो. के.वी. थॉमस	6.9.2011	00	01
276.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सचिन पायलट	6.9.2011	00	01
277.	डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित बैंककारी और बीमा कार्यकलापों के माध्यम से डाक विभाग द्वारा निधियों का प्रबंधन के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 62वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सचिन पायलट	6.9.2011	00	01

1	2	3	4	5	
278.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) और (2010-11) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 5वें और 9वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. चरण दास महंत	6.9.2011	00	01
279.	"परमाणु संयंत्रों की स्थापना" के बारे में श्री जी.एम. सिद्देश्वर, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 636 के 03.08.2011 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण।	श्री वी. नारायणसामी	7.9.2011	00	01
280.	दिल्ली उच्च न्यायालय के निकट हुए बम विस्फोट के बारे में।	श्री पी. चिदम्बरम	7.9.2011	00	16
281.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05), (2006-07), (2007-08), (2008-09) और (2010-11) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: पहले, 14वें, 19वें, 31वें और 43वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. नारायणसामी	7.9.2011	00	01
282.	आयुष, स्वास्थ्य अनुसंधान और एड्स नियंत्रण विभागों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 39वें, 40वें, 41वें और 42वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सुदीप बंदोपाध्याय	7.9.2011	00	01
283.	माननीय प्रधानमंत्री की 6 और 7 सितम्बर, 2011 को ढाका, बांग्लादेश की यात्रा के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	8.9.2011	00	01
284.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जयराम रमेश	8.9.2011	00	01
		नौवां सत्र			
285.	भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति के बारे में।	श्री प्रणब मुखर्जी	22.11.2011	00	01
286.	'मूल्यों में वृद्धि' के बारे में श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, संसद सदस्य तथा अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4568 के बारे में 30.08.2011 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण।	प्रो. के.वी. थॉमस	22.11.2011	00	01
287.	22.11.2011 को ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे के निमियाघाट और पारसनाथ स्टेशनों के बीच ट्रेन संख्या 13009 हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के बारे में।	श्री दिनेश त्रिवेदी	22.11.2011	00	01

1	2	3	4	5	
288.	23 नवम्बर, 2011 को हुई नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी) संबंधी प्रधानमंत्री की समिति की पहली बैठक के बारे में।	श्री कपिल सिब्बल	25.11.2011	00	01
289.	हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार सुधार और पुनर्संरचना पैकेज संबंधी केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में।	श्री आनंद शर्मा	25.11.2011	00	01
290.	मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति और एकल ब्रांड खुदरा व्यापार नीति के उदारीकरण के बारे में।	श्री आनंद शर्मा	25.11.2011	00	01
291.	28 नवम्बर, 2011 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	25.11.2011	00	01
292.	उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. के.वी. थॉमस	29.11.2011	00	01
293.	जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. किशोर चन्द्र देव	2.12.2011	00	01
294.	7 दिसम्बर, 2011 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	2.12.2011	00	02
295.	विभिन्न स्टेकहोल्डरों से परामर्श करके सर्वसम्मति बनाए जाने तक मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51% एफडीआई की अनुमति को निलंबित करने के सरकार के निर्णय के बारे में।	श्री प्रणब मुखर्जी	7.12.2011	00	02
296.	जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित "ब्रह्मपुत्र बोर्ड का कार्यकरण" के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पवन कुमार बंसल	8.12.2011	00	01
297.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में समिति के 217वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वीरभद्र सिंह	8.12.2011	00	01
298.	खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री दिनशा पटेल	9.12.2011	00	01

1	2	3	4	5	
299.	12 दिसम्बर, 2011 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	9.12.2011	00	08
300.	श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित "एचएमटी इकाइयों की रुग्णता के कारण श्रमिकों के समक्ष आ रही समस्याएं" विषय पर श्रम संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मल्लिकार्जुन खरगे	12.12.2011	00	01
301.	कृषि मंत्रालय से संबंधित "अल्प मानसून तथा कृषि क्षेत्र पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम" विषय पर कृषि संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री शरद पवार	13.12.2011	00	01
302.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. के.वी. थॉमस	13.12.2011	00	01
303.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 218वें और 219वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री प्रफुल पटेल	15.12.2011	00	01
304.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. एम. वीरप्पा मोइली	15.12.2011	00	01
305.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री विन्सेंट एच. पाला	15.12.2011	00	01
306.	डरबन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में।	श्रीमती जयंती नटराजन	16.12.2011	00	01
307.	जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006—उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के कार्यान्वयन के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. किशोर चन्द्र देव	16.12.2011	00	01
308.	सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	16.12.2011	00	01

1	2	3	4	5	
309.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 97वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री आनंद शर्मा	19.12.2011	00	01
310.	हथकरघा क्षेत्र के लिए व्यापक पैकेज पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में।	श्री आनंद शर्मा	19.12.2011	00	01
311.	भगवद्गीता पर एक रूसी शहर की अदालत में सुनवाई के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	20.12.2011	00	09
312.	रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) और नई रेल भर्ती नीति के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 11वें और 12वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री के.एच. मुनियप्पा	20.12.2011	00	01
313.	विद्युत मंत्रालय से संबंधित "विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण", "विद्युत क्षेत्र के लिए गैस और कोयले की उपलब्धता" तथा "पारेषण एवं वितरण प्रणाली और नेटवर्क" के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 9वें, 10वें और 14वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री के.सी. वेणुगोपाल	20.12.2011	00	01
314.	"एमडीएमएस में अनियमितताएं" के बारे में श्री हर्षवर्द्धन और श्रीमती सुशीला सरोज, संसद सदस्यों द्वारा 03.08.2011 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 654 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण।	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	21.12.2011	00	01
315.	"रोजगार उन्मुख उच्च शिक्षा" के बारे में सर्वश्री बदरुद्दीन अजमल और हमदुल्लाह सईद, संसद सदस्यों द्वारा 17.08.2011 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2656 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण।	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	21.12.2011	00	01
316.	"यूनिवर्सिटी बिल्डिंग का निर्माण" के बारे में श्री सुदर्शन भगत, संसद सदस्य द्वारा 30.11.2011 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1519 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण।	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	21.12.2011	00	01
317.	लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित सीपीएसई के बोर्डों के व्यावसायीकरण के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 198वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री प्रफुल पटेल	22.12.2011	00	01
318.	वस्त्र मंत्रालय से संबंधित "जूट क्षेत्र का विकास" के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	22.12.2011	00	01

1	2	3	4	5	
319.	जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के संबंध में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पवन कुमार बंसल	27.12.2011	00	01
320.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मुकुल वासनिक	27.12.2011	00	01
321.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मुकुल वासनिक	27.12.2011	00	01
322.	सरकारी नौकरियों और केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) को उपलब्ध 27% आरक्षण कोटे के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 4.5% उप-कोटा निर्धारित किए जाने के बारे में।	श्री सलमान खुर्शीद	28.12.2011	00	11
323.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित "मोलासेस का उत्पादन, मूल्य निर्धारण और वितरण" के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत कुमार जेना	29.12.2011	00	01
		दसवां सत्र			
324.	आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री प्रणब मुखर्जी	13.3.2012	00	01
325.	श्रीलंका में स्थिति के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	14.3.2012	00	15
326.	भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जयराम रमेश	15.3.2012	00	01
327.	पूर्वोत्तर रेलवे में हाथरस के निकट एक मानवरहित रेल फाटक पर 20.3.2012 को हुई दुर्घटना में लोगों के मारे जाने के बारे में।	श्री मुकुल राय	20.3.2012	00	03
328.	गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति के 144वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में गृह संबंधी स्थायी समिति के 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	20.3.2012	00	01

1	2	3	4	5	
329.	दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मिलिंद देवरा	21.3.2012	00	01
330.	जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित 'कम हो चुके भू-जल स्तर का संवर्धन, सतत् विकास, संरक्षण, प्रबंधन, भू-जल का उपयोग और जल प्रदूषण की रोकथाम' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पवन कुमार बंसल	22.3.2012	00	01
331.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 213वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. अश्विनी कुमार	22.3.2012	00	01
332.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी की दरों की समीक्षा के बारे में।	श्री जयराम रमेश	26.3.2012	00	01
333.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 163वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जितिन प्रसाद	26.3.2012	00	01
334.	जाली भारतीय करेंसी नोटों का परिचालन के बारे में श्री मंगनी लाल मंडल और श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 102 के संबंध में 29.11.2011 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण।	श्री जितेन्द्र सिंह	27.3.2012	00	01
335.	कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री शरद पवार	27.3.2012	00	01
336.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. के.वी. थॉमस	27.3.2012	00	01
337.	रेलवे में नए जोन/मंडल के बारे में श्री पी.सी. गद्दीगोदर और कुमारी सरोज पांडे द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1507 के संबंध में 22.3.2012 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने के बारे में।	श्री के.एच. मुनियप्पा	29.3.2012	00	01

1	2	3	4	5	
338.	पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) पर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. किशोर चन्द्र देव	30.3.2012	00	01
339.	पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) (मांग संख्या 93) पर समिति के 154वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट आगे की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सुल्तान अहमद	30.3.2012	00	01
340.	डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मिलिंद देवरा	30.3.2012	00	01
341.	पाकिस्तान के राष्ट्रपति की 8 अप्रैल, 2012 को भारत की यात्रा के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	25.4.2012	00	05
342.	यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार के अंतर्गत विमान के बारे में श्री असादूद्दीन ओवेसी और श्री नामा नागेश्वर राव, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 217 के 28.3.2012 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने के बारे में।	श्री अजित सिंह	25.4.2012	00	02
343.	विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती परनीत कौर	25.4.2012	00	01
344.	आईएसआरओ द्वारा पीएसएलवी-सी 19 के माध्यम से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से रडार इमेजिंग सैटेलाइट-1 (आरआईएसएटी-1) का प्रक्षेपण किए जाने के बारे में।	श्री वी. नारायणसामी	26.4.2012	00	01
345.	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जयराम रमेश	26.4.2012	00	01
346.	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री प्रणब मुखर्जी	27.4.2012	00	01
347.	30 अप्रैल, 2012 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	27.4.2012	00	01

1	2	3	4	5	
348.	इस्पात मंत्रालय से संबंधित इस्पात क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री बेनी प्रसाद वर्मा	30.4.2012	00	01
349.	इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री बेनी प्रसाद वर्मा	30.4.2012	00	01
350.	7 मई, 2012 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	4.5.2012	00	07
351.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई), कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति तथा समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों पर आधारित आगे की कार्यवाही।	डॉ. चरण दास महंत	8.5.2012	00	01
352.	गृह मंत्रालय से संबंधित 'देश में सिविल रक्षा का नवीकरण और पुनरुद्धार' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 152वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	8.5.2012	00	01
353.	शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. सौगत राय	8.5.2012	00	01
354.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. चरण दास महंत	8.5.2012	00	01
355.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. चरण दास महंत	8.5.2012	00	01
356.	पाकिस्तान के कुछ भागों में हिन्दुओं के उत्पीड़न के मामले के बारे में।	श्री एस.एम. कृष्णा	9.5.2012	00	05
357.	सर्वश्री अधलराव पाटील शिवाजी, आनंदराव अडसुल, धर्मेन्द्र यादव, गजानन डी. बाबर और पी. कुमार द्वारा 'कतर के साथ तेल अन्वेषण में सहयोग' के बारे में 3 मई, 2012 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4485 के उत्तर में शुद्धि किए जाने के बारे में।	श्री आर.पी.एन. सिंह	10.5.2012	00	01

1	2	3	4	5	
358.	भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 220वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री प्रफुल्ल पटेल	10.5.2012	00	01
359.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पवन कुमार बंसल	11.5.2012	00	01
360.	पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन का विकास' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 172वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सुल्तान अहमद	11.5.2012	00	01
361.	सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	11.5.2012	00	02
362.	एयरसेल-मैक्सिस डील के बारे में।	श्री प्रणब मुखर्जी	14.5.2012	00	04
363.	श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मल्लिकार्जुन खड़गे	14.5.2012	00	01
364.	श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मल्लिकार्जुन खड़गे	14.5.2012	00	01
365.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	कुमारी सैलजा	15.5.2012	00	01
366.	'शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना' के बारे में सर्वश्री नीरज शेखर और असादूद्दीन ओवेसी, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. 365 के संबंध में 2 मई, 2012 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने के बारे में।	श्री कपिल सिब्बल	16.5.2012	00	01
367.	खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री दिनशा पटेल	16.5.2012	00	01

1	2	3	4	5	
368.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति:— (1) अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में पहला प्रतिवेदन। (2) अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में 14वां प्रतिवेदन। (3) अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 19वां प्रतिवेदन। (4) अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 31वां प्रतिवेदन। (5) अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में 43वां प्रतिवेदन।	श्री वी. नारायणसामी	16.5.2012	00	01
369.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सचिन पायलट	16.5.2012	00	01
370.	डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'डाकघरों का आधुनिकीकरण' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सचिन पायलट	16.5.2012	00	01
371.	पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री हरीश रावत	17.5.2012	00	01
372.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री आर.पी.एन. सिंह	17.5.2012	00	01
373.	पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का संवर्धन' के बारे में समिति के 140वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 152वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सुल्तान अहमद	18.5.2012	00	01
374.	पर्यटन मंत्रालय से संबंधित राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए 'पर्यटन अवसंरचना तथा सुविधाओं का विकास' के बारे में समिति के 149वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 153वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सुल्तान अहमद	18.5.2012	00	01

1	2	3	4	5	
375.	रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री ए.के. एंटोनी	21.5.2012	00	01
376.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई), कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री हरीश रावत	22.5.2012	00	01
377.	भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत जेना	22.5.2012	00	01
378.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत जेना	22.5.2012	00	01
379.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. एस. जगतरक्षकन	22.5.2012	00	01
		ग्यारहवां सत्र			
380.	13 अगस्त, 2012 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पबन सिंह घाटोवार (श्री पवन कुमार बंसल की ओर से)	9.8.2012	00	10
381.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वायालार रवि	17.8.2012	00	01
382.	21 अगस्त, 2012 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	17.8.2012	00	02
383.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. चरण दास महंत	21.8.2012	00	01
384.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित "पेट्रोलियम पदार्थों की अल्प-वसूलियों की चुनौतियां" के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री आर.पी.एन. सिंह	23.8.2012	00	01

1	2	3	4	5	
385.	27 अगस्त, 2012 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	24.8.2012	00	01
386.	कोयला ब्लॉकों के आवंटन और कोयला उत्पादन के संवर्धन संबंधी निष्पादन लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में।	डॉ. मनमोहन सिंह	27.8.2012	00	02
387.	श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित "रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय—एक समीक्षा" के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मल्लिकार्जुन खड़गे	27.8.2012	00	01
388.	वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2011-12 और 2012-13) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 20वें और 29वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	27.8.2012	00	01
389.	'सीपीएमएफ/सीपीओ के कर्मचारियों की संख्या' के बारे में श्री मनीष तिवारी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1525 के 21 अगस्त, 2012 को दिए गए उत्तर में शुद्धि।	श्री जितेन्द्र सिंह	28.8.2012	00	01
390.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई), कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री शरद पवार	28.8.2012	00	01
391.	पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग (डीएडीएफ), कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री शरद पवार	28.8.2012	00	01
392.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. के.वी. थॉमस	28.8.2012	00	01
393.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सलमान खुर्शीद	30.8.2012	00	01
394.	उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत जेना	30.8.2012	00	01
395.	3 सितम्बर, 2012 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पवन कुमार बंसल	31.8.2012	00	01

1	2	3	4	5	
396.	पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 164वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जी.के. वासन	3.9.2012	00	01
397.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित "अजैविक दबाव प्रतिरोधी फसल किस्मों का विकास और उत्पादनवर्धक प्रौद्योगिकियों का प्रचार – देश में अनुसंधान और विकास प्रयासों की समीक्षा तथा विस्तार प्रयास" के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री हरीश रावत (श्री शरद पवार की ओर से)	4.9.2012	00	01
398.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 16वें तथा 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. के.वी. थॉमस	4.9.2012	00	01
399.	आर्थिक मामले, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री नमो नारायण मीणा (श्री पी. चिदम्बरम की ओर से)	5.9.2012	00	01
400.	कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11 और 2011-12) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के चौथे, आठवें, तेरहवें, सोलहवें और इक्कीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	5.9.2012	00	01
401.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सचिन पायलट	5.9.2012	00	01
402.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 223वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. अश्विनी कुमार	5.9.2012	00	01
403.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का पुनरुज्जीवन और पुनर्गठन' के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री प्रफुल्ल पटेल	6.9.2012	00	01
404.	रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री के.एच. मुनियप्पा	6.9.2012	00	01

1	2	3	4	5	
405.	'तम्बाकूजनित बीमारियां' के बारे में सर्वश्री माकन सिंह सोलंकी और अधलराव शिवाजी पाटील, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 610 के संबंध में 18 मई, 2012 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण।	श्री गुलाम नबी आजाद	7.9.2012	00	01
406.	जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. किशोर चन्द्र देव	7.9.2012	00	10
407.	पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. किशोर चन्द्र देव	7.9.2012	00	01
408.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जयराम रमेश	7.9.2012	00	01
409.	विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री के.सी. वेणुगोपाल	7.9.2012	00	01
		बारहवां सत्र			
410.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री अजय माकन	27.11.2012	00	01
411.	पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. किशोर चन्द्र देव	30.11.2012	00	01
412.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	30.11.2012	00	01
413.	इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री बेनी प्रसाद वर्मा	4.12.2012	00	01
414.	भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में मुम्बई में एक भव्य स्मारक का निर्माण किए जाने के बारे में।	श्री आनंद शर्मा	5.12.2012	00	04

1	2	3	4	5	
415.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 227वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री एस. जयपाल रेड्डी	5.12.2012	00	01
416.	शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती दीपा दासमुंशी	5.12.2012	00	01
417.	डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को डाकघरों द्वारा पारिश्रमिक का संवितरण' विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. (श्रीमती) क्रुपारानी किल्ली	5.12.2012	00	01
418.	भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जयराम रमेश	6.12.2012	00	01
419.	पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित 'पशुपालन क्षेत्र में रोजगार सृजन संभावना का ईष्टतमीकरण' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. चरण दास महन्त (श्री शरद पवार की ओर से)	11.12.2012	00	01
420.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. के.वी. थॉमस	11.12.2012	00	01
421.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पबन सिंह घाटोवार	11.12.2012	00	01
422.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित उत्तर-पूर्व हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का पुनरुद्धार और पुनर्गठन के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 223वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण के बारे में समिति के 231वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पबन सिंह घाटोवार	11.12.2012	00	01

1	2	3	4	5	
423.	जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री हरीश रावत	13.12.2012	00	01
424.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और एड्स नियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 54वें से 57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री गुलाम नबी आजाद	14.12.2012	00	01
425.	14-16 दिसम्बर, 2012 तक पाकिस्तान के आंतरिक कार्यमंत्री के भारत दौरे के बारे में।	श्री सुशील कुमार शिंदे	17.12.2012	00	05
426.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पी. बलराम नायक (कुमारी सैलजा की ओर से)	17.12.2012	00	01
427.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) (मांग संख्या 12) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 101वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री आनंद शर्मा (श्री एस. जगतरक्षकन की ओर से)	17.12.2012	00	01
428.	16 दिसंबर, 2012 को दक्षिण दिल्ली में गैंग रेप की घटना के बारे में।	श्री सुशील कुमार शिंदे	18.12.2012	00	06
429.	कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	18.12.2012	00	01
430.	खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री दिनशा पटेल	18.12.2012	00	01
431.	गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 161वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	18.12.2012	00	01
432.	कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. चरण दास महन्त (श्री तारीक अनवर की ओर से)	18.12.2012	00	01

1	2	3	4	5	
433.	16 दिसम्बर, 2012 को दक्षिण दिल्ली में गैंग रेप की घटना के बारे में।	श्री सुशील कुमार शिंदे	19.12.2012	00	04
434.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री एस. जयपाल रेड्डी	19.12.2012	00	01
435.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 178वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. सी.पी. जोशी	19.12.2012	00	01
436.	अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री राजीव शुक्ल (श्री वी. नारायणसामी की ओर से)	19.12.2012	00	01
437.	'बिजली की उपलब्धता' के बारे में सर्वश्री रूद्रमाधव राव और अर्जुन चरण सेठी संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 83 के संबंध में 29.11.2015 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने और उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताए जाने के बारे में।	श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया	20.12.2012	00	01
438.	'प्रमाणित खादी' के बारे में श्री शिवराम गौडा, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5542 के संबंध में 10.5.2012 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने और उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताए जाने के बारे में।	श्री के.एच. मुनियप्पा	20.12.2012	00	01
439.	'प्रमाणित खादी' के बारे में श्री शिवराम गौडा, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के संबंध में 22.11.2012 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने और उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताए जाने के बारे में।	श्री के.एच. मुनियप्पा	20.12.2012	00	01
440.	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जयराम रमेश	20.12.2012	00	01
441.	भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 234वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री प्रफुल्ल पटेल	20.12.2012	00	01

1	2	3	4	5	
442.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 229वें और 235वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री के.एच. मुनियप्पा	20.12.2012	00	01
443.	रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल की नई खानपान नीति-2010' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री अधीर रंजन चौधरी	20.12.2012	00	01
		तेरहवां सत्र			
444.	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुए दो बम धमाकों के बारे में।	श्री सुशील कुमार शिंदे	22.2.2013	00	03
445.	श्री पूर्णमासी राम, संसद सदस्य द्वारा 'केन्द्रीय भंडार से उपहार' के बारे में 17 दिसम्बर, 2012 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3754 के उत्तर में शुद्धि।	श्री ए.के. एंटोनी	4.3.2013	00	01
446.	श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	4.3.2013	00	01
447.	4 मार्च, 2013 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पबन सिंह घाटोवार	4.3.2013	00	01
448.	महाराष्ट्र में भंडारा बलात्कार घटना के बारे में।	श्री सुशील कुमार शिंदे	5.3.2013	00	01
449.	मनरेगा की मजदूरी दरों में संशोधन के बारे में।	श्री जयराम रमेश	5.3.2013	00	01
450.	26 फरवरी, 2013 को रेल बजट के साथ प्रस्तुत दस्तावेज की सूची में शुद्धि।	श्री पवन कुमार बंसल	6.3.2013	00	01
451.	पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मिलिंद देवरा	6.3.2013	00	01
452.	दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मिलिंद देवरा	6.3.2013	00	01
453.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 233वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री एस. जयपाल रेड्डी	7.3.2013	00	01

1	2	3	4	5	
454.	11 मार्च, 2013 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पबन सिंह घाटोवार	8.3.2013	00	08
455.	'जीएम प्रौद्योगिकी की संरक्षा' के बारे में श्री जोस के. मणि, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3758 के 17 दिसम्बर, 2012 को दिए गए उत्तर में शुद्धि।	श्रीमती जयंती नटराजन	11.3.2013	00	01
456.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मनीष तिवारी	12.3.2013	00	01
457.	पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित 'मुख्य पत्तनों का आधुनिकीकरण' विषय पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पबन सिंह घाटोवार	13.3.2013	00	01
458.	डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. (श्रीमती) क्रुपारानी किल्ली	13.3.2013	00	01
459.	श्रीनगर में आतंकी हमले के बारे में।	श्री सुशील कुमार शिंदे	14.3.2013	00	06
460.	श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों को पकड़े जाने के बारे में।	श्रीमती परनीत कौर	14.3.2013	00	04
461.	जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित 'केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र की समीक्षा' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री हरीश रावत	15.3.2013	00	01
462.	18 मार्च, 2013 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य	श्री पबन सिंह घाटोवार	15.3.2013	00	08
463.	श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य द्वारा 'औद्योगिक उत्पादन' के बारे में 04 मार्च, 2013 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर में शुद्धि।	श्री आनंद शर्मा	18.3.2013	00	01
464.	आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पी. चिदम्बरम	19.3.2013	00	01
465.	श्री मंगनी लाल मंडल, संसद सदस्य द्वारा 'केन्द्रीय विद्यालय' के बारे में 19 दिसंबर, 2012 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 362 के उत्तर में शुद्धि और उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण।	श्री एम.एम. पल्लम राजू	20.3.2013	00	02

1	2	3	4	5	
466.	अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. नारायणसामी	20.3.2013	00	01
467.	परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. नारायणसामी	20.3.2013	00	01
468.	सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में सुधार के बारे में।	श्री वी. नारायणसामी	21.3.2013	00	02
469.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री भरतसिंह सोलंकी	21.3.2013	00	01
470.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सचिन पायलट	21.3.2013	00	01
471.	श्री नामा नागेश्वर राव और दो अन्य संसद सदस्यों द्वारा 'सीजीएचएस के पैनल में शामिल अस्पतालों' के बारे में 15 मार्च, 2013 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3048 के उत्तर में शुद्धि।	श्री गुलाम नबी आजाद	22.3.2013	00	01
472.	दो भारतीय मछुआरों की हत्या में आरोपी दो इतालवी नाविकों की भारत वापसी के बारे में।	श्री सलमान खुर्शीद	22.3.2013	00	01
473.	पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. के. चिरंजीवी	22.3.2013	00	01
474.	दिल्ली में अवयस्क बालिका से बलात्कार से संबंधित घटना के बारे में।	श्री सुशील कुमार शिंदे	22.4.2013	00	01
475.	बंगलुरू में बम विस्फोट के बारे में।	श्री सुशील कुमार शिंदे	22.4.2013	00	01
476.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी संसद सदस्य द्वारा 'तिलहन बोर्ड' के बारे में 12 मार्च, 2013 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2306 के उत्तर में शुद्धि।	श्री तारिक अनवर	23.4.2013	00	01
477.	29 अप्रैल, 2013 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पबन सिंह घाटोवार	26.4.2013	00	03

1	2	3	4	5	
478.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री तारिक अनवर	30.4.2013	00	01
479.	श्रीमती कमला देवी पटले, संसद सदस्य द्वारा 'औषधियों के उत्पादन और विपणन की निगरानी' के बारे में 07 मार्च, 2013 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1775 के उत्तर में शुद्धि और उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण।	श्री श्रीकांत जेना	2.5.2013	00	01
480.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 237वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पबन सिंह घाटोवार	2.5.2013	00	01
481.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. फारूख अब्दुल्ला	3.5.2013	00	01
482.	सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य।	श्री पबन सिंह घाटोवार	3.5.2013	00	01
483.	वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति के 93वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 96वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	6.5.2013	00	01
484.	वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 100वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	6.5.2013	00	01
485.	रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'तटरक्षक बल संगठन के कार्यनिष्पादन' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जितेन्द्र सिंह	6.5.2013	00	01
486.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री तारिक अनवर	7.5.2013	00	01
487.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति:-	श्री वी. नारायणसामी	8.5.2013	00	01
	(1) अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में पहला प्रतिवेदन।				

1	2	3	4	5	
	(2) अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में 14वां प्रतिवेदन। (3) अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 19वां प्रतिवेदन। (4) अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 31वां प्रतिवेदन। (5) अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में 43वां प्रतिवेदन। (6) अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 51वां प्रतिवेदन।				
488.	विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती परनीत कौर	8.5.2013	00	01
		चौदहवां सत्र			
489.	उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के पश्चात् भारत सरकार के प्रत्युत्तर तथा राहत और पुनर्निर्माण हेतु किए गए उपाय।	श्री ए.के. एंटनी	6.8.2013	00	04
490.	जम्मू और कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के निकट पाकिस्तानी सेना द्वारा घात लगाकर किया गया हमला।	श्री ए.के. एंटनी	6.8.2013	00	02
491.	'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र लागू करना और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला विकास करना स्कीम के बारे में।	श्री वी. किशोर चन्द्र देव	7.8.2013	00	01
492.	प्रो. (डॉ.) रंजन प्रसाद यादव और अन्य सदस्यों द्वारा 13.3.2013 को एनआईटी और आईआईटी में शिक्षकों की कमी के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2699 के उत्तर में शुद्धि किए जाने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने के बारे में।	डॉ. शशि थरूर	7.8.2013	00	03
493.	भारतीय नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों पर अकारण हमले के बारे में।	श्री ए.के. एंटनी	8.8.2013	00	02
494.	12 अगस्त, 2013 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पबन सिंह घाटोवार	8.8.2013	00	04
495.	'हॉविट्जर तोपों' के बारे में सर्वश्री रमेश बैस, रूद्रमाधव राय और जितेन्द्र सिंह बुंदेला, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 6398 का 6 मई, 2013 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने के बारे में।	श्री जितेन्द्र सिंह	12.8.2013	00	01
496.	चालू खाता घाटा के बारे में।	श्री पी. चिदम्बरम	12.8.2013	00	02
497.	आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 60वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पी. चिदम्बरम	13.8.2013	00	01

1	2	3	4	5	
498.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत जेना	13.8.2013	00	02
499.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत जेना	13.8.2013	00	02
500.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत जेना	13.8.2013	00	02
501.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत जेना	13.8.2013	00	02
502.	भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत जेना	13.8.2013	00	02
503.	'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण और उद्योगों के विकास के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं—एक मूल्यांकन' के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. चरण दास महंत	13.8.2013	00	01
504.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 240वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री के.एच. मुनियप्पा	14.8.2013	00	02
505.	19 अगस्त, 2013 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पबन सिंह घाटोवार	14.8.2013	00	08
506.	भारतीय नौसेना पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरक्षक में हुए भीषण अग्निकांड की घटना के बारे में।	श्री ए.के. एंटनी	20.8.2013	00	01
507.	पूर्व मध्य रेलवे में धमारा घाट रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना, जिसमें कुछ लोग मारे गए और कुछ घायल हुए, के बारे में।	श्री मल्लिकार्जुन खड़गे	20.8.2013	00	01
508.	योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री राजीव शुक्ल	20.8.2013	00	01

1	2	3	4	5	
509.	योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 62वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री राजीव शुक्ल	20.8.2013	00	01
510.	ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी (कपार्ट)' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जयराम रमेश	22.8.2013	00	01
511.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मनीष तिवारी	22.8.2013	00	01
512.	'मानव विकास सूचकांक' के बारे में डॉ. रत्ना डे (नाग), संसद सदस्य द्वारा 8 मार्च, 2013 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1924 के उत्तर में शुद्धि किए जाने के बारे में।	श्री ए.एच. खान चौधरी	23.8.2013	00	01
513.	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 52वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पी. चिदम्बरम	23.8.2013	00	01
514.	जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वी. किशोर चन्द्र देव	23.8.2013	00	01
515.	26 अगस्त, 2013 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पबन सिंह घाटोवार	24.8.2013	00	10
516.	मुंबई गैंगरेप की घटना के बारे में।	श्री सुशीलकुमार शिंदे	26.8.2013	00	03
517.	वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री के. सांबासिवा राव	26.8.2013	00	01
518.	'चंडीगढ़ कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें' के बारे में श्री पवन कुमार बंसल, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 32 का 6.8.2013 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण।	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	27.8.2013	00	01
519.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	कुमारी सैलजा	27.8.2013	00	01

1	2	3	4	5	
520.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. के.वी. थॉमस	27.8.2013	00	01
521.	उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत जेना	27.8.2013	00	01
522.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय भेषज मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत जेना	27.8.2013	00	01
523.	गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 161वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	27.8.2013	00	01
524.	पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग (डीएडीएफ), कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री तारिक अनवर (डॉ. चरण दास महंत की ओर से)	27.8.2013	00	01
525.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री तारिक अनवर	27.8.2013	00	01
526.	'नई लाइन परियोजनाएं' के बारे में सर्वश्री अनुराग सिंह ठाकुर, राव साहेब दानवे पाटील और प्रतापराव गणपतराव जाधव संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 138 का 22.11.2012 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण।	श्री अधीर रंजन चौधरी	29.8.2013	00	01
527.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 240वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री एस. जयपाल रेड्डी	29.8.2013	00	02
528.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 64वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सचिन पायलट	29.8.2013	00	01

1	2	3	4	5	
529.	नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 116वें, 125वें, 138वें, 140वें और 147वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री के.सी. वेणुगोपाल	29.8.2013	00	01
530.	देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में।	डॉ. मनमोहन सिंह	30.8.2013	00	06
531.	'प्राकृतिक तेल एवं गैस संसाधनों का स्वामित्व' के बारे में डॉ. महेश जोशी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2423 का 10.3.2011 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण।	श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	30.8.2013	00	01
532.	पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 184वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. के. चिरंजीवी	30.8.2013	00	01
533.	2 सितम्बर, 2013 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पबन सिंह घाटोवार	30.8.2013	00	02
534.	कथित रूप से कोयला आवंटन से संबंधित गायब फाइलों के बार में।	डॉ. मनमोहन सिंह	3.9.2013	00	04
535.	उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'उर्वरकों का उत्पादन, मांग तथा उपलब्धता और उसका वितरण' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन (2011-12) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत जेना	5.9.2013	00	01
536.	रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जितेन्द्र सिंह	5.9.2013	00	01
537.	राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन, श्री श्याम शरण की रिपोर्ट के बारे में।	श्री ए.के. एंटनी	6.9.2013	00	04
		पन्द्रहवां सत्र			
538.	9 दिसम्बर, 2013 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री पबन सिंह घाटोवार	9.12.2013	00	02
539.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति के 166वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पबन सिंह घाटोवार	10.12.2013	00	01

1	2	3	4	5	
540.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत जेना	10.12.2013	00	01
541.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पबन सिंह घाटोवार	10.12.2013	00	01
542.	गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 169वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	10.12.2013	00	01
543.	डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मिलिंद मुरली देवरा	11.12.2013	00	01
544.	भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जयराम रमेश	12.12.2013	00	01
545.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जेसुदासु सीलम	12.12.2013	00	01
546.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 245वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जेसुदासु सीलम	12.12.2013	00	01
547.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. फारूख अब्दुल्ला	13.12.2013	00	01
548.	"उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पर्यटन का विकास" के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 180वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मनीष तिवारी	13.12.2013	00	01
549.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	13.12.2013	00	01

1	2	3	4	5	
550.	3 दिसम्बर से 7 दिसम्बर, 2013 तक बाली, इंडोनेशिया में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मंत्रियों के नौवें सम्मेलन के परिणाम के बारे में।	श्री आनंद शर्मा	17.12.2013		
551.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य:—	श्री ए.एच. खान चौधरी	17.12.2013	00	01
	(एक) आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) (मांग संख्या 47) के बारे में समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 61वां प्रतिवेदन।				
	(दो) एड्स नियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) (मांग संख्या 49) के बारे में समिति के 57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 62वां प्रतिवेदन।				
	(तीन) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) (मांग संख्या 48) के बारे में समिति के 56वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 63वां प्रतिवेदन।				
	(चार) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) (मांग संख्या 46) के बारे में समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 64वां प्रतिवेदन।				
552.	पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 183वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पबन सिंह घाटोवार	17.12.2013	00	01
553.	कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	17.12.2013	00	01
554.	इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री बेनी प्रसाद वर्मा	17.12.2013	00	01

1	2	3	4	5	
555.	उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत जेना	17.12.2013	00	01
556.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीकांत जेना	17.12.2013	00	01
557.	वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 107वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. ई.एम. सुदर्शन नाचीयप्पन	17.12.2013	00	01
558.	औद्योगिक नीति और सवंर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 108वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. ई.एम. सुदर्शन नाचीयप्पन	17.12.2013	00	01
559.	आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय एवं विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री जेसुदासु सीलम	18.12.2013	00	01
560.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समति के 239वें और 244वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री के.एच. मुनियप्पा	18.12.2013	00	01
561.	अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 242वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री कपिल सिब्बल	18.12.2013	00	01
562.	दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मिलिंद मुरली देवरा	18.12.2013	00	01
563.	इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मिलिंद मुरली देवरा	18.12.2013	00	01

1	2	3	4	5	
564.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 247वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री एस. जयपाल रेड्डी	6.2.2014	00	01
565.	रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति: (एक) रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल में यात्री सुविधाएं और यात्री सुरक्षा' के बारे में 19वां प्रतिवेदन; और (दो) रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 20वां प्रतिवेदन।	श्री अधीर रंजन चौधरी	6.2.2014	00	01
566.	10 फरवरी, 2014 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य।	श्री वी. नारायणसामी	7.2.2014	00	02
567.	सर्वश्री यशवीर सिंह और नीरज शेखर, संसद सदस्यों द्वारा "रक्षा सौदों में अनियमितताएं" के बारे में 16 दिसम्बर, 2013 को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 144 के उत्तर में शुद्धि।	श्री ए.के. एंटनी	10.2.2014	00	01
568.	कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. चरण दास महंत	10.2.2014	00	01
569.	श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	10.2.2014	00	01
570.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति:— (एक) "खाद्यान्नों का निर्यात-प्रीमियम नॉन-बासमती चावल और गेहूं" के बारे में 103वां प्रतिवेदन; और (दो) 'कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात संवर्धन' के बारे में 104वां प्रतिवेदन।	डॉ. ई.एम. सुदर्शन नाचीयप्पन	10.2.2014	00	01
571.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	प्रो. के.वी. थॉमस	11.2.2014	00	01

1	2	3	4	5	
572.	कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	11.2.2014	00	01
573.	भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों के बारे में रसायन तथा उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (भेषज विभाग) के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री दिनशा जे. पटेल	11.2.2014	00	01
574.	समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सूचीबद्ध करने से संबंधित मुद्दों का समाधान करने हेतु एक कार्यबल के गठन तथा तत्संबंधी मामलों के बारे में।	श्री वी. किशोर चन्द्र देव	12.2.2014	00	01
575.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. (कुमारी) गिरिजा व्यास	12.2.2014	00	01
576.	योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 69वें और 77वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री राजीव शुक्ल	12.2.2014	00	01
577.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वस्तुस्थिति के बारे में।	श्री सुशील कुमार शिंदे	17.2.2014	00	02
578.	जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री गुलाम नबी आजाद	17.2.2014	00	01
579.	वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 100वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति 105वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री आनंद शर्मा	17.2.2014	00	01
580.	विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया	17.2.2014	00	01
581.	शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती दीपा दासमुंशी	17.2.2014	00	01

1	2	3	4	5	
582.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री ऑस्कर फर्नांडीस	18.2.2014	00	01
583.	इस्पात मंत्रालय से संबंधित राउरकेला इस्पात संयंत्र के मृत कामगारों के कानूनी वारिसों का कल्याण—एक मामला परक अध्ययन, के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री बेनी प्रसाद वर्मा	18.2.2014	00	01
584.	खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री दिनशा जे. पटेल	18.2.2014	00	01
585.	विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती परनीत कौर	18.2.2014	00	01
586.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पबन सिंह घाटोवार	18.2.2014	00	01
587.	'विदेशी एयरलाइंस' के बारे में श्री रघुवीर सिंह मीणा, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 194 के संबंध में 22 अगस्त, 2013 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण।	श्री अजित सिंह	20.2.2014	00	01
588.	'रेल सुरक्षा' के बारे में डॉ. निलेश एन. राणे, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 743 के संबंध में 8 अगस्त, 2013 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण।	श्री अधीर रंजन चौधरी	20.2.2014	00	01
589.	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री प्रदीप जैन "आदित्य"	20.2.2014	00	01
590.	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री प्रदीप जैन "आदित्य"	20.2.2014	00	01
591.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री के. रहमान खान	20.2.2014	00	01

1	2	3	4	5	
592.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 106वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. ई.एम. सुदर्शन नाचीयप्पन	20.2.2014	00	01
593.	वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की मजदूरी की दरों में संशोधन के बारे में।	श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'	21.2.2014	00	01
594.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री भरत सिंह सोलंकी	21.2.2014	00	01
595.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 71वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सचिन पायलट	21.2.2014	00	01
596.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री माणिकराव होडल्या गावित	21.2.2014	00	01
597.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'कच्चे तेल की दीर्घ अवधि क्रय नीति और उसका सामरिक भंडारण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	21.2.2014	00	01

विवरण 45क

(नियम 199 के अधीन दिए गए वक्तव्य)

क्रम.सं.	संक्षिप्त विषय	मंत्री का नाम	तारीख	लिया गया समय	
				घं.	मि.
1.	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद से त्यागपत्र के स्पष्टीकरण का वक्तव्य	डॉ. शशि थरूर	20.4.2010	00	07
2.	मंत्रिपरिषद् से त्यागपत्र के स्पष्टीकरण का वक्तव्य	प्रो. सौगत राय	27.11.2012	00	04
3.	मंत्रिपरिषद् से त्यागपत्र के स्पष्टीकरण का वक्तव्य	श्री सुल्तान अहमद	29.11.2012	00	06

विवरण 46

सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान सभा पटल पर रखे गए पत्रों का ब्यौरा

क्रम.सं.	सत्र	सरकार द्वारा सभा पटल पर रखे गए पत्र	गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा सभा पटल पर रखे गए पत्र	कुल
1.	पहला सत्र	9	शून्य	9
2.	दूसरा सत्र	1429	शून्य	1429
3.	तीसरा सत्र	2113	शून्य	2113
4.	चौथा सत्र	2080	शून्य	2080
5.	पांचवां सत्र	1226	शून्य	1226
6.	छठा सत्र	1679	शून्य	1679
7.	सातवां सत्र	1417	शून्य	1417
8.	आठवां सत्र	1599	शून्य	1599
9.	नौवां सत्र	1712	शून्य	1712
10.	दसवां सत्र	1955	शून्य	1955
11.	ग्यारहवां सत्र	909	शून्य	909
12.	बारहवां सत्र	1657	शून्य	1657
13.	तेरहवां सत्र	2008	शून्य	2008
14.	चौदहवां सत्र	1399	शून्य	1399
15.	पन्द्रहवां सत्र	2760	शून्य	2760
	कुल	23952	शून्य	23952

9

संसदीय समितियां

आधुनिक काल में संसद द्वारा किये जाने वाले कार्य न केवल विभिन्न रूप के हैं अपितु उनका परिमाण भी अत्यधिक है। परन्तु संसद के पास प्रायः सीमित समय होता है। अतः, वह उसके समक्ष प्रस्तुत सभी विधायी तथा अन्य कार्यों पर बारीकी से विचार नहीं कर सकती, इसलिए, उसका काफी कार्य संसदीय समितियों द्वारा किया जाता है। संसद की दोनों सभाओं में कुछ भिन्नताओं के साथ लगभग मिलती-जुलती समिति संरचना है। उनकी नियुक्ति, कार्यकाल, कृत्य तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया भी न्यूनाधिक एक जैसी ही है और इसका विनियमन संविधान के अनुच्छेद 118(1) तथा लोक सभा में *प्रक्रिया तथा कार्य संचालन* नियम के नियम 389 के अंतर्गत जारी निदेशों के अनुसार किया जाता है।

मुख्यतया, संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं: स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां प्रतिवर्ष अथवा आवधिक रूप से निर्वाचित अथवा नियुक्त की जाती हैं तथा इनका कार्य न्यूनाधिक सतत आधार पर चलता रहता है। तदर्थ समितियों की नियुक्ति आवश्यकता पड़ने पर तदर्थ आधार पर की जाती है तथा सौंपे गए कार्य को पूरा कर लेने के लिए उनका अस्तित्व नहीं रहता।

स्थायी समितियां

1. **वित्तीय समितियां:** स्थायी समितियों में तीन वित्तीय समितियां— *प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति* विशेष स्थान रखती हैं क्योंकि वे सरकारी व्यय तथा कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखती हैं। जहां लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से राज्य सभा के सदस्य भी सम्बद्ध होते हैं, वहीं प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोक सभा से ही लिए जाते हैं। इन समितियों की नियंत्रण शक्ति सतत प्रकृति की होती है। ये समितियां प्रश्नावलियों, प्रातिनिधिक गैर-सरकारी संगठनों तथा सुविज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त ज्ञापनों, संगठनों के तत्स्थानिक अध्ययनों एवं सरकारी और गैर-सरकारी साक्षियों के मौखिक लक्ष्य के माध्यम से जानकारी एकत्र करती हैं। उनके बीच, वित्तीय समितियां केन्द्र सरकार के कार्यकलापों के बड़े भाग की जांच करती हैं तथा उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं।

इन समितियों के पास यह सुनिश्चित करने की पर्याप्त प्रक्रियाएं होती हैं कि इनकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा समुचित रूप से विचार किया जाए। सिफारिशों के कार्यान्वयन में प्रगति तथा समितियों और सरकार के बीच अनिर्णीत मतभेदों का विवरण 'की गई कार्यवाही प्रतिवेदनों' में दिया जाता है जो समय-समय पर सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं।

2. **अन्य स्थायी समितियां:** प्रत्येक सभा में अन्य स्थायी समितियों का विभाजन उनके कार्य के आधार पर इस प्रकार किया गया है:—

(एक) जांच करने वाली समितियां

(क) *याचिका समिति* विधेयकों तथा सामान्य लोकहित के मामलों से संबंधित याचिकाओं की जांच करती है तथा संघ सूची में दिए गए विषयों से संबंधित मामलों के बारे में अभ्यावेदनों पर भी विचार करती है; तथा

(ख) *विशेषाधिकार समिति* सभा अथवा लोक सभा अध्यक्ष/ राज्य सभा के सभापति द्वारा उसे सौंपे गए विशेषाधिकार के सभी प्रश्नों की जांच करती है।

(दो) संवीक्षा करने वाली समितियां

(क) *सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति* मंत्रियों द्वारा सभा में दिए गए सभी आश्वासनों, वचनों और परिवचनों इत्यादि का ध्यान रखती है, और (क) आश्वासनों, वचनों, परिवचनों इत्यादि के कार्यान्वयन की स्थिति, और (ख) जहां ये कार्यान्वित हो चुके हों, वहां इनका कार्यान्वयन इस प्रयोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम समय के भीतर हुआ था अथवा नहीं के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

(ख) *अधीनस्थ विधान संबंधी समिति* इस बात की संवीक्षा करती है और सभा को प्रतिवेदन देती है कि क्या विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि बनाने के लिए संविधान अथवा संविधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इसके लिए प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा समुचित रूप से किया जा रहा है; और

(ग) *सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति* उन सांविधिक अधिसूचनाओं और आदेशों को छोड़कर जो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हों, मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे गए सभी पत्रों की जांच इस दृष्टि से करती है कि क्या संविधान, अधिनियम, नियम अथवा विनियम, जिसके अंतर्गत पत्र सभा पटल पर रखा गया है, के उपबंधों का पूर्णतया पालन हुआ है।

(तीन) सभा के दिन-प्रतिदिन के कार्य संबंधी समितियां

(क) *कार्य मंत्रणा समिति* सभा के समक्ष लाए जाने वाले सरकारी तथा अन्य कार्य की मदों के लिए समय के नियतन की सिफारिश करती है।

(ख) लोक सभा के *गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति* गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पुर:स्थापित विधेयकों को वर्गीकृत करती है तथा इनके लिए समय का नियतन करती है, गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा के लिए समय के नियतन की सिफारिश करती है तथा लोक सभा में गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पुर:स्थापित किए जाने से पूर्व उनकी जांच करती है। तथापि, राज्य सभा में ऐसी कोई समिति नहीं है। उस सभा की कार्य मंत्रणा समिति ही गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा के लिए समय के नियतन की सिफारिश करती है।

(ग) *नियम समिति* सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के मामलों पर विचार करती है तथा नियमों में संशोधन अथवा परिवर्धनों की सिफारिश करती है।

(घ) लोक सभा की *'सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति'* सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति हेतु सदस्यों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर विचार करती है। राज्य सभा में ऐसी कोई समिति नहीं है। अत:, अनुपस्थिति की अनुमति के संबंध में राज्य सभा के सदस्यों के आवेदनों पर सभा द्वारा स्वयं ही विचार किया जाता है।

(चार) सदस्यों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित समितियां

(क) *सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति* सभा के ऐसे सभी कार्यों से संबंधित मामलों पर विचार करती है और इनके बारे में लोक सभा अध्यक्ष/राज्य सभा के सभापति को सलाह देती है जो समुचित रूप से किसी अन्य संसदीय समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं आते; तथा

(ख) *आवास समिति* सदस्यों के लिए आवास तथा अन्य सुख-सुविधाओं से संबंधित मामले देखती है।

(पांच) संयुक्त समितियां

(क) *अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति* जिसमें दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर विचार करती है जो केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आते हैं तथा इस बात पर भी निगरानी रखती है कि क्या इन वर्गों के संबंध में किए गए संवैधानिक सुरक्षोपायों का समुचित रूप से कार्यान्वयन हो रहा है।

(ख) *महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति* जिसमें दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं, का गठन अप्रैल, 1997 में हुआ था जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, दर्जा, गरिमा और समानता सुनिश्चित कराना था।

(ग) *संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति,* जिसका गठन संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अंतर्गत किया गया था, संसद सदस्यों के वेतन, भत्तों और पेंशन के भुगतान के विनियमन के लिए नियम बनाने के अलावा चिकित्सा, आवास, टेलीफोन, डाक, निर्वाचन-क्षेत्र तथा सचिवीय सुविधाओं जैसी सुख-सुविधाओं के बारे में भी नियम बनाती है।

(घ) *लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति* केन्द्र तथा राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा नियुक्त समितियों और अन्य निकायों की संरचना और स्वरूप की जांच करती है तथा सिफारिश करती है कि किन पदों को धारण करने से कोई व्यक्ति संसद की किसी भी सभा की सदस्यता से निरर्ह होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए; तथा

(ङ) *ग्रंथालय समिति,* जिसमें दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं संसद के ग्रंथालय से संबंधित मामलों पर विचार करती है।

3. विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां: कार्यपालिका की जवाबदेही बढ़ाने में संसदीय समितियों द्वारा किए गए कार्य को अब न केवल मान्यता प्रदान की जाती है बल्कि उसकी सराहना भी होती है। तथापि, विद्यमान प्रणाली सरकारी कृत्यों की जटिलता के परिणामस्वरूप उत्पन्न विविध कृत्यों से निपटने के लिए अपर्याप्त पाई गई। इस परिस्थिति के कारण समिति प्रणाली में तत्काल सुधार लाकर विधायी दायित्वों के निर्वहन के लिए बेहतर पद्धतियों, साधनों के लिए तदर्थ बजट समितियों के गठन का प्रस्ताव रखा गया।

इस दिशा में पहला कदम 21 जनवरी, 1978 को भुवनेश्वर में आयोजित भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उठाया गया जब सभी मंत्रालयों और विभागों की अनुदानों की मांगों की मतदान-पूर्व संवीक्षा के लिए तदर्थ बजट समितियों का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया। विषय समिति प्रणाली आरंभ करने के प्रश्न पर जनवरी, 1984 में नई दिल्ली में आयोजित तीसरे क्षेत्रीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के दौरान और पुन: जून, 1985 में तिरुवनंतपुरम में आयोजित पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक में सविस्तार चर्चा की गई थी। 27 अक्तूबर, 1985 को लखनऊ में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सभी मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों की मतदान-पूर्व संवीक्षा के संबंध में तदर्थ बजट समितियों का गठन करने संबंधी प्रतिवेदन पर विचार किया गया और वह स्वीकृत हुआ। आठवीं लोक सभा की नियम समिति ने 30 मार्च और 9 मई, 1989 को हुई अपनी बैठकों में दूरगामी प्रभाव वाले प्रस्ताव तैयार किए। सर्वप्रथम, इसने तीन विषय समितियों, अर्थात् कृषि संबंधी समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति तथा पर्यावरण और वन संबंधी समिति गठित करने की सिफारिश की। सभा ने 18 अगस्त, 1989 को इन समितियों का गठन किया।

इन तीनों समितियों के कार्य-निष्पादन से प्रोत्साहित होकर, 1993 में विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की व्यापक प्रणाली की स्थापना की गई। अप्रैल, 1993 से विभागों से सम्बद्ध 17 स्थायी समितियां (6 समितियां राज्य सभा सचिवालय के पास और 11 समितियां लोक सभा सचिवालय के पास) गठित की गईं जिनके कार्यक्षेत्र में केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आते हैं।

इन स्थायी समितियों[1] को चौदहवीं लोक सभा में जुलाई, 2004 में पुनर्गठित किया गया तथा इन समितियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 (8 राज्य सभा सचिवालय और 16 लोक सभा सचिवालय के पास) कर दी गई (जैसा कि निम्नलिखित विवरण 47क के क्रमश: भाग-एक और दो में उल्लिखित है) जिनके कार्यक्षेत्र में भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आते हैं। विभागों से संबद्ध प्रत्येक स्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं जिनमें से लोक सभा के 21 सदस्य तथा राज्य सभा के 10 सदस्य होते हैं और जिन्हें क्रमश: लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्देशित किया जाता है।

[1]आचारी, पी.डी.टी.: *पार्लियामेंट ऑफ इंडिया* (5वां संस्करण), लोक सभा सचिवालय, 2008, पृ. 222।

संसद की विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के रूप में लाए गए संस्थागत परिवर्तनों[2] ने हमारी संसद के कार्यकरण में नया आयाम जोड़ दिया है।

विभागों से सम्बद्ध प्रत्येक स्थायी समिति के कृत्य इस प्रकार हैं:—

(क) संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और उनके संबंध में सभाओं को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार के कटौती प्रस्तावों का सुझाव नहीं दिया जाता;

(ख) संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना जो राज्य सभा के सभापति अथवा लोक सभा अध्यक्ष, यथास्थिति, द्वारा सौंपे गए हों और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ग) मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना; और

(घ) दोनों सभाओं में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेजों, जो राज्य सभा के सभापति या लोक सभा अध्यक्ष, यथास्थिति, द्वारा समिति को सौंपे गए हों, पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

तथापि, ये स्थायी समितियां मंत्रालयों/विभागों से जुड़े दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों पर विचार नहीं करेंगी।

विवरण 47क[3]

क्रम.सं.	समिति का नाम	मंत्रालय/विभाग
1	2	3
	भाग एक (राज्य सभा सचिवालय के पास)	
1.	वाणिज्य संबंधी समिति	वाणिज्य और उद्योग
2.	गृह कार्य संबंधी समिति	(1) गृह (2) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास
3.	मानव संसाधन विकास संबंधी समिति	(1) मानव संसाधन विकास (2) युवक कार्यक्रम और खेल (3) महिला और बाल विकास
4.	उद्योग संबंधी समिति	(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम (2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
5.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति	(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (2) अंतरिक्ष (3) पृथ्वी विज्ञान (4) परमाणु ऊर्जा (5) पर्यावरण और वन
6.	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति	(1) नागर विमानन (2) सड़क परिवहन और राजमार्ग (3) पोत परिवहन (4) संस्कृति (5) पर्यटन
7.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
8.	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति	(1) विधि और न्याय (2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन

[2]चटर्जी, सोमनाथ: 'भारत में संसदीय लोकतंत्र की प्रासंगिकता' विषय पर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा आयोजित श्री जयंतराव तिलक स्मारक व्याख्यान, पुणे, 10 नवम्बर, 2004।
[3]http://www.loksabha.nic.in

1	2	3
	भाग दो **(लोक सभा सचिवालय के पास)**	
9.	कृषि संबंधी समिति	(1) कृषि (2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
10.	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (2) सूचना और प्रसारण
11.	रक्षा संबंधी समिति	रक्षा
12.	ऊर्जा संबंधी समिति	(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (2) विद्युत
13.	विदेशी मामलों संबंधी समिति	(1) विदेश (2) प्रवासी भारतीय कार्य
14.	वित्त संबंधी समिति	(1) वित्त (2) कॉर्पोरेट कार्य (3) योजना (4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
15.	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
16.	श्रम संबंधी समिति	(1) श्रम और रोजगार (2) वस्त्र
17.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
18.	रेल संबंधी समिति	रेल
19.	शहरी विकास संबंधी समिति	(1) शहरी विकास (2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन
20.	जल संसाधन संबंधी समिति	जल संसाधन
21.	रसायन और उर्वरक संबंधी समिति	रसायन और उर्वरक
22.	ग्रामीण विकास संबंधी समिति	(1) ग्रामीण विकास (2) पेयजल और स्वच्छता (3) पंचायती राज
23.	कोयला और इस्पात संबंधी समिति	(1) कोयला (2) खान (3) इस्पात
24.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (2) जनजातीय कार्य (3) अल्पसंख्यक मामले

चौदहवीं लोक सभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने संसदीय समिति प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु अनेक नयी पहलें कीं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी—1 सितम्बर, 2004 को जारी अध्यक्ष का निदेश 73-क[4], जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय के संबंध में सभा में प्रस्तुत की गयी लोक सभा की विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में छह माह में एक बार सभा में वक्तव्य देगा। नये निदेश 73-क का महत्व यह है कि इसके द्वारा सरकार को यह निदेश दिया जाता है कि वह समिति प्रतिवेदनों के कार्यान्वयन की स्थिति स्पष्ट करे। निदेश 73-क के जारी होने के पूर्व सरकार संसद को सिर्फ इतना बताती थी कि समिति की सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है अथवा नहीं।

4. तदर्थ समितियां: तदर्थ समितियों को मोटे-तौर पर दो शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (क) ऐसी समितियां जिनका गठन विशिष्ट विषयों की जांच करने और उन पर प्रतिवेदन देने हेतु समय-समय पर, या तो दोनों सभाओं द्वारा तत्संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत करके अथवा लोक सभा अध्यक्ष/राज्य सभा के सभापति द्वारा किया जाता है, और (ख) विधेयकों और नीतिगत मामलों संबंधी संयुक्त/प्रवर समितियां ऐसी कुछ तदर्थ समितियां इस प्रकार हैं:—

(एक) संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी समिति

(दो) संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और संसदविदों के चित्र/प्रतिमाएं लगाने संबंधी समिति

(तीन) संसद परिसर में सुरक्षा संबंधी समिति

(चार) आचार समिति

(पांच) वक्फ़ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति

(छह) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

(सात) संसद सदस्यों को कम्प्यूटर प्रदान करने संबंधी समिति

(आठ) रेल अभिसमय समिति

(नौ) संसद भवन परिसर के पारम्परिक स्वरूप के अनुरक्षण और विकास संबंधी संयुक्त संसदीय समिति

(दस) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

(ग्यारह) लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति।

5. जांच समिति

दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच संबंधी संयुक्त समिति की नियुक्ति पन्द्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान की गई। दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच के लिए संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव लोक सभा द्वारा 24.2.2011 को पारित किया गया। राज्य सभा ने 1 मार्च, 2011 को उक्त प्रस्ताव पर सहमति दी। एक संयुक्त समिति का गठन किया गया जिसमें लोक सभा के 20 और राज्य सभा के 10 सदस्य हैं। लोक सभा सदस्य, श्री पी.सी. चाको को 4.3.2011 को इस संयुक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

समिति ने कुल 57 बैठकें कीं। समिति की बैठकों में लगभग 155 घंटे का समय लगा। समिति ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (दूरसंचार विभाग), वित्त मंत्रालय (राजस्व और आर्थिक कार्य विभाग), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारत के नियंत्रक — महालेखा परीक्षक और केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की, उनके मौखिक साक्ष्य लिए और उनसे बातचीत की। समिति ने भारत के महान्यायवादी, गैर-सरकारी साक्ष्यों, संघों और अन्य व्यक्तियों के साथ भी बातचीत की।

समिति का प्रतिवेदन 2011 के मानसून सत्र के अंत तक सभा को प्रस्तुत किया जाना था, किंतु समिति ने 5 बार अर्थात् बजट सत्र 2012, मानसून सत्र, 2012, बजट सत्र 2013, मानसून सत्र 2013 और अंतत: संसद के अनुवर्ती सत्र तक समय बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। समिति ने 27 सितम्बर, 2013 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया। प्रतिवेदन 29 अक्तूबर, 2013 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया, 9.12.2013 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा 10.12.2013 को राज्य सभा के सभा पटल पर रखा गया।

संसदीय समितियों का प्रभाव

संसदीय समितियां[5] संसदीय लोकतंत्र के सुचारु संचालन एवं सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन समितियों के बारे में यह ठीक ही कहा गया है कि ये न केवल सम्पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने बल्कि जवाबदेही तंत्र को भी सुदृढ़ करने का एक सशक्त साधन हैं। समितियां अपनी सिफारिशों के माध्यम से सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों तथा सरकार के कार्यकरण की रीति को काफी हद तक प्रभावित करती हैं और इनकी सिफारिशों के आधार पर संसद में कई विधान पुर:स्थापित किए गए तथा अनेक प्रत्यायोजित विधान बनाये गये हैं।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान समितियों द्वारा किया गया कार्य

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान तीन वित्तीय समितियों की कुल 383 बैठकें हुई और उन्होंने 169 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। विभागों से संबद्ध विभिन्न स्थायी समितियों की कुल 2096 बैठकें हुईं और उन्होंने 1018 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। कुल मिलाकर, संसदीय समितियों की 2479 बैठकें हुईं और उन्होंने 1187 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

[4]आचारी, पी.डी.टी., (संपा): भारत की संसद, उद्धृत कृति, पृ.225।

[5]मुत्तेमवार, विलास: "उत्तरदायिता तंत्र को सुदृढ़ करने में संसदीय समितियों की भूमिका" श्री जी.सी. मल्होत्रा कृत, भारतीय संसद के पचास वर्ष, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2002, पृ. 402

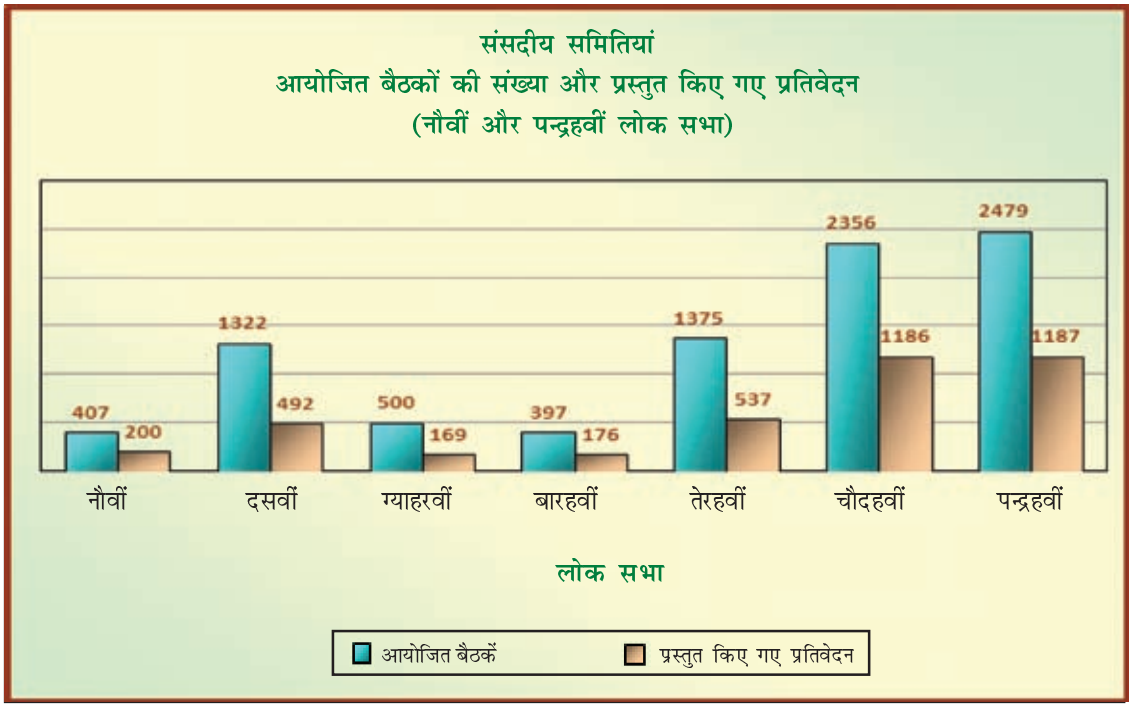

विवरण 47ख में पन्द्रहवीं लोक सभा की अवधि के दौरान विभिन्न संसदीय समितियों द्वारा किए गए कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान निम्नलिखित तीन समितियां[6] नियुक्त की गईं:—

(क) **अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति:** अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का गठन जून, 2012 में संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद हुआ। इस समिति में दोनों सभाओं के सदस्य शामिल हैं और यह समिति अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए और संघ के अंतर्गत सेवाओं और पदों में अन्य पिछड़े वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उठाए गए कदमों की जांच करती है।

(ख) **लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति:** माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने दिनांक 2 अगस्त, 2012 के समाचार भाग-2 संख्या 4274 के द्वारा लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी तदर्थ समिति का गठन किया जिसका कार्य संसद सदस्यों के साथ सरकारी कार्य व्यवहार के संबंध में समय-समय पर निर्धारित नयाचार प्रतिमानों के उल्लंघन; प्रशासन और संसद सदस्यों के बीच सरकारी कार्य व्यवहार के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या दिशानिर्देशों के उल्लंघन; और सरकारी कार्य व्यवहार के दौरान सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी सदस्य के साथ अशिष्ट व्यवहार के संबंध में अध्यक्ष द्वारा इसे सौंपी गई प्रत्येक शिकायत की जांच करना तथा ऐसी सिफारिशें करना है जो वह उचित समझे।

(ग) **संसद भवन परिसर के पारम्परिक स्वरूप के अनुरक्षण और विकास संबंधी एक द्विस्तरीय समिति का गठन 15 दिसम्बर, 2009 को किया गया** — (एक) माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी), और (दो) लोक सभा के महासचिव की अध्यक्षता में इस क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों वाली स्थायी तकनीकी समिति (एसटीसी)। एसटीसी को संसद भवन परिसर के पारंपरिक स्वरूप के अनुरक्षण के बारे में शीर्ष समिति अर्थात् संयुक्त संसदीय समिति को सलाह देने का अधिदेश दिया गया। एसटीसी संसद भवन के अनुरक्षण, निर्माण, परिवर्धन/परिवर्तन इत्यादि से जुड़े सभी प्रमुख प्रस्तावों की गहन जांच करती है और अपनी सिफारिशें अंतिम अनुमोदन हेतु जेपीसी के विचारार्थ प्रस्तुत करती है। जेपीसी की बैठकों में संसद भवन के पारम्परिक स्वरूप को परिरक्षित, संरक्षित और सुरक्षित रखने के बारे में निर्णय लिया जाता है।

[6]समिति शाखाओं के सौजन्य से।

विवरण 47ख

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान संसदीय समितियों के कार्यकलाप

समिति	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 21.02.2014 तक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
(एक) वित्तीय समितियां						
प्राक्कलन समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	5 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 3)	5 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 3)	7 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 3)	7 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 3)	12 (मूल: 7; की गई कार्यवाही: 5)	36 (मूल: 19; की गई कार्यवाही: 17)
बैठकों की संख्या	21	28	17	22	28	116
बैठकों की अवधि (घंटों में)	48.15	57.30	37.45	40.25	39.50	223.45
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	6200	6550	5850	7125	7650	33375
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	शून्य	7	6	87	10	30
लोक लेखा समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	21 (मूल: 13; की गई कार्यवाही: 8)	13 (मूल: 7; की गई कार्यवाही: 6)	25 (मूल: 15; की गई कार्यवाही: 10)	27 (मूल: 10; की गई कार्यवाही: 17)	14 (मूल: 9; की गई कार्यवाही: 5)	100 (मूल: 54; की गई कार्यवाही: 46)
बैठकों की संख्या	19	49	27	35	39	169
बैठकों की अवधि (घंटों में)	32.05	93.05	51.50	67.55	50.40	295.35
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	20000	45000	35000	50000	50000	20000
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	6	3	4	4	4	21
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/संस्थानों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	4	4	8
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	8 (मूल: 5; की गई कार्यवाही: 3)	3 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 1)	4 (मूल: शून्य; की गई कार्यवाही: 4)	10 (मूल: 3; की गई कार्यवाही: 7)	8 (मूल: 5; की गई कार्यवाही: 3)	33 (मूल: 15; की गई कार्यवाही: 18)

1	2	3	4	5	6	7
बैठकों की संख्या	17	17	14	26	24	98
बैठकों की अवधि (घंटों में)	24.10	22.40	22.45	39.55	31.55	143.25
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	9250	11250	11800	12470	12800	57570
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	शून्य	13	शून्य	14	शून्य	27

(दो) विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां

कृषि संबंधी समिति

प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	प्रतिवेदन: (क) अनुदानों की मांगें-8 (ख) मूल (विषय)-1 (ग) बिल-1 (घ) की गई कार्रवाई-2 कुल = 12	प्रतिवेदन: (क) अनुदानों की मांगें-4 (ख) मूल (विषय)-2 (ग) बिल-शून्य (घ) की गई कार्रवाई-8 कुल = 14	प्रतिवेदन: (क) अनुदानों की मांगें-4 (ख) मूल (विषय)-2 (ग) बिल-शून्य (घ) की गई कार्रवाई-6 कुल = 12	प्रतिवेदन: (क) अनुदानों की मांगें-4 (ख) मूल (विषय)-शून्य (ग) बिल-3 (घ) की गई कार्रवाई-5 कुल = 12	प्रतिवेदन: (क) अनुदानों की मांगें-शून्य (ख) मूल (विषय)-4 (ग) बिल-1 (घ) की गई कार्रवाई-6 कुल = 11	61
बैठकों की संख्या	40	40	44	39	20	183
बैठकों की अवधि (घंटों में)	102.49	82.45	83.52	108.10	32.50	409.06
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	15871	17763	13561	11533	9889	68617
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	4	7	4	5	1	21

रसायन और उर्वरक संबंधी समिति

प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	12 (मूल: 8; की गई कार्यवाही: 4)	8 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 4)	8 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 4)	11 (मूल: 6; की गई कार्यवाही: 5)	5 (मूल: शून्य; की गई कार्यवाही: 5)	44 (मूल: 22; की गई कार्यवाही: 22)
बैठकों की संख्या	23	14	12	15	5	69
बैठकों की अवधि (घंटों में)	33.45	18.20	14.15	16.30	5.15	88.05
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	3600 लगभग	2600 लगभग	2800 लगभग	3200 लगभग	2400 लगभग	14600 लगभग

*दौरों के लिए।

1	2	3	4	5	6	7
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	2 संगठन 6 स्थान	5 संगठन 7 स्थान	8 संगठन 8 स्थान	7 संगठन 7 स्थान	6 संगठन 4 स्थान	28 संगठन 32 स्थान
कोयला और इस्पात संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	6 (मूल: 6; की गई कार्यवाही: शून्य)	13 (मूल: 5; की गई कार्यवाही: 8)	7 (मूल: 3; की गई कार्यवाही: 4)	14 (मूल: 11; की गई कार्यवाही: 3)	13 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 9)	53 (मूल: 29; की गई कार्यवाही: 24)
बैठकों की संख्या	20	15	24	24	12	95
बैठकों की अवधि (घंटों में)	42.15	25.10	49.30	42	18.30	177.25
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	5060	2748	3282	2672	1632	15394
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	—	—	—	—	—	—
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	4	9	8	7	4	32
रक्षा संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	8 (मूल: 3; की गई कार्यवाही: 5)	4 (मूल: 1; की गई कार्यवाही: 3)	4 (मूल: 3; की गई कार्यवाही: 1)	4 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 2)	2 (मूल: 1; की गई कार्यवाही: 1)	22 (मूल: 10; की गई कार्यवाही: 12)
बैठकों की संख्या	21	13	14	16	11	75
बैठकों की अवधि (घंटों में)	32.10	22.30	28.05	27	16.25	126.30
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	2647 लगभग	2322 लगभग	2873 लगभग	3476 लगभग	735 लगभग	12053 लगभग
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	9	16	12	21	शून्य	58
ऊर्जा संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	11 (मूल: 7; की गई कार्यवाही: 4)	9 (मूल: 5; की गई कार्यवाही: 4)	10 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 6)	8 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 4)	6 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 4)	44 (मूल: 22; की गई कार्यवाही: 22)

1	2	3	4	5	6	7
बैठकों की संख्या	20	15	14	11	6	66
बैठकों की अवधि (घंटों में)	34.40	44.05	18.30	26.25	14.00	137.40
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	3350 लगभग	2578 लगभग	3210 लगभग	2570 लगभग	2460 लगभग	14168 लगभग
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	3	7	6	9	3	28
विदेशी मामलों संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	6 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 2)	4 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 2)	7 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 3)	5 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 3)	3 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 1)	25 (मूल: 14; की गई कार्यवाही: 11)
बैठकों की संख्या	24@@	16#	34$	30^	10!	114@
बैठकों की अवधि (घंटों में)	37.40	23.50	36.05	43.05	12.55	153.35
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	4000*	3900*	3200*	3000*	3500*	17600*
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	5	शून्य	3	4	शून्य	12
वित्त संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	25 (मूल: 19; की गई कार्यवाही: 6)	15 (मूल: 10; की गई कार्यवाही: 5)	19 (मूल: 14; की गई कार्यवाही: 5)	15 (मूल: 6; की गई कार्यवाही: 9)	10 (मूल: 3; की गई कार्यवाही: 7)	84 (मूल: 56; की गई कार्यवाही: 28)
बैठकों की संख्या	24	24	30	22	12	112
बैठकों की अवधि (घंटों में)	82.00	76.40	86.05	66.40	28.05	339.30
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	24300	12100	33900	13300	5700	89300

@@वर्ष 2009-10 के दौरान आयोजित कुल 24 बैठकों में से 5 बैठकें विदेशी शिष्टमंडलों के सदस्यों से भेंट और संवाद हेतु आयोजित की गईं।
#वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित कुल 16 बैठकों में से 7 बैठकें विदेशी शिष्टमंडलों के सदस्यों से भेंट और संवाद हेतु आयोजित की गईं।
$वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित कुल 34 बैठकों में से 11 बैठकें विदेशी शिष्टमंडलों के सदस्यों से भेंट और संवाद हेतु आयोजित की गईं।
^वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित कुल 30 बैठकों में से 14 बैठकें विदेशी शिष्टमंडलों के सदस्यों से भेंट और संवाद हेतु आयोजित की गईं।
!वर्ष 2013 के दौरान 31.3.14 तक आयोजित कुल 10 बैठकों में से 2 बैठकें विदेशी शिष्टमंडलों के सदस्यों से भेंट और संवाद हेतु आयोजित की गईं।
@पंद्रहवीं लोक सभा के दौरान आयोजित कुल 114 बैठकों में से 39 बैठकें विदेशी शिष्टमंडलों के सदस्यों से भेंट और संवाद हेतु आयोजित की गईं।
*प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के दौरान (लगभग संख्या)।

1	2	3	4	5	6	7
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	संगठन: 7 स्थान: 1	संगठन: 32 स्थान: 7	संगठन: 23 स्थान: 7	संगठन: 23 स्थान: 6	शून्य	संगठन: 85 स्थान: 21
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	10 (मूल: 7; की गई कार्यवाही: 3)	4 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 2)	9 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 5)	8 (मूल: 5; की गई कार्यवाही: 3)	2 (मूल: 1; की गई कार्यवाही: 1)	33 (मूल: 19; की गई कार्यवाही: 14)
बैठकों की संख्या	24	12	22	32	8	98
बैठकों की अवधि (घंटों में)	34.10	20.05	26.55	54.25	8.30	144.05
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	8855	7280	142095	56125	5050	219405
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	—	—	—	—	—	—
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	26	31	34	33	13	137
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवदेनों की संख्या	14 (मूल: 8; की गई कार्यवाही: 6)	11* (मूल: 7; की गई कार्यवाही: 7)	12** (मूल: 9; की गई कार्यवाही: 3)	10*** (मूल: 6; की गई कार्यवाही: 4)	7**** (मूल: 3; की गई कार्यवाही: 4)	54 (मूल: 33; की गई कार्यवाही: 21)
बैठकों की संख्या	22	14	23	17	8	84
बैठकों की अवधि (घंटों में)	44	25.15	41.40	28.35	7.40	147.10
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	8995	1270	7457	8747	981#	27450
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	1@	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	8	17	13	4	9	51

* संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित "डाकघरों का आधुनिकीकरण", प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2010 और "डाकघरों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी का संवितरण" के बारे में क्रमश: 15वें, 18वें और 25वें प्रतिवेदनों सहित।

** इनमें "केबल टेलीविजन, नेटवर्क (विनियमन) दूसरा संशोधन विधेयक, 2011" और सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक परिदान, 2011 के बारे में 36वां और 37वां प्रतिवेदन शामिल हैं।

*** "प्रेस और पुस्तक तथा प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2011" और "पेड न्यूज से संबंधित मुद्दे" विषय पर क्रमश: 42वां और 47वां प्रतिवेदन शामिल है।

**** "साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा तथा निजता का अधिकार" और दूरसंचार टावरों की स्थापना के लिए मानदंड, इसके हानिकारक प्रभाव और दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार में सुरक्षा मानदंडों की स्थापना विषयों पर क्रमश: 52वां और 53वां प्रतिवेदन शामिल हैं। इनमें "डाक विभाग में कारोबार विकास और विपणन रणनीति" विषय पर 54वां प्रतिवेदन भी शामिल है जिसे 11.3.14 को स्वीकार किया गया था और जिसे अभी माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना है।

\# "इलेक्ट्रॉनिक/आईटी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन" विषय पर एक उप-समिति का गठन 3.8.11 को किया गया है।

@ 31.3.14 तक।

1	2	3	4	5	6	7
श्रम संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	14 (मूल: 6; की गई कार्यवाही: 8)	6 (मूल: 5; की गई कार्यवाही: 1)	14 (मूल: 7; की गई कार्यवाही: 7)	4 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 0)	8 (मूल: 3*; की गई कार्यवाही: 5**)	46 (मूल: 25; की गई कार्यवाही: 21)
बैठकों की संख्या	21	23	20	15	8	87
बैठकों की अवधि (घंटों में)	31.20	35	29	24.50	11.15	131.25
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	1000	1100	1000	1000	600	4700
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	13	28	27	53	23	144***
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	5 (मूल: 3; की गई कार्यवाही: 2)	3 (मूल: 1; की गई कार्यवाही: 2)	6 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 2)	4 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 2)	5 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 3)	23 (मूल: 12; की गई कार्यवाही: 11)
बैठकों की संख्या	12	15	14	16	10	67
बैठकों की अवधि (घंटों में)	17.10	10.45	27.00	29.25	12.45	97.05
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	1950	1650	2450	1750	1600	9400
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	4	8	9	8	3	32
रेल समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	9 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 5)	3 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 1)	4 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 2)	4 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 2)	5 (मूल: 3; की गई कार्यवाही: 2)	25 (मूल: 13; की गई कार्यवाही: 12)
बैठकों की संख्या	22	15	15	12	10	74
बैठकों की अवधि (घंटों में)	31.10	20.35	23.30	15.45	11.05	102.05

*समिति को भेजे गए विधेयक के बारे में एक प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष को 15.3.2014 को प्रस्तुत किया गया।

**"की गई कार्यवाही" संबंधी प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष को 15.3.2014 को प्रस्तुत किए गए।

***समिति ने मजदूर संघों तथा श्रमिकों/कर्मचारियों इत्यादि के साथ बातचीत की।

1	2	3	4	5	6	7
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	4000 (लगभग)	2500 (लगभग)	3000 (लगभग)	3000 (लगभग)	3500 (लगभग)	16000 (लगभग)
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	—	—	—	—	—	—
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	5	11	11	8	5	40
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	14 (मूल: 9*; की गई कार्यवाही: 5)	8 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 4)	11 (मूल: 7**; की गई कार्यवाही: 4)	13 (मूल: 7; की गई कार्यवाही: 6)	5 (मूल: शून्य; की गई कार्यवाही: 5)	51 (मूल: 27; की गई कार्यवाही: 24)
बैठकों की संख्या	23	15	31	18	8	95
बैठकों की अवधि (घंटों में)	49.45	34.25	62.20	30.55	9.25	186.50
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	55000	28000	38000	40000	12000	173000
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	—	—	—	—	—	—
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	1	2	1	1	—	5
शहरी विकास संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	11	4	5	6	5#	30+1#
बैठकों की संख्या	14	9	10	17	8	58
बैठकों की अवधि (घंटों में)	20.55	16.30	13.45	25.10	11.10	87.30
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	3000 (लगभग)	2,500 (लगभग)	3500 (लगभग)	4500 (लगभग)	5000 (लगभग)	18500 (लगभग)
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	शून्य	शून्य	10	14	शून्य	24
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	9 (मूल: 6; की गई कार्यवाही: 3)	8 (मूल: 5; की गई कार्यवाही: 3)	11 (मूल: 6; की गई कार्यवाही: 5)	10 (मूल: 6; की गई कार्यवाही: 4)	8 (मूल: 4@; की गई कार्यवाही: 4)	46 (मूल: 27; की गई कार्यवाही: 19)

*इनमें संविधान (एक सौ दसवां संशोधन) विधेयक, 2009 के बारे में एक प्रतिवेदन शामिल है।

**इनमें भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 के बारे में दो प्रतिवेदन शामिल हैं।

#समिति ने 12.3.2014 को हुई बैठक में समिति के 31वें प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

@"प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन" विषय पर समिति का 46वां प्रतिवेदन सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के सभापति द्वारा माननीय लोक सभा अध्यक्ष को 15.3.2014 को प्रस्तुत किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
बैठकों की संख्या	15	10	16	21	9	71
बैठकों की अवधि (घंटों में)	28.50	15.55	19.05	27.05	9.25	100.20
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	7000	6000	8000	9000	5000	35000
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	–
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	3	3	2	6	3	17
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	5 (मूल: 3; की गई कार्यवाही: 2)	5 (मूल: 3; की गई कार्यवाही: 2)	4 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 2)	4 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 2)	3 (मूल: 1; की गई कार्यवाही: 2)	21 (मूल: 11; की गई कार्यवाही: 10)
बैठकों की संख्या	16	14	13	10	6	59
बैठकों की अवधि (घंटों में)	20.05	15.30	17.05	15.00	6.00	73.40
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	4000 (लगभग)	4500 (लगभग)	3500 (लगभग)	3200 (लगभग)	3000 (लगभग)	18200 (लगभग)
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	2	4	9	9	शून्य	24
(तीन) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	7 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 3)	4 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 2)	9 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 7)	7 (मूल: 6; की गई कार्यवाही: 1)	8 (मूल: 5; की गई कार्यवाही: 3)	35 (मूल: 19; की गई कार्यवाही: 16)
बैठकों की संख्या	16	16	15	19	14	80
बैठकों की अवधि (घंटों में)	22.58	19.75	17.25	30.5	21.5	111.58
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	2160	3098	3541	4283	4775	17587
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या@	शून्य**	19	15	22	24	80

@ उपर्युक्त 35 प्रतिवेदनों के अलावा समिति ने 15वीं लोक सभा के दौरान 7 अध्ययन दौरों से संबंधित प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए।

** समिति ने मितव्ययिता के कारण कोई अध्ययन दौरा नहीं किया।

1	2	3	4	5	6	7
			(चार) अन्य स्थायी समितियां			
याचिका समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	7 (मूल: 1; की गई कार्यवाही: 6)	8 (मूल: 6; की गई कार्यवाही: 2)	6 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 4)	8 (मूल: 5; की गई कार्यवाही: 3)	5 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 1)	34 (मूल: 18; की गई कार्यवाही: 16)
बैठकों की संख्या	21	15	14	13	5	68
बैठकों की अवधि (घंटों में)	19.55	11.10	19.45	16.40	7.45	75.15
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	2400	5000	2800	5300	5000	20500
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	17	14	11	21	शून्य	63
विशेषाधिकार समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	शून्य	1	1	1	1	4
बैठकों की संख्या	2	11	7	10	7	37
बैठकों की अवधि (घंटों में)	2	14.15	8.20	16.26	13.52	54.53
आचार समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	2
बैठकों की संख्या	3	6	6	शून्य	शून्य	15
बैठकों की अवधि (घंटों में)	2.12	3.35	3.25	शून्य	शून्य	9.12
नियम समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	2	–	–	–	–	2
बैठकों की संख्या	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2
बैठकों की अवधि (घंटों में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	4000	4100	3750	3500	8000	23350
सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बैठकों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बैठकों की अवधि (घंटों में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	2000	1900	2250	2500	2520	11710

1	2	3	4	5	6	7
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	12 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 8)	8 (मूल: 4; की गई कार्यवाही: 4)	7 (मूल: 6; की गई कार्यवाही: 1)	9 (मूल: 5; की गई कार्यवाही: 4)	4 (मूल: 3; की गई कार्यवाही: 1)	40 (मूल: 22; की गई कार्यवाही: 18)
बैठकों की संख्या	11	11	10	12	4	48
बैठकों की अवधि (घंटों में)	10.45	10.55	9.50	7.20	2.45	41.35
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	—	—	—	—	—	—
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	5	12	14	15	0	46
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	11 (मूल: 11; की गई कार्यवाही: शून्य)	7 (मूल: 7; की गई कार्यवाही: शून्य)	7 (मूल: 7; की गई कार्यवाही: शून्य)	10 (मूल: 10; की गई कार्यवाही: शून्य)	5 (मूल: 5; की गई कार्यवाही: शून्य)	40 (मूल: 40; की गई कार्यवाही: शून्य)
बैठकों की संख्या	25	19	13	16	7	80
बैठकों की अवधि (घंटों में)	37.55	25.50	15.55	17.15	9.45	106.40
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	20000	18000	15000	17000	7000	77000
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	शून्य	शून्य	संगठन-5 स्थान-01	शून्य	शून्य	शून्य
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	9 (मूल: 9)	12 (मूल: 12)	8 (मूल: 8)	8 (मूल: 8)	1 (मूल: 1)	38 (मूल: 38)
बैठकों की संख्या	9	12	8	8	1	38
बैठकों की अवधि (घंटों में)	5.45	5.45	4.20	4.15	0.15	20.20
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	3 (मूल: 1; की गई कार्यवाही: 2)	4 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 2)	3 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 1)	3 (मूल: 3; की गई कार्यवाही: शून्य)	1 (मूल: शून्य; की गई कार्यवाही: 1)	14 (मूल: 8; की गई कार्यवाही: 6)

1	2	3	4	5	6	7
बैठकों की संख्या	12	14	8	12	5	51
बैठकों की अवधि (घंटों में)	10.10	13.20	5.10	9.50	3.25	42.25
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	3896	3460	4280	4204	3036	18876
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	दौरे: 1 स्थान: 4 संगठन: 12	दौरे: 2 स्थान: 6 संगठन: 15	दौरे: 1 स्थान: 2 संगठन: 5	दौरे: 1 स्थान: 3 संगठन: 7	शून्य	दौरे: 5 स्थान: 15 संगठन: 39
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	–	3	2	3	3	11
बैठकों की संख्या	–	3	2	3	3	11
बैठकों की अवधि (घंटों में)	–	1.15	0.45	1.30	1.40	5.10
कार्य मंत्रणा समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	16	10	13	9	7	55
बैठकों की संख्या	16	10	13	9	7	55
बैठकों की अवधि (घंटों में)	7.05	4.00	5.20	3.20	2.10	21.55
रेल अभिसमय समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	0 (मूल: 0; की गई कार्यवाही: 0)	1 (मूल: 1; की गई कार्यवाही: शून्य)	1 (मूल: 1; की गई कार्यवाही: शून्य)	3 (मूल: 3; की गई कार्यवाही: शून्य)	3 (मूल: 1; की गई कार्यवाही: 2)	8 (मूल: 6; की गई कार्यवाही: 2)
बैठकों की संख्या	0*	7	9	10	9	35
बैठकों की अवधि (घंटों में)	शून्य	7.30	12.25	11.00	10.25	41.20
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	100	300	310	450	400	1560
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	शून्य	10	7	8	4	29
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	1 (मूल: 1)	3 (मूल: 3)	2 (मूल: 2)	5 (मूल: 5)	शून्य	11 (मूल: 11)

*रेल अभिसमय समिति (2009) का गठन 15 मार्च, 2010 को हुआ तथा समिति की पहली बैठक 29 अप्रैल, 2010 को हुई।

1	2	3	4	5	6	7
बैठकों की संख्या	8	8	6	7	शून्य	29
बैठकों की अवधि (घंटों में)	7.30	5.15	4.40	5.10	शून्य	22.35
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	240	723	615	1050	310	2938
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	5 (मूल: 3; की गई कार्यवाही: 2)	6 (मूल: 3; की गई कार्यवाही: 3)	6 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 4)	4 (मूल: 3; की गई कार्यवाही: 1)	1 (मूल: शून्य; की गई कार्यवाही: 1)	22 (मूल: 11; की गई कार्यवाही: 11)
बैठकों की संख्या	21	13	12	17	6	69
बैठकों की अवधि (घंटों में)	31.45	19.15	18.50	30.40	8.25	108.55
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	2552	2600	2133	2400	450	10135
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	शून्य	27	शून्य	29	शून्य	56
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	3 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 1)	3 (मूल: 1; की गई कार्यवाही: 2)	3 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 1)	3 (मूल: 1; की गई कार्यवाही: 2)	1* (मूल: शून्य; की गई कार्यवाही: 1)	13* (मूल: 6; की गई कार्यवाही: 7)
बैठकों की संख्या	10	11	7	8	3*	39*
बैठकों की अवधि (घंटों में)	12.50	13.55	8.40	7.40	2.05	45.10
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या	230	250	280	320	100*	1180*
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या	7 और 23	5 और 37	6 और 28	10 और 57	4 और 29	32 और 174

*18.3.2014 तक की स्थिति के अनुसार।

1	2	3	4	5	6	7
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या				2 (मूल: 1; की गई कार्यवाही: 1)	3 (मूल: 2; की गई कार्यवाही: 1)	5 (मूल: 3; की गई कार्यवाही: 2)
बैठकों की संख्या				15	15	30
बैठकों की अवधि (घंटों में)				25.00	23.10	48.10
अध्ययन की गई सामग्री के पृष्ठों की संख्या				4750	9630	14380
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या				शून्य	शून्य	शून्य
समिति द्वारा दौरा किए गए प्रतिष्ठानों/संगठनों/स्थानों की संख्या				6	6	12
लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति						
प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	–	–	शून्य	शून्य	2	2
बैठकों की संख्या	–	–	–	3	11	14
बैठकों की अवधि (घंटों में)	–	–	–	3	14	17

10

संसदीय सम्मेलन, विचार-गोष्ठियां और संगोष्ठियां

इस अध्याय में पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान भारत और विदेशों में अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के तत्वावधान में आयोजित कुछ महत्वपूर्ण संसदीय सम्मेलनों, विचार-गोष्ठियों, संगोष्ठियों और बैठकों के संक्षिप्त विवरण और उनके स्वरूप और प्रयोजन की संक्षिप्त रूपरेखा का उल्लेख किया गया है।

1. राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन और विचार-गोष्ठियां

भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन

भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित करने की प्रथा 1919 के मान्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत गठित केन्द्रीय विधान सभा के दिनों से चली आ रही है। इस तरह का पहला सम्मेलन 14 सितंबर, 1921 को दिल्ली में केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष, सर फ्रेड्रिक व्हाइट की अध्यक्षता में हुआ था। दिसंबर, 1923 में दिल्ली में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के तीसरे सम्मेलन में स्वीकार किए गए संकल्प में ऐसे सम्मेलन का उद्देश्य पूरे भारत में संसदीय प्रक्रिया का समुचित समन्वय सुनिश्चित करना बताया गया है।

प्रथानुसार, पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन वर्ष 1946 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जा रहा है। तथापि, वर्ष 1950 से, इस सम्मेलन का आयोजन बारी-बारी से विभिन्न राज्यों की राजधानियों में किया जाता रहा है। इससे पहले इनका आयोजन दिल्ली या शिमला में होता था। लोक सभा अध्यक्ष, सामान्यत: पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का सभापति होता है। सम्मेलन की कार्यसूची राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा चर्चा हेतु सुझाए गए विषयों के आधार पर सम्मेलन के सभापति द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारियों की स्थायी समिति द्वारा तय की जाती है। संसदीय प्रक्रिया के मुद्दों के अतिरिक्त, विधानमंडलों से संबंधित सामान्य हित के अन्य मामलों पर भी ऐसे सम्मेलनों में चर्चा की जाती है।

भारत के विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन सामान्यतया पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से पूर्व आयोजित किया जाता है। तथापि, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन, जिसका वार्षिक सत्र 1946 में आरंभ हुआ था, के विपरीत सचिवों का पहला सम्मेलन 1953 में आयोजित किया गया था। सामान्यतया सचिवों के सम्मेलनों की कार्य-सूची लोक सभा और राज्य सभा के महासचिवों द्वारा राज्य विधानमंडलों के सचिवों द्वारा सुझाए गए विषयों के आधार पर निश्चित की जाती है।

अब तक पीठासीन अधिकारियों के 76 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान पीठासीन अधिकारियों के तीन सम्मेलनों अर्थात् 74वें, 75वें और 76वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान आयोजन पीठासीन अधिकारियों के तीन सम्मेलनों में से प्रत्येक का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नवत् है:

भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 74वां सम्मेलन: भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 74वें सम्मेलन का आयोजन 3-4 फरवरी, 2010 को भोपाल में हुआ। लोक सभा अध्यक्ष और सम्मेलन की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। मध्य प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री ईश्वर दास रोहानी को सम्मेलन का सह-अध्यक्ष चुना गया। मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा आयोजित सम्मेलन में भारत के विधायी निकायों के लगभग सभी पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया।

सम्मेलन में कार्यसूची की निम्नलिखित मदों पर चर्चा हुई:

(एक) विधानमंडलों द्वारा अपनी प्रासंगिकता में वृद्धि करने हेतु स्व-आकलन;

(दो) छोटे राज्यों का सृजन-एक राष्ट्रीय परिदृश्य; और

(तीन) विधानमंडल के प्रशासन में अध्यक्ष की भूमिका।

पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पश्चात् 5 फरवरी, 2010 को ''पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं और वन्य जीव संरक्षण पर ध्यान देने की अत्यावश्यकता'' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने इस विषय पर एक प्रस्तुति भी दी।

पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से पहले 2 फरवरी, 2010 को भारत में विधायी निकायों के सचिवों का 52वां सम्मेलन हुआ।

भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 75वां सम्मेलन: भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 75वें सम्मेलन का आयोजन 20-21 जून, 2010 को श्रीनगर में हुआ। लोक सभा अध्यक्ष और सम्मेलन की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। जम्मू-कश्मीर विधान सभा के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर लोन को सम्मेलन का सह अध्यक्ष चुना गया। जम्मू-कश्मीर विधान सभा द्वारा आयोजित सम्मेलन में भारत के विधायी निकायों के लगभग सभी पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। लोक सभा के उपाध्यक्ष श्री कड़िया मुंडा ने भी सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन में कार्यसूची की निम्नलिखित मदों पर चर्चा हुई:

(एक) संसद में समिति प्रणाली का महत्व और उसे सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता; और

(दो) प्रश्न काल में व्यवधान पैदा करने की बढ़ती प्रवृत्ति और इस पर रोक लगाने की आवश्यकता।

पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पश्चात् 22 जून, 2010 को ''सभा में विधायकों का कार्य-निष्पादन—लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना'' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला ने किया, उन्होंने इस विषय पर एक प्रस्तुति भी दी।

पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से पहले 19 जून, 2010 को भारत के विधायी निकायों के सचिवों का 53वां सम्मेलन का आयोजन किया गया।

भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 76वां सम्मेलन: भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 76वें सम्मेलन का आयोजन 21-22 सितंबर, 2011 को जयपुर में हुआ। लोक सभा अध्यक्ष और सम्मेलन की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत को सम्मेलन का सह अध्यक्ष चुना गया। राजस्थान विधान सभा द्वारा आयोजित सम्मेलन में भारत के विधायी निकायों के लगभग सभी पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया।

सम्मेलन में कार्यसूची की निम्नलिखित मदों पर चर्चा हुई:

(एक) विधान मंडल द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति हेतु अधिकतम अवधि का निर्धारण;

(दो) सुशासन हेतु जांच और कानून बनाने में विधान मंडलों की भूमिका; और

(तीन) गठबंधन सरकार का युग—उसकी बाध्यताएं और चुनौतियां।

कार्यसूची की उपरोक्त मदों के अतिरिक्त कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने संबंधी समिति के सभापति और लोक सभा के उपाध्यक्ष श्री कड़िया मुंडा की अनुपस्थिति में राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष और उक्त समिति के सदस्य श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने संबंधी पीठासीन अधिकारियों की समिति का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। सम्मेलन में प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श हुआ और उसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पश्चात् 23 सितंबर, 2011 को ''नियंत्रण और संतुलन की संवैधानिक योजना को सुदृढ़ बनाना'' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया, उन्होंने इस विषय पर एक प्रस्तुति भी दी।

पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से पहले 20 सितंबर, 2011 को भारत के विधायी निकायों के सचिवों के 54वें सम्मेलन का आयोजन किया गया।

2. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन, विचार-गोष्ठियां आदि

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू)

वर्ष 1889 में स्थापित अंतर-संसदीय संघ विभिन्न राष्ट्रीय संसदों में गठित संसदीय ग्रुपों का एक संघ है जिसका उद्देश्य विभिन्न संसदों के सदस्यों (राष्ट्रीय ग्रुपों के रूप में गठित) के बीच व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाना तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना और विकास हेतु संबंधित देशों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना और उसे बनाए रखने हेतु एक समान कार्यवाही किए जाने के लिए उन्हें संगठित करना है। संसदीय वार्ता के माध्यम से अंतर-संसदीय संघ प्रातिनिधिक संस्थाओं की सुदृढ़ स्थापना के लिए लोगों के बीच शांति और सहयोग के लिए कार्यरत रहा है। वर्तमान में अंतर-संसदीय संघ की सदस्य-संख्या-164 राष्ट्रीय संसदें हैं। अंतर-संसदीय संघ के 5 मुख्य अंग हैं अर्थात् सभा; शासी परिषद्; कार्यकारिणी समिति; स्थायी समितियां और महिला सांसदों की बैठक।

अंतर-संसदीय संघ के कार्यकलापों का निर्धारण और दिशानिर्देशन शासी परिषद द्वारा किया जाता है जो पूर्ण नीति-निर्धारण निकाय है। परिषद् में प्रत्येक राष्ट्रीय ग्रुप का प्रतिनिधित्व उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। कार्यकारिणी समिति संघ का मुख्य प्रशासनिक अंग है जो शासी परिषद् की कार्यवाही के लिए सिफारिशें तैयार करती है। परिषद का प्रेसिडेंट इसका अध्यक्ष होता है और इसमें 15 सदस्य होते हैं।

अंतर-संसदीय संघ की वर्ष में सामान्यतया दो बार सभाएं होती हैं। ये विशाल सम्मेलन होते हैं जिनमें सैंकड़ों संसद-सदस्य अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सदस्य समसामयिक मुद्दों पर संकल्पों के रूप में संसदीय मत व्यक्त करते हैं। पांच दिन का पहला अधिवेशन (सभा) प्राय: किसी सदस्य देश की राजधानी में आयोजित किया जाता है। दूसरा अधिवेशन (सभा) जेनेवा में अंतर-संसदीय संघ के मुख्यालय में आयोजित किया जाता है। सम्मेलन की मेजबानी करने वाला राष्ट्रीय ग्रुप प्राय: सम्मेलन के आयोजन के दायित्व का निर्वहन करता है।

अंतर-संसदीय संघ सम्मेलनों के लिए भेजे गए शिष्टमंडलों में राष्ट्रीय संसदों के विभिन्न राजनीतिक दलों या ग्रुपों के सदस्य होते हैं। इस प्रकार सदस्य देशों के सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों, दोनों को ही सम्मेलन में प्रतिनिधित्व मिलता है। भारत वर्ष 1949 में अंतर-संसदीय संघ में शामिल हुआ और तब से संघ का सक्रिय सदस्य रहा है तथा उसने संघ की सभी बैठकों और समारोहों में भाग लिया है।

अंतर-संसदीय संघ के सम्मेलन

अंतर-संसदीय संघ की 121वीं बैठक : अंतर-संसदीय संघ की 121वीं बैठक 19 से 21 अक्तूबर, 2009 तक जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में हुई। लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में पांच सदस्यीय

भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने बैठक के दौरान निम्नलिखित विषय मदों पर पैनल चर्चा में भाग लिया:-

(एक) संगठित अपराध, विशेष रूप से मादक पदार्थ दुर्व्यापार, अवैध हथियारों की बिक्री, मानव दुर्व्यापार और सीमापार आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में सहयोग और साझा जिम्मेदारी (पहली स्थायी समिति);

(दो) सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की त्वरित उपलब्धि के दृष्टिकोण से दक्षिण - दक्षिण के विकास और त्रिकोणीय सहयोग में संसद की भूमिका (दूसरी स्थायी समिति);

(तीन) लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी (तीसरी स्थायी समिति);

(चार) ह्यूमेन इम्युनोडेफिसिएंसी वायरस (एचआईवी)/एक्वायर्ड इम्युनोडेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स)-रोकथाम, उपचार और देखभाल के संबंध में सार्वभौमिक पहुंच;

(पांच) युद्धरत विश्व : अन्तर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून संबंधी चुनौती और आईपीयू अन्तर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून (आईएचएल) समिति और रेड क्रॉस संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय समिति (आईसीआरसी) द्वारा आयोजित बैठक; और

(छः) मानव अधिकार और सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा।

बैठक ने मतदान के पश्चात् आपातकालीन मद के रूप में 'वैश्विक खाद्य संकट की चुनौती का समाधान और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता' विषय पर एक मद को स्वीकार किया और वाद-विवाद के पश्चात् उक्त विषय पर एक संकल्प को स्वीकार किया।

अंतर-संसदीय संघ की 122वीं बैठक : अंतर-संसदीय संघ की 122वीं सभा का आयोजन 27 मार्च से 1 अप्रैल, 2004 तक बैंकाक (थाईलैंड) में किया गया।

श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा के नेतृत्व में आठ सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने सभा में भाग लिया। अध्यक्ष, लोक सभा ने सभा के मुख्य विषय ''राजनीतिक सामंजस्य और सुशासन के केन्द्र में संसद'' के अंतर्गत विश्व की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर आयोजित सामान्य चर्चा में भाग लिया।

सभा के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई और उन पर संकल्प स्वीकार किए गए:

(एक) संगठित अपराधों विशेष कर मादक पदार्थों के दुर्व्यापार, अवैध हथियार बिक्री, मानव दुर्व्यापार और सीमा-पार आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में सहयोग और साझा जिम्मेदारी (शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी पहली स्थायी समिति)।

(दो) सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की त्वरित उपलब्धि के दृष्टिकोण से दक्षिण-दक्षिण के विकास और त्रिकोणीय सहयोग में संसदों की भूमिका (सतत विकास, वित्त और व्यापार संबंधी दूसरी स्थायी समिति)।

(तीन) लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी (लोकतंत्र और मानवाधिकारों संबंधी तीसरी स्थायी समिति)।

सभा में ''बड़े पैमाने पर विनाशकारी आपदाओं से प्रभावित हैती और चिली के लोगों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकता को सुदृढ़ करने में संसदों की भूमिका और आपदा-संकट आकलन, रोकथाम और न्यूनीकरण के लिए सभी आपदा-संभावित देशों में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता'' विषयांतर्गत आपात-मद पर एक संकल्प भी स्वीकार किया।

अंतर-संसदीय संघ की 123वीं बैठक : अंतर-संसदीय संघ की 123वीं सभा 4 से 6 अक्टूबर, 2010 तक जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में आयोजित की गई। श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा के नेतृत्व में सात सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने सभा में भाग लिया।

सभा के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई और उन पर संकल्प स्वीकार किए गए:

(एक) चुनावी हिंसा की रोकथाम, चुनाव निगरानी में सुधार और सत्ता का सुगम हस्तांतरण सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ विधायी ढांचा उपलब्ध कराना (प्रथम स्थायी समिति)

(दो) प्राकृतिक संसाधनों और कृषि उत्पादन के प्रबंधन तथा जनसांख्यिकीय परिवर्तन के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित करने में संसदों की भूमिका (दूसरी स्थायी समिति)

(तीन) राजनीतिक दलों और चुनाव अभियानों के वित्त पोषण में पारदर्शिता और जवाबदेही (तीसरी स्थायी समिति)

''प्राकृतिक आपदा के समय की जाने वाली कार्यवाही विशेष रूप से बाढ़ पीड़ित पाकिस्तान को राहत अनुदान प्रदान करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय अंतर-संसदीय सहयोग का महत्व'' विषयांतर्गत आपात-मद पर संकल्प भी पारित किया गया।

अंतर-संसदीय संघ की 124वीं बैठक : अंतर-संसदीय संघ की 124वीं सभा 15 से 20 अप्रैल 2011 तक पनामा सिटी (पनामा) में आयोजित की गई। श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा के नेतृत्व में नौ सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने सभा में भाग लिया। अध्यक्ष, लोक सभा ने ''संसदीय उत्तरदायित्व:लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरना'' के समग्र विषय के अंतर्गत ''विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति'' पर आयोजित सामान्य चर्चा के दौरान सभा को संबोधित किया।

सभा के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई और उन पर संकल्प स्वीकार किए गए:

(एक) चुनावी हिंसा की रोकथाम, चुनाव निगरानी में सुधार और सत्ता का सुगम हस्तांतरण सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ विधायी ढांचा उपलब्ध कराना (शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी पहली स्थायी समिति)

(दो) प्राकृतिक संसाधनों और कृषि उत्पादन के प्रबंधन तथा जनसांख्यिकीय परिवर्तन के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित करने में संसदों की भूमिका (सतत विकास, वित्त और व्यापार संबंधी दूसरी स्थायी समिति)

(तीन) राजनीतिक दलों और चुनाव अभियानों के वित्त पोषण में पारदर्शिता और जवाबदेही (लोकतंत्र और मानवाधिकारों संबंधी तीसरी स्थायी समिति)

सभा में ''उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व सहित उभरते हुए लोकतंत्रों में लोकतांत्रिक सुधारों का सुदृढ़ीकरण'' विषयांतर्गत आपात मद पर एक संकल्प भी स्वीकार किया गया। निम्नलिखित विषयों पर पैनल चर्चाएं की गई (एक) अंतरों को कम करना; बच्चों के लिए समानता सुनिश्चित करते हुए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति और (दो) विश्व में हाल ही में हुए राजनैतिक उतार-चढ़ाव: लोकतंत्र हेतु सबक

अंतर-संसदीय संघ की 125वीं बैठक : अंतर-संसदीय संघ की 125वीं सभा 16 से 19 अक्टूबर, 2011 तक बर्न (स्विट्जरलैंड) में आयोजित की गई। श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा के नेतृत्व में छह - सदस्यीय शिष्टमंडल ने सभा में भाग लिया। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों ने सभा के दौरान निम्नलिखित विषयों पर आयोजित पैनल चर्चाओं में भाग लिया:

(एक) शांति और सुरक्षा कायम रखने हेतु साधन के रूप में सुशासन को प्रोत्साहित करना और व्यवहार में लाना: मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में घटित ताजा घटनाक्रमों से सबक सीखना (शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी पहली स्थायी समिति)।

(दो) न केवल सम्पदा अपितु शक्ति का पुन: वितरण: अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्डे का स्वामित्व (सतत् विकास, वित्त और व्यापार संबंधी दूसरी स्थायी समिति)

(तीन) एक मूलभूत अधिकार के रूप में अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार: महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने में संसदों की भूमिका (लोकतंत्र और मानवाधिकारों संबंधी तीसरी स्थायी समिति)

सभा में ''अकाल-ग्रस्त सोमालिया के लोगों की दुर्दशा और आईपीयू सदस्यों द्वारा सहायता के प्रयास'' विषयांतर्गत आपात मद पर एक संकल्प स्वीकार किया गया।

अंतर-संसदीय संघ की 126वीं बैठक : अंतर-संसदीय संघ की 126वीं सभा 31 मार्च से 5 अप्रैल, 2012 तक कम्पाला (युगांडा) में आयोजित की गई। श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा के नेतृत्व में सात-सदस्यीय शिष्टमंडल ने सभा में भाग लिया। अध्यक्ष, लोक सभा ने चर्चा के मुख्य विषय ''संसदें और लोग: अंतर को पाटना'' के अंतर्गत विश्व की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर आयोजित सामान्य चर्चा में भाग लिया। सभा के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई और उन पर संकल्प स्वीकार किए गए:

(एक) शांति और सुरक्षा कायम रखने हेतु साधन के रूप में सुशासन को प्रोत्साहित करना और व्यवहार में लाना: मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में घटित ताजा घटनाक्रमों से सबक सीखना (शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी पहली स्थायी समिति)।

(दो) न केवल सम्पदा अपितु शक्ति का पुन: वितरण: अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्डे का स्वामित्व (सतत विकास, वित्त और व्यापार संबंधी दूसरी स्थायी समिति)

(तीन) एक मूलभूत अधिकार के रूप में अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार: महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण में आने वाली प्रमुख चुनौतियों के समाधान में संसदों की भूमिका (लोकतंत्र और मानवाधिकारों संबंधी तीसरी स्थायी समिति)

सभा के दौरान निम्नलिखित विषयों पर पैनल चर्चाएं भी आयोजित की गई:

(एक) कुपोषण से मुक्ति: पोषण सुरक्षा सुधारने में सांसदों की भूमिका;

(दो) आपदा खतरों में कमी और सतत विकास; और

(तीन) एड्स की बीमारी की रोकथाम हेतु कानून बनाना: नये संक्रमणों, भेदभाव और एड्स-संबंधी मौतों को शून्य स्तर तक लाना।

सभा में ''सीरिया में रक्तपात और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल रोक हेतु अंतर-संसदीय संघ की पहल और सभी जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता सुनिश्चित करने की आवश्यकता और सभी प्रासंगिक अरब लीग और संयुक्त राष्ट्र संकल्पों और शांति प्रयासों के कार्यान्वयन का समर्थन ''विषयांतर्गत आपात-मद पर विचार किया गया और इस पर एक संकल्प भी स्वीकृत हुआ।''

अंतर-संसदीय संघ की 127वीं बैठक : अंतर-संसदीय संघ की 127वीं सभा क्यूबेक सिटी (कनाडा) में 21 से 26 अक्तूबर, 2012 तक आयोजित की गई। श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा के नेतृत्व में एक सात सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने सभा में भाग लिया। सभा के दौरान चर्चा के मुख्य विषय ''वैश्विकृत विश्व में नागरिकता, पहचान, भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नता'' पर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई। अध्यक्ष, लोक सभा ने चर्चा के मुख्य विषयों में से एक ''वैश्विकृत और तेजी से बदलते वातावरण में नागरिकता प्रबंधन हेतु श्रेष्ठ व्यवहार एवं नवोन्मेषी विचार'' विषय पर मुख्य भाषण दिया।

सभा में ''माली में संस्थागत और सुरक्षा संबंधी स्थिति'' विषयांतर्गत आपात-मद पर विचार-विमर्श किया गया और इस विषय पर एक संकल्प भी स्वीकार किया गया।

संयुक्त राष्ट्र मामले संबंधी अंतर-संसदीय संघ की समिति की बैठक में ''परमाणु अप्रसार तथा नि:शस्त्रीकरण का समर्थन'' विषय पर पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया जिसे सभा के दौरान विमोचित किया गया। सभा में भारतीय शिष्टमंडल ने निम्नलिखित पैनल चर्चा में भाग लिया:-

(क) संघर्ष के पश्चात् शांति निर्माण;

(ख) अधिकतम तेल: ऊर्जा सुरक्षा हेतु संभावनाएं;

(ग) संसदीय प्रतिरक्षा: लाभ या भार;

(घ) संसदीय और राजनैतिक कानून; और

(ङ) आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में युवाओं के लिए अवसरों का सृजन।

अंतर-संसदीय संघ की 128वीं बैठक : अंतर-संसदीय संघ की 128वीं सभा क्विटो (इक्वाडोर) में 22 से 27 मार्च, 2013 तक आयोजित की गई। श्री कड़िया मुंडा, उपाध्यक्ष, लोक सभा के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने 25 से 27 मार्च, 2013 तक सभा में भाग लिया। उपाध्यक्ष, लोक सभा ने मुख्य विषय "सतत विकास से उद्देश्यपूर्ण विकास की ओर", ब्यूएन विविर : नए दृष्टिकोण, नए समाधान" पर आयोजित सामान्य चर्चा में भाग लिया।

सभा के दौरान, निम्नांकित विषयों पर चर्चा हुई और उन पर संकल्प स्वीकृत हुए:

(एक) सुरक्षा का उत्तरदायित्व लागू करना: नागरिक सुरक्षा हेतु संसद की भूमिका। (शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी पहली स्थायी समिति)।

(दो) सतत विकास हेतु उचित व्यापार और नवोन्मेषी वित्तीय तंत्र (सतत विकास, वित्त और व्यापार संबंधी दूसरी स्थायी समिति)।

(तीन) नागरिकों की भागीदारी और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में सामाजिक मीडिया सहित मीडिया का उपयोग (लोकतंत्र और मानवाधिकारों संबंधी तीसरी स्थायी समिति)।

निम्नलिखित मुख्य विषयों पर पैनल चर्चा हुई:—

(क) मादक द्रव्यों का वैधीकरण: क्या इससे संगठित अपराधों में कमी होने में मदद मिल सकती है? और

(ख) विकलांग बच्चों के अधिकार।

सभा में ''सीरिया में उत्पन्न संकट से सुरक्षा और मानवता पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने, सीरियाई शरणार्थियों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय उत्तरदायित्व को निभाने में अपनी सरकारों पर दबाव डालने तथा उन्हें शरण देने वाले पड़ोसी देशों को समर्थन देने में संसदों की भूमिका'' विषय पर एक संकल्प भी स्वीकार किया गया।

अंतर-संसदीय संघ की 129वीं बैठक : अंतर-संसदीय संघ की 129वीं सभा जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में 7 से 9 अक्तूबर, 2013 तक आयोजित की गई। श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने सभा में भाग लिया। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों और अध्यक्ष, लोक सभा ने सभा के दौरान निम्नलिखित विषयों पर आयोजित पैनल चर्चा में भाग लिया:—

(एक) परमाणु-हथियार-मुक्त विश्व की ओर: संसदों का योगदान (शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी पहली स्थायी समिति);

(दो) जोखिम-लचीले विकास की ओर; जनसंख्या संबंधी प्रवृत्तियों और प्राकृतिक अवरोधों पर विचार करना (सतत विकास, वित्त और व्यापार संबंधी दूसरी स्थायी समिति);

(तीन) बच्चों, विशेषत: अकेले प्रवासी बच्चों के अधिकारों की रक्षा और युद्ध तथा संघर्ष की स्थिति में उनके शोषण को रोकने में संसदों की भूमिका (लोकतंत्र और मानवाधिकारों संबंधी तीसरी स्थायी समिति)।

सभा में ''रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के कार्य की निगरानी और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने में संसदों की भूमिका'' विषयांतर्गत आपात-मद पर विचार-विमर्श किया गया और इस पर एक संकल्प भी स्वीकार किया गया।

संयुक्त राष्ट्र मामले संबंधी अंतर-संसदीय संघ की समिति ने कार्यसूची में सम्मिलित मदों पर विचार-विमर्श किया:—

(एक) राष्ट्रीय संसदों और संयुक्त राष्ट्र देशों की टीम के बीच परस्पर वार्तालाप;

(दो) अल्पतम विकसित देशों (एलडीसी-चार) के संबंध में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे सम्मेलन का अनुवर्तन;

(तीन) हाल ही में स्वीकृत हथियार व्यापार संधि के प्रभाव और इस संबंध में की गई कार्यवाही;

(चार) संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद संकल्प 1540 (व्यापक जनसंहार के हथियारों का अप्रसार) को कार्यान्वित करना; और

(पांच) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्रोत्साहन देना और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना: खंड 1 (मूल निवासी) और खंड 2 (विकलांग व्यक्तियों)।

अंतर-संसदीय संघ की 130वीं बैठक : अंतर-संसदीय संघ की 130वीं सभा जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में 16 से 20 मार्च, 2014 तक आयोजित की गई। राज्य सभा के उपसभापति, प्रो.पी.जे. कुरियन के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने सभा में भाग लिया। उपसभापति, राज्य सभा ने ''अंतर-संसदीय संघ के 125 वर्ष: शांति और लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना'' विषय पर आयोजित सामान्य चर्चा में भाग लिया।

सभा में ''मध्य अफ्रीकी गणतंत्रों में शांति और सुरक्षा और सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना में सहायता करना: अंतर-संसदीय संघ का योगदान'' विषयांतर्गत आपात-मद पर विचार विमर्श किया गया और उस पर एक संकल्प भी स्वीकार किया गया। सभा के दौरान निम्नलिखित तीन स्थायी समितियों ने संकल्प (संकल्पों) के प्रारूप तैयार करने और स्वीकार करने हेतु सभाएं की जिन्हें बाद में स्वीकार कर लिया गया:—

(एक) परमाणु-हथियार-मुक्त विश्व की ओर: संसदों का योगदान (शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी पहली स्थायी समिति);

(दो) जोखिम-लचीले विकास की ओर: जनसंख्या संबंधी प्रवृत्तियों और प्राकृतिक अवरोधों के परिप्रेक्ष्य में (सतत विकास, वित्त और व्यापार संबंधी दूसरी स्थायी समिति);

(तीन) बच्चों, विशेषत: अकेले प्रवासी बच्चों के अधिकारों की रक्षा और युद्ध तथा संघर्ष की स्थिति में उनके शोषण को रोकने में संसदों की भूमिका (लोकतंत्र और मानवाधिकारों संबंधी तीसरी स्थायी समिति);

संयुक्त राष्ट्र मामले संबंधी अंतर-संसदीय संघ की चौथी समिति ने भी सभा के दौरान बैठक की। बैठक के दौरान (क) बच्चों के सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा देना; प्रवासी बच्चों के संबंध में; और (ख) चुनावों में सांसदों के भारी टर्नओवर के कारण; दो विषयों पर पैनल चर्चा आयोजित हुई।

अंतर-संसदीय संघ के तत्वावधान में आयोजित अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीसीडी) के आठवें सत्र का सांसद गोलमेज सम्मेलन 24 और 25 सितंबर, 2009 को ब्यूनस आयर्स (अर्जेन्टीना) में आयोजित हुआ। डॉ. (श्री) कावुरी साम्बा सिवा राव, संसद सदस्य ने उपरोक्त सत्र में भाग लिया।

महिलाओं की स्थिति के संबंध में संसदीय समितियों के सदस्यों का चौथा सम्मेलन तथा महिला-पुरुष समानता संबंधी अन्य समितियों का सम्मेलन 28 और 29 सितंबर, 2009 को जेनेवा में आयोजित हुआ। सम्मेलन में एक दो-सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया।

विश्व व्यापार संगठन संबंधी सार्वजनिक मंच, 2009, विश्व व्यापार संगठन सार्वजनिक मंच के संसदीय पैनल तथा संचालन समिति के 19वें सत्र की बैठकें 28 सितंबर से 1 अक्तूबर 2009 तक जेनेवा में हुईं। श्री पी.सी. चाको, संसद सदस्य ने विश्व व्यापार संगठन की इन तीनों बैठकों में भाग लिया।

संसद के अध्यक्षों के तीसरे सम्मेलन की तैयारी संबंधी दूसरी बैठक 16 से 17 नवंबर, 2009 तक न्यूयार्क में हुई। लोक सभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने बैठक में भाग लिया।

विश्व व्यापार संगठन संबंधी संसदीय सम्मेलन की संचालन समिति का 21वां सत्र 24 और 25 जून, 2010 को जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में हुआ। श्री पी.सी. चाको, संसद सदस्य ने सत्र में भाग लिया।

संसद की महिला अध्यक्षों की छठी वार्षिक बैठक 16 और 17 जुलाई, 2010 को बर्न में हुई। लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने बैठक में भाग लिया। प्रतिभागी पीठासीन अधिकारियों ने मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य के संबंध में वैश्विक संसदीय कार्यवाही हेतु बर्न पहल को स्वीकृति दी।

तैयारी संबंधी समिति की चौथी और पांचवीं (अंतिम) बैठक 18 और 20 जुलाई, 2010 को जेनेवा में हुई। लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने इन बैठकों में भाग लिया।

संसद के अध्यक्षों का तीसरा विश्व सम्मेलन 19 से 21 जुलाई, 2010 तक जेनेवा में हुआ। लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:-

(एक) संकट के दौर से गुजर रहे विश्व में संसदों पर सामान्य चर्चा: लोक हित में वैश्विक लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।

(दो) 2015 के लिए उल्टी गणना पर पैनल चर्चा: सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के संबंध में सामूहिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।

(तीन) सम्मेलन में संसद तथा जनता के बीच विश्वास को और सुदृढ़ बनाने के संबंध में भी पैनल चर्चाएं हुईं।

संसदें, अल्पसंख्यक तथा स्वदेशी लोग: निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु चुनौतियों का सामना करने संबंधी सम्मेलन 31 अक्तूबर से 3 नवंबर, 2010 तक चियापास (मैक्सिको) में हुआ। श्री सिरिसिल्ला राजैय्या, संसद सदस्य ने सम्मेलन में भाग लिया।

साइबर सुरक्षा के समक्ष प्रस्तुत तीन चुनौतियों- सूचना, नागरिक और अवसंरचना के संबंध में सूचना सोसाइटी को आकार देने संबंधी चौथा संसदीय मंच 18 से 20 मई, 2011 तक जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित किया गया। एक चार सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने मंच में भाग लिया। मंच में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभावशाली और सौहार्दपूर्ण विधिक ढांचे का होना अनिवार्य है।

मसौदा प्रतिवेदन में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों की पहचान करने तथा आईपीयू की 124वीं सभा द्वारा स्वीकृत स्वास्थ्य एक मूल अधिकार: महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का सामना करने में संसदों की भूमिका संबंधी विषय पर संकल्प लेने के लिए अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की तीसरी स्थायी समिति के सह संवक्ताओं की बैठक 18 से 20 मई, 2011 तक जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में हुई। श्री फ्रांसिस्को सारदीना, संसद सदस्य जिन्हें अंतर-संसदीय संघ की 124वीं सभा के दौरान अंतर-संसदीय संघ की तीसरी स्थायी समिति के सह-संवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, ने इस बैठक में भाग लिया।

एशियाई संसदों के लिए ''महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा को रोकना तथा उचित कार्यवाही करना; विधान बनाना और उनका प्रभावी कार्यान्वयन'' विषय पर एक क्षेत्रीय विचारगोष्ठी भारत की संसद तथा अंतर-संसदीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से 15 से 17 सितंबर, 2011 तक नई दिल्ली में भारतीय संसद द्वारा आयोजित की गयी। लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया तथा डॉ. थियो बेन गुरीराब, अध्यक्ष, अंतर-संसदीय संघ और नामीबिया की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने स्वागत भाषण दिया। विचारगोष्ठी में अफगानिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, ईरान (इस्लामिक रिपब्लिक), लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, मालदीव, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड के शिष्टमंडलों ने भाग लिया। डॉ. (कुमारी) गिरिजा व्यास, संसद सदस्य के नेतृत्व में एक ग्यारह सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने इस विचार गोष्ठी में भाग लिया। विचारगोष्ठी के विषय ''महिलाओं और लड़कियों

के प्रति हिंसा को रोकना तथा कार्यवाही करना: कानून बनाना और उनका प्रभावी कार्यान्वयन'' पर सात सत्रों में चर्चा की गयी तथा इस दौरान महिला सांसदों और विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रस्तुत किए।

विश्व व्यापार संगठन संबंधी संसदीय सम्मेलन की संचालन समिति का 25वां सत्र 7 और 8 मई, 2012 को ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में आयोजित किया गया। श्री पी.सी. चाको, संसद सदस्य ने सत्र में भाग लिया। सत्र के दौरान श्री पी.सी. चाको ने 'यूरोपियन संसद द्वारा विश्व व्यापार संगठन का भविष्य और विश्व व्यापार प्रणाली' विषय पर आयोजित कार्यशाला में भी भाग लिया।

विश्व व्यापार संगठन के सार्वजनिक मंच, 2012, विश्व व्यापार संगठन संबंधी संसदीय सम्मेलन की संचालन समिति के 26वें सत्र की बैठकें 24 से 26 सितंबर, 2012 तक जेनेवा में हुईं। श्री पी.सी. चाको, संसद सदस्य ने इन बैठकों में भाग लिया। विश्व व्यापार संगठन के सार्वजनिक मंच 2012 का विषय था ''क्या बहुलपनवाद संकट में है''। श्री पी.सी. चाको ने ''आर्थिक'' विकास, रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन हेतु एक साधन के रूप में व्यापार विषय पर भी चर्चा पत्र प्रस्तुत किया।

संसदों की महिला अध्यक्षों की ''महिला संवेदी संसदें'' विषय पर 7वीं बैठक भारत की संसद तथा अंतर-संसदीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से 3 और 4 अक्तूबर, 2012 को नई दिल्ली में भारतीय संसद की मेजबानी में आयोजित की गयी।

भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 3 अक्तूबर, 2012 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में बैठक का उद्घाटन किया तथा लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने स्वागत भाषण दिया। श्री अब्देलवाहेद राडी, अंतर-संसदीय संघ के अध्यक्ष और श्री एम. हामिद अंसारी, भारत के उपराष्ट्रपति ने भी विशिष्ट जनों को संबोधित किया। लोक सभा अध्यक्ष ने बैठक के आरंभिक सत्र की अध्यक्षता की। बैठक का आरंभ सुश्री मिशेल बेचलेट, यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यू एन वूमन और श्री एंडर्स वी. जॉनसन, अंतर-संसदीय संघ में सेक्रेटरी जनरल के भाषणों तथा अंतर-संसदीय संघ के महिला संवेदी संसद सर्वे के प्रस्तुतीकरण से हुआ।

आस्ट्रिया, बोत्सवाना, बुल्गारिया, गेबन, आइसलैंड, भारत, लात्विया, रवांडा, स्विट्जरलैंड, तुर्कमेनिस्तान, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, यूगांडा और जिम्बाब्वे की संसदों की महिला पीठासीन अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में विशेष आमंत्रिती के रूप में सुश्री मिशेल बेचलेट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यू एन वूमन ने भाग लिया तथा पर्यवेक्षकों के रूप में एशियन फेडरेशन तथा मोजाम्बिक के संसदीय शिष्टमंडलों ने भाग लिया। बैठक का प्रमुख विषय ''महिला संवेदी संसदें'' था तथा बैठक के छह सत्रों के दौरान इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। उक्त विषय पर महिला पीठासीन अधिकारियों तथा संसदीय परिपाटियों के विशेषज्ञों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। समापन सत्र में संसदों के पीठासीन अधिकारियों ने 'महिला संवेदी संसदें' विषय पर 'नई दिल्ली पहल' प्रस्ताव स्वीकृत किया।

विश्व व्यापार संगठन संबंधी संसदीय सम्मेलन का वार्षिक सत्र 2012, 15 से 16 नवम्बर, 2012 तक जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित किया गया। श्री पी.सी. चाको, संसद सदस्य के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने इसमें भाग लिया।

विश्व व्यापार संगठन संसदीय सम्मेलन की संचालन समिति के 28वें सत्र की बैठक 28 और 29 मई, 2013 को ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में हुई। इसमें विश्व व्यापार संगठन ने हाल ही में हुए घटनाक्रमों की स्थिति पर चर्चा की गई। श्री पी.सी. चाको, संसद सदस्य ने इस बैठक में भाग लिया।

'संसदें और महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में उत्तरदायित्व' विषय पर एक बहुदेशीय विचारगोष्ठी 30 और 31 जुलाई, 2013 को ढाका (बांग्लादेश) में आयोजित की गई। श्रीमती विजय चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल ने इस विचारगोष्ठी में भाग लिया।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/घटनाएं/कार्यशालाएं (आईपीयू)

एशियाई संसदीय सभा (एपीए) का चौथा पूर्ण सत्र, 7 से 10 दिसंबर, 2009 तक बांडुंग (इंडोनेशिया) में हुआ। श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य, लोक सभा के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल ने सत्र में भाग लिया। एपीए के पूर्ण सत्र में भारत को संपूर्ण सदस्यता प्रदान की गई। सत्र में '' क्षेत्र में संपन्नता, शांति और न्याय की स्थापना हेतु लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में एशियाई संसदों की भूमिका'' विषय पर चर्चा की गई।

राजनैतिक मामलों संबंधी स्थायी समिति तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के तदर्थ कार्यदल की बैठक 12 से 14 मई, 2010 तक तेहरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में आयोजित हुई। श्री जय प्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल ने इन बैठकों में भाग लिया।

शिक्षा संबंधी एशिया-प्रशांत देशों के संसदों के मंच (एफएएसपीपीईडी) की महासभा का पहला सत्र 6 और 7 जुलाई, 2010 को जकार्ता (इंडोनेशिया) में आयोजित किया गया। श्री कमल किशोर, संसद सदस्य तथा डॉ. प्रभाकर कोरे, संसद सदस्य वाले भारतीय शिष्टमंडल ने इस सत्र में भाग लिया।

एपीए की पहली एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एशिया में गरीबी उन्मूलन संबंधी एपीए की उप-समिति की बैठक 12 और 13 अक्तूबर, 2010 को जकार्ता में हुई। श्री तथागत सत्पथी, संसद सदस्य ने इन बैठकों में भाग लिया।

पर्यावरण और विकास संबंधी एशिया प्रशांत देशों के सांसदों के सम्मेलन की 15वीं आम सभा 6 से 9 जून, 2011 तक कुआला लम्पुर (मलेशिया) में आयोजित की गई। श्री सदानन्द गौडा, देवरागुंडा वेंकप्पा, संसद सदस्य के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय शिष्टमंडल ने सभा में भाग लिया। सभा में 'जलवायु परिवर्तन और पर्यटन' विषय पर चर्चा की गई।

एशिया-यूरोप देशों के सांसदों की 7वीं बैठक (एएसईपी-7) 3 और 4 अक्तूबर, 2012 को वियनटिएन, लाउ पी.डी.आर. में आयोजित की गयी। श्री एम. कृष्णास्वामी संसद सदस्य के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने बैठक में भाग लिया। एएसईपी-7 की बैठक का मुख्य विषय था- 'सतत विकास हेतु एशिया- यूरोप देशों की संसदीय भागीदारी'।

पर्यावरण और विकास संबंधी एशिया प्रशांत देशों (एपीपीसीईडी) के सांसदों के सम्मेलन की 16वीं आम सभा 14 से 18 जनवरी, 2013 तक काठमांडु, नेपाल में हुई। श्री अंनत कुमार हेगड़े, संसद सदस्य के नेतृत्व में एक चार-सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने एपीपीसीईडी ने उक्त सत्र में भाग लिया। शिष्टमंडल ने बैठक के मुख्य विषय ''आर्थिक विकास और पर्यावरणीय चुनौतियां'' पर हुई चर्चा में भाग लिया।

आसियान अन्तर-संसदीय संघ (एआईपीए) की 34वीं महासभा का आयोजन 18 से 23 सितंबर, 2013 तक ब्रुनेई (दारुसलाम) में हुआ। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल जिसमें श्री विश्वनाथन पेरुमल, संसद सदस्य सम्मिलित थे, ने आसियान अन्तर-संसदीय संघ (एआईपीए) की 34वीं महासभा में भाग लिया। सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया था।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों की संसदों के अध्यक्षों और सांसदों के संघ का सातवां सम्मेलन 21 से 23 दिसंबर, 2013 तक मालदीव में आयोजित किया गया। लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार की अध्यक्षता में एक आठ-सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने उपरोक्त सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई:-

(एक) सांस्थानिक विकास के माध्यम से दक्षिण एशिया क्षेत्र में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना; और

(दो) लोकतंत्र और समावेशी विकास-सार्क सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) प्राप्त करना।

महिला सांसदों ने ''दक्षिण एशिया में महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व हेतु अवसर और चुनौतियां'' विषय पर चर्चा की।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए)

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे सांसदों का संघ है जो लिंग, नस्ल, धर्म अथवा संस्कृति के भेद से परे होकर हित की समानता, विधि के शासन के प्रति आदर तथा एक नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता और संसदीय लोकतंत्र के सकारात्मक आदर्शों की प्राप्ति जैसे लक्ष्यों से संगठित है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति पूर्ण एवं क्षेत्रीय सम्मेलनों, अंतर-संसदीय दौरों, विचारगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं के आयोजन, पुस्तकों व आवधिक पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन यथा ''द पार्लियामेंटेरियन'' पत्रिका तथा संसदीय सूचना और संदर्भ केन्द्र के माध्यम से की जाती है। इस संघ की स्थापना 1911 में ''एम्पायर पार्लियामेंटरी एसोसिएशन'' के नाम से हुई थी। सदस्य देशों के विधायी चैंबरों के पीठासीन अधिकारी सामान्यत: सीपीए के शाखा अध्यक्ष होते हैं। विधानमंडल सचिव (क्लर्क ऑफ द लेजिस्लेचर) प्राय: शाखा विशेष के मानद सचिव का कर्त्तव्य निभाता है। संघ के पूर्ण अधिवेशन हर वर्ष होते हैं और प्रतिवर्ष अलग-अलग राष्ट्रमंडल देश में आयोजित किए जाते हैं। सप्ताह भर चलने वाले इन सम्मेलनों में सामान्यत: राष्ट्रमंडल के समक्ष उपस्थित तात्कालिक विषयों पर चर्चा होती है।

संघ के सम्मेलन

55वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन: 55वां संसदीय राष्ट्रमंडल सम्मेलन 28 सितंबर से 6 अक्तूबर, 2009 तक अरुशा, तंजानिया में आयोजित किया गया। लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार की अध्यक्षता में एक छत्तीस सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल और रा.सं.सं. कार्यकारी समिति के सदस्य ने सम्मेलन में भाग लिया। शिष्टमंडल में श्री हाशिम अब्दुल हलीम, अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा और कोषाध्यक्ष, रा.सं.सं, श्री उदय नारायण चौधरी, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, श्री तंका बहादुर राय, अध्यक्ष, असम विधान सभा, दोनों रा.सं.सं. के कार्यकारी सदस्य, भारतीय क्षेत्र से भारतीय संघ शाखा से प्रतिनिधियों के रूप में छह संसद सदस्य और राज्य रा.सं.सं. शाखा से बीस प्रतिनिधि शामिल थे। इसके अतिरिक्त, एक क्षेत्रीय सचिव, भारतीय संघ से शिष्टमंडल के एक सचिव तथा राज्य शाखाओं से तीन शिष्टमंडल सचिवों ने सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन का विषय था ''राष्ट्रमंडल और रा.सं.सं. – भावी वैश्विक चुनौतियों का सामना करना।'' सम्मेलन में कार्यशालाओं/पूर्ण सत्र में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:

(एक) गठबंधन सरकारें: संसदीय लोकतंत्र की दुविधा;

(दो) वैश्विक वित्तीय संकट पर नीतिगत प्रतिक्रिया;

(तीन) आतंकवाद का सामना करने में राष्ट्रमंडल संसदों की भूमिका;

(चार) सूचना समाज के निर्माण में संसद की भूमिका;

(पांच) घरेलू हिंसा के विशेष संदर्भ में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने में सांसदों की भूमिका;

(छह) जलवायु परिवर्तन – क्या नीतिगत समाधान कारगर हैं?;

(सात) राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक विवादों के मूल कारणों के समाधान के लिए तंत्र विकसित करना; और

(आठ) राष्ट्रमंडल और युवा – प्रतिनिधिक लोकतंत्र में भावी पीढ़ी को कैसे संलग्न किया जाए।

जलवायु परिवर्तन संबंधी नवगठित कार्यबल की भी एक बैठक का आयोजन किया गया।

56वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन: 56वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन 10 से 19 सितंबर, 2010 तक नैरोबी, केन्या में किया गया। लोक सभा अध्यक्ष और रा.सं.स की कार्यकारी समिति की सदस्य श्रीमती मीरा कुमार की अध्यक्षता में एक 33 सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने सम्मेलन में भाग लिया। शिष्टमंडल में श्री हाशिम अब्दुल हलीम, अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा, कोषाध्यक्ष, रा.सं.स, श्री तंका बहादुर राय, अध्यक्ष, असम विधान सभा, रा.सं.स. कार्यकारी समिति के सदस्य, भारतीय संघ शाखा के प्रतिनिधियों के रूप में पांच संसद सदस्य शामिल थे। भारत क्षेत्र की राज्य रा.सं.स शाखाओं से 19 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। क्षेत्रीय सचिव रा.सं.सं. भारत क्षेत्र, भारतीय संघ से एक शिष्टमंडल सचिव और राज्य रा.सं.स शाखाओं से तीन शिष्टमंडल सचिवों ने सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन का विषय था ''21वीं सदी में संसद और विकास: अब तक और आगे'' सम्मेलन में कार्यशालाओं/पूर्ण सत्रों में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई:

(एक) ''शांति स्थापित करने में संसद की भूमिका: 2008 में चुनाव के बाद हिंसा रोकने में केन्या का मामला;

(दो) प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में सांसदों की भूमिका;

(तीन) ऊर्जा और पर्यावरण: सतत विकास की प्राप्ति;

(चार) संसद, जवाबदेही और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने में इंटरनेट शासन की भूमिका;

(पांच) आधारभूत परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने में सांसदों की भूमिका;

(छह) प्रवासी श्रमिकों के संरक्षण में सांसदों की भूमिका;

(सात) वैश्विक जल और खाद्य संकट; और

(आठ) उभरती हुई नई विश्व आर्थिक व्यवस्था हेतु राष्ट्रमंडल देश कितने तैयार हैं?

पूर्ण सत्र के दौरान, सम्मेलन में ''प्रवास मुद्दों के प्रबंधन में राष्ट्रमंडल की पहल'' विषय पर चर्चा की गई।

राष्ट्रमंडल देशों की महिला सांसदों (सीडब्ल्यूपी) का दूसरा सम्मेलन 13 सितंबर, 2010 को नैरोबी में आयोजित किया गया। सम्मेलन में चर्चा का विषय ''2010 में महिलाओं की स्थिति'' था। पूर्ण सत्र के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई:

(एक) संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने संबंधी रणनीतियां;

(दो) निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना;

(तीन) प्रवासी श्रमिकों के रूप में महिलाएं; और

(चार) राजनैतिक दलों का सुधार—लोकतंत्र की दिशा में प्रयासरत

57वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन: 57वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन 21 से 28 जुलाई, 2011 तक लंदन, यूनाइटेड किंगडम में किया गया। श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष लोक सभा और सदस्य, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कार्यकारी समिति, के नेतृत्व में एक उनतालीस-सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने सम्मेलन में भाग लिया। श्री तंका बहादुर राय, योजना और विकास आदि मंत्री, असम सरकार और सरदार हरमोहिन्दर सिंह छत्ता, वित्त, योजना मंत्री हरियाणा सरकार ने भारतीय क्षेत्र से क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया। पांच संसद सदस्यों ने भारत संघ के शिष्टमंडलीय सदस्यों के रूप में सम्मेलन में भाग लिया। क्षेत्रीय, सचिव, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, भारत क्षेत्र और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, भारत संघ से एक शिष्टमंडल सचिव ने सम्मेलन में भाग लिया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राज्य शाखाओं से भी पच्चीस लोगों ने शिष्टमंडल के सदस्यों के रूप में और चार व्यक्तियों ने शिष्टमंडल के सचिवों के रूप में सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन का विषय ''लोकतंत्र को सुदृढ़ करना'' था। कार्यशालाओं/पूर्ण सत्रों में चर्चा के विषय निम्नलिखित थे:

(एक) 21वीं शताब्दी में राष्ट्रमंडल।

(दो) संसद और सुधार — बेंचमार्क को ऊपर उठाना।

(तीन) प्रवास संबंधी मुद्दों से निपटने में राष्ट्रमंडलीय पहलें।

(चार) सुशासन और जवाबदेही में वृद्धि; सत्यनिष्ठा और कार्य निष्पादन के स्तर में सुधार।

(पांच) विश्व अर्थव्यवस्था और राष्ट्रमंडल के समक्ष बाधाएं।

(छह) महिलाएं परिवर्तन की वाहक: हमारी वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की राह क्या है?

(सात) अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत सुरक्षा को तकनीकी खतरे।

(आठ) कृषि प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के अंतरण को बढ़ावा देने में सांसदों की भूमिका।

पूर्ण सत्र के दौरान, सम्मेलन में ''राष्ट्रमंडल संसदें — प्रगति और चुनौतियां'' विषय पर चर्चा हुई।

58वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन: 58वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 7 से 15 सितंबर, 2012 तक कोलम्बो, श्रीलंका में आयोजित किया गया। श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा और सदस्य, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कार्यकारी समिति के नेतृत्व में एक चौंतीस-सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने सम्मेलन में भाग लिया। श्री कियानिलि पेसेयि, अध्यक्ष, नागालैंड विधान सभा और सरदार हरमोहिन्दर सिंह छत्ता, वित्त मंत्री, हरियाणा सरकार ने भारतीय क्षेत्र से क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया। पांच संसद सदस्यों ने भारत संघ के शिष्टमंडलीय सदस्यों के रूप में सम्मेलन में भाग लिया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, भारत क्षेत्र से एक क्षेत्रीय सचिव और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, भारत संघ से एक शिष्टमंडलीय सचिव ने सम्मेलन में भाग लिया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राज्य शाखाओं से भी बीस लोगों ने शिष्टमंडल के सदस्यों और तीन व्यक्तियों ने शिष्टमंडलीय सचिवों के रूप में सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन का विषय ''भविष्य में राष्ट्रमंडल की प्रासंगिकता सुनिश्चित करना'' था। कार्यशालाओं/पूर्ण सत्रों में चर्चा के विषय निम्नलिखित थे:

(एक) स्वास्थ्य, शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर भावी पीढ़ियों का सशक्तिकरण;

(दो) क्या राष्ट्रमंडल को लोकतंत्र, कानून और मानवाधिकारों की स्थापना हेतु एक आयुक्त की नियुक्ति करनी चाहिए?

(तीन) संविधान की राजनीति—लोकहित में संसदों की भूमिका सुनिश्चित करना;

(चार) विदेशी और राष्ट्रमंडल मामलों की पर्याप्त संसदीय जांच सुनिश्चित करना;

(पांच) संघर्ष समाप्ति और शांति निर्माण में सांसदों की भूमिका;

(छह) महिला संवेदी शासन में सुधार के लिए राजनीतिक दलों की सेवाएं लेना;

(सात) आतंकवाद – लोकतंत्र, शांति और सुरक्षा के लिए खतरा; और

(आठ) युवा बेरोज़गारी की समस्या से निपटना।

सम्मेलन के पूर्ण सत्र के दौरान ''आधुनिक राजनीति में सोशल मीडिया की भूमिका'' पर चर्चा हुई।

59वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन : 59वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 28 अगस्त से 6 सितम्बर, 2013 तक जोहन्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। संसद सत्र की अवधि के बढ़ने के कारण भारत संघ शाखा का शिष्टमंडल सम्मेलन में भाग नहीं ले सका। भारत की चौबीस राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ शाखाओं से चौबीस सदस्यीय शिष्टमंडल ने सम्मेलन में भाग लिया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ शाखाओं के तीन शिष्टमंडलीय सचिवों ने सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन का विषय ''राष्ट्रमंडल विकास संबंधी चुनौतियों के लिए प्रभावी उपाय'' था। कार्यशालाओं/पूर्ण सत्रों के दौरान निम्नलिखित आठ विषयों पर चर्चा की गई:

(एक) भूमि उपलब्धता और स्वामित्व: भूमि प्राप्त करने में ग्रामीण समुदायों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियां और प्रगति। सांसदों की इसमें क्या भूमिका और हस्तक्षेप हो सकता है?;

(दो) क्या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और उद्यमशीलता वाले क्षेत्रों में संसदीय हस्तक्षेप होना चाहिए?;

(तीन) 2015 तक सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधाएं;

(चार) संसाधनों का असमान बंटवारा: लोकतांत्रिक सुशासन के लिए एक खतरा;

(पांच) कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के अंतरण में सांसदों की भूमिका;

(छह) तकनीकी रूप से सशक्त विश्व में लोकतांत्रिक शासन: संसदों और संसदीय निगरानी संगठनों के बीच गहरी साझेदारी;

(सात) शक्तियों और सुशासन का पृथक्कीकरण; और

(आठ) वृद्धजनों की देखभाल हेतु नीतिगत उपाय।

सम्मेलन के पूर्ण सत्र के दौरान ''राष्ट्रमंडल घोषणापत्र के प्रति संसदीय प्रतिक्रिया'' विषय पर चर्चा हुई।

राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (सीएसपीओएसी)

राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 20वां सम्मेलन 4 से 8 जनवरी, 2010 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली के प्लेनरी हॉल में सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा एक स्मारक टिकट जारी किया गया। सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रमंडल देशों और भारत के राज्य विधानमंडलों के अध्यक्षों, पीठासीन अधिकारियों, संसद सदस्यों, पति/पत्नी, सहचरों सहित लगभग 250 विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया।

सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित तीन विषयों पर चर्चा की गई:

(एक) एक मध्यस्थ के रूप में अध्यक्ष की भूमिका;

(दो) संसदीय परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी का उपयोग; और

(तीन) संसद के प्रशासन में अध्यक्ष की भूमिका।

राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की स्थायी समिति की बैठक की मेजबानी 12 से 15 जनवरी, 2011 तक डगलस में ऑइल ऑफ मैन की संसद द्वारा की गई। श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा और श्री टी.के. विश्वनाथन, महासचिव, लोक सभा ने इस बैठक में भाग लिया।

राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 21वां सम्मेलन 7 से 12 जनवरी, 2012 को त्रिनिडाड और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित हुआ। श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा और श्री टी.के. विश्वनाथन, महासचिव, लोक सभा ने सम्मेलन में भाग लिया। निम्नलिखित तीन विषयों पर चर्चा की गई:–

(एक) वैश्वीकरण के युग में संसदीय कूटनीति की भूमिका;

(दो) कार्यपालिका की जवाबदेही; संसद की पर्यवेक्षण संबंधी भूमिका;

(तीन) अध्यक्षों के समक्ष आने वाली नवीन चुनौतियां; बहुदलीय सदन और अल्पमत या गठबंधन सरकारें; और

(चार) संसदीय सेवा और इसका प्रबंधन; संसद की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, भारत और एशियाई क्षेत्र सम्मेलन

भारत और एशिया क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) का चौथा सम्मेलन 25 से 29 अक्तूबर, 2010 तक सीपीए की छत्तीसगढ़ शाखा की मेजबानी में रायपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा किया गया। सम्मेलन का विषय ''विकासशील एशियाई राष्ट्रों के समक्ष विकास की चुनौतियां'' था।

सम्मेलन में 26 और 27 अक्तूबर, 2010 को निम्नलिखित विषयों पर दो पूर्ण सत्र आयोजित किए गए:–

(एक) आतंकवाद और नक्सलवाद: लोकतंत्र को खतरा – क्षेत्र में संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता; और

(दो) क्षेत्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा और सहयोग: सांसदों की भूमिका और उत्तरदायित्व।

भारत संघ शाखा के शिष्टमंडल में श्री के. रहमान खान, उपसभापति, राज्य सभा, श्री कड़िया मुंडा, उपाध्यक्ष, लोक सभा और श्री कमल किशोर, संसद सदस्य (लोक सभा) सम्मिलित थे। शिष्टमंडल के चौदह सदस्यों जिनमें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ एशिया क्षेत्र अर्थात् श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और पाकिस्तान के चार प्रांतीय शाखाओं की संसदों के अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/प्रतिनिधि शामिल थे, ने रायपुर में आयोजित उक्त सम्मेलन में भाग लिया। सीपीए भारत क्षेत्र की राज्य सीपीए शाखाओं के शिष्टमंडल के छत्तीस सदस्य, जिनमें विधान सभाओं के अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, विधायक, राज्य सीपीए भारत क्षेत्र शाखाओं के सरकार के सचेतक शामिल हैं, ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। भारत के उन्नीस सचिवों और एशिया क्षेत्र के सात सचिवों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। श्री टी.के. विश्वनाथन, महासचिव, लोक सभा ने क्षेत्रीय सचिव होने के कारण सम्मेलन में भाग लिया। डॉ. विलियम एफ. शिजा, महासचिव, सीपीए ने भी विशेष आमंत्रिती के रूप में सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन के समापन पर, अध्यक्ष, लोक सभा ने सभा को संबोधित किया। उपाध्यक्ष, श्री कड़िया मुंडा ने 27 अक्तूबर, 2010 को समापन भाषण दिया।

लोक सभा सचिवालय द्वारा ''लोकतंत्र और विकास: एशियाई परिप्रेक्ष्य में'' विषय पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई तथा एक अन्य प्रदर्शनी ''छत्तीसगढ़ एक दशक: एक सिंहावलोकन'' विषय पर छत्तीसगढ़ सीपीए शाखा और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित की गई।

तीसरा सीपीए एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन 11 से 16 फरवरी, 2011 तक कोलम्बो, श्रीलंका में आयोजित किया गया था। श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन में भाग लिया। श्री टी.के. विश्वनाथन, महासचिव, लोक सभा ने भी सम्मेलन में भाग लिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका के शिष्टमंडलों के सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया। अध्यक्ष, लोक सभा ने सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में एक भाषण दिया। ''गरीबी उन्मूलन'' विषय पर हुए पूर्ण सत्र में वह अग्रणी वक्ता थीं। अन्य दो पूर्ण सत्रों में ''जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा'' तथा ''माताएं और बच्चे'' विषयों पर चर्चा की गई।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (एनईआरसीपीए) का बारहवां वार्षिक सम्मेलन 28 से 30 जनवरी, 2010 तक शिलांग, मेघालय में आयोजित हुआ। श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा ने एनईआरसीपीए की संरक्षिका और सम्मेलन की मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। अध्यक्ष, लोक सभा ने इस अवसर पर उद्घाटन भाषण भी दिया।

सम्मेलन में ''उत्तर-पूर्व भारत में चल रही विद्रोही गतिविधियों का सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव और इस संबंध में समस्या का समाधान'' विषय पर भी विचार-विमर्श किया गया।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (एनईआरसीपीए) का तेरहवां सम्मेलन 28 से 30 अप्रैल, 2011 तक ईटानगर/नहरलगुन, अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश विधान सभा की मेज़बानी में आयोजित हुआ। अध्यक्ष, लोक सभा सम्मेलन की मुख्य अतिथि थीं और उन्होंने 28 अप्रैल, 2011 को सम्मेलन का उद्घाटन किया।

सम्मेलन में चर्चा का विषय ''भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुपालन में विधान सभा सचिवालय की वित्तीय स्वायत्तता'' था।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की वार्षिक विचारगोष्ठियां

22वीं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ विचारगोष्ठी : राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 22वीं विचारगोष्ठी 22 से 29 नवम्बर, 2011 तक भारत संघ, सीपीए शाखा की मेजबानी में नई दिल्ली में हुई। राष्ट्रमंडल देशों के शिष्टमंडलों के इक्कीस सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय संसद से पांच संसद सदस्यों ने विचारगोष्ठी में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, भारत की हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों की सीपीए शाखाओं के शिष्टमंडलीय सदस्यों ने भी सम्मेलन में भाग लिया। लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध में विचारगोष्ठी का उद्घाटन किया। डॉ. विलियम एफ. शिजा, महासचिव, सीपीए ने विचारगोष्ठी में भाग लिया। विचारगोष्ठी में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:-

(एक) राष्ट्रमंडल और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भूमिका;

(दो) भारत में संसदीय और राजनैतिक परिदृश्य;

(तीन) पीठासीन अधिकारी, संसदीय कर्मचारीगण और स्थायी आदेशों की भूमिका;

(चार) संसद सदस्य और राजनीतिक दल;

(पांच) संसदीय आचार, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व;

(छह) संसदीय समितियां और समिति प्रणाली;

(सात) संसद और जनता के बीच संबंध;

(आठ) कार्यपालिका की वित्तीय संवीक्षा;

(नौ) संसद, कार्यपालिका और लोक सेवा;

(दस) संसद सदस्यों हेतु सेवाएं;

(ग्यारह) सूचना का अधिकार;

(बारह) संसद, लैंगिक समानता और मानवाधिकार; और

(तेरह) संसद और एचआईवी/एड्स।

23वीं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ विचारगोष्ठी : संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण विषय पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 23वीं विचारगोष्ठी 24 से 30 मई, 2012 तक अपिया, सामोआ में आयोजित की गई। लोक सभा के एक सदस्य तथा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, केरल और राजस्थान प्रत्येक से एक-एक शिष्टमंडलीय सदस्य ने विचारगोष्ठी में भाग लिया।

24वीं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ विचारगोष्ठी : संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण विषय पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 24वीं विचारगोष्ठी 27 मई से 01 जून, 2013 तक सिंगापुर में आयोजित हुई। सीपीए भारत संघ शाखा से लोक सभा के एक संसद सदस्य ने विचारगोष्ठी में भाग लिया। हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य की सीपीए

शाखाओं से एक-एक शिष्टमंडलीय सदस्य ने भी विचारगोष्ठी में भाग लिया।

वित्तीय निगरानी और लोक लेखा समितियों की भूमिका पर एक क्षेत्रीय विचारगोष्ठी 8 से 12 नवम्बर, 2009 तक ढ़ाका, बांग्लादेश में आयोजित की गई। सीपीए सचिवालय ने विश्व बैंक संस्था के सहयोग से विचारगोष्ठी का आयोजन किया। श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य और श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली, संसद सदस्य (लोक सभा) और लोक सभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों, श्री अशोक सरीन, संयुक्त सचिव, लोक लेखा समिति, लोक सभा सचिवालय और नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय में प्रधान निदेशक श्री पी.के. कटारिया ने सीपीए भारत संघ शाखा की तरफ से विचारगोष्ठी में भाग लिया।

''महिला न्याय और प्रतिसंवेदी शासन'' विषय पर भारत क्षेत्र राष्ट्रमंडल महिला सांसदों की विचारगोष्ठी: सीपीए भारत क्षेत्र द्वारा 8 और 9 मार्च, 2013 को संसदीय सौध, नई दिल्ली में मुख्य समिति कक्ष में आयोजित कराई गई थी। सीपीए शाखाओं के अड़तीस प्रतिनिधियों/सीडब्ल्यूपी सदस्यों ने विचारगोष्ठी में भाग लिया। कुमारी मीनाक्षी नटराजन, संसद सदस्य, लोक सभा और श्रीमती वंदना चवान, संसद सदस्य, राज्य सभा ने विचारगोष्ठी में भारत संघ के प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिया। अध्यक्ष द्वारा 8 मार्च, 2013 को ''भारत में लैंगिक समानता और महिला अधिकारिता'' पर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच, संस्कृति मंत्री और अध्यक्ष, भारत क्षेत्र सीडब्ल्यूपी संचालन समिति द्वारा स्वागत भाषण दिया गया था।

8 और 9 मार्च, 2013 को निम्नलिखित विषयों पर दो सत्र आयोजित किए गए थे:

(एक) महिलाएं और आपराधिक न्याय प्रणाली: समाज में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को समझने में चुनौतियां; और

(दो) महिलाओं में कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता।

प्रतिनिधियों के लिए ''भारत मातृभूमि'' वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया गया।

एशिया, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों के लिए लोकतांत्रिक संसदों हेतु बेंचमार्क पर सीपीए क्षेत्रीय कार्यशाला 25 से 29 जनवरी, 2010 तक ढ़ाका, बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व श्री ओमप्रकाश यादव, संसद सदस्य (लोक सभा) और डॉ. प्रभाबेन किशोर तावियाड, संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा किया गया। श्री रवीन्द्र गरिमेला, अपर निदेशक और श्री एन.सी. गुप्ता, अपर निदेशक, लोक सभा सचिवालय ने भी कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ:

(एक) निर्वाचन, उम्मीदवार पात्रता, पद की असंगतता, उन्मुक्ति, परिलब्धियां और लाभ, त्यागपत्र और अवसंरचना

(दो) प्रक्रिया, सत्र और समितियां

(तीन) राजनैतिक दल, दल समूह और विभिन्न दल समूह

(चार) संसदीय स्टाफ

(पांच) विधायी, निगरानी और प्रातिनिधिक कार्य

(छह) पहुंच और नैतिक शासन

(सात) लोकतांत्रिक संसदीय सिफारिशों के लिए एशिया क्षेत्रीय बेंचमार्क का समापन और स्वीकृति।

वैश्विक जैव विविधता मंच और वैश्विक प्रवाल भित्ती संकट बैठक 24 से 26 अक्तूबर, 2010 तक नागोया, जापान में हुई थी। वैश्विक प्रवाल भित्ती संकट बैठक जैव विविधता संबंधी अभिसमय (सीबीडी) के साथ हुई। दलों का 10वां सम्मेलन नागोया, जापान में हुआ और ग्लोब इंटरनेशनल और ग्लोब, जापान द्वारा मिलकर आयोजित किया गया था।

सांसदों की भूमिका और निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (सीडीएफ) पर एक कार्यशाला राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) द्वारा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयार्क सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (एसयूएनवाई/सीआईडी) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ साझेदारी में 6 से 10 जून, 2011 तक किंग्सटन, जमैका में आयोजित की गई थी। श्री अमरनाथ प्रधान, संसद सदस्य ने कार्यशाला में भाग लिया।

निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया:

(एक) निर्वाचन क्षेत्र विकास निधियों (सीडीएफ) संबंधी नीति बनाना

(दो) निर्वाचन क्षेत्र विकास निधियों का कार्यान्वयन

(तीन) पर्यवेक्षण

(चार) निर्वाचन क्षेत्र विकास निधियों में अच्छी पद्धति का सिद्धांत

(पांच) प्रशासन और प्रबंधन

(छह) जवाबदेही और पर्यवेक्षण

(सात) निगरानी और मूल्यांकन

(आठ) सफल सीडीएफ कार्यान्वयन हेतु साधन

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ ने राष्ट्रमंडल सचिवालय के साथ साझेदारी में 13 से 15 जून, 2011 तक माले, मालदीव में एशिया क्षेत्र हेतु सरकारी और विपक्ष की भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों पर कार्यशाला आयोजित की। श्री विजय बहुगुणा, संसद सदस्य, लोक सभा ने कार्यशाला में सीपीए सचिवालय के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया और सीपीए सचिवालय की ओर से कार्यशाला में आरंभिक और समापन टिप्पणी दी।

कार्यशाला के सत्र निम्नलिखित विषयों से संबंधित थे:

(एक) सुशासन की चुनौती

(दो) संसद की भूमिका

(तीन) सरकार और विपक्ष: भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

(चार) पारदर्शिता और जवाबदेही: पर्यवेक्षण संस्थाओं, मीडिया, सिविल सोसाइटी और अन्य हितधारकों को शामिल करना

(पांच) व्यापक संदर्भ: मानवाधिकार, महिलाएं और युवा

(छह) विश्वसनीय और शांतिपूर्ण चुनाव: राजनैतिक दलों की भूमिका; और

(सात) संघर्षों से निपटना: स्थायित्व और समृद्धि का संवर्धन

''संसदों की भूमिका और उत्खनन उद्योग'' पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ अंतरराष्ट्रीय विचारगोष्ठी 29 से 31 अक्तूबर, 2013 तक वियना, आस्ट्रिया में आयोजित की गई थी। विचारगोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य दुनिया भर की अलग-अलग संसदों के संसद सदस्यों को वार्ता में भाग लेने और जानकारी का आदान-प्रदान करने हेतु एक साथ मिलाना था। विचारगोष्ठी ने सांसदों को विशेष रूप से उत्खनन उद्योगों के पास अच्छी पद्धति के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करने, क्योंकि वे संसदीय पर्यवेक्षण और निगरानी से संबंधित होते हैं, उत्खनन उद्योगों से जुड़े हाल के शोध परिणामों और अनुभवों को साझा करने और उत्खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य में लगाने हेतु संसदों और संसद सदस्यों की सहायता हेतु मांग प्रेरित प्रवेश स्थलों और रणनीतियों की पहचान करने का अवसर प्रदान किया।

विचारगोष्ठी में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया:

(एक) विकास हेतु उत्खनन और उत्खनन उद्योगों में संसद की भूमिका

(दो) उत्खनन संविदाओं का समझौता और प्रवर्तन

(तीन) संसद और बजट

(चार) राजस्व भविष्यवाणी और बजट विश्लेषण

(पांच) राजकोषीय नियम और राजकोषीय उत्तरदायित्व

(छह) कांफ्रेंस रिफ्लेक्शंस और आगे का मार्ग

श्री कल्याण बनर्जी, संसद सदस्य, कोयला और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सभापति ने भारतीय संघ सीपीए शाखा की ओर से विचारगोष्ठी में भाग लिया। राज्य सीपीए शाखा की ओर से श्री कुलदीप शर्मा, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा ने विचारगोष्ठी में भाग लिया।

इसके अतिरिक्त, सीपीए ने समय-समय पर अध्ययन समूह/मंच/कार्यशालाएं आयोजित की जिनमें भारतीय संघ सीपीए शाखा के सदस्यों ने भाग लिया। सीपीए की मध्य-वर्षीय कार्यकारी समिति की बैठक हुई। सीपीए भारत क्षेत्र कार्यपालिका की भी नियमित बैठकें हुई। यूके शाखा सीपीए ने भी समय-समय पर विचारगोष्ठी/सम्मेलन कराये जिनमें भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों ने भाग लिया। सीपीए कनाडा संसदीय विचारगोष्ठी भी हुई जिसमें भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी सम्मेलनों के बारे में ब्यौरा विवरण 48 में दिया गया है। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के विदेश दौरे और भारत आने वाले संसदीय शिष्टमंडलों का ब्यौरा विवरण 49 में दिया गया है।

(तीन) संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में हुए समारोह

भारत की संसद की 60वीं वर्षगांठ का स्मृति समारोह:

भारत की संसद की 60वीं वर्षगांठ को मनाने हेतु एक स्मृति समारोह 13 मई, 2012 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित किया गया था।

समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगान की धुन के साथ हुआ। पहली लोक सभा के सदस्यों श्री रिशांग किशिंग, श्री रेशमलाल जांगड़े, श्री कंडाला सुब्रमण्यम और श्री मोहन राव को सम्मानित किया गया और भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। भारत की राष्ट्रपति द्वारा इस अवसर पर 5 रुपए और 10 रुपए के स्मारक सिक्के और स्मृति प्रकाशन जारी किए गए। इसके पश्चात् पंडित शिवकुमार शर्मा और श्री राहुल शर्मा द्वारा संतूर वादन; श्री देबू चौधरी द्वारा सितार वादन; महाराजपुरम रामचंद्रन द्वारा कर्नाटक गायन; उस्ताद इकबाल खान द्वारा हिन्दुस्तानी गायन और श्रीमती शुभा मुदगल द्वारा प्रस्तुति पेश की गई।

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील; भारत के उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी; प्रधान मंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह; तथा लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। राष्ट्रगान की धुन के साथ समारोह सम्पन्न हुआ।

विदेशी गणयमान्य जनों द्वारा संबोधन

संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति, श्री बराक एच. ओबामा ने भारतीय संसदीय समूह के तत्वावधान में 8 नवम्बर, 2010 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में संसद सदस्यों को संबोधित किया। संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति ने स्वर्णिम आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए।

भारत के उप राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने स्वागत भाषण दिया और लोक सभा अध्यक्ष तथा भारतीय संसदीय समूह की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। प्रधान मंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार

वर्ष 2007 के लिए श्री प्रियरंजन दासमुंशी, संसद सदस्य; वर्ष 2008 के लिए श्री मोहन सिंह, संसद सदस्य तथा वर्ष 2009 के लिए डॉ. मुरली मनोहर जोशी, संसद सदस्य को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान करने हेतु एक समारोह 18 अगस्त, 2010 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित किया गया था। भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने पुरस्कार प्रदान किए।

निवर्तमान राष्ट्रपति को विदाई देने हेतु समारोह

निवर्तमान राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील को विदाई देने हेतु 23 जुलाई, 2012 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया था। समारोह के दौरान, लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार ने संसद सदस्यों की ओर से श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील के प्रति आदर और स्नेहपूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए एक विदाई भाषण दिया। उन्होंने श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील को संसद सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त नामावली वाली एक मंजूषा और संसद भवन की प्रतिकृति युक्त एक चांदी का फलक भी भेंट किया। तत्पश्चात्, निवर्तमान राष्ट्रपति ने विशिष्ट जन समूह को संबोधित किया। उन्होंने संसद सदस्यों द्वारा दिए गए भोज में भी भाग लिया।

विवरण-48

संसदीय सम्मेलन/बैठक/विचारगोष्ठियां/संगोष्ठियां

क्रम सं.	सम्मेलन/बैठक/विचारगोष्ठियां/संगोष्ठियां	स्थान	तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	एक – राष्ट्रीय स्तर			
1.	भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 74वां सम्मेलन	भोपाल	3-4 फरवरी, 2010	
	"पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर विचार करने की अत्यावश्यकता" विषय पर संगोष्ठी	भोपाल	5 फरवरी, 2010	
	भारत के विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन	भोपाल	2 फरवरी, 2010	
2.	भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 75वां सम्मेलन	श्रीनगर	20-21 जून, 2010	
	''संसद में विधायकों का निष्पादन – लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना'' विषय पर संगोष्ठी	श्रीनगर	22 जून, 2010	
	भारत के विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन	श्रीनगर	19 जून, 2010	
3.	भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 76वां सम्मेलन	जयपुर	21-22 सितंबर, 2011	
	''नियंत्रण और संतुलन की संवैधानिक योजना को मजबूत करना'' विषय पर संगोष्ठी	जयपुर	23 सितंबर, 2011	
	भारत के विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन	जयपुर	20 सितंबर, 2011	
	दो – अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/विचारगोष्ठियां इत्यादि			
	अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू)			
1.	अंतर-संसदीय संघ की 121वीं बैठक	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	19-21 अक्तूबर, 2009	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक पांच-सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
2.	अंतर-संसदीय संघ की 122वीं बैठक	बैंकाक (थाईलैंड)	27 मार्च-1 अप्रैल, 2010	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक आठ-सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।

1	2	3	4	5
3.	अंतर-संसदीय संघ की 123वीं बैठक	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	4-6 अक्तूबर, 2010	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक सात-सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
4.	अंतर-संसदीय संघ की 124वीं बैठक	पनामा सिटी (पनामा)	15-20 अक्तूबर, 2011	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक नौ-सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
5.	अंतर-संसदीय संघ की 125वीं बैठक	बर्न (स्विट्जरलैंड)	16-19 अक्तूबर, 2009	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक छह-सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
6.	अंतर-संसदीय संघ की 126वीं बैठक	कम्पाला (यूगांडा)	31 मार्च-5, अप्रैल, 2012	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक सात-सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
7.	अंतर-संसदीय संघ की 127वीं बैठक	क्यूबेक सिटी (कनाडा)	21-26 अक्तूबर, 2012	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक सात-सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
8.	अंतर-संसदीय संघ की 128वीं बैठक	क्विटो (इक्वेडोर)	22-27 मार्च, 2013	लोक सभा के उपाध्यक्ष, श्री कड़िया मुंडा के नेतृत्व में एक छह-सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
9.	अंतर-संसदीय संघ की 129वीं बैठक	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	7-9 अक्तूबर, 2013	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक छह-सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
10.	अंतर-संसदीय संघ की 130वीं बैठक	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	16-20 मार्च, 2009	राज्य सभा के उप सभापति प्रो. पी.जे. कुरियन के नेतृत्व में एक चार-सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
		अंतर-संसदीय संघ के तत्वावधान में हुए सम्मेलन		
1.	सांसदों हेतु यूएनसीसीडी गोलमेज का 8वां सत्र	ब्युनस आयर्स (अर्जेंटीना)	24-25 सितंबर, 2009	श्री कावुरी सांबासिवा राव, संसद सदस्य, लोक सभा ने भाग लिया।
2.	महिलाओं की स्थिति संबंधी संसदीय समितियों और लिंग समानता के क्षेत्र में कार्यरत समितियों के सदस्यों हेतु चौथा सम्मेलन	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	28-29 सितंबर, 2009	दो-सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
3.	(एक) वि.व्या.सं. लोक मंच 2009; (दो) वि.व्या.सं. लोक मंच 2009 संबंधी संसदीय पैनल की बैठकें और (तीन) संचालन समिति का 19वां सत्र	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	28 सितंबर – 1 अक्तूबर, 2009	श्री पी.सी. चाको, संसद सदस्य, लोक सभा ने भाग लिया।
4.	संसद के अध्यक्षों के तीसरे सम्मेलन की दूसरी प्रारंभिक बैठक	न्यूयार्क (यूएसए)	16-17 नवम्बर, 2009	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार ने भाग लिया।

1	2	3	4	5
5.	वि.व्या.सं. संबंधी संसदीय सम्मेलन की संचालन समिति का 21वां सत्र	जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड)	24-25 जून, 2010	श्री पी.सी. चाको, संसद सदस्य, लोक सभा ने भाग लिया।
6.	संसद की महिला अध्यक्षों की छठी वार्षिक बैठक	बार्न (स्विट्ज़रलैंड)	16-17 जुलाई, 2010	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार ने भाग लिया।
7.	प्रारंभिक समिति की चौथी और पांचवीं (अंतिम) बैठकें	जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड)	18-20 जुलाई, 2010	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार ने भाग लिया।
8.	संसद के अध्यक्षों का तीसरा विश्व सम्मेलन	जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड)	19-21 जुलाई, 2010	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
9.	संसदें, अल्पसंख्यकों और देश के लोग: निर्णय लेने में प्रभावी भागीदारी की चुनौतियों का सामना करना विषय पर सम्मेलन	चियापास (मैक्सिको)	31 अक्तूबर – 3 नवम्बर, 2010	श्री सिरिसिल्ला राजय्या, संसद सदस्य ने भाग लिया।
10.	साइबर सुरक्षा की तीन चुनौतियों: सूचना, नागरिक और अवसंरचना पर सूचना सोसाइटी को आकार देना संबंधी चौथा संसदीय मंच	जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड)	18-20 मई, 2011	एक चार सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
11.	आईपीयू की तीसरी स्थायी समिति के सह-संपर्क अधिकारियों की बैठक	जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड)	18-20 मई, 2011	श्री फ्रांसिस्को सारदीना, संसद सदस्य, लोक सभा ने भाग लिया।
12.	''महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम और कार्यवाही: विधान से प्रभावी प्रवर्तन'' विषय पर एशियाई संसदों हेतु क्षेत्रीय विचार गोष्ठी	नई दिल्ली (भारत)	15-17 सितंबर, 2011	डॉ. (कुमारी) गिरिजा व्यास, संसद सदस्य के नेतृत्व में एक 11 सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
13.	वि.व्या.सं. संबंधी संसदीय सम्मेलन की संचालन समिति का 25वां सत्र	ब्रूसेल्स (बेल्जियम)	7-8 मई, 2012	श्री पी.सी. चाको, संसद सदस्य, लोक सभा ने भाग लिया।
14.	(एक) वि.व्या.सं. लोक मंच, 2012, और (दो) वि.व्या.सं. संबंधी संसदीय सम्मेलन की संचालन समिति के 26वें सत्र की बैठकें	जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड)	24-26 सितंबर, 2012	श्री पी.सी. चाको, संसद सदस्य, लोक सभा ने भाग लिया।
15.	महिला संवेदी संसद विषय पर संसद की महिला अध्यक्षों की 7वीं बैठक	नई दिल्ली (भारत)	3-4 अक्तूबर, 2012	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार ने बैठक के उद्घाटन सत्र में भाग लिया और इसकी अध्यक्षता की।
16.	वि.व्या.सं. संबंधी संसदीय सम्मेलन की संचालन समिति का वार्षिक सत्र, 2012	जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड)	15-16 नवम्बर, 2012	श्री पी.सी. चाको, संसद सदस्य, लोक सभा के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।

1	2	3	4	5
17.	वि.व्या.सं. संबंधी संसदीय सम्मेलन के 28वें सत्र की बैठक	ब्रूसेल्स (बेल्जियम)	28-29 मई, 2013	श्री पी.सी. चाको, संसद सदस्य, लोक सभा ने भाग लिया।
18.	संसद और महिला तथा बाल स्वास्थ्य हेतु जवाबदेही विषय पर बहु-राष्ट्रीय विचार गोष्ठी	ढाका (बांग्लादेश)	30-31 जुलाई, 2013	श्रीमती विजया चक्रवर्ती, संसद सदस्य, की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
	अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईपीयू)			
1.	एशियाई संसदीय संघ (एपीए) का चौथा पूर्ण सत्र	बांडुंग (इंडोनेशिया)	7-10 दिसंबर, 2009	श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य, लोक सभा के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
2.	(एक) राजनैतिक मामलों संबंधी स्थायी समिति, और (दो) आईसीटी संबंधी तदर्थ कार्य समूह की बैठकें	तेहरान (ईरान इस्लामिक गणराज्य)	12-14 मई, 2010	श्री जय प्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, लोक सभा के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
3.	एफएएसपीपीईडी की महासभा का पहला सत्र	जकार्ता (इंडोनेशिया)	6-7 जुलाई, 2010	श्री कमल किशोर, संसद सदस्य, लोक सभा के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
4.	(एक) पहली एपीए कार्यकारी परिषद्, और (दो) ''एशिया में गरीबी उपशमन'' संबंधी एपीए उप-समिति की बैठकें	जकार्ता (इंडोनेशिया)	12-13 अक्तूबर, 2012	श्री तथागत सत्पथी, संसद सदस्य, लोक सभा ने भाग लिया।
5.	पर्यावरण और विकास संबंधी एशिया प्रशांत देशों के सांसदों के सम्मेलन (एपीपीसीईडी) की 15वीं महासभा	क्वालालम्पुर (मलेशिया)	6-9 जून, 2011	श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा, संसद सदस्य, लोक सभा के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
6.	एशिया-यूरोप सांसदों की 7वीं बैठक (एएसईपी-7)	विएंटिएन (लाओ पीडीआर)	3-4 अक्तूबर, 2012	श्री एम. कृष्णास्वामी, संसद सदस्य, लोक सभा के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
7.	पर्यावरण और विकास संबंधी एशिया प्रशांत देशों के सांसदों के सम्मेलन (एपीपीसीईडी) की 16वीं महासभा	काठमांडू (नेपाल)	14-18 जनवरी, 2013	श्री अनंत कुमार दत्तात्रेय हेगड़े, संसद सदस्य, लोक सभा के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
8.	आसियान अंतर-संसदीय सम्मेलन (एआईपीए) की 34वीं महासभा	ब्रुनेई (दारु सलाम)	18-23 सितंबर, 2013	श्री विश्वनाथन पेरुमल, संसद सदस्य, लोक सभा ने भाग लिया।
9.	सार्क देशों की संसदों के अध्यक्षों और सांसदों के संघ का सातवां सम्मेलन	मालदीव	21-23 दिसंबर, 2013	लोक सभा अध्यक्ष के नेतृत्व में एक आठ सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।

1	2	3	4	5
		राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए)		
1.	55वां सीपीए सम्मेलन	आरुशा (तंजानिया)	28 सितंबर – 6 अक्तूबर, 2009	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 36 सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
2.	56वां सीपीए सम्मेलन [दूसरे राष्ट्रमंडल महिला सांसद (सीडब्ल्यूपी) सम्मेलन का 13 सितंबर, 2010 को आयोजन किया गया]	नैरोबी (केन्या)	10-19 सितंबर, 2010	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 33 सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
3.	57वां सीपीए सम्मेलन	लंदन (यूनाइटेड किंग्डम)	21-28 जुलाई, 2011	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 39 सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
4.	58वां सीपीए सम्मेलन	कोलंबो (श्रीलंका)	7-15 सितंबर, 2012	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 34 सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
5.	59वां सीपीए सम्मेलन	जोहनसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका)	28 अगस्त-6 सितंबर, 2013	राज्य शाखाओं से 24 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
		राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन/बैठकें		
1.	20वां सीएसपीओसी	नई दिल्ली (भारत)	4-8 जनवरी, 2010	भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।
2.	21वीं सीएसपीओसी स्थायी समिति की बैठक	डगलस (आइल ऑफ मैन)	12-15 जनवरी, 2011	श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा ने भाग लिया।
3.	21वां सीएसपीओसी	पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिडाड और टोबैगो)	7-12 जनवरी, 2012	श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा ने भाग लिया।
		राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत और एशिया क्षेत्र सम्मेलन		
1.	चौथा संयुक्त भारत और एशिया क्षेत्र सम्मेलन	रायपुर (भारत)	25-29 अक्तूबर, 2010	सीपीए भारत शाखा और राज्य शाखाओं के एक 55 सदस्यीय शिष्टमंडल और एशिया क्षेत्र के 14 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
2.	तीसरा सीपीए एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन	कोलम्बो (श्रीलंका)	11-16 फरवरी, 2011	श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा ने भाग लिया।
		उत्तर-पूर्व क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (एनईआरसीपीए) सम्मेलन		
1.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (एनईआरसीपीए) का 12वां वार्षिक सम्मेलन	शिलांग (मेघालय)	28-31 जनवरी, 2010	श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा ने भाग लिया।
2.	13वां एनईआरसीपीए सम्मेलन	इटानगर (अरूणाचल प्रदेश)	28-30 अप्रैल, 2011	श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा ने भाग लिया।

1	2	3	4	5
		राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) विचारगोष्ठियां		
1.	22वीं सीपीए विचारगोष्ठी	नई दिल्ली (भारत)	22-29 नवम्बर, 2011	श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा ने विचारगोष्ठी का उद्घाटन किया।
2.	21वीं सीपीए विचारगोष्ठी	सामोआ (एपिया)	24-30 मई, 2012	लोक सभा और राज्य सीपीए शाखाओं के एक छह सदस्यीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
3.	24वीं सीपीए विचारगोष्ठी	सिंगापुर	27 मई-1 जून, 2013	लोक सभा और राज्य सीपीए शाखाओं के एक पांच सदस्यीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
		लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में विचारगोष्ठी		
	वित्तीय पर्यवेक्षण और लोक लेखा समिति की भूमिका पर सीपीए भारत और एशिया क्षेत्र विचारगोष्ठी	ढाका (बांग्लादेश)	8-13 नवम्बर, 2013	लोक सभा के एक दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
		राष्ट्रमंडल महिला सांसद (सीडब्ल्यूपी) विचारगोष्ठी		
	महिला न्याय और प्रतिसंवेदी शासन पर भारत क्षेत्र राष्ट्रमंडल महिला सांसदों (सीडब्ल्यूपी) की विचारगोष्ठी	नई दिल्ली	8-9 मार्च, 2013	श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष, लोक सभा ने उद्घाटन किया।
		सीपीए-अन्य विचारगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाएं		
1.	अंतर्राष्ट्रीय संसदीय शासन विचारगोष्ठी	लंदन, ब्रुसेल्स और एडिनबर्ग (यूनाइटेड किंग्डम)	9-21 नवम्बर, 2009	लोक सभा के दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
2.	एशिया, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों हेतु लोकतांत्रिक संसदों के लिए बेंचमार्क पर सीपीए क्षेत्रीय कार्यशाला	ढाका (बांग्लादेश)	25-29 जनवरी, 2010	लोक सभा के दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
3.	'शांति निर्माण: राज्य की कमजोरी का मुकाबला करना' पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन	लंदन (यूनाइटेड किंग्डम)	31 जनवरी-6 फरवरी, 2010	लोक सभा और राज्य सीपीए शाखाओं के दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
4.	सीपीए यूनाइटेड किंग्डम शाखा ''जलवायु परिवर्तन: वैश्विक से स्थानीय पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन''	लंदन (यूनाइटेड किंग्डम)	12-16 जुलाई, 2010	लोक सभा के एक सदस्य और एक प्रतिनिधि ने भाग लिया।
5.	विश्व जैव विविधता मंच और वैश्विक प्रवाल-भित्ति संकट बैठक	नागोया (जापान)	24-26 अक्तूबर, 2010	लोक सभा के एक सदस्य ने भाग लिया।
6.	संसदीय क्षेत्र विकास निधि में सांसदों की भूमिका पर कार्यशाला	किंगस्टन (जमैका)	6-10 जून, 2011	लोक सभा के एक सदस्य ने भाग लिया।
7.	सरकार और विपक्ष कार्यशाला 'नियम, अधिकार और उत्तरदायित्व'	माले (मालदीव)	13-15 जून, 2011	लोक सभा के एक सदस्य ने भाग लिया।

1	2	3	4	5
8.	लैंगिक समानता और राजनीति पर संयुक्त सीपीए यूके/बीजीआईपीयू अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन	लंदन (यूनाइटेड किंग्डम)	6-8 नवम्बर, 2012	लोक सभा के दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
9.	लोक लेखा समिति पर सीपीए/डब्ल्यूबीआई अध्ययन दल	विक्टोरिया (आस्ट्रिया)	6-10 नवम्बर, 2012	लोक सभा के एक सदस्य ने भाग लिया।
	यूनाइटेड किंगडम सीपीए शाखा द्वारा आयोजित कार्यक्रम और लोक लेखा समिति/ वैश्विक विचारगोष्ठी पर कार्यशाला			
1.	पद्धति और प्रक्रिया पर 59वीं वेस्टमिनस्टर विचारगोष्ठी	लंदन (यूनाइटेड किंग्डम)	7-19 मार्च, 2010	राज्य सीपीए शाखाओं के दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
2.	हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 61वीं वेस्टमिनस्टर विचारगोष्ठी और दूसरी कार्यशाला	लंदन (यूनाइटेड किंग्डम)	6-17 मार्च, 2012	सीपीए की दो राज्य शाखाओं के दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
3.	'संसदों और उत्खनन उद्योगों की भूमिका' पर वैश्विक विचारगोष्ठी	वियना (आस्ट्रिया)	29-31 अक्तूबर, 2012	लोक सभा के दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
4.	लोक लेखा समिति पर तीसरी वेस्टमिनस्टर कार्यशाला	लंदन (यूनाइटेड किंग्डम)	24-27 जून, 2013	लोक सभा के एक सदस्य ने भाग लिया।
5.	'संसदों और उत्खनन उद्योगों की भूमिका' पर सीपीए वैश्विक विचारगोष्ठी	वियना (आस्ट्रिया)	29-31 अक्तूबर, 2013	लोक सभा और राज्य सीपीए शाखा के दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
	कनाडा संसदीय विचारगोष्ठी			
1.	सातवीं सीपीए कनाडा संसदीय विचारगोष्ठी	ओटावा (कनाडा)	18-24 अक्तूबर, 2009	लोक सभा के दो सदस्यों ने भाग लिया।
2.	नौवीं सीपीए कनाडा संसदीय विचारगोष्ठी	ओटावा (कनाडा)	16-22 अक्तूबर, 2011	लोक सभा के दो सदस्यों ने भाग लिया।
3.	दसवीं सीपीए कनाडा संसदीय विचारगोष्ठी	ओटावा (कनाडा)	2-8 जून, 2013	लोक सभा के एक सदस्य ने भाग लिया।
	सीपीए कार्यकारिणी समिति की मध्यवार्षिक बैठक			
1.	सीपीए मध्यवार्षिक कार्यकारिणी समिति बैठक	स्वाजीलैंड	8-13 मई, 2010	अध्यक्ष, लोक सभा और राज्य सीपीए शाखाओं के दो क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
2.	सीपीए मध्यवार्षिक कार्यकारिणी समिति बैठक	यूकॉन (कनाडा)	24-27 फरवरी, 2011	राज्य सीपीए के दो क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
3.	सीपीए मध्यवार्षिक कार्यकारिणी समिति बैठक	टोंगा	17-21 अप्रैल, 2012	अध्यक्ष, लोक सभा और राज्यों के दो क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

विवरण-49

संसदीय शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान

क्रम. सं.	दौरे का देश/स्थान	तारीख	संरचना
1	2	3	4
	(क) भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के विदेशी दौरे		
1.	इटली	12-13 सितंबर, 2009	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 5-सदस्यीय शिष्टमंडल
2.	ऑस्ट्रिया	14-17 सितंबर, 2009	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 12-सदस्यीय शिष्टमंडल
3.	मॉरीशस	17-22 जनवरी, 2010	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 12-सदस्यीय शिष्टमंडल
4.	भूटान	26-29 मई, 2010	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 12-सदस्यीय शिष्टमंडल
5.	हंगरी और लक्जमबर्ग	7-13 जून, 2010	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 13-सदस्यीय शिष्टमंडल
6.	मंगोलिया	26-30 जून, 2011	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 13-सदस्यीय शिष्टमंडल
7.	यूनाइटेड किंग्डम	15-19 जनवरी, 2011	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 14-सदस्यीय शिष्टमंडल
8.	मेक्सिको	11-14 अप्रैल, 2011	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 12-सदस्यीय शिष्टमंडल
9.	वियतनाम	14-17 मई, 2011	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 13-सदस्यीय शिष्टमंडल
10.	कोरिया गणराज्य	18-20 मई, 2011	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 10-सदस्यीय शिष्टमंडल
11.	स्वीडन	13-15 जून, 2011	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 13-सदस्यीय शिष्टमंडल
12.	डेनमार्क	16-18 जून, 2011	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 13-सदस्यीय शिष्टमंडल
13.	सिंगापुर	13-16 सितंबर, 2011	लोक सभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने 1-शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।
14.	कम्बोडिया	18-24 सितंबर, 2011	श्री निनांग इरिंग, संसद सदस्य लोक सभा के नेतृत्व में एक 2-सदस्यीय शिष्टमंडल
15.	जापान	2-6 अक्तूबर, 2011	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 13-सदस्यीय शिष्टमंडल

1	2	3	4
16.	ईरान	2-5 नवम्बर, 2011	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 13-सदस्यीय शिष्टमंडल
17.	चिली, उरूग्वे और पैराग्वे	13-20 जनवरी, 2012	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 12-सदस्यीय शिष्टमंडल
18.	पाकिस्तान	21-25 फरवरी, 2012	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 15-सदस्यीय शिष्टमंडल
19.	न्यूज़ीलैंड	13-16 अप्रैल, 2012	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 12-सदस्यीय शिष्टमंडल
20.	इंडोनेशिया	16-22 सितंबर, 2012	श्री मोहम्मद असरारूल हक़, संसद सदस्य, लोक सभा के नेतृत्व में एक 3-सदस्यीय शिष्टमंडल
21.	पाकिस्तान	4-6 नवम्बर, 2012	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 14-सदस्यीय शिष्टमंडल
22.	म्यांमार	12-15 फरवरी, 2013	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 12-सदस्यीय शिष्टमंडल
23.	बेलारूस	20-22 मई, 2013	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 13-सदस्यीय शिष्टमंडल
24.	स्लोवेनिया	27-31 मई, 2013	लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 13-सदस्यीय शिष्टमंडल
	(ख) भारत का दौरा करने वाले विदेशी संसदीय शिष्टमंडल/गण्यमान्य व्यक्ति		
1.	तिमोर-लेस्ते	6-15 सितंबर, 2009	महामहिम श्री ओसोरियो फ्लोरिंडो, प्रेसीडेंट, गरीबी अल्पीकरण, ग्रामीण, क्षेत्रीय विकास और लैंगिक समानता संबंधी समिति के नेतृत्व में नौ सदस्यीय शिष्टमंडल
2.	ओमान	4-18 दिसंबर, 2009	महामहिम, डॉ. याह्या बिन महफूद बिन सलीम अल मंथ्री, चेयरपर्सन, स्टेट काउंसिल ओमान सल्तनत के नेतृत्व में दस-सदस्यीय शिष्टमंडल
3.	थाईलैंड	18-24 दिसंबर, 2009	महामहिम, श्री चाई चिदचोब, अध्यक्ष, नेशनल असेम्बली ऑफ स्पीकर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, थाई संसद के नेतृत्व में 16-सदस्यीय शिष्टमंडल
4.	उरूग्वे	10-16 जनवरी, 2010	महामहिम, श्री रोक़ अर्रेगुई, अध्यक्ष, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उरूग्वे संसद के नेतृत्व में नौ सदस्यीय शिष्टमंडल
5.	वियतनाम	23-28 फरवरी, 2010	महामहिम, श्री न्यूयेन फू ट्रोंग, चेयरपर्सन, नेशनल असेम्बली, वियतनाम के नेतृत्व में बारह सदस्यीय शिष्टमंडल
6.	क्रोएशिया	6-10 मार्च, 2010	महामहिम, श्री लूका बेबिक, प्रेसीडेंट, क्रोएशिया संसद के नेतृत्व में सात सदस्यीय शिष्टमंडल
7.	एस्टोनिया	3-10 अप्रैल, 2010	महामहिम, डॉ, श्रीमती एनी एर्गमा, प्रेसीडेंट, रिगिकोगु (एस्टोनिया की संसद) के नेतृत्व में एक दस सदस्यीय शिष्टमंडल
8.	पैराग्वे	10-14 अप्रैल, 2010	महामहिम (श्री) सीनेटर मिगुएल कार्रिज़ोसा गलिआनो, प्रेसीडेंट, पैराग्वे संसद के नेतृत्व में आठ सदस्यीय शिष्टमंडल

1	2	3	4
9.	यूरोपीय संसद	25-30 अप्रैल, 2010	श्री ग्राहम वाटसन, यूरोपीय संसद में भारतीय शिष्टमंडल के एमईपी चेयरपर्सन के नेतृत्व में बाईस सदस्यीय शिष्टमंडल
10.	मैक्सिको	8-14 अगस्त, 2010	महामहिम डॉ. कार्लोस जिमनेज़ मैकिएस (सीनेटर), प्रेसीडेंट, मैक्सिकन संसद में विदेशी मामलों संबंधी समिति, एशिया-प्रशांत के नेतृत्व में नौ सदस्यीय शिष्टमंडल
11.	मंगोलिया	8-14 दिसम्बर, 2010	महामहिम श्री डामडिन्जिन डेमबेरल, चेयरपर्सन (स्पीकर), स्टेट ग्रेट हुराल ऑफ मंगोलिया (मंगोलिया की संसद) के नेतृत्व में पन्द्रह सदस्यीय शिष्टमंडल
12.	अल्बानिया	18-22 दिसम्बर, 2010	महामहिम श्रीमती जोसफिना टोपाल्लि, स्पीकर, अल्बानिया संसद के नेतृत्व में ग्यारह सदस्यीय शिष्टमंडल
13.	ऑस्ट्रिया	6-11 फरवरी, 2011	महामहिम श्रीमती बारबरा प्रैमर, प्रेसीडेंट, नेशनल काउंसिल, ऑस्ट्रियन संसद के नेतृत्व में नौ सदस्यीय शिष्टमंडल
14.	कोरिया गणराज	22-26 मार्च, 2011	महामहिम श्री पार्क ही तेई, स्पीकर, नेशनल असेम्बली, कोरिया गणराज्य के नेतृत्व में सोलह सदस्यीय शिष्टमंडल
15.	अफगानिस्तान	12-15 जुलाई, 2011	महामहिम श्री अब्दुल रऊफ़ इब्राहिमी, प्रेसीडेंट, वोलेसी जिरगा (अफगानिस्तान की संसद) के नेतृत्व में बीस सदस्यीय शिष्टमंडल
16.	श्रीलंका	1-5 अगस्त, 2011	महामहिम श्री चामल राजपक्षे, अध्यक्ष, श्रीलंका संसद के नेतृत्व में बारह सदस्यीय श्रीलंकाई शिष्टमंडल
17.	यूनाइटेड किंग्डम	15-20 अगस्त, 2011	माननीय जॉन बरकॉव, स्पीकर हाऊस ऑफ कॉमन्स, दि युनाइटेड किंग्डम
18.	भूटान	23-26 नवम्बर, 2011	महामहिम श्री ल्योन्पो जिग्मे त्शुल्तिम, अध्यक्ष, भूटान नेशनल असेम्बली के नेतृत्व में नौ सदस्यीय शिष्टमंडल
19.	बुल्गारिया	26-30 नवम्बर, 2011	महामहिम सुश्री त्सेत्एका त्सचेवा, बुल्गारिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के नेतृत्व में एक 16 सदस्यीय शिष्टमंडल
20.	इटली	1-6 दिसम्बर, 2011	महामहिम श्री सेन्ड्रो गोजी, चेयरपर्सन, इटली-भारत संसदीय मैत्री समूह के नेतृत्व में एक आठ सदस्यीय शिष्टमंडल
21.	म्यांमार	11-17 दिसम्बर, 2011	महामहिम थुरा यु श्वे मान, म्यांमार की संसद प्यिथू हलट्टा (निचला सदन) के अध्यक्ष के नेतृत्व में म्यांमार से एक 31 सदस्यीय शिष्टमंडल
22.	लक्जमबर्ग	28-फरवरी-2 मार्च, 2012	महामहिम श्री लुआरेंट मोसार, 'प्रेजिडेंट ऑफ द चैंबर ऑफ डिप्युटीज', सीएसवी, लक्जमबर्ग की संसद, के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय शिष्टमंडल
23.	मारीशस	1-6 मार्च, 2012	महामहिम श्री राजकेश्वर पुरयाग, जीसीएसके, जीओएसके, मॉरीशस गणराज्य की नेशनल असेंबली के स्पीकर के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय शिष्टमंडल
24.	त्रिनिदाद और टोबैगो	15-20 मार्च, 2012	महामहिम श्री वेड मार्क, हाउस ऑफ द रिप्रेजेन्टेटिव के स्पीकर और महामहिम श्री तिमोथी हैमल स्मिथ, त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के सीनेट के प्रेजीडेंट के नेतृत्व में एक सात-सदस्यीय शिष्टमंडल

1	2	3	4
25.	फिनलैंड	23-26 अप्रैल, 2012	महामहिम श्री ईरो हेनालुओमा, फिनलैंड की संसद के स्पीकर के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय शिष्टमंडल
26.	सउदी अरब	7-10 मई, 2012	महामहिम डॉ. अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल-अल शेख, सऊदी अरब की मजलिस अश-शुरा (कंसल्टेटिव काउंसिल) के स्पीकर के नेतृत्व में सऊदी अरब से एक 10 सदस्यीय शिष्टमंडल
27.	दक्षिण अफ्रीका	8-14 जुलाई, 2012	महामहिम श्री एम.वी. सिसुलु, नेशनल असेम्बली के स्पीकर और महामहिम श्री एम.जे. महालंगु, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविन्सिस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के नेतृत्व में एक 20 सदस्यीय शिष्टमंडल
28.	इंडोनेशिया गणराज्य	28 जुलाई से 02 अगस्त, 2012	माननीय डॉ. मर्जुकी एली एआईपीए के प्रेजीडेंट और इंडोनेशिया गणराज्य के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव के स्पीकर के नेतृत्व में एक 16 सदस्यीय शिष्टमंडल
29.	भूटान	5-10 अगस्त, 2012	माननीय लियोंन्यों नमगे पंजोरे, नेशनल काउंसिल ऑफ भूटान के चेयरपर्सन के नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
30.	यूनाइटेड किंग्डम	21-26 अगस्त, 2012	माननीय सर एलन हैसलहर्स्ट, संसद सदस्य और युनाइटेड किंग्डम की संसद की सीपीए कार्यकारी समिति के चेयरपर्सन के नेतृत्व में एक 11 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
31.	आइसलैंड	20-27 नवम्बर, 2012	महामहिम सुश्री एस्टा आर. जोहानासदोतीर, आइसलैंड की संसद, अलथिंगी की प्रेजीडेंट (स्पीकर) के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय शिष्टमंडल
32.	हंगरी	24-30 नवम्बर, 2012	महामहिम डॉ. लैजलो कोवर, हंगेरियन नेशनल असेंबली के स्पीकर के नेतृत्व में एक 8 सदस्यीय शिष्टमंडल
33.	पाकिस्तान	5-10 दिसम्बर, 2012	महामहिम सैयद नैयर हुसैन बोखारी, पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य की सीनेट के चेयरपर्सन के नेतृत्व में एक 14 सदस्यीय शिष्टमंडल
34.	इराक	15-20 दिसम्बर, 2012	महामहिम श्री ओसामा अब्दुल अज़ीज-मोहम्मद-अल-नुजैफी, प्रेजीडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव ऑफ इराक के नेतृत्व में एक 28 सदस्यीय शिष्टमंडल
35.	वियतनाम	20-25 फरवरी, 2013	महामहिम सुश्री न्यूयेन थी किम न्गन, पार्टी से सेन्ट्रल कमेटी की सैक्रेटरी ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की नेशनल असेंबली के वाइस चेयरपर्सन के नेतृत्व में एक 11 सदस्यीय शिष्टमंडल
36.	रूसी फैडरेशन	25-27 फरवरी, 2013	महामहिम सुश्री वैलेन्टीना आई मातविएंको, चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ फैडरेशन, फैडरल असेंबली ऑफ द रशियन फैडरेशन के नेतृत्व में एक 43 सदस्यीय शिष्टमंडल
37.	ईरान	24 फरवरी-1 मार्च, 2013	महामहिम डॉ. अली अरदेशीर लारींजानी, ईरान इस्लामिक गणराज्य की इस्लामिक कंसलटेटिव असेम्बली के स्पीकर के नेतृत्व में एक 46 सदस्यीय शिष्टमंडल
38.	मेसीडोनिया	4-8 मार्च, 2013	महामहिम श्री त्राजको वेलजानोस्की, मेसीडोनिया गणराज्य की संसद के प्रेजिडेंट के नेतृत्व में एक 11 सदस्यीय शिष्टमंडल

1	2	3	4
39.	पेरू	20-24 अप्रैल, 2013	सुश्री लोर्डेस एलकोर्टा सुएरो, संसद सदस्य, पेरू-भारत संसदीय मैत्री लीग की प्रेजीडेंट के नेतृत्व में एक 8 सदस्यीय शिष्टमंडल
40.	मालदीव	4-8 मई, 2013	महामहिम श्री अब्दुल्ला शाहिद, 'पीपुल्स मजलिस' (पार्लियामेंट) ऑफ मालदीव के स्पीकर के नेतृत्व में एक 9 सदस्यीय शिष्टमंडल
41.	सेशल्स	4-9 अगस्त, 2013	महामहिम श्री आंद्रे पूल, सेशल्स की नेशनल असेंबली की डिप्युटी स्पीकर के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय शिष्टमंडल
42.	पापुआ न्यू गिनी	26-31 अगस्त, 2013	महामहिम श्री थिओडोर जुरेनुओक, पापुआ न्यू गिनी की संसद के स्पीकर के नेतृत्व में एक 9 सदस्यीय शिष्टमंडल
43.	म्यांमार	2-6 दिसम्बर, 2013	महामहिम यू खिन आंग मिंट, म्यांमार की संसद के एमीयोथा हलट्टा (उच्च सदन) के स्पीकर के नेतृत्व में एक 25 सदस्यीय शिष्टमंडल
44.	आरमेनिया	4-8 दिसम्बर, 2013	महामहिम श्री होविक अब्राहमियन, आरमेनिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के प्रेजिडेंट के नेतृत्व में एक 18 सदस्यीय शिष्टमंडल
45.	बांग्लादेश	12-15 फरवरी, 2014	महामहिम डॉ. शिरिन शरमिन चौधरी, बांग्लादेश की संसद के स्पीकर

तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील लोक सभा की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 13 मई, 2012 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में पहली लोक सभा के सदस्य श्री कनेती मोहन राव को स्मृति चिन्ह भेंट करती हुईं।

तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील 18 अगस्त, 2010 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में श्री प्रियरंजन दासमुंशी को प्रदत्त वर्ष 2007 का उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार उनकी पत्नी श्रीमती दीपा दासमुंशी को प्रदान करती हुईं।

तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील 18 अगस्त, 2010 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में श्री मोहन सिंह को वर्ष 2008 को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान करती हुईं।

तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील 18 अगस्त, 2010 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में डॉ. मुरली मनोहर जोशी को वर्ष 2009 का उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान करती हुईं।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 4 जनवरी, 2010 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के बीसवें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए। मंच पर लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार और राज्य सभा के उप-सभापति श्री के. रहमान खान भी उपस्थित हैं।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार और राज्य सभा के उप-सभापति श्री के. रहमान खान तथा अन्य विशिष्टिजन 4 जनवरी, 2010 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के बीसवें सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 31 अगस्त, 2009 को संसदीय सौध, नई दिल्ली में आयोजित राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के संसदीय कार्य मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करती हुईं। संसदीय कार्य तथा जल संसाधन मंत्री श्री पवन कुमार बंसल भी मंच पर उपस्थित हैं।

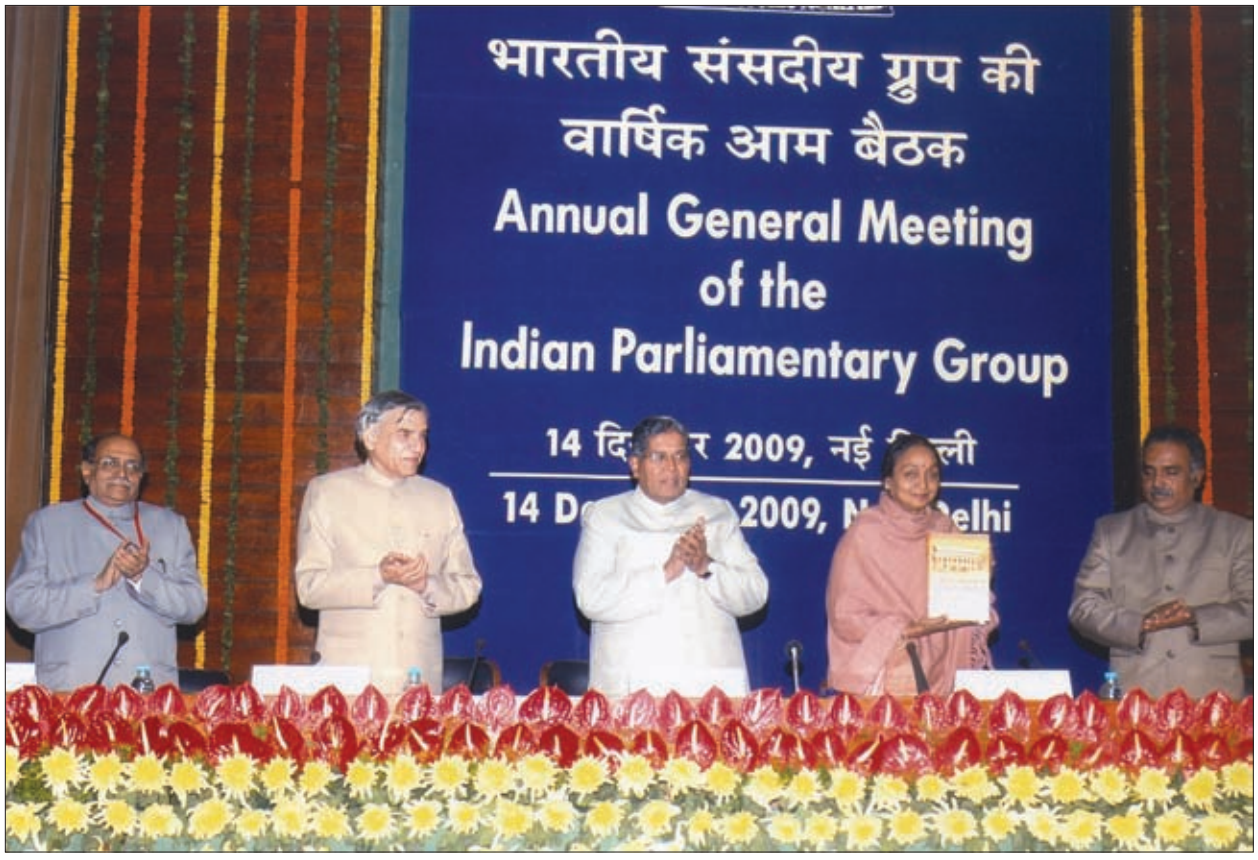

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 14 दिसम्बर, 2009 को संसदीय सौध में भारतीय संसदीय ग्रुप की वार्षिक आम बैठक में लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक "संसदीय पद्धति और प्रक्रिया" के छठे संशोधित संस्करण का विमोचन करती हुईं। राज्य सभा के उप-सभापति श्री के. रहमान खान, संसदीय कार्य तथा जल संसाधन मंत्री श्री पवन कुमार बंसल भी इस अवसर पर उपस्थित हैं।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 5 फरवरी, 2010 को भोपाल में आयोजित भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों के सम्मेलन को संबोधित करती हुईं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री ईश्वर दास रोहानी भी मंच पर उपस्थित हैं।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 20 जून, 2010 को श्रीनगर में आयोजित भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 75वें सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देती हुईं। जम्मू और कश्मीर विधान सभा के अध्यक्ष श्री मोहम्मद अकबर लोन भी मंच पर उपस्थित हैं।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 21 सितम्बर, 2011 को जयपुर में आयोजित भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अवसर पर। राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत भी उपस्थित हैं।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 26 अक्तूबर, 2010 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित चौथे भारत और एशिया क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में शिष्टमंडलों के सदस्यों को संबोधित करती हुईं। लोक सभा के उपाध्यक्ष, श्री कड़िया मुंडा, भारतीय राष्ट्रमंडल संघ के महासचिव डॉ. विलियम एफ. शिजा और लोक सभा के महासचिव, श्री टी.के. विश्वनाथन भी मंच पर उपस्थित हैं।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 28 अप्रैल, 2011 को एटा नगर, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित उत्तर-पूर्व क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 13वें वार्षिक सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के अवसर पर।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 18 से 20 मई, 2011 तक सियोल, कोरिया गणराज्य में आयोजित दूसरी जी20 सियोल अध्यक्ष परामर्श बैठक में विशिष्टजनों के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 9 जुलाई, 2011 को संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली में सार्क अध्यक्षों और सांसदों के संघ के 5वें सम्मेलन में सार्क देशों के अध्यक्षों के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 16 सितम्बर, 2011 को भारत की संसद और अंतर-संसदीय संघ, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'महिलाओं और बालिकाओं के प्रति हिंसा का निवारण और प्रत्युत्तर: विधान से प्रभावी प्रवर्तन तक' विषय पर एशियाई संसदों हेतु क्षेत्रीय सेमिनार के प्रतिनिधियों के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार और राज्य सभा के उप-सभापति श्री के. रहमान खान 16 अक्तूबर, 2011 को बर्न, स्विट्जरलैंड में आयोजित अंतर-संसदीय संघ की 125वीं बैठक के उद्घाटन सत्र के अवसर पर।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 25 नवम्बर, 2011 को संसदीय सौध, नई दिल्ली में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय सेमिनार में उद्घाटन भाषण देते हुए। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के महासचिव डॉ. विलियम एफ. शिजा और लोक सभा के महासचिव श्री टी.के. विश्वनाथन भी मंच पर उपस्थित हैं।

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी 3 अक्तूबर, 2012 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 'महिला संवेदी संसदें' विषय पर संसदों की महिला अध्यक्षों की सातवीं बैठक का उद्घाटन करते हुए।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 4 अक्तूबर, 2012 को संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली में "महिला संवेदी संसदें" विषय पर संसदों की महिला अध्यक्षों की 7वीं बैठक के अवसर पर।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 8 मार्च, 2013 को संसदीय सौध, नई दिल्ली में "जेंडर जस्टिस एंड रिस्पांसिव गवर्नेंस" विषय पर आयोजित राष्ट्रमंडल महिला सांसदों की भारत क्षेत्र संगोष्ठी के अवसर पर।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 21 दिसम्बर, 2013 को मालदीव में आयोजित सार्क अध्यक्षों और सांसदों के संघ के 7वें सम्मेलन में भाग लेते हुए।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 17 अगस्त, 2012 को संसदीय ज्ञानपीठ में लंदन ओलम्पिक में मैडल जीतने वालों और अन्य खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आयोजित समारोह के अवसर पर।

11

संसद में आने वाले दर्शक

लोक सभा सदस्य के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों को दर्शक माना जाता है। ड्यूटी पर तैनात सभा के अधिकारी और कर्मचारी इसके अपवाद हैं। लोक सभा के सत्रों के दौरान, दर्शकों का सभा के उन भागों जो सदस्यों के विशेष उपयोग हेतु आरक्षित नहीं हैं, में प्रवेश अध्यक्ष के आदेशों के अनुसार विनियंत्रित होता है। सभा की बैठक के समय, चैम्बर सदस्यों के विशेष उपयोग हेतु आरक्षित होता है और उसमें दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। सभा का एक अन्य भाग जहां केन्द्रीय कक्ष के अतिरिक्त दर्शकों को विशिष्ट परिस्थितियों में जाने की अनुमति दी जाती है वह हैं—दीर्घाएं।

लोक सभा की विभिन्न दीर्घाओं में दर्शकों का प्रवेश अध्यक्ष के निदेशों के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ बनाए गए नियमों के अनुसार विनियंत्रित होता है।

अध्यक्ष दीर्घा

यदि विशिष्ट दीर्घा में स्थान उपलब्ध न हो तो यह दीर्घा राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों और उनकी पत्नियों और अखिल भारतीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के उपयोग के लिए है।

विशिष्ट दर्शक दीर्घा

इस दीर्घा का उपयोग वर्तमान संसद सदस्यों की पत्नियों, भूतपूर्व संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों तथा सचिवों, न्यायाधीशों, कुलपतियों, भारत सरकार और राज्य सरकारों के उच्च अधिकारियों, सार्वजनिक जीवन में प्रमुख स्थान प्राप्त व्यक्तियों जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और विदेशों से आए विशिष्ट व्यक्तियों के लिए किया जाता है।

विशेष दीर्घा

यह दीर्घा वर्तमान सदस्यों के परिवार जनों (पुत्रों, पुत्रियों, पिता और माता) के उपयोग के लिए है।

राजनयिक दीर्घा

यह दीर्घा विदेशी राजनयिकों के उपयोग के लिए है। विदेशी मिशनों के प्रमुखों को फोटो सहित वार्षिक प्रवेश-पत्र जारी किए जाते हैं।

सार्वजनिक दीर्घा

यह दीर्घा सामान्यत: आम जनता के उपयोग के लिए है। इस दीर्घा हेतु प्रवेश पत्र के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना पड़ता है। दर्शकों के प्रवेश हेतु केन्द्रीय पास निर्गम केन्द्र में सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवेदनों पर सुस्थापित मानदंडों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। दर्शकों के प्रवेश पत्र हेतु अनुरोध सामान्यत: दर्शक प्रवेश पत्र की वांछित तिथि से एक दिन पूर्व देने होते हैं। लोक सभा की किसी भी दीर्घा में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रवेश वर्जित है।

राज्य सभा दीर्घा

यह दीर्घा लोक सभा की कार्यवाही देखने के इच्छुक राज्य सभा के सदस्यों के उपयोग के लिए है।

अधिकारी दीर्घा

यह दीर्घा केवल भारत सरकार के उन अधिकारियों और कुछ मामलों में राज्य सरकारों के उन अधिकारियों के उपयोग हेतु है जिनकी उपस्थिति सभा के कार्य के संबंध में आवश्यक है।

विशेष कोष्ठ (बॉक्स)

यह कोष्ठ राष्ट्रपति के परिवार तथा उनके अतिथियों, राज्यों के राज्यपालों, राष्ट्राध्यक्षों, विदेशों के प्रधानमंत्रियों तथा युवराजों, विदेशी संसदीय शिष्टमंडलों एवं भूतपूर्व राष्ट्रपतियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्रियों आदि के लिए आरक्षित है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के सत्रों के दौरान विभिन्न दीर्घाओं में कुल 1,61,139 दर्शकों की उपस्थिति दर्ज की गई। **विवरण 50** में पन्द्रहवीं लोक सभा की अवधि के दौरान विभिन्न दीर्घाओं में दर्शकों की सत्र-वार संख्या दी गई है।

अंतर्सत्रावधि के दौरान, दर्शकों को संसद भवन दिखाने की व्यवस्था की जाती है। संसद सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों की सिफारिश पर स्वागत कार्यालय द्वारा जारी किए गए दर्शक अनुज्ञापत्र के प्राधिकार पर दर्शकों को सुविधाजनक समूहों में संसद भवन में ले जाया जाता है। पन्द्रहवीं लोक सभा के अन्तर्सत्रावधि के दौरान कुल 1,31,317 दर्शकों को संसद भवन दिखाया गया।

पन्द्रहवीं लोक सभा में संसदीय संग्रहालय देखने आने वाले दर्शकों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम. सं.	दर्शकों के प्रकार	संख्या
1	2	3
1.	विदेशी शिष्टमंडल के सदस्य	3,030
2.	गण्यमान्य व्यक्ति	890
3.	सामान्य दर्शक	37,878
4.	संस्थागत दर्शक	78,552
5.	अन्य (स्टाफ)	4,450
	कुल	1,24,800

विवरण-51 में दिए गए विवरण के अनुसार पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान तिमोर-लेस्टे, ओमान, थाइलैंड, उरुग्वे, वियतनाम, एस्टोनिया, पराग्वे, यूरोपीय संसद, मैक्सिको, मंगोलिया, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, कोरिया गणतंत्र, अफगानिस्तान, श्रीलंका, यूनाइटेड किंग्डम, भूटान, बुल्गारिया, इटली, म्यांमार, लक्ज़मबर्ग, मॉरीशस, ट्रिनिडाड और टोबैगो, फिनलैंड, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इराक, रशियन फेडरेशन, ईरान, मेसेडोनिया, पेरू, मालदीव, सेशल्स, पापुआ न्यूगिनी, आर्मेनिया और बांग्लादेश के संसदीय शिष्टमंडलों ने संसद भवन का दौरा किया।

विवरण 50

पन्द्रहवीं लोक सभा (सत्र-वार) के दौरान विभिन्न दीर्घाओं के लिए जारी किए गए दर्शकों के पास

सत्र	सामान्य दीर्घा	विशिष्ट दर्शक दीर्घा	अध्यक्ष दीर्घा	विशेष दीर्घा	राज्य सभा दीर्घा	अधिकारी दीर्घा	राजनयिक दीर्घा	विशेष कोष्ठ (समूह में)	कुल (सत्र-वार)
पहला	3141	117	81	135	51	233	0	0	3758
दूसरा	9885	112	267	108	54	2829	12	0	13267
तीसरा	9321	86	115	59	7	2197	3	1	11789
चौथा	13625	168	338	141	56	2922	3	0	17253
पांचवां	10508	91	216	72	6	2252	2	1	13148
छठा	2543	38	26	36	1	1063	1	1	3709
सातवां	11034	112	162	36	17	1876	9	1	13247
आठवां	8033	104	157	36	55	2136	13	1	10535
नौवां	3926	63	179	41	52	1986	1	4	6252
दसवां	16285	168	283	77	66	3156	27	4	20066
ग्यारहवां	3933	75	60	31	1	1033	16	1	5150
बारहवां	7989	61	108	24	70	1588	6	4	9850
तेरहवां	11830	159	261	44	52	1992	1	3	14342
चौदहवां	9470	71	164	35	17	1329	11	2	11099
पन्द्रहवां	6215	63	186	30	30	1148	0	2	7674
सोलहवां	127738	1488	2603	905	535	27740	105	25	161139
(कुल दर्शकों का प्रतिशत)	(79.27)	(0.92)	(1.61)	(0.56)	(0.33)	(17.21)	(0.065)	(0.015)	100%

विवरण 51

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान संसद भवन आने वाले विदेशी संसदीय शिष्टमंडल/विशिष्ट व्यक्ति

क्रम. सं.	दौरे पर आए संसदीय शिष्टमंडल का ब्यौरा	संसद भवन आने की तारीख
1	2	3
1.	गरीबी में कमी, ग्रामीण, क्षेत्रीय विकास और लैंगिक समानता संबंधी समिति के अध्यक्ष महामहिम श्री ओसोरियो फ्लोरिंडो के नेतृत्व में तिमोर-लेस्टे का 9 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 6 से 15 सितम्बर, 2009 तक भारत की यात्रा पर आया।	09.09.2009
2.	ओमान सल्तनत में स्टेट काउंसिल के चेयरपर्सन महामहिम डॉ. याह्या बिन महफूद बिन सलेम अल मंत्री के नेतृत्व में ओमान का 10 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 14 से 18 दिसम्बर, 2009 तक भारत की यात्रा पर आया।	15.12.2009
3.	नेशनल असेम्बली के प्रेसिडेंट और थाई पार्लियामेंट के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के स्पीकर महामहिम श्री चाई चिडचॉब के नेतृत्व में 16 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 18 से 24 दिसम्बर, 2009 तक भारत की यात्रा पर आया।	21.12.2009
4.	उरुग्वे की संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के प्रेसिडेंट महामहिम श्री रोक अरेगुई के नेतृत्व में 9 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 10 से 16 जनवरी, 2010 तक भारत की यात्रा पर आया।	11.01.2010
5.	वियतनाम नेशनल असेम्बली के चेयरपर्सन, महामहिम श्री नुएन फू ट्रांग के नेतृत्व में वियतनाम का 12 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 23 से 28 फरवरी, 2010 तक भारत की यात्रा पर आया।	24.02.2010
6.	क्रोएशिया की संसद के प्रेसिडेंट, महामहिम श्री लूका बेबिक के नेतृत्व में क्रोएशिया का 7 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 6 से 10 मार्च, 2010 तक भारत की यात्रा पर आया।	08.03.2010
7.	रिगिकोगू (एस्टोनिया की संसद) के अध्यक्ष, महामहिम डॉ. (श्रीमती) एन. एरगमा के नेतृत्व में एस्टोनिया का 10 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 3 से 10 अप्रैल, 2010 तक भारत की यात्रा पर आया।	05.04.2010
8.	पराग्वे की संसद के प्रेसिडेंट, महामहिम (श्री) सीनेटर मिग्यूल करिजोसा गतियानो के नेतृत्व में पराग्वे का 8 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 10 से 14 अप्रैल, 2010 तक भारत की यात्रा पर आया।	12.04.2010
9.	यूरोप की संसद में "इंडिया डेलिगेशन" के एमईपी चेयरमैन, श्री ग्राहम वाट्सन के नेतृत्व में यूरोपीय संसद का 22 सदस्यीय इंडिया डेलिगेशन 25 से 30 अप्रैल, 2010 तक भारत की यात्रा पर आया।	27.04.2010
10.	मैक्सिको की संसद में एक्सटर्नल अफेयर्स, एशिया-पैसिफिक संबंधी समिति के प्रेसिडेंट महामहिम श्री कार्लोस जिमनेज मैकिमास (सीनेटर) के नेतृत्व में मैक्सिको का 9 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 8 से 14 अगस्त, 2010 तक भारत की यात्रा पर आया।	09.08.2010
11.	मंगोलिया के स्टेट ग्रेट हुराल (संसद) के चेयरमैन (स्पीकर), महामहिम श्री डैमडिंग्लिन डेम्बरेल के नेतृत्व में 15 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 8 से 14 दिसम्बर, 2010 तक भारत की यात्रा पर आया।	09.12.2010
12.	अल्बानिया की संसद की स्पीकर महामहिम श्रीमती जोसेफिना टोपाल्ली के नेतृत्व में अल्बानिया का 11 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 18 से 22 दिसम्बर, 2010 तक भारत की यात्रा पर आया।	20.12.2010
13.	ऑस्ट्रिया की संसद की नेशनल काउंसिल की प्रेसिडेंट महामहिम सुश्री बारबारा प्रैमर के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया का 9 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 6 से 11 फरवरी, 2011 तक भारत की यात्रा पर आया।	07.02.2011

1	2	3
14.	कोरिया गणराज्य की नेशनल असेम्बली के स्पीकर महामहिम श्री पार्क ही ते के नेतृत्व में कोरिया गणराज्य का 16 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 22 से 26 मार्च, 2011 तक भारत की यात्रा पर आया।	25.03.2011
15.	वोलेसी जिरगा (अफगानिस्तान की संसद) के प्रेसिडेंट महामहिम श्री अब्दुल रऊफ इब्राहिमी के नेतृत्व में अफगानिस्तान का 20 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 12 से 15 जुलाई, 2011 तक भारत की यात्रा पर आया।	14.07.2011
16.	श्रीलंका की संसद के स्पीकर महामहिम श्री चमाल राजपक्षा के नेतृत्व में श्रीलंका का 12 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 1 से 5 अगस्त, 2011 तक भारत की यात्रा पर आया।	01.08.2011
17.	भारत की संसद के निमंत्रण पर यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर परम आदरणीय, जॉन बरको, अपने सचिव, श्री पीटर बैरट के साथ 15 से 20 अगस्त, 2011 तक भारत की यात्रा पर आए।	16.08.2011
18.	भूटान की नेशनल असेम्बली के स्पीकर, महामहिम श्री ल्योन्पो जिग्मे शुल्तिम के नेतृत्व में भूटान का 9 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 15 से 20 अगस्त, 2011 तक भारत की यात्रा पर आया।	24.11.2011
19.	बुल्गारिया गणतंत्र की नेशनल असेम्बली की प्रेसिडेंट, महामहिम श्रीमती त्सेत्स्का त्सचेवा के नेतृत्व में बुल्गारिया का 16 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 26 से 30 नवम्बर, 2011 तक भारत की यात्रा पर आया।	28.11.2011
20.	इटली-भारत संसदीय मैत्री समूह के चेयरमैन महामहिम श्री सैन्ड्रो गोज़ी के नेतृत्व में इटली का 8 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 1 से 6 दिसम्बर, 2012 तक भारत की यात्रा पर आया।	02.12.2011
21.	म्यांमार संसद के पिथु हुताव (लोअर हाउस) के स्पीकर, महामहिम थुरा यू श्वे मान के नेतृत्व में म्यांमार का 31 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 11 से 17 दिसम्बर, 2011 तक भारत की यात्रा पर आया।	12.12.2011
22.	सीएसवी, लक्जेमबर्ग की संसद के चैम्बर ऑफ डिपुटीज के प्रेसिडेंट, महामहिम श्री लारेंट मोजर के नेतृत्व में लक्जेमबर्ग का 5 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 28 फरवरी से 2 मार्च, 2012 तक भारत की यात्रा पर आया।	01.03.2012
23.	मॉरीशस गणराज्य की नेशनल असेम्बली के स्पीकर, महामहिम श्री राजकेसुर परयाग, जीसीएसके, जीओएसके के नेतृत्व में मॉरीशस का 6 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 1 से 6 मार्च, 2012 तक भारत की यात्रा पर आया।	05/06.03.2012
24.	ट्रिनिडाड और टोबैगो की संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के स्पीकर महामहिम श्री वेड मार्क और सीनेट के प्रेसिडेंट महामहिम श्री टिमोथी हैमेल स्मिथ के संयुक्त नेतृत्व में ट्रिनिडाड और टोबैगो का 7 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 15 से 20 मार्च, 2012 तक भारत की यात्रा पर आया।	15.03.2012
25.	फिनलैंड की संसद के स्पीकर, महामहिम श्री ईरो हीनाल्योमा के नेतृत्व में फिनलैंड का 4 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 23 से 26 अप्रैल, 2012 तक भारत की यात्रा पर आया।	24.04.2012
26.	सऊदी अरब की मजलिस अश शूरा (सलाहकार परिषद्) के स्पीकर महामहिम डॉ. अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल अल-शेख के नेतृत्व में सऊदी अरब का 10 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 7 से 10 मई, 2012 तक भारत की यात्रा पर आया।	08.05.2012
27.	दक्षिण अफ्रीका की संसद की नेशनल असेम्बली के स्पीकर महामहिम श्री एम.वी. सिसुलू और नेशनल काउंसिल ऑफ प्रॉविंसेस के चेयरपर्सन महामहिम श्री एम.जे. महालंगू के संयुक्त नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका का 20 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 8 से 14 जुलाई, 2012 तक भारत की यात्रा पर आया।	09.07.2012

1	2	3
28.	इंडोनेशिया-आसियान इंटर पार्लियामेंटरी असेम्बली (एआईपीए) के प्रेसिडेंट और इंडोनेशिया गणराज्य के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्ज के स्पीकर महामहिम डॉ. मार्जुकी एली के नेतृत्व में 16 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 28 जुलाई से 02 अगस्त, 2012 तक भारत की यात्रा पर आया।	30.07.2012
29.	नेशनल काउंसिल ऑफ भूटान के चेयरपर्सन माननीय ल्योन्पो नामगाय पेंजोर के नेतृत्व में भूटान का 10 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 5 से 10 अगस्त, 2012 तक भारत की यात्रा पर आया।	08.08.2012
30.	सांसद और यूनाइटेड किंगडम की संसद की राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कार्यकारी समिति के चेयरमैन परम आदरणीय सर ऐलन हैजेलहर्स्ट के नेतृत्व में यूनाइटेड किंगडम का 11 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 21 से 26 अगस्त, 2012 तक भारत की यात्रा पर आया।	22.08.2012
31.	आइसलैंड की संसद अल्थिगी के प्रेसिडेंट (स्पीकर) महामहिम सुश्री अस्टा आर. जोहानेसदोत्तिर के नेतृत्व में आइसलैंड का 4 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 20 से 27 नवम्बर, 2012 तक भारत की यात्रा पर आया।	22.11.2012
32.	हंगरी की नेशनल असेम्बली के स्पीकर महामहिम डॉ. लैज्लो कोवर के नेतृत्व में हंगरी का 8 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 24 से 30 नवम्बर, 2012 तक भारत की यात्रा पर आया।	27.11.2012
33.	पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य की सीनेट के चेयरपर्सन महामहिम सैयद नैय्यर हुसैन बुखारी के नेतृत्व में 14 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 5 से 10 दिसम्बर, 2012 तक भारत की यात्रा पर आया।	06.12.2012
34.	ईराक की काउंसिल ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्ज के प्रेसिडेंट महामहिम श्री ओसामा अब्दुल-अजीज-मोहम्मद-अल-नुजैफी के नेतृत्व में ईराक का 28 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 15 से 20 दिसम्बर, 2012 तक भारत की यात्रा पर आया।	17.12.2012
35.	सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी सेंट्रल कमिटी तथा नेशनल असेम्बली ऑफ द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की वाइस चेयरमैन महामहिम श्रीमती नुएन थि किम गैन के नेतृत्व में वियतनाम का 11 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 20 से 25 फरवरी, 2013 तक भारत की यात्रा पर आया।	21.02.2013
36.	फेडरल असेम्बली ऑफ द रशियन फेडरेशन की काउंसिल ऑफ फेडरेशन की चेयरपर्सन महामहिम श्रीमती वैलेन्टिना एल. मैत्विएंको के नेतृत्व में एशियन फेडरेशन का 43 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 25 से 27 फरवरी, 2013 तक भारत की यात्रा पर आया।	26.02.2013
37.	ईरान इस्लामी गणराज्य की इस्लामिक कन्सल्टेटिव असेम्बली के स्पीकर महामहिम डॉ. अली आर्देशिर लारिजानी के नेतृत्व में ईरान का 46 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 24 फरवरी से 01 मार्च, 2013 तक भारत की यात्रा पर आया।	27.02.2013
38.	मेसेडोनिया गणराज्य की संसद के प्रेसिडेंट महामहिम श्री ट्राजको वेल्जियानोस्की के नेतृत्व में मेसेडोनिया का 11 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 4 से 8 मार्च, 2013 तक भारत की यात्रा पर आया।	05.03.2013
39.	पेरू-इंडिया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप लीग की प्रेसिडेंट महामहिम श्रीमती लॉर्डेस अल्कोर्टा सुएरो, एमपी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 20 से 24 अप्रैल, 2013 तक भारत की यात्रा पर आया।	22.04.2013
40.	मालदीव की पीपल्स मजलिस (संसद) के स्पीकर महामहिम श्री अब्दुल्ला शाहिद के नेतृत्व में मालदीव का 9 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 4 से 8 मई, 2013 तक भारत की यात्रा पर आया।	06.05.2013
41.	सेशल्स की नेशनल असेम्बली के डिप्युटी स्पीकर महामहिम श्री आन्द्रे पूल के नेतृत्व में सेशल्स का 4 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 4 से 9 अगस्त, 2013 तक भारत की यात्रा पर आया।	07.08.2013

1	2	3
42.	पापुआ न्यू गिनी की संसद के स्पीकर महामहिम श्री थियोडोर ज्यूरेनुओक के नेतृत्व में पापुआ न्यू गिनी का 9 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 26 से 31 अगस्त, 2013 तक भारत की यात्रा पर आया।	27.08.2013
43.	म्यांमार की संसद के अम्योथा हुता (अपर हाउस) के स्पीकर महामहिम यू खिन आंग मिंट के नेतृत्व में म्यांमार का 25 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 2 से 6 दिसम्बर, 2013 तक भारत की यात्रा पर आया।	05.12.2013
44.	आर्मेनिया गणराज्य की नेशनल असेम्बली के प्रेसिडेंट महामहिम श्री होविक अब्राहमियन के नेतृत्व में आर्मेनिया का 18 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 4 से 8 दिसम्बर, 2013 तक भारत की यात्रा पर आया।	06.12.2013
45.	बांग्लादेश की संसद की स्पीकर महामहिम डॉ. शिरीन शर्मिन चौधरी ने 12 से 15 फरवरी, 2014 तक भारत की यात्रा की।	13.02.2014

अमरीका के राष्ट्रपति महामहिम श्री बराक एच. ओबामा 8 नवम्बर, 2010 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में विशिष्टजनों को संबोधित करते हुए। मंच पर भारत के उप-राष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी, भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और लोक सभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार भी उपस्थित हैं।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 27 अप्रैल, 2012 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, महामहिम श्री बान की मून के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 15 दिसम्बर, 2009 को नई दिल्ली में ओमान से आए संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 21 दिसम्बर, 2009 को नई दिल्ली में महामहिम श्री चाई चिदचब, थाईलैंड की नेशनल असेम्बली के प्रेसीडेंट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर के नेतृत्व में आए शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 24 फरवरी, 2010 को नई दिल्ली में वियतनाम की नेशनल असेम्बली के चेयरमैन महामहिम न्यूयेन फू ट्रांग के नेतृत्व में आए संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 8 मार्च, 2010 को नई दिल्ली में क्रोएशिया की संसद के प्रेसीडेंट महामहिम श्री लूका बेबिक के नेतृत्व में क्रोएशिया से आए संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 5 अप्रैल, 2010 को नई दिल्ली में एस्टोनिया की संसद रीगीकोगू की प्रेसीडेंट महामहिम डॉ. (श्रीमती) एन. एरगमा के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 12 अप्रैल, 2010 को नई दिल्ली में पराग्वे की सीनेट के प्रेसीडेंट महामहिम सेनेटर मिगुएल केरीजोसा गैलीआनो के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 26 अप्रैल, 2010 को नई दिल्ली में
यूरोपीय संसद से आए शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 9 दिसम्बर, 2010 को नई दिल्ली में मंगोलिया के स्टेट ग्रेट हॉल (संसद) के
चेयरमैन महामहिम श्री दमदिनगीन डेमबेरेल के नेतृत्व में मंगोलिया से आए संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 20 दिसम्बर, 2010 को नई दिल्ली में अल्बानिया की संसद की अध्यक्ष, महामहिम श्रीमती जोसफिना टोपली के नेतृत्व में अल्बानिया से आए संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 18 जनवरी, 2011 को हाउस ऑफ कामन्स, लंदन के स्पीकर, राइट ऑनरेबल श्री जॉन बरको के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 7 फरवरी, 2011 को नई दिल्ली में आस्ट्रिया गणराज्य की नेशनल काउंसिल की प्रेसीडेंट महामहिम श्रीमती बारबरा प्रामर के नेतृत्व में आये आस्ट्रियाई संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 25 मार्च, 2011 को नई दिल्ली में कोरिया गणराज्य की नेशनल असेम्बली के स्पीकर महामहिम श्री पार्क ही-ते के नेतृत्व में आये कोरियाई संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 4 मई, 2011 को नई दिल्ली में मलावी की नेशनल असेम्बली के स्पीकर, राइट ऑनरेबल एच.एफ. चिमुन्थु बंडा के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 10 मई, 2011 को नई दिल्ली में चेक गणराज्य की सीनेट के प्रेसीडेंट, महामहिम श्री मिलान स्टैच के साथ।

सार्क देशों के अध्यक्षों और सांसदों के संघ के पांचवें सम्मेलन में आये शिष्टमंडलों के
सदस्य 9 जुलाई, 2011 को संसद संग्रहालय में।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 14 जुलाई, 2011 को नई दिल्ली में अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य की
नेशनल असेम्बली के प्रेसीडेंट महामहिम श्री अब्दुल रऊफ इब्राहिमी के नेतृत्व में
आये अफगानी संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 5 नवम्बर, 2011 को तेहरान में ईरान के
राष्ट्रपति, डॉ. महमूद अहमदीनेजाद के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार और भूटान की नेशनल असेम्बली के स्पीकर माननीय श्री ल्योंपो जिग्मे शुल्तिम
24 नवम्बर, 2011 को नई दिल्ली में संसदीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 28 नवम्बर, 2011 को नई दिल्ली में बुल्गारिया की नेशनल असेम्बली की प्रेसीडेंट महामहिम श्रीमती त्सेत्स्का त्सचेवा के नेतृत्व में आये संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 2 दिसम्बर, 2011 को नई दिल्ली में इटली-भारत संसदीय मैत्री ग्रुप के चेयरमैन महामहिम श्री सैंड्रो गोज़ी के नेतृत्व में आये इतालवी संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 28 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली में लग्जमबर्ग की संसद के चैम्बर ऑफ डेप्युटीज़ के प्रेसीडेंट महामहिम श्री लॉरेंट मोसर के नेतृत्व में आये लग्जमबर्ग के संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 5 मार्च, 2012 को नई दिल्ली में मॉरीशस की नेशनल असेम्बली के स्पीकर माननीय राजकेसुर परयाग के नेतृत्व में आये मॉरीशस के संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 15 मार्च, 2012 को नई दिल्ली में त्रिनिडाड और टोबैगो की संसद की सीनेट के प्रेसीडेंट, महामहिम टिमोथी हेमल-स्मिथ और हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव के स्पीकर महामहिम श्री मार्क वेड के संयुक्त नेतृत्व में आये त्रिनिडाड और टोबैगो के संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 8 मई, 2012 को नई दिल्ली में सऊदी अरब की संसद की मजलिस अश शूरा के स्पीकर डॉ. अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल शेख के नेतृत्व में आये संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 9 जुलाई, 2012 को नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका की नेशनल असेम्बली के स्पीकर महामहिम श्री एम.वी. सिसुलु के नेतृत्व में आये संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 30 जुलाई, 2012 को नई दिल्ली में इंडोनेशिया गणराज्य के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के स्पीकर और ए.आई.पी.ए. के प्रेसीडेंट महामहिम डॉ. मारजुक एली के नेतृत्व में आये आसियान अंतर-संसदीय सभा के शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 20 नवम्बर, 2012 को नई दिल्ली में आइसलैंड की संसद, अलथिंगी की प्रेसीडेंट महामहिम सुश्री आस्टा आर. जोहनसडोटिर के नेतृत्व में आये आइसलैंड के संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 12 दिसम्बर, 2012 को नई दिल्ली में जंजीबार के संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 17 दिसम्बर, 2012 को नई दिल्ली में इराक की संसद की काउंसिल ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के प्रेसीडेंट, महामहिम श्री ओसामा अब्दुल अजीज मोहम्मद अल-नुजाफी के नेतृत्व में आये संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 4 जनवरी, 2013 को नई दिल्ली में मॉरीशस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री राजकेसुर परयाग के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 27 फरवरी, 2013 को नई दिल्ली में ईरान इस्लामिक गणराज्य के
इस्लामिक कंसल्टेटिव असेम्बली के स्पीकर महामहिम श्री अली अरदेशिर लारीजानी के
नेतृत्व में आये ईरानी संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 5 मार्च, 2013 को नई दिल्ली में मेसेडोनिया गणराज्य के संसद के
प्रेसीडेंट महामहिम श्री त्राजको वेलजानोस्की के नेतृत्व में आये मकदूनिया के
संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 23 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में पेरू-भारत संसदीय मैत्री लीग की प्रेसीडेंट, महामहिम श्रीमती लुर्डे अल्कोर्टा सुएरो के नेतृत्व में आये पेरू के संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 6 मई, 2013 को नई दिल्ली में मालदीव की पीपल्स मजलिस (संसद) के स्पीकर महामहिम श्री अब्दुल्ला शाहिद के नेतृत्व में आये संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 8 अगस्त, 2013 को नई दिल्ली में सेशल्स की नेशनल असेम्बली के डिप्टी स्पीकर महामहिम श्री आन्द्रे पुल के नेतृत्व में आये संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 27 अगस्त, 2013 को नई दिल्ली में पापुआ न्यू गिनी की संसद के स्पीकर महामहिम श्री थियोडोर ज्यूरेनुओक के नेतृत्व में आये संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार 5 दिसम्बर, 2013 को नई दिल्ली में म्यांमार की संसद की अमीथा हुताव (अपर हाउस) के स्पीकर महामहिम यू खिन ओंग म्यिंट के साथ।

12

संसदीय प्रक्रियाओं संबंधी प्रबोधन और प्रशिक्षण: संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी) की स्थापना लोक सभा सचिवालय के अभिन्न अंग के रूप में 1 जनवरी, 1976 को की गई थी ताकि विधायकों, नीति-निर्माताओं, प्रशासकों, मीडिया कर्मियों और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सरकारी कर्मचारियों सहित लोकतंत्र से जुड़े सभी व्यक्तियों को संसदीय संस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों में सुनियोजित प्रशिक्षण, प्रबोधन और समस्या तथा पद्धति-उन्मुख अध्ययनों हेतु संस्थागत अवसर प्रदान किए जा सकें।

ब्यूरो संसद और राज्य विधानमंडलों के नव-निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि उन्हें संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने और संसदीय संस्थाओं की कार्यशैली को करीब से समझने का अवसर मिल सके। पन्द्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान ब्यूरो ने लोक सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया और अरूणाचल प्रदेश (दो बार); बिहार; दिल्ली; हिमाचल प्रदेश; मेघालय; मिजोरम (दो बार) और पुदुचेरी राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नौ ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए।

ब्यूरो अगस्त, 2005 से संसद सदस्यों के लाभार्थ प्रासंगिक विषयों पर विशेषज्ञों के व्याख्यान माला का आयोजन कर रहा है। इस व्याख्यान माला का मूल उद्देश्य संसद सदस्यों को समसामयिक महत्व के विषयों की गहन जानकारी देना है। व्याख्यान माला के अंतर्गत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों सहित विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ अपने विचारों को बांटने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 15वीं लोक सभा के दौरान सात ऐसे व्याख्यान आयोजित किए गए।

ब्यूरो 2008 में शुरू किए गए प्रो. हीरेन मुखर्जी स्मृति वार्षिक संसदीय व्याख्यान के आयोजन संबंधी समन्वय कार्य भी करता है। 11 अगस्त, 2008 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन ने "सामाजिक न्याय की मांग" (डिमांड्स ऑफ सोशल जस्टिस) विषय पर उद्घाटन व्याख्यान दिया था। दूसरा व्याख्यान नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक/प्रबंध निदेशक, प्रोफेसर मुहम्मद युनूस ने 9 दिसम्बर, 2009 को "सामाजिक कारबार—नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सृजित करने की दिशा में एक कदम" विषय पर दिया था। कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ इकोनोमिक्स एंड लॉ तथा काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स, अमेरिका में सीनियर फैलो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, प्रो. जगदीश भगवती ने 2 दिसम्बर, 2010 को "भारतीय सुधार: कल और आज" विषय पर तीसरा व्याख्यान दिया। चौथा व्याख्यान भूटान के तत्कालीन प्रधानमंत्री, महामहिम ल्योन्छेन जिग्मी वाई. थिनले ने 20 दिसम्बर, 2011 को ''परम राष्ट्रीय सुख: सतत कल्याण का समग्र प्रतिमान" विषय पर दिया।

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो संसदीय महत्व के विषयों पर गोलमेज चर्चाओं का आयोजन करता है जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति और हितधारक अपने विचार और अनुभव बांटते हैं।

इसके अलावा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के संसद सदस्यों के लिए समय-समय पर हिन्दी कक्षाओं का आयोजन भी किया जाता है। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान तीन ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ब्यूरो ने संसद सदस्यों और उनके स्टाफ के लाभार्थ समय-समय पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था भी की।

15वीं लोक सभा के दौरान संसद की प्रेस दीर्घाओं हेतु प्राधिकृत मीडिया कर्मियों के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम तथा मेघालय में मेघालय विधान सभा के पत्रकारों/मीडिया कर्मियों के लिए एक अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संसदीय प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में एक परिचयात्मक कार्यक्रम तथा महाराष्ट्र के मीडिया कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो ने परिबोधन पाठ्यक्रम, सहयोजन कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अध्ययन दौरों इत्यादि सहित 335 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें विभिन्न अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के परिवीक्षाधीन अधिकारियों, भारत सरकार के अधिकारियों और लोक सभा, राज्य सभा तथा विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों ने भाग लिया। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान 10045 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। 15वीं लोक सभा के दौरान सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनसे 497 अधिकारी लाभान्वित हुए।

प्रत्येक वर्ष, ब्यूरो, विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता योजना, (स्पेशल कॉमनवेल्थ अफ्रीकन असिस्टेंस प्लान) और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम

(इंडियन टेक्नीकल एंड इकोनोमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम) के अंतर्गत विदेशी संसदीय अधिकारियों के लिए संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम और विदेशी संसदीय/सरकारी अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम नामक दो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करता है।

चार सप्ताह का संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रतिभागियों को भारत की संसदीय संस्थाओं के वातावरण, संस्कृति, परम्पराओं और कार्यकरण से परिचित कराने तथा प्रतिभागियों को अपने-अपने विधानमंडलों के अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान पांच संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किए गए और 63 से अधिक देशों के 245 प्रतिभागियों ने इनमें भाग लिया।

विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसकी अवधि भी चार सप्ताह की है, प्रतिभागियों को विधायी प्रारूपण की मूल अवधारणाओं और उसके लिए अपेक्षित कौशल तथा तकनीक में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर विधायकों की सहायता कर सकें। 15वीं लोक सभा के दौरान विधायी प्रारूपण में पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों में 65 देशों के 249 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इसके अलावा, लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार द्वारा की गई पहल में ब्यूरो ने विश्व भर के संसदीय अधिकारियों हेतु संसदीय पद्धति और प्रक्रिया के बारे में विदेशी भाषाओं में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया है। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, दो ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। अरबी भाषी देशों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें आठ देशों के 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा स्पैनिश भाषी देशों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें तीन देशों के 11 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान विदेश मंत्रालय के विशेष अनुरोध पर म्यांमार और अफगानिस्तान के विदेशी संसदीय अधिकारियों हेतु विशेष सहयोजन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इन कार्यक्रमों में 108 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार द्वारा की गई एक अन्य पहल के अंतर्गत ब्यूरो ने लोकतंत्र के विभिन्न पक्षकारों के साथ माननीय अध्यक्ष की मुलाकात का आयोजन किया। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान छह ऐसी मुलाकातों का आयोजन किया गया। ब्यूरो ने लोक सभा अध्यक्ष के निदेश पर देश के दूर-दराज के छात्रों के लिए दिल्ली में अध्ययन दौरों का आयोजन किया। 15वीं लोक सभा के दौरान लक्षद्वीप, बिहार और मणिपुर से आए बच्चों के लिए तीन ऐसे अध्ययन दौरों का आयोजन किया गया।

पीठासीन अधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित अनेक विदेशी गण्यमान्य व्यक्तियों ने भारतीय संसदीय और राजनैतिक प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए ब्यूरो के कार्यक्रमों में भाग लिया। म्यांमार संसद के सदस्यों के लिए दो विशेष कार्यक्रमों और अफगानिस्तान की सीनेट के सदस्यों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 15वीं लोक सभा के दौरान अध्ययन दौरों के लिए ब्यूरो में आए विशिष्टजनों में निम्नलिखित शामिल थे:— अफ्रीकी देशों के संसद सदस्यों का शिष्टमंडल; माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भूटान की नेशनल असेम्बली के सदस्यों का शिष्टमंडल; मलेशिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के माननीय अध्यक्ष; भूटान की नेशनल काउंसिल के माननीय सभापति के नेतृत्व में काउंसिल के सदस्य; हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स, हाउस ऑफ फेडरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल अफेयर्स, सिविल सर्विस यूनिवर्सिटी और इथोपिया के क्षेत्रीय राज्यों के सदस्य; घाना की संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन आफिस ऑफ प्रॉफिट का शिष्टमंडल; लीबिया की जनरल नेशनल कांग्रेस का शिष्टमंडल; दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के गौटेंग प्रांतीय विधानमंडलों के सभापतियों की स्थायी समिति का शिष्टमंडल; इराक का संसदीय शिष्टमंडल; दक्षिण सूडान राष्ट्रीय विधान सभा का प्रतिनिधिमंडल; इथोपिया के हाउस ऑफ फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल; जंजीबार, तंजानिया के हाउस ऑफ रिप्रिजेन्टेटिव्स का शिष्टमंडल; म्यांमार संसद के माननीय अध्यक्ष; सूडान की महिला सांसदों का शिष्टमंडल; अफगानिस्तान की संसद की महिला सदस्यों का शिष्टमंडल; स्वीडिश सांसदों का शिष्टमंडल; नेपाल की महिला सांसदों का शिष्टमंडल; मलावी नेशनल असेम्बली के माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में संसदीय शिष्टमंडल; अफ्रीका के युवा सांसद; आस्ट्रेलिया की संसद का शिष्टमंडल; युगांडा की संसद का शिष्टमंडल; नाइजीरिया की नेशनल असेम्बली की महिला सांसदों का शिष्टमंडल; नाइजीरिया की नेशनल असेम्बली की सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के सदस्यों का शिष्टमंडल, उरुग्वे के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के महासचिव; नामीबिया की संसद का शिष्टमंडल; अफगानिस्तान के सांसदों का शिष्टमंडल; इथोपिया के माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में रीजनल स्टेट, सदर्न नेशन्ज़; नेशनलिस्ट एंड पीपल्स रीजन का शिष्टमंडल; दक्षिण अफ्रीका की संसद के माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल; जंजीबार, तंजानिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स का शिष्टमंडल; नामीबिया की संसद की विदेश, रक्षा और सुरक्षा संबंधी संसदीय समिति का शिष्टमंडल; बोत्स्वाना के इंडेपेंडेंट इलेक्ट्रल कमीशन के सदस्यों और सांसदों का शिष्टमंडल; जाम्बिया की संसद की लोक लेखा समिति का शिष्टमंडल; मारीशस की संसद की लोक लेखा समिति का शिष्टमंडल; सीपीए कार्यकारी समिति के पूर्व सभापति इत्यादि।

15वीं लोक सभा के दौरान लोक सभा सचिवालय के 123 अधिकारियों को 29 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विदेश भेजा गया। ब्यूरो ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित सभी अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने और समन्वय इनमें स्थापित करने का कार्य किया।

ब्यूरो ने भारत में विभिन्न संस्थानों में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया। 15वीं लोक सभा के दौरान विभिन्न संस्थानों में 33 प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु 295 अधिकारियों को नामित किया गया।

इसके अलावा, 14-24 जनवरी, 2013 के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकारों और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों के लिए विधायी

प्रारूपण में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

"लोक सभा इंटर्नशिप प्रोग्राम" जनवरी, 2008 में शुरू किया गया तथा, जिसका मूल उद्देश्य युवाओं को सामान्य रूप से संसदीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यकरण तथा विशेषरूप से भारतीय संसदीय प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करना है। 15वीं लोक सभा के दौरान वर्ष 2009, 2010 और 2011 में क्रमश: तीन ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

ब्यूरो ने महाविद्यालयों, विद्यालयों और अन्य संस्थानों के छात्रों को संसद के कार्यकरण से परिचित कराने के लिए अध्ययन दौरों, मुलाकातों और सहयोजन कार्यक्रमों का आयोजन किया। 15वीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान ब्यूरो ने 17897 प्रतिभागियों के लिए 406 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया।

15वीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी) का 15वीं लोक सभा के दौरान आयोजित प्रबोधन कार्यक्रमों, परिबोधन पाठ्यक्रमों, अध्ययन दौरों/सहयोजन कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों इत्यादि का ब्यौरा

(विवरण अवधि 27.5.2009 से 30.4.2014)

क्रम. सं.	कार्यक्रम	आरंभ होने की तिथि	समाप्त होने की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5
एक.	**संसद/राज्य विधानमंडलों के सदस्यों हेतु प्रबोधन कार्यक्रम/अध्ययन दौरे**			
1.	मिजोरम विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम	03/03/2014	05/03/2014	11
2.	दिल्ली विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम	30/01/2014	31/01/2014	42
3.	मेघालय विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम	29/04/2013	01/05/2013	40
4.	हिमाचल प्रदेश विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम	26/02/2013	28/02/2013	24
5.	अरूणाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम	09/02/2012	10/02/2012	25
6.	बिहार विधान परिषद् और बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम	26/09/2011	27/09/2011	300
7.	पुदुचेरी विधान सभा के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम	05/09/2011	06/09/2011	28
8.	राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के लिए अध्ययन दौरा	25/08/2010	27/08/2010	19
9.	अरूणाचल प्रदेश विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम	16/12/2009	18/12/2009	23
10.	मिजोरम विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम	25/11/2009	27/11/2009	22

1	2	3	4	5
11.	15वीं लोक सभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम	06/07/2009	11/07/2009	
दो.	**अहिंदी भाषी संसद सदस्यों के लिए हिंदी कक्षाएं**			
1.	अहिंदी भाषी संसद सदस्यों के लिए हिंदी प्रशिक्षण कक्षाएं	10/12/2012	20/12/2012	25
2.	अहिंदी भाषी संसद सदस्यों के लिए हिंदी प्रशिक्षण कक्षाएं	07/03/2011	25/03/2011	16
3.	अहिंदी भाषी संसद सदस्यों के लिए हिंदी प्रशिक्षण कक्षाएं	24/11/2010	13/12/2010	15
तीन.	**मीडियाकर्मियों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम**			
क.	**संसद की प्रेस दीर्घा हेतु प्राधिकृत मीडियाकर्मी**			
1.	संसद की कार्यवाही को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों के लिए परिचयात्मक कार्यक्रम	30/08/2012	31/08/2012	140
ख.	**राज्य विधान सभाओं के लिए प्राधिकृत मीडियाकर्मी**			
1.	महाराष्ट्र के मीडियाकर्मियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिचयात्मक कार्यक्रम	13/01/2014	15/01/2014	22
2.	महाराष्ट्र के मीडियाकर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	29/07/2013	30/07/2013	20
3.	शिलांग में मेघालय विधान सभा की कार्यवाही को कवर करने वाले पत्रकारों/मीडियाकर्मियों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम	04/07/2013	05/07/2013	51
चार.	**लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों/संसद सदस्यों के कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम**			
1.	लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	02/04/2014	04/04/2014	22
2.	लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	15/07/2013	17/07/2013	26
3.	संसदीय समितियों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	03/06/2013	04/06/2013	32
4.	लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों हेतु फाइल ट्रैकिंग प्रणाली के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	29/11/2012	30/11/2012	62
5.	लोक सभा सचिवालय के पदाधिकारियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	25/10/2012	26/10/2012	57

1	2	3	4	5
6.	लोक सभा सचिवालय के पदाधिकारियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	08/10/2012	12/10/2012	157
7.	लोक सभा सचिवालय के प्रयोक्ताओं हेतु वैब एसएमएस एप्लीकेशन्स के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	07/09/2012	07/09/2012	27
8.	लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	30/07/2012	01/08/2012	76
9.	बी एंड पी शाखा तथा पी एंड एओ के अधिकारियों के लिए 'स्रोत पर आयकर कटौती की ऑनलाइन फाइलिंग' के बारे में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	03/02/2011	03/02/2011	18
10.	लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	07/07/2010	09/07/2010	20
पांच.	**भारत सरकार के अधिकारियों/अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के परिवीक्षार्थियों के लिए परिबोधन पाठ्यक्रम**			
1.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकारियों और भारतीय रक्षा संपदा सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	22/04/2014	25/04/2014	24
2.	इंडियन कॉस्ट्स अकाउंट्स सर्विस के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	26/03/2014	28/03/2014	8
3.	कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन	12/03/2014	14/03/2014	50
4.	कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन	03/03/2014	05/03/2014	51
5.	इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस, इंडियन पी एंड टी अकाउंट्स सर्विस और इंडियन कॉस्ट अकाउंट्स सर्विस के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	26/02/2014	28/02/2014	48
6.	भारतीय रेल लेखा सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	26/02/2014	28/02/2014	29
7.	भारतीय रेल सेवा के मैकेनिकल इंजीनियर्स के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	26/02/2014	28/02/2014	55
8.	2013 के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	17/02/2014	21/02/2014	180

1	2	3	4	5
9.	भारतीय सूचना सेवा के ग्रुप "ए" परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	12/02/2014	14/02/2014	29
10.	भारतीय रेल सेवा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के वर्ष 2011 के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	03/02/2014	06/02/2014	49
11.	भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग सेवा के वर्ष 2011 के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	20/01/2014	22/01/2014	39
12.	भारतीय रेल कार्मिक सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	06/01/2014	08/01/2014	20
13.	वर्ष 2013 के आईईएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	31/12/2013	03/01/2014	30
14.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	31/12/2013	03/01/2014	21
15.	भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	26/12/2013	30/12/2013	140
16.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	16/12/2013	18/12/2013	49
17.	भारतीय रेल सुरक्षा बल के सहायक सुरक्षा आयुक्तों (परिवीक्षार्थियों) के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	16/12/2013	18/12/2013	5
18.	भारतीय राजस्व सेवा के परिवीक्षार्थियों और भूटान के अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	02/12/2013	05/12/2013	82
19.	महाराष्ट्र के मीडियाकर्मियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	22/10/2013	23/10/2013	17
20.	इंडियन ट्रेड सर्विस के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	26/08/2013	29/08/2013	19
21.	भारतीय रेल भंडार सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	05/08/2013	07/08/2013	25
22.	भारतीय रेल ट्रैफिक सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	05/08/2013	07/08/2013	60
23.	भारतीय रक्षा संपदा सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	05/08/2013	07/08/2013	8

1	2	3	4	5
24.	भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	05/08/2013	07/08/2013	80
25.	भारतीय उद्योग परिसंघ के अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	30/07/2013	31/07/2013	26
26.	भारतीय रेल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	22/07/2013	24/07/2013	36
27.	भारतीय सूचना सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	15/07/2013	17/07/2013	91
28.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	08/07/2013	10/07/2013	49
29.	भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	27/05/2013	29/05/2013	29
30.	भारतीय रेल अभियंता सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	13/05/2013	15/05/2013	62
31.	गेल (इंडिया) लिमिटेड के अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	06/05/2013	07/05/2013	24
32.	भारतीय प्रशासनिक सेवा और रॉयल भूटान सिविल सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	22/04/2013	26/04/2013	174
33.	भारतीय सूचना सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	08/04/2013	10/04/2013	13
34.	भारतीय रक्षा संपदा सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	08/04/2013	10/04/2013	25
35.	भारतीय रेल लेखा सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	02/04/2013	04/04/2013	21
36.	भारतीय राजस्व सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	18/03/2013	22/03/2013	105
37.	इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	11/03/2013	13/03/2013	24
38.	केंद्रीय लेखा और वित्त सेवाओं के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	11/03/2013	13/03/2013	53

1	2	3	4	5
39.	भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	25/02/2013	27/02/2013	25
40.	इंडियन कॉस्ट अकाउंट्स सर्विस के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	25/02/2013	27/02/2013	8
41.	भारतीय राजस्व सेवा के परिवीक्षार्थियों और भूटान के अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	12/02/2013	12/05/2013	82
42.	भारतीय सांख्यिकी सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	30/01/2013	01/02/2013	29
43.	भारतीय रेल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	30/01/2013	01/02/2013	42
44.	भारतीय रेल कार्मिक सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	17/12/2012	19/12/2012	20
45.	भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	12/12/2012	14/12/2012	126
46.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारियों और लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	10/12/2012	14/12/2012	42
47.	भारतीय राजस्व सेवा के 63वें बैच के परिवीक्षार्थियों और रॉयल भूटान सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	03/12/2012	06/12/2012	110
48.	भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	26/11/2012	29/11/2012	34
49.	भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियर्स सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	26/09/2012	28/09/2012	44
50.	दिल्ली, अंडमान और निकोबार पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	05/09/2012	06/09/2012	27
51.	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रोफेसर/लेक्चरर के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	22/08/2012	24/08/2012	75
52.	भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों और भूटान के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	06/08/2012	09/08/2012	71

1	2	3	4	5
53.	भारतीय रेल सुरक्षा बल के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	01/08/2012	03/08/2012	11
54.	भारतीय रेल भंडार सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	01/08/2012	03/08/2012	26
55.	भारतीय सांख्यिकी सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	01/08/2012	03/08/2012	38
56.	भारतीय सूचना सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	01/08/2012	03/08/2012	7
57.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ लेखा/लेखापरीक्षक अधिकारियों और लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	23/07/2012	27/07/2012	48
58.	भारतीय रेल ट्रैफिक सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	09/07/2012	11/07/2012	47
59.	आईआरएसई तथा आईआरएसएमई के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	14/05/2012	16/05/2012	57
60.	भारतीय प्रशासनिक सेवा और रॉयल भूटान सिविल सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	23/04/2012	27/04/2012	160
61.	इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	16/04/2012	18/04/2012	17
62.	भारतीय आयुध निर्माण सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	09/04/2012	11/04/2012	42
63.	भारतीय डाक सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	21/03/2012	23/03/2012	23
64.	भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	19/03/2012	21/03/2012	23
65.	विभिन्न केंद्रीय लेखा सेवाओं के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	19/03/2012	21/03/2012	47
66.	भारतीय रेल लेखा सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	14/03/2012	16/03/2012	37
67.	भारतीय राजस्व सेवा के 65वें बैच के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	13/03/2012	16/03/2012	130

1	2	3	4	5
68.	भारतीय रेल कार्मिक सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	27/02/2012	29/02/2012	26
69.	भारतीय रेल ट्रैफिक सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	30/01/2012	01/02/2012	37
70.	भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	02/01/2012	05/01/2012	125
71.	गेल (इंडिया) लिमिटेड के अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	21/12/2011	22/12/2011	35
72.	भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारियों और लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	19/12/2011	23/12/2011	49
73.	भारतीय आर्थिक सेवा के वर्ष 2010 और 2011 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	12/12/2011	16/12/2011	27
74.	भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	28/11/2011	01/12/2011	17
75.	भारतीय राजस्व सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	14/11/2011	18/11/2011	171
76.	भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियर्स सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	17/10/2011	19/10/2011	38
77.	भारतीय रेल मैकेनिकल इंजीनियर्स सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	07/09/2011	09/09/2011	12
78.	भारतीय सूचना सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	29/08/2011	01/09/2011	14
79.	भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	29/08/2011	02/09/2011	76
80.	गेल (इंडिया) लिमिटेड के अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	04/08/2011	05/08/2011	16
81.	भारतीय रेल भंडार सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	25/07/2011	27/07/2011	22
82.	केंद्रीय लेखा और वित्त सेवाओं के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	12/07/2011	15/07/2011	30

1	2	3	4	5
83.	भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारियों और लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	04/07/2011	08/07/2011	51
84.	भारतीय प्रशासनिक सेवा और रॉयल भूटान सिविल सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	25/04/2011	29/04/2011	136
85.	भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	18/04/2011	21/04/2011	70
86.	आईआरपीएफ के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	21/03/2011	23/03/2011	5
87.	भारतीय राजस्व सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	01/03/2011	04/03/2011	151
88.	भारतीय सांख्यिकी सेवा के परिवीक्षार्थियों (23) और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों (19) के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	21/02/2011	25/02/2011	42
89.	भारतीय रेल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	17/02/2011	18/02/2011	14
90.	इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	19/01/2011	21/01/2011	10
91.	भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय रेल कार्मिक सेवा और भारतीय परिवहन प्रबंधन सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	04/01/2011	07/01/2011	50
92.	भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम (27-29 दिसम्बर, 2010)	27/12/2010	29/12/2010	54
93.	भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	20/12/2010	23/12/2010	112
94.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	20/12/2010	23/12/2010	48
95.	भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	06/12/2010	09/12/2010	23

1	2	3	4	5
96.	भारतीय रेल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	10/11/2010	12/11/2010	ह्न24
97.	भारतीय रेल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	18/10/2010	20/10/2010	30
98.	भारतीय राजस्व सेवा के परिवीक्षार्थियों और रॉयल भूटान सरकार के सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	05/10/2010	08/10/2010	140
99.	भारतीय रेल भंडार सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	22/09/2010	24/09/2010	17
100.	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रोफेसर/लेक्चरर के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	18/08/2010	20/08/2010	85
101.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	26/07/2010	29/07/2010	52
102.	भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	26/07/2010	29/07/2010	84
103.	भारतीय डाक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	10/05/2010	14/05/2010	22
104.	भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2009 बैच और रॉयल भूटान सिविल सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	12/04/2010	16/04/2010	121
105.	भारतीय रेल ट्रैफिक प्रबंधन संस्थान के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	05/04/2010	07/04/2010	20
106.	भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग सेवा और भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	15/03/2010	19/03/2010	72
107.	भारतीय राजस्व सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	08/03/2010	12/03/2010	135
108.	भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा तथा केंद्रीय लेखा और वित्त के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	22/02/2010	26/02/2010	31
109.	भारतीय रेल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	11/01/2010	11/01/2010	21

1	2	3	4	5
110.	भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	21/12/2009	23/12/2009	89
111.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, भारतीय रेल लेखा सेवा और भारतीय सिग्नल इंजीनियरिंग सेवा के वरिष्ठ लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	14/12/2009	18/12/2009	62
112.	भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	01/12/2009	04/12/2009	19
113.	भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय रेल भंडार सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	31/08/2009	04/09/2009	103
114.	भारतीय आयुध निर्माणी सेवा और भारतीय रेल कार्मिक सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	03/08/2009	06/08/2009	30
115.	भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	20/07/2009	24/07/2009	29
116.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम	13/07/2009	17/07/2009	52
छह.	**संसद और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**			
1.	ओडिशा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए सहयोजन कार्यक्रम	22/04/2014	22/04/2014	7
2.	कर्नाटक विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए सहयोजन कार्यक्रम	22/04/2014	22/04/2014	5
3.	कर्नाटक विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए डिजिटीकरण के बारे में सहयोजन कार्यक्रम	21/04/2014	22/04/2014	4
4.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के प्रश्नों और विधायी और बजटीय प्रक्रियाओं संबंधी कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्क्रम	21/04/2014	25/04/2014	39
5.	संसद सुरक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	15/04/2014	17/04/2014	40
6.	संसद सुरक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	01/04/2014	03/04/2014	41

1	2	3	4	5
7.	संसद सुरक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	18/03/2014	20/03/2014	39
8.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों की समितियों में कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	28/10/2013	01/11/2013	18
9.	कनिष्ठ लिपिक के पद के लिए विभागीय परीक्षा देने के इच्छुक लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	30/09/2013	04/10/2013	24
10.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों में कार्यरत रिपोर्टरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	23/09/2013	27/09/2013	27
11.	संसद सुरक्षा सेवा के नए भर्ती हुए सुरक्षा सहायकों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	16/09/2013	19/09/2013	20
12.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए मैनेजमेंट डेवेलपमेंट प्रोग्राम	19/08/2013	23/08/2013	28
13.	पुरातात्विक महत्व की इमारतें: धरोहर और इनका परिरक्षण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	08/07/2013	12/07/2013	76
14.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के हिन्दी सहायकों, अनुवादकों और संपादकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	01/07/2013	05/07/2013	17
15.	कर्नाटक विधान सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों का अध्ययन दौरा	24/06/2013	25/06/2013	5
16.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के सुरक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	03/06/2013	07/06/2013	20
17.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के प्रश्नों और विधायी और बजटीय प्रक्रियाओं संबंधी कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	20/05/2013	24/05/2013	38
18.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के शोध, संदर्भ, सूचना और ग्रंथालय सेवाओं से सम्बद्ध अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	01/04/2013	05/04/2013	22
19.	ओडिशा विधान सभा की शोध उप-समिति का अध्ययन दौरा	29/01/2013	29/01/2013	6
20.	राज्य सरकारों और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण कार्यक्रम	14/01/2013	24/01/2013	20
21.	कनिष्ठ लिपिक के ग्रेड में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक विभागीय परीक्षा देने के इच्छुक लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	07/11/2012	09/11/2012	25

1	2	3	4	5
22.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों की समितियों में कार्यरत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	05/11/2012	09/11/2012	32
23.	लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए "टिप्पण, प्रारूपण और कार्यालय प्रक्रिया" के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम	17/10/2012	18/10/2012	27
24.	कनिष्ठ ग्रंथालय परिचारक के ग्रेड में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक विभागीय परीक्षा देने के इच्छुक लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	08/10/2012	12/10/2012	45
25.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों में कार्यरत रिपोर्टरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	24/09/2012	28/09/2012	37
26.	लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए "टिप्पण, प्रारूपण और कार्यालय प्रक्रिया" के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम	19/09/2012	21/09/2012	47
27.	लोक सभा सचिवालय में नए भर्ती हुए कार्यकारी अधिकारियों और शोध अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	10/09/2012	19/10/2012	21
28.	कर्नाटक विधान सभा के शोध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	01/08/2012	09/08/2012	6
29.	"सूचना का अधिकार" के बारे में कार्यशाला	31/07/2012	31/07/2012	130
30.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के हिन्दी सहायकों, अनुवादकों और संपादकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	02/07/2012	06/07/2012	36
31.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के सुरक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	04/06/2012	08/06/2012	31
32.	सचिवालय में कनिष्ठ लिपिक के पद के लिए विभागीय परीक्षा देने के इच्छुक लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	28/05/2012	05/06/2012	80
33.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के प्रश्नों और विधायी और बजटीय प्रक्रियाओं संबंधी कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	21/05/2012	25/05/2012	27
34.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के सुरक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	31/10/2011	04/11/2011	45
35.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों में कार्यरत रिपोर्टरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	26/09/2011	30/09/2011	43
36.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए मैनेजमेंट डेवेलपमेंट प्रोग्राम	08/08/2011	12/08/2011	37

1	2	3	4	5
37.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के प्रश्नों और विधायी और बजटीय प्रक्रियाओं संबंधी कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	18/07/2011	22/07/2011	35
38.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के शोध, संदर्भ, सूचना और ग्रंथालय सेवाओं से सम्बद्ध अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	23/05/2011	27/05/2011	24
39.	लोक सभा सचिवालय में वरिष्ठ लिपिक के पद के लिए भर्ती परीक्षा देने के इच्छुक विभागीय आवेदकों के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं	05/04/2011	08/04/2011	65
40.	महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	20/10/2010	21/10/2010	2
41.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों में कार्यरत रिपोर्टरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	18/10/2010	22/10/2010	45
42.	कर्नाटक विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	28/09/2010	29/09/2010	6
43.	लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए "टिप्पण, प्रारूपण और कार्यालय प्रक्रिया" के बारे में प्रशिक्षण	14/09/2010	17/09/2010	50
44.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम	09/08/2010	13/08/2010	47
45.	भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	04/05/2010	07/05/2010	15
46.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों की समितियों में कार्यरत अधिकारियों/सहायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	03/05/2010	07/05/2010	53
47.	भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम	29/04/2010	30/04/2010	15
48.	तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	19/04/2010	20/04/2010	25
49.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के प्रश्नों और विधायी और बजटीय प्रक्रियाओं संबंधी कार्य करने वाले अधिकारियों/सहायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	29/03/2010	01/04/2010	26
50.	आईएसटीएम, नई दिल्ली के प्रशिक्षणाधीन केंद्रीय सचिवालय सेवा के सीधी भर्ती के नियुक्त सहायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	04/02/2010	05/02/2010	49
51.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों में कार्यरत पुस्तकाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	16/11/2009	20/11/2009	16

1	2	3	4	5
52.	संसद और राज्य विधानमंडलों के हिन्दी सहायकों/अनुवादकों और संपादकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	26/10/2009	30/10/2009	21
53.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में प्रशिक्षणाधीन सीधी भर्ती से नियुक्त सहायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	26/08/2009	28/08/2009	26
54.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों की शोध, संदर्भ और सूचना सेवा से सम्बद्ध अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	24/08/2009	28/08/2009	20
55.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के वॉच एंड वार्ड अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	17/08/2009	21/08/2009	23
56.	लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के रिपोर्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	01/06/2009	05/06/2009	29
सात.	**विदेशी प्रतिभागियों हेतु अध्ययन दौरे/सहयोजन कार्यक्रम**			
1.	मॉरीशस के वरिष्ठ नागरिकों के अध्ययन दौरे	09/04/2014	09/04/2014	15
2.	सल कोलिन शेफर्ड, सीपीए कार्यकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष की यात्रा	13/03/2014	13/03/2014	2
3.	अफ्रीकी देशों के संसद सदस्यों के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	12/03/2014	12/03/2014	9
4.	युक्रेन के हिन्दी अध्यापकों का अध्ययन दौरा	19/02/2014	19/02/2014	6
5.	विकासशील देशों हेतु शोध और सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	18/02/2014	18/02/2014	28
6.	तंजानिया की संसद की रक्षा संबंधी समिति के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	10/02/2014	12/02/2014	12
7.	मानव व्यवस्थापन प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विदेशी पेशेवरों का अध्ययन दौरा	06/02/2014	06/02/2014	26
8.	बांग्लादेश की संसद की फाइनेंशियल ओवरसाइट कमेटी के सदस्यों का अध्ययन दौरा	20/01/2014	31/01/2014	10
9.	पश्चिम एशियाई देशों के संपादकों/वरिष्ठ पत्रकारों का अध्ययन दौरा	15/01/2014	15/01/2014	22
10.	भूटान की नेशनल असेम्बली के माननीय सदस्यों के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	13/01/2014	16/01/2014	13
11.	म्यांमार की संसद के वरिष्ठ अधिकारियों का अध्ययन दौरा	02/01/2014	03/01/2014	8

1	2	3	4	5
12.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वियतनाम सरकार के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	24/12/2013	24/12/2013	14
13.	"अफगानिस्तान 1400 नेटवर्क" के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	23/12/2013	23/12/2013	8
14.	इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज, पार्लियामेंट ऑफ युगांडा के सदस्यों का अध्ययन दौरा	16/12/2013	19/12/2013	2
15.	सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का अध्ययन दौरा	13/12/2013	13/12/2013	31
16.	आईआईपीए, नई दिल्ली के सहयोजन पर शंघाई एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट के चीनी शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	13/12/2013	13/12/2013	6
17.	यूरोपीय संसद के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	02/12/2013	06/12/2013	4
18.	भूटान के संपादकों और वरिष्ठ नागरिकों के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	19/11/2013	19/11/2013	9
19.	सूडान की संसद की आर्थिक और वित्तीय मामलों संबंधी स्थायी समिति के सदस्यों का अध्ययन दौरा	18/11/2013	22/11/2013	21
20.	सेंटर फॉर पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड ट्रेनिंग (सीपीएसटी), पार्लियामेंट ऑफ केन्या के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	05/11/2013	08/11/2013	8
21.	बांग्लादेश के संपादकों/वरिष्ठ पत्रकारों के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	16/09/2013	16/09/2013	13
22.	श्रीलंका की संसद के सुरक्षा अधिकारियों हेतु सहयोजन कार्यक्रम	04/09/2013	06/09/2013	3
23.	मॉरीशस की संसद की लोक लेखा समिति के सदस्यों के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	26/08/2013	30/08/2013	11
24.	जापान के विश्वविद्यालय छात्रों का अध्ययन दौरा	13/08/2013	13/08/2013	8
25.	नेशनल असेम्बली स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वियतनाम के इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव स्टडीज के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	08/08/2013	08/08/2013	6
26.	नेशनल असेम्बली ऑफ सेशेल्स के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	07/08/2013	07/08/2013	5
27.	किंगडम ऑफ थाइलैंड के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सचिवालय के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	06/08/2013	06/08/2013	28
28.	मलेशिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के माननीय अध्यक्ष और संसदीय अधिकारियों का अध्ययन दौरा	02/08/2013	02/08/2013	8
29.	भूटान की राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों का अध्ययन दौरा	29/07/2013	31/07/2013	16

1	2	3	4	5
30.	मालदीव के संपादकों/वरिष्ठ पत्रकारों का अध्ययन दौरा	25/06/2013	25/06/2013	7
31.	हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ फेडरेशन, फेडरल मामले मंत्रालय, सिविल सर्विस यूनिवर्सिटी और इथोपिया के क्षेत्रीय राज्यों के सदस्यों का अध्ययन दौरा	11/06/2013	14/06/2013	11
32.	हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन में सेंट्रल पीपुल्स गवर्नमेंट ऑफ चीन के संपर्क कार्यालय के विधिक विभाग के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	06/06/2013	06/06/2013	9
33.	बांग्लादेश की संसद के विधि, न्याय और संसदीय कार्य तथा महिला और बाल कार्य संबंधी स्थायी समिति के सदस्यों और अधिकारियों के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	02/05/2013	02/05/2013	21
34.	नेपाल की संसद के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	29/04/2013	01/05/2013	8
35.	लीसी क्लॉड बर्नार्ड, पेरिस, फ्रांस के विद्यार्थियों का अध्ययन दौरा	26/04/2013	26/04/2013	35
36.	नेपाल के संपादकों और वरिष्ठ पत्रकारों का अध्ययन दौरा	23/04/2013	23/04/2013	12
37.	लीबिया की जनरल नेशनल कांग्रेस के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	02/04/2013	04/04/2013	9
38.	विकासशील देशों हेतु शोध और सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	01/03/2013	01/03/2013	28
39.	यूरोपीय संसद के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	12/02/2013	12/06/2013	4
40.	अफगानिस्तान की संसद के उपरि सदन के सदस्यों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	11/02/2013	15/02/2013	92
41.	आस्ट्रेलियाई नागरिकों के समूह का अध्ययन दौरा	11/02/2013	11/02/2013	16
42.	दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के गौटेंग प्राविंशियल लेजीस्लेचर के अध्यक्षों की स्थायी समिति के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	21/01/2013	23/01/2013	11
43.	नई दिल्ली में रीजनल कांफ्रेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में भाग लेने वाले शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	18/01/2013	18/01/2013	43
44.	आसियान देशों के संपादकों और वरिष्ठ पत्रकारों का अध्ययन दौरा	19/12/2012	19/12/2012	12
45.	ईराक के संसदीय शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	18/12/2012	18/12/2012	10
46.	हाउस ऑफ फेडरेशन, इथोपिया के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	17/12/2012	21/12/2012	8
47.	सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के समूह का अध्ययन दौरा	11/12/2012	11/12/2012	23

1	2	3	4	5
48.	हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जंजीबार, तंजानिया के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	10/12/2012	12/12/2012	8
49.	युगांडा की संसद की स्वास्थ्य संबंधी समिति के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	05/12/2012	07/12/2012	9
50.	म्यांमार संसद के सदस्यों हेतु विशेष सहयोजन कार्यक्रम	15/10/2012	19/10/2012	20
51.	युगांडा संसदीय आयोग के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	03/10/2012	04/10/2012	9
52.	थाईलैंड के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के कमिटी ऑन फॉलोइंग अप दि बजट एडमिनिस्ट्रेशन के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	28/09/2012	28/09/2012	24
53.	तंजानिया की संसद के सदस्यों और जंजीबार के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का अध्ययन दौरा	25/09/2012	25/09/2012	12
54.	थाईलैंड की सीनेट के सचिवालय के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	20/09/2012	20/09/2012	24
55.	विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली में 55वें व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले विदेशी राजनयिकों का अध्ययन दौरा	05/09/2012	05/09/2012	17
56.	दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के क्वा जुलू नटाल प्रोविन्स की मानव व्यवस्थापन संबंधी पोर्टफोलियो समिति का अध्ययन दौरा	27/08/2012	27/08/2012	12
57.	केन्या की नेशनल असेम्बली के न्याय और विधिक कार्यों की विभागीय समिति के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	22/08/2012	24/08/2012	4
58.	साउथ सूडान नेशनल लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों का अध्ययन दौरा	11/07/2012	13/07/2012	8
59.	म्यांमार संसद के सदस्यों हेतु प्रबोधन कार्यक्रम	02/07/2012	07/07/2012	10
60.	नामीबिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट (एनआईपीएएम) के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	01/06/2012	01/06/2012	7
61.	नेशनल असेम्बली ऑफ केन्या के शोध स्टाफ का अध्ययन दौरा	28/05/2012	04/06/2012	4
62.	इंडोनेशिया गणराज्य के रीजनल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की विधि निर्माण समिति के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	23/05/2012	23/05/2012	13
63.	युगांडा की संसद की विधिक और संसदीय कार्य संबंधी समिति के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	21/05/2012	25/05/2012	8
64.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे अफगानिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स का अध्ययन दौरा	07/05/2012	07/05/2012	16

1	2	3	4	5
65.	मलावी की संसद के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	02/05/2012	04/05/2012	3
66.	घाना की संसद की लाभ के पदों संबंधी स्थायी समिति के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	30/04/2012	02/05/2012	7
67.	नेशनल असेम्बली ऑफ केन्या की कल्याण और सुविधा समिति के सदस्यों का अध्ययन दौरा	23/04/2012	26/04/2012	7
68.	इथोपिया के हाउस ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	17/04/2012	18/04/2012	9
69.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे नेपाल के डिप्लोमेटिक कॉरिसपोंडेंट का अध्ययन दौरा	29/03/2012	29/03/2012	15
70.	एमईएस इंडियन स्कूल, दोहा, कतर के विद्यार्थियों के समूह का अध्ययन दौरा	27/03/2012	27/03/2012	52
71.	सूडान की महिला संसदीय बैठक के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	26/03/2012	28/03/2012	22
72.	नेपाल की संविधान सभा के सदस्यों का अध्ययन दौरा	07/03/2012	07/03/2012	13
73.	अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विभाग, हिरोशिमा सिटी युनिवर्सिटी, हिरोशिमा, जापान के विद्यार्थियों का अध्ययन दौरा	29/02/2012	29/02/2012	10
74.	इथोपिया के माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	28/02/2012	28/02/2012	4
75.	तंजानिया की संसद के वरिष्ठ अधिकारियों का अध्ययन दौरा	21/02/2012	24/02/2012	12
76.	नेशनल असेम्बली ऑफ केन्या के हंसार्ड अधिकारियों का अध्ययन दौरा	13/02/2012	21/02/2012	4
77.	म्यांमार के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	31/01/2012	31/01/2012	30
78.	अफगानिस्तान की संसद के महिला सदस्यों के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	30/01/2012	30/01/2012	13
79.	दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की संसद के नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेज के आर्थिक कार्य विकास और व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों संबंधी प्रवर समिति के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	24/01/2012	24/01/2012	16
80.	केन्या की संसद के संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण केन्द्र के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	18/01/2012	20/01/2012	4
81.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली और लास वेगास विलियम एस. बॉयड स्कूल ऑफ लॉ, युनिवर्सिटी ऑफ नेवादा, यूएसए के छात्रों का अध्ययन दौरा	05/01/2012	05/01/2012	25

1	2	3	4	5
82.	कोरिया गणराज्य की नेशनल असेम्बली रिसर्च सर्विस के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	16/12/2011	16/12/2011	4
83.	म्यांमार के संसदीय शिष्टमंडल का दौरा	13/12/2011	13/12/2011	30
84.	कोरिया की नेशनल असेम्बली के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	18/11/2011	18/11/2011	3
85.	नेशनल असेम्बली ऑफ केन्या के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	19/10/2011	21/10/2011	2
86.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे म्यांमार के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	28/09/2011	28/09/2011	19
87.	स्वीडिश सांसदों के शिष्टमंडलों का अध्ययन दौरा	09/09/2011	09/09/2011	4
88.	तंजानिया के मीडियाकर्मियों का अध्ययन दौरा	17/08/2011	19/08/2011	4
89.	बांग्लादेश की संसद की वित्तीय निगरानी समितियों के सदस्यों का अध्ययन दौरा	08/08/2011	10/08/2011	18
90.	नेपाल की महिला सांसदों का अध्ययन दौरा	08/08/2011	08/08/2011	16
91.	चीन के संपादकों का अध्ययन दौरा	03/08/2011	03/08/2011	16
92.	नेशनल असेम्बली ऑफ केन्या के अध्यक्षों के पैनल का अध्ययन दौरा	01/08/2011	05/08/2011	8
93.	किंग प्रजाधिपोक्स इंस्टीट्यूट, थाईलैंड के शोधार्थियों का अध्ययन दौरा	28/07/2011	28/07/2011	5
94.	नेपाल के मीडियाकर्मियों के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	27/07/2011	27/07/2011	14
95.	घाना की संसद के कृषि और कोको मामले संबंधी समिति के सदस्यों का अध्ययन दौरा	22/07/2011	22/07/2011	20
96.	लेडन विश्वविद्यालय, दि नीदरलैंड के राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों का अध्ययन दौरा	11/07/2011	11/07/2011	25
97.	केन्या के संविधान के कार्यान्वयन हेतु आयोग के सदस्यों का अध्ययन दौरा	16/06/2011	16/06/2011	8
98.	मलावी की नेशनल असेम्बली के संसदीय शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	03/05/2011	05/05/2011	9
99.	अफ्रीका के युवा सांसदों का अध्ययन दौरा	26/04/2011	26/04/2011	25
100.	रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), नई दिल्ली में कार्यक्रम में भाग लेने वाले चीनी विद्वानों का अध्ययन दौरा	20/04/2011	20/04/2011	4

1	2	3	4	5
101.	केन्या के नेशनल डिफेंस कॉलेज के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	20/04/2011	20/04/2011	15
102.	युगांडा की संसद के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	18/04/2011	20/04/2011	5
103.	युगांडा की संसद के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	23/03/2011	25/03/2011	3
104.	हार्वर्ड केनेडी स्कूल, बोस्टन, यूएसए के वीमेन्स लीडरशिप बोर्ड का अध्ययन दौरा	14/03/2011	14/03/2011	16
105.	शैक्षणिक दौरे पर भारत आने वाले टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के विद्यार्थियों का अध्ययन दौरा	14/03/2011	14/03/2011	56
106.	विकासशील देशों के लिए शोधन और सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	11/03/2011	11/03/2011	18
107.	युगांडा की संसद की समान अवसर संबंधी समिति के सदस्यों का अध्ययन दौरा	08/03/2011	11/03/2011	3
108.	मॉरीशस के वरिष्ठ नागरिकों के समूह का अध्ययन दौरा	09/02/2011	09/02/2011	22
109.	नामीबिया की संसद की विदेश, रक्षा और सुरक्षा संबंधी संसदीय समिति का अध्ययन दौरा	09/02/2011	09/02/2011	4
110.	विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली में 50वें व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले विदेशी राजनयिकों का अध्ययन दौरा	01/02/2011	01/02/2011	22
111.	हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, यूएसए के विद्यार्थियों का अध्ययन दौरा	14/01/2011	14/01/2011	50
112.	कॉन्फीडस्ट्रिया, दि नेशन-वाइड कांफेडेरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इटली के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	05/01/2011	05/01/2011	69
113.	हार्वर्ड केनेडी स्कूल, केम्ब्रिज, यूएसए में मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी के विद्यार्थी उम्मीदवारों का अध्ययन दौरा	05/01/2011	05/01/2011	7
114.	कोलम्बिया बिजनेस स्कूल, कोलम्बिया विश्वविद्यालय, न्यूयार्क के एमबीए विद्यार्थियों का अध्ययन दौरा	29/12/2010	29/12/2010	26
115.	आस्ट्रेलिया के संसदीय शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	03/12/2010	03/12/2010	6
116.	नेपाल की संविधान सभा की युवा सदस्यों के समूह का अध्ययन दौरा	24/11/2010	24/11/2010	12
117.	बोत्सवाना के सांसदों एवं इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल कमीशन के सदस्यों का अध्ययन दौरा	18/11/2010	18/11/2010	7
118.	एमिरेट्स नेशनल स्कूल, शारजाह के विद्यार्थियों का अध्ययन दौरा	16/11/2010	16/11/2010	34

1	2	3	4	5
119.	लिथुआनिया के संसदीय मैत्री दल के सदस्यों का अध्ययन दौरा	16/11/2010	16/11/2010	6
120.	श्रीलंका की समितियों के उप-सभापति और पार्लियामेंट के उप-महासचिव का अध्ययन दौरा	02/11/2010	03/11/2010	2
121.	मिस्र सरकार के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	19/10/2010	19/10/2010	2
122.	इंडोनेशिया के सेक्रेटेरिएट जनरल ऑफ दि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	04/10/2010	04/10/2010	12
123.	थाईलैंड की सीनेट के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	22/09/2010	22/09/2010	24
124.	विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली में विशेष पाठ्यक्रम में भाग ले रहे एशियाई देशों के राजनयिकों का अध्ययन दौरा	31/08/2010	31/08/2010	31
125.	नेपाल के वरिष्ठ टी.वी. संपादकों और पत्रकारों का अध्ययन दौरा	18/08/2010	18/08/2010	9
126.	नेशनल असेम्बली ऑफ केन्या की लोक निवेश संबंधी समिति के सदस्यों का अध्ययन दौरा	16/08/2010	18/08/2010	7
127.	घाना की संसद के मार्शल का अध्ययन दौरा	03/08/2010	06/08/2010	1
128.	सेशेल्स की संसद के सार्जेंट ऑफ आर्म्स का अध्ययन दौरा	03/08/2010	06/08/2010	1
129.	युगांडा की संसद के सदस्यों का अध्ययन दौरा	26/07/2010	30/07/2010	6
130.	बांग्लादेश सरकार के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	23/06/2010	23/06/2010	29
131.	बांग्लादेश सरकार के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	07/06/2010	07/06/2010	34
132.	जाम्बिया की संसद की लोक लेखा समिति का अध्ययन दौरा	28/05/2010	28/05/2010	15
133.	नेशनल असेम्बली ऑफ नाइजीरिया की महिला सांसदों के एक शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	26/05/2010	26/05/2010	10
134.	तिलबर्ग विश्वविद्यालय, नीदरलैंड के विद्यार्थियों का अध्ययन दौरा	04/05/2010	04/05/2010	17
135.	मिस्र की महिला राजनेताओं के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	30/04/2010	30/04/2010	11
136.	राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, तंजानिया शाखा के सदस्यों का अध्ययन दौरा	30/04/2010	30/04/2010	8
137.	विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय में विशेष पाठ्यक्रम में भाग ले रहे राजनयिकों का अध्ययन दौरा	30/04/2010	30/04/2010	12
138.	आईआईपीए, नई दिल्ली में "मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन फेडरेलिज्म" पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नेपाल सरकार के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	20/04/2010	20/04/2010	18

1	2	3	4	5
139.	युगांडा संसदीय सेवा आयोग के सदस्यों के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	19/04/2010	23/04/2010	4
140.	नेशनल असेम्बली ऑफ केन्या की कार्यान्वयन संबंधी संसदीय समिति के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	05/04/2010	07/04/2010	7
141.	नेशनल असेम्बली ऑफ नाइजीरिया की सीनेट तथा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों का अध्ययन दौरा	29/03/2010	31/03/2010	8
142.	विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली में 49वें व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भाग ले रहे विदेशी राजनयिकों का अध्ययन दौरा	12/03/2010	12/03/2010	21
143.	रिसर्च एंड इंफोर्मेशन सिस्टम फॉर डेवेलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	11/03/2010	11/03/2010	25
144.	अफगानिस्तान संसद के सदस्यों और अधिकारियों के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	23/02/2010	25/02/2010	8
145.	मलावी की नेशनल असेम्बली के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	01/02/2010	05/02/2010	5
146.	अफगानिस्तान संसद की वोलेसी जिरगा के सचिवालय के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	13/01/2010	20/01/2010	6
147.	उरुग्वे की प्रतिनिधि सभा के महासचिव का अध्ययन दौरा	12/01/2010	12/01/2010	2
148.	हाउस ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, इथियोपिया के रिसर्च स्टाफ मेंबर का अध्ययन दौरा	21/12/2009	23/12/2009	17
149.	नेपाल के विभिन्न मीडिया संगठनों के वरिष्ठ संपादकों और पत्रकारों का अध्ययन दौरा	15/12/2009	15/12/2009	8
150.	नामीबिया की संसद के सदस्यों का अध्ययन दौरा	14/12/2009	17/12/2009	6
151.	अफगानिस्तान के 6-सदस्यीय संसद सदस्यों के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	03/12/2009	03/12/2009	6
152.	युगांडा की संसद की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिनिधिमंडल का अध्ययन दौरा	23/11/2009	24/11/2009	10
153.	नेशनल असेम्बली ऑफ केन्या की स्टीयरिंग कमिटी फॉर दि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दि सेंटर फॉर पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड ट्रेनिंग के सदस्यों का अध्ययन दौरा	23/11/2009	24/11/2009	3
154.	श्रीलंका की संसद के दो अधिकारियों का अध्ययन दौरा	28/10/2009	28/10/2009	2
155.	थाई राष्ट्रीय असेम्बली की स्टेंडिंग कमिटी ऑफ दि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अफेयर्स के शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	22/09/2009	22/09/2009	24

1	2	3	4	5
156.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) में संघवाद संबंधी प्रबंधन विकास कार्यक्रम में भाग ले रहे नेपाल सरकार के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	02/09/2009	02/09/2009	15
157.	माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एसएनएनपीआरएस, इथियोपिया के एक रीजनल स्टेट से एक शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	17/08/2009	19/08/2009	4
158.	सेशल्स की नेशनल असेम्बली से दो अधिकारियों हेतु सहयोजन कार्यक्रम	03/08/2009	07/08/2009	2
159.	बांग्लादेश के अधिकारियों के एक शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	22/07/2009	22/07/2009	37
160.	श्रीलंका से संपादकों का अध्ययन दौरा	13/07/2009	14/07/2009	7
161.	मंगोलियन संसद सचिवालय से शोधकर्ताओं का अध्ययन दौरा	22/06/2009	25/06/2009	6
162.	श्रीलंका मीडियाकर्मियों का अध्ययन दौरा	09/06/2009	09/06/2009	11
163.	अफगानिस्तान की संसद के एक शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	27/05/2009	28/05/2009	21
आठ.	**राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों हेतु अध्ययन दौरा/भेंट/सहयोजन कार्यक्रम**			
1.	नेहरू अध्ययन केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के छात्रों का अध्ययन दौरा	30/04/2014	30/04/2014	26
2.	कनोहरलाल स्नातकोत्तर बालिका कॉलेज, मेरठ के छात्रों का अध्ययन दौरा	30/04/2014	30/04/2014	68
3.	संस्कृतिक स्कूल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली के छात्रों की माननीय अध्यक्ष से भेंट और अध्ययन दौरा	24/04/2014	24/04/2014	18
4.	बिमल चन्द्र विधि कॉलेज, कंडी, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	04/04/2014	04/04/2014	27
5.	दुर्गापुर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, बर्दवान, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	27/03/2014	27/03/2014	22
6.	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं का अध्ययन दौरा	21/03/2014	21/03/2014	30
7.	रक्षा सेवा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के कर्नल और समकक्ष पद तक के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	13/03/2014	13/03/2014	20
8.	पुणे विश्वविद्यालय, संचार और पत्रकारिता विभाग, पुणे के छात्रों का अध्ययन दौरा	11/03/2014	11/03/2014	31

1	2	3	4	5
9.	सोना पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	28/02/2014	28/02/2014	45
10.	केरल हिन्दी प्रचार सभा, तिरुवनंतपुरम के प्रशिक्षु अध्यापकों का अध्ययन दौरा	26/02/2014	26/02/2014	51
11.	पत्रकारिता और संचार विज्ञान विभाग, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर के छात्रों का अध्ययन दौरा	21/02/2014	21/02/2014	21
12.	अदितनार कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, तिरूचेंदूर, तमिलनाडु के छात्रों का अध्ययन दौरा	21/02/2014	21/02/2014	23
13.	एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, पुणे के छात्रों का अध्ययन दौरा	21/02/2014	21/02/2014	27
14.	राजनीति विज्ञान विभाग, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के छात्रों का अध्ययन दौरा	20/02/2014	20/02/2014	35
15.	गोपाल दास झमत माल आडवाणी विधि कॉलेज, बांद्रा मुम्बई के विधि छात्रों का अध्ययन दौरा	19/02/2014	19/02/2014	51
16.	केन्द्रीय विद्यालय, इंफाल, मणिपुर के छात्रों और अध्यापकों का अध्ययन दौरा	17/02/2014	21/02/2014	23
17.	सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	13/02/2014	13/02/2014	26
18.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे के.स.से. के प्रशिक्षुओं का अध्ययन दौरा	07/02/2014	07/02/2014	52
19.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे के.स.से. के प्रशिक्षु अधिकारियों का अध्ययन दौरा	06/02/2014	06/02/2014	53
20.	"स्कूल ऑफ कम्युनिकेशंस स्टडीज" पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के छात्रों का अध्ययन दौरा	06/02/2014	06/02/2014	46
21.	वेद व्यास डीएवी स्कूल, विकासपुरी, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	30/01/2014	30/01/2014	124
22.	भारत के विभिन्न भागों से जनजातीय प्रतिनिधियों का अध्ययन दौरा	29/01/2014	29/01/2014	83
23.	वेद व्यास डीएवी स्कूल, विकासपुरी, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	27/01/2014	27/01/2014	124
24.	राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार के विजेताओं का अध्ययन दौरा	24/01/2014	24/01/2014	67
25.	राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता बच्चों का माननीय अध्यक्ष से भेंट	21/01/2014	21/01/2014	67
26.	इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एन्वायरमेंट एंड आर्किटेक्चर (आईडीईए), नासिक के छात्रों का अध्ययन दौरा	13/01/2014	13/01/2014	54

1	2	3	4	5
27.	सिम्बायोसिस युनिवर्सिटी, पुणे के छात्रों का अध्ययन दौरा	08/01/2014	08/01/2014	35
28.	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों का अध्ययन दौरा	27/12/2013	27/12/2013	23
29.	आईआईपीए, नई दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे के.लो.नि.वि. के प्रशिक्षु सहायक कार्यकारी अभियंताओं का अध्ययन दौरा	24/12/2013	24/12/2013	31
30.	शेरशाह सूरी इंटर सत्रीय विद्यालय, सासाराम, रोहतास, बिहार के छात्रों का अध्ययन दौरा	18/12/2013	20/12/2013	28
31.	डीपीएस कठुआ, जम्मू और कश्मीर के छात्रों का अध्ययन दौरा	17/12/2013	17/12/2013	81
32.	श्याम लाल कॉलेज (संध्या), दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का अध्ययन दौरा	17/12/2013	17/12/2013	37
33.	तपोवन वात्सल्यधाम स्कूल, गांधीनगर, गुजरात के छात्रों का अध्ययन दौरा	17/12/2013	17/12/2013	30
34.	लक्षद्वीप से स्कूली बच्चों का अध्ययन दौरा	14/12/2013	16/12/2013	22
35.	"सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन", दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का अध्ययन दौरा	12/12/2013	12/12/2013	66
36.	संस्कृति स्कूल, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	12/12/2013	12/12/2013	55
37.	वेद व्यास डीएवी पब्लिक स्कूल, विकासपुरी, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	29/11/2013	29/11/2013	64
38.	"नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हॉरमनी" नई दिल्ली से पुनर्वास सहायता प्राप्त कर रहे बच्चों का अध्ययन दौरा	25/11/2013	25/11/2013	5
39.	"फेयरफिल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टैक्नोलॉजी", नई दिल्ली के छात्रों और प्रोफेसरों का अध्ययन दौरा	14/11/2013	14/11/2013	32
40.	दक्षिण मुम्बई से कॉलेज छात्रों के एक समूह का अध्ययन दौरा	12/11/2013	12/11/2013	84
41.	"एल्वा कॉलेज ऑफ नर्सिंग", कर्नाटक के छात्रों का अध्ययन दौरा	07/11/2013	07/11/2013	98
42.	"एकेडमिक स्टाफ कॉलेज", जेएनयू, नई दिल्ली में राजनीति विज्ञान में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	06/11/2013	06/11/2013	32
43.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, रोहिणी, नई दिल्ली और डाई लोबर्ग जिमनेजियम, जोहनानियम, ऑस्टबेवर्न, जर्मनी के छात्रों का अध्ययन दौरा	24/10/2013	24/10/2013	25

1	2	3	4	5
44.	रक्षा सेवा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में प्रबोधन कार्यक्रम में भाग ले रहे कर्नल और समकक्ष पद तक के सेवारत अधिकारियों का अध्ययन दौरा	24/10/2013	24/10/2013	24
45.	राजीव गांधी समकालीन अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के विधायकों के शोध सहायकों का अध्ययन दौरा	23/10/2013	23/10/2013	16
46.	"एमआईटी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड जर्नलिज्म", पुणे के छात्रों का अध्ययन दौरा	23/10/2013	23/10/2013	17
47.	"आईटीबीपी" उत्तर-पूर्व भारत का संचालित "सिविक एक्शन प्रोग्राम" में भाग ले रहे आलो, जिला पश्चिम सियांग, अरुणाचल प्रदेश के छात्रों का अध्ययन दौरा	18/10/2013	18/10/2013	21
48.	एनएआरएस स्कूल, हैदराबाद के छात्रों का अध्ययन दौरा	18/10/2013	18/10/2013	27
49.	सेंट जोन्स, रीजनल सेमिनारी, रामनाथपुर, हैदराबाद के छात्रों का अध्ययन दौरा	17/10/2013	17/10/2013	21
50.	श्री केरल वर्मा कॉलेज, त्रिशूर, केरल के छात्रों और अध्यापकों का अध्ययन दौरा	17/10/2013	17/10/2013	30
51.	"रेजोनैंस इन्फो स्कूल" आंध्र प्रदेश के छात्रों और अध्यापकों का अध्ययन दौरा	14/10/2013	14/10/2013	92
52.	सुधीरंजन लहिरी महाविद्यालय, मजदिया, नादिया, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	12/10/2013	12/10/2013	20
53.	"प्रैजिडियम स्कूल", इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के छात्रों का अध्ययन दौरा	08/10/2013	08/10/2013	113
54.	"पीजी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस", श्री सरस्वती त्यागराज कॉलेज, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के छात्रों का अध्ययन दौरा	04/10/2013	04/10/2013	71
55.	एक सिटिजन ग्रुप का अध्ययन दौरा	26/09/2013	26/09/2013	23
56.	विधि कॉलेज, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के विधि छात्रों का अध्ययन दौरा	25/09/2013	25/09/2013	25
57.	"महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज", दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	25/09/2013	25/09/2013	45
58.	विधि विभाग, बर्दवान विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	24/09/2013	24/09/2013	41
59.	हुगली मोहसिन कॉलेज, पश्चिम बंगाल के विधि छात्रों का अध्ययन दौरा	20/09/2013	20/09/2013	59

1	2	3	4	5
60.	"इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज", पुणे, विश्वविद्यालय में "मास्टर इन पर्सनल मैनेजमेंट" के छात्रों का अध्ययन दौरा	19/09/2013	19/09/2013	17
61.	आईआईएस विश्वविद्यालय, जयपुर के छात्रों का अध्ययन दौरा	06/09/2013	06/09/2013	32
62.	महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	06/09/2013	06/09/2013	52
63.	टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, वसंत विहार, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	03/09/2013	03/09/2013	78
64.	साधु वासवानी इंटरनेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	02/09/2013	02/09/2013	48
65.	"प्रीस्ट स्कूल ऑफ बिजनेस" प्रीस्ट विश्वविद्यालय, चेन्नई के छात्रों का अध्ययन दौरा	30/08/2013	30/08/2013	21
66.	महारानी गायत्री देवी स्कूल, जयपुर के छात्रों का अध्ययन दौरा	29/08/2013	29/08/2013	37
67.	एवरग्रीन पब्लिक स्कूल, वसुंधरा इन्कलेव, दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	27/08/2013	27/08/2013	15
68.	भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, मुंबई के सुरक्षा अधिकारियों का अध्ययन दौरा	27/08/2013	27/08/2013	25
69.	दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया में स्नातक पाठ्यक्रम परीक्षाओं में शीर्ष स्थान और उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों का अध्ययन दौरा	26/08/2013	26/08/2013	25
70.	लांसर कन्वेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल, रोहिणी के छात्रों का अध्ययन दौरा	24/08/2013	24/08/2013	30
71.	डीएवी पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद के छात्रों का अध्ययन दौरा	24/08/2013	24/08/2013	40
72.	ग्रीनफील्ड्स स्कूल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	23/08/2013	23/08/2013	45
73.	"अक्षरम" दिल्ली के माध्यम से यूरोप के छात्रों का अध्ययन दौरा	23/08/2013	23/08/2013	8
74.	वैलहम गर्ल्स स्कूल, देहरादून के छात्रों का अध्ययन दौरा	22/08/2013	22/08/2013	18
75.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसंत कुंज, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	14/08/2013	14/08/2013	100
76.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसंत कुंज, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	13/08/2013	13/08/2013	116

1	2	3	4	5
77.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे सहायकों का अध्ययन दौरा	13/08/2013	13/08/2013	83
78.	सीबीएसई में शीर्ष स्थान पाने वाले दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	07/08/2013	07/08/2013	52
79.	मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल के छात्रों और अध्यापकों का अध्ययन दौरा	07/08/2013	07/08/2013	96
80.	रघुवीर सिंह जूनियर माडर्न स्कूल, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	26/07/2013	26/07/2013	164
81.	विद्या ज्योति कॉलेज, दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	24/07/2013	24/07/2013	42
82.	रघुवीर सिंह जूनियर माडर्न स्कूल, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	19/07/2013	19/07/2013	120
83.	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स, नई दिल्ली और श्रेयर कॉलेज पैन स्टेट विश्वविद्यालय, यूएसए के छात्रों का एकेडमिक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम के अंतर्गत अध्ययन दौरा	18/07/2013	18/07/2013	29
84.	रक्षा सेवा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में प्रबोधन कार्यक्रम में भाग ले रहे कर्नल और समकक्ष पद तक के सेवारत अधिकारियों का अध्ययन दौरा	19/06/2013	19/06/2013	18
85.	रक्षा सेवा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में सीधी भर्ती सहायकों के लिए फाउंडेशन कोर्स में भाग ले रहे समूह (ख) अधिकारियों का अध्ययन दौरा	18/06/2013	18/06/2013	28
86.	सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर रक्षा अधिकारियों की माननीय अध्यक्ष के साथ भेंट	12/06/2013	12/06/2013	4
87.	रक्षा सेवा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में प्रबोधन कार्यक्रम में भाग ले रहे कर्नल पद तक के सेवारत अधिकारियों का अध्ययन दौरा	29/05/2013	29/05/2013	18
88.	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रशिक्षुओं का अध्ययन दौरा	08/05/2013	08/05/2013	28
89.	सेंट जोसेफ स्कूल, भागलपुर, बिहार के छात्रों का अध्ययन दौरा	07/05/2013	07/05/2013	92
90.	गांधी ग्लोबल फैमिली, दिल्ली के सदस्यों की माननीय लोक सभा अध्यक्ष के साथ भेंट	02/05/2013	02/05/2013	50
91.	रक्षा सेवा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे कर्नल और समकक्ष पद तक के सेवारत अधिकारियों का अध्ययन दौरा	01/05/2013	01/05/2013	8

1	2	3	4	5
92.	"आईटीआईएचएएएस" का प्रायोजित छात्रों का अध्ययन दौरा	30/04/2013	30/04/2013	134
93.	प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की माननीय लोक सभा अध्यक्ष के साथ भेंट	25/04/2013	25/04/2013	14
94.	"रीजनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर द टीचर्स ऑफ द ब्लाइंड" पूनाम्मली, चेन्नई के प्रशिक्षु अध्यापकों का अध्ययन दौरा	16/04/2013	16/04/2013	25
95.	बिमल चन्द्र विधि कॉलेज, कंडी, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	09/04/2013	09/04/2013	28
96.	आदि कवि नान्नया विश्वविद्यालय, राजमुन्दरी, आंध्र प्रदेश के छात्रों का अध्ययन दौरा	04/04/2013	04/04/2013	42
97.	राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद में प्रशिक्षण ले रहे मणिपुर वित्त सेवा के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	02/04/2013	02/04/2013	21
98.	देवी विलासम टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तलावूर, केरल के छात्रों का अध्ययन दौरा	02/04/2013	02/04/2013	55
99.	दिल्ली के कुछ स्कूलों के प्रधानाचार्यों की माननीय लोक सभा अध्यक्ष के साथ भेंट	22/03/2013	22/03/2013	13
100.	दुर्गापुर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	20/03/2013	20/03/2013	52
101.	विद्याज्योति कॉलेज, दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	19/03/2013	19/03/2013	15
102.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय के बीएड के छात्रों का अध्ययन दौरा	14/03/2013	14/03/2013	61
103.	संचार और पत्रकारिता विभाग, पुणे विश्वविद्यालय के छात्रों का अध्ययन दौरा	12/03/2013	12/03/2013	37
104.	डीईएस लॉ कॉलेज, पुणे के छात्रों का अध्ययन दौरा	12/03/2013	12/03/2013	44
105.	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों का अध्ययन दौरा	08/03/2013	08/03/2013	23
106.	रक्षा सेवा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में प्रबोधन प्रशिक्षण में भाग ले रहे कर्नल और समकक्ष पद तक के सेवारत अधिकारियों का अध्ययन दौरा	06/03/2013	06/03/2013	22
107.	एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, पुणे के छात्रों का अध्ययन दौरा	06/03/2013	06/03/2013	39
108.	राजनीति विज्ञान विभाग, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के छात्रों का अध्ययन दौरा	05/03/2013	05/03/2013	40

1	2	3	4	5
109.	गोपालदास झमतमाल आडवाणी विधि कॉलेज, मुंबई के छात्रों का अध्ययन दौरा	01/03/2013	01/03/2013	38
110.	डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन-फार्मल एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जामिया-मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के राजनीति विज्ञान (बीएड प्रशिक्षु) के छात्रों का अध्ययन दौरा	22/02/2013	22/02/2013	50
111.	सुंदर नाथ विधि कॉलेज, पश्चिम बंगाल के विधि छात्रों का अध्ययन दौरा	22/02/2013	22/02/2013	86
112.	छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के छात्रों के एक समूह का अध्ययन दौरा	14/02/2013	14/02/2013	41
113.	गोविन्दराव वंजारी कॉलेज ऑफ लॉ, नागपुर के छात्रों का अध्ययन दौरा	13/02/2013	13/02/2013	29
114.	एमआईटी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्राडकास्टिंग एंड जर्नलिज्म, पुणे के छात्रों का अध्ययन दौरा	12/02/2013	12/02/2013	26
115.	आईएसटीएम, दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे के.स.से. के सहायकों (सीधी भर्ती) का अध्ययन दौरा	08/02/2013	08/02/2013	106
116.	रक्षा सेवा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे सीधी भर्ती सहायकों का अध्ययन दौरा	07/02/2013	07/02/2013	31
117.	छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और ओरछा जिलों की बालिका छात्राओं के एक समूह का अध्ययन दौरा	07/02/2013	07/02/2013	51
118.	कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केरल वैटरीनरी एंड एनीमल साइंसस युनिवर्सिटी, त्रिशूर, केरल के छात्रों का अध्ययन दौरा	06/02/2013	06/02/2013	25
119.	स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के छात्रों का अध्ययन दौरा	05/02/2013	05/02/2013	47
120.	महाराष्ट्र विधान सभा के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	04/02/2013	04/02/2013	7
121.	नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के विभिन्न भागों से भाग ले रहे जनजातीय प्रतिनिधियों का अध्ययन दौरा	29/01/2013	29/01/2013	78
122.	राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों से सम्मानित बच्चों और उनके साथ आए व्यक्तियों का अध्ययन दौरा	24/01/2013	24/01/2013	75
123.	प्रेजीडियम स्कूल, इंदिरापुरम, गाजियाबाद के छात्रों का अध्ययन दौरा	22/01/2013	22/01/2013	109

1	2	3	4	5
124.	छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एनपीईजीईएल योजना के अंतर्गत अध्ययनरत अजा/अजजा वर्ग की बालिका छात्रों का अध्ययन दौरा	17/01/2013	17/01/2013	52
125.	इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एन्वायरमेंट एंड आर्किटेक्चर (आईडीईए), नासिक के छात्रों का अध्ययन दौरा	16/01/2013	16/01/2013	56
126.	त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मदुरई के छात्रों का अध्ययन दौरा	07/01/2013	07/01/2013	77
127.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	03/01/2013	03/01/2013	35
128.	रक्षा सेवा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में प्रबोधन प्रशिक्षण में भाग ले रहे कर्नल और समकक्ष पद के सेवारत अधिकारियों का अध्ययन दौरा	20/12/2012	20/12/2012	13
129.	"अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन" नई दिल्ली के छात्रों और कार्यकर्त्ताओं का अध्ययन दौरा	20/12/2012	20/12/2012	70
130.	दक्षिण मुंबई से छात्रों के एक समूह का अध्ययन दौरा	19/12/2012	19/12/2012	55
131.	सामाजिक कार्य विभाग, सेंट जॉसेफ कॉलेज, बंगलुरू के छात्रों के एक समूह का अध्ययन दौरा	18/12/2012	18/12/2012	24
132.	रोटरी क्लब इंटरनेशनल जिला 3230, चेन्नई के अध्यक्षों और कार्यकर्त्ताओं का दौरा	18/12/2012	18/12/2012	42
133.	जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ से स्वयंसेवकों के एक समूह का अध्ययन दौरा	13/12/2012	13/12/2012	51
134.	रक्षासेवा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे सीधी भर्ती सहायकों का अध्ययन दौरा	07/12/2012	07/12/2012	26
135.	राजनीति विज्ञान विभाग, विद्यासागर विश्वविद्यालय, कोलकाता के छात्रों का अध्ययन दौरा	06/12/2012	06/12/2012	19
136.	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों का अध्ययन दौरा	27/11/2012	27/11/2012	28
137.	एनआईएफएम, फरीदाबाद में प्रबंधन विकास कार्यक्रम में भाग ले रहे कर्नाटक के राज्य लेखा विभाग के परिवीक्षाधीन सहायक नियंत्रकों का अध्ययन दौरा	01/11/2012	01/11/2012	21
138.	यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जेएनयू, नई दिल्ली में प्रबोधन कार्यक्रम में भाग ले रहे अध्यापकों का अध्ययन दौरा	30/10/2012	30/10/2012	26
139.	महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दिल्ली में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के छात्रों का अध्ययन दौरा	26/10/2012	26/10/2012	46

1	2	3	4	5
140.	यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जेएनयू, नई दिल्ली में प्रबोधन कार्यक्रम में भाग ले रहे अध्यापकों का अध्ययन दौरा	23/10/2012	23/10/2012	44
141.	लिटिल फ्लावर हायर सैकेंडरी स्कूल, नागालैंड के छात्रों के एक समूह का अध्ययन दौरा	23/10/2012	23/10/2012	68
142.	क्राइस्ट स्कूल, बंगलुरू के छात्रों का अध्ययन दौरा	23/10/2012	23/10/2012	88
143.	एसी स्कूल, बंगलुरू के छात्रों का अध्ययन दौरा	19/10/2012	19/10/2012	44
144.	सेंट जोंस रीजनल सेमिनारी, रामंथपुर, हैदराबाद के छात्रों का अध्ययन दौरा	16/10/2012	16/10/2012	41
145.	सेंट जोसफ स्कूल, हैदराबाद के छात्रों का अध्ययन दौरा	15/10/2012	15/10/2012	153
146.	एनआईएफएम, फरीदाबाद में प्रबंधन विकास कार्यक्रम में भाग ले रहे कर्नाटक के राज्य लेखा विभाग के परिवीक्षाधीन सहायक नियंत्रकों का अध्ययन दौरा	11/10/2012	11/10/2012	22
147.	"शिक्षा किरण" बैनर के अंतर्गत के रि.पु.ब. का प्रायोजित जम्मू क्षेत्र के छात्रों का अध्ययन दौरा	11/10/2012	11/10/2012	35
148.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के छात्रों के एक समूह का अध्ययन दौरा	11/10/2012	11/10/2012	50
149.	विधि विभाग, बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान, पश्चिम बंगाल के एलएलबी छात्रों के एक समूह का अध्ययन दौरा	10/10/2012	10/10/2012	36
150.	पुस्तकालय विज्ञान विभाग, मिजोरम विश्वविद्यालय के छात्रों का अध्ययन दौरा	03/10/2012	03/10/2012	22
151.	बंगाल विधि कॉलेज, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल के विधि छात्रों का अध्ययन दौरा	28/09/2012	28/09/2012	30
152.	विधि कॉलेज, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	26/09/2012	26/09/2012	38
153.	रक्षा सेवा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे सीधी भर्ती सहायकों का अध्ययन दौरा	25/09/2012	25/09/2012	29
154.	हुगली मोहसिन कॉलेज, हुगली, पश्चिम बंगाल के विधि छात्रों का अध्ययन दौरा	25/09/2012	25/09/2012	44
155.	श्री सरस्वती त्यागराज कॉलेज, तमिलनाडु के छात्रों का अध्ययन दौरा	06/09/2012	06/09/2012	79
156.	तपोवन वात्सल्यधाम स्कूल गांधीनगर, गुजरात के छात्रों का अध्ययन दौरा	05/09/2012	05/09/2012	20

1	2	3	4	5
157.	इंडियन ट्रेडिशंस एंड हैरिटेज सोसाइटी (आईटीआईएचएएएस) के माध्यम से छात्रों और अध्यापकों का अध्ययन दौरा	04/09/2012	04/09/2012	138
158.	भवन विद्या मंदिर पथनमथिट्टा, केरल के छात्रों के एक समूह का अध्ययन दौरा	31/08/2012	31/08/2012	13
159.	दक्षिण पूर्व रेलवे मिक्सड उच्चतर माध्यमिक स्कूल खड़गपुर, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	29/08/2012	29/08/2012	67
160.	"अक्षरम" नई दिल्ली का प्रायोजित विदेशी छात्रों का अध्ययन दौरा	27/08/2012	27/08/2012	10
161.	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, दिल्ली में तिमाही अनुवाद प्रशिक्षण सत्र में भाग ले रहे प्रशिक्षुओं का अध्ययन दौरा	24/08/2012	24/08/2012	25
162.	एसजीवीपी इंटरनेशनल स्कूल, अहमदाबाद, गुजरात के छात्रों का अध्ययन दौरा	21/08/2012	21/08/2012	24
163.	राजेन्द्र अकादमी, भीकनपुर, कांत रोड, मुरादाबाद के छात्रों का अध्ययन दौरा	08/08/2012	08/08/2012	40
164.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे ओडिशा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का अध्ययन दौरा	01/08/2012	01/08/2012	50
165.	राजीव गांधी समकालीन अध्ययन, नई दिल्ली के शोधकर्त्ताओं का अध्ययन दौरा	26/07/2012	26/07/2012	22
166.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में 35वें स्तर "क" प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे उच्च श्रेणी लिपिकों/सहायकों का अध्ययन दौरा	24/07/2012	24/07/2012	39
167.	विद्या ज्योति कॉलेज दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	20/07/2012	20/07/2012	36
168.	"सेव द चिल्ड्रन इंडिया" द्वारा प्रायोजित, बच्चों के एक समूह का अध्ययन दौरा	20/07/2012	20/07/2012	40
169.	रक्षा सेवा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में प्रबोधन कार्यक्रम में भाग ले रहे कर्नल और समकक्ष पद तक के सेवारत अधिकारियों का अध्ययन दौरा	12/07/2012	12/07/2012	17
170.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे ओडिशा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का अध्ययन दौरा	10/07/2012	10/07/2012	52
171.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में उच्च श्रेणी लि. हेतु 34वें स्तर "क" प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	21/06/2012	21/06/2012	42

1	2	3	4	5
172.	रक्षा सेवा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में फाउंडेशन कोर्स में भाग ले रहे सीधी भर्ती सहायकों के एक समूह का अध्ययन दौरा	05/06/2012	05/06/2012	22
173.	न्यू हैप्पी पब्लिक स्कूल, छछरौली रोड, बिलासपुर (यमुना नगर) के छात्रों का अध्ययन दौरा	31/05/2012	31/05/2012	24
174.	नोएडा के निठारी गांव के छात्रों हेतु सक्षम धर्मार्थ न्यास, दिल्ली द्वारा प्रायोजित अध्ययन दौरा	18/05/2012	18/05/2012	30
175.	आंध्र प्रदेश विधानमंडल की नियम समिति के शिष्टमंडल के सदस्यों का अध्ययन दौरा	16/05/2012	16/05/2012	16
176.	अमर ज्योति स्कूल, दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	15/05/2012	15/05/2012	24
177.	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों का अध्ययन दौरा	10/05/2012	10/05/2012	14
178.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में उ.श्रे.लि. हेतु 33वें के.स.से. स्तर "क" प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	08/05/2012	08/05/2012	36
179.	एफआर ऐंजल स्कूल, नोएडा के छात्रों का अध्ययन दौरा	04/05/2012	04/05/2012	61
180.	"एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट", पुणे में "मास्टर्स प्रोग्राम इन गवर्नमेंट" के छात्रों का अध्ययन दौरा	02/05/2012	02/05/2012	16
181.	इंडियन ट्रेडिशंस एंड हैरीटेज सोसाइटी (आईटीआईएचएएएस) के माध्यम से प्रायोजित छात्रों का अध्ययन दौरा	27/04/2012	27/04/2012	123
182.	कर्नाटक विधानमंडल सचिवालय के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	23/04/2012	24/04/2012	12
183.	भारतीय व्यापार सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का अध्ययन दौरा	19/04/2012	19/04/2012	16
184.	यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	18/04/2012	18/04/2012	39
185.	एक्सप्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, दिल्ली के पत्रकारिता के छात्रों का अध्ययन दौरा	13/04/2012	13/04/2012	20
186.	परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई की विभिन्न इकाइयों के प्रशिक्षुओं का अध्ययन दौरा	12/04/2012	12/04/2012	43
187.	यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	11/04/2012	11/04/2012	40

1	2	3	4	5
188.	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रशिक्षुओं का अध्ययन दौरा	30/03/2012	30/03/2012	30
189.	रामलाल आनंद कॉलेज (संध्या, दिल्ली) के छात्रों का अध्ययन दौरा	30/03/2012	30/03/2012	42
190.	देवी विलासम अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, थलावूर, केरल के प्रशिक्षु अध्यापकों का अध्ययन दौरा	29/03/2012	29/03/2012	40
191.	विमल चन्द्र विधि महाविद्यालय, कांडी, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के विधि छात्रों का अध्ययन दौरा	28/03/2012	28/03/2012	37
192.	यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जेएनयू, नई दिल्ली में प्रबोधन कार्यक्रम में भाग लेने वाले अध्यापकों का अध्ययन दौरा	27/03/2012	27/03/2012	30
193.	नोएडा के निठारी गांव के छात्रों हेतु सक्षम चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली का प्रायोजित अध्ययन दौरा	27/03/2012	27/03/2012	34
194.	सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली में अपर श्रेणी लिपिकों हेतु 32वें स्तर 'ए' प्रशिक्षण में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	26/03/2012	26/03/2012	29
195.	अध्यापक प्रशिक्षण और अनौपचारिक शिक्षा विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएड प्रशिक्षुओं का अध्ययन दौरा	22/03/2012	22/03/2012	50
196.	इंडियन ट्रेडिशन्स एंड हेरिटेज सोसाइटी (आईटीआईएचएएएस) के माध्यम से प्रायोजित छात्रों का अध्ययन दौरा	20/03/2012	20/03/2012	41
197.	रक्षा सेवा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में एक प्रबोधन कार्यक्रम में भाग ले रहे कर्नल और समकक्ष पदों तक के सेवारत अधिकारियों का अध्ययन दौरा	15/03/2012	15/03/2012	22
198.	डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के छात्रों का अध्ययन दौरा	15/03/2012	15/03/2012	33
199.	डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, पुणे विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र के छात्रों का अध्ययन दौरा (15 मार्च, 2012)	15/03/2012	15/03/2012	34
200.	बैपटिस्ट कान्वेन्ट स्कूल, पटपड़गंज, दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	09/03/2012	09/03/2012	40
201.	विधि विभाग, हुगली मोहसिन महाविद्यालय, हुगली, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	07/03/2012	07/03/2012	50
202.	जी.जे. आडवाणी विधि महाविद्यालय, मुंबई के एल.एल.बी. छात्रों का अध्ययन दौरा	29/02/2012	29/02/2012	23

1	2	3	4	5
203.	डीईएस विधि महाविद्यालय, पुणे के छात्रों का अध्ययन दौरा	29/02/2012	29/02/2012	27
204.	राजनीति विज्ञान विभाग, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के छात्रों का अध्ययन दौरा	24/02/2012	24/02/2012	27
205.	बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान, पश्चिम बंगाल के विधि छात्रों का अध्ययन दौरा	23/02/2012	23/02/2012	37
206.	सेंट फिलोमेना नर्सिंग कॉलेज, बैंगलोर के छात्रों का अध्ययन दौरा	21/02/2012	21/02/2012	33
207.	राजनीति विज्ञान विभाग, आरटीएम, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर के छात्रों का अध्ययन दौरा	16/02/2012	16/02/2012	43
208.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में फाउन्डेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों का अध्ययन दौरा	15/02/2012	15/02/2012	123
209.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में फाउन्डेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों का अध्ययन दौरा	14/02/2012	14/02/2012	125
210.	राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा प्रायोजित 'आपरेशन सद्भावना' के अंतर्गत कस्बा नगम, जम्मू और कश्मीर के छात्रों का अध्ययन दौरा	10/02/2012	10/02/2012	47
211.	विधि विभाग, बर्दवान विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	09/02/2012	09/02/2012	47
212.	सुरेन्द्रनाथ विधि महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	07/02/2012	07/02/2012	45
213.	सेट जॉन नर्सिंग महाविद्यालय, बैंगलोर के छात्रों का अध्ययन दौरा	07/02/2012	07/02/2012	70
214.	अदितनार कला और विज्ञान महाविद्यालय, विरापंडियनपट्नम, तमिलनाडु के छात्रों का अध्ययन दौरा	06/02/2012	06/02/2012	21
215.	कर्नाटक की महिला निगम पार्षदों का अध्ययन दौरा	02/02/2012	02/02/2012	16
216.	के.सी. विधि महाविद्यालय, मुंबई के छात्रों का अध्ययन दौरा	02/02/2012	02/02/2012	40
217.	स्कूल ऑफ कम्यूनिकेशन स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के छात्रों का अध्ययन दौरा	31/01/2012	31/01/2012	47
218.	सिविक एक्शन प्रोग्राम के भाग के रूप में आईटीबीपी का प्रायोजित शैक्षणिक भ्रमण दौरे के अंतर्गत सिक्किम के छात्रों का अध्ययन दौरा	27/01/2012	27/01/2012	22

1	2	3	4	5
219.	नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोहों में भाग ले रहे जनजातीय प्रतिनिधियों का अध्ययन दौरा	25/01/2012	25/01/2012	70
220.	सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली में अपर श्रेणी लिपिकों हेतु 31वें स्तर 'ए' प्रशिक्षण में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	23/01/2012	23/01/2012	35
221.	श्री दिगम्बर महिला आश्रम, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	22/12/2011	22/12/2011	27
222.	इंडियन ट्रेडिशन्स एंड हेरिटेज सोसाइटी (आईटीआईएचएएएस) के माध्यम से स्कूल छात्रों का अध्ययन दौरा	22/12/2011	22/12/2011	75
223.	आरडी राजपाल पब्लिक स्कूल, द्वारका, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	16/12/2011	16/12/2011	47
224.	प्रनबनंदन महिला महाविद्यालय, दीमापुर, नागालैंड के छात्रों का अध्ययन दौरा	14/12/2011	14/12/2011	60
225.	मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद के बीजेएमसी के छात्रों का अध्ययन दौरा	13/12/2011	13/12/2011	25
226.	शिक्षा संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय के बीएड के छात्रों का अध्ययन दौरा	09/12/2011	09/12/2011	62
227.	दक्षिण मुंबई के छात्रों के एक समूह का अध्ययन दौरा	08/12/2011	08/12/2011	41
228.	सर्वदलीय मानव विकास केंद्र, बहोज, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के छात्रों का अध्ययन दौरा	07/12/2011	07/12/2011	95
229.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे सीएसएस लेवल "ए" सहायकों का अध्ययन दौरा	02/12/2011	02/12/2011	38
230.	राजनीति विभाग, गोवा विश्वविद्यालय, गोवा के छात्रों का अध्ययन दौरा	28/11/2011	28/11/2011	20
231.	मंत्रालय और विधि मंडल वरतहर संघ, मुंबई, महाराष्ट्र के पत्रकारों का अध्ययन दौरा	24/11/2011	25/11/2011	20
232.	यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जेएनयू, नई दिल्ली में प्रबोधन कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	23/11/2011	23/11/2011	47
233.	सरकारी विद्यालय, ममरिंग, पूर्वी जिला सिक्किम के छात्रों के समूह का अध्ययन दौरा	18/11/2011	18/11/2011	34
234.	जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन, नोएडा के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	17/11/2011	17/11/2011	20

1	2	3	4	5
235.	एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल, मयूर विहार, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	08/11/2011	08/11/2011	20
236.	साइंस, मिजोरम विश्वविद्यालय के ग्रंथालय और सूचना विज्ञान विभाग के छात्रों का अध्ययन दौरा	04/11/2011	04/11/2011	20
237.	महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दिल्ली के बीजे (एमसा) के संकाय और छात्रों का अध्ययन दौरा	04/11/2011	04/11/2011	55
238.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में अपर श्रेणी लिपिकों हेतु 29वें स्तर 'ए' प्रशिक्षण में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	27/10/2011	27/10/2011	27
239.	यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जेएनयू, नई दिल्ली में प्रबोधन कार्यक्रम में भाग ले रहे अध्यापकों का अध्ययन दौरा	19/10/2011	19/10/2011	34
240.	सेंट जोन्स रीजनल सेमीनरी, हैदराबाद के छात्रों का अध्ययन दौरा	17/10/2011	17/10/2011	20
241.	एमआईटी प्रसारण और पत्रकारिता अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय, पुणे के छात्रों का अध्ययन दौरा	13/10/2011	13/10/2011	28
242.	इंडियन ट्रेडिशन्स एंड हेरीटेज सोसाइटी (आईटीआईएचएएएस) के माध्यम से मुंबई के एक विद्यालय के छात्रों और अध्यापकों छात्रों का अध्ययन दौरा	07/10/2011	07/10/2011	96
243.	दुर्गापुर विधि महाविद्यालय, बर्दवान, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	28/09/2011	28/09/2011	76
244.	बंगाल विधि महाविद्यालय, शान्ति निकेतन, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	23/09/2011	23/09/2011	33
245.	आईएसटीएम नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे के.स.से. के 'ए' स्तर सहायकों का अध्ययन दौरा	22/09/2011	22/09/2011	34
246.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सीधे भर्ती हुए सहायकों का अध्ययन दौरा	20/09/2011	20/09/2011	90
247.	कार्मेल कान्वेंट स्कूल, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	07/09/2011	07/09/2011	57
248.	लंकास्टर यूनिवर्सिटी, यूके और जीडी गोयंका वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, गुड़गांव के छात्रों का अध्ययन दौरा	06/09/2011	06/09/2011	34
249.	मारवाड़ी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	02/09/2011	02/09/2011	107
250.	मंत्रालय और विधि मंडल वरतहर संघ, मुंबई के पत्रकारों का अध्ययन दौरा	01/09/2011	02/09/2011	14

1	2	3	4	5
251.	अक्षरम, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित विदेशी छात्रों का अध्ययन दौरा	26/08/2011	26/08/2011	14
252.	कार्मेल कान्वेंट स्कूल, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	24/08/2011	24/08/2011	50
253.	श्रीमती गिंडोरी देवी रायल स्कूल, रोहतक, हरियाणा के छात्रों का अध्ययन दौरा	23/08/2011	23/08/2011	72
254.	छत्तीसगढ़ के छात्रों का अध्ययन दौरा	17/08/2011	17/08/2011	62
255.	ठाणे जिला परिषद् महाराष्ट्र के सदस्यों का अध्ययन दौरा	17/08/2011	17/08/2011	62
256.	"स्पर्श", दिल्ली के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों और प्रेजिडियम स्कूल के छात्रों का अध्ययन दौरा	12/08/2011	12/08/2011	32
257.	सैफ्रन पब्लिक स्कूल, फगवाडा, पंजाब के छात्रों का अध्ययन दौरा	12/08/2011	12/08/2011	50
258.	नेशनल डिफेंस कॉलेज, दिल्ली से भारतीय सशस्त्र बलों के ब्रिगेडियर और समकक्षों का अध्ययन दौरा	11/08/2011	11/08/2011	112
259.	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	02/08/2011	02/08/2011	21
260.	रक्षा सेवा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के कर्नल और समकक्ष पदों तक सेवारत अधिकारियों का अध्ययन दौरा	28/07/2011	28/07/2011	16
261.	हल्दिया विधि महाविद्यालय, हल्दिया, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	27/07/2011	27/07/2011	15
262.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में सीएसएस स्तर 'ए' प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	27/07/2011	27/07/2011	31
263.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के प्रशिक्षु अधिवक्ताओं का अध्ययन दौरा	21/07/2011	21/07/2011	95
264.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सीधी भर्ती के नियुक्त सहायक प्रशिक्षुओं का अध्ययन दौरा	05/07/2011	05/07/2011	85
265.	डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्यूनिकेशन साइंस, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर, महाराष्ट्र के छात्रों का अध्ययन दौरा	29/06/2011	29/06/2011	23
266.	महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दिल्ली और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली के संकाय सदस्यों का अध्ययन दौरा	28/06/2011	28/06/2011	42
267.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में प्रशिक्षणरत स्तर 'ए' यूडीसी/सहायक प्रशिक्षुओं का अध्ययन दौरा	16/06/2011	16/06/2011	40

1	2	3	4	5
268.	उडेवि विद्यालय और ऐक्यम विद्यालय, आरविल, तमिलनाडु के छात्रों का अध्ययन दौरा	09/05/2011	09/05/2011	42
269.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में प्रशिक्षणरत अपर श्रेणी लिपिकों का अध्ययन दौरा	03/05/2011	03/05/2011	26
270.	यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जेएनयू नई दिल्ली में राजनीति विज्ञान में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्राप्त कर रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	25/04/2011	25/04/2011	35
271.	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली, में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	19/04/2011	19/04/2011	21
272.	यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जेएनयू, में एक पाठ्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	18/04/2011	18/04/2011	38
273.	देवी विलासम टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, थलावूर, केरल के प्रशिक्षु अध्यापकों का अध्ययन दौरा	07/04/2011	07/04/2011	49
274.	विमल चन्द्र विधि महाविद्यालय, मुर्शिदाबाद, के छात्रों का अध्ययन दौरा	01/04/2011	01/04/2011	30
275.	राजभाषा विभाग, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली में प्रशिक्षणरत अधिकारियों का अध्ययन दौरा	25/03/2011	25/03/2011	14
276.	वाईएमसीए, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	24/03/2011	24/03/2011	47
277.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	22/03/2011	22/03/2011	37
278.	वाईएमसीए, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	22/03/2011	22/03/2011	49
279.	टाइम्स स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के छात्रों का अध्ययन दौरा	18/03/2011	18/03/2011	24
280.	इतिहास विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय के छात्रों का अध्ययन दौरा	17/03/2011	17/03/2011	16
281.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में आईओएससीओ स्थायी समिति 1 बैठक में भाग ले रहे विभिन्न क्षेत्राधिकारों के सिक्यूरिटीज मार्केट रेग्यूलेटर्स के वरिष्ठ अधिकारियों का अध्ययन दौरा	17/03/2011	17/03/2011	18
282.	गुरू हरिकिशन मॉडल स्कूल, निहाल विहार, नई दिल्ली, के छात्रों का अध्ययन दौरा	17/03/2011	17/03/2011	36
283.	एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जेएनयू, नई दिल्ली, के प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	17/03/2011	17/03/2011	40

1	2	3	4	5
284.	छत्तीसगढ़ की महिला सरपंचों और पंचायत सचिवों का अध्ययन दौरा	15/03/2011	15/03/2011	53
285.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में एंट्री लेवल कोर्स (एएफएचक्यू) में भाग ले रहे सहायकों का अध्ययन दौरा	11/03/2011	11/03/2011	32
286.	डिपार्टमेंट ऑफ कम्यूनिकेशन एंड जर्नलिज्म, पुणे विश्वविद्यालय के छात्रों का अध्ययन दौरा	10/03/2011	10/03/2011	34
287.	जीवन ज्योति जिला समाख्या, करीमनगर, आंध्र प्रदेश के सदस्यों का अध्ययन दौरा	10/03/2011	10/03/2011	44
288.	श्याम लाल महाविद्यालय (सायंकालीन), दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	09/03/2011	09/03/2011	79
289.	इंडियन ट्रेडिशन्स एंड हेरिटेज सोसाइटी (आईटीआईएचएएएस), नई दिल्ली के तत्वाधान में श्रीराम स्कूल, गुड़गांव, के छात्रों का अध्ययन दौरा	08/03/2011	08/03/2011	128
290.	एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेन्ट, पुणे के छात्रों का अध्ययन दौरा	07/03/2011	07/03/2011	31
291.	डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, आदिकवि नान्नया विश्वविद्यालय, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश के छात्रों का अध्ययन दौरा	04/03/2011	04/03/2011	39
292.	सिविक सोसाइटी एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का अध्ययन दौरा	03/03/2011	03/03/2011	51
293.	दुर्गापुर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के विधि छात्रों का अध्ययन दौरा	25/02/2011	25/02/2011	35
294.	एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जेएनयू, नई दिल्ली में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग ले रहे अध्यापकों का अध्ययन दौरा	24/02/2011	24/02/2011	19
295.	राजनीति विज्ञान विभाग, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के छात्रों का अध्ययन दौरा	24/02/2011	24/02/2011	27
296.	डीएचटीआई, नई दिल्ली, में प्रबोधन कार्यक्रम में भाग ले रहे कर्नल और समकक्ष रैंक तक के सेवारत अधिकारियों का अध्ययन दौरा	24/02/2011	24/02/2011	60
297.	मीडिया रिसर्च सेंटर, कश्मीर विश्वविद्यालय, के छात्रों का अध्ययन दौरा	23/02/2011	23/02/2011	32
298.	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के प्रशिक्षुओं का अध्ययन दौरा	22/02/2011	22/02/2011	42
299.	डीईएस विधि महाविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय के छात्रों का अध्ययन दौरा	21/02/2011	21/02/2011	33

1	2	3	4	5
300.	सुरेन्द्रनाथ विधि महाविद्यालय, कोलकाता के विधि के छात्रों का अध्ययन दौरा	18/02/2011	18/02/2011	102
301.	कर्नाटक की महिला निगम पार्षदों का अध्ययन दौरा	03/02/2011	03/02/2011	18
302.	राजनीति विज्ञान विभाग, आरटीएम, नागपुर विश्वविद्यालय के छात्रों का अध्ययन दौरा	02/02/2011	02/02/2011	46
303.	स्कूल ऑफ कम्यूनिकेशन स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के छात्रों का अध्ययन दौरा	31/01/2011	31/01/2011	51
304.	ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत भारतीय सेना द्वारा आयोजित दक्षिण कश्मीर के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों का अध्ययन दौरा	28/01/2011	28/01/2011	37
305.	नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोहों में भाग ले रहे जनजातीय अतिथियों का अध्ययन दौरा	25/01/2011	25/01/2011	72
306.	पाथवेज स्कूल, गुड़गांव के छात्रों का अध्ययन दौरा	20/01/2011	20/01/2011	7
307.	सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महरौली, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	18/01/2011	18/01/2011	120
308.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में प्रशिक्षणरत सीएसएस के सीधी भर्ती के सहायकों का अध्ययन दौरा	23/12/2010	23/12/2010	17
309.	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के प्रशिक्षुओं का अध्ययन दौरा	22/12/2010	22/12/2010	17
310.	स्प्रिंगडेल्स स्कूल, पूसा रोड, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	21/12/2010	21/12/2010	172
311.	स्प्रिंगडेल्स स्कूल, पूसा रोड, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	16/12/2010	16/12/2010	83
312.	लवली पब्लिक स्कूल, दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	15/12/2010	15/12/2010	40
313.	एच.सी. ऑक्सिलियम स्कूल, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	15/12/2010	15/12/2010	47
314.	बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन प्रोग्राम (बीजेएमसी), महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	15/12/2010	15/12/2010	53
315.	स्प्रिंगडेल्स स्कूल, पूसा रोड, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	15/12/2010	15/12/2010	81

1	2	3	4	5
316.	राजस्थान विश्वविद्यालय के निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों का अध्ययन दौरा	09/12/2010	09/12/2010	39
317.	मुंबई विधि महाविद्यालय, मुंबई के छात्रों का अध्ययन दौरा	07/12/2010	07/12/2010	26
318.	प्रेजीडियम स्कूल, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	06/12/2010	06/12/2010	28
319.	दक्षिण मुंबई के छात्रों के एक समूह का अध्ययन दौरा	06/12/2010	06/12/2010	37
320.	अमर ज्योति स्कूल, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	03/12/2010	03/12/2010	23
321.	बीसीएम आर्य मॉडल स्कूल, लुधियाना, पंजाब के छात्रों का अध्ययन दौरा	01/12/2010	01/12/2010	45
322.	इंडियन ट्रेडिशन्स एंड हेरिटेज सोसाइटी (आईटीआईएचएएएस), नई दिल्ली के माध्यम से छात्रों और अध्यापकों का अध्ययन दौरा	26/11/2010	26/11/2010	79
323.	आईएसटीएम, नई दिल्ली, में अपर श्रेणी लिपिकों हेतु 24वें स्तर 'ए' प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	25/11/2010	25/11/2010	36
324.	दिल्ली चैप्टर ऑफ दि एंटरप्रीन्यूर्स आर्गेनाइज़ेशन के युवा उद्यमियों के एक समूह का अध्ययन दौरा	24/11/2010	24/11/2010	32
325.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विद्यालयों के छात्रों का अध्ययन दौरा	19/11/2010	19/11/2010	16
326.	शिखर, एनजीओ, जामियानगर की बालिकाओं और स्वयंसेवकों का अध्ययन दौरा	15/11/2010	15/11/2010	30
327.	विधि महाविद्यालय, बर्दवान, पश्चिम बंगाल के विधि छात्रों का अध्ययन दौरा	12/11/2010	12/11/2010	21
328.	सेंट जोसेफ हाई स्कूल, मटियापुरम, कडप्पा, आंध्र प्रदेश के छात्रों का अध्ययन दौरा	09/11/2010	09/11/2010	44
329.	कार्मेल कान्वेंट स्कूल, दिल्ली के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत एक जर्मन विद्यालय के छात्रों का अध्ययन दौरा	02/11/2010	02/11/2010	36
330.	एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत एक जर्मन विद्यालय के छात्रों का अध्ययन दौरा	29/10/2010	29/10/2010	25
331.	एमआईटी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड जर्नलिज्म, पुणे के द्वितीय बैच का अध्ययन दौरा	29/10/2010	29/10/2010	38

1	2	3	4	5
332.	आईएसटीएम, नई दिल्ली, में सहायकों हेतु फाउन्डेशनल प्रशिक्षण में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	28/10/2010	28/10/2010	17
333.	परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न इकाइयों के अपर श्रेणी लिपिकों का अध्ययन दौरा	26/10/2010	26/10/2010	45
334.	सेंट जोंस सेमिनरी, रामंथपुर, हैदराबाद के छात्रों का अध्ययन दौरा	18/10/2010	18/10/2010	32
335.	टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर दि ब्लाइंड एंड ऑर्थोपीडिकली हैंडीकैप्पड, पूनामल्ली, चेन्नई के प्रशिक्षु अध्यापकों का अध्ययन दौरा	13/10/2010	13/10/2010	44
336.	बर्दवान विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विधि छात्रों का अध्ययन दौरा	16/09/2010	16/09/2010	45
337.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में प्रशिक्षणरत सहायकों का अध्ययन दौरा	07/09/2010	07/09/2010	40
338.	राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	31/08/2010	31/08/2010	105
339.	श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, नई दिल्ली के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	31/08/2010	31/08/2010	45
340.	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में तिमाही अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	26/08/2010	26/08/2010	16
341.	एमजीडी स्कूल, जयपुर के छात्रों का अध्ययन दौरा	26/08/2010	26/08/2010	21
342.	महाराष्ट्र सचिवालय के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	26/08/2010	27/08/2010	22
343.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में अपर श्रेणी लिपिकों हेतु 23वें स्तर 'ए' प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	25/08/2010	25/08/2010	40
344.	"दि अक्षरम", दिल्ली के विदेशी छात्रों का अध्ययन दौरा	19/08/2010	19/08/2010	9
345.	एपीजे स्कूल, पीतमपुरा, दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	18/08/2010	18/08/2010	34
346.	पत्रकारिता विभाग, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	17/08/2010	17/08/2010	30
347.	विधि विभाग, मोहसिन कॉलेज, हुगली, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	17/08/2010	17/08/2010	57
348.	भगत फूल सिंह, महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा के छात्रों का अध्ययन दौरा	11/08/2010	11/08/2010	39

1	2	3	4	5
349.	नार्थ ईस्ट पुलिस अकादमी, मेघालय के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों का अध्ययन दौरा	06/08/2010	08/08/2010	186
350.	बाबू जगजीवन राम पब्लिक स्कूल, सुल्तानपुरी, दिल्ली और बाबू जगजीवन राम पब्लिक स्कूल, अलवर, राजस्थान के छात्रों का अध्ययन दौरा	06/08/2010	06/08/2010	37
351.	डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्यूनिकेशन साईंस, शिवाजी कॉलेज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के छात्रों का अध्ययन दौरा	30/07/2010	30/07/2010	35
352.	रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में एक प्रबोधन कार्यक्रम में भाग ले रहे कर्नल तथा समकक्ष स्तर तक के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों का अध्ययन दौरा	29/07/2010	29/07/2010	27
353.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में अपर श्रेणी लिपिकों हेतु स्तर 'ए' प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	27/07/2010	27/07/2010	35
354.	सैफ्रन पब्लिक स्कूल, फगवाड़ा, पंजाब के छात्रों का अध्ययन दौरा	21/07/2010	21/07/2010	15
355.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में अपर श्रेणी लिपिकों हेतु स्तर 'ए' प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	29/06/2010	29/06/2010	26
356.	आईएसटीएम नई दिल्ली के सीधी भर्ती का नियुक्त सहायकों का अध्ययन दौरा	18/06/2010	18/06/2010	37
357.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में अपर श्रेणी लिपिकों हेतु 20वें स्तर 'ए' प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	17/05/2010	17/05/2010	34
358.	उदैवि जेन्टिलेसी मेट्रिकुलेशन स्कूल, तमिलनाडु के छात्रों का अध्ययन दौरा	10/05/2010	10/05/2010	31
359.	विमल चन्द्र विधि महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	07/05/2010	07/05/2010	54
360.	स्कालर्स पब्लिक स्कूल, राजपुरा, पंजाब के छात्रों का अध्ययन दौरा	06/05/2010	06/05/2010	54
361.	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, दिल्ली में प्रशिक्षण प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	05/05/2010	05/05/2010	21
362.	ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ दि डैफ के छात्रों तथा कर्मचारीगण का अध्ययन दौरा	05/05/2010	05/05/2010	40
363.	छत्तीसगढ़ के स्कूली छात्रों तथा अधिकारियों/अध्यापकों का अध्ययन दौरा	05/05/2010	05/05/2010	58

1	2	3	4	5
364.	बिशप सार्जेंट अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, तमिलनाडु के छात्रों का अध्ययन दौरा	23/04/2010	23/04/2010	97
365.	कर्नाटक की महिला निगम पार्षदों के एक शिष्टमंडल का अध्ययन दौरा	25/03/2010	25/03/2010	19
366.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में 154वें सहायक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग ले रहे सहायकों का अध्ययन दौरा	25/03/2010	25/03/2010	28
367.	विधि महाविद्यालय, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अध्ययन दौरा	19/03/2010	19/03/2010	68
368.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में अपर श्रेणी लिपिकों हेतु 19वें स्तर 'ए' कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	18/03/2010	18/03/2010	27
369.	नामदार गोपाल गोखले स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नासिक, महाराष्ट्र के छात्रों का अध्ययन दौरा	11/03/2010	11/03/2010	36
370.	एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, पुणे के छात्रों का अध्ययन दौरा	10/03/2010	10/03/2010	28
371.	राजनीति विज्ञान विभाग, शिवाजी विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र के छात्रों का अध्ययन दौरा	03/03/2010	03/03/2010	19
372.	डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, पुणे विश्वविद्यालय के छात्रों का अध्ययन दौरा	03/03/2010	03/03/2010	28
373.	गवर्नमेंट सीनियर सेकेंड्री स्कूल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा के छात्रों का अध्ययन दौरा	02/03/2010	02/03/2010	68
374.	गोपालदास झमटमल आडवाणी विधि महाविद्यालय, बांद्रा, मुंबई के छात्रों का अध्ययन दौरा	23/02/2010	23/02/2010	52
375.	देवी विलासम अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, थलावूर, केरल के प्रशिक्षु अध्यापकों का अध्ययन दौरा	18/02/2010	18/02/2010	60
376.	सुरेन्द्रनाथ विधि महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विधि छात्रों का अध्ययन दौरा	17/02/2010	17/02/2010	110
377.	रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली के कर्नल तथा समकक्ष पदों तक सेवारत अधिकारियों का अध्ययन दौरा	16/02/2010	16/02/2010	14
378.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में प्रशिक्षणरत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों का अध्ययन दौरा	11/02/2010	11/02/2010	33
379.	बर्दवान विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विधि छात्रों का अध्ययन दौरा	10/02/2010	10/02/2010	42

1	2	3	4	5
380.	जी.डी. सलवान पब्लिक स्कूल, राजेन्द्र नगर, दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	08/02/2010	08/02/2010	60
381.	आईएसटीएम, नई दिल्ली, में उच्च श्रेणी लिपिकों हेतु 18वें स्तर 'ए' प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	01/02/2010	01/02/2010	63
382.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली में वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों हेतु 9वें फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	15/01/2010	15/01/2010	25
383.	सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम, नई दिल्ली में उच्च श्रेणी लिपिकों हेतु 17वें स्तर 'ए' प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	07/01/2010	07/01/2010	30
384.	एन.बी. ठाकुर विधि महाविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे के छात्रों का अध्ययन दौरा	04/01/2010	04/01/2010	60
385.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के छात्रों का अध्ययन दौरा	24/12/2009	24/12/2009	44
386.	उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, उमाविनवर, जलगांव के छात्रों का अध्ययन दौरा	22/12/2009	22/12/2009	30
387.	हेब्रॉन स्कूल, ऊटी, के छात्रों का अध्ययन दौरा	18/12/2009	18/12/2009	40
388.	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के प्रतिभागियों का अध्ययन दौरा	11/12/2009	11/12/2009	22
389.	दक्षिण मुंबई के छात्रों का अध्ययन दौरा	10/12/2009	10/12/2009	35
390.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का अध्ययन दौरा	09/12/2009	09/12/2009	44
391.	संत कबीर स्कूल, हिसार, हरियाणा के छात्रों का अध्ययन दौरा	03/12/2009	03/12/2009	40
392.	डीटीईए सीनियर सेकेंड्री स्कूल, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली के छात्रों का अध्ययन दौरा	26/11/2009	26/11/2009	73
393.	सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के एम. फिल./पीएच.डी. के छात्रों का अध्ययन दौरा	23/11/2009	23/11/2009	33
394.	सेंट जोंस रीजनल सेमिनरी, हैदराबाद के छात्रों का अध्ययन दौरा	19/10/2009	19/10/2009	27
395.	राजगिरि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कलामासरी, केरल के विद्यार्थियों का अध्ययन दौरा	29/09/2009	29/09/2009	90
396.	जीसस एंड मैरी महाविद्यालय, नई दिल्ली के विद्यार्थियों का अध्ययन दौरा	22/09/2009	22/09/2009	110

1	2	3	4	5
397.	बंगाल विधि महाविद्यालय, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल के विद्यार्थियों का अध्ययन दौरा	02/09/2009	02/09/2009	19
398.	हुगली मोहसिन महाविद्यालय, हुगली के विद्यार्थियों का अध्ययन दौरा	07/08/2009	07/08/2009	62
399.	मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के सैन्य अधिकारियों का अध्ययन दौरा	06/08/2009	06/08/2009	22
400.	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के प्रशिक्षुओं का अध्ययन दौरा	04/08/2009	04/08/2009	13
401.	राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सैन्य अधिकारियों का अध्ययन दौरा	31/07/2009	31/07/2009	125
402.	बी.सी.एम. आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लुधियाना, पंजाब के विद्यार्थियों का अध्ययन दौरा	29/07/2009	29/07/2009	55
403.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर के जनसंचार के विद्यार्थियों का का अध्ययन दौरा	14/07/2009	14/07/2009	42
404.	राज्य महिला विश्वविद्यालय, कर्नाटक के पत्रकारिता एवं जनसंचार के विद्यार्थियों का अध्ययन दौरा	03/07/2009	03/07/2009	21
405.	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रशिक्षुओं का अध्ययन दौरा	08/06/2009	08/06/2009	27
406.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में स्तर 'क' के 15वें प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रवर श्रेणी लिपिकों के लिए अध्ययन दौरा	27/05/2009	27/05/2009	24
नौ.	**विदेशी संसदीय अधिकारियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम**			
क.	**संसदीय इन्टर्नशिप कार्यक्रम**			
1.	विदेशी संसदीय अधिकारियों हेतु 29वां संसदीय इन्टर्नशिप कार्यक्रम	07/11/2013	06/12/2013	56
2.	विदेशी संसदीय अधिकारियों हेतु 28वां संसदीय इन्टर्नशिप कार्यक्रम	01/11/2012	30/11/2012	45
3.	विदेशी संसदीय अधिकारियों हेतु 27वां संसदीय इन्टर्नशिप कार्यक्रम	02/11/2011	02/12/2011	45
4.	विदेशी संसदीय अधिकारियों हेतु 26वां संसदीय इन्टर्नशिप कार्यक्रम	03/11/2010	03/12/2010	46
5.	विदेशी संसदीय अधिकारियों हेतु 25वां संसदीय इन्टर्नशिप कार्यक्रम	04/11/2009	04/12/2009	53
ख.	**विधायी प्रारूपण में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम**			
1.	विधायी प्रारूपण में 29वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	13/02/2014	14/03/2014	47

1	2	3	4	5
2.	विधायी प्रारूपण में 28वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	14/02/2013	15/03/2013	54
3.	विधायी प्रारूपण में 27वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	16/02/2012	17/03/2012	46
4.	विधायी प्रारूपण में 26वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	11/01/2011	11/02/2011	54
5.	विधायी प्रारूपण में 25वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	12/01/2010	12/02/2010	53
ग.	**विदेशी संसदीय अधिकारियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम**			
1.	स्पैनिश बोलने वाले देशों के विदेशी संसदीय अधिकारियों हेतु संसदीय प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम	16/09/2013	27/09/2013	11
2.	अरबी बोलने वाले देशों के विदेशी संसदीय अधिकारियों हेतु संसदीय प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम	15/04/2013	26/04/2013	18
घ.	**विदेशों के संसदीय अधिकारियों हेतु सहयोजन कार्यक्रम**			
1.	अफगानिस्तानी संसद के अधिकारियों हेतु संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम	24/03/2014	28/03/2014	72
2.	म्यांमार की संसद के अधिकारियों हेतु संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम	17/09/2012	21/09/2012	10
3.	म्यांमार की संसद के अधिकारियों हेतु संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम	11/06/2012	15/06/2012	20
4.	केन्या की नेशनल असेम्बली के अधिकारियों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	18/07/2011	29/07/2011	6
दस.	**विधायी प्रारूपण में राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम**			
	भारत सरकार, राज्य सरकारों और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों हेतु विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण कार्यक्रम	14/01/2013	24/01/2013	24
ग्यारह.	**लोक सभा इन्टर्नशिप कार्यक्रम**			
1.	लोक सभा इन्टर्नशिप कार्यक्रम, 2011	दिसम्बर, 2011	अप्रैल, 2013	5
2.	लोक सभा इन्टर्नशिप कार्यक्रम, 2010	जुलाई, 2010	मार्च, 2012	4
3.	लोक सभा इन्टर्नशिप कार्यक्रम, 2009	फरवरी, 2009	जनवरी, 2010	5
4.	लोक सभा इन्टर्नशिप कार्यक्रम, 2008	फरवरी, 2008	जनवरी, 2009	5

1	2	3	4	5
बारह.	**प्रो. हीरेन मुखर्जी स्मृति वार्षिक संसदीय व्याख्यान**			
1.	"परम राष्ट्रीय सुख : सतत् कल्याण का समग्र प्रतिमान" विषय पर भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम ल्योन्छेन जिग्मी वाई. थिनले द्वारा चौथा प्रो. हीरेन मुखर्जी स्मृति वार्षिक संसदीय व्याख्यान	20/12/2011	20/12/2011	1000
2.	"भारत के सुधार: कल और आज" विषय पर प्रो. जगदीश भगवती द्वारा तृतीय प्रो. हीरेन मुखर्जी स्मृति वार्षिक संसदीय व्याख्यान	02/12/2010	02/12/2010	
3.	प्रो. मुहम्मद यूनुस द्वारा "सामाजिक कारबार: नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सृजित करने की दिशा में एक कदम" विषय पर द्वितीय प्रो. हीरेन मुखर्जी स्मृति वार्षिक संसदीय व्याख्यान	09/12/2009	09/12/2009	
4.	"सामाजिक न्याय की मांग" विषय पर नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन द्वारा प्रो. हीरेन मुखर्जी स्मृति वार्षिक संसदीय उद्घाटन व्याख्यान	11/08/2008	11/08/2008	
तेरह.	**संसद सदस्यों हेतु व्याख्यान शृंखला**			
1.	डॉ. संतोष मेहरोत्रा, महानिदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपॉवर रिसर्च, दिल्ली द्वारा "भारत की मानव विकास रिपोर्ट, 2011: सामाजिक समावेश की ओर"	26/04/2012	26/04/2012	85
2.	जन सूचना, अवसंरचना और नवाचारों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री सैम पित्रोदा द्वारा "जन सूचना, अवसंरचना और नवाचारों के माध्यम से भारत का सशक्तीकरण"	23/03/2011	23/03/2011	
3.	प्रोफेसर, सी.आर. राव, ख्याति प्राप्त प्रोफेसर अवकाश प्राप्त और सलाहकार, सीआरआरएआईएमएससीएस द्वारा "नियति से मिलन: स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय लोगों के जीवन की प्रगति"	23/11/2010	23/11/2010	
4.	श्री नन्दन निलेकणी, अध्यक्ष, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा "विशिष्ट पहचान परियोजना – मुद्दे और चुनौतियां"	16/12/2009	16/12/2009	
5.	डॉ. सी. रंगराजन, संसद सदस्य द्वारा "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट और इसका भारत पर प्रभाव"	06/08/2009	06/08/2009	
6.	प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन, संसद सदस्य द्वारा "जलवायु परिवर्तन के युग में मानसून प्रबंधन और कृषि में प्रगति"	28/07/2009	28/07/2009	
7.	श्री शिवशंकर मेनन, विदेश सचिव द्वारा "भारत की विदेश नीति: चुनौतियां और अवसर"	21/07/2009	21/07/2009	
चौदह.	**विदेश में प्रशिक्षण हेतु नामनिर्देशन**			
1.	आरआईपीए इंटरनेशनल, लंदन में "संसदीय प्रशासन: ब्रिटिश संसद के प्रति बेंचमार्किंग" प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की भागीदारी	04/11/2013	15/11/2013	12

1	2	3	4	5
2.	एनएआरएस, सीओल द्वारा आयोजित अनुसंधान सेवाओं पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की भागीदारी	31/10/2013	02/11/2013	1
3.	लोक सभा अधिकारियों द्वारा नाइपाइडा, म्यांमार में म्यांमार की संसद के अधिकारियों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम	24/10/2013	30/10/2013	2
4.	संसदीय विकास कार्यकर्ताओं की बैठक, अंतर्संसदीय संघ, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की भागीदारी	10/10/2013	12/10/2013	2
5.	आस्ट्रेलियाई संसद, केनबरा में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम	02/09/2013	05/09/2013	10
6.	79वें आईएफएलए सम्मेलन और 29वें आईएफएलए पूर्व सम्मेलन, सिंगापुर में लोक सभा के अधिकारियों की भागीदारी	15/08/2013	23/08/2013	2
7.	यूरोपीय संसद में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम	17/06/2013	21/06/2013	10
8.	पब्लिक लॉ सेंटर, न्यू आर्लियंस, अमेरिका में इंटरनेशनल लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग इंस्टीट्यूट, 2013 में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की भागीदारी	10/06/2013	21/06/2013	2
9.	हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम	10/06/2013	14/06/2013	8
10.	संसदीय स्टाफ हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालिका प्रशिक्षण कार्यक्रम, मॉन्ट्रियल, कनाडा में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की भागीदारी	14/04/2013	20/04/2013	1
11.	अमेरिकी कांग्रेस, वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम	08/04/2013	12/04/2013	7
12.	पार्लियामेंट ऑफ कनाडा, कनाडा में संसदीय अधिकारियों के अध्ययन कार्यक्रम में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की भागीदारी	18/03/2013	28/03/2013	1
13.	आरआईपीए इंटरनेशनल, लंदन के "संसदीय प्रशासन: ब्रिटिश संसद के प्रति बेंचमार्किंग" प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की भागीदारी	12/11/2012	23/11/2012	12
14.	मालदीव में एशिया रीजनल एसोसिएशन ऑफ पी.ए.सी. वार्षिक बैठक में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की भागीदारी	10/10/2012	14/10/2012	2
15.	यूरोपीय संसद, ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों का अध्ययन दौरा	08/10/2012	12/10/2012	7

1	2	3	4	5
16.	संसदों हेतु ग्रंथालय और अनुसंधान सेवाओं का 28वां आईएफएलए पूर्व-सम्मेलन, हेलासिंकी, फिनलैंड (8-10 अगस्त, 2012) तथा हेलासिंकी, फिनलैण्ड में 78वां आईएफएलए आम सम्मेलन एवं सभा (11-17 अगस्त, 2012)	08/08/2012	17/08/2012	2
17.	संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण (सीपीएसटी) नेशनल असेम्बली ऑफ केन्या ऐट नैरोबी, केन्या के पाठ्यक्रम की समकक्षीय समीक्षा हेतु 2012 की संगोष्ठी	29/07/2012	03/08/2012	1
18.	पब्लिक लॉ सेन्टर, न्यू आर्लीन्स, लुसियाना, अमेरिका द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रारूपण कार्यक्रम	11/06/2012	22/06/2012	2
19.	एशिया रीजनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी (एआरएपीएसी) बैंकॉक द्वारा आयोजित पीएसी सचिवालय स्टाफ हेतु प्रशिक्षण	17/05/2012	18/05/2012	2
20.	अल्फ्रेड डेकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेकिन विश्वविद्यालय, विक्टोरिया, आस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित लोक लेखा समिति हेतु 7वां वार्षिक ग्रीष्मकालीन आवासीय कार्यक्रम	05/02/2012	11/02/2012	1
21.	आरआईपीए इंटरनेशनल, लंदन में "संसदीय प्रशासन: ब्रिटिश संसद के प्रति बेंचमार्किंग" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की भागीदारी	31/10/2011	11/11/2011	10
22.	कोलम्बो, श्रीलंका में "एशियाई देशों में प्रारूपण: चुनौतियां और संभावनाएं" विषय पर 2011 का कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एशियन रीजन कॉफ्रेन्स	28/09/2011	30/09/2011	3
23.	प्यूर्टोरिको, अमेरिका में संसद ग्रंथालय और शोध सेवाओं का 27वां आईएफएलए पूर्व सम्मेलन और (11-15 अगस्त, 2011) तथा प्यूर्टोरिको, अमेरिका में 77वां आईएफएलए आम सम्मेलन और सभा (13-18 अगस्त, 2011)	11/08/2011	18/08/2011	2
24.	पब्लिक लॉ सेंटर, न्यू ओर्लीन्स लुसियाना, अमेरिका द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रारूपण कार्यक्रम	13/06/2011	24/06/2011	3
25.	संसदीय सेवा विभाग, केनबरा स्थित आस्ट्रेलियाई संसद, आस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित 'लोकतंत्र का मूल: संसदीय ग्रंथालय और अनुसंधान सेवाएं' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	28/02/2011	04/03/2011	2
26.	एशिया में संसदीय शोध सेवाओं हेतु सियोल, द. कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार	06/12/2010	09/12/2010	2
27.	आरआईपीए, इंटरनेशनल लंदन में "संसदीय प्रशासन: ब्रिटिश संसद के प्रति बेंचमार्किंग" विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक सभा के अधिकारियों की भागीदारी	01/11/2010	12/11/2010	10

1	2	3	4	5
28.	स्टॉकहोम में संसद ग्रंथालय और शोध सेवाओं का 26वां आईएफएलए पूर्व सम्मेलन तथा गुटनबर्ग, स्वीडन में 76वां आईएफएलए आम सम्मेलन और सभा	06/08/2010	15/08/2010	2
29.	रोम, इटली में ग्रंथालय और शोध सेवाओं का 25वां आईएफएलए पूर्व सम्मेलन तथा मिलान, इटली में 75वां आईएफएलए आम सम्मेलन और सभा	23/08/2009	27/08/2009	2
पन्द्रह.	**भारत में प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों का नामनिर्देशन**			
1.	राजभाषा संस्थान द्वारा नैनीताल में 29 अप्रैल से 01 मई, 2014 तक आयोजित 76वां हिन्दी सेमिनार-सह-कार्यशाला में लोक सभा अधिकारियों की भागीदारी	28/04/2014	01/05/2014	4
2.	सूचना प्रणाली एवं लेखा परीक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, नोएडा में "लोक वित्तीय प्रबंधन एवं जवाबदेही" विषय पर लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	21/04/2014	25/04/2014	20
3.	राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी), नागपुर में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों हेतु प्रबंधन विकास कार्यक्रम	13/01/2014	17/01/2014	24
4.	पुरी में राजभाषा अकादमी द्वारा आयोजित चौथे हिन्दी सम्मेलन में लोक सभा के अधिकारियों की भागीदारी	07/01/2014	09/01/2014	1
5.	पुणे में आईएएसएलआईसी द्वारा आयोजित 29वें अखिल भारतीय सम्मेलन, 2013 में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की भागीदारी	26/12/2013	29/12/2013	2
6.	नई दिल्ली में डिजीटल लाइब्रेरी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2013 में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की भागीदारी	27/11/2013	29/11/2013	2
7.	गोवा में राजभाषा एवं प्रबंधन विकास संस्था द्वारा आयोजित 25वां हिन्दी सम्मेलन और कार्यशाला	16/10/2013	18/10/2013	2
8.	राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान (एनआईएआर) मसूरी में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों हेतु प्रबंधन विकास कार्यक्रम	03/06/2013	07/06/2013	20
9.	भारतीय भाषा एवं संस्कृति केन्द्र, दिल्ली द्वारा आयोजित 22वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यशाला	27/05/2013	29/05/2013	3
10.	राजभाषा एवं प्रबंधन संस्थान, दिल्ली द्वारा आयोजित "राजभाषा नीति कार्यान्वयन कार्यशाला"	22/05/2013	24/05/2013	2
11.	महिला भारतीय भाषा एवं साक्षरता संस्थान, तिरुपति द्वारा आयोजित राजभाषा नीति कार्यान्वयन कार्यशाला	09/04/2013	11/04/2013	3

1	2	3	4	5
12.	राष्ट्रीय प्रत्यक्ष अकादमी (एनएडीटी) नागपुर में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों हेतु प्रबंधन विकास कार्यक्रम	14/01/2013	18/01/2013	22
13.	भारतीय भाषा एवं संस्कृति केन्द्र, दिल्ली द्वारा गुवाहाटी, असम में आयोजित 21वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यशाला	29/10/2012	30/10/2012	3
14.	राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान (एनआईएआर) मसूरी में नये भर्ती किए गए कार्यकारी अधिकारियों/अनुसंधान अधिकारियों हेतु मौलिक/प्रवेश कार्यक्रम	08/10/2012	19/10/2012	20
15.	भारतीय भाषा एवं संस्कृति केन्द्र, दिल्ली द्वारा पुरी, ओडिशा में आयोजित 25वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यशाला	02/10/2012	04/10/2012	3
16.	राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान (एनआईएआर) मसूरी में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों हेतु प्रबंधन विकास कार्यक्रम	01/10/2012	05/10/2012	20
17.	आईसीआईएसए, नोएडा में वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	24/09/2012	28/09/2012	21
18.	राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान (एनआईएआर) मसूरी में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों हेतु प्रबंधन विकास कार्यक्रम	18/06/2012	22/06/2012	20
19.	भारतीय भाषा एवं संस्कृति केन्द्र, दिल्ली द्वारा मुन्नार, केरल में आयोजित 20वां हिन्दी सम्मेलन और कार्यशाला	29/05/2012	31/05/2012	2
20.	राजभाषा संस्थान, सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित "आज के बदलते परिवेश के राजभाषा हिन्दी" विषय पर 72वां (हीरक जयंती + 12) सेमिनार और हिन्दी कार्यशाला	25/04/2012	27/04/2012	3
21.	भारतीय भाषा एवं संस्कृति केन्द्र, दिल्ली द्वारा जगन्नाथ पुरी, ओडिशा में आयोजित 19वां अखिल भारतीय राजभाषा प्रशिक्षण सम्मेलन	03/11/2011	05/11/2011	3
22.	राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी-रूपाम्बरा, कोलकाता द्वारा माउंट आबू, राजस्थान में आयोजित 24वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और कार्यशाला	02/10/2011	04/10/2011	3
23.	राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान (एनआईएआर) मसूरी में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों हेतु प्रबंधन विकास कार्यक्रम	20/06/2011	24/06/2011	20
24.	राजभाषा एवं प्रबंधन विकास संस्था, मैसूर द्वारा आयोजित 20वां हिन्दी सम्मेलन और कार्यशाला	24/05/2011	26/05/2011	3

1	2	3	4	5
25.	राजभाषा संस्थान, सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित "आज के बदलते परिवेश में राजभाषा हिन्दी" विषय पर 70वां (हीरक जयंती + 10) सेमिनार और हिन्दी कार्यशाला	27/04/2011	29/04/2011	5
26.	आईसीआईएसए, नोएडा में वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	07/06/2010	11/06/2010	22
27.	एनआईएआर, एलबीएसएनएए, मसूरी में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों हेतु प्रबंधन विकास कार्यक्रम	31/05/2010	04/06/2010	18
28.	राजभाषा एवं प्रबंधन विकास संस्था, गंगटोक, सिक्किम द्वारा आयोजित 18वां हिन्दी सम्मेलन और कार्यशाला	25/05/2010	27/05/2010	2
29.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में अनुभाग अधिकारियों/सहायकों हेतु "अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	26/04/2010	29/04/2010	2
30.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों हेतु लेखन कौशल में प्रशिक्षण कार्यक्रम	01/02/2010	12/02/2010	16
31.	लोदी रोड, नई दिल्ली में "मानवाधिकारों को बढ़ावा: एक सूचना संसाधन नेटवर्क की आवश्यकता" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	03/11/2009	03/11/2009	1
32.	आईएसटीएम, नई दिल्ली में "संगठनात्मक व्यवहार" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	20/07/2009	24/07/2009	2
33.	एएससीआई, हैदराबाद में "बीजक प्रबंधन" विषय पर लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	08/06/2009	10/06/2009	1

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार और लोक सभा उपाध्यक्ष श्री कड़िया मुंडा 6 जुलाई, 2009 को संसदीय सौध में 15वीं लोक सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर।

नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. मुहम्मद यूनुस 9 दिसम्बर, 2009 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में द्वितीय प्रो. हीरेन मुखर्जी स्मृति वार्षिक संसदीय व्याख्यान देते हुए। मंच पर भारत के उप-राष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी, भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और लोक सभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार भी उपस्थित हैं।

प्रो. जगदीश भगवती 2 दिसम्बर, 2010 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में तृतीय प्रो. हीरेन मुखर्जी स्मृति वार्षिक संसदीय व्याख्यान देते हुए। मंच पर भारत के उप-राष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी, भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और लोक सभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार भी उपस्थित हैं।

भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम ल्योन्छेन जिग्मी वाई. थिनले 20 दिसम्बर, 2011 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में चतुर्थ प्रो. हीरेन मुखर्जी स्मृति वार्षिक संसदीय व्याख्यान देते हुए। मंच पर भारत के उप-राष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी, भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और लोक सभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार भी उपस्थित हैं।

पूर्व विदेश सचिव श्री शिव शंकर मेनन 21 जुलाई, 2009 को संसदीय ज्ञानपीठ में
"भारत की विदेश नीति : चुनौतियां और अवसर" विषय पर भाषण देते हुए।

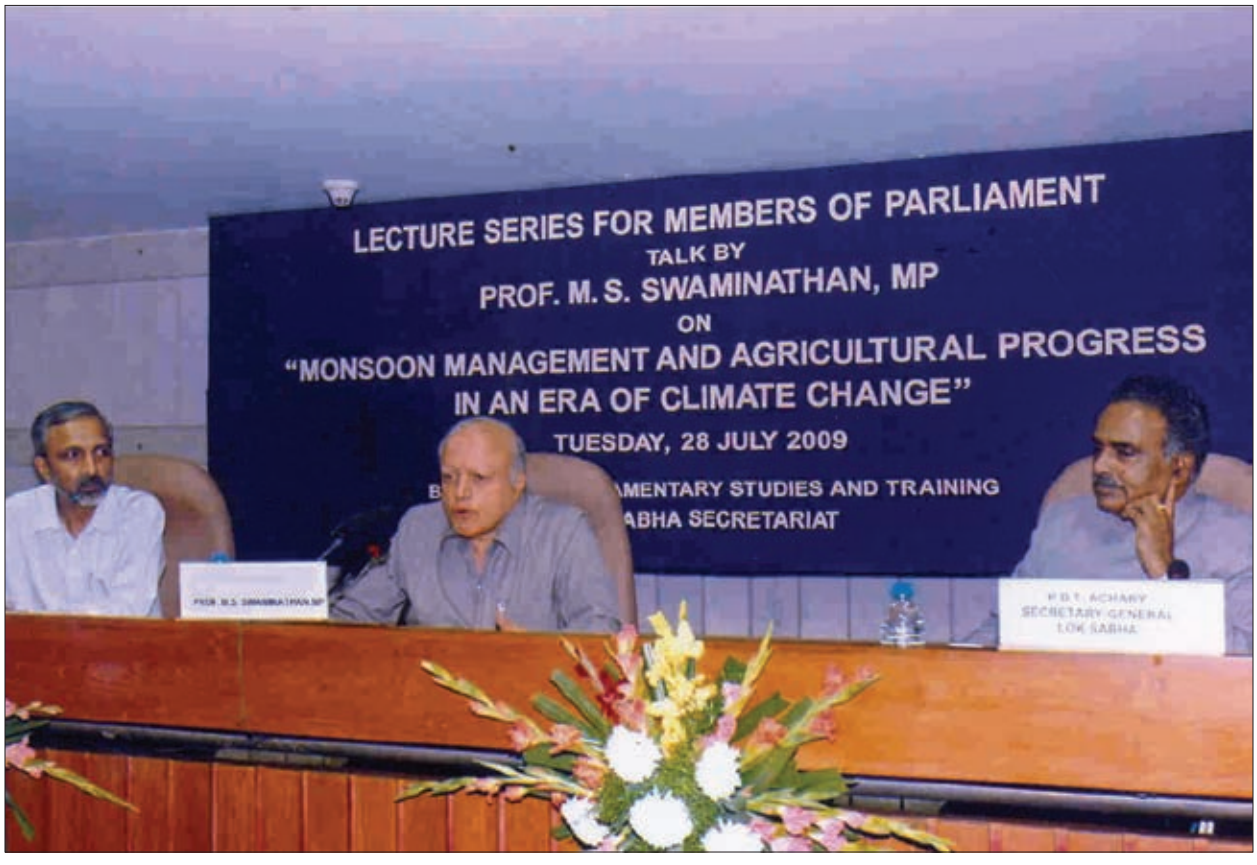

संसद सदस्य प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन 28 जुलाई, 2009 को संसदीय ज्ञानपीठ में "जलवायु परिवर्तन के युग में
मानसून प्रबंधन और कृषि संबंधी प्रगति" विषय पर भाषण देते हुए।

संसद सदस्य और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. सी. रंगराजन 6 अगस्त, 2009 को संसदीय ज्ञानपीठ में "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट और भारत पर इसका प्रभाव " विषय पर भाषण देते हुए।

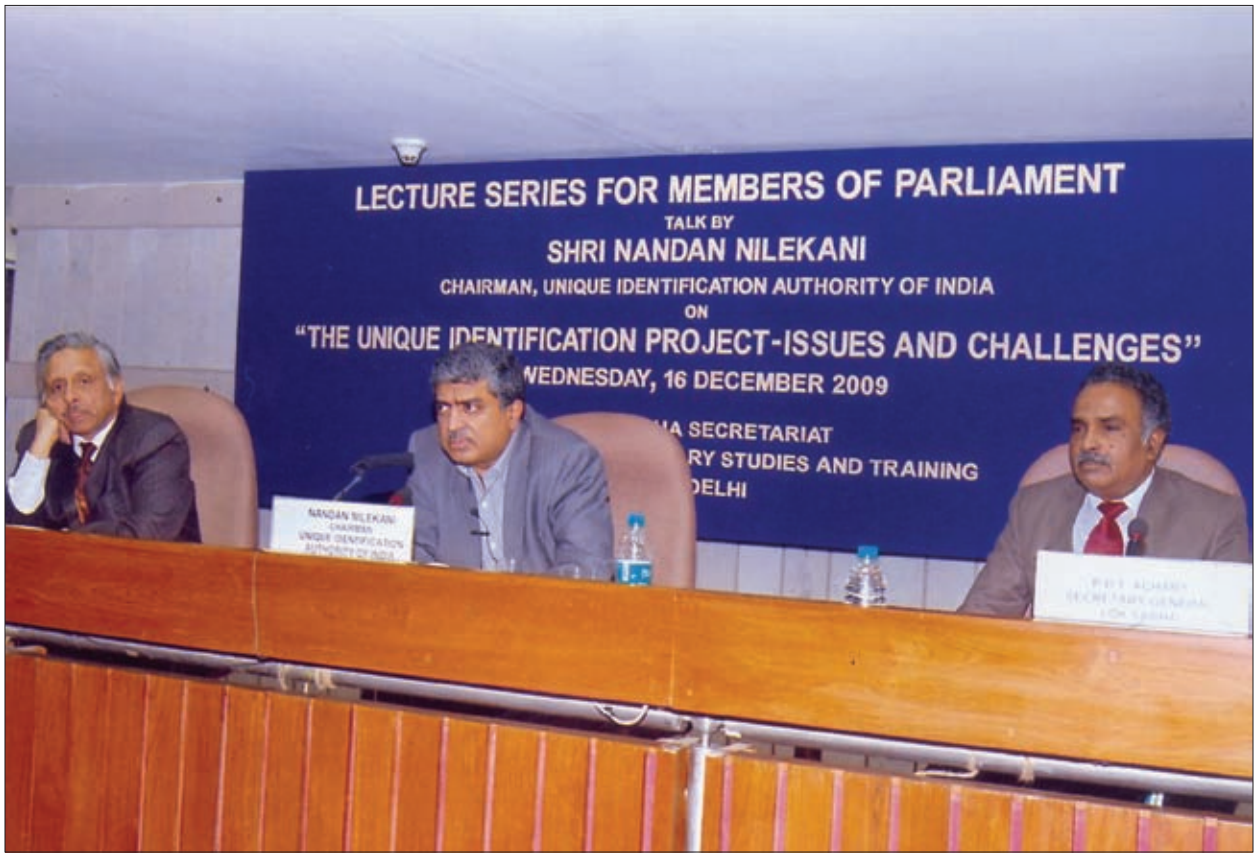

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के चेयरमैन श्री नंदन निलेकणी 16 दिसम्बर, 2009 को संसदीय ज्ञानपीठ में "विशिष्ट पहचान परियोजना—मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर भाषण देते हुए।

प्रो. सी.आर. राव 23 नवम्बर, 2010 को संसदीय ज्ञानपीठ में "नियति से मिलन: स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतवासियों के जीवन में प्रगति" विषय पर भाषण देते हुए।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के सलाहकार श्री सैम पित्रोदा 23 मार्च, 2011 को संसदीय ज्ञानपीठ में "जन सूचना ढांचे और नवाचारों के माध्यम से भारत का सशक्तिकरण" विषय पर भाषण देते हुए।

13

संपादन और अनुवाद सेवा*

संवैधानिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

लोक सभा सचिवालय की संपादन और अनुवाद सेवा की स्थापना भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत हुई है। जब संविधान सभा के समक्ष राजभाषा चुनने का प्रश्न आया तो सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में चुनने को प्राथमिकता दी। संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने संबंधी प्रस्ताव को पारित किया। संविधान के निर्माताओं ने यह निर्णय दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से लिया था। वास्तव में, ऐसा पहली बार हुआ था कि जनता की भाषा को केन्द्रीय प्रशासन की भाषा के रूप में चुना गया। हिन्दी को राजभाषा के रूप में चुनते समय संविधान निर्माताओं के मन में यह बात स्पष्ट थी कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मसलों का समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाए। अत: उन्होंने संसद में भाषा के उपयोग के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए। अनुच्छेद 120 में यह कहा गया है कि:–

> '**120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा** - (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा: परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिन्दी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।
>
> (2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो 'या अंग्रेजी में' शब्दों को उसमें से लोप कर दिया गया हो।'

हिन्दी के विकास की जिम्मेदारी अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ को सौंपी गई थी। इसमें स्पष्ट रूप से यह उपबंध है कि:–

> '**351. हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश** - संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।'

राजभाषा से संबंधित इस संवैधानिक प्रावधान द्वारा संघ पर भारी जिम्मेदारी डाली गई है।

संविधान का निर्माण करते समय हिन्दी को केवल एक क्षेत्रीय भाषा माना गया था और वह इतनी विकसित नहीं हुई थी कि अखिल भारतीय भाषा के रूप में अपनी नई भूमिका निभा सके, जैसाकि संविधान में परिकल्पित है। सरकारी प्रशासन के सभी क्षेत्रों में मुख्यत: अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जा रहा था। संसद में भी यही स्थिति थी जहां समग्र संसदीय कार्य अंग्रेजी में किया जा रहा था। तब ऐसा माना गया कि हिन्दी का इतना विकास नहीं हुआ है कि वह आधुनिक विचारों और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सके।

तथापि, हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया और यह आवश्यक हो गया कि नियमित संसदीय कार्य का निपटान सरल भाषा में करने के लिए संसदीय साहित्य का सृजन हिन्दी में किया जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु लोक सभा सचिवालय में संपादन और अनुवाद सेवा का गठन किया गया।

कार्य

संपादन और अनुवाद सेवा का मुख्य कार्य संपूर्ण सचिवालय की अनुवाद संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। संपादन और अनुवाद सेवा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य लोक सभा की प्रत्येक दिन की कार्यवाही का संपादित दस्तावेज 'वाद-विवाद का मूल संस्करण' तैयार करना है जिसे सभा की कार्यवाही का प्रामाणिक रिकार्ड माना जाता है। वाद-विवाद का संपादित मूल संस्करण इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके

*लोक सभा सचिवालय की संपादन और अनुवाद सेवा के सौजन्य से।

अतिरिक्त, इस मूल रूपांतर के अनुदित अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर को प्रकाशित कराया जाता है और इसे माननीय सदस्यों में परिचालित किया जाता है। यह सेवा वाद-विवाद के सभी तीन संस्करणों की अनुक्रमणिका भी तैयार करती है।

इस सेवा को लोक सभा की दैनिक कार्यवाही का अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में सारांश तैयार करने का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपा गया है। संपादन और अनुवाद सेवा द्वारा किए जाने वाले अन्य प्रमुख कार्यों में प्रश्नों की सूचनाओं, विभिन्न संसदीय पत्रों - जैसे सभा की कार्यसूची, समाचार भाग-एक और भाग-दो, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों, गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों, विधेयकों में किए गए संशोधनों, कटौती प्रस्तावों इत्यादि, संसदीय समितियों के विस्तृत प्रतिवेदनों तथा तत्संबंधी प्रश्न-सूचियों, ज्ञापनों, प्रश्नावलियों, कार्यसूची पत्रों, सूचनाओं, प्रेस विज्ञप्तियों आदि का अनुवाद और पुनरीक्षण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, संपादन और अनुवाद सेवा लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित सभी प्रकाशनों के हिन्दी रूपांतर भी तैयार करती है।

लोक सभा वाद-विवाद

संसदीय वाद-विवाद सभी संसदीय कार्यकलापों के बारे में जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देश के सर्वोच्च प्रतिनिधिक निकाय की कार्यवाहियों के लिखित प्रामाणिक रिकॉर्ड का प्रकाशन संपादन और अनुवाद सेवा द्वारा किया जाता है। लोक सभा वाद-विवाद के निम्नलिखित तीन संस्करणों का प्रकाशन किया जाता है और इन्हें संसद सदस्यों, गण्यमान्य व्यक्तियों, राज्य विधानमंडलों, देश के प्रतिष्ठित ग्रंथालयों, अन्य देशों तथा राष्ट्रमंडल देशों की संसदों में भी परिचालित किया जाता है:

- मूल संस्करण;
- अंग्रेजी संस्करण; और
- हिन्दी संस्करण।

इन तीन संस्करणों में से मूल संस्करण इस सेवा की संपादन शाखा तैयार करती है। इसमें, रिपोर्टर्स शाखा द्वारा कार्यवाही वृत्तांत के शब्दशः रिकॉर्ड किए गए वाद-विवादों के मूल संस्करण, जो सभा में दिन की कार्यवाही का आशोधित रिकॉर्ड होता है, का संपादन करना और माननीय सदस्यों और मंत्रियों से प्राप्त शुद्धियों को अंतर्विष्ट करना शामिल है। वाद-विवाद के इस संस्करण में मूल अंग्रेजी की कार्यवाही अंग्रेजी में और मूल हिन्दी की कार्यवाही हिन्दी में और क्षेत्रीय भाषाओं के भाषणों का अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद सम्मिलित किया जाता है। यह सभा की कार्यवाही का प्रामाणिक रिकॉर्ड होता है। इस संस्करण को चौदहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र से प्रकाशित किया जा रहा है और इसे माननीय सदस्यों को उनके चयन के अनुसार परिचालित किया जा रहा है।

लोक सभा के वाद-विवादों के अंग्रेजी संस्करण में हिन्दी में रिकॉर्ड किए गए कार्यवाही वृत्तांत के अंग्रेजी अनुवाद सहित मूल अंग्रेजी कार्यवाही वृत्तांत तथा अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों, यदि कोई हो, के अंग्रेजी अनुवाद को भी शामिल किया जाता है। इसी प्रकार, हिन्दी संस्करण में मूल कार्यवाही वृत्तांत हिन्दी में तथा अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के कार्यवाही वृतांत, यदि कोई हो, का हिन्दी अनुवाद शामिल होता है। वाद-विवाद के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करणों को भी मुद्रित किया जाता है और उन्हें सदस्यों, इत्यादि को परिचालित किया जाता है और बिक्री के लिए भी रखा जाता है। परिचालन और बिक्री के लिए वाद-विवादों के अंतिम मुद्रण से पहले वाद-विवादों के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करणों को तैयार करने में अनुवाद, पुनरीक्षण, मिलान, प्रतिलिपि कार्य, अंतिम रूप देना, संवीक्षा और प्रूफ की जांच का कार्य शामिल होता है। सदस्य तीन संस्करणों में से एक संस्करण का ही चयन कर सकते हैं।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, वाद-विवाद का मूल संस्करण तैयार करने के लिए 2,10,253 पांडुलिपि के पृष्ठों वाली 347 वाद-विवाद का संवीक्षा और संपादन कार्य किया गया। इसी प्रकार, अंग्रेजी संस्करण के 194 वाद-विवादों जिसमें अंग्रेजी में हुई कार्यवाहियां तथा 1,14,400 पांडुलिपि पृष्ठों का मूल रूप से हिन्दी में हुई कार्यवाहियों का अनुवाद सम्मिलित है, का संपादन और अनुवाद किया गया। जहां तक, हिन्दी संस्करण का संबंध है, हिन्दी में मूल हिन्दी कार्यवाही वाले 197 वाद-विवाद तथा 1,18,200 पांडुलिपि के पृष्ठों वाले अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए भाषणों के हिन्दी अनुवाद का संपादन और अनुवाद किया गया।

संविधान सभा वाद-विवाद

लोक सभा सचिवालय संविधान सभा (सीए) वाद-विवाद की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखता है। संपादन और अनुवाद सेवा की संपादन शाखा को संविधान सभा वाद-विवाद का अंग्रेजी तथा हिन्दी, दोनों भाषाओं में मुद्रण तथा प्रकाशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फरवरी, 2014 में संविधान सभा वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण के 1500 सेटों तथा हिन्दी संस्करण के 500 सेटों के पुनः मुद्रण का आदेश दिया गया है। संविधान सभा वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण के एक सेट में पांच खंड और हिन्दी संस्करण के एक सेट में दस खंड होते हैं। ये समूल्य प्रकाशन बिक्री के लिए है।

लोक सभा की कार्यवाही का सारांश

संपादन और अनुवाद सेवा की 'वाद-विवाद सारांश शाखा' वाद-विवाद का प्रतिदिन सारांश तैयार करती है। इसमें वाद-विवादों के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों तथा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों का सार होता है। यह शाखा रिपोर्टर्स शाखा के साथ मिलकर कार्य करती है। इस शाखा के अधिकारी अपनी बारी के दौरान सभा की कार्यवाही को देखते हैं ताकि वे सभा की कार्यवाही की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सकें और इससे त्रुटिरहित सारांश तैयार करने में उन्हें सहायता मिलती है। दिए गए

तर्कों, पेश किए गए प्रस्तावों अथवा संशोधनों, सभा पटल पर रखे गए पत्रों और सभा के कार्य के अन्य औपचारिक मदों को उनमें शामिल नहीं किया जाता है। इसे हिन्दी तथा अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित किया जाता है और रात में ही मुद्रित कराके प्रात: और अगले दिन की बैठक शुरू होने से पहले ही माननीय सदस्यों और मंत्रियों इत्यादि को उपलब्ध करा दिया जाता है।

'वाद-विवाद का सारांश' इस सेवा का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रकाशन है और इसकी मंत्रियों, माननीय सदस्यों और मीडिया के लोगों द्वारा हमेशा बहुत मांग की जाती है। सारांश के अंग्रेजी संस्करण को उसी दिन इंटरनेट पर भी डाल दिया जाता है जबकि सारांश के हिन्दी संस्करण को अगले दिन वेबसाइट पर डाला जाता है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, अंग्रेजी और हिन्दी वाद-विवाद के लगभग 1,47,672 पृष्ठों की संवीक्षा के पश्चात् 36,618 पृष्ठों वाले वाद-विवाद के 1092 मुद्दों के सारांश (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तैयार किए गए।

यह सेवा नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सेमिनारों और सम्मेलनों की शब्दश: संशोधित कार्यवाहियों तथा इनके सारांश को प्रकाशित करने के लिए भी उत्तरदायी है।

लोक सभा वेबसाइट पर लोक सभा वाद-विवाद तथा वाद-विवाद सारांश

लोक सभा की कार्यवाहियों के बारे में सूचना का प्रसार ऑनलाइन करने के लिए अब संपादन और अनुवाद सेवा वाद-विवाद का मूल संपादित संस्करण और वाद-विवाद सारांश को लोक सभा की वेबसाइट पर भी डाल रही है। इस समय, इस सेवा की क्रमश: संपादन शाखा और वाद-विवाद सारांश शाखा यह कार्य कर रही हैं।

संपादन और अनुवाद सेवा ने वाद-विवाद के संपादित मूल संस्करण को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने का कार्य ग्यारहवीं लोक सभा के बजट सत्र (भाग-दो) से शुरू किया था और सर्वप्रथम लोक सभा की 30 अप्रैल, 1997 की कार्यवाहियों के प्रथम संपादित मूल संस्करण को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। चौदहवीं लोक सभा के दसवें सत्र से, संपादन शाखा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से विकसित किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोक सभा की वेबसाइट पर वाद-विवाद को सीधे अपलोड कर रही है। वेबसाइट पर इन कार्यवाहियों का वृत्तांत ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व में भारत की संसद वेबसाइट http://parliamentofindia.nic.in और लोक सभा वेबसाइट http://loksabha.nic.in पर उपलब्ध है।

संपादन और अनुवाद सेवा की सारांश शाखा ने वाद-विवाद के सारांश का अंग्रेजी संस्करण 13वीं लोक सभा के चौथे सत्र अर्थात् 24 जुलाई, 2000 से लोक सभा की वेबसाइट पर डालना शुरू किया जबकि सारांश का हिन्दी संस्करण 12 फरवरी, 2009 (चौदहवीं लोक सभा का पन्द्रहवां सत्र) से लोक सभा वेबसाइट पर डाला जा रहा है। अब वाद-विवाद का अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण, दोनों, उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

लोक सभा के वाद-विवाद की अनुक्रमणिकाएं

वाद-विवाद के अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करणों की अनुक्रमणिकाएं लोक सभा में किसी विशेष विषय पर हुए विचार-विमर्शों को वाद-विवादों में आसानी से ढूंढ कर उनका अध्ययन करने के उद्देश्य से तैयार की जाती हैं। ये अनुक्रमणिकाएं सत्र-वार तैयार और प्रकाशित की जाती हैं। वाद-विवादों की अनुक्रमणिका सभा में निपटाए गए कार्य की विभिन्न मदों के अनुरूप तैयार की जाती हैं। मंत्रियों सहित वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों के नामों की प्रविष्टियां बनाई जाती हैं। तथापि, 'प्रश्न और उत्तरों' के मामले में अनुक्रमणिकाओं में मंत्रियों आदि के संबंध में कोई प्रविष्टियां नहीं बनाई जाती हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापतियों के संबंध में भी प्रविष्टियां नहीं बनाई जाती हैं। प्रविष्टियों के हिन्दी संस्करण के संबंध में केवल विषय से संबंधित अनुक्रमणिकाएं तैयार की जाती हैं। वाद-विवाद के हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों ही संस्करणों की अनुक्रमणिकाओं को तैयार करने का कार्य पूर्णतया कंप्यूटरीकृत है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, वाद-विवाद के 89 मूल संस्करणों की 5,000 पृष्ठों की 5 अनुक्रमणिकाएं, नौवीं से पन्द्रहवीं लोक सभाओं के वाद-विवाद के 1213 अंग्रेजी संस्करणों के 21,000 पांडुलिपि के पृष्ठों वाली 21 अनुक्रमणिकाएं और वाद-विवाद के 1039 हिन्दी संस्करणों के 25,000 पांडुलिपि के पृष्ठों वाली 25 अनुक्रमणिकाएं मुद्रित कराई गईं।

असंसदीय शब्द

विधायी निकायों अर्थात् लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान मंडलों में तथा राष्ट्रमंडल देशों की संसदों में भी चर्चा के दौरान सदस्यों, मंत्रियों आदि द्वारा कभी-कभी कुछ ऐसे शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें अध्यक्षपीठ द्वारा 'असंसदीय' घोषित कर दिया जाता है। संपादन और अनुवाद सेवा द्वारा विभागीय उपयोग हेतु ऐसे 'असंसदीय शब्दों' को संकलित करके वार्षिक रूप से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। यह सेवा, प्रत्येक पांच वर्षों के बाद वार्षिक अंकों का समावेश करके मुख्य प्रकाशन 'असंसदीय शब्द और अभिव्यक्तियां' को अद्यतन भी करती है।

लोक सभा प्रश्न

प्रश्नों की सूचनाओं के अनुवाद और उनका पुनरीक्षण करने के लिए संपादन और अनुवाद सेवा में दो शाखाएं - अनुवाद (मूल हिन्दी प्रश्न) शाखा और अनुवाद (अंग्रेजी प्रश्न) शाखा है, जिनमें प्रश्न शाखा से प्राप्त उन प्रश्नों की सूचनाओं का अनुवाद किया जाता है जिन्हें प्रश्न सूची में सम्मिलित किया जाना होता है। ये सूचनाएं अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्राप्त होती हैं।

अनुवाद (मूल हिन्दी प्रश्न) शाखा मूलत: हिन्दी में प्राप्त प्रश्नों की सूचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराती है। यह शाखा आधे घंटे की चर्चा, अल्प सूचना प्रश्नों संबंधी सूचनाओं और संसद सदस्यों द्वारा अपने प्रश्नों के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/महासचिव महोदय को हिन्दी में संबोधित पत्रों का भी अंग्रेजी अनुवाद करती है।

अनुवाद (अंग्रेजी प्रश्न) शाखा, अंग्रेजी में प्राप्त प्रश्नों की सूचनाओं का हिन्दी अनुवाद करती है। इसके अलावा, यह शाखा प्रश्न सूचियों (हिन्दी संस्करण) के प्रूफ की जांच करती है। यह शाखा, प्रश्न शाखा से समय-समय पर प्राप्त होने वाले पत्रों, दस्तावेजों आदि का भी अनुवाद करती है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान अनुवाद (अंग्रेजी प्रश्न) शाखा द्वारा तारांकित/अतारांकित प्रश्नों की 1,35,670 सूचनाओं का अंग्रेजी से हिन्दी में तथा अनुवाद (मूल हिन्दी प्रश्न) शाखा द्वारा तारांकित/अतारांकित/अल्प सूचना प्रश्न/आधे घंटे की चर्चा संबंधी 1,52,501 सूचनाओं का हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों, कार्य-सूची, समाचार भाग-एक तथा दो, विधेयकों में संशोधनों इत्यादि का अनुवाद

अनुवाद (संसदीय पत्र) शाखा, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों, सरकारी विधेयकों के संशोधनों तथा विभिन्न संसदीय पत्रों – जैसे कार्यसूची, समाचार भाग-एक तथा समाचार भाग-दो, कटौती प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाओं, आमंत्रण (सम्मन); राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी संशोधनों, सम्मेलन शाखा, विधायी शाखा-एक तथा दो, संसदीय सूचना कार्यालय, टेबल आफिस, इत्यादि का अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करती है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, इस सेवा ने कुल 1,13,242 पृष्ठों की सामग्री, जिसमें गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा सरकारी विधेयक (14,452 पृष्ठ), कार्य सूची (11,694 पृष्ठ), समाचार भाग-एक तथा दो (34,280 पृष्ठ), विभिन्न नियमों के अधीन सूचनाओं (7,078 पृष्ठ), संशोधन, कटौती प्रस्ताव आदि शामिल हैं, (5,000 पृष्ठ) का अनुवाद किया।

संसदीय समितियों के प्रतिवेदन

वर्तमान में, विभिन्न संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों का अनुवाद करने के लिए इस सेवा में पांच शाखाएं हैं - अनुवाद (समिति-एक) शाखा, अनुवाद (समिति-दो) शाखा, अनुवाद (समिति-तीन) शाखा, अनुवाद (समिति-चार) शाखा तथा अनुवाद (समिति-पांच) शाखा । ये शाखाएं मुख्यत: लोक सभा की विभागीय स्थायी समितियों और समय-समय पर गठित अन्य तदर्थ समितियों सहित विभिन्न संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों, कार्यवाही वृत्तांतों, ज्ञापनों, कार्य-सूची पत्रों, प्रश्न सूचियों, प्रश्नावलियों आदि का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराती हैं।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान 1,57,791 पृष्ठों वाली समिति के 1235 प्रतिवेदनों का अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त, विविध कार्यों अर्थात् प्रश्न सूचियों, अधिसूचनाओं, अनुस्मारकों, अध्ययन दौरा टिप्पणों, कार्य-सूची पत्रों, प्रेस विज्ञप्तियों, बैठक के कार्यवाही वृत्तांतों, अभ्यावेदनों, सभापतियों के भाषणों आदि के 1,41,234 पृष्ठों का अनुवाद किया गया।

संसदीय प्रकाशन: लोक सभा टेलीविजन, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ और संसदीय मंचों से प्राप्त सामग्री

यह सेवा, अनुवाद (प्रकाशन) शाखा के माध्यम से विभिन्न प्रकाशनों, जीवनवृत्तों, संक्षिप्त जीवनियों, मोनोग्राफों, सूचना-पुस्तिकाओं तथा अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय एवं अन्य अतिविशिष्ट व्यक्तियों तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के भाषणों, प्रदर्शनियों हेतु आलेखों, पुस्तिकाओं, सदस्य परिचय, आदि का अनुवाद करने के साथ-साथ अन्य विविध मदों अर्थात् माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/महासचिव के कार्यालय तथा सचिवालय की अन्य सेवाओं/शाखाओं से प्राप्त पत्रों, राजपत्र में प्रकाशनार्थ अधिसूचनाओं, ज्ञापनों, परिपत्रों आदि का भी अनुवाद करती है। इसके अतिरिक्त, यह शाखा ग्रंथालय तथा शोध, संदर्भ, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) और विधायी, वित्तीय, समिति, कार्यकारी और प्रशासनिक सेवा (लाफिया) की अनेक शाखाओं से आने वाले कार्य का अनुवाद भी करती है। इस शाखा को लोक सभा टेलीविजन, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ और संसदीय मंचों से प्राप्त सामग्री का अनुवाद संबंधी कार्य भी सौंपा गया है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, सेवा द्वारा संसदीय प्रकाशनों तथा अन्य कार्यों संबंधी 70,734 पृष्ठों का अनुवाद किया गया और संसदीय तथा ऐतिहासिक महत्व के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रकाशनों का हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित किया गया:–

- संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण – लोक सभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के चुने हुए भाषण
- भारत की संसद – 13वीं लोक सभा – एक अध्ययन
- सदस्य परिचय – 15वीं लोक सभा
- 15वीं लोक सभा के सदस्य – एक संक्षिप्त परिचय
- पद्धति और प्रक्रिया – कौल और शकधर
- भारतीय नेताओं का सम्मान – संसद भवन परिसर में प्रतिमाएं एवं चित्र
- भारत की संसद – 14वीं लोक सभा – एक अध्ययन

- भारतीय संसद
- 15वीं लोक सभा के सदस्यों का संक्षिप्त जीवन परिचय
- राष्ट्रपति के अध्यादेश, 1950-2009
- राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन
- संसद सदस्य परिचय मंजूषा – पहली से पन्द्रहवीं लोक सभा
- वित्त मंत्रियों के बजट भाषण, 1947-2011
- लोक सभा के साठ वर्ष – एक अध्ययन
- लोक सभा के अध्यक्ष
- लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष

विभिन्न संस्थाओं/संगठनों, प्रकाशकों, धर्मार्थ न्यासों और प्रख्यात व्यक्तियों से प्राप्त अनुरोधों पर माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष की ओर से हिन्दी में संदेश तैयार करने का दायित्व भी इसी प्रभाग पर है। यह प्रभाग राष्ट्रीय महत्व के समारोहों में माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष द्वारा हिन्दी में दिए जाने वाले भाषण भी तैयार करता है।

इसके अलावा, यह प्रभाग, जब आवश्यक हो, माननीय अध्यक्ष द्वारा रेडियो वार्ताओं/दूरदर्शन पर दिये जाने वाले साक्षात्कारों के लिए उनके उपयोगार्थ संक्षिप्त जानकारियां भी हिन्दी में तैयार करता है।

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 तथा संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 के अधीन मामले

संपादन तथा अनुवाद सेवा अपनी संपादन शाखा के माध्यम से ऐसे मामलों का निष्पादन करती है जो प्रतिलिप्यधिकार-कानूनों के तहत, लोक सभा वाद-विवाद से भाषणों/सारांशों की पुनरुद्धरित करने की अनुमति के संबंध में होते हैं साथ ही वह संसद के नाम, अर्थात् '*संसद*' और '*पार्लियामेंट*' शब्दों (तथा इनसे जुड़े अन्य शब्दों, जैसे '*संसदीय*' या '*पार्लियामेंट्री*') तथा संसद भवन के चित्र के उपयोग/दुरुपयोग से जुड़े मामलों की भी पड़ताल करती है। लोक सभा वाद-विवाद का प्रतिलिप्यधिकार, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 2 (ट) (ii) के अंतर्गत लोक सभा अध्यक्ष के पास होता है। जो व्यक्ति वाद-विवाद पुस्तिकाओं से भाषणों या सारांशों को पुनरुद्धरित करना चाहते हैं वे लोक सभा सचिवालय से इसका अनुरोध करते हैं और ऐसे अनुरोध सामान्यत: संसद-सदस्यों, लेखकों, प्रकाशकों, अध्येताओं, शोधार्थियों, संस्थानों आदि से प्राप्त होते हैं। इसकी अनुमति सचिवालय द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है। जहां तक अन्य प्रकाशनों या समिति रिपोर्टों से पुनरुद्धरण की अनुमति का प्रश्न है, संबंधित शाखा मामले की जांच करने के पश्चात् इस प्रयोजनार्थ निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आवश्यक अनुमति प्रदान करती है।

इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहां संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 के अंतर्गत संसद के नाम व संसद भवन के चित्र का उपयोग करने की अनुमति मांगी गयी हो, सरकार द्वारा सभी मामलों में लोक सभा अध्यक्ष की पूर्वानुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाती है। आमतौर पर ऐसे मामले उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग को भेज दिए जाते हैं चूकि यही मंत्रालय संसद के नाम और संप्रतीक के उपयोग संबंधी अनुमति प्रदान करता है। अत: वह संसद के नाम व चित्र का उपयोग करने की अनुमति देता है।

लोक सभा की हिन्दी वेबसाइट

वर्तमान में, लोक सभा की हिन्दी वेबसाइट का कार्य संपादन और अनुवाद सेवा के राजभाषा प्रभाग के अंतर्गत 'हिन्दी सूचना एकक' द्वारा किया जा रहा है। अब जनता और उनके जन प्रतिनिधि संसदीय कार्यकलापों के बारे में हिन्दी में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

इस वेबसाइट को चरणबद्ध तरीके से समृद्ध किया जा रहा है और इस वेबसाइट पर निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध है:–

- समाचार भाग एक और दो
- कार्य-सूची
- गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की सूची
- कार्य का सारांश
- प्रश्न सूचियां
- सारांश
- हिन्दी वाद-विवाद
- कार्य का विवरण
- माननीय अध्यक्ष के भाषण और प्रेस विज्ञप्तियां
- घटनाएं
- संसदीय मंजूषा
- केन्द्रीय अधिनियम सार
- समिति के प्रतिवेदन (कार्य मंत्रणा समिति)

कोई भी व्यक्ति http://loksabhahindi.nic.in पर सीधे जाकर अथवा http://loksabha.nic.in पर जाकर और फिर 'हिन्दी वेबसाइट' पर क्लिक करके इसे देख सकता है। इस वेबसाइट में सुधार के लिए सुझाव hindiweb.ls@sansad.nic.in पर 'हिन्दी सूचना एकक' को भेजे जा सकते हैं।

राजभाषा प्रभाग

राजभाषा प्रभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं : (एक) सचिवालय की दो हिन्दी पत्रिकाओं का प्रकाशन; (दो) राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार से संबंधित विभिन्न संवैधानिक और सांविधिक उपबंधों का कार्यान्वयन तथा सचिवालय के कार्य में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देना; और (तीन) सचिवालय में कार्यरत संपादकों, सहायक संपादकों, अनुवादकों तथा हिन्दी सहायकों और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों (संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो के सहयोग से) की योजना बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना।

राजभाषा प्रभाग हिन्दी में निम्नलिखित पत्रिकाओं को प्रकाशित करता है:—

(एक) *संसदीय पत्रिका*

यह सूचनाप्रद और महत्वपूर्ण पत्रिका त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित की जाती है तथा इसमें संवैधानिक एवं संसदीय विषयों के बारे में विख्यात लेखकों/विशेषज्ञों द्वारा हिन्दी में दिए गए लेख समाविष्ट होते हैं।

(दो) *केन्द्रीय अधिनियम सार*

इस त्रैमासिक पत्रिका में प्रत्येक तिमाही के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित कर दिए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत सभी अधिनियमों का सार समाविष्ट होता है। इस पत्रिका का मुख्य प्रयोजन नवीनतम केन्द्रीय अधिनियमों का सार हिन्दी में उपलब्ध कराना है।

(तीन) *संसदीय मंजूषा*

इस छमाही पत्रिका में लोक सभा के सदस्यों तथा लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की संसदीय रुचि के विषयों के साथ-साथ कहानियों, कविताओं आदि के रूप में साहित्यिक रुचि के लेख शामिल किए जाते हैं। इसमें 'संविधान सभा वाद-विवाद से' सामान्य संसदीय रुचि वाले विषय पर कौल और शकधर से उद्धृत अंश, पूर्व संसदीय पूर्वोदाहरणों को दर्शाने वाला 'अतीत के झरोखे से', सचिवालय के निर्माण के दिनों वाली पुरानी कहानियां और पुरानी फाइलों के ऐतिहासिक निर्णयों पर नियमित लेख भी शामिल होते हैं।

इस प्रभाग को सौंपे गए कार्यों में विभिन्न विषयों के संबंध में प्रलेखन श्रृंखलाएं और संसद सदस्यों के उपयोगार्थ समसामयिक घटनाओं के बारे में हिन्दी में संक्षिप्त जानकारियां तैयार करने का कार्य भी शामिल है।

यह प्रभाग हिन्दी प्रदर्शनियों, हिन्दी संगोष्ठियों, हिन्दी पखवाड़ों और इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों का आयोजन करता है, जिनका उद्देश्य सचिवालय के दैनंदिन कार्य में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देना है।

संसदीय प्रदीपिका

संपादन और अनुवाद सेवा की अनुवाद (मूल हिन्दी प्रश्न) शाखा ने ''**संसदीय प्रदीपिका**'' नामक एक नया प्रकाशन प्रकाशित किया है। यह संसदीय शब्दावलियों और वाक्यांशों का एक विस्तृत संकलन है, जिसे समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है। इसे लोक सभा वाद-विवाद, प्रश्नों, सारांश, विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों, समाचार भाग-एक और दो तथा संशोधनों आदि के अंग्रेजी संस्करण में बार-बार प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियों और अभिव्यक्तियों के हिन्दी समानार्थी शब्दों को मानक रूप देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह संकलन, संसदीय शब्दावलियों और अभिव्यक्तियों के हिन्दी अनुवाद में एकरूपता बनाए रखने में उपयोगी है। यह सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामकाज हिन्दी में करने में तथा लोक सभा के माननीय सदस्यों के लिए भी सहायक है।

प्रक्रिया एवं पद्धति नियमावलियों में संशोधन करना/अद्यतन बनाना

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान, संपादन तथा अनुवाद सेवा की शाखाओं ने प्रक्रिया एवं पद्धति नियमावली में संशोधन किया तथा अद्यतन बनाया ताकि उन्हें ज्ञानवर्धक और उद्धरणपूर्ण बनाया जा सके। इनमें आवश्यक परिवर्तन और संशोधन किए गए हैं और नई कार्य-मदें भी सम्मिलित की गयी हैं। इस सेवा की विभिन्न शाखाओं में अनुवाद में बहुधा प्रयुक्त होने वाले वाक्यों और वाक्यांशों को मानकीकृत किया गया है। नियमावली में विभिन्न नमूने, सूत्र और मानक प्रयोग शामिल किए गए हैं जिससे शाखाओं के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य में एकरूपता और शुद्धता लाई जा सके और इन शाखाओं में नए पदस्थ कर्मचारी शाखाओं की कार्यप्रणाली को सरलता से समझ सकें और स्वयं को उसके अनुरूप ढाल सकें।

हिन्दी सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान इस सेवा के अधिकारियों ने हिन्दी अकादमी द्वारा जोहान्सबर्ग (22 से 24 सितंबर, 2012) में आयोजित नौवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लिया और राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी, राजभाषा संस्थान आदि द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलनों में भी भाग लिया। सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान, मसूरी और हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रबंधन विकास कार्यक्रम में भाग लेने हेतु भी नामित किया गया।

14

संसदीय प्रकाशनों/स्मृति चिह्नों की बिक्री*

लोक सभा सचिवालय द्वारा आवधिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले संसदीय प्रकाशनों के प्रति संसद-सदस्यों, सरकारी विभागों/मंत्रालयों और आम जनता की मांग पूरी करने की दृष्टि से, संसद भवन के स्वागत कार्यालय में एक विक्रय पटल (सेल्स काउंटर) कार्य करता है। इस विक्रय पटल से ग्राहकों (सरकारी या गैर-सरकारी व्यक्तियों) को केवल नकद राशि के भुगतान पर ही बिक्री की जाती है और इनकी पावतियां दी जाती हैं। सरकारी विभागों/मंत्रालयों के अलावा, गैर-स्थानीय ग्राहकों की ओर से इन संसदीय प्रकाशनों की मांग को अग्रिम रूप से पुस्तक-मूल्य व डाकखर्च का भुगतान प्राप्त करने के बाद ही पूरा किया जाता है। ग्राहकों का ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर उन्हें सूचित कर दिया जाता है कि उन्हें इसके लिए मूल्य व डाकखर्च के रूप में सचिवालय को कुल कितनी धनराशि भेजनी होगी।

वायुमार्ग-डाक से विदेश भेजे जाने वाले सभी प्रकाशनों के डाक खर्च का भुगतान ग्राहक को करना होता है। विदेश से किसी ग्राहक द्वारा संसदीय प्रकाशनों व पत्रों हेतु अनुरोध किए जाने पर उसे उस प्रकाशन (नों) के मूल्य व प्रेषण पर आने वाले डाक खर्च की राशि का एक बैंक ड्राफ्ट आहरण और वितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) लोक सभा सचिवालय, संसदीय सौध, नई दिल्ली के नाम भेजने के लिए कहा जाता है जिसकी प्राप्ति पर उसे वे प्रकाशन भेज दिए जाते हैं।

एजेंटों के जरिए संसदीय प्रकाशनों की बिक्री

लोक सभा सचिवालय प्रकाशनों की बिक्री हेतु देश भर के विभिन्न स्थानों पर अपने एजेंट भी नियुक्त करता है। एजेंट को 5000/- रुपए की अग्रिम राशि जमा करने को कहा जाता है। भारत के संविधान की हस्तलिखित प्रति के सिवाय, अन्य पुस्तकों पर सभी एजेंटों को 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

जमा राशि की एवज में बिक्री

ऐसे ग्राहकों (सरकारी अथवा गैर-सरकारी), जो किसी संसदीय प्रकाशन हेतु नियमित डाकसूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हों, से 2000/- रुपए की अग्रिम राशि जमा करने को कहा जाता है। इस राशि से उस व्यक्ति/पक्ष के नाम से एक जमा खाता खोल दिया जाता है और फिर पंजीकृत डाक से उसे प्रकाशन भेजा जाता है। प्रकाशन की लागत व उसके डाकखर्च को उस जमा खाते की राशि में से काटा जाता है। यदि ग्राहक चाहे तो उसे, उसके जोखिम पर, प्रकाशन साधारण डाक से भी भेजा जाता है। जमा राशि के नि:शेष होने के पूर्व ही इस खाते का नवीकरण आवश्यक है।

प्रकाशन विभाग के माध्यम से बिक्री

संसदीय प्रकाशनों की बिक्री सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग और उसके विक्रय-केन्द्रों के माध्यम से भी की जाती है। इस बिक्री से प्राप्त धनराशि को प्रकाशन विभाग सीधे सरकार की मद में जमा करता है। संसदीय प्रकाशनों की बिक्री से हुई आय के बारे में उसकी ओर से केवल त्रैमासिक विवरण भेजा जाता है।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान संसदीय प्रकाशनों, बजट सेटों इत्यादि की बिक्री का ब्यौरा निम्नलिखित विवरण-53 में दर्शाया गया है:-

विवरण 53

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान संसदीय प्रकाशनों/पत्रों तथा बजट-सेटों की बिक्री

वर्ष	संसदीय प्रकाशन/बजट-सेट	बेची गई प्रतियों की संख्या	कुल धनराशि (रुपए)
1	2	3	4
2009 (मई से दिसंबर)	(i) प्रकाशन	961	16,80,961
	(ii) बजट-सेट (फरवरी से जून)	1443	

*बिक्री और रिकॉर्ड अनुभाग, लोक सभा सचिवालय के सौजन्य से।

1	2	3	4
2010	(i) प्रकाशन	4692	21,16,144
	(ii) बजट-सेट	1075	
2011	(i) प्रकाशन	4468	19,66,042
	(ii) बजट-सेट	953	
2012	(i) प्रकाशन	1881	21,07,159
	(ii) बजट-सेट	730	
2013	(i) प्रकाशन	2623	18,91,472
	(ii) बजट-सेट	731	
2014 (अप्रैल-2014 तक)	(i) प्रकाशन	536	4,59,992
	(ii) बजट-सेट	74	

स्मारक चिह्नों की बिक्री

भारत की संसद के प्रतीक चित्र वाले कुछ स्मारक-चिह्न संसद भवन, नई दिल्ली के स्वागत कार्यालय स्थित विक्रय-पटल से सभी कार्यदिवसों पर 1000 बजे से लेकर 1500 बजे या फिर संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली स्थित संसदीय संग्रहालय के स्मारक चिह्न बिक्री केन्द्र से 1100 बजे से लेकर 1700 बजे तक खरीदे जा सकते हैं।

स्मारक-चिह्नों की बिक्री से प्राप्त आय को प्रतिदिन लोक सभा सचिवालय की बजट और भुगतान शाखा में जमा किया जाता है। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान स्मारक-चिह्नों की बिक्री से संग्रहीत धनराशि का ब्यौरा **विवरण-54** में दिया गया है।

विवरण 54

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान संसद भवन और संसदीय संग्रहालय के प्रतीक चित्र वाले स्मारक-चिह्नों की बिक्री

वर्ष	कुल धनराशि (रुपए में)
2009 (मई से दिसंबर)	16,99,748
2010	22,50,944
2011	25,68,592
2012	19,69,000
2013	32,50,964
2014 (अप्रैल 2014 तक)	11,38,221

पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों का ग्रुप फोटो

(02-12-2010)

कुर्सी पर बैठे (बायें से दायें) : श्री टी.के. विश्वनाथन (महासचिव, लोक सभा), सुश्री आशा सरंगम, श्री जयराम रमेश, श्री बलराम झुरानि, श्री अमल गंगाराम गीते, श्री मुरली देवरा, श्री अर्जुन चरण सेठी, श्री बसुदेव आचार्य, श्री टी.आर. बालू, श्री कांति लाल भूरिया, श्री मुकुल वासनिक, श्री पवन कुमार बंसल, श्री जी.के. वासन, श्री सुशीलकुमार शिंदे, श्री जी.के. इलांगेवन, श्री विलासराव देशमुख, श्री वीरभद्र सिंह, श्री पी. चिदम्बरम, श्री ए.के. एंटनी, श्री शरद पवार, श्री प्रणब मुखर्जी, श्रीमती सोनिया गांधी, डा. मनमोहन सिंह (प्रधानमंत्री), श्रीमती मीरा कुमार (अध्यक्ष), श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री कटिया मुंडा,
श्री ए.पी.जे. एबदुल कलाम, श्री एस. जगतरक्षकन, श्री जयपाल रेड्डी, श्रीमती परनीत कौर, श्री दानिश बिवाई, श्री ए. जयपाल रेड्डी, श्रीमती परनीत कौर, श्री दानिश बिवाई, श्री जी. नारायणस्वामी, श्री उषा विरेंद्र पौडाल, श्री जी. नारायणस्वामी, श्री उषा विरेंद्र पौडाल, डा. पी.एल. पुनिया, श्री सुखराम, श्री प्रेमचंद गुड्डू, श्री सोमन्ना बी, श्री अशोक तंवर, श्री सोनाराम चौधरी, श्री हरीश चौधरी, डा. चरणदास महन्त, श्री वी. किशोर चन्द्र देव, श्री खिरु सिंह इत्नी, श्री भक्त चरण दास, श्रीमती शताब्दी राय, कुंवर आर.पी.एन. सिंह, श्री भरतसिंह सोलंकी, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्रीमती रमा देवी, श्रीमती जे. शांता, श्रीमती कमला देवी पटले, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया,
श्रीमती रीता रामसुमेरी, कुम्बरी मीनाक्षी नटराजन, श्रीमती अन्नु टण्डन, श्री अब्दुल मन्नान हुसैन, डॉ. रत्ना डे (नाग), डॉ .प्रभा किशोर तविआड,श्रीमती पुप्तल कुम्बरी, ,मिस ' जयश्रीबेन पटेल,श्रीमती अरुअबेन देवी, श्रीमती विजया चक्रवर्ती, श्री सुल्तान अहमद, श्री विजय बहादुर सिंह, श्रीमती सुस्मिता बाउरे

दूसरी पंक्ति में खड़े (बायें से दायें) : श्री निहित प्रसाद, श्री नित्यानंद प्रधान, श्री रूपचांद राय, डॉ. (प्रो.) प्रसन्न कुमार पटसानी, श्री लक्ष्मण टुडु, श्री यशवंत राव,एस. लामुही, डॉ. पी. वेणुगोपाल, श्री वी. राजेन्द्रन, श्री टी.वी. चन्दे शौरा, श्री जी.एस. बाचवराव, श्री अशोक तंवर, श्री सोनाराम रेशम नारायणराव, श्री हरिभाऊ चव्हाण, श्री हरीश रावत, श्री माहेश्वरा चौरसे कोसुये, श्री जयवंत गंगाराम आवारे, श्री प्रदेव चौधरी, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील, श्री दरा येचे, श्री ओ.एस. मणियन, श्री मोहम्मद सीताराम असरारल हक, श्री रामसजीवन राजभरे पाटील, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री जे.एस. आरन रवीर, श्री एस.एस. रामासुब्रु श्री पी. विश्वनाथन,
श्री एन.एस.वी. चित्तन, श्री भंवरलाल अनुरागी, श्री राजवा सिरिसिल्ला, श्री नारायण सिंह आमलाबे, श्री हसन खान, श्री उमाशंकर सिंह, श्री रामकृपाल यादव, श्री के.डी. देशमुख, श्री राघ मोहन सिंह, श्री रामबुझा खुशर बैसमुथियारी, श्री पी.सी. गद्दीगौदर, श्री जे. रवीरा, श्री प्रदीप टण्डा, श्री कोडाडलेन्द कुमार, श्री अरविन्द कुमार चौधरी, श्री सोहन पोटाई, श्री दिनेशा जे, पटेल, श्री जी.वी. हर्ष कुमार, एडवोकेट गणेशराव नागोरा दुग्गाकर, श्री महेश्वर हजारी, श्री तारांचन्द भगोरा, श्री भाउसाहेब राजाराम वानखेडे, श्री वच्चिन पाचपटे, श्री हेमानंद बिरवाल, श्री सुशील कुमार सिंह, डा. निर्मल खैरी, श्री राकेश सिंह,
प्रो. के.वी. थॉमस, श्री विन्सेंट एच. पाला, श्री गोविन्द चन्दा मारकर, कुंवर रेवती रमन सिंह, श्री एच. भरम सिंह

तीसरी पंक्ति में खड़े (बायें से दायें) : श्री पिनाकी मिश्र, श्री रिपेन त्रिवेदी, श्री वैन्कटेश पांडा, श्री राजेश नंदिनी सिंह, श्रीमती केसर जहां, श्री एच. वेंकटेश्वरा स्वामी, श्री विजय चक्रगुप्त, श्री वसंरी सिंह मरसाम, श्री उदय प्रताप सिंह,श्री प्रेमसिंह राई,श्री हरि मांझी,श्री सी.एच. पार्थ, श्री एस. आनंदन, श्री ए. गणेशमूर्ति, श्री डी. पेरियोयिन, श्री ई.जी. सुगावनम, श्री थोल तिरुमावलवन, श्री पूर्णमासी राम, श्री के. नारायण राव, श्री पी. बलराम नाईक, श्री कमल किशोर 'कमांडो' डॉ. जे. विवेकानन्द,श्री पोन्नम प्रभाकर, श्री अंजनकुमार एस. यादव, श्री राकेश सचान,
श्री संजय भोई, श्री अशोकम प्रधान, श्री रमेश कुमार, डॉ. भालचं खिरया, श्री चंदीराम, श्री भगत राम मंचलाल, श्री गोपाल सिंह शेखावत, श्री विजेन्द्र सिंह बुनेरवा, श्री रमेश राठौर, श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री वी.एस. शिवाजी, श्री एस.एस. रामाह, श्री नसरुद्दीफाई डी. अमाद, श्री गणेश सिंह, श्री रामसिंह राठवा, डा. महबूब बाच, श्री रघुवीर सिंह मीणा, श्री वीरेन्द्र नाथ पिंडा, श्री श्रीष त्रेवर उर्फ कुलदा तिवारी, श्री कचिन मुनि करचारिया, श्री बाबू राव दिवाकर,श्री बाल कुमार पटेल,श्री राजेन्द्र अहमदार,प्रो.(डॉ.) उमा रा.त , श्री केशव जोशी,श्री डा.किरोड़ी लाल मीणा,श्री देवेन्द्र नागपाल

चौथी पंक्ति में खड़े (बायें से दायें) : श्री पी.सी. चाको, श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो, श्री विष्णु मोहन कुमार , श्रीमती सुप्रीत सरोज, श्री विष्णु देव साय, श्री यशवीर सिंह, श्री राजेन रोहैन, श्री आनंदराव अडसूल, श्री राजाराम भ, बाबर, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री प्रभुपति नाथ सिंह, श्री नरहरि महतो, श्री रत्ने डेका, श्री एस. सेम्मलई, डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा, श्री मदन लाल शर्मा, डॉ. रतन सिंह अजनाला, श्री कुंवरपूरण शरण सिंह, श्री थंगसो वाहते, श्री पन्ना लाल पुनिया, डॉ. मन्ना जगन्नाथ, श्री पी.आर. नटराजन, श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी, श्री अशोक कुमार रावत, श्री कादिर राणा, श्री पुलीन बिहारी बास्के, श्री एन. पीताम्बर कुरुप, श्री के.पी. धनपालन,
श्री एंटो एंटोनी, श्री राम सिंह करवा, श्री वीरेन्द्र कश्यप, डॉ. राजन सुशान्त, श्री अर्जुन मेघवाल, श्री इज्यराज सिंह, श्री देवजी एम. पटेल, श्री पी.टी. थॉमस, श्री मानिक टैगोर, श्री अवतार सिंह भडाना,श्री सुरेश कलमाडी, श्री जिंजानी अपलराव पाटील, श्री अजित सिंह, डॉ. चतीश्वर, श्री ओपार धर्रे नाईक

पांचवीं पंक्ति में खड़े (बायें से दायें) : श्री एस. गांधीसेलवन, श्री जितेन्द्र सिंह, श्री रमेश बैस, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री संजय भोजे, श्री वरुण गांधी, श्रीमती जया वर्मा, श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, श्री राजाराम पाल, श्री नवीन जिन्दल, श्री सुरेश काशीनाथ तवारे, श्री डी. वेणुगोपाल, श्री पी. लिंगम, श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री शेर सिंह घुबाया, श्री राघे मोहन सिंह, श्री पी.के. बिजू, श्री प्रेमचन्द गुड्डू, श्री सज्जन वर्मा, श्रीमती सीमा उपाध्याय, श्रीमती परमजीत कौर गुलशन, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्रीमती सुप्रिया खुले, डॉ. संजीव गणेश नाईक, श्री सुरेश कुमार शेटकर, श्री एस. पक्कीरप्पा, श्री हरिभाऊ जावले,
श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री सी.आर. पाटिल, श्री महिन्दर सिंह केपो, डॉ. सुधाकर रंजन हल्दर, श्री शिवकुमार उदासी, डॉ. सी. संजय जायसवाल, डॉ. थोकचोम मैन्या, श्री भंगनी लाल मंडल, डॉ. तुषार चौधरी, डॉ. विनय कुमार पाण्डेय, डॉ. एस. जगतरक्षकन, श्री जगदम्बिका पाल, श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्री जी.एम. सिद्देश्वर, श्रीमती मेनका गांधी, श्री सुरेश अंगड़ी, श्री कीर्ति आजाद, श्री पशपति सिंरका, डॉ ललित मोहन शुक्लवेद्य, श्री इम्माइल हुसैन, श्री जोसेफ टोप्पो, श्री राव इन्द्रजीत सिंह

छठी पंक्ति में खड़े (बायें से दायें) : डॉ. भोला सिंह, डॉ. रामचन्द्र डोम, श्री के. उर्फ जे.के. तिलैरा शिवकुमार, श्री टी.के.एस. इलेंगोवन, श्री जयंत चौधरी, श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र, श्री समीर भुजबल, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी, श्रीमती क्षिति चौधरी, श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, श्री असादुद्दीन ओवेसी, श्री संजय तकाम, श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़, श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्रीमती जे. हेलन डेविडसन, डॉ. शशि थरूर, श्री राजू शेट्टी, श्री एस.पी.वाई. रेड्डी, श्री हमदुल्लाह सईद, श्री संजय सिंह चौहान, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्रीमती मौसम नूर,
श्री उदय सिंह, श्री सोमाभाई मंडालाल कोली पटेल, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया, विठ्ठलभाई हंसराजभाई रादडिया, श्री किरनभैया जे. पटेल, श्री रायपति सांबासिवा राव, श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी, श्री मुकेश मेरजपनजी रहवी, श्री जगदीश ठाकोर, श्री महाबल मिश्रा, श्रीमती ओपा झासी लक्ष्मी, श्रीमती सारिका रवेन्द्र सिंह बघेल, श्री दिनेश चन्द्र यादव, श्री जगदीश शर्मा, श्री एम.आई. शानवास, श्री पी. करुणाकरन, श्री रमाकांत यादव, श्री संजय निरूपम, श्री मोहम्मद अक्बरलीन, श्री मनोहर तिरकी, श्री चंदूलाल साहू,

सातवीं पंक्ति में खड़े (बायें से दायें) : श्री बलीराम जाधव, श्री मुरारीलाल सिंह, श्री आर. थामरईसेलवन, श्री एस.आर. जेयदुरई, श्री के. सुपाकरण, श्री कामेश्वर बैठा, श्री अहीर विक्रमभाई अर्जनभाई मादम, श्री सिद्धांत महंताथ, श्री तथागत सत्पथी, श्री हर्ष वर्धन, श्री आनंद प्रकाश परांवपे, श्री सत्यम हरि, डॉ. के.एस. राव, श्री चंद्रकांत खैरे श्री भीताना बरहदीन अंजासल, श्री अर्जुन मुंडा, श्री प्रबोध पांडा, श्री एल. राजगोपाल, श्री कमलेश पा खन , श्री सुदरसे भगत, श्री सर्वे सत्यनारायण, श्रीमती चन्द्रेश कुमारी, कुमारी सरोज पाण्डेय , डॉ. संजय सिंह, श्री वी. वाई. सत्यनेश, श्री पी.सी. मोहन

आठवीं पंक्ति में खड़े (बायें से दायें) : श्री अरूण कुमार सुंदारवली, डॉ. विन्ना मोहन, श्री के. आपीराज, श्री अमल सेंकटाशी रेड्डी, डॉ. मोनाबिह हसन,श्री.टी.वी. सत्यनन्द रीडा, डॉ. काकोली घोष दस्तिदार, श्री चौधरी लाल सिंह, श्री प्रभातसिंह पी. चौहान, श्री नारनभाई कछाडिया, श्री चालकुण्टा खांडरेय सुब्बा, डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहान, श्री शेख सैदुल हक, डॉ. अनुप कुमार साहा, श्री रुचि मोहन मलिक, श्री अर्जुन राय, श्री हरीश चौधरी, श्री निशिकांत दुबे, श्री जितेन्द्र नारायण राणे, श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी, श्री लाल्लाई श्री. पटेल , श्री नाथूभाई गोपनभाई पटेल, श्री विश्वराय गौडा, श्री जयवंत गौडा, श्री तापस पाल, श्री ओमप्रकाश यादव, श्री रामकिशुन, श्री दुष्यंत सिंह,
श्री नीरज शेखर, श्री अविनेश यादव, श्री अंतुला सिंह ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार राय,श्री मधु गौड यास्की,श्री दि.ल्ल सिंह डूंडूह,, डॉ. ज्योति सिंघी, श्रीमती प्रिया रत्न, श्री आर. धुवनारायण, श्री नवीन तिवारी, श्री जोस के. मणि, श्री अच्युत एन. विश्वनाथन, श्री लालचन्द केतांरिया, श्री निवीन ईरीन, श्री दिलीप सिंह जूदेव, श्री एल. राजा मोहन रेड्डी, श्री के.सी. सिंह 'बाबा', श्री 'ऊनउन्या निम्मल्ल, श्री कमलेश पास्वांकि, श्री मिलिंद देवरा, श्री प्रताप सिंह बाजवा, श्री के. सुपुग्गर, श्री संजय दीना पाटील,श्री छ- उ० बरसाने भासत , श्री एस. आलागिरी, श्री एस.पी. राजेश

चित्रकार : जी.के. दत्त
दूरभाष : 9312274764